लोक सभा

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

लोक सभा

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

16 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

जे.सी.पी.डी.पी.बी. 2019 नं.

मूल्य : रु. .....

© 2021 लोकसभा सचिवालय द्वारा

लोकसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के नियम 382 के तहत प्रकाशित (____संस्करण) और द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

भाग	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
	संयुक्त समिति की संरचना	iv-vi
	प्राक्कथन	vii-x

प्रतिवेदन

भाग एक	डाटा संरक्षण और गोपनीयता	1-52
1.1	परिचय	1
1.2	डाटा के माध्यम से बदलता भारत	2-3
1.3	वैश्विक चिंता के रूप में डाटा गोपनीयता	4
1.4	डाटा: एक नया एसेट क्लास	5
1.5	घटता उपभोक्ता विश्वास	6
1.6	स्वास्थ्य और कल्याण पर डाटा भंग का प्रभाव	7-8
1.7	बॉट और नकली अकाउंट्स (खातों) का प्रसार	9
1.8	डाटा सुरक्षा का बढ़ता महत्व	10
1.9	डाटा स्थानीयकरण की बढ़ती भूमिका	10-13
1.10	डाटा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है	13-14
1.11	इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े डाटा भंग	14-21
1.12	विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा	21
1.13	डाटा संरक्षण में वैश्विक कानूनी ढांचा : यूरोपीय संघ (ईयू) का सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर)	21-23
1.14	भारत में डाटा संरक्षण के संव्यवहार करने के कानूनी तंत्र की उत्पत्ति	23-24

1.15	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का अवलोकन और इस पर सामान्य चर्चा	24-52
भाग 2	'वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019' की खंडवार जांच	53-225

परिशिष्ट

एक.	विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव	227-228
दो.	विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव	229
तीन.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति- समय विस्तार के संबंध में 23 मार्च, 2020 का प्रस्ताव	230
चार.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति, 2019- समय विस्तार के संबंध में 23 सितंबर 2020 का प्रस्ताव	231
पांच.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति- समय विस्तार के संबंध में 09 फरवरी, 2021 का प्रस्ताव	232
छह.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति- समय विस्तार के संबंध में 25 मार्च, 2021 का प्रस्ताव	233
सात.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति- समय विस्तार के संबंध में 23 जुलाई, 2021 का प्रस्ताव	234
आठ.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति- समय विस्तार के संबंध में 1 दिसंबर, 2021 का प्रस्ताव	235
नौ.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का ब्यौरा	237-242
दस.	समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों के नामों की सूची।	243
ग्यारह.	अध्ययन दौरों का ब्यौरा	245-246

बारह.	विमत नोट और टिप्पणियां	247-294
तेरह.	सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों/व्यक्तियों की सूची जिनसे ज्ञापन प्राप्त हुए	295-303
चौदह.	बैठकों के कार्यवाही सारांश	305-518

अनुबंध

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रस्तुत विधेयक	1-60

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

श्री पी. पी. चौधरी - माननीय सभापति*

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर
5. डॉ. संजय जायसवाल एडवोकेट अजय भट्ट
6. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. श्री अरविंद धर्मापुरी
8. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. डॉ. सत्यपाल सिंह#
11. श्रीमती अपराजिता सारंगी#
12. श्री राजीव रंजन 'ललन'
13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री महुआ मोइत्रा@
15. श्री मनीश तिवारी@
16. श्री दयानिधि मारन$
17. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
19. श्री भर्तृहरि महताब
20. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

21. श्री राकेश सिन्हा%
22. श्री सुरेश प्रभु
23. डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे%
24. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी%
25. श्री जयराम रमेश
26. श्री विवेक के. तन्खा

27. श्री देरेक ओब्राईन
28. श्री ए. नवनीतकृष्णन
29. प्रो. राम गोपाल यादव^
30. डॉ. अमर पटनायक

*श्रीमती मीनाक्षी लेखी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद सभापति के रूप में नियुक्त। [समाचार भाग- II, संख्या 2729, गुरूवार, 22 जुलाई, 2021/आषाढ़ 31, 1943 (शक)]

#श्री अजय भट्ट और श्रीमती मीनाक्षी लेखी के 07/07/2021 को मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप 04/08/2021 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त। [समाचार भाग- I, संख्या 126, बुधवार, 4 अगस्त, 2021/श्रावण 13, 1943 (शक)]

@प्रो. सौगात राय और सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा क्रमश: 11/12/2019 और 26/12/2019 को त्यागपत्र दिए जाने से उत्पन्न रिक्तियों के परिणामस्वरूप 11/02/2020 से समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त। [समाचार भाग- I, संख्या 66, मंगलवार, 11 फरवरी, 2020/माघ 22, 1941 (शक)]

$श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि द्वारा 31/10/2020 को त्यागपत्र देने के उपरांत 04/08/2021 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त। [समाचार भाग- I, संख्या 126, बुधवार, 4 अगस्त, 2021/श्रावण 13, 1943 (शक)]

%श्री भूपेन्द्र यादव, श्री राजीव चंद्रशेखर और श्री अश्वनी वैष्णव के 07/07/2021 को मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप 05/08/2021 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त। [संसदीय समाचार भाग- I, संख्या 5566, गुरुवार, 5 अगस्त, 2021]

^25/11/2020 को राज्यसभा से सेवानिवृति पर 05/08/2021 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त। [समाचार भाग- I, संख्या 5566, गुरुवार, 5 अगस्त, 2021]

सचिवालय

1.	डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री बैकुंठनाथ महापात्र	-	संयुक्त निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव
4.	सुश्री माया मेनन	-	समिति अधिकारी
5.	सुश्री फानी एस. एम.	-	सहायक समिति अधिकारी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	-	सचिव
2.	डॉ. राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
3.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी', एनआईसी
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

(विधायी विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ	-	सचिव
2. श्री रमिशेट्टी श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता	-	सचिव
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

प्राक्कथन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति, जिसे 'वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019' के नाम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, धारा 2, दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित विधेयक भेजा गया था, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, इससे जुड़ी संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित यह प्रतिवेदन विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूँ।

2. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 को 11 दिसंबर, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 11 दिसंबर, 2019 को विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव लाया गया (**परिशिष्ट-एक देखें**) था। राज्य सभा 12 दिसंबर, 2019 को इस प्रस्ताव से सहमत हुई (**परिशिष्ट-दो देखें**)।

3. संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन प्रस्तुत किया जाना था। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए छह बार समय विस्तार दिया गया। संसद के मानसून सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभा द्वारा पहला समय विस्तार 23 मार्च, 2020 को प्रस्तुत और स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार दिया गया (**परिशिष्ट-तीन देखें**)। संसद के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दूसरा समय विस्तार 23 सितंबर, 2020 को प्रस्तुत और स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार दिया गया (**परिशिष्ट-चार देखें**)। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र, 2020 आहूत नहीं किया गया। तत्पश्चात् संसद के अगले सत्र, अर्थात् बजट सत्र, 2021, के लिए समन जारी किया गया तथा 9 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत और स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार पहले से दिए गए समय विस्तार को संसद के बजट सत्र, 2021 के दूसरे भाग के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक का विस्तार माना गया (**परिशिष्ट-पांच देखें**)। इसके अलावा, समिति को लोक सभा द्वारा क्रमशः 25 मार्च, 2021, 23 जुलाई, 2021 और 1 दिसंबर, 2021 (**परिशिष्ट छह, सात और आठ**) को स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार संसद के मानसून सत्र 2021 के पहले सप्ताह तक, संसद के शीतकालीन सत्र 2021 के पहले सप्ताह तक और संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तीन बार समय बढ़ाने की अनुमति दी गई।

4. विधेयक के महत्व, इसके विस्तृत निहितार्थ तथा विविध हितधारकों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समिति ने 16 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी पहली बैठक में पूर्वोक्त विधेयक के उपबंधों के विषय में जनता, विशेषज्ञों, हितधारकों, कंपनियों, विनियामक निकायों, लॉ फर्म, अकादमिक और पेशेवर निकायों, डाटा संरक्षण विशेषज्ञों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों अथवा मंत्रालयों से मत प्राप्त करने हेतु ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया था ताकि विधान की समग्र और सघन जांच के लिए समिति द्वारा उनके मत सुने जा सकें। तदनुसार, 4 फरवरी, 2020 को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड पब्लिसिटी (जो पहले डीएवीपी था) के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। कुल 234 ज्ञापन प्राप्त हुए तथा प्रत्येक ज्ञापन का विश्लेषण किया गया, सुझावों का चार्ट के रूप में संकलन किया गया तथा प्रत्येक सुझाव पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्रत्युत्तर प्राप्त होने के उपरांत समिति ने विधेयक पर खंडवार चर्चा के दौरान उन पर विचार किया। ज्ञापन के रूप में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों का सार प्रतिवेदन में संबंधित खंड की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

5. समिति ने कुल 78 बैठकें आयोजित कीं, जिनकी कुल अवधि 184 घंटे तथा 20 मिनट है। परामर्श किए गए हितधारकों की सूची सहित बैठकों के अन्य विवरण **परिशिष्ट नौ** में दिए गए हैं।

6. समिति ने विधेयक के उपबंधों पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी लेने के लिए तीन बैठकें कीं।

7. तत्पश्चात, समिति ने सांविधिक/विनियामक/सरकारी निकायों/डाटा विशेषज्ञों/साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ-साथ उद्योगों और पेशेवर निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के कुल 31 विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों के मत/सुझाव सुने। समिति के समक्ष अपना मत व्यक्त करने के लिए आमंत्रित सरकारी एजेंसियों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शामिल थे। मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए साक्षियों की बैठकवार सूची (**परिशिष्ट-दस**) पर संलग्न है।

8. समिति ने 26.10.2021 से 29.10.2021 तक मुंबई और बेंगलुरु का अध्ययन दौरा भी किया जहां वे एसबीआई और यूआईडीएआई के डाटा केंद्रों, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) और आयकर विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र गए और विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर राज्य सरकारों सहित 15 हितधारको/संगठनों के साथ अनौपचारिक चर्चा की (**परिशिष्ट ग्यारह देखें**)।

9. समिति ने दिनांक 11.11.2020 से 12.11.2021 तक आयोजित कुल 47 बैठकों में विधेयक के सभी खंडों तथा प्रत्येक खंडों पर प्रस्तावित संशोधनों पर खंडवार चर्चा पूर्ण की। संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रस्तुत विधेयक प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

10. श्री मनीश तिवारी, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री गौरव गोगोई, श्री रितेश पाण्डेय, श्री विवेक के. तन्खा, श्री जयराम रमेश, श्री देरेक ओब्राईन, डॉ. अमर पटनायक से प्राप्त विमत टिप्पण/कार्यवृत्त प्रतिवेदन में संलग्न हैं (**परिशिष्ट बारह देखें**)।

11. 22.11.2021 को आयोजित अपनी 78वीं बैठक में, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया तथा अपनी ओर से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद समिति की बैठकों की कार्यवाही और अध्ययन दौरों की टिप्पणियों की एक-एक प्रति तथा विधेयक पर विभिन्न क्षेत्रों से समिति को प्राप्त ज्ञापनों की दो प्रतियां संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रखी जाएं।

12. विधेयक की जांच के संबंध में समिति की सभी बैठकों में समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपना सुविचारित मत रखने के लिए समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देती है। समिति सांविधिक/विनियामक/सरकारी निकायों/डाटा विशेषज्ञों/साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों तथा उद्योग और पेशेवर निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को भी हार्दिक धन्यवाद देती है जो समिति के समक्ष उपस्थित हुए और विधेयक के विभिन्न उपबंधों के कार्यकरण और प्रभाव के बारे में समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से अपने विचार

रखे। समिति लोक सभा के सचिवालय के अधिकारियों केईमानदार और समर्पित प्रयासों की भी सराहना करती है जिन्होंने समिति की बड़ी संख्या में आयोजित बैठकों को सुचारू रूप से चलाने और समर्पित भाव से प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता दी है।

(पी पी चौधरी)
सभापति,
वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,
2019 संबंधी संयुक्त समिति

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 08 दिसंबर, 2021
17 अग्रहायण, 1943 (शक)

रिपोर्ट
भाग-1
डाटा गोपनीयता और सुरक्षा

1.1 प्राक्कथन

हम डाटा और प्रौद्योगिकी संचालित "दुनिया के वेब" की ओर बढ़ रहे हैं जहां मोबाइल संचार और सोशल मीडिया लोगों को अदृश्य तरीकों से जोड़ रहे हैं। डाटासेट हस्ताक्षर रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर एक एल्गोरिदम में डाले जाते हैं जो भविष्यवाणी करता है कि हम कौन हैं, हम क्या जानते हैं, हम कहां हैं, हम कहां रहे हैं और हम कहां जाने की योजना बना रहे हैं। इस डाटा को संसाधित करने से हमें यह समझने और यहां तक कि भविष्यवाणी करने की भी क्षमता प्राप्त होती है कि मनुष्य व्यक्तिगत, समूह और वैश्विक स्तर पर अपना ध्यान और गतिविधि कहां केंद्रित करते हैं। लगभग 4.66 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, इंटरनेट का आकार अब 44 जीटाबाइट (1 जीटाबाइट 1021 बाइट या 1 बिलियन टेराबाइट है) होने का अनुमान है और प्रति दिन 2.5 क्विंटिलियन बाइट की दर से नए डाटा जोड़े जा रहे हैं। जून 2019 तक, अनुक्रमित वेब पर 5.85 बिलियन पृष्ठों का समावेश होने का अनुमान था; यह केवल सर्च इंजन के माध्यम से हासिल हुई गतिविधि है। इसके अलावा, इंटरनेट 2012 के बाद से हर साल आकार में लगभग दोगुनी हो गई है । इंटरनेट और डाटा ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े निगमों को जन्म दिया है । दुनिया भर में डाटा चालित प्रौद्योगिकियों के प्रसार ने संचार के साधनों और ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन वाणिज्य और लेनदेन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सहित कई उपभोक्ता नवाचारों का सृजन किया है। इसके परिणामस्वरूप अनेक ऑनलाइन बाज़ार अस्तित्व में आए जहां अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां अब ऑनलाइन होती हैं। इसलिए, डाटा नया क्षेत्र है जो एक अर्थव्यवस्था की सही शक्ति दिलाने की क्षमता है । देश स्मार्ट और सुरक्षित डाटा के उपयोग के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को तेज करने के लिए प्रयासरत हैं ।

1.2 डेटा के माध्यम से भारत को बदलना

1.2.1 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ, 3.0 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और 400 मिलियन से अधिक स्मार्ट फोन उपयोगकर्ता, भारत दैनिक आधार पर विशाल मात्रा में डेटा निर्मित कर रहा है। भारत सालाना लगभग 150 एक्सबाइट डेटा उत्पन्न करता है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते डेटा उत्पन्न करने वाले राष्ट्रों में से एक है। डेटा एक नया संसाधन है जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, नवाचार का समर्थन और नए युग के कारोबार का निर्माण कर रहा है । विभिन्न स्रोतों और डोमेन से डेटासेट को एकीकृत करके और डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को लागू करके, नए और अभिनव उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए शक्तिशाली नई अंतर्दृष्टि उत्पन्न की जा सकती है। डेटा का प्रभावी ढंग से दोहन करने से आर्थिक विकास और विकास में तेजी लाने और लोगों और व्यवसायों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिल सकती है । अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों और शासन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी चालित नवाचार को शक्ति देकर "आत्म निर्भर भारत" की दृष्टि को प्राप्त करने की दिशा में डेटा एक महत्वपूर्ण संबल हो सकता है ।

1.2.2. डेटा, एक अमूर्त परिसंपत्ति, संसाधनों के बेहतर और अधिक कुशल उपयोग, सेवाओं के वास्तविक समय वितरण, आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन आदि सहित कई प्रयोजनों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा उपभोग और दुरूपयोग किया जा सकता है। डेटा की मूल्य श्रृंखला को नीचे वर्णित किया जा सकता है:

डेटा –सूचना- ज्ञान- प्रभावी उपयोग

1.2.3. शक्तिशाली डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियां दुनिया को भावी और आदेशात्मक एनालिटिक्स की ओर बढ़ रही हैं, इस प्रकार विघटनकारी नवाचारों को ला रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप समाज में बेहतर कल के लिए परिवर्तन होता है। आंकड़ों से सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार हो सकता है-चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, कर संग्रह, गरीबी, सार्वजनिक सुरक्षा आदि हो ।

1.2.4. क्लाउड, डीप विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा लेक आदि से लेकर नवीनतम डेटा प्रौद्योगिकियों की अधिकता है जो हाइपर क्षमताओं को सक्षम करती हैं - वास्तविक समय तक पहुंच और बेहद उच्च गति पर बड़ी मात्रा में डेटा का प्रसंस्करण। इन प्रौद्योगिकियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - जो डेटा को कैप्चर और स्टोर करते हैं, और वे जो डेटा से अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में मदद करते हैं। डेटा की भावी शक्ति हमें वर्तमान के लिए निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाने और भविष्य के लिए बेहतर तैयार कर सकती है।

1.2.5. भारत के पास पहले से ही आधार, पासपोर्ट सेवा, ओपन डेटा स्टैक (data.gov.in), एमसीए21, जीएसटीएन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), डब्ल्यूआरआईएस (जलशक्ति), दिशा (ग्रामीण विकास), भुवन (इसरो) आदि सहित राष्ट्रीय महत्व की कई डेटा संपत्तियां हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत कुशल हैं और अपने डोमेन में विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल कर सकते हैं और प्रकृति में क्रॉस-कटिंग भी हैं क्योंकि उन्हें डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला में एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

1.2.6. अब समय आ गया है कि जटिल अंतर-संबद्ध सामाजिक और आर्थिक विकास चुनौतियों को हल करने, डेटा के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने और एकत्र किए गए डेटा से आगे बढ़ने और क्रॉस-सेक्टोरल डेटा सेट बनाने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के लिए हमारे डेटा विजन को व्यापक बनाया जाए। भारत के लिए डेटा की शक्ति को सही मायने में उजागर करने के लिए विभिन्न डेटा प्लेटफार्मों पर 'साइलोड' दृश्य से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

1.2.7. इस उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में डेटा सेट को एकीकृत करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजाइन और सेटअप करने की आवश्यकता है। इन स्रोतों से डेटा को आवश्यकता के आधार पर एकीकृत किया जा सकता है और इसका उपयोग नई अंतर्दृष्टि पैदा करने और विभिन्न डोमेन में उत्पादों और सेवाओं में सुधार के लिए नवाचार का समर्थन करने के लिए उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। डेटा प्रबंधन नीतियों को डेटा की पहुंच, सटीकता, गोपनीयता, निवास और सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को संबोधित करने के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।

1.2.8. इसलिए, सटीक डेटा, उपयुक्त डेटा एक्सेस, मजबूत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और स्वामित्व अधिकारों के साथ मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। डेटा को जोड़ने और एकत्र करने और उन्हें विभिन्न हितधारकों के लिए उपलब्ध कराने, क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा से नई अंतर्दृष्टि विकसित करने और डेटा के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा और सुसंगठित डेटा पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगा।

1.2.9. डेटा के माध्यम से भारत को बदलने की इस यात्रा में, डेटा विलंबता, डेटा डुप्लिसिटी, सटीकता और अपर्याप्त डेटा जैसी कुछ डेटा विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिन्हें भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

1.2.10. डेटा राष्ट्रीय महत्व की एक परिसंपत्ति है जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। सही डेटा बुनियादी ढांचे और शासन तंत्र को प्रयोग करके, डेटा की शक्ति भारत के लिए एक वास्तविकता बन सकती है।

1.3 वैश्विक चिंता के रूप में डेटा संरक्षण

1.3.1 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए ऑनलाइन लेनदेन की अत्यधिक वृद्धि के कारण भारी मात्रा में डाटा का उत्पादन हुआ है। इसके साथ इसके संग्रह, उपयोग और भंडारण विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा की समस्या भी पैदा हुई। इसके साथ चिंता का विषय उपभोक्ताओं की सूचना या सहमति और संप्रभु कानूनों के उल्लंघन के बिना तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत जानकारी की साझेदारी है। नतीजतन, 194 देशों में से 132 देशों ने व्यक्तिगत डाटा और निजता की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए विनियम और कानून लागू किए हैं। एशिया और अफ्रीका के लगभग 55% देशों ने ऐसे कानूनों को अपनाया है; जिसमे 23 सबसे कम विकसित देश शामिल हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट के उदय ने कई तरह के नए ऑनलाइन बाजारों और सामाजिक कार्यकलापों तथा अनेक नए अंशधारकों को जन्म दिया। इनमें सीधे तौर पर या व्यापार मॉडल के एक हिस्से के रूप में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े हुए बाजार शामिल हैं।

1.4 डाटा: एक नई एसेट क्लास

1.4.1मूल तौर पर, व्यक्तिगत डाटा एक नई अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन है। यह अभूतपूर्व अवसर, जटिलता, वेग और वैश्विक पहुंच का प्रतिनिधित्व करता है । एक विशाल संचार अवसंरचना के उपयोग के तौर पर, यह उस दुनिया में प्रवेश का द्वार है जहां लगभग हर कोई और सब कुछ वास्तविक समय में जुड़े हुए हैं । इसके लिए नवाचार आधारित एक बेहद भरोसेमंद, सुरक्षित और उपलब्ध अवसंरचना अनिवार्य है । इस मूल्यवान संसाधन की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने के लिए, व्यक्तियों, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक संतुलित और भरोसेमंद पारिस्थितिकी तंत्र को तैनात करने की आवश्यकता है ।डाटा तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

- डाटा सेट को परिभाषित करना: व्यक्तिगत डाटा के प्रकार, मात्रा और मूल्य विविध और गहरे हैं, जिनमें हमारे प्रोफाइल और बैंक खातों से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर रोजगार डाटा तक जनसांख्यिकीय डाटा शामिल हैं ।
- व्यवहार: वेब खोज और साइटों का दौरा, वरीयताएं और खरीद इतिहास।
- नेटवर्क: ट्वीट्स, पोस्ट, टेक्स्ट, ईमेल, फोन कॉल, फ़ोटो और वीडियो के साथ-साथ हमारे वास्तविक समय स्थान के निर्देशांक
- खर्च पैटर्न: ऑनलाइन खरीद, लेनदेन, लेनदेन का तरीका, उपयोग किए गए गेटवे आदि।

1.4.2व्यक्तिगत डाटा का उपयोग बड़े निगमों द्वारा व्यक्तिगत सेवा-वितरण व्यवसायों के सहायतार्थ किया जाता है। सरकार इसका उपयोग कुशल तरीके से विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए करती है । डाटा वैज्ञानिक इसे नए प्रोटोकॉल और एल्गोरिदम को डिजाइन और विकसित करने के लिए तैनात करते हैं। उपयोगकर्ताओं को भी व्यक्तिगत उपभोक्ता अनुभव के माध्यम से लाभ होता है जिसमें बेहतर इंटरनेट खोज सुझाव, खरीद सम्बन्धी सिफारिशें और सोशल नेटवर्किंग अनुभव शामिल हैं ।

1.5 घटता उपभोगता विश्वास

1.5.1व्यक्तिगत डाटा के तेजी से वाणिज्यिक उपयोग के परिणामस्वरूप अंतिम उपयोगकर्ता का विश्वास और आत्मविश्वास कमतर हुआ है। महत्वपूर्ण आंकड़ों के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं और तनाव तेजी से बढ़ रहा है । इन सबसे ऊपर, आम जनता में इस तथ्य के बारे में असहजता की भावना है जो "वे" उनके बारे में जानते हैं । यह "हम" बनाम "वे" की स्थिति ने इस मामले को परिणामस्वरूप व्यापक विश्वास अंतराल में बदल दिया है ।

1.5.2 प्रमुख अनिश्चितताओं में गोपनीयता, संपत्ति, वैश्विक शासन, मानवाधिकार और सूचना विषमता शामिल है। एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल व्यक्तिगत डाटा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कानूनी, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकीयुक्त और आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बड़ी टेक कंपनियों ने डाटा अर्थशास्त्र की भूमिका को परिप्रेक्ष्य में रखा । ये बड़े टेक दिग्गज पर्सनल डाटा के अर्थशास्त्र पर निर्मित हुए हैं । सार्वजनिक संगठनों और नागरिकों के बीच संचार की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार के लिए दुनिया भर में कई सरकारों ने अब ई-गवर्नेंस पहलों को अपनाना शुरू कर दिया है ।

1.5.3जबकि अपर्याप्त सुरक्षा उपभोक्ता विश्वास को घटाती है, एक बहुत अधिक कड़ी सुरक्षा प्रतिबंधात्मक है। डाटा अर्थव्यवस्था पर व्यापार की बढ़ती निर्भरता के साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विचाराधीन क़ानून वैश्विक रूप से सुसंगत हों । सीमा पार सुसंगत डाटा सुरक्षा व्यवस्थाएं सभी हितधारकों के लिए एक अधिक उम्मीद के मुताबिक भविष्य बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी । उदाहरण के लिए, जबकि अंतर्निहित गोपनीयता सिद्धांत स्थिर हैं, व्याख्याएं और अनुप्रयोग विविध हैं। गोपनीयता केवल कुछ क्षेत्राधिकारों में एक मौलिक अधिकार है, लेकिन एक कोने से दूसरे में सभी समाजों द्वारा संरक्षित है । इसके अलावा, डाटा सुरक्षा व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन पर भी बहस चल रही है । सभी के लिए एक शासन से लेकर एक क्षेत्र विशिष्ट तयशुदा दृष्टिकोण तक और कुछेक के लिए रियायत या दोनों का मिश्रण के मामले में, क्षेत्राधिकार अभी तक कार्यान्वयन के बुनियादी सिद्धांतों पर एकाग्र नहीं हुआ है ।

1.6 स्वास्थ्य और कल्याण पर डाटा उल्लंघनों का प्रभाव

1.6.1 हमारे जीवन में डाटा की भूमिका तीव्र दर से बढ़ी है। बैंकिंग से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, बीमा, मनोरंजन, यहां तक कि हमारी ग्रोसरी कार्ट की यात्रा -हमारे जीवन का हर पल भले ही हम ऑनलाइन उपस्थिति से दूर से ही जुड़े हुए हों, जो सर्वव्यापी हैं, उन्हें कई एजेंसियों द्वारा डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में एक साथ ग्रहण किया जा रहा है । इससे निजता के उल्लंघन के प्रति हमारी असुरक्षा बढ़ी है जिसके कारण विश्वास और विश्वास घटने लगा है और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की आशंका है । हम वित्तीय या पहचान रूपी उल्लंघन सहित निजी डाटा उल्लंघन के निरंतर भय का सामना कर रहे हैं और और इस कारण साइबर अपराध से काफी वितीय और निजी नुकसान उठा रहे हैं । यह सच है कि कभी-कभी डाटा उल्लंघन संगठन स्तर पर होता है; हालांकि जबकि संगठनात्मक प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इससे जीवन संबंधी प्रतिकूल घटनाएं भी हो सकती हैं जैसे स्थान परिवर्ती, रोजगार की हानि, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। मनोवैज्ञानिक स्तर पर गंभीर स्थायी जटिलताओं पर अक्सर संगठनों और नियामकों द्वारा चर्चा नहीं की जाती है। हालांकि, डाटा उल्लंघन के परिणामी(नॉक-ऑन) प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि पीड़ित को उल्लंघन की सीमा के बारे में जानकारी नहीं होना पीड़ित को चिंता और भय की स्थिति में डालता है जो भविष्य में उसके फैसलों को प्रभावित कर सकता है।
1.6.2.आइडेंटिटी थेफ़्ट रिसोर्स सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार, उन व्यक्तियों के बीच जिन्होंने डाटा उल्लंघन का सामना किया:-

- 86% ने चिंतित, गुस्सा और कुंठित महसूस किया
- 85% ने अपनी नींद की आदतों में गड़बड़ी का अनुभव किया
- 77% ने तनाव के स्तर में वृद्धि महसूस की
- 70% ने असुरक्षित महसूस किया और भरोसा करने में असमर्थ थे
- 67% ने शक्तिहीनता या लाचारी महसूस की

- 64% को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ा
- 59% ने उदास या अवसादग्रस्त महसूस किया
- 57% ने दर्द, पीड़ा, सिर दर्द और ऐंठन के लक्षण अनुभव किये
- 50% ने आनंद में गुजारे अपने कार्यकलापों और शौकों में रूची खो दी

1.6.3.डाटा सुरक्षा के मेडिको-कानूनी आयाम को डाटा सरंक्षण और सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में मनोविज्ञान और कानून के विजिटिंग प्रोफेसर-नैदानिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ह्यूग सी एच कोच के अनुसार-डाटा उल्लंघन के शिकार लोगों को पत्राचार, टेलीफोन और डिजिटल संचार और सेवाओं के लिए भुगतान जैसी सामान्यीकृत स्थितियों में भी चिंता का सामना करना पड़ता है। पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे आमतौर पर पीटीएसडी के नाम से जाना जाता है, डाटा उल्लंघन का एक गंभीर दुष्परिणाम है, जो वृद्धिकारी रूप से उन पीड़ितों में देखा जाता है जो लाचारी और असुरक्षा की भावनाओं के साथ जूझते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोरोग प्रोफेसर एलियास अबॉउजाऊदे लिखते हैं, "(डाटा साझा करने के)हर जोखिम के साथ आपको (पीड़ित) प्रत्येक स्मरण पर पुनराघात महसूस होता है।" इसके अलावा, दोष रोपण जो हर उल्लंघन के साथ आता है,पीड़ित पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को और तीव्र कर देता है । एशले मैडिसन उल्लंघन मामले ने हमें यह झलक दिखला दी कि डाटा उल्लंघन की वजह से किस प्रकार जीवन बर्बाद हो सकता है। वयस्कों से जुड़ी वेबसाइट से डाटा चोरी होने के बाद हाई-प्रोफाइल तलाक, आत्महत्याओं और इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा, जिसने अन्यथा गुमनाम जीवन पर गहरा आघात पहुँचाया।

1.7 बॉट और नकली अकाउंट्स (खातों) का प्रसार

1.7.1.गिर्द सबसे बड़े मुद्दों में से एक फर्जी खातों की भरमार है। इनमें अन्य लोगों के नाम पर मनुष्यों द्वारा संचालित खाते, या फर्जी नाम, एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित कई खाते और निश्चित रूप से, "बॉट" नामक कंप्यूटर संचालित खाते शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि कुछ गणनाओं के अनुसार, ट्विटर के रिपोर्ट किए गए सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से 48 मिलियन - लगभग 15% वास्तविक लोगों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्वचालित खाते हैं, हालांकि कंपनी का दावा है कि संख्या बहुत कम है। दरअसल, कुछ फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स पर एक ही परिमार्जन में जो ट्विटर ने 10-11 जुलाई 2018 को किया था, कई सेलिब्रिटीज ने लाखों फॉलोअर्स खो दिए क्योंकि उन अकाउंट्स को फर्जी पाया गया और हटा दिया गया । उस एक दिन के भीतर, ट्विटर के अपने आधिकारिक खाते ने अपने कुल अनुयायियों का लगभग 12% खो दिया- 7.7 मिलियन नकली अनुयायी।

1.7.2.इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन सहित लगभग सभी प्लेटफार्मों पर फर्जी खातों की गाथा जस की तस है । चूंकि फेसबुक और जीमेल का उपयोग अक्सर कई साइटों पर प्रमाणित करने के लिए किया जाता है - ये नकली खाते वेब पर कई नकली पहचान का कारण बनते हैं। ये बॉट और फर्जी खाते एक निश्चित एजेंडा या व्यक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, दुर्भावनापूर्ण अभियान चला सकते हैं, डिजिटल घोटालों को बढ़ावा दे सकते हैं और यहां तक कि संगठित फ़िशिंग और ब्लैकमेलिंग का संचालन भी कर सकते हैं । सोशल मीडिया पर फर्जी खातों और बॉट्स की आमद को रोकने की जरूरत है-जिसे आईडी सत्यापन, पहचान का प्रमाण जमा करने आदि जैसे सरल उपायों के जरिए मानक मानदंडों के तहत खातों के सत्यापन से ही हासिल किया जा सकता है ।

1.8 डाटा सुरक्षा का बढ़ता महत्व

1.8.1.डाटा पर कानूनों का इतिहास 1970 के दशक से चला आ रहा है जो कंप्यूटर और संबद्ध प्रौद्योगिकियों,जिन्होंने जानकारी की भारी भरकम मात्रा को सँभालने और संसाधित करने की क्षमता हासिल की, के आगमन के बारे में चिंता को दर्शाता है। जबकि विभिन्न सार्वजनिक, स्थानीय और दुनिया भर में गतिविधियां प्रशासनिक तरीकों और नियामक दृष्टिकोण के अध्यधीन हैं, केंद्रीय नियमों के आसपास सामंजस्य का एक उल्लेखनीय स्तर मौजूद है । इनमें किसी भी डाटा प्रोसेसिंग गतिविधि के लिए अनुमति जैसे सिद्धांत शामिल हैं। यह या तो सहमति या किसी अन्य औचित्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो प्रतिस्पर्धी निजी और सार्वजनिक हितों को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया । दूसरा सामान्य कारक संसाधित होने वाले व्यक्तिगत डाटा की गुणवत्ता से संबंधित है। डाटा अप-टू-डेट, सटीक और पूर्ण होना चाहिए। इस सिद्धांत का अनुपालन प्रसंस्करण और प्रोसेर्ससर दोनों के विषय के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए।

1.8.2.डाटा सुरक्षा की भूमिका मौलिक है: डाटा सुरक्षा का उद्देश्य जानबूझकर और साथ ही डाटा के दुर्घटनावश नुकसान या विनाश से रक्षा करना है। जब डाटा संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाया जा रहा हो, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उचित डाटा सुरक्षा में व्यक्तिगत डाटा विषयों, नियंत्रकों और व्यक्तिगत डाटा की आवश्यकताओं को शामिल किया जा रहा है।

1.9 डेटा स्थानीयकरण का बढ़ता महत्व

1.9.1. डेटा हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी अन्य संसाधन की तरह नहीं है। डेटा को अब एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, जो अंतर्दृष्टि, पैटर्न और डेटा के वितरण और अन्य डेटा के साथ इसके समामेलन से उत्पन्न अंतर्निहित मूल्य प्राप्त करता है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है, जो अर्थव्यवस्था और नवाचार को प्रोत्साहन देता है ।

1.9.2. भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र वैश्विक डेटा प्रवाह में अत्यधिक एकीकृत है। भारत में सबसे अधिक पहुंच वाली 10 वेबसाइटों में से आठ का स्वामित्व अमेरिका आधारित संस्थाओं के पास है और इन वेबसाइटों पर बातचीत में एकत्र किए गए अधिकांश डेटा को वर्तमान में

दुनिया में कहीं भी संग्रहीत, संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है । आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीई) भारत के निर्यात का लगभग 40% है, भारत में उत्पादित आईटी/आईटीई का 65% वैश्विक ग्राहकों के लिए है, और अन्य 15% अन्य देशों में हमारी आईटी फर्मों की वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से वितरित किया जाता है । सीमा पार डेटा प्रवाह प्रबंधन भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे उत्पादक क्षेत्रों में से एक के लिए आवश्यक है । हालांकि डेटा-शेयरिंग और सहयोग के अलग लाभ हैं, लेकिन सीमा पार से डेटा तक पहुंच से उपजे जोखिमों को देखते हुए डेटा-शेयरिंग और सहयोग के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ।

1.9.3. डेटा स्थानीयकरण डेटा के दो सामरिक पहलुओं से संबंधित है: भौगोलिक रूप से स्थित डेटा भंडारण और डेटा साझा करना। व्यापक शब्दों में, डेटा स्थानीयकरण, डेटा के सीमा पार आंदोलन पर प्रतिबंध का तात्पर्य है । इसके निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं:

(i) देश के भीतर डेटा का निवास -डेटा केवल देश के भीतर संग्रहीत किया जाता है और किसी अन्य देश को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। इसे हार्ड लोकलाइजेशन के नाम से जाना जाता है।

(ii) डेटा की मिररिंग - डेटा मुख्य रूप से एक देश में संग्रहीत किया जाता है और उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। हालांकि डाटा दूसरे देशों में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सॉफ्ट लोकलाइजेशन के रूप में जाना जाता है।

1.9.4. डेटा स्थानीयकरण के उद्देश्य

आम तौर पर, डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को लागू करने के लिए डेटा के सीमा पार प्रवाह में कुछ जोखिमों को कम करने और सामरिक उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन: एक शत्रु देश में, डेटा निगरानी और उपभोक्ता व्यवहार/विचार के हेरफेर के लिए एक उपकरण हो सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी तक समय पर पहुंच भी एक प्रमुख आवश्यकता है ।

ii. निजता : देश के भीतर उचित डेटा सुरक्षा नियमों के साथ बेहतर सूचनात्मक निजता सुनिश्चित की जा सकती है।

iii. रोजगार सृजन: डेटा स्थानीयकरण डेटा केंद्रों और अन्य संबद्ध उद्योगों के उद्भव के साथ घरेलू बाजार में डेटा अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दे सकता है, जिसमें रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने की क्षमता है।

iv. तोलमोल की शक्ति: इंटरनेट पर मजबूत उपस्थिति और उपभोक्ता डेटा के विशाल उत्पादन के साथ, भारत डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए डेटा आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य देशों के साथ तोलमोल करने की बेहतर स्थिति में हो सकता है।

1.9.5. डेटा स्थानीयकरण में हितधारक

i. सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां: डेटा स्थानीयकरण से सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डेटा तक आसान पहुंच होगी, इस प्रकार बेहतर कानून प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

ii. नागरिक और निवासी: डेटा स्थानीयकरण के अभाव में, अन्य देशों में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के साथ किसी भी समझौते में व्यक्तियों के लिए बहुत कम उपचारात्मक अवसर हो सकते हैं। इसलिए, डेटा स्थानीयकरण मानदंड व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता संरक्षण में बहुत मददगार हो सकते हैं, जो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है।

iii घरेलू आईटी कंपनियां: उचित डेटा स्थानीयकरण मानदंडों के साथ, भारतीय कंपनियां भारत के भीतर डेटा भंडारण और होस्टिंग सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि भारत में डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे में काफी वृद्धि की जाएगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को देश के भीतर हाइपर स्केल डाटा सेंटर और अन्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv विदेशी आईटी कंपनियां: इन कंपनियों को नियमों का पालन करते हुए, देश में नए डेटा केंद्रों और अन्य आईटी बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता होगी, इस प्रकार भारत में इनके निवेश में वृद्धि होगी।

1.9.6. भारत एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक प्रमुख डेटा बाजार के रूप में देखती हैं। डेटा संरक्षण और स्थानीयकरण नीति पर अंतरराष्ट्रीय नीति ढांचा विश्व स्तर पर बहुत कम स्वीकार्य सिद्धांतों के साथ विकसित हो रहा है । भारत में, परिकल्पित डेटा स्थानीयकरण मानदंडों में संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत आंकड़ों के सीमा पार आंदोलन को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के इस तरह के आंदोलन को केवल कुछ शर्तों जैसे व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति, अनुमोदित संविदात्मक दायित्वों या विशिष्ट स्थितियों में अनुमतियों के आधार पर अनुमति दी जाती है। इसी तरह, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को कुछ शर्तों के आधार पर भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है जैसे आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता या सरकार कुछ डेटा हस्तांतरण की अनुमति देती है । संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़ों का सीमा पार प्रवाह नियामक ढांचे के तहत हो सकता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार आईटी उद्योग द्वारा विश्व स्तर पर डेटा श्रृंखला प्रबंधन में निरंतर नवाचार और भागीदारी को सक्षम किया जा सकता है ।

1.10 डाटा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है

1.10.1 ऐसे अनेक माध्यम हैं जहां सोशल मीडिया ने दुनिया भर के लोगों को क्रांतियों, विरोध, दंगों और हिंसा फैलाने कीयोजना बनाने, संगठित करने और निष्पादित करने के लिए उकसाया है। व्यक्ति और संगठन सोशल मीडिया का उपयोग लोगों को भर्ती करने, एक-दूसरे के साथ जुड़ने, अपनी आवाज़ बुलंद करने , आपस में समन्वय करने और यहां तक कि कहानी के अपने पक्ष को प्रचारित करने के लिए करते हैं - ये सब वे कार्य हैं जो वैश्विक कहानी को बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल मीडिया का उपयोग संबंधित सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को उत्प्रेरित करने के लिए किया गया था, जिन्हें सहज कहा जाता था, हालांकि, वे अच्छी तरह से समन्वित थे। ' महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे ' पर सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक रूप से ज्ञात साइबर हमलों में से एक में, अमेरिकी पावर ग्रिड पर मई, 2021 में हमला किया गया था जिसे ' औपनिवेशिक ग्रिड हमला ' के रूप में जाना जाता है ।

1.10.2.अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन पिछले एक दशक से इंटरनेट का उपयोग अपनी विचारधारा को फैलाने, आतंकवादियों की भर्ती करने और हमलों की योजना बनाने के लिए

करते रहे हैं । वे कार्यक्रमों का आयोजन और चर्चा के लिए फोरमों की मेजबानी करते हैं, और फेसबुक, ट्विटर पर उत्तेजक वीडियो पोस्ट करते हैं और संभावित रंगरूटों के साथ संपर्क जोड़ते हैं और यहां तक कि एक्शन वीडियो गेम जैसे वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट भी पोस्ट करते हैं । कुछ आतंकवादी संगठनों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा और सांप्रदायिक वैमनस्य और नागरिकों में असहिष्णुता की भावना पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2013 में एसोसिएटेड प्रेस के ट्विटर अकाउंट ने एक झूठी खबर साझा की यानी "ब्रेकिंग: व्हाइट हाउस में दो धमाके और बराक ओबामा घायल हुए।" कुछ ही मिनटों में, वह ट्वीट अमेरिकी स्टॉक व्यापारियों तक पहुंच गया और शेयर बाजार 143 अंक से अधिक गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 136.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। कुछ महीने बाद, एसोसिएटेड प्रेस के ट्विटर अकाउंट को सीरियाई इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने हैक कर लिया और फर्जी पोस्ट शेयर कर दिए। उन सामग्रियों को मिनटों के भीतर हटा दिया गया था लेकिन नुकसान हो गया था।

1.10.3.भारत में, अगस्त 2012 में, सार्वजनिक व्यवस्था बिलकुल ठप्प हो गई थी, जब हजारों कार्यकर्ता और छात्र देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में सड़कों पर आ गए। यह असम राज्य में जातीय संघर्ष पर सांप्रदायिक हमलों के बारे में चेतावनी वाले नकली पाठ संदेशों के प्रचलन का परिणाम था। भारत सरकार ने गूगल , फेसबुक ,यू ट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नेटवर्किंग साइट्स को दोषी ठहराया। इसके बाद, सरकार ने 250 से अधिक वेबसाइटों और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन पर नफरत फैलाने वाली सामग्री फैलाने का आरोप लगाया।

1.11 इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े डाटा उल्लंघन:

1.11.1विश्व ने डिजिटल युग में बड़े डाटा उल्लंघनों का सामना किया है जिसके कारण डाटा संरक्षण अधिनियम के वर्तमान कानून की आवश्यकता हुई है। विश्व में हुई कुछ बड़े डाटा उल्लंघनों की सूची निम्नानुसार है: -

क्रम सं0	कंपनी का नाम	प्रभावित हुए अकाउंट्स (खाते)	विवरण
1.	एडोब	153 मिलियन	एन्क्रिप्ट किए गए ग्राहक क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड और अनिर्धारित संख्या के उपयोगकर्ता खातों के लॉग इन डाटा चोरी हो गए थे।
2.	कैनवा	137 मिलियन	कैनवा को एक हमले का सामना करना पड़ा जिसमें सामाजिक लॉग इन का उपयोग नहीं करने वाले - लगभग 61 मिलियन उपयोगकर्ताओं के डाटा (ईमेल पते, उपयोगकर्ता नाम, निवास के शहर, साल्टेड और हैशड बी क्रिप्ट पासवर्ड) चुराये नहीं गए बल्कि दुनिया के सामने उजागर हो गए।
3.	इ बे	145 मिलियन	इस कंपनी पर हुए हमले ने 145 मिलियन उपयोगकर्ताओं की पूरी खाता सूची को उजागर किया, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और एन्क्रिप्टेड पासवर्ड शामिल हैं। हैकर्स ने इसके नेटवर्क का उपयोग करने के लिए तीन कॉर्पोरेट कर्मचारियों के परिचय पत्रों का उपयोग किया और 229 दिनों के लिए पूरी पहुँच प्राप्त की। वित्तीय जानकारी, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, अलग से संग्रहीत किए गए थे और उनकी चोरी नहीं हो पायी।
4.	एक्वीफैक्स	147.9 मिलियन	इस कंपनी पर हुए उल्लंघन से 143 मिलियन उपभोक्ताओं की

			व्यक्तिगत जानकारी (सामाजिक सुरक्षा संख्या, जन्म तिथि, पते और कुछ मामलों में ड्राइवरों के लाइसेंस नंबर सहित) उजागर हो गयी; 209,000 उपभोक्ताओं के क्रेडिट कार्ड का डाटा भी उजागर हो गया था । अक्टूबर 2017 में यह संख्या 147.9 मिलियन हो गई।
5.	डबस्मैश	162 मिलियन	2018 में डबस्मैश में 162 मिलियन ईमेल पते, उपयोगकर्ता नाम, PBKDF2 पासवर्ड हैश, और अन्य व्यक्तिगत डाटा जैसे कि जन्म की तारीखें चोरी हो गईं, और यह सब तब ड्रीम मार्केट डार्क वेब मार्केट पर बिक्री के लिए रखा गया था। जानकारी को एक एकत्रित डंप के हिस्से के रूप में बेचा जा रहा था जिसमें MyFitnessPal, MyHeritage, ShareThis, Armor Games और डेटिंग ऐप Coffee Meets Bagel शामिल हैं।
6.	हार्टलैंड पेमेन्ट सिस्टम	134 मिलियन	उल्लंघन के समय, हार्टलैंड 175,000 व्यापारियों के लिए - ज्यादातर छोटे-मध्यम आकार के खुदरा विक्रेताओं के लिए - प्रति माह 100 मिलियन भुगतान कार्ड लेनदेन का प्रसंस्करण कर रहा था । हमलावरों ने SQL इंजेक्शन हमले को करने के लिए

			एक ज्ञात भेद्यता का फायदा उठाया। सुरक्षा विश्लेषकों ने खुदरा विक्रेताओं को कई वर्षों तक इस भेद्यता के बारे में चेतावनी दी थी, और इसने SQL इंजेक्शन को उस समय वेबसाइटों के खिलाफ हमले का सबसे सामान्य रूप बना दिया। एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 2009 में अल्बर्ट गोंजालेज और दो अनाम रूसी सहयोगियों को दोषी ठहराया। उन्हें मार्च 2010 में फ़ेडरल प्रिज़न (संघीय जेल) में 20 साल की सजा सुनाई गई।
7.	लिंक्डइन	165 मिलियन	2012 में कंपनी ने घोषणा की कि हमलावरों द्वारा 6.5 मिलियन असंबद्ध पासवर्ड (अनसाल्टेड SHA-1 हैश) चुरा लिए गए और रूसी हैकर फोरम पर पोस्ट कर दिए गए। 2016 में यह पता चला कि माइस्पेस के डाटा को बेचने वाले उसी हैकर को केवल 5 बिटकॉइन (उस समय यूएसडी 2,000 के आसपास) के लिए लगभग 165 मिलियन लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते और पासवर्ड की पेशकश करते पाया गया था।
8.	मैरियट इंटरनेशनल	500 मिलियन	मैरियट इंटरनेशनल ने नवंबर 2018 में घोषणा की कि हमलावरों ने लगभग 500 मिलियन ग्राहकों का डाटा चुराया था। हमलावर संपर्क

			जानकारी, पासपोर्ट नंबर, स्टारवुड प्रेफर्ड गेस्ट नम्बर, यात्रा जानकारी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी के कुछ संयोजन लेने में सक्षम थे। माना जाता है कि 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड नंबर और समाप्ति की तारीखें चोरी हो गई थीं।
9.	माय फिटनेस पाल	150 मिलियन	माय फिटनेस पाल (MyFitnessPal) उन 16 साइटों में से एक थी, जिनका अतिक्रमण हुआ था और जिसके कारण लगभग 617 मिलियन ग्राहकों के खाते लीक हो गए और ड्रीम मार्केट पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए गए । फरवरी 2018 में, लगभग 150 मिलियन ग्राहकों के उपयोगकर्ता नाम, ईमेल पते, आईपी पते, SHA-1 और बी क्रिप्ट हैशेड पासवर्ड चोरी हो गए और फिर डबस्मैश एट अल के समान एक साल बाद बिक्री के लिए डाल दिया गया।
10.	माय स्पेस	360 मिलियन	2016 में, 360 मिलियन उपयोगकर्ता खातों को लीकडसोर्स (चुराए गए खातों के खोज योग्य डाटाबेस) पर लीक कर दिया गया था और 6 बिटकॉइन (उस समय 3,000 अमरीकी डालर के आसपास) के मूल्य के साथ डार्क वेब मार्केट पर

			बिक्री के लिए रखा गया था।
11.	नेटएज़	235 मिलियन	यह बताया गया कि नेटएज़ ग्राहकों के कुछ 235 मिलियन खातों के ईमेल पते और प्लेनटेक्स्ट पासवर्ड डबलफ़्लैग के रूप में जाने जाने वाले एक डार्क वेब मार्केटप्लेस विक्रेता द्वारा बेचे जा रहे थे। वही विक्रेता अन्य चीनी दिग्गजों जैसे Tencent's QQ.com, सिना कॉर्पोरेशन और सोहु, इंक से ली गई जानकारी भी बेच रहा था।
12.	सीना वीबो	538 मिलियन	ट्विटर के प्रतिरूप के तौर पर चीन के द्वारा सीना वीबो बनाया गया है। मार्च 2020 में यह बताया गया कि वास्तविक नाम, साइट उपयोगकर्ता नाम, लिंग, स्थान, फोन नंबर डार्क वेब बाजारों पर बिक्री के लिए पोस्ट किए गए थे। इसमें पासवर्ड शामिल नहीं थे, जो यह संकेत देता है कि डाटा केवल 1,799 युआन (यूएसडी 250) के लिए क्यों उपलब्ध था।
13.	याहू	3 बिलियन	याहू ने सितंबर 2016 में घोषणा की कि 2014 में वह इतिहास में सबसे बड़े डाटा उल्लंघन का शिकार हुआ था। हमलावरों ने वास्तविक नाम, ईमेल पते, जन्म की तारीख और 500 मिलियन उपयोगकर्ताओं के टेलीफोन नंबर

			से समझौता किया। याहू ने दावा किया कि समझौता किए गए अधिकांश पासवर्ड हैशेड थे। दिसंबर 2016 में, याहू ने एक अलग हमलावर द्वारा 2013 के एक और उल्लंघन का खुलासा किया, जिसमें उसके 3 बिलियन उपयोगकर्ता खातों के नाम, जन्म तिथि, ईमेल पते और पासवर्ड, और सुरक्षा प्रश्न और उत्तर शामिल थे। इन उल्लंघनों ने कंपनी के मूल्य से अनुमानित यू एस डी 350 मिलियन का नुकसान किया।
14.	जिंगा	218 मिलियन	सितंबर 2019 में, Gnosticplayers नाम के एक पाकिस्तानी हैकर ने मित्र खिलाड़ियों के साथ ड्रा समथिंग एंड वर्ड्स के ज़िंगा के डाटाबेस को हैक करने होने का दावा किया और वहां पंजीकृत 218 मिलियन खातों तक पहुंच हासिल की। जिंगा ने बाद में पुष्टि की कि ईमेल पते, सॉल्टेड SHA-1 हैशेड पासवर्ड, फोन नंबर, और फेसबुक और जिंगा खातों के लिए उपयोगकर्ता आईडी चोरी हो गए थे।
15.	एनिमल जैम	46,000,000	बच्चों के लिए गेमिंग प्लेटफॉर्म एनिमल जैम बनाने वाली गेमिंग कंपनी वाइल्ड वर्क्स को 2020 में हैक कर लिया गया था।

1. क्रमांक संख्या 1 से 14 में उल्लिखित डेटा उल्लंघनों के लिए : https://www.csoonline.com/article/2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html

2. क्रमांक नंबर 15 में उल्लिखित डेटा उल्लंघन के लिए : https.//techcrunch.com/2020/11/16 animal -jam-data-breach

1.12 विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा

1.12.1."पर्सनल डाटा: द इमेर्जेंस ऑफ ए न्यू एसेट क्लास" (डब्ल्यूईएफ, 2011) नामक शीर्षक रिपोर्ट में उपयोगकर्ता-केंद्रित डाटा सुरक्षा ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए कई रूपरेखाएं बताई गई हैं। इनकी रूपरेखा निम्न प्रकार हैं:

- उपयोगकर्ता केंद्रित ढांचा
- ज्ञान आदान-प्रदान करने की संस्कृति
- संतुलित वैयक्तिक डाटा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक सिद्धांत
- वैयक्तिक डाटा का अर्थशास्त्र : बिग डाटा को संभालने वाली कंपनियाँ मुख्य रूप से "एमपवेर्ड इन्डिविज्वल" के वैयक्तिक डाटा पर निर्भर करते हैं।
- अंतिम उपयोगकर्ता-केंद्रितता यानी अंतिम उपयोगकर्ता को निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर कई प्रकार के व्यक्तिगत डाटा को एकीकृत करना:
    - पारदर्शिता
    - विश्वास
    - नियंत्रण
    - मूल्य

1.13 डाटा गोपनीयता में वैश्विक कानूनी ढांचा और यूरोपीय संघ (ईयू) का सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर)

1.13.1.डाटा संरक्षण और गोपनीयता के बारे में दुनिया भर बातचीत हो रही है, और गैर यूरोपीय संघ के देशों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यह यूरोप के अंदर (नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन) और कैलिफोर्निया के आगामी उपभोक्ता गोपनीयता

अधिनियम, भारत के डाटा संरक्षण अधिनियम और दक्षिण कोरिया द्वारा अपने वैयक्तिक सूचना संरक्षण अधिनियम को अपडेट करने का निर्णय पर विचार करते हुए यूरोप के बाहर भी इसे वैध माना जाता है।

1.13.2.जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) की शुरुआत यूरोपीय संघ के लिए एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि यह एक इकोणोमिक ड्राइवर और असेट क्लास के रूप में डाटा को पहली बार औपचारिक मान्यता दी थी । इसके अलावा, बिग टेक और बिग डाटा के प्रभुत्व वाली डाटा अर्थव्यवस्थाओं में सहमति की भूमिका और इसके महत्व के बारे में नागरिकों को सूचित करने का प्रयास किया है।

1.13.3जीडीपीआर 25 मई, 2018 को लागू हुआ। सिंक्रोनाइज करने और एक उपयुक्त डाटा संरक्षण और गोपनीयता सुनिश्चित करने की मंशा के साथ जीडीपीआर का लक्ष्य यूरोपीय संघ की आम जनता के बीच डाटा के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। जीडीपीआर ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी यूरोपीय के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा करना है चाहे वो गैर यूरोपीय संघ के संगठनों से बाहर का ही क्यों न हो। नागरिकों को नियामक ढांचे के केंद्र में रखकर जीडीपीआर का पूरे विश्व में महत्वपूर्ण लोकप्रियता और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ।

- **जीडीपीआर की मुख्य विशेषताएं**

क. **सूचित सहमति:** अधिकांश उपयोगकर्ता समझौते के शब्दावली, जटिलता और पाठ की लंबाई के कारण "मैं सहमत हूं" पर बिना सोचे क्लिक करते हैं। आमतौर पर इसे "कन्सेंट फटीग" कहा जाता है, जहां सहमति फार्म को विवाद का कारण माना जाता है, जीडीपीआर, भाषा के सरलीकरण द्वारा सार्थक सहमति लागू करता है, और संचालन के लिए जो डाटा आवश्यक नहीं है उसे हटा देता है।

ख. **उल्लंघन की अधिसूचना:** जब डाटा का उल्लंघन होता है, "निरीक्षणात्मक प्राधिकरण" को 72 घंटे के भीतर अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। इसका लक्ष्य प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सूचित करना है ताकि वे अपनी डाटा की संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठा सकें। इससे उल्लंघनों की रिपोर्टिंग की दर बढ़ाने में सफलता मिली है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेसी प्रोफेशनल्स (आईएपी) के मुताबिक, यह दर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। यह प्रावधान एक बार फिर नागरिकों के हितों को जीडीपीआर ढांचे के केंद्र में रखता है।

ग. **स्वचालित निर्णयन:** नागरिकों को अब अपने डाटा को स्वचालित निर्णय लेने से बाहर रखने का विकल्प है जिसका कानूनी या प्रोफाइलिंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव होते है । इसे ध्यान में रखते हुए कि ये सभी एल्गोरिथम मीडिया को प्रभावित करेगा, ये यह भी बताता है कि कैसे एल्गोरिदम बिना किसी उपयोगकर्ता की सहमति से उपयोगकर्ता प्रोफाइल के विस्तृत डाटा का उपयोग करके प्रोफाइल, ऐग्रगेट, और पूर्वानुमान करता है।

घ. **नागरिक जागरूकता:** किसी भी नागरिक के अनुकूल डाटा रिजिम का अंतिम उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है। मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि के साथ संबंधित नागरिकों के रवैये में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ के एक सर्वेक्षण यूरोबैरोमीटर के अनुसार, 73% यूरोपियन लोगों ने अपने नए अधिकारों में से कम से कम एक के बारे में सुना है । दुर्भाग्य से, दस में से सात यूरोपीय अपने सारे अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं ।

1.14 भारत में डाटा संरक्षण के संव्यवहार करने के कानूनी तंत्र की उत्पत्ति

1.14.1.वर्तमान में, भारत के पास डाटा संरक्षण के संबंध में एक व्यापक और विशेष कानून नहीं है, लेकिन डाटा संरक्षण संबंधी कुछ दिशा-निर्देशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जैसा कि संशोधित किया गया है, और इसके तहत जारी किए गए नियमों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या सूचना) नियम, 2011 से लिया जा सकता है। हालांकि, इंटरनेट डोमैन में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए यह लगता कि डाटा संरक्षण के लिए मौजूदा विधायी ढांचा अपर्याप्त, अप्रभावी है और अनियमित स्पेस बनाऐगे जहां डाटा कंपनियां व्यक्तियों की निजता और देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं ।

1.14.2.भारत में डाटा संरक्षण को संव्यवहार करने के लिए कानूनी तंत्र की उत्पत्ति नौ न्यायाधीशों वाली सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा लिए गए निर्णय से है, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम भारत संघ (2012 की रिट याचिका संख्या 494) के मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों वाली सांविधानिक न्यायपीठ ने तारीख 24 अगस्त, 2017 को अपना निर्णय देते हुए "निजता" को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था । अदालत ने आगे सूचित किया कि निजता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 (पैरा 126) द्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकारों के सार में निहित है और यह संविधान के भाग III (पैरा 32, बशेश्वर नाथ वी सीआईटी, (1959) अनुपूरक (1) एससीआर 528) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों किसी नागरिक द्वारा टाला नहीं जा सकता। तत्पश्चात् 26 सितम्बर,2018 को उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली सांविधानिक न्यायपीठ ने उपरोक्त मामले में अपना अंतिम निर्णय देते हुए एक सख्त डाटा संरक्षण प्रणाली बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था।

1.14.3.सरकार ने तारीख 31 जुलाई,2017 को डाटा संरक्षण संबंधी विषयों के परीक्षण करने के लिए न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में "डाटा संरक्षण विशेषज्ञों समिति" का गठन किया गया था । उक्त समिति ने डाटा संरक्षण संबंधी विषयों की परीक्षा की और 27 जुलाई, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और विभिन्न पणधारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, एक विधान अर्थात् वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जिसे बाद में 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।

1.15 व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 और उस पर सामान्य चर्चा

1.15.1.विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन में यह उल्लेख किया है कि प्रस्तावित विधान, भारत के लिए एक मजबूत और सख्त डाटा संरक्षण ढांचा बनाने के लिए और वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए तथा नागरिकों को, "निजता और वैयक्तिक डाटा के संरक्षण" के उनके मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उनके वैयक्तिक डाटा से संबंधित अधिकारों को सशक्त करने के लिए है। इससे व्यापार करने में आसानी में भी सुधार होगा और अधिक निवेश को सुगम बनायेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास, विकास और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

1.15.2.वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के उद्देश्य निम्नानुसार है :

"व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए."

1.15.3. पीडीपी विधेयक एक क्षैतिज कानून है जिसमें राज्य और गैर-राज्य दोनों संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें व्यक्तियों को दिए गए डेटा प्रत्ययी और अधिकारों पर विभिन्न दायित्वों के साथ शामिल किया गया है ।प्रारूप कानून के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं:

i. विधेयक के दो प्रमुख घटक - डेटा प्रिंसिपल (व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने वाले प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने वाले व्यक्ति) और डेटा प्रत्ययी (डेटा एकत्र करने और संसाधित करने वाली संस्थाएं) एक दूसरे से सहसंबंधी हैं।

ii व्यक्तियों को भूल जाने के अधिकार के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत डेटा की पुष्टि करने, सही करने, पहुंच, मिटाने और पोर्ट करने के अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

iii. विधेयक में मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, अनुपालन ढांचे की रूपरेखा को परिभाषित किया गया है और व्यक्ति की निजता के अधिकारों और शिकायत निवारण को लागू करने के लिए एक न्यायनिर्णयन तंत्र की स्थापना की गई है । डाटा संरक्षण प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण की स्थापना और न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति से विधेयक के तहत परिकल्पित विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होता है।

iv यह विधेयक अर्थव्यवस्था में डिजिटल विकास, नवाचार और उद्यमी भावना को बढ़ावा देने के लिए एक संबल के रूप में कार्य करता है ।

1.15.4. प्रस्तावित विधेयक की योजना

विभिन्न अध्यायों के तहत वर्गीकृत इसके विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित विधेयक की योजना इस प्रकार है-

i. प्रस्तावना में अधिनियम के कार्य क्षेत्र और प्रमुख उद्देश्यों का विवरण किया गया है। यह व्यक्तिगत और सूचनात्मक गोपनीयता के लिए ' व्यक्तिगत डेटा ' की सुरक्षा और डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहचान करता है ।

ii. अध्याय-I में अधिनियम के कार्यान्वयन की अनुसूची के साथ-साथ प्रमुख शर्तों और परिभाषाओं को निर्धारित किया गया है । इसके बाद अध्याय-II द्वारा डेटा प्रत्ययी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है: कि डेटा स्वामी की गोपनीयता सुनिश्चित करते समय इसे निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए, और प्रसंस्करण स्वतंत्र, सूचित और कुछ मामलों में स्पष्ट सहमति पर आधारित होना चाहिए । डेटा न्यूनीकरण एक अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसका अधिनियम प्रावधान करता है। इसके बाद पर्याप्त सूचना की आवश्यकताओं और आवश्यक अवधि से परे आंकड़ों को बनाए रखने पर प्रतिबंध के प्रावधान किए जाते हैं ।

iii. अध्याय-III में सहमति नियम के अपवादों की कुछ श्रेणियों को वर्णित किया गया है । अध्याय-iv बच्चों के लिए व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान करता है।

iv. अध्याय-v डेटा स्वामियों को पुष्टि और पहुंच का अधिकार, सुधार और विलोपन, डेटा पोर्टेबिलिटी और भूल जाने के अधिकार जैसे विभिन्न अधिकारों के साथ सशक्त बनाता है ।

v. अध्याय-VI में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों के साथ-साथ लेखा परीक्षा आवश्यकताओं और शिकायत निवारण पर विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जिनका आंकड़ा प्रत्ययी द्वारा अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है । इसमें महत्वपूर्ण डेटा प्रत्ययी से संबंधित डेटा संरक्षण अधिकारी और डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया गया है ।

vi. अध्याय-vii भारत के बाहर प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित है, विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है।

vii. अध्याय-viii में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कुछ मामलों में कानून के विभिन्न प्रावधानों के आवेदन से छूट का प्रावधान है। नवाचार के प्रयोजनों के लिए डेटा प्रसंस्करण के लिए सैंडबॉक्स का निर्माण एक और विशेषता है।

viii. नियमन और प्रवर्तन ढांचे जैसे डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण, दंड और मुआवजा, न्यायनिर्णयन ढांचा, अपीलीय अधिकरण की स्थापना और उच्चतम न्यायालय में अपील के प्रावधान जैसे विनियम और प्रवर्तन ढांचे पर विधेयक के अन्य अध्याय विधेयक में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण रूप को पूरा करते हैं।

1.15.5.कानून के मसौदे की मुख्य विशेषताएं

1.15.5.1.उद्देश्यों और कारणों का कथन में बताए गए डाटा संरक्षण अधिनियम, 2019 के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

i. सहमति रूपरेखा, उद्देश्य परिसीमा, भंडारण परिसीमा और डाटा न्यूनीकरण जैसी संकल्पनाओं का संवर्धन करने के लिए;

ii. केवल ऐसे डाटा का जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और व्यष्टि (डाटा स्वामी) की स्पष्ट सहमति से संग्रहण करने हेतु वैयक्तिक डाटा का संग्रहण करने वाली इकाइयों (डाटा विश्वासी) के संबंध मे बाध्यताएं अधिकथित करने के लिए;

iii. व्यष्टि को वैयक्तिक डाटा अभिप्राप्त करने, गलत डाटा को सही करने, डाटा को मिटाने, डाटा को अध्यतन करने, अन्य विश्वासी को डाटा पोर्ट करने और वैयक्तिक डाटा के प्रकटन को सीमित करने या रोकने के अधिकार प्रदत्त करने के लिए ;

iv. "डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया" (प्राधिकरण) नामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम छह पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

v. यह प्रावधान करने के लिए कि प्राधिकरण डाटा प्रिंसिपलों के हितों की रक्षा करेगा, व्यक्तिगत डाटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकेगा, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और डाटा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा;

vi. "सोशल मीडिया मध्यस्थ" से संबंधित एक प्रावधान निर्दिष्ट करने के लिए, जिसके कार्यों का चुनावी लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और केंद्र सरकार को प्राधिकरण के परामर्श से उक्त मध्यस्थ को एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाना;

vii. डाटा विश्वासी को की गई शिकायत के खिलाफ शिकायत करने हेतु डाटा स्वामी पर "शिकायत का अधिकार" प्रदान करने के लिए और यदि ऐसे डाटा विश्वासी के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं;

viii. केंद्र सरकार को प्रस्तावित कानून के प्रयोग से सरकार की किसी भी एजेंसी को छूट देने का अधिकार देना;

ix. डाटा संरक्षण की अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने और इस कानून के तहत दायित्वों के सुगम अनुपालन के लिए "अभ्यास संहिता" निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाना;

x. इस कानून के प्रावधानों के तहत दिए जाने वाले दंड और मुआवजे का निर्णय लेने के उद्देश्य से "न्यायनिर्णयन अधिकारी" की नियुक्ति करना;

xi. खंड 54 के तहत प्राधिकरण के किसी स्तर और खंड 63 और 64 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी से किसी भी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए एक "अपीलीय न्यायाधिकरण" स्थापित करना; और

xii. प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए "दंड और जुर्माना" लगाना।

1.15.6.वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 की विधायी क्षमता

1.15.6.1 संविधान के अनुच्छेद 51 (सी), जो निदेशात्मक सिद्धांतों का हिस्सा है, के तहत राज्य "संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिगत दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने" का प्रयास करेगा। भारत, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दोनों में हस्ताक्षरी है जो क्रमशः अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 17 के तहत गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 73 (1) (बी) के संदर्भ में, संघ की कार्यकारी शक्तियों के तहत ऐसे अधिकारों के प्रयोग, प्राधिकरण और अधिकार क्षेत्र आते हैं, जिनके प्रयोग का अधिकार भारत सरकार को समझौते या किसी भी संधि के आधार पर प्राप्त है। इस प्रकार, केंद्र सरकार के पास अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार किसी भी कानून को लागू करने का विशेष अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प ए/आरईएस/51/162 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर मॉडल कानून को अपनाकर किया गया है।

1.15.6.2.इसके अलावा, संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों का प्रावधान है जो केंद्र सरकार (सूची-1), राज्य सरकार (सूची II) और दोनों सरकारों के समवर्ती क्षेत्राधिकार (सूची III) के दायरे में कानून के क्षेत्र को विभक्त करता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 31 के तहत, केंद्र सरकार के पास "डाक और टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के ऐसे अन्य प्रकार" पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के तहत जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है, वे सूची I की प्रविष्टि 31 के प्रयोजन तहत आते हैं।

1.15.6.3 इसके अतिरिक्त, सूची I की प्रविष्टि 97 में केंद्र सरकार को " ऐसे अन्य विषयों जो सूची I या सूची III में उल्लिखित नहीं हैं जिसमें ऐसे कर भी शामिल हैं जिनका किसी भी इन सूचियों में उल्लेख नहीं किया गया है" पर कानून बनाने का अधिकार निहित है। सूची II और

सूची III (डाटा संरक्षण के संबंध में) के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रविष्टि के अभाव के साथ-साथ ये कारक यह इंगित करते हैं कि भारत में राज्यों के पास डाटा संरक्षण के विषय में विधायी क्षमता नहीं है और अन्यथा, यह विषय कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आएगा (अनुच्छेद 248)।

1.15.6.4.उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार के पास भारत में डाटा संरक्षण के संबंध में विशिष्ट विधायी क्षमता है। इसके अलावा, यह विधेयक, जो अपना आशय और प्रयोजन उस पुट्टास्वामी निर्णय में वर्णित निजता के मौलिक अधिकार से लेता है, डाटा प्रिंसिपल्स पर कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसे वे छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा 2019 विधेयक की बुनियाद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार पर आधारित है।

1.15.7. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का अधिभावी प्रभाव

1.15.7.1.यह कानून का एक निर्धारित नियम है कि एक विशेष कानून एक सामान्य और पूर्व कानून (पैरा 32, शरत बाबू दिगुमर्ती बनाम दिल्ली सरकार, एआईआर 2017 एससी 150 - इसके बाद "शरत बाबू दिगुमर्ती") पर लागू होगा। 2019 विधेयक, विशेष रूप से डाटा सुरक्षा से संबंधित एक विशेष कानून होने के नाते, अन्य सभी सामान्य कानूनों पर लागू होगा और संयोग से डाटा संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी होगा। इसके अलावा, विधेयक के खंड 97 का गैर-अप्रचलित खंड के माध्यम से अधिभावी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शरत बाबू दिगुमर्ती (पैरा 37 में) मामले में अदालत ने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया कि जहां दो संविधियों में गैर- अप्रचलित खंड हैं, यदि विधायी मन्तव्य में यह स्पष्ट है कि बाद का अधिनियमन समान होगा, की व्याख्या उक्त मन्तव्य के अनुरूप की जानी चाहिए।

1.15.7.2.समिति पाती है कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक के उद्देश्य, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 31 की व्यापक और उदार व्याख्या के तहत आते हैं। इस प्रकार, यह अधिनियम केंद्र सरकार के विशेष विधायी क्षेत्र की तुलना में भारत में डाटा सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, 2019 विधेयक के प्रावधान (एक बार लागू होने के बाद) डाटा विश्वासी और डाटा स्वामी के बीच संविदात्मक संबंधों, जहां तक वे विधेयक की रूपरेखा से संबंधित हैं, को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य कानून के बावजूद लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, विधेयक, एक विशेष कानून होने के नाते, जिसमें अन्य कानूनों पर अपनी प्रयोज्यता पर एक गैर-अप्रचलित खंड है, भारत में डाटा संरक्षण के क्षेत्र को पहले से उपलब्ध अन्य कानून, जो संयोग से इस विषय को नियमित करते हों, के बावजूद नियंत्रित करेगा। समिति विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को मंजूरी देती है क्योंकि ये लोक- नीति की प्रकृति के अनुरूप हैं और ये निजता के एक मौलिक अधिकार पर पुट्टास्वामी के निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की व्यापक सिफारिशों से उत्पन्न चिंताओं को ठीक तरह से दूर करते हैं और समिति की यह इच्छा है कि संविदात्मक प्रावधान इसी के अनुसार होने चाहिए।

(सिफ़ारिश संख्या: 1)

1.15.8.वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा का विनियमन

1.15.8.1 24 नवंबर 2020 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में समिति ने निम्नानुसार पाया कि हम गैर-वैयक्तिक डाटा को कानून या विनियमन से ऊपर या उससे परे नहीं रख सकते। दो प्रकार के डाटा से डील करने या उसके संरक्षण के लिए अलग-अलग लेयर होंगी इसके अतिरिक्त जब हम डाटा सुरक्षा प्राधिकरण बना रहे हैं, डाटा संरक्षण प्राधिकरण का डाटा सुरक्षा से संबंधित सभी डाटा और सभी विवादों से निपटना आवश्यक है। इस प्रकार, डाटा संरक्षण प्राधिकरण की एक व्यापक कवरेज बनाई गई है जिसमें गैर-वैयक्तिक डाटा नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा । इसके अलावा समिति ने नोट किया कि गैर-वैयक्तिक डाटा मूल रूप से डाटा के तीन सेटों में से एक सेट से लिया गया है - वैयक्तिक डाटा, संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा - जो या तो अनाम है या यह किसी तरह से गैर-पहचान योग्य डाटा में परिवर्तित हो गया है।

1.15.8.2.समिति डाटा संग्रह और डाटा भंडारण की प्रकृति पर विचार करते समय यह महसूस किया है कि वैयक्तिक या गैर-वैयक्तिक डाटा में अंतर किये बिना इसका संचरण अत्यंत वृहत है। ऐसा सिर्फ शुरुआती चरण में नहीं है बल्कि बाद के चरणों में भी है और वैयक्तिक या गैर-वैयक्तिक डाटा के बीच अंतर करना संभव नहीं है। इसके अलावा, कभी-कभी डाटा का उपयोग यह निर्धारित करता है कि यह वैयक्तिक है या गैर-वैयक्तिक और इसका अभिसंस्करण यह निर्धारित करता है कि डाटा का उपयोग कैसे किया जाएगा। समिति यह भी महसूस करती है कि किसी भी डाटा स्वामी से उत्पन्न होने वाले सभी आंकड़ों और जो किसी भी डाटा विश्वासी के पास हो की निगरानी के लिए एक ही कानून और एक ही नियामक बनाना वास्तव में सरल है । यह अनामीकरण और पुनः पहचान के मामले में अस्पष्ट क्षेत्र को सिमित करेगा।

1.15.8.3. समिति ने पाया कि नए कानून को केवल वैयक्तिक डाटा संरक्षण तक परिभाषित और सीमित करना या इसे वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक के रूप में नाम देना निजता के लिए हानिकारक है। और यह विधेयक अपर्याप्त है क्योंकि इस विधेयक के अंतर्गत सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार का डाटा शामिल है और जब बड़े पैमाने पर डाटा एकत्र हो तो वैयक्तिक डाटा और गैर-वैयक्तिक डाटा के बीच अंतर करना असंभव है। इसलिए समिति की सर्वसम्मति से यह राय है कि अगर निजता की बात है, तो गैर-वैयक्तिक डाटा को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। विरोधाभास, भ्रम और कुप्रबंधन को टालने के लिए, एकल प्रशासन और नियामक निकाय आवश्यक है। समिति के विचार में , सभी डाटा को एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) द्वारा डील किया जाना चाहिए। चूंकि विधेयक में एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है,हम दो डीपीए नहीं बना सकते हैं जो अलग-अलग निजता और वैयक्तिक डाटा और गैर-वैयक्तिक डाटा को देखेगा।

1.15.8.4 अत: समिति यह सिफारिश करती है कि चूंकि डीपीए वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा दोनों को देखेगा इसलिए एक पृथक विधान के स्थान पर गैर-वैयक्तिक डाटा संबंधी नीति,इसी अधिनियमन का भाग हो। जब गैर-वैयक्तिक डाटा को विनियमित करने संबंधी प्रावधानों को अंतिम

रुप दे दिया जाएगा तो डाटा संरक्षण अधिनियम में गैर-वैयक्तिक डाटा संबंधी पृथक विनियमन किया जा सकता है और यह एक ही डाटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विनियमित होगा।

(सिफारिश संख्या :2)

1.15.9.अधिनियम के क्रियान्यन के लिए समय-सीमा

1.15.9.1 अधिनियम के प्रारंभ किए जाने की तारीख तथा इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू किए जाने के बारे में समिति ने विधेयक के खंड 1(2) के प्रावधानों को जांच किया और पाया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की गईं हैं लेकिन प्रत्येक क्रियान्यन प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की है और न ही अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है।

1.15.9.2 विधेयक में प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के लिए समिति को विभिन्न हितधारकों/विशेषज्ञों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में प्राप्त ज्ञापनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण/संगत मुद्दों का सार निम्नवत् है:-

(एक) नियमों के अनुपालन के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु कम से कम दो वर्ष की अवधि की अनुमति दी जाए। इसमें शेयरधारकों के साथ परामर्श करने में लिया गया समय शामिल न हो।

(दो) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं पर पुन: वार्ता की आवश्यकता होगी इसलिए विदेशी नागरिकों के डाटा पर काम करने के लिए डाटा प्रोसेर्सस हेतु अतिरिक्त समय पर भी विचार किया जाए ।

(तीन) विधेयक के किन्हीं प्रावधानों को लागू करने और अनिवार्य बनाने से पहले विधेयक में न्यूनतम अवधि का उल्लेख किया जाए।

(चार) विधेयक की सफलता और धनराशि/श्रमशक्ति/प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ-साथ संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लगभग दो वर्ष की न्यूनतम प्रारंभिक अवधि अनिवार्य है। क्षमता निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा इस विधेयक के किसी भाग को अधिसूचित करने से पूर्व इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। व्यापक जागरुकता योजनाएं शुरु किया जाना भी आवश्यक है।

(पांच) इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीक से हो अथवा जहां पीडीपी विधेयक लागू है लेकिन सजा का प्रावधान नहीं है वहां उपयुक्त परिवर्ती का समय दिया जाए, अथवा सभी विनियमनों का उल्लेख करने के पश्चात् क्रियान्वयन किया जाए और एक उपयुक्त नोटिस दिया जाए।

(छह) विधेयक में परिवर्ती प्रावधान न होने के कारण इसके सभी प्रावधानों के लागू होने पर डाटा-प्रक्रमण और डाटा विश्वासियों के लिए बड़ी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी।

(सात) विश्व की अच्छी परंपरा है कि विस्तृत डाटा संरक्षण विधेयक में परिवर्ती प्रावधान किया जाए। उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) के प्रावधानों को लागू करने के लिए दो वर्ष की परिवर्ती अवधि का प्रावधान किया गया है।

1.15.9.3. समिति के समक्ष उपस्थित अनेक गैर-सरकारी साक्षियों ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की। अधिकांश ने यह सुझाव दिया कि किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए विधेयक में परिवर्ती की अवधि का उल्लेख किया जाए। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किसी समय-सीमा का उल्लेख न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि विधेयक को लागू करने के लिए कोई तिथि नियत न किए जाने के बारे में उदार रवैया अपनाया गया है। समिति का इस बारे में भिन्न मत था और उसने सर्वसम्मति से यह मत प्रकट किया कि विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जाए।

1.15.9.4. 23.11.2020 को हुई समिति की बैठक में जब इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था तो विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने परिवर्ती के समय के बारे में यह सुझाव दिया: "वास्तव में यदि आप प्रारंभिक खंड में कोई निर्दिष्ट अवधि निर्धारित करना चाहते हैं तो इसके अधिनियमन की तारीख से 24 माह की अवधि के भीतर इसे लागू किया जाए बशर्ते कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जाएं और शेष वैसे ही जारी रहें।"

1.15.9.5. विस्तृत चर्चा के पश्चात् समिति की यह सुविचारित मत था कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विर्निदिष्ट और पर्याप्त समय-सीमा हो ताकि उस समय-सीमा के भीतर प्रावधानों के अनुपालन के लिए डाटा विश्वासियों और डाटा प्रोसेर्सस के पास पर्याप्त समय हो।

1.15.9.6. समिति नोट करती है कि अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किसी समय-सीमा का विधेयक के खंड 1(2) में कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि अधिनियम का क्रियान्वयन चरणबद्ध हो लेकिन यह महसूस किया कि विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की अवधि कम अथवा अधिक न हो। डाटा विश्वासियों और डाटा प्रोसेर्सस के पास परिवर्ती के लिए पर्याप्त समय हो। परिवर्ती वाले चरण के लिए कोई भी विनिर्दिष्ट प्रावधान संबंधित हितधारकों के लिए अनिश्चितता की स्थिति न पैदा करे। अत: समिति सिफारिश करती है कि अधिनियिम के किसी और सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 24 माह की अवधि का समय दिया जाए ताकि डाटा विश्वासियों व्यक्तियों और डाटा प्रोसेर्सस के पास अपनी नीतियों, मूलभूत ढांचे, प्रक्रियाआदि में आवश्यक परितर्वन करने के लिए पर्याप्त समय हो। समिति सुझाव देती है कि चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीपीए के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तीन माह में की जाए, अधिनियम की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर डीपीए अपना कार्य प्रारंभ करे, 9 माह के भीतर डाटा विश्वासियों को अपना कार्य शुरु करें और कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो जाए, न्याय निर्णय और अपीलीय अधिकरण 12 माह में अपना कार्य आरंभ कर दें। इस अधिनियम की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 24 माह के भीतर इसके प्रावधान लागू हो जाए। विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार को हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए और व्यापक विश्लेषण करना चाहिए ताकि विधेयक के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपेक्षित तकनीकी/संचालनात्मक और प्रबंधकीय आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके और उन्हें समझा जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कार्य में रुचि बना रहे ताकि यह सरकार के भारत में व्यापार को आसान बनाने की प्रक्रिया के संवर्धन संबंधी उद्देश्य से दूर न हो जाए।

(सिफारिश संख्या :3)

1.15.10. डाटा के उल्लंघन के लिए मार्गनिर्देशक सिद्धांत

1.15.10.1. डाटा विश्वासियों द्वारा डाटा के उल्लंघन के मामले में निर्धारित कार्यवाही के संदर्भ में समिति ने सुझाव दिया कि खंड 25 में कुछ संशोधन करने के साथ-साथ में जानकारी दी जाए और डाटा विश्वासियों को डाटा उल्लंघन के विवेकाधिकार को समाप्त किया जाए। इस बारे में समिति ने महसूस किया कि खंड से संबंधित नियम और विनिनियम बनाते समय डाटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने हेतु मार्गनिर्देशक सिद्धांत होने चाहिए।

1.15.10.2. समिति डाटा विश्वासी द्वारा डाटा उल्लंघन के उदाहरणों की रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किए गए प्रपत्रों और प्रक्रियाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करती है । समिति विधेयक के मौजूदा खंड 25 में उपयुक्त स्थानों पर कुछ विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देती है । इसके साथ ही समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस संबंध में नियम और विनियम बनाते समय डीपीए द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इन मार्गनिर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए:-

(एक) खंड 25 (5) के अंतर्गत वैयक्तिक डाटा के उल्लंघन का ब्यौरा बताते हुए प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डाटा संबंधी सिद्धांतों की निजता सुरक्षित रहे।

(दो) डाटा विश्वासी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन की जानकारी देने में देरी किए जाने से जहां डाटा सिद्धांतों को महत्वपूर्ण अथवा गैर-महत्वपूर्ण हानि हुई हो, यह बताना कि असाधारण विलंब नहीं हुआ है, की जिम्मेदारी डाटा विश्वासियों की होगी तथा व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन की जानकारी देने में विलंब के कारण डाटा सिद्धांतों को हुए नुकसान के लिए डाटा विश्वासियों व्यक्ति उत्तरदायी होगा; और

(तीन) प्राधिकरण को डाटा विश्वासियों को सभी डाटा उल्लंघनों(व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डाटा उल्लंघनों दोनों) का रिकार्ड रखने के लिए कहना चाहिए जिसकी प्राधिकरण द्वारा डाटा स्वामी को संभावित नुकसान पर ध्यान दिए बगैर आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(चार) डाटा विश्वासी के लिए अस्थायी राहत भी चिंता का विषय हो सकता है जब डाटा उल्लंघन व्यापार प्रतिद्वंद्विता या जासूसी के एक अधिनियम के रूप में सावधानियों के बावजूद डाटा विश्वासी के हित का नुकसान हो । ऐसे मामलों में, डाटा संरक्षण प्राधिकरण विवरण के प्रकटीकरण को न

करने पर अस्थायी आदेश को अधिकृत करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, अगर वह डाटा स्वामी के हित से समझौता नहीं करता है।

(सिफारिश संख्या :4)

1.15.11.बालक व्यस्क हो जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया

1.15.11.1विधेयक का अध्याय-चार व्यक्तिगत डाटा और संवेदनशील बालकों के व्यक्तिगत डाटा की प्रक्रिया के बारे में है। इस संबंध में समिति ने टिप्पणी की कि बालक के व्यस्क होने तक डाटा विश्वासी का दायित्व होना चाहिए। तथापि, समिति ने नोट किया कि इस अध्ययन में बालक के व्यस्क होने की स्थिति में उसके व्यक्तिगत डाटा के बारे में सहमति के बारे में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

1.15.11.2 समिति ने बालक के व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। समिति महसूस करती है कि विधेयक में संशोधन में सहमति का विकल्प शामिल न किया जाए क्योंकि यह प्रक्रियात्मक मामला है और इसे डीपीए द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल किया जाए।

1.15.11.3 समिति ने टिप्पणी की कि विधेयक की धारा 16 में व्यक्तिगत डाटा और बालकों के संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है तथापि, समिति ने पाया कि बालक के व्यस्क होने की स्थिति में विकल्प देने के बारे में अनुपालन की जाने वाली किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति महसूस करती है कि 18 वर्ष की व्यस्क आयु तक पहुंचने की स्थिति में सहमति के बारे में डाटा स्वामी द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों संबंधी नियम अथवा मार्गनिर्देश होना आवश्यक है। तदनुसार समिति ने इच्छा व्यक्त की कि नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं:-

(एक) विशेष रुप से, बालकों के डाटा से संबंधित डाटा विश्वासियों और डाटा प्रोसेर्सस को डाटा संरक्षण प्राधिकरण में स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए;

(दो) डाटा विश्वासियों व्यक्ति अथवा डाटा प्रोसेर्सस और डाटा स्वामी जो एक बालक है, के बीच यदि कोई समझौता है तो उसके 18 वर्ष का होने तक अधिनियम के अधिकांश उपबंध लागू होंगे;

(तीन) बालक के व्यस्क होने के 3 माह पूर्व डाटा विश्वासियों को बालक के व्यस्क होने की तारीख को फिर से सहमति देने के बारे में जानकारी देनी चाहिए; और

(चार) व्यक्ति को जो भी सेवाएं मिल रही थीं; वह मिलती रहेंगी जब तक कि व्यक्ति उससे अलग नहीं होता है अथवा नए सिरे से सहमति नहीं देता ताकि दी जा रही सेवाओं में कोई बाधा न आए।

(सिफारिश संख्या :5)

1.15.12.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मध्यस्थों का विनियमन

1.15.12.1.विधेयक का खंड 26 डाटा विश्वासियों के वर्गीकरण के बारे में हो जिसमें वे डाटा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति हैं तथा उसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों के वर्गीकरण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो कतिपय मानदंडों का पालन करते हैं तथा वे डाटा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस संबंध में समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों को विनियमित करने संबंधी आईटी अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में बताया गया।

1.15.12.2 सोशल मीडिया मध्यस्थों के बारे में समिति ने सरोकारों के निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में बताया:

(एक) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही।
(दो) ऐसे प्लेटफॉर्म्स का मध्यस्थों के रुप में वर्गीकरण।
(तीन) ऐसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा व्यक्तिगत डाटा का प्रोफाइलिंग।
(चार) ऐसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा एआई का मनमाने ढंग से उपयोग किए जाने के मामले।
(पांच) ऐसे प्लेटफॉर्म्स की निजता की नीति
(छह) भारत के अलावा अन्य देशों में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की चल रही जांच
(सात) ऐसे सोशल मीडिया मध्यस्थों की निजता और विषय संबंधी नीति
(आठ) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आपस में समामेलन।
(नौ) एआई के उपयोग द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की श्रमता।
(दस) ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अनाम विषय-वस्तु का प्रकाशन।

(ग्यारह) अश्लील और अन्य अवैध विषय-वस्तु

(बारह) सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा अपनाए गए मानदंड;

(तेरह) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आचार-संहिता

1.15.12.3 समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच तुलना भी की। समिति ने इस बात को इंगित किया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और शिकायतों का निराकरण करने के लिए तंत्र उपलब्ध है जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर दी जाने वाली विषय-वस्तु का दायित्व लेते हैं और उन्हें विनियमित करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

1.15.12.4 समिति के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि आईटी अधिनियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'मध्यस्थ' कहा गया है। इस संबंध में समिति की यह राय थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस प्रकार का नाम न दिया जाए क्योंकि वास्तव में वे विषय-वस्तु के प्रकाशक के रुप में कार्य करते हैं, वे विषय-वस्तु प्रदान करने वाले का भी चयन कर सकते हैं तथा उनके प्लेटफॉर्म पर दी गई विषय-वस्तु पर उनका नियंत्रण भी होता है। अत: समिति का मत है कि उनके प्लेटफॉर्म पर दी गई विषय-वस्तु के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें उपयोगकर्ताओं को अधिकारिक तौर पर स्वयं की पहचान बताने के लिए कहना चाहिए तथा स्वैच्छिक सत्यापन को अनिवार्य बनाना चाहिए। समिति ने इस बात को भी नोट किया कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आचार-संहिता नहीं है और स्वय-विनियमन भी उपलब्ध नहीं है।

1.15.12.5 सोशल मीडिया मध्यस्थों के विनियमन के लिए आईटी अधिनियम में प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर एमईआईटीवाई ने निम्नवत् बताया:-

'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित किसी भी मध्यस्थ से उपयोग की अपनी सेवा शर्तें स्पष्ट करने और निजता की नीति प्रकाशित करने की आशा की जाती है। उनसे धारा 19 (2) से संबंधित गैर-कानूनी कार्यों से संबंधित विषय-वस्तु हटाने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि

माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंगल मामले में गैर-कानूनी विषय-वस्तु के क्षेत्र को सीमित कर दिया था, जैसे उनके बारे में रिपोर्ट की जा रही थी और उन्हें हटाया जा रहा था, बशर्ते कि उनसे यह भी आशा की जाती है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों जैसे पुलिस आदि को इसकी जानकारी दी जाए। उनसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी देने तथा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। प्लेटफॉर्म संबंधित नीतियों के उल्लंघन के मामलों की जानकारी मिलने पर विषय-वस्तु को हटा सकते हैं। जबकि न्यायालय अथवा सरकार अथवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा तदनुरुप उल्लंघन किए जा रहे कानून में ही यह अपेक्षा की जाती है कि उल्लंघन की जानकारी देंगे लेकिन कतिपय मामलों में यह भी संभव है कि यदि प्लेटफॉर्म नीति का उल्लंघन किया जा रहा है और उन्हें जानकारी दी जाती है तो प्लेटफॉर्म को स्वयं ही कार्यवाही करनी होगी।'

1.15.12.6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन के लिए अपर्याप्त प्रावधान होने के बारे में समिति की टिप्पणी का उत्तर देते हुए एमईआईटीवाई ने अपनी भावी योजना के बारे में निम्नवत् बताया: 'योजना यह है कि हमें दो मोर्चों पर कार्य आरंभ कर दिया है। पहला यह कि मध्यस्थ संबंधी नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट और अतिरिक्त दायित्व होंगे। हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रभावशाली हैं और हम उनसे कह रहे हैा कि उन वास्तविक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में उनके व्यक्ति हों।'बाद में यह नोट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने 25.02.2021 को नई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को परिभाषित करने के मापदंड भी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 26.02.2021 को अधिसूचित किए गए थे।

1.15.12.7. समिति ने पाया कि आईटी अधिनियम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मध्यस्थ कहा गया है और अधिनियम पर्याप्त रुप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित नहीं

करता है क्योंकि अधिनियम सोशल मीडिया इकोसिस्टम के बदलते स्वरुप के अनुरुप नहीं है। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मध्यस्थों के बारे में साधारण उपबंध ही है। समिति का विचार है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को तत्काल विनियमित किए जाने की आवश्यकता है और उसका दृढ़ मत है कि ये मध्यस्थ विषय-वस्तु के प्रकाशक के रुप में कार्य करते हैं और वास्तव में वे विषय-वस्तु देने वाले को चुन सकते हैं तथा किसी ऐसी विषय-वस्तु पर नियंत्रण कर सकते हैं, एक तंत्र तैयार किया जा सकता है जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों को उनके प्लेटफार्मों पर असत्यापित सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म, जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, को प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहिए और उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एक तंत्र तैयार किया जा सकता है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म, जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, को उनके प्लेटफार्मों पर असत्यापित खातों से सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक बार सत्यापन के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो सामाजिक मीडिया बिचौलियों को अनिवार्य रूप से खाते का सत्यापन करना होगा। इसके अतिरिक्त, समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी भ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में कार्य करने की अनुमति न दी जाए जब तक कि प्रौद्योगिकी संबंधी उसकी मूल कंपनी भारत में अपना कार्यालय स्थापित नहीं करती है। साथ ही, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय प्रेस परिषद् की तरह एक सांविधिक मीडिया विनियामक स्थापित किया जाए जो ऑनलाइन प्रिंट अथवा अन्य किसी भी रुप में ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स में प्रकाशित विषय-वस्तु का विनियमन करे।

(सिफारिश संख्या :6)

1.15.13.भूलने/विलोपन संबंधी प्रतर्वन अधिकार

1.15.13.1. खंड 18 व्यक्तिगत डाटा में सुधार और विलोपन के बारे में डाटा स्वामी के अधिकार से संबंधित है। समिति ने 18 (1) के दायरे के बारे में विस्तार से चर्चा की और 18(1)(घ) की व्याप्ति के बारे में प्रतिबंधों के बारे में पूछा। समिति ने महसूस किया कि खंड को यह कहकर प्रतिबंधित किया गया है कि मुख्य डाटा को व्यक्तिगत डाटा के विलोपन का

अधिकार है लेकिन जब 'व्यक्तिगत डाटा जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है' और सवाल उठाया मुख्य डाटा को समस्त व्यक्तिगत डाटा का विलोपन करने का अधिकार क्यों नहीं है।

1.15.13.2 इस संबंध में, एमईआईटीवाई ने साक्ष्य में निम्नवत् बताया:-

'महोदय, ऐसा इसलिए किया गया कि कोई क्षुद्र अनुरोध न हो। उदाहरण के लिए, आज मैं अपनी सहमति से कुछ डाटा रखने वाले व्यक्तियों को कोई कार्य करने के लिए डाटा प्रदान करूं, यह भी हो सकता है कि कोई सरकारी विभाग डाटा एकत्रित कर रहा है और कुछ समय पश्चात् किसी कारण से मैं कहूं कि डाटा को हटा दिया जाए, चाहे वह उद्देश्य पूरा न हुआ हो, जिसके लिए डाटा दिया गया था। इस प्रकार के अनुरोध को रोकने के लिए इस सुरक्षोपाय का प्रावधान किया गया है कि यदि कार्य पूरा हो गया है तो आप इसे हटा सकते हैं।'

1.15.13.3. समिति ने उन स्थितियों पर विचार-विमर्श किया जहां कानूनी दायित्वों/प्रयोजनों के कारण किसी व्यक्ति के डेटा का विलोपन संभव नहीं हो सकता है । समिति ने पाया कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब सत्यापन और रिकॉर्ड के उद्देश्य से उस सेवा को प्रदान करने के लिए आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए डेटा संग्रहीत करना पड़ सकता है । एक उदाहरण पर विचार करने के बाद जिसमें एक डेटा स्वामी सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए एक झूठी घोषणा प्रस्तुत कर सकता है, समिति का मत है कि ऐसे मामलों में डेटा के पूर्ण विलोपन के लिए डेटा स्वामी के अधिकार का अनुपालन नहीं किया जा सकता है ।

1.15.13.4 इस संबंध में एमईआईटीवाई ने स्पष्ट किया कि 18(1) के अंतर्गत डाटा स्वामी के अधिकार को इस तरह से बनाया गया है कि वह विनियमों में विनिर्दिष्ट होने वाली शर्तों और रीति के अध्यधीन होंगे। साथ ही यह भी कहा गया था कि 18 (1) (घ) के अंतर्गत अधिकार अर्हता से मुकदमेबाजी भी रुकेगी।

1.15.13.5 समिति ने डाटा विश्वासियों द्वारा यह कहते हुए कि यह अभी भी प्रक्रमण के लिए संगत है विलोपन के अनुरोध को नकार कर खंड 18(1)(घ) के अंतर्गत दी गई अर्हता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।

1.15.13.6 अपने उत्तर में एमईआईटीवाई ने विधेयक के अन्य खंडों में डाटा स्वामी के उपलब्ध सुरक्षोपायों का उल्लेख करते हुए निम्नवत् बताया:-

'यदि हम 18(2) देखें और 18(1) के अंतर्गत कोई डाटा विश्वासी डाटा का स्वामी विलोपन करने के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो उसे लिखित में इसका कारण बताना होगा अन्यथा वे इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं और धारा 18(3) के अंतर्गत वे कह सकते हैं कि 'आप मेरे डाटा का विलोपन' कर दीजिए। धारा 18(3) के अंतर्गत मुख्य डाटा को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आप डाटा रखने वाले व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं और डाटा का विलोपन करा सकते हैं। मैं एक और धारा के बारे में बताना चाहता हूं। धारा 9 (1) में डाटा विश्वासी पर यह बाध्यता लगता है कि कोई भी व्यक्तिगत डाटा आवश्यक समय के बाद न रखा जाए जिस उद्देश्य के लिए वह लिया गया था और उसे हटा दिया जाना चाहिए। अत: कार्य पूर्ण होने के पश्चात् डाटा विश्वासी को डाटा हटाना होगा।'

1.15.13.7 आगे जांच करते हुए, समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि यदि खंड 18 के अंतर्गत अधिकार जो 18 (1)(घ) में और स्पष्ट है, लागू नहीं होता है, तो कतिपय मामलों में मुख्य डाटा के विलोपन संबंधी अनुरोध से जुड़ी वित्तीयलागत उक्त उप-धारा के अंतर्गत डाटा विश्वासी के लिए वहनीय न हो। चर्चा के दौरान सामने आई दो विपरीत परिस्थितियों की ओर ध्यान देते हुए समिति ने महसूस किया कि 18(1)(घ) का आशय संदेहास्पद था। समिति ने यह भी नोट किया कि तकनीकी संचालन प्रणाली की अपनी सीमाएं हैं और कानून में उन सीमाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1.15.13.8 समिति पाती है कि जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार मुख्य चिंता का विषय है लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं जैसे उपलब्ध

प्रौद्योगिकी लागत, व्यवहार्यता आदि। अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि प्रस्तावति अधिनियम के अंतर्गत विनियामक निकाय, डीपीए जो स्थापित किया जाएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे विनियम बनाने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि डाटा स्वामी के अधिकार साधारण तरीके से उपयोग किए जा सकें और साथ ही डाटा विश्वासी अपनी जिम्मेदारियों को व्यावहारिक रुप से संभव तरीक से निभाएं। इसके अितरिक्त, डीपीए को सरकार को नीतियां बनाते समय सरकार की उन बाध्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जो उसे निभानी होती हैं।

(सिफारिश संख्या :7)

1.15.14 भारत के लिए वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली की संभावना

1.15.14.1.चाइनीज लेंडिंग-एप ब्रीच इन इंडिया-भारत में चीन के लेडिंग एप्लीकेशंस की खतरनाक सर्किट का पता चला जिसमें दो चीनी और अनेक भारतीयों को निर्दोष भारतीय ऋण लेने वालों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया। 2016 में चीन में 'लोन फॉर न्यूड्स' घोटाले के पश्चात् पड़ोसी देशों में लेडिंग एप्लीकेशंस इन भारतीयों को धोखा दे रहा है, जो कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। इन एप्लीकेशंस को कांट्रेक्ट्स डाटाबेस मिल रहा था और फोन की गैलरी तक इनकी पहुंच थी तथा जहां इन्हें इंस्टाल किया जाता था वहां से ये संवेदनशील जानकारी ले लेते थे और ऋण लेने वाले को परेशान करते थे। गूगल एप स्टोर पर उपलब्ध ऐसे 60 लोन एप्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी के रुप में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं थे। भारतीय गूगल प्ले स्टोर में चीन के संचालकों अथवा कंपनियों के ऐसे एप्लीकेशंस हैं और ऐसी कंपनियां भी उसमें शामिल थीं जिनका नाम अन्य वैध फिनटेक कंपनियों से मिलता-जुलता था। उदाहरण के लिए, 'उधारलोन' 'उधार' से मिलता-जुलता है जो फिनटेक माइक्रो लोन के बारे में हैं तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। चीन की माइक्रो-लेडिंग एप्प 'मो नीडे' ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के 350 मिलियन से अधिक के रिकार्ड्स

के व्यक्तिगत ब्यौरे को लीक कर दिया। भारतीयों की 50,000 आईडीएस को डार्क वेब पर लीक कर दिया गया जिसमें नाम, फोन नंबर, फोन का प्रकार और मॉडल, फोन में एप्स की सूची, आईपी एड्रेस आदि शामिल हैं।

1.15.14.2 हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए संयुक्त समिति ने वित्तीय प्रणाली में निजता के उल्लंघन की संभावना को संज्ञान में लिया। प्राप्त हुए एक ज्ञापन में निम्नवत बताया गया:-

"2018 में पूरे विश्व में सीमा पार सभी बड़ी राशि के भुगतानों में से आधे मामलों में 'स्फिट' नेटवर्क का उपयोग किया गया। 2015 में स्फिट 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 11,000 वित्तीय संस्थानों से जुड़ा था जो प्रतिदिन औसतन 32 मिलियन मैसेजेस का आदान-प्रदान करते थे। 23 जून, 2006 को दि न्यूयार्क टाइम्स, दि वॉल स्ट्रीट ज़र्मेल और दि लॉस एंजलिस टाइम्स में अनेक लेख प्रकाशित हुए जिनमें टेररिस्ट फाइनेंस ट्रेकिंग प्रोग्राम का खुलासा किया गया जिसे यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंटलीजेंस एजेंसी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य सरकारी एजेंसियों ने 11 सितंबर की घटना के पश्चात् स्विफ्ट ट्रांजेक्शन डाटाबेस का पता लगाने के लिए शुरु किया। इन लेखों के प्रकाशन के पश्चात् स्विफ्ट पर अपने ग्राहकों की डाटा निजता का उल्लंघन करने के बारे में अपने ग्राहकों की डाटा निजता का उल्लंघन करने के बारे में दबाव बढ़ने लगा और उसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सरकारों को देने के लिए कहा गया। सितंबर, 2006 में बेल्जियम सरकार ने कहा कि अमरीकी सरकारी प्राधिकारियों के साथ स्विफ्ट की डीलिंग बेल्जियम और यूरोपीय निजता कानूनों का उल्लंघन है।"

1.15.14..3. समिति पाती है कि वित्तीय सेक्टर में डाटा की निजता विश्वभर में यथार्थ चिंता का कारण है विशेषक एसडब्ल्यूआईएफटी के माध्यम से नेटवर्क निजता की व्यापक रूप से समझौता किया गया है। भारतीय नागरिक समान नेटवर्क का उपयोग करके बड़े पैमाने पर देश से बाहर भुगतान करते हैं। समतिति का मत है कि भारत में एसडब्ल्यूआईएफटी भुगतान का विकल्प देखा जाता सकता है जिससे इससे न केवल निजता सुनिश्चित होगी और साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इसलिए समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि एक वैकल्पिक स्वदेशी वित्तीय प्रणाली को कहीं और ऐसी ही प्रणालियों की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए जैसे रिपल (संयुक्त राज्य अमरीका) इनसेटेक्स (ईयू) की भांति एक वैकल्पिक स्वदेशी वित्तीय प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो न केवल निजता को सुनिश्चित करे बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी विकास करे।

(सिफारिश संख्या :8)

1.15.15.नवाचारों को बढ़ाने के लिए संशोधन

1.15.15.1 समिति ने टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में डाटा संचालित व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है और एक आशंका है कि डाटा संरक्षण विनियम स्टार्ट अप नवाचार को प्रभावित कर सकते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने विस्तार से चर्चा की और विधेयक के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया तथा साथ ही समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि वर्तमान कानून के अंतर्गत डाटा संरक्षण विधेयक में उन संशोधनों को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है।

1.15.15.2 कारपोरेट नवाचारों पर संरक्षण विनियमों के संभावित प्रभाव को देखते हुए समिति ने स्टार्ट अप्स के हितों की रक्षा के लिए विधेयक के विभिन्न खंडों में अनेक संशोधनों का सुझाव दिया। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि नियम और विनियम बनाते समय भी डीपीए को स्टार्ट अप्स के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और नवाचारों और सेंडबॉक्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति ने यह सिफारिश की कि हमारे देश के लोगों के लिए संभावना को आसान बनाने के लिए तथा अधिक नवचारों को प्रोत्साहन देने के लिए डाटा संरक्षण अधिनियम, जो यह विधेयक पारित होने के बाद लागू होगा, को देखते हुए पेंटेट अधिनियम, 1970 में संशोधन किया जाए।

(सिफारिश संख्या :9)

1.15.16 डाटा विश्वासी के रुप में हार्डवेयर निर्माताओं के दायित्व

1.15.16.1 अपने विचार-विमर्श के दौरान समिति ने देखा कि हाल के समय में सूचनात्मक सुरक्षा को खतरा केवल सॉफ्टवेयर के लिए ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसा रुप ले चुका है जहां अब डाटा को भौतिक उपकरणों के माध्यम से भी चुराया जा रहा है। इस संबंध में, समिति ने पाया कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 ने डाटा विश्वासी हार्डवेयर निर्माता जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डाटा एकत्र करने की मांग करते हैं, के विनियमन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.15.16.2 समिति ने यह भी नोट किया कि उपकरणों के माध्यम से डाटा लीकेज की भेद्यता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बदलने से उपजी है। यह कि निर्माताओं के वैश्विक बाजार के कारण इस प्रकार के खतरों को विनियमित करने संबंधी कठिनाई को बढ़ा दिया है। यह भी नोट किया गया कि इस बात का वास्तविक खतरा है कि भारत से वैर रखने वाले व्यक्ति/संगठन और राज्य भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।

1.15.16.3 समिति ने यह नोट किया कि वर्तमान विधेयक में डाटा विश्वासी, हार्डवेयर निर्माता या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डाटा एकत्र करने की मांग करते हैं, के विनियन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिमति की नजर में निर्माताओं के वैश्विक फैलाव के कारण हार्डवेयर निर्माता, जो कि अब सॉफ्टवेयर के साथ-साथ डाटा भी एकत्र कर रहे है, का विनियमन करना अत्यावश्यक हो गया है, इसलिए समिति चाहती है कि हार्डवेयर विनिर्माताओं और संबंधित संस्थाओं को विनियमित करने के लिए नियम और विनियम तैयार करने के लिए डीपीए को सक्षम बनाने के लिए 49 (2) (ओ) के रूप में एक नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाए । समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सभी डिजिटल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उपकरण जो डाटा सुरक्षा के संबंध में ऐसे सभी उपकरणों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे, की औपचारिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए।इसके अतिरिक्त, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, जिनके पास व्यक्तियों के वैयक्तिक डाटा के इस्तेमाल से आर्टिफिशियल इंटलीजेंस प्रणाली को प्रशिक्षित करने की क्षमता है, को इस प्रकार से प्रमाणित किया जाए जो विधेयक के प्रावधानों के अनुसार उसकी अनुपालना को सुनिश्चित करें।इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समिति ने सरकार पर यह जोर दिया कि वह एक समर्पित प्रयोगशाला/परीक्षण सुविधा स्थापित करे जिसकी शाखाएं संपूर्ण भारत में स्थित हो और जो सभी डिजिटल उपकरणों की विश्वसनीयता और सुरक्षा का प्रमाणन करे। इसी संदर्भ में समिति ने विशेष रुप से यह भी इच्छा व्यक्त की कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रयोगशालाएं इस प्रकार कीं सेवाएं प्रदान करें जहां व्यक्ति अपने उपकरण का प्रमाणन प्राप्त कर सके तथा ऐसी स्थिति में जहां उपकरण डाटा सुरक्षा के

निर्दिष्ट मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो वह ऐसे निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) से संपर्क करे।

(सिफारिश संख्या :10)

1.15.17. भारत में डाटा स्थानीयकरण का प्रभाव

1.15.17.1 सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और प्रगति के कारण विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है जहां लोगों, वस्तुओं और डाटा का निर्बाध प्रवाह जारी है। अब डाटा अक्षरों तथा आंकड़ों का एक समूह मात्र नहीं रह गया है, अपितु यह राजस्व अर्जन का माध्यम बन गया है। वैयक्तिक डाटा को विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता व्यवहार को समझने तथा विभिन्न उत्पाद विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के साथ बड़ा आर्थिक कारोबार जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि डाटा को बिना प्रितबंधों के विभिन्न देशों के बीच साझा किया जाना शुरु हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय व्यवसायों की वृद्धि के संबंध में कई चिंताएं सामने आई हैं। डेटा साझा करने और सहयोग के लाभों के बावजूद, किसी देश को डेटा के सीमा पार हस्तांतरण से जुड़े जोखिमों के साथ नवाचार को संतुलित करना होता है । डेटा स्थानीयकरण का मुख्य ध्यान जोखिमों को कम करने वाले वैध लक्ष्यों - राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता या रोजगार को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए ।

1.15.17.2 समिति ने नोट किया कि विभिन्न देशों द्वारा एकत्र किए गए डाटा को उनके पक्ष में उनके अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए तथा विशेष तौर से विकासशील और कम विकसित देशों के स्थानीय व्यवसायों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। यह भी देखा गया है कि चूंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बन गया है, यहां पर दैनिक रुप से डाटा का संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भंडारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समिति ने अपनी चिंता जाहिर की कि हालांकि भारत ने अपराधों की जांच हेतु साझा करने के लिए आपसी कानूनी सहायता समझौते (एमएलएटी) के तहत कई देशों के साथ समझौता किया है, देश को अन्य देशों में संग्रहित डाटा तक पहुंचने में मुश्किल होती है जिससे त्वरित न्याय करने और मुकदमें के निपटान में देरी होती है। अत: समिति का मत है कि भारत में डाटा स्टोर करना

तथा इसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण के रुप में वर्गीकृत करके उस तक पहुंच को प्रतिबंधित करना अत्यावश्यक है। इस प्रकार डाटा स्थानीयकरण को गति प्रदान की जा सकेगी।

1.15.17.3 मार्केट अनुसंधान फर्म मार्केटस एंड मार्केटस (टीएम) के विश्लेषण से संकेत लेते हुए, जो कहती है कि वैश्विक क्लाउड स्टोरेज बाजार का आकार पूर्वानुमान अवधि के दौरान 22.3 प्रतिशत की एक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वर्ष 2020 में 50.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 137.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि भारत क्लाउड स्टोरेज बाजार में आने वालेइन संभावित अवसरों का लाभ उठाए। इसलिए, समिति ने देखा कि पोस्ट कोविड-19 काल के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं दिए जाने के कारण भारी मात्रा में डाटा उत्पन्न हुआ है और भारत क्लाउड स्टोरेज मार्केट में डाटा स्थानीयकरण द्वारा इस प्रकार के उभतरे रुझानों का उपयोग कर निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। इस संबंध में, समिति को सौंपे गए अपने ज्ञापन में एक संगठन ने भारत में कार्य कर रही चार शीर्ष विदेशी कंपनियों के डाटा स्थानीयकरण के कारण रोजगार सृजन निवेश और करों की क्षमता की गणना की है:

	अमरीका में समान रुझानों के आधार पर	भारत में स्थानीय डाटा स्टोरेज तैयार करने में चार शीर्ष डाटा कंपनियों की क्षमता-अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल के बीच (यूएस बेंचमार्क और सारिणी 2 पर आधारित)		
अमेरिका में 1 डाटा केंद्र का आर्थिक प्रभाव (बेंचमार्क का उपयोग कर)	**निर्माण चरण**	**संचालन चरण**	**निर्माण चरण**	**संचालन चरण**
रोजगार सृजन 2	1688	157	28696	2669
स्थानीय आर्थिक गतिविधियां 3	244	33	4140	553

(मिलियन डॉलर)				
कर 4 (मिलियन डॉलर)	10	1	200	22

धारणाएं

1. डाटा सेंटर को आकार में बड़ा माना जाता है (164, 141 एसएफ)
2. नौकरियों की संख्या में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित नौकरियां शामिल हैं।
3. स्थानीय आर्थिक गतिविधि की गणना करने के लिए 'यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस' गुणक का

   उपयोग किया जाता है।
4. करों की गणना अमेरिकी कर दरों के आधार पर की जाती है।

1.15.17.4 विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने स्वीकार किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में सराहनीय कदम उठाए हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच भुगतान डाटा के हस्तांतरण से जुड़े खतरों को देखते हुए 6 अप्रैल, 2018 को आरबीआई ने एक अनिवार्य नियम को अधिसूचित किया था जिसमें कहा गया है कि 'सभी सिस्टम प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डाटा केवल भारत में ही एक सिस्टम में स्टोर किया जाएगा। इस डाटा में मैसेज/भुगतान निर्देश के भाग के रुप में एकत्र किए गए शुरु से अंत तक। संपूर्ण लेन-देन विवरण/एकत्रित सूचना/ले जाने/संसाधितकरने तक शामिल होना चाहिए। लेन-देन के विदेशी भाग के लिए, यदि कोई हो, तो यदि आवश्यक हो तो, डाटा को विदेश में भी संग्रहित किया जा सकता है।'

1.15.17.5 समिति समझती है कि निजता का अधिकार नागरिक का मौलिक अधिकार है जो डाटा को साझा करने की गोपनयता सुनिश्चित करने के लिए उसे सशक्त बनाता है। समिति

यह भी मानती है कि एक संपुभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत कानून बनाते समय तथा विभिन्न राष्ट्रों के साथ संधि करने से पूर्व अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए बाध्य है। समिति के विचार में, भारत अपना डाटा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा शासित होने के लिए नहीं छोड़ सकता है। इसके अितरिक्त, यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत व्यवसायों के आधार पर इससे समझौता नहीं कर सकता है। यद्यपि डाटा हस्तांतरण के लिए खंड 33 और खंड 34 के अंतर्गत प्रावधान हैं और केन्द्र सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा जो पहले ही किसी विदेशी कंपनी के पास है, की मिरर कॉपी भारत में समयबद्ध रुप में अनिवार्य रुप से भारत लायी जा सके। उचित अवसंरचनात्मक ढांचे के निर्माण तथा डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना होगा कि सभी स्थानीय और विदेशी कंपनियों द्वारा इस कानून में विहित डाटा स्थानीयकरण संबंधी उपबंधों का अक्षरश: अनुपालन करें और भारत को धीरे-धीरे डाटा स्थानीयकरण की ओर अग्रसर होना चाहिए।

(सिफारिश संख्या :11)

1.15.17.6 इस संबंध में समिति विशेष रुप से यह सिफारिश करती है कि केन्द्र सरकार सभी क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से डाटा के स्थानीयकरण पर एक व्यापक नीति तैयार करे जिसमें भारतीयों के डाटा के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित करने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए जो रोजगार पैदा कर सकें; उच्च परिचालन कीमतों को कवर करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की शुरुआत की जाए; इसमें वह प्रणाली भी शामिल हो जो इस कानून के तहत बनाए गए डाटा स्थानीयकरण के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्थानीय व्यवसाय संस्थानों तथा स्टार्ट-अप का समर्थन करे; निवेश, नवाचारों तथा निष्पक्ष आर्थिक प्रथाओं को बढावा दे; निवेश को आकर्षित करने और पूंजीगत लाभ उत्पन्न करने के लिए स्थानीय कृत्रिम बुद्धि पारिस्थितिकीतंत्र और डाटा प्रवाह का उचित कराधान थे। समिति यह भी चाहती है कि डाटा स्थानीयकरण से अर्जित राजस्व का उचित उपयोग जो देश में कल्याणकारी उपायों विशेषकर छोटे व्यवसायों और स्टार्ट-अप को डाटा स्थानीयकरण मानदंडों का पालन करने में मदद करे। इसके अलावा, समिति यह भी बताना चाहती है कि केन्द्र सरकार

द्वारा उठाए गए कदमों से भारत में कारोबार में सुगमता होगी (इज ऑफ डूईंग बिजनेस) तथा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भारत में संचित डाटा की निगरानी कानून में विहित अनिवार्यता के आधार पर ही होनी चाहिए।

(सिफारिश संख्या :12)

भाग - दो

'वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019' की खंडवार जांच

2.1 समिति ने खंडवार जांच के दौरान विधेयक में कुछ प्रारूपण त्रुटियों को नोट किया। विधायी विभाग ने संबंधित खंडों में स्पष्टता के प्रयोजनार्थ सुधार/भाषा सुधार के लिए भी सहमति व्यक्त की। समिति प्रारूपण में सुधार करने के उद्देश्य से कई संशोधनों का सुझाव देती है और उन्हें इस अध्याय के अंत में दिया गया है। अन्य खंडों में, समिति विस्तृत चर्चा के आधार पर कुछ संशोधनों का भी सुझाव देती है जो आगे के पैराग्राफ में दिए गए हैं। मोटे अक्षरों में और अधोरेखांकित शब्द और अंक संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारांकन (***) लोपों को दर्शाते हैं।

विधेयक का नाम

2.2 इस विधेयक का नाम 'वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2019' है।

2.3 समिति ने विधेयक के नाम के साथ-साथ विधेयक के उद्देश्यों और कारणों की भी विस्तृत जांच की तथा 12 नवंबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में यह देखा कि यह विधेयक, विभिन्न प्रकार के डाटा जिनमें कई स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, को कवर करने के साथ-साथ वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा में अंतर भी करता है। साथ ही, चूंकि डाटा को बहुत बड़े स्तर पर संग्रहित किया जाता है और डाटा की गतिशीलता भी समान रूप से प्रचलन में है। अत: हर स्तर पर वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा को अलग करना लगभग असंभव है।

2.4 **विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर विचार करने के बाद समिति ने पाया कि विधेयक डाटा संरक्षण के स्थान पर डिजिटल अर्थव्यवस्था को वरीयता नहीं दे सकता। साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा में स्पष्ट सीमांकन करना तथा सभी प्रकार के डाटा को संरक्षित करना संभव नहीं है, समिति सिफारिश करती है कि विधेयक का शीर्षक संशोधित कर "(***) डाटा संरक्षण विधेयक, 2021" रखा जाए और इस अधिनियम को "(***) डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021" कहा जाए।**

(सिफारिश संख्या: 13)

पूरा नाम और प्रस्तावना

2.5 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का पूरा नाम और प्रस्तावना निम्नवत पठित है:

"व्यष्टिकों को वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत तथा हानिकाकर प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और सूचनात्मक निजता के एक अनिवार्य पहलू के रुप में वैयक्तिक डाटा का संरक्षण आवश्यक है;

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने व्यक्तियों के बीच संपर्क साधनों के रुप में डाटा के उपयोग को वितरित कर दिया है;

और एक ऐसी सामूहिक संस्कृति का सृजन करना आवश्यक है जो व्यष्टिकों की सूचनात्मक निजता के सम्बन्ध में और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए स्वतंत्र और उचित डिजिटल अर्थव्यवस्था को संजोय रखे और डिजिटल शासन और अंतर्वेशन के माध्यम से सशक्तिकरण, प्रगति और नवीकरण सुनिश्चित करे।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-"

2.6 विधेयक की प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम और पूरे नाम में संशोधन के लिए हितधारकों से ज्ञापनों के रुप में अनेक सुझाव प्राप्त हुए जिनका सार इस प्रकार है:-

(एक) डिजिटल अर्थव्यवस्था की बजाय डाटा संरक्षण पर फोकस होना चाहिए।

(दो) सोशल मीडिया मध्यवर्तियों संबंधी नियम विधेयक और प्रस्तावना में नहीं जोड़ने जाने चाहिए।

(तीन) संक्रमण काट का प्रावधान विधेयक में किया जाना चाहिए और विधेयक के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कम से कम दो-तीन वर्ष का समय दिया जाना चाहिए।

(चार) विधेयक को चराबद्ध तरीके से प्रवृत्त किया जाना चाहिए। विधेयक के लागू होने के पश्चात् डाटा विश्वासियों को विधेयक का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

2.7 विधेयक के संक्षिप्त नाम, पूरेनाम तथा प्रस्तावना की विस्तृत जांच के पश्चात समिति ने महसूस किया कि प्रस्तावना में विधेयक के सभी उद्देश्य शामिल किए जाने के साथ-साथ विधेयक का दायरा और प्रयोजन भी निर्धारित किया जाना चाहिए। समिति का विचार था कि निजता एक मौलिक सरोकार है तथा डिजिटल क्षेत्र में हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो लोगों के वैयक्तिक डाटा और निजता का संरक्षण कर सके।

2.8 11 नवंबर, 2020 को आयोजित बैठक में समिति ने देखा कि यह विधेयक डिजिटीकरण की प्रक्रिया तथा डिजिटीकरण से संबंधित हर वस्तु को नियंत्रित करता है किंतु गैर-डिजिटीकृत डाटा इस कानून से शासित नहीं होता।

2.9 समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया कि हर तरह के विकास और नवाचारों के साथ-साथ व्यष्टिको की निजता के मौलिक अधिकार को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा समिति ने प्रस्तावना में वैयक्तिक डाटा शब्दों के प्रयोग पर भी अपनी चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि समग्र रुप में विधेयक का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए न केवल वैयक्तिक डाटा बल्कि हर प्रकार के डाटा को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

2.10 इसके अतिरिक्त विधेयक में अभिकल्पित प्राधिकरण को डाटा संरक्षण प्राधिकरण कहा गया है जिसके पास डाटा से संबंधित सभी घटकों अर्थात् वैयक्तिक डाटा, संवेदनशील वैयक्तिक डाटा महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा और गैर-वैयक्तिक डाटा की जांच करने की

शक्ति निहित है। यह डिजिटीकृत और गैर-डिजिटीकृत दोनों प्रकार के डाटा के संग्रहण, प्रक्रमण और भंडारण को निर्धारित और विनियमित भी करता है।

2.11 समिति ने नोट किया कि चूंकि अब विधेयक में डाटा को समग्र रुप में शामिल किया गया है, अत: 'वैयक्तिक डाटा' वाक्यांश में से वैयक्तिक शब्द का उचित ढंग से लोप कर देना चाहिए ताकि विधेयक के पूरे नाम में इसे 'डाटा' ही पढ़ा जाए।

2.12 समिति महसूस करती है कि यह विधेयक मूल रुप से किसी व्यक्ति की डिजिटल डोमेन में उपलब्ध सूचना की संरक्षा से संबंधित है तथा गैर-डिजिटल डाटा इस विधेयक द्वारा शासित नहीं होता है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि 'व्यष्टियों की निजता' वाक्यांश में निजता से पूर्व 'डिजिटल' शब्द जोड़ा जाए। समिति यह भी महसूस करती है कि देश की संप्रभुता, अखंडता तथा देशहित और सुरक्षा के मद्देनजर वैयक्तिक डाटा की निजता को सीबाद्ध करना आवश्यक है। अत: समिति का सुझाव है कि विधेयक के पूरे नाम में 'राज्य के हित और सुरक्षा को सुनिश्चित करने' वाक्यांश जोड़ा जाए तथा 'किसी व्यष्टि' और 'डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की अविरत वृद्धि का संवर्धन करे ' जैसे वाक्यांश प्रस्तावना में जोड़े जाएं। समिति यह भी नोट करती है कि चूंकि सोशल मीडिया मध्यवर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर पूरे सोच-विचार के बाद विधेयक में 'सोशल मीडिया मध्यवर्ती' वाक्यांश को बदल कर 'सोशल मीडिया प्लेटफार्म' कर दिया गया है, अत: यह विधेयक के पूरे नाम में भी परिलक्षित होना चाहिए। अत: 'मध्यवर्ती' शब्द के स्थान पर 'प्लेटफार्म' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी तर्कसंगतता आगे के पैरा में दी गई है। साथ ही समिति यह सुझाव देती है कि प्रस्तावना में 'सत्तरवें वर्ष' के स्थान पर 'बहत्तरवें वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाए।

2.13 तदनुसार, विधेयक के पूरे नाम और प्रस्तावना को निम्नलिखित रुप में संशोधित किया जाए:

व्यष्टिकों के (***) डाटा से संबंधित उनकी <u>डिजिटल</u> निजता के संरक्षण, (***) डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और (***) डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके (***) डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया (***) <u>प्लेटफार्म</u>, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित (***) करने, (***) डाटा का प्रक्रमण

करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने, राज्य के हित और सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और सूचनात्मक निजता के एक आवश्यक पहलू के रूप में **किसी व्यष्टि** के वैयक्तिक डाटा का संरक्षण आवश्यक है ; और

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने व्यक्तियों के बीच संपर्क के समालोचनात्मक साधनों के रूप में डाटा के उपयोग को विस्तारित कर दिया है ;

और एक ऐसी सामूहिक संस्कृति का सृजन करना आवश्यक है जो व्यष्टिकों की सूचनात्मक निजता के संबंध में जो **डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की अविरत वृद्धि का संवर्धन करे** और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए स्वतंत्र और उचित डिजिटल अर्थव्यवस्था को संजोए रखे और डिजिटल शासन और अंतर्वेशन के माध्यम से सशक्तिकरण, प्रगति और नवीकरण को सुनिश्चित करे ।

भारत गणराज्य के **बहत्तरवें** वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(सिफारिश संख्या: 14)

खंड 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

2.14 इस विधेयक का संक्षिप्त नाम निम्नवत पठनीय है: "1(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2019 है।"

2.15 **इस विधेयक के पूरे नाम और प्रस्तावनों में संशोधन के परिणामस्वरुप, समिति सिफारिश करती है कि इस विधेयक का संक्षिप्त नाम का निम्नलिखित रुप में परिवर्ती किया जाए:**

"1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम (***) डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021 है ।"

(सिफारिश संख्या: 15)

खंड 2 - वैयक्तिक डाटा के प्रकाशन के लिए अधिनियमन का लागू होना

2.16 वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण में अधिनियम के अनुप्रयोग से संबंधित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 2 निम्नवत पठनीय है:

"इस अधिनियम के उपबंध, -

(अ) लागू होंगे-

(क) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, जहां ऐसे डाटा का भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर संग्रहण, प्रकटन, साझा किया गया है या अन्यथा उसका प्रक्रमण किया गया हो;

(ख) राज्य, किसी भारतीय कंपनी, किसी भारतीय नागरिक या किसी व्यक्ति 2 या भारतीय विधि के अधीन निगमित या सजित व्यक्ति निकायों दवारा वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे;

(ग) ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता दवारा, जो भारत के राज्यक्षेत्र क भीतर उपस्थित नहीं है, डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, यदि ऐसा प्रक्रमण

(i) भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार के या भारत के 2 राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी को माल या सेवाएं देने के किसी व्यवस्थित क्रियाकलाप के संबंध में है ; या

(ii) किसी ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में है जिसमें भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी का प्रोफाइलिंग अंतर्वलित है ;

(आ) धारा 91 में निर्दिष्ट अनामी डाटा से भिन्न अनाम डाटा के प्रक्रमण को लागू नहीं होंगे।

2.17 स्टेकहोल्डर्स से उपर्युक्त खंड के बारे में अनेक सुझाव ज्ञापन के रुप में प्राप्त हुए, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है:-

(एक) "भारत से बाहर किए जाने वाले किसी कारबार" का स्पष्टीकरण किया जाएगा।

(दो) यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी नागरिकों और निवासियों पर यह विधि कैसे लागू होगी। इस विधेयक पर विस्तार में भारत के बाहर कारबार का अर्थ है कि इसका अनुप्रयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति में जब भारतीय निवासियों/नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाएं।

(तीन) खंड के अंतर्गत "अनाम डाटा" के स्पष्ट उल्लेख को हटाया जाए।

(चार) इस विधेयक के विस्तार में अवैयक्तिक डाटा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(पांच) क्षेत्रीय विनियमों द्वारा कवर किए गए निकायों को इस विधेयक से छूट दी जाए और वे क्षेत्रीय विनियमों से ही कवर किए जाएंगे।

(छह) यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से डाटा प्रक्रमण के लिए लागू नहीं होगा जहां डाटा संग्रहण इस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले किया गया हो।

(सात) अनाम डाटा को पुन: परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इसे अनामीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अनाम डाटा तक सीमित किया जा सके, जो उस समय अचल था।

2.18 इस संबंध में, जीडीपीआर के रिसाइटल (26) में निम्नलिखित बताया गया है:

"डाटा संरक्षण के सिद्धांत किसी पहचाने गए अथवा पहचाने योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित किसी सूचना पर लागू होंगे। वैयक्तिक डाटा, जिसका छद्मनामकरण किया गया है, जो अतिरिक्त जानकारी के उपयोग से किसी प्राकृतिक व्यक्ति के लिए कारक हो सकता है, उसे पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति संबंधी जानकारी के रुप में विचार किया जाना चाहिए। इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई प्राकृतिक व्यक्ति पहचान योग्य है, उपयोग में लाए जाने वाले सभी संभावित साधनों का तर्कसंगत ध्यान रखा जाना चाहिए, यथा प्राकृतिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रुप से अथवा अप्रत्यक्ष रुप से पहचान करने के लिए नियंत्रक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अलग करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन उपयुक्त हैं, सभी वस्तुपरक कारकों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, यथा पहचान करने में लगने वाली लागत और समय, प्रक्रमण और प्रौद्योगिकीय विकास के समय उपलब्ध प्रौद्योगकी पर विचार करना। इसलिए डाटा संरक्षण के सिद्धांत अनाम जानकारी पर लागू नहीं होने चाहिए अर्थात् जानकारी जो

किसी पहचाने गए अथवा पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित हो अथवा ऐसे अनाम तरीके से प्रस्तुत वैयक्तिक डाटा से संबंधित हो कि डाटा विषय पर पहचान योग्य नहीं हो। इसलिए यह विनियम सांख्यिकीय अथवा अनुसंधानों के प्रयोजनार्थ सहित ऐसी अनाम जानकारी के प्रक्रमण से संबंधित नहीं है।"

2.19 न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण समिति ने इस पहलू पर विचार किया और अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बताया है:-

"अनामकरण के लिए डाटा के विरुपण हेतु गणितीय और तकनीकी सिद्धांतों के प्रयोग की अपेक्षा होती है ताकि यह निश्चित रुप से सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान संभव नहीं है। इस दृष्टि से अनामकरण विरुद्ध रुप से अत्याचार है जिसमें पहचान को और कठिन बनाने के लिए डाटा सेटों से पहचान करने वालों को दूर रखना मुखौटा अथवा हटाना सम्मिलित है। प्रौद्योगिकीय उन्नति की गति को देखते हुए, उन मानकों की सटीक परिभाषा करना अथवा निर्धारित करना वांछनीय नहीं है जिसमें अनामकरण विधि के अनुसार हो। अनामकरण के लिए मानकों को विनिर्दिष्ट करने का कार्य डीपीए पर छोड़ देना ही उचित है और इन मानकों को पूरा करने वाले डाटा सेटों को विधि द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे वैयक्तिक डाटा नहीं रह जाते।" समिति यह भी सिफारिश करती है। अनामकरण और विपहचान छद्मनामकरण सहित हेतु मानकों का निर्धारण डीपीए द्वारा किया जा सकता है। तथापि, जिसकी विधिवत पहचान की गई है। इस विधि के दायरे में ही रहेगा। डीपीए द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाला अनामकरण डाटा को इस कानून से मुक्त रहेगा।"

2.20 इस विशेष खंड की जांच के दौरान, समिति ने पाया कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य निजता है और निजता बनाए रखने के लिए गैर-वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करना अत्यंत अनिवार्य है।

2.21 समिति की 23 नवम्बर 2020, को हुई बैंठक में समिति यह पाती है कि विधान में किसी भी प्रकार का लचीलापन जैसे विधेयक के तहत अनाभीकरण की श्रृंखला में अनामीकृत डाटा के शामिल न किए जाने के कारण डाटा-स्वामी की निजता के खतरों के तहत वैयक्तिक डाटा के व्यवसायीकरण या हेर-फेर को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि अधिनियम का नाम बदल दिया गया है, समिति का यह पुरजोर विचार है कि अनामीकृत डाटा को भी विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए।

2.22 चूंकि यह विधेयक वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा से संबंधित है, इसलिए खंड 2 के शीर्षक को वैयक्तिक डाटा <u>और गैर-वैयक्तिक डाटा</u> के प्रक्रमण के लिए अधिनियम का लागू होना के उपयुक्त शीर्षक के रूप में संशोधित किया जा सकता है।

2.23 समिति यह भी नोट करती है कि खंड 3 (27) में परिभाषित 'व्यक्ति' शब्द काफी व्यापक है और यह महसूस करती है कि खंड 2 (क) (ख) में "राज्य, कोई भारतीय कंपनी, भारत के किसी भी नागरिक या शामिल व्यक्तियों के निकाय" शब्दों का चयनात्मक प्रयोग सीमित होगा और इससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए, समिति महसूस करती है कि खंड 2 (क) (ख) में 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग 'राज्य, कोई भी भारतीय कंपनी, भारत के किसी नागरिक या शामिल व्यक्तियों के निकाय" शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाए।

2.24 समिति यह पाती है कि अनामीकरण इस अति महत्वपूर्ण विधेयक का भाग अवश्य हो। इसलिए समिति इसके खंड 2 (ख) का लोप करने की सिफारिश करती है ताकि खंड 2 (घ) को जोड़ा जा सके और तदनुसार खंड 91 को सुधारा जा सके । समिति यह भी पाती है कि खंड को और अधिक अर्थपूर्ण बनाए जाने के लिए "भंडारण" शब्द को खंड 1 (क)(क) में " संग्रहण" और "प्रकटन" शब्दों के बीच में अंत: स्थापित किया जाए।

2.25 तद्नुरूप, पूरा खंड 2 निम्नवत् संशोधित किया जाए:

"2. इस अधिनियम के उपबंध,–

(क)(***)

(क) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, जहां ऐसे डाटा का भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर संग्रहण, <u>भंडारण,</u> प्रकटन, साझा किया गया है या अन्यथा उसका प्रक्रमण किया गया हो;

(ख) (***) कंपनी, किसी भारतीय नागरिक या किसी व्यक्ति (***) या भारतीय विधि के अधीन निगमित या सृजित व्यक्ति निकायों द्वारा वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे;

(ग) ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उपस्थित नहीं है, डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, यदि ऐसा प्रक्रमण–

(i) भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार के या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर

डाटा स्वामी को माल या सेवाएं देने के किसी व्यवस्थित क्रियाकलाप के संबंध में है ; या

(ii) किसी ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में है जिसमें भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी का प्रोफाइलिंग अंतर्वलित है ; **और**

(घ) गैर-वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण जिसके अन्तर्गत अनामी वैयक्तिक डाटा भी है, को लागू होंगे

(ख)(***)"

(सिफारिश संख्या: 16)

खंड 3 - परिभाषाएं

2.26 समिति ने विधेयक की "परिभाषाओं" की गहन रूप से जांच की। इस संबंध में हितधारकों की ओर से सुझाव भी प्राप्त हुए थे। हितधारकों से प्राप्त "परिभाषाएं" ज्ञापन का सार निम्नवत है:

(i) वैयक्तिक डाटा की परिभाषा का विस्तार "प्रोफाइलिंग के प्रायोजन के लिए ऐसे डाटा से निकाला गया कोई निष्कर्ष" तक नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) इसके क्षेत्र का वर्णन करने के लिए 'हानि' की परिभाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में लागू होने वाले अन्य कानूनों और विनियामकोंके तहत 'हानि' की परिभाषा उसकी व्याख्या के अध्यधीन हो सकती है ।

(iii) बच्चों की परिभाषा 13/14/16 वर्ष तक सीमित होनी चाहिए और इसे 18 वर्ष से घटाया जाना चाहिए ।

(iv) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए ।

(v) अनामीकृत डाटा को अनुक्रमणीय प्रक्रिया की अपरिवर्तनशलता के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए ।

(vi) क्या डीएनए को एसपीडी का भाग बनाने की आवश्यकता है और इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाए, इस संबंध में डीएनए को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ।

(vii) विधेयक के तहत स्पष्ट सहमति को भी परिभाषित किया जाना चाहिए ।

(viii) मशीन-पठनीय और गैर-मशीन-पठनीय बायोमैट्रिक-डाटा-प्रक्रणन में विभेद किया जाना चाहिए।

2.27 समिति ने विधेयक के आश्य के मद्देनजर इसके खंड 3 में वर्णित प्रत्येक "परिभाषा" पर विचार किया और विभिन्न प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश की:

खंड 3 (11) का समामेलन: सहमति प्रबंधक

2.28 **समिति पाती है कि "सहमति प्रबंधक" शब्द को खंड 23 के अंतर्गत स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सहमति प्रबंधक को 'परिभाषाओं' के अंतर्गत अध्याय एक में परिभाषित किया जाए और इसलिए, उप खंड 3 (10) के पश्चात "सहमति प्रबंधक" की एक विस्तृत परिभाषा को अंत:स्थापित करने की सिफारिश करती है। तदनुसार खंड 23 (5) के बाद वाली व्याख्या का लोप किया जाए और "सहमति प्रबंधक" की परिभाषा को जोड़ने के परिणामस्वरूप खंड 3 के तहत सभी उपखंडों की संख्याएं स्वत: ही बदल जाऐंगी। अब खंड 3 (11) को निम्नानुसार पढ़ा जाए।**

"(11) "सहमति प्रबंधक" से ऐसा डाटा विश्वासी अभिप्रेत है जो एक सुगम, पारदर्शी, अन्तर संचालित प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी सहमति देने, वापस लेने, पुनर्विलोकन करने तथा उसका प्रबंध करने के लिए डाटा स्वामी को समर्थ बनाता है ;"

(सिफारिश संख्या: 17)

खंड 3 (12) - डाटा संपरीक्षक

2.29 **डाटा संपरीक्षक को "डाटा संपरीक्षक" के तौर पर परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक, जिसका उल्लेख धारा 29 में किया गया है। समिति महसूस करती है कि 'स्वतंत्र' शब्द अनावश्यक है क्योंकि इसका उपयोग खंड 29 में किया गया है और इस प्रकार इसे खंड 3 (12) से हटाया जाए । तदनुसार, पुनर्संख्यांकित 3 (13) को निम्नवत् पढ़ा जाए:**

"(13) "डाटा संपरीक्षक" से धारा 29 में निर्दिष्ट (***) डाटा संपरीक्षक अभिप्रेत है ;"

(सिफारिश संख्या: 18)

खंड 3(14) का समावेशन

2.30 समिति पाती है कि 'डाटा भंग' शब्द को विधेयक में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है जबकि यह विभिन्न संदर्भों में विधेयक के कई बार आया है। समिति का मानना है कि 'डाटा भंग' शब्द को विधेयक में ही परिभाषित किया जाए। इसलिए समिति उप खंड 3 (13) के पश्चात "डाटा भंग" की परिभाषा को अंत:स्थापित करने की सिफारिश करती है और खंड 3 के अंतर्गत सभी उप-खंडों की संख्या तदनुसार बदली जाए। खंड 3 (14) को अब निम्नवत पढ़ा जाए:

"(14) "डाटा भंग" जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक डाटा भंग और गैर-वैयक्तिक डाटा भंग भी है ;"

(सिफारिश संख्या: 19)

खंड 3(13) - डाटा विश्वासी

2.31 अनुच्छेद 4(7) के तहत जीडीपीआर की परिभाषा में "नियंत्रक" का अर्थ है नैसर्गिक या कानूनी व्यक्ति, सार्वजनिक निकाय, एजेंसी या अन्य निकाय जो कि अकेले या संयुक्त रूप से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के माध्यम और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जहां इस प्रक्रमण के उद्देश्यों और माध्यमों का निर्धारण संघ या सदस्य राज्य विधि द्वारा किया जाता है, इसके नामांकन के लिए नियंत्रक या विशिष्ट मापदंड संघ या सदस्य राज्य विधि द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

2.32 जब समिति" डाटा विश्वासी" की परिभाषा पर विचार कर रही थी, तब उसने पाया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए डाटा-संग्रहण में गैर-सकरारी-संगठन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए, उन्हें भी डाटा-विश्वासी के तौर पर देखा जाना चाहिए और उन्हें भी इस अधिनियम की परिधि के तहत लाया जाना चाहिए। इसलिए, समिति का सुझाव है कि 'एक गैर-सरकारी संगठन' शब्द को 'एक कंपनी' शब्द के पश्चात और 'विधिक इकाई' के पहले अंत:स्थापित किया जाए और यथा संशोधित पुनर्संख्याकित खंड 3 (15) को निम्नवत पढ़ा जाए:

"(15) "डाटा विश्वासी" से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई राज्य, कंपनी, एक गैर-सरकारी संगठन, (***) विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, अभिप्रेत है, जो अकेले

या अन्य के संयोजन से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रयोजन और साधन अवधारित करता है ;"

(सिफारिश संख्या: 20)

खंड 3(15) - डाटा प्रक्रमण्कर्ता

2.33 **समिति महसूस करती है कि यहां ऐसे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) है जो विभिन्न कारणों से डाटा विश्वासी के तौर पर डाटा का प्रक्रमण करते हैं। अत: उन्हें भी डाटा प्रक्रमणकर्ता के तौर पर देखा जाना चाहिए और उन्हें भी इस विधान की परिधि के तहत लाना चाहिए। तदनुसार, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि 'एक गैर-सरकारी संगठन' शब्द को 'एक कंपनी' शब्द के पश्चात अंत:स्थापित किया जाए। अत:, पुनर्संख्यांकित खंड 3(17) को निम्नवत पढ़ा जाए:**

"(17) "डाटा प्रक्रमणकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत राज्य, कंपनी, **गैर-सरकारी संगठन,** (***) विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, जो डाटा विश्वासी की ओर से डाटा का प्रक्रमण करता है ;"

(सिफारिश संख्या: 21)

खंड 3 (18) का समावेशन: डाटा संरक्षण अधिकारी

2.34 **खंड 30 के अंतर्गत यथा उल्लिखित डाटा संरक्षण अधिकारी इस विधान के उचित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इसलिए, समिति का यह विचार है कि खंड 30 के संदर्भ में खंड 3 के अंतर्गत् "डाटा संरक्षण अधिकारी" की परिभाषा को अंतर्विष्ट करने की आवश्यकता होगी। जोड़े गए नये उपखंड (18) को निम्नवत पढ़ा जाए:**

"(18) "डाटा संरक्षण अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 30 के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;"

(सिफारिश संख्या: 22)

खंड 3 (20): अपहानि

2.35 जीडीपीआर के कथन (75) के अंतर्गत निम्न जोखिमों के बारे में कहा गया व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण के परिणामस्वरूप हो सकता है

जिससे शारीरिक या मानसिक क्षति, विशेष रूप से, जहां प्रक्रमण भेदभाव को जन्म दे सकता है, पहचान की हानि, विकृति या चोरी, वित्तीय हानि या संपत्ति की हानि, या अपमान, पेशेवर गोपनीयता द्वारा संरक्षित वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता की हानि, अनामीकरण का अप्राधिकृत परिवर्तनयाकोई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक या सामाजिक हानि, जहां डाटा विषयों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकताहै या उनके वैयक्तिक डाटा पर नियंत्रण रखने से रोका जा सकता है, जहां वैयक्तिक डाटा को संसाधित किया जाता है जो नस्लीय या जातीय मूल, राजनैतिक विचारों, धार्मिक या दार्शनिक विचारों या ट्रेड यूनियन सदस्यता को प्रकट करता है और आनुवांशिक डाटा का प्रक्रमण, स्वास्थ्य से संबंधित डाटाअथवा यौन जीवन से संबंधित डाटा अथवा आपराधिक दोषसिद्धि और अपराधों से संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन होता है, अथवा सुरक्षा रक्षोपायों के बारे में वर्णन करते हैं, जहां वैयक्तिक प्रोफाइल विशेष रूप से कार्य-स्थल, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, निजी वरीयताओं या हितों, विश्वसनीयता या व्यवहार, स्थान या आवागमन से संबंधित कार्य निष्पादन का विश्लेषण या भविष्यवाणी की जाती है, जहां कमजोर नैसर्गिक व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों के वैयक्तिक डाटा को संसाधित किया जाता है अथवा जहां प्रक्रमण में बड़ी मात्रा में वैयक्तिक डाटा शामिल है और बड़ी संख्या में डाटा विषयों को प्रभावित करता है।"

2.36 **"अपहानि" की परिभाषा के व्यापक प्रभाव पर विचार करते हुये और हानि शब्द, जो कि भविष्य में बढ़ते हुए प्रौद्योगिकीय नवाचार के कारण उत्पन्न हो सकती है, की व्याख्या की अप्रतिबंधित सीमा को ध्यान में रखते हुए, समिति का यह मानना है कि "हानि" की परिभाषा को व्यापक किये जाने की आवश्यकता है ताकि मनोवैज्ञानिक छलकपट, जो व्यक्ति की स्वायत्ता को बाधित करता है, के रूप में ऐसी हानि को शामिल किया जा सके। अत: समिति खंड 3 (20) को संशोधित करना चाहती है ताकि उप-खंड (ग्यारह) मनोवैज्ञानिक छलसाधन संदर्भित को जोड़ा जा सके। समिति यह भी महसूस करती है कि भविष्य में अपहानि का पता लगाने हेतु और अधिक विचार हो सकते हैं जो कि दूसरी प्रकार की अपहानियों को शामिल करके इस उप-खंड में संशोधन करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अत: समर्थकारी उप-खंड (बारह) भी शामिल किया जाए। खंड (20) में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, पुन: अंकित खंड 3 (22) के भाग के रूप में उप-खंड (ग्यारह) और (बारह) जोड़े जाएं जो कि <u>इस प्रकार हैं :</u>**

" (xi) मनोवैज्ञानिक छलसाधन जो व्यक्ति की स्वायत्तता का ह्रास करती हो ; या

(xii) ऐसी अन्य अपहानि जो विहित की जाए ।"

(सिफारिश संख्या: 23)

खंड 3 (23) में आशोधन

2.37 समिति पाती है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संदर्भ में उप-खंड 3(23) 'लिखित रूप में' और इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार को परिभाषित करता है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि लिखित में 'सूचना' भी शामिल होनी चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किसी विशिष्ट खंड का उल्लेख करने के बावजूद, इस उप-खंड को इलेक्ट्रॉनिक रूप को परिभाषित करने के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सटीक शब्दों का भी उपयोग करना चाहिए। संशोधन के उपरांत खंड 3(23) को 3 (26) के रूप में पुन: क्रमबद्ध किया जाए जो निम्नवत पठित है:-

"(26) "लिखित में" के अन्तर्गत मीडिया, मैगनेटिक, आप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच या वैसी डिवाइस (***) में जनित की गई, भेजी गई, प्राप्त की गई या भंडार की गई इलैक्ट्रानिक प्ररूप (***) में कोई संसूचना या जानकारी भी हैं ;"

(सिफारिश संख्या: 24)

खंड 3(28) और 3(29) का समावेशन

2.38 समिति पाती है कि 'गैर-वैयक्तिक डाटा' और 'गैर-वैयक्तिक डाटा भंग' शब्द कई बार विधेयक में आया है लेकिन उसे किसी भी स्थान पर परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि 'गैर-वैयक्तिक डाटा' शब्द को परिभाषित किया जाए और इसे उप-खंड 3 (28) के रूप में शामिल किया जाए और इसी प्रकार 'गैर-वैयक्तिक डाटा भंग' को भी परिभाषित किया जाए और उप-खंड 3 (29) में निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाए:

"(28) "गैर-वैयक्तिक डाटा" से वैयक्तिक डाटा से भिन्न डाटा अभिप्रेत है ;"

(सिफारिश संख्या: 25)

"(29) "गैर-वैयक्तिक डाटा" से गैर-वैयक्तिक डाटा का कोई अकस्मिक सहित अप्राधिकृत (***) प्रकटन, अर्जन, साझेदारी, उपयोग, परिवर्तन, उस तक पहुंच का क्षय या उसकी हानि अभिप्रेत है जिससे किसी डाटा स्वामी के गैर-वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता संकटपूर्ण हो जाती है ;"

(सिफारिश संख्या: 26)

खंड 3(44) को शामिल किया जाना

2.39 समिति ने पाया है कि "सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती" शब्द को उप-खंड 26(4) के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। समिति का मानना है कि वर्तमान में अधिकांश सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती वास्तव में इंटरनेट आधारित मध्यवर्ती के साथ-साथ प्लेटफार्मों के रूप में कार्य कर रही है जहां लोग विभिन्न 'सामाजिक अनुप्रयोगों' और वेबसाइटों के माध्यम से संवाद करते हैं। समिति यह भी महसूस करती है कि 'सोशल मीडिया मध्यवर्ती' अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। अत: समिति सिफारिश करती है कि "सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म" को 'परिभाषाओं' के तहत अध्याय एक में परिभाषित किया जाए। समिति आगे सिफारिश करती है कि इसमें उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर 'सोशल मीडिया मध्यवर्ती' शब्द को परिभाषित करने वाले खंड 26 (4) के स्पष्टीकरण का उपयोग 'सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म' पद को परिभाषित करने के लिए किया जाए और इसे खंड 3 (43) के पश्चात अंत:स्थापित किया जाए। तदनुसार, खंड 26(4) के पश्चात स्पष्टीकरण का लोप किया जा सकता है। "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म" की परिभाषा को जोडने के परिणामस्वरूप, खंड 3 के तहत सभी उप-खंडों की संख्या तदनुसार बदल जाएगी। खंड 3 (44) को निम्नवत पढ़ा जाए:

"(44) "सोशल मीडिया प्लेटफार्म" से वह प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसमें दो या उससे अधिक उपयोगकर्ताओं के मध्य प्राथमिक या पूर्णतया आनलाइन संपर्क को समर्थ बनाता है और उन्हें उसकी सेवाओं का उपयोगकरने के लिए जानकारी को सृजित करने, अपलोड करने, साझा करने, फैलाने, उपांतरित करने या उन तक पहुंच को अनुज्ञात करता है;"

(सिफारिश संख्या: 27)

खंड 4 - वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रतिषेध

2.40 विधेयक के खंड 4 का पाठ इस प्रकार है " किसी व्यक्ति द्वारा , किसी विनिर्दिष्ट, स्पष्ट और विधिपूर्ण प्रयोजन के सिवाय,किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण नहीं किया जाएगा । खण्ड 4 के संबंध में, प्राप्त सुझावों का सार यह है कि विधिक, स्पष्ट और विशिष्ट को परिभाषित नहीं किया है; इसलिए इन्हें या तो परिभाषित किया जाये, या हटाया जाये।

2.41 **यह खंड वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रतिषेध से संबंधित है लेकिन इसकी भाषा नकारात्मक अर्थ देती है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस खंड का बेहतर और प्रभावी अर्थ संप्रेषित करने के लिए शब्दों को पुन: संयोजित किया जाए और इसमें निम्नवत संशोधन किया जाए:**

"4. किसी व्यक्ति (***) द्वारा, किसी वैयक्तिक डाटा (***) का <u>प्रक्रमण</u> (***) <u>इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन होगा ।"</u>

(सिफारिश संख्या: 28)

खंड 5 - वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन पर निर्बन्धन

2.42 विधेयक का खंड 5 निम्नवत पठित है:

"5. किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण-

(क) उचित और युक्तियुक्त रीति में करेगा और डाटा स्वामी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा; और

(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहमत प्रयोजन के लिए या जो ऐसे प्रयोजन के आनुषंगिक या उससे संबद्ध हो, के लिए और जिसकी डाटा स्वामी ने युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की है कि ऐसे वैयक्तिक डाटा का उपयोग प्रयोजन और ऐसे प्रक्रम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें वैयक्तिक डाटा का संग्रहण किया गया था, के लिए करेगा।

2.43 खंड 5 वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन पर निर्बन्धन से संबंधित है और 5 (ख) इस संबंध में विभिन्न प्रयोजनों का वर्णन करता है। तथापि, समिति यह पाती है कि बिना सहमति के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के आधारों का कोई उल्लेख नहीं है। समिति के विचार में, खंड 12 के तहत वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन का उल्लेख करना अत्यावश्यक है क्योंकि केवल इस तरह के उपबंध से राज्य एजेंसियां सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उप-खंड 5 (ख) में उल्लिखित अन्य प्रयोजनों को जोड़ने के अलावा, पद "या जो धारा 12 के तहत वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन हेतु है" पद को "ऐसे प्रयोजन" शब्द के पश्चात 5 (ख) में अंत:स्थापित किया जाए। समिति का मानना है कि प्रयोजन पर निर्बन्धन को प्रयोजन के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तदनुसार, यथा संशोधित उप-खंड 5 (ख) इस प्रकार है:

"(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहमत प्रयोजन के लिए या जो ऐसे प्रयोजन के <u>उसके</u> आनुषंगिक या उससे संबद्ध हो या वह जिसके लिए धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण प्रयोजित है के लिए और जिसकी डाटा स्वामी ने युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की है कि ऐसे वैयक्तिक डाटा का उपयोग प्रयोजन और ऐसे प्रक्रम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें वैयक्तिक डाटा का संग्रहण किया गया था, के लिए करेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 29)

खंड 8 - प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की क्वालिटी

2.44 खंड 8 प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की क्वालिटी के बारे में है जो निम्नवत पठित है:

"(1) डाटा विश्वासी, ऐसे प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा कि प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा पूर्ण, यथार्थ, भ्रमित न करने वाला और अद्यतन हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करते समय डाटा विश्वासी निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा कि क्या,

(क) डाटा स्वामी के बारे में कोई विनिश्चय करने के लिए वैयक्तिक डाटा के उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ख) वैयक्तिक डाटा के अन्य डाटा विश्वासियों या प्रक्रमणकर्ताओं सहित अन्य व्यष्टियों या इकाईयों को प्रकट करने की संभावना है;

(ग) वैयक्तिक डाटा ऐसे प्ररूप में रखा गया है जो रायों या वैयक्तिक निर्धारणों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से तथ्यों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से सुभिन्न है।

(3) जहां वैयक्तिक डाटा का प्रकटन अन्य डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता सहित किसी अन्य व्यष्टि या इकाई को किया जाता है और डाटा विश्वासी का यह निष्कर्ष है कि ऐसे डाटा में उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, वहां डाटा विश्वासी, इस तथ्य के ऐसे व्यष्टि या इकाई को अधिसूचित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा।"

2.45 खंड 8 पर हितधारकों से प्राप्त ज्ञापनों का सार निम्नानुसार है:

(i) डाटा विश्वासी पर डाटा की यथार्थता सुनिश्चित करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

(ii) डाटा विश्वासी ऐसे प्रयोजन का ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा कि प्रक्रमित वैयक्तिक डाटा पूर्ण, यथार्थ, भ्रमित न करने वाला और अद्यतन है।

(iii) खंड 8 के तहत इसको हटाया जाना चाहिए क्योंकि संशोधन और मिटाने का अधिकार डाटा स्वामी को पहले ही दिया गया है।

(iv) यह अपेक्षा युक्तियुक्त प्रयासों तक सीमित होनी चाहिए, आवश्यक प्रयासों तक नहीं।

2.46 **समिति यह मानती है कि खंड 8 एक सुरक्षात्मक खंड है जो वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के अधिदेश को परिभाषित करता है खंड की जांच करने पर समिति यह महसूस करती है कि डाटा विश्वासी को उप- खंड (1) के किसी गैर-अनुपालन को अधिसूचित करने हेतु युक्तिसंगत कदम उठाने के लिए स्वेच्छा से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देने की बजाए, डाटा विश्वासी पर उसे आवश्यक तौर पर अधिसूचित किए जाने की भी बाध्यता होनी चाहिए।**

2.47 समिति यह भी पाती है कि खंड 8 (3) में उन शर्तों का उल्लेख है कि जब डाटा विश्वासी को सूचित करना होता है यदि ऐसे डाटा उप-खंड (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं। समिति के विचार में, ऐसी स्थिति का धारा 12 के उपबंधों के साथ तालमेल नहीं हो सकता है और इस प्रकार वैयक्तिक डाटा को संसाधित करने वाली सरकारी एजेंसियों के सुचारू संचालन में बाधाएं पैदा कर सकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकारी एजेंसियों के कार्यकरण से समझौता न किया जाए, खंड 8 (3) की भाषा में उपयुक्त संशोधन किया जाए और उप खंड 8 (3) में एक परंतुक जोड़ा जाए। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि "युक्तियुक्त उपाए" वाक्यांश का उप-खंड (3) से लोप किया जाए। संशोधित खंड 8 (3) अब निम्नवत पठित है:

"(3) जहां वैयक्तिक डाटा का प्रकटन अन्य डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता सहित किसी अन्य व्यष्टि या इकाई को किया जाता है और डाटा विश्वासी का यह निष्कर्ष है कि ऐसे डाटा में उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, वहां डाटा विश्वासी, इस तथ्य के ऐसे व्यष्टि या इकाई को अधिसूचित (***) करेगा ।

<u>परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां नहीं लागू होंगे जहां ऐसी सूचना धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाली हो ।</u>"

(सिफारिश संख्या: 30)

2.48 इसके अलावा, समिति यह भी महसूस करती है कि विशेष रूप से सेवाओं के रूप में विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के मध्य डाटा के निर्बाध साझाकरण, अंतरण या पारेषण को रोकने के लिए, उपरोक्त परंतुक के साथ एक उपयुक्त प्रावधान को खंड 8(4) के रूप में जोड़ा जाए। इसे निम्नवत रूप में प्रारूपित किया जा सकता है:

"<u>(4) कोई डाटा विश्वासी, उस रीति में किसी कारबार संव्यवहार के भाग रूप में किसी व्यक्ति को वैयक्तिक डाटा साझा, अन्तरण या पारेषित कर सकेगा, जो विहित किया जाए ।</u>

<u>परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां नही लागू होंगे जहां वैयक्तिक डाटा को साझा करना, अंतरण या पारेषण करना धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव डालती हो ।</u>"

(सिफारिश संख्या: 31)

खंड 9 - वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बन्धन

2.49 खंड 9 में आवश्यकता से इतर वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण, पर निर्बन्धन का उल्लेख है और यह निम्नवत पठित है:

"(1) डाटा विश्वासी, उस प्रयोजन, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया जाना है, को पूरा करने की आवश्यक अवधि के पश्चात् किसी वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण नहीं करेगा और प्रक्रमण के अंत में वैयक्तिक डाटा को हटा देगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी वैयक्तिक डाटा का लंबी अवधि के लिए प्रतिधारण किया जा सकेगा, यदि डाटा स्वामी द्वारा इसकी स्पष्ट सहमति दी गई हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी दायित्व के पालन के लिए आवश्यक हो।

(3) डाटा विश्वासी यह अवधारित करने के लिए आवधिक समीक्षा करेगा कि क्या उसके कब्जे में रखे गए वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण आवश्यक है।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण किया जाना आवश्यक नहीं है वहां ऐसे वैयक्तिक डाटा को ऐसी रीति से हटा दिया जाएगा जो विहित की जाए।"

2.50 **खंड 9 (1) में विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि डाटा विश्वासी, उस प्रयोजन, जिसके लिए उसका डाटा प्रक्रमण किया जाता है, को पूरा करने की आवश्यक अवधि के पश्चात् किसी वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण नहीं करेगा और प्रक्रमण के अंत में वैयक्तिक डाटा को हटा देगा। ऐसा उपबंध बहुत प्रतिबंधात्मक है और विभिन्न कल्याणकारी प्रयोजनों हेतु एकत्र किए गए डाटा का प्रक्रमण करने वाली एजेंसियों के कार्यकरण में कई बार एक बड़ी बाधा खड़ी कर सकता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि खंड 9 (1) में 'प्रक्रमण' शब्द का लोप कर दिया जाए और इसे 'ऐसी अवधि' के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। खंड 9 (1) को निम्नवत पढ़ा जाए:**

"9. (1) डाटा विश्वासी, उस प्रयोजन को, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया जाता है, पूरा करने की आवश्यक अवधि के पश्चात् किसी वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण नहीं करेगा और (***) <u>ऐसे अवधि</u> के अंत में वैयक्तिक डाटा को हटा देगा ।"

(सिफारिश संख्या: 32)

खंड 11 - वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति का आवश्यक होना

2.51 खंड 11 वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति की आवश्यकता से संबंधित है जिसका पाठ इस प्रकार है :-

"11.(1) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, डाटा स्वामी दवारा उसके प्रक्रमण के प्रारभ पर दी गई सहमति के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) डाटा स्वामी की सहमति तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक ऐसी सहमति,-

(क) इस बात को ध्यान में रखते हए कि क्या यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक के अनुपालन में, स्वतंत्र सहमति न हो;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हए कि क्या डाटा स्वामी को धारा 7 के अधीन अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाई गई है, अवगत की गई न हो ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या डाटा स्वामी प्रक्रमण के प्रयोजन के संबंध में सहमति की व्याप्ति का अवधारण कर सकता है, विनिर्दिष्ट सहमति न हो ;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या उसे ऐसी प्रतिज्ञान कार्रवाई के माध्यम से, जो दिए गए संदर्भ में अर्थपूर्ण है, उपदर्शित किया गया है, स्पष्ट सहमति न हो ; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसी वापसी की सुविधा ऐसी सुविधा के सदृश है जिसके संबंध में सहमति दी गई, वापस लिए जाने योग्य न हो।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध में डाटा स्वामी की सहमति-

(क) उसे प्रक्रमण का प्रयोजन या उसकी ऐसी संक्रिया के बारे में, जिससे डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना है, सूचित करने के पश्चात् ;

(ख) किसी संदर्भ में कार्य संचालन से निकाले गए निष्कर्ष का अवलंब लिए बिना स्पष्ट निर्बन्धनों में; और

(ग) उसे, प्रक्रमण के लिए सुसंगत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के विभिन्न प्रवर्गों के प्रयोजनों. उनकी संक्रियाओं और उपयोग के लिए सहमति देने का पृथक रूप से चुनाव करने के पश्चात. सुस्पष्ट रूप से अभिप्राप्त की जाएगी।

(4) किसी माल या सेवाओं या उनकी क्वालिटी के या किसी संविदा के पालन के या किसी विधिक अधिकार या दावे के उपभोग के उपबंध को, ऐसे किसी वैयक्तिक डाटा के, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, प्रक्रमण के लिए सहमति पर, सशर्त नहीं होगा।

(5) इस सबूत का भार कि इस धारा के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति डाटा स्वामी द्वारा दी गई है, डाटा विश्वासी पर होगा।

(6) जहां डाटा स्वामी किसी विधिमान्य कारण के बिना किसी वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति वापस ले लेता है वहां ऐसी वापसी को प्रभावी बनाने के लिए सभी विधिक परिणाम ऐसे डाटा स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे।"

2.52 हितधारकों की ओर से खंड में शोधन के अनुग्रह के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत् है:

(एक) नियोजन के प्रयोजनार्थ सहमति लिए बिना ही संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(दो) सहमति मात्र पर विश्वास करने के बजाए डाटा स्वामी को नोटिस और बाहर आने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।

(तीन) सहमति वापस लेना बल्कि इसके परे भी अनुमति दी जा सकती है। केवल "वैध कारणों" तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

(चार) जब कभी भी प्रक्रमण पद्धतियों और प्रयोजनों जिनके लिए ऐसी सहमति ली गई थी, में परिवर्तन होता है तो विधेयक में स्पष्टता निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

2.53 इस संबंध में न्यायमूर्ति बी.एन.श्री कृष्णा समिति की रिपोर्ट में निम्नवत कहा गया है:

"इस संबंध में सहमति भी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या यह सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से संगत प्रक्रमण के लिए समझौते को सप्रेषित करता है कि किसी दिए गए

संदर्भ में सार्थक है । इस प्रकार, सहमति प्राप्त करने के लिए चुप्पी और पहले से टिक किए गए चैकबाक्स गैर कानूनी तरीके होंगे। हालंकि, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ उदाहरणों में सहमति निहित नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब किसी संगम के सदस्यता प्रपत्र में नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, व्यावसायिक पदनाम और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण के लिए अनुरोध किया जाता है तो इस प्रकार के विवरण दर्ज करने की सकारात्मक कार्रवाई की सहमति की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सकती है। यह उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिस आधार पर प्रपत्र संग्रहित किया गया है जिसमे यह भी शामिल है कि क्या यह प्रपत्र इस डाटा को प्रक्रमण करने के उद्देश्यों की व्याख्या करता है। यहां इस प्रकार के प्रक्रमण के लिए उनके समझौते की कोई स्पष्ट लिखित अभिव्यक्ति अलग से दिए जाने की आवश्यकता है।"

2.54 **समिति यह पाती है कि खंड 11(3)(ख) की भाषा काफी अस्पष्ट है और इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि उप- खंड की भाषा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि डाटा स्वामी की सहमति और संदर्भ सुस्पष्ट कार्य संचालन से विनिर्दिष्ट करके कानूनी परिवंचना के बिना और किसी भी प्रकार के निहित निष्कर्षों के बिना प्राप्त करनी होगी। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि खंड 11(3)(ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:**

"(ख) किसी आचरण (***) <u>या</u> से संदर्भ में कार्य संचालन <u>में से निकाले गए</u> निष्कर्ष का अवलंब लिए बिना स्पष्ट निर्बन्धनों में ; और"

(सिफारिश संख्या: 33)

2.55 **इसके अतिरिक्त, समिति यह भी सिफारिश करती है कि खंड 11(4) के अंतर्गत उपबंधों के दायरे का विस्तार विकल्प चुनने के आधार पर इन्कार किए जाने को भी शामिल करने हेतु किया जाएगा। अत: खंड 11(4) में उपयुक्त रूप से निम्नवत आशोधन किया जाए :**

"(4) किसी माल या सेवाओं या उनकी क्वालिटी के या किसी संविदा के पालन या किसी विधिक अधिकार या दावे के उपभोग का उपबंध,—

(i) ऐसे किसी वैयक्तिक डाटा के, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, प्रक्रमण के लिए सहमति पर, सशर्त नहीं होगा ; <u>और</u>

(ii) विकल्प के प्रयोग पर आधारित नहीं होगा ।"

(सिफारिश संख्या: 34)

2.56 **इसके अतिरिक्त, समिति यह पाती है कि खंड 11(6) में विधिक शब्द तब आवश्यक नही है, जब उक्त उपबंध का उद्देश्य, डाटा स्वामी द्वारा किसी विधिमान्य कारण के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति वापस लेने पर जवाबदेही सुनिश्चित करना हो। इसलिए, समिति खंड 11(6) से "विधिक" शब्द के लोप की सिफारिश करती है। इस प्रकार, 'इस प्रकार वापस लेने का प्रभाव', शब्द अनावश्यक हैं और उनका लोप करने के पश्चात एक शब्द 'उसके', 'परिणाम' से पहले जोड़ा जाना चाहिए। खंड 11 के उप-खंड (6) को निम्नवत पढ़ा जाए:**

"(6) जहां डाटा स्वामी किसी विधिमान्य कारण (***) के बिना किसी वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति वापस ले लेता है वहां (***) उसके परिणाम ऐसे डाटा स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे ।"

(सिफारिश संख्या: 35)

खंड 13 - नियोजन, आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आवश्यक होना।

2.57 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 13 नियोजन, आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित है। खंड का पाठ इस प्रकार है :-

"13. (1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील डाटा नहीं है, प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण–

(क) डाटा विश्वासी द्वारा किसी डाटा स्वामी की भर्ती या उसके नियोजन के पर्यवसान के लिए आवश्यक है ;

(ख) ऐसे डाटा स्वामी को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कोई सेवा या उसके द्वारा ईप्सित फायदा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है ;

(ग) ऐसे डाटा स्वामी की उपस्थिति को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, सत्यापित करने के लिए आवश्यक है ; या

(घ) ऐसे डाटा स्वामी के, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कार्यपालन के निर्धारण से संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है ।

(2) किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील वैयक्तिक डाटा नहीं है, उक्त उप-धारा (1) के अधीन प्रक्रमण किया जा सकेगा, जहां डाटा विश्वासी और डाटा स्वामी के बीच के नियोजन संबंध को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की सहमति समुचित नहीं है या उसमें उस उप-धारा के अधीन प्रक्रमण की प्रकृति के कारण डाटा विश्वासी की ओर से कोई अननुपातिक प्रयास अंतर्वलित होगा।

2.58 उपर्युक्त खंड के संबंध में विभिन्न हितधारकों ने समिति को अपने सुझाव प्रस्तुत किए। खंड 13 के संबंध में हितधारकों से प्राप्त ज्ञापन का एक सार निम्नवत् है:

एक. इस अपवाद का विस्तार संवेदनशील वैयक्तिक डाटा तक भी होना चाहिए।

दो. नियोजन संबंध को स्पष्ट रुप से विधेयक के तहत परिभाषित किया जाना चाहिए या सुसंगत विधि का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

तीन. नियोजन से संबंधित अनुषांगिक कोई अन्य क्रिया-कलाप इस छूट के दायरे में शामिल की जानी चाहिए।

चार. इस छूट को तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह आवश्यक संतुलित और डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त पूर्वाभ्यास के योग्य हो,

पांच. कर्मचारी के अर्थ में ठेकेदार, दूसरे या एजेंसी के कर्मचारी शामिल होने चाहिए।

छह. तथापि नोटिस कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।

2.59 इस संबंध में, जीडीपीआर के अनुच्छेद 88 में कहा गया है:

"1. सदस्य राज्य; विधि द्वारा या सामूहिक संविदा के माध्यम से नियोजन के संदर्भ में; विशेषकर भर्ती संविदा नियोजन कार्य-निष्पादन में कर्मचारियों के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण संबंधित अधिकारों एवं स्वतंत्रता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक

विशिष्ट नियम बना सकते हैं जिसमें विधि या सामूहिक संविदा द्वारा निर्धारित बाध्यताओं का निर्वहन, प्रबंधन, आयोजना और कार्य संगठन; कार्य स्थल पर साम्यता तथा विधिवता; कार्य संबंधी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा; नियोजकों तथा उपभोक्ताओं की संपत्ति का संरक्षक; व्यायाम तथा मनोरंजन के प्रयोजनार्थ और वैयक्तिक या सामूहिक आधार नियोजन से संबंधित अधिकार एवं लाभ और नियोजन स्कंध को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ भी शामिल हैं।

2. उन नियमों में डाटा स्वामी की मानवीय गरिमा, वैध हितों और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त और विशिष्ट उपाय शामिल होंगे, विशेष रूप से कार्य स्थलों पर संयुक्त आर्थिक क्रियाकलापों और निगरानी प्रणालियों में लगे उपक्रमों के समूह या उद्यमों के समूह के भीतर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण और स्थानांतरण की पारदर्शिता के संबंध में।"

2.60 आगे न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है,"समिति का विचार है कि इस आधार का निम्नलिखित स्थितियों तक विस्तार किया जाना चाहिए: (i) किसी डाटा स्वामी की भर्ती या रोजगार की समाप्ति; (ii) किसी कर्मचारी को सेवा या मांगे गए लाभ का प्रावधान; (iii) किसी कर्मचारी की उपस्थिति की पुष्टि करना; या (iv) किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित कोई अन्य क्रियाकलाप। इस आधार को केवल वहीं लागू किया जाना चाहिए जहां इसमें डाटा स्वामी की वैध सहमति प्राप्त करने के लिए नियोक्ता की ओर से असंगत या अनुचित प्रयास शामिल है, या जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के बीच संबंधों की अनोखी प्रकृति के कारण सहमति की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। इस आधार का उपयोग तब किया जा सकता है जब नियोक्ता द्वारा किए जाने वाली प्रक्रमण गतिविधि का प्रकार किसी अन्य आधार के अन्तर्गत नहीं आता है।"

2.61 **समिति ने पाया कि नियोक्ता को नौकरी के प्रयोजन हेतु कर्मचारी की सहमति के बिना उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। समिति का मानना है कि कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का संबंध बहुत संवेदनशील होता है और इसके साथ अत्यंत सावधानी के साथ निपटा जाना चाहिए ताकि दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान न हो। जैसा कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के सभी डाटा को एकत्र करता है और उनके बीच एक विश्वास का संबंध होता है, समिति का विचार है कि**

इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के डाटा के प्रक्रमण और इसके उपयोग/दुरुपयोग में संतुलन होना चाहिए। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए कि उसके वैयक्तिक डाटा का अनुचित उद्देश्यों के लिए प्रक्रमण नहीं किया जा रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि प्रक्रमण हो सकता है यदि ऐसा प्रक्रमण आवश्यक हो या उसे डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाए । इसलिए, समिति "आवश्यक" शब्द के बाद एक वाक्यांश जोड़ने की सिफारिश करती है "या उसे डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाए ।" इसके प्रारूप में बदलाव के बाद, संशोधित खण्ड 13 (1) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"13. (1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) <u>में अन्तर्विष्ट उपबंधों</u> के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील डाटा नहीं है, प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण आवश्यक है <u>या वैयक्तिक डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त अपेक्षा कर सकेगा</u>—"

(सिफारिश संख्या: 36)

खंड 14 - अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण

2.62 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 14 अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण का प्रावधान करता है और खंड का पाठ निम्न प्रकार है :

"14(1) धारा 12 और धारा 13 के अधीन निर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 11 के अधीन सहमति अभिप्राप्त किए बिना किया जा सकेगा यदि ऐसा प्रक्रमण निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् ऐसे युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक है,–

(क) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में डाटा विश्वासी का हित ;

(ख) क्या डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी की सहमति अभिप्राप्त करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है ;

(ग) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में कोई लोक हित ;

(घ) डाटा स्वामी के अधिकारों पर प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का प्रभाव ; और

(ङ) प्रक्रमण के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की युक्तियुक्त प्रत्याशाएं।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "युक्तियुक्त प्रयोजन" पद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा–

(क) कपट सहित किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का निवारण करना और उसका पता लगाना ;

(ख) सूचना प्रदान करना ;

(ग) विलयन और अर्जन ;

(घ) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा ;

(ङ) प्रत्यय गुणांकन ;

(च) ऋण की वसूली ;

(छ) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ज) तलाशी संबंधी साधनों की संक्रियाएं ।

(3) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजन विनिर्दिष्ट करता है, वहां वह–

(क) विनियमों द्वारा ऐसे रक्षोपायों को अधिकथित करेगा, जो डाटा स्वामियों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित हो; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या ऐसा उपबंध सुसंगत युक्तियुक्त प्रयोजन से सारतः प्रतिकूल होगा, यह अवधारित करेगा कि धारा 7 के अधीन सूचना का उपबंध कहां लागू होगा या कहां लागू नहीं होगा।

2.63 खंड 14 के सम्बन्ध में पणधारियो से प्राप्त सुझावों का सारांश निम्नलिखित है:-

(i) संविदा संबंधी आवश्यकता को व्यक्तिगत डाटा के गैर-सहमत प्रक्रमण के लिए एक वैध आधार माना जाना चाहिए।

(ii) डाटा विश्वासी को प्रयोजनों की तर्कसंगतता का निर्धारण करने की अनुमति होनी चाहिये, इसे डीपीए द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं होना चाहिये।

(iii) 'प्रत्यय गुणांकन', 'ऋण वसूली', और 'तलाशी संबंधी साधनों की संक्रियाएं को तर्कसंगत प्रयोजनों के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए।

(iv) युक्तियुक्त प्रयोजनों संबंधी अपवाद से संबंधित मुद्दों को इस खंड में व्यापक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

(v) डाटा विश्वासी द्वारा निर्धारित आपवादिक विधि संगत हित को शामिल किया जाना चाहिए।

(vi) अपवाद समानुपातिक होना चाहिए और डाटा स्वामी के विधि संगत हितों से जुड़ा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीपीए द्वारा अतिरिक्त तर्कसंगत प्रयोजनों का निर्धारण उसके डाटा स्वामी के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

2.64 समिति ने खंड 14 की जांच करने के लिए 25 और 27 नवम्बर, 2020 के मध्य पांच बैठकें कीं। समिति ने यह महसूस किया है कि खंड के आशय को स्पष्ट रूप से बताने के लिए इसके संविन्यास में कतिपय स्पष्टता की आवशयकता है।

2.65 **समिति ने यह पाया है कि पहले से ही इस क्षेत्र से संबंधित बहुत से कानून मौजूद हैं और इस विशेष प्रावधान से पहले से ही लागू विभिन्न विधान प्रभावित न हों। समिति ने नोट किया कि धारा 12 और धारा 13 के समान धारा 14 भी धारा 11 का अपवाद है। समिति का मानना है कि धारा के उद्देश्य को अधिनियम के अनुरूप बनाए रखने और अन्य कानूनों के संबंध में अधिनियम की शक्तियों को कम न करने के लिए इस खंड को धारा 12 और 13 के समान शब्दों में लिखा जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि "धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर "धारा 12 और धारा 13 के अधीन निर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त" वाक्यांश का प्रयोग किया जाए और खंड 14 के उप-खंड (1) में "धारा 11 के अधीन सहमति अभिप्राप्त किए बिना" शब्दों का लोप किया जाए। समिति का मत है कि तर्कसंगतता और वैधता का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसे इस खंड के अंतर्गत परिलक्षित किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि खंड 14 के अंतर्गत डाटा स्वामी की सहमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधि संगतता के सिद्धांत डाटा विश्वासी की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और कानून को किसी भी प्रकार से कम प्रभावी बनाने के प्रयास को हतोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए, समिति ने खंड 14(1) के अंतर्गत**

उल्लिखित तर्कसंगतता सिद्धांत पर बल देकर और डाटा विश्वासी के विधि संगत हितों पर नियंत्रण रखते हुए खंड 14(1)(क) में "हित" शब्द से पहले "विधि संगत" शब्द जोड़ने की सिफारिश की। इस प्रकार, समिति महसूस करती है कि डाटा के प्रक्रमण हेतु डाटा विश्वासी की आवश्यकताओं के साथ-साथ डाटा स्वामी की सहमति प्राप्त करने के मध्य संतुलन बनाने के लिए खंड 14 (1) (ख) में 'और यह व्यवहार्य हो' और खंड 14 (1) (ग) में "किसी प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा" को अंत:स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, समिति का मानना है कि विलयन और अर्जन के साथ-साथ खंड 14 (2) (ग) के अंतर्गत 'प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों के साथ कोई भी अन्य समान संयोजन या निगमित पुनर्संयोजन संव्यवहारों के अनुरूप' को शामिल किया जाए चूंकि इसके अपवर्जन से खंड का दायरा कम हो रहा है। सभी परिवर्तनों का समावेश करने के पश्चात, संशोधित खंड 14 (1) और 14 (2) (ग) का पाठ निम्नवत है:-

"14. (1) (***) <u>धारा 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी</u> वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण (***) किया जा सकेगा यदि ऐसा प्रक्रमण निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् ऐसे (***) युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक है,—

(क) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में डाटा विश्वासी का <u>विधिसम्मत</u> हित ;

(ख) क्या डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी की सहमति अभिप्राप्त करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है <u>और यह व्यवहार्य है</u>;

(ग) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में कोई लोक हित;

(घ) डाटा स्वामी के अधिकारों पर प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का <u>किसी प्रतिकूल प्रभाव की डिग्री</u> ; और

प्रक्रमण के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की युक्तियुक्त प्रत्याशाएं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "युक्तियुक्त प्रयोजन" पद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा—

(क) कपट सहित किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का निवारण करना और उसका पता लगाना ;

(ख) सूचना प्रदान करना ;

(ग) <u>लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार</u> विलयन (***), अर्जन, <u>कारपोरेट प्रतिबंधित किया गया अंतरण</u> ;

(घ) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा ;

(ङ) प्रत्यय गुणांकन ;

(च) ऋण की वसूली ;

(छ) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ज) तलाशी संबंधी साधनों की संक्रियाएं ।"

(सिफारिश संख्या: 37)

खंड 16 - बालकों के वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण

2.66 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 16 – यह खंड ऐसे डाटा विश्वासी पर बाध्यता का उपबंध करता है जो बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है। खंड के महत्व को देखते हुए, समिति ने खंड 16 पर गहराई से विचार-विमर्श किया ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और बेहतर सेवाओं की उपलब्धता की गारंटी दी जा सके । विधेयक का खंड 16 निम्नलिखित है :

"16. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, किसी बालक के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण ऐसी रीति में करेगा जो बालक के अधिकारों का संरक्षण करे और जो उसके सर्वोत्तम हितों में हो।

(2) डाटा विश्वासी, बालक के किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के पूर्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आयु का सत्यापन करेगा और उसके माता या पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन बालक की आयु के सत्यापन की रीति, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी–

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा;

(ख) ऐसे वैयक्तिक डाटा का अनुपात, जिसमें उस बालक के होने की संभावना है;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से उद्भूत बालक में होने वाली अपहानि की संभावना; और

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं।

(4) प्राधिकरण विनियमों द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी को संरक्षक डाटा विश्वासी के रूप में वर्गीकृत करेगा, जो–

(क) बालकों पर निदेशित आनलाइन सेवाओं या वाणिज्यिक वेबसाइटों का संचालन करता हो ; या

(ख) बालकों के वैयक्तिक डाटा का बड़े पैमाने पर प्रक्रमण करता हो।

(5) संरक्षक डाटा विश्वासी, बालकों की प्रोफाइलिंग, पता लगाने या व्यवहार संबंधी मानीटरी या उन्हें निदेशित लक्ष्यित सूचना देने से और ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जिससे बालक को महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, कोई अन्य प्रक्रमण करने से वर्जित होगा।

(6) उपधारा (5) के उपबंध किसी बालक की काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं की प्रस्थापना करने वाले डाटा विश्वासी को ऐसे उपांतरित प्ररूप में लागू होंगे जैसा कि अधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(7) किसी बालक की अनन्य काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संरक्षक डाटा विश्वासी को उपधारा (2) के अधीन बालक के माता-पिता या संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संरक्षक डाटा विश्वासी" पद से उपधारा (4) के अधीन संरक्षक डाटा के रूप में वर्गीकृत डाटा विश्वासी अभिप्रेत है।"

2.67 खंड 16 के संबंध में पणधारकों से प्राप्त ज्ञापन का निष्कर्ष निम्नवत है:

(एक) सहमति की आयु 18 से कम की जा सकती है। या तो अमेरिकी मानक (13 वर्ष) या जीडीपीआर मानक (13-16 वर्ष) का अनुपालन किया जाए।

(दो) आयु सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह निजता के अतिरिक्त जोखिम का कारण बनता है।

(तीन) प्रोफाइलिंग, ट्रैकिंग आदि संबंधी वर्जन को हानि, महत्वपूर्ण हानि से जोड़ा जाना चाहिए और ऐसी सभी गतिविधियों को पूर्ण रूप से वर्जित नहीं किया जाए। विशेष रूप से, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इस खंड के अनुप्रयोग के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

(चार) बच्चों को प्रक्रमण से सहमति वापस लेने का अधिकार है, यहां तक कि जहां माता-पिता ने इस तरह के प्रक्रमण के लिए सहमति दी है और वयस्क होने पर डाटा के उन्मूलन की आवश्यकता होती है।

(पांच) डाटा विश्वासी की बाध्यता आयु के सत्यापन और तदनुसार प्रक्रमण तक सीमित होनी चाहिए।

2.68 अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जीडीपीआर सूचना समाज सेवाओं के संबंध में बालकों की सहमति पर लागू होने वाली शर्तों से संबंधित है, जिसके अनुसार -

"1. अनुच्छेद 6 (1) का बिंदु (क) किसी बालक को प्रत्यक्ष सूचना समुदाय संबंधी के द्वारा सेवाओं के संबंध में जहां प्रयुक्त होगा उसके अनुसार, किसी बालक के व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण तभी वैध होगा, जब बालक कम से कम 16 वर्ष का हो। जहां बालक की आयु 16 वर्ष से कम है, वहां ऐसा प्रक्रमण केवल तभी और उस सीमा तक ही वैध होगा, जब उसकी सहमति बालक के पालन की जिम्मेदारी लेने वाले के द्वारा दी गई या प्राधिकृत की गई हो।

सदस्य राज्य इन प्रयोजनों हेतु इससे कम आयु रखने के लिए कानून का उपबंध कर सकते हैं, परंतु यह कि उक्त आयु 13 वर्ष से कम न हो।

2. नियंत्रक ऐसे मामलों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए यह सत्यापित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि उसकी सहमति बालक के पालन की जिम्मेदारी लेने वाले के द्वारा दी गई या प्राधिकृत की गई हो।

3. पैरा 1 सदस्य राज्यों की सामान्य अनुबंध विधि, जैसे कि बालक के संबंध में अनुबंध की वैधता, विरचन अथवा प्रभाव संबंधी नियम, को प्रभावित नहीं करेगा, इत्यादि।"

2.69 न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि "वर्तमान में, समिति यह समझती है कि डाटा विश्वासी की दो श्रेणियां हैं, जो बालकों के व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण कर सकती हैं: पहला, मुख्य रूप से बालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं (जैसे यूट्यूब किड्स ऐप, हॉट व्हील्स, वॉल्ट डिज्नी); दूसरा, सोशल मीडिया सेवाएं (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम)। डीपीए को उन डाटा विश्वासियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी, जो व्यावसायिक वेबसाइटों या बालकों पर केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का संचालन

करते हैं, अथवा जो अभिभावक डाटा विश्वासी के रूप में बड़े स्तर पर बालकों के व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण करते हैं।"

2.70 इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट यह भी निर्धारित करती है कि बालक कौन है और इसके अनुसार, "अमेरिका में, सीओपीपीए 13 वर्ष और अधिक आयु के बालकों को सहमति देने की अनुमति देता है, जबकि यूरोपीय संघ के जीडीपीआर का अनुच्छेद 8 इसकी सीमा के रूप में 16 वर्ष की आयु अधिदेशित करता है, तथापि यह राज्यों को सहमति की आयु को घटाकर 13 वर्ष तक करने की स्वतंत्रता भी देता है। साथ ही, सीआरसी अनुच्छेद एक के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक परिभाषित करता है। यही अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भारत में सभी के लिए विधिमान्य रूप से संविदा करने की आयु भी है। सहमति के लिए आयु निर्धारण करने के संबंध में सैद्धांतिक विचारण स्पष्ट हैं -साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए किसी प्रकार के घात से बालकों का संरक्षण करना कि वे स्वेच्छा से अपने विकास में सहभागी हो सकते हैं।"

कट-ऑफ आयु निर्धारित करने के लिए, विकल्प को निम्नलिखित कारकों का संतुलन होना चाहिए:

(एक) सैद्धांतिक विचारण;

(दो) अधिकतम आयु 18 वर्ष और न्यूनतम आयु 13 वर्ष (अधिकांश प्रकार के कामजातों और तुलनात्मक अधिकार क्षेत्रों में सही संगत आयु सीमा मानी जाती है);

(तीन) व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एकल सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता।

वर्तमान में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविदा अधिनियम में व्यस्क की उम्र 18 वर्ष है और डाटा साझा करने के लिए सहमति का प्रावधान अक्सर संविदा के लिए सहमति के साथ जुड़ा हुआ है, 18 वर्ष की आयु की सिफारिश की गई है जिससे कम आयु को इस कानून के प्रयोजन के लिए एक बालक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमे जानकारी है कि बालक के पूर्ण, स्वतंत्र विकास के दृष्टिकोण से, 18 वर्ष की आयु बहुत अधिक लग सकती है। हालांकि, मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ अनुरूपता इस विरचना की मांग करती है। क्या संविदा हेतु सहमति के लिए आयु को कम किया जाना था के समान एक संशोधन यहां भी प्रभावी हो सकता है।"

2.71 इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा समिति ने सिफारिश की," अठारह वर्ष से कम आयु के डाटा स्वामी को एक बालक माना जाएगा। डाटा विश्वासियों की यह सामान्य बाध्यता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रमण बालक के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा, बालकों को महत्वपूर्ण हानि पहुंचाने में सक्षम डाटा विश्वासियों को संरक्षक डाटा विश्वासी के रूप में पहचाना जाएगा। सभी डाटा विश्वासी (संरक्षक डाटा विश्वासी सहित) उपयुक्त आयु सत्यापन तंत्र को अपनाएंगे और माता-पिता की सहमति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, विशेष रूप संरक्षक डाटा विश्वासियों के कुछ व्यवहारों पर रोक लगाई जाएगी। संरक्षक डाटा विश्वासी जो विशेष रूप से परामर्श सेवाएं या ऐसी ही अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं को माता-पिता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"

2.72 आगे की चर्चा के दौरान, 3 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में समिति ने पाया, "18 वर्ष से कम आयु के मामले में, कोई भी डाटा विश्वासी जो बालकों के डाटा के संबंध में काम कर रहा है को उस बालक को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए और डाटा को सुरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे सोच सकते हैं कि वे बड़े हो गए हैं लेकिन वे वास्तव में बालक हैं।

2.73 **समिति नोट करती है कि अध्याय 16 का शीर्षक और उप-शीर्षक "वैयक्तिक डाटा और बालकों का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" है। हालांकि, पूरे अध्याय-IV में संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, समिति ने अध्याय के शीर्षक और उप-शीर्षक से "संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" अभिव्यक्ति के उपयोग को हटाने की सिफारिश की।**

2.74 **समिति उप-खंड 16 (1) के अन्तर्गत वाक्यांश का उपयोग करने पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और पाती है कि "सम्पूर्ण विधेयक डाटा स्वामी के अधिकारों के बारे में है और ऐसे विशेषक वाक्यांश प्रावधान के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं और डाटा विश्वासी को हेर-फेर से बचने का रास्ता प्रदान करता है।" इसलिए, समिति ने उप-खंड 16 (1) से "और बालक के सर्वोत्तम हित में है" वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की क्योंकि संशोधित खंड पर्याप्त रूप से उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।**

2.75 इसके अलावा, "संरक्षक डाटा विश्वासी" की अवधारणा पर समिति का मानना है कि इस कानून के अन्तर्गत एक बालक और एक वयस्क के बीच अंतर यह है कि सहमति का अधिकार बच्चे की ओर से संरक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संरक्षक से सहमति अधिक महत्वपूर्ण और पर्याप्त होती है, जिसके लिए डाटा विश्वासी द्वारा बच्चों के वैयक्तिक डाटा को प्रक्रमणित किया जाता है। समिति के दृष्टि में संरक्षक विश्वासी का उल्लेख पूरी तरह से डाटा विश्वासी का एक नया वर्ग होगा और इस तरह के डाटा विश्वासी की एक अलग श्रेणी बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा, संरक्षक डाटा विश्वासी की अवधारणा कानून को नाकाम और कमजोर भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त समिति ने पाया कि जो संरक्षक डाटा विश्वासी नहीं हैं, उन्हें धारा 16 का अनुपालन करना होगा। यदि वे सभी धारा 16 के अनुपालनकर्ता हैं तो हम धारा 16 के भीतर कोई भी अपवर्जनकारी खंड नहीं दे सकते।" इसलिए समिति खंड 16 से 'संरक्षक डाटा विश्वासी' शब्द को हटाने और खंड 16 (4) और खंड 16 (7) का पूरी तरह से विलोप करने की सिफारिश करती है। खंड 16 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, समिति का प्रस्ताव है कि खंड 16 के अंतर्गत उपधारा 16 (5) और 16 (6) को क्रमशः 16 (4) और 16 (5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए। इस खंड में संरक्षक डाटा विश्वासी से संबंधित व्याख्या का भी विलोप किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनावश्यक है।

2.76 सभी परिवर्तनों को अंतर्विष्ट करने के पश्चात, अध्याय चार के खंड (16) को निम्नवत् संशोधित किया जाए:

" अध्याय 4

बालकों का वैयक्तिक डाटा (***)

16. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, किसी बालक के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण ऐसी रीति में करेगा जो बालक के अधिकारों का संरक्षण करे (***) ।

(2) डाटा विश्वासी, बालक के किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के पूर्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आयु का सत्यापन करेगा और उसके माता या पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बालक की आयु के सत्यापन की रीति, निम्नलिखित को ध्यान में <u>रखते हुए</u> (***) की जाएगी—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा ;

(ख) ऐसे वैयक्तिक डाटा का अनुपात, जिसमें उस बालक के होने की संभावना है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से उद्भूत बालक में होने वाली अपहानि की संभावना ; और

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं ।

(4) (***)

(4) (***) डाटा विश्वासी, बालकों की प्रोफाइलिंग, पता लगाने या व्यवहार संबंधी मानीटरी या उन्हें निदेशित लक्ष्यित सूचना देने से और ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जिससे बालक को महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, कोई अन्य प्रक्रमण करने से वर्जित होगा ।

(5) उपधारा (4) के उपबंध किसी बालक की काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं की प्रस्थापना करने वाले डाटा विश्वासी को ऐसे उपांतरित प्ररूप में लागू होंगे जैसा कि अधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(7) (***)

स्पष्टीकरण—(***)"

(सिफारिश संख्या: 38)

खंड 17 - पुष्टि और पहुंच का अधिकार

2.77 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 का खंड 17, जो पुष्टि और पहुँच के लिए डाटा विश्वासी के अधिकारों से निपटता है, को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"17. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी से–

(क) इस बात की पुष्टि अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा कि क्या डाटा विश्वासी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर रहा है या प्रक्रमण किया है;

(ख) प्रक्रमणित या डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए डाटा स्वामी का वैयक्तिक डाटा या उसका कोई संक्षिप्त विवरण अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा;

(ग) डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के संबंध में डाटा विश्वासी द्वारा किए गए प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत

ऐसे प्रक्रमण के संबंध में धारा 7 की सूचना में उपलब्ध कोई जानकारी भी है, अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी को स्पष्ट और ऐसी रीति में, जो किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए आसानी से बोधगम्य हो, उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

(3) डाटा स्वामी को, ऐसे डाटा विश्वासियों की पहचान के एक स्थान पर पहुंच बनाने का अधिकार होगा, जिनके पास किसी डाटा विश्वासी द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसका वैयक्तिक डाटा उनके साथ साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के प्रवर्गों के साथ साझा किया गया है।

2.78 खंड 17 के सम्बन्ध में हितधारकों से प्राप्त ज्ञापन का सारांश निम्नलिखित है:

i. डाटा स्वामी के अधिकारों को स्वचालित प्रक्रमण का विरोध करने के अधिकार, डिफॉल्ट द्वारा प्रक्रमण और निजता का विरोध करने या रोकने के अधिकार को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए ।

ii. अनुपालन की अवधि विधेयक में ही प्रदान की जानी चाहिए।

iii. विश्वासी की सूची प्रदान करने की आवश्यकता को डाटा विश्वासी की श्रेणियों तक सीमित किया जाना चाहिए।

iv. डाटा विश्वासियों को जिस आधार पर प्रक्रमण किया गया उसकी जानकारी देने के लिए बाध्य किये जाने के लिए भी इस अधिकार का विस्तार किया जाना चाहिए।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाटा विश्वासी द्वारा केवल उचित अनुरोधों पर ही विचार किया जाए, इस खंड के तहत कितनी बार और कितने कारणों के लिए डाटा स्वामी जानकारी मांग सकता है उसकी सीमा होनी चाहिए ।

2.79 जीडीपीआर के तहत पाठ (27) कहता है कि "यह विनियमन मृतक व्यक्तियों के डाटा पर लागू नहीं होता है। सदस्य राज्य मृत व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के प्रक्रमण के संबंध में नियम बना सकतें हैं।"

2.80 समिति ने यह पाया है कि विधेयक में एक मृत डाटा स्वामी के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि खंड 17, जो डाटा स्वामी को यह तय करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है कि उसकी मृत्यु होने पर उसके डाटा को कैसे निपटाया जाए, के तहत एक उपयुक्त प्रावधान जोड़ा जा सकता है। तदनुसार, समिति की इच्छा है कि एक अलग उप- खंड (4) होनी चाहिए, जिसे खंड 17 में जोड़ा जाएगा, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"(4) डाटा स्वामी के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे, अर्थात् :

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध में ऐसे डाटा स्वामी की मृत्यु की दशा में—

(क) उसके नामनिर्देशितियों के रूप में विधिक वारिस या विधिक प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करना ;

(ख) भूल जाने के संबंधी अधिकार का प्रयोग करना ; और

(ग) करार के निबंधनों को संयोजित करना ।"

(सिफारिश संख्या: 39)

खंड 19 - डाटा सुवाह्यता का अधिकार

2.81 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 19 डाटा स्वामी का वैयक्तिक डाटा को किसी विश्वासी को सुवाह्य करने के अधिकार से संबंधित है, जिसका पाठ निम्न प्रकार है :

"19. (1) जहां प्रक्रमण स्वचालित साधनों के माध्यम से किया गया है वहां डाटा स्वामी को–

(क) निम्नलिखित वैयक्तिक डाटा सुसंरचित, सामान्यतया प्रयोग युक्त और मशीन पठनीय प्ररूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा–

(i) डाटा विश्वासी को उपलब्ध करवाया गया वैयक्तिक डाटा ;

(ii) ऐसा डाटा जो सेवाओं के उपबंध के दौरान या डाटा विश्वासी द्वारा माल के, उपयोग द्वारा जनित हुआ है ; या

(iii) ऐसा डाटा जो डाटा स्वामी के किसी प्रोफाइल का भाग है या जिसे डाटा विश्वासी ने अन्यथा प्राप्त किया है ; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वैयक्तिक डाटा उस खंड में निर्दिष्ट प्रारूप में किसी अन्य डाटा विश्वासी को अंतरित करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां--

(क) धारा 12 के अधीन प्रक्रिया राज्य के कृत्यों के लिए यो विधि के अनुपालन में का न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है ;

(ख) उपधारा (1) में अनुरोध के अनुपालन से किसी डाटा विश्वासी के व्यापार की गुप्तता प्रकट होगी या तकनीकी रूप से साध्य नहीं होगा।

2.82 खंड 19 के संबंध में पणधारकों से प्राप्त ज्ञापन का एक विवरण इस प्रकार है:

(i) डाटा सवाहयता का अधिकार सभी डाटा तक विस्तारित होना चाहिए और स्वचालित प्रक्रमण और बड़ी संस्थाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए।

(ii) खंड.19 (2) के तहत अपवादों में राज्य के अपवादों का स्पष्टीकरण भी शामिल होना चाहिए और व्यापार रहस्यों (ट्रेड सीक्रेट) सहित आईपीआर भी शामिल होना चाहिए।

(iii) खंड 19(1)(ii) और (iii) के तहत) सुवाहयता अधिकार को अनुमानित, प्रक्रमित, व्युत्पत्र डेटा तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) "मशीन पठनीय" ('मशीन रीडेबल') का अर्थ स्पष्ट किया जाए।

(v) "व्यापार रहस्यों" ('ट्रेड सीक्रेट') का अर्थ स्पष्ट किया जाए।

2.83 डाटा सुवाहयता के संबंध में, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जीडीपीआर निम्नानुसार वर्णित है:

"1. डाटा विषय को स्वयं से संबंधित वैयक्तिक डाटा प्राप्त करने, जिसे उसने किसी नियंत्रक को, एक संरचित, सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले और मशीन-पठनीय प्रपत्र में प्रदान किया है और उस डाटा को नियंत्रक से बिना किसी बाधा के किसी अन्य नियंत्रक को संचारित करने का अधिकार होगा, जिसे वैयक्तिक डाटा प्रदान किया गया है, जहां:

प्रक्रमण अनुच्छेद 6(1) के बिंदु (क) अथवा अनुच्छेद 9 (2) के बिंदु (क) के अनुसरण में, सहमति पर अथवा अनुच्छेद 6(1) के बिंदु (ख) के अनुसरण में, अनुबंध पर आधारित हो; तथा प्रक्रमण स्वचालित साधन से हो।

2. पैरा 1 के अनुसार, डाटा सुवाह्यता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में, डाटा विषय को वैयक्तिक डाटा को सीधे एक से दूसरे नियंत्रक को प्रेषित करने का अधिकार होगा, जहां यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में संदर्भित अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 17 के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना होगा। यह अधिकार जनहित में किए जाने वाले कार्य के निष्पादन अथवा नियंत्रक में निहित शासकीय प्राधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रसंस्करण पर लागू नहीं होगा।

4. पैरा 1 में संदर्भित किए गए अधिकार दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं करेंगे।"

2.84 इसके अलावा, न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट यह बताती है "....डिजिटल अर्थव्यवस्था को निर्बाध बनाने में, डाटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार महत्वपूर्ण है । यह अधिकार डाटा स्वामियों को उनके स्वयं के उपयोगों के लिए डाटा विश्वासी के साथ संग्रहित व्यक्तिगत डाटा को संरचित, आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला और मशीन पठ्य प्रारूप में प्राप्त करने और अंतरण करने की अनुमति देता है ।" इसके द्वारा, यह डाटा स्वामियों को उनके व्यक्तिगत डाटा पर अधिक नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाता है । इसके अतिरिक्त, डाटा के मुक्त प्रवाह को एक डाटा विश्वासी से दूसरे डाटा विश्वासी में अंतरण के माध्यम से सुकर बनाया जाता है। इससे बदले में यह डाटा विश्वासियों, जो कि एक ही उद्योग में लगे हुए हैं और इसलिए उनके पास उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि करने की क्षमता है के मध्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। चूंकि अधिकार सेवाओं के प्रावधान या माल के उपयोग के साथ-साथ डाटा स्वामी पर बनाए गए प्रोफाइल के दौरान, सृजित व्यक्तिगत डाटा प्राप्त करने का अधिकार भी है, यह संभव है कि इस तरह की जानकारी तक पहुंच डाटा स्वामी के व्यवसाय से सम्बन्धी गुप्तता को प्रकट कर सकता है । उस हद तक प्रासंगिक गुप्तता को उजागर किये बिना, इस तरह का डाटा या प्रोफाइल प्रदान करना संभव है और इसके बावजूद अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए। हालांकि, यदि बिना गुप्तता को उजागर किए

बिना कतिपय जानकारी प्रदान करना असंभव है वैसी स्थिति में अनुरोध को अस्वीकार किया जाए।"

2.85 समिति ने यह पाया कि खंड 19 (2) (ख) गैर-व्यवहार्यता या व्यापार गुप्तता की आड़ में डाटा सुवाह्यता प्रदान किए जाने को अस्वीकार करके अपने कार्यों को छुपाने के लिए कई डाटा विश्वासियों के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त व्यापार गुप्तता की परिभाषा इस विधेयक के अंतर्गत तैयार नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक गतिशील अवधारणा है जो कि अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग है और प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए, समिति यह समझती है कि व्यापार गुप्तता किसी के लिए डाटा पोर्टेबिलिटी को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है और डाटा को केवल तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है, जिसे इस संबंध में स्थापित विनियमों द्वारा सख्ती से निर्धारित किया जाना है। तदनुसार, खंड 19 के उप-खंड (2)(ख) को संशोधित किया जा सकता है और विधयेक के खंड 19 (2) को निम्नवत संशोधित किया जाए:

"(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) धारा 12 के अधीन प्रक्रिया राज्य के कृत्यों के लिए या विधि के अनुपालन <u>या किसी निर्णय</u> या (***) <u>किसी</u> न्यायालय, <u>न्यायिक कल्प प्राधिकरण या अधिकरण</u> के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है ;

<u>उस रीति में डाटा विश्वासी द्वारा यथा अवधारित जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,</u> उपधारा (1) में के अनुरोध का अनुपालन (***) तकनीकी रूप से साध्य नहीं होगा ।"

(सिफारिश संख्या: 40)

खंड 20- भूल जाने का अधिकार

2.86 भूल जाने का अधिकार से सम्बंधित खंड का पाठ इस प्रकार है:

"20. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा को निर्बंधित करने या उसके लगातार प्रकटन को रोकने का अधिकार होगा, जहां–

(क) ऐसे प्रकटन से वह प्रयोजन पूर्ण हो गया है जिसके लिए उसे संग्रहित

किया गया था या वह उन प्रयोजनों के लिए अब और आवश्यक नहीं है ;

(ख) ऐसा प्रकटन धारा 11 के अधीन डाटा स्वामी की सहमति से किया गया था और अब ऐसी सहमति वापस ले ली गई है ; या

(ग) ऐसा प्रकटन इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के प्रतिकूल किया गया था ।

2.87 खंड 20 के सम्बन्ध में हितधारकों से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए:

(i) प्रवर्तन उपायों सहित क्षमा किये जाने का अधिकार की प्रवृति और सीमा विधयेक में विनिर्दिष्ट होनी चाहिए ।

(ii) भूल जाने का अधिकार से संबंधित आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निजता अधिकारी के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ।

(iii) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित अन्य वैध प्रावधानों की शर्त पर, (iii) क्षमा जाने का अधिकार केवल डाटा स्वामी द्वारा साझा किये गए वैयक्तिक डाटा तक सीमित होना चाहिए । डाटा विश्वासी द्वारा अर्जित किये गए बौधिक सम्पदा अधिकारों को इस खंड की परिधि से हटा दिया जाना चाहिए ।

(iv) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सूचना के संग्रह पर ये बाध्यताएं लालू नहीं होनी चाहिए।

(v) खंड 20(3) में अनजाने में हुई एक लिपिकीय त्रुटी है अर्थात व्याक्यांश "को ध्यान में रखते हुए" के स्थान पर व्याक्यांश "को ध्यान में रखेगा" होना चाहिए ।

(vi) वैध दावों को स्थापित करने, उनका उपयोग करने या उनका बचाव करने को अपवाद स्वरुप जोड़ा जाना चाहिए ।

(vii) भाषा में अनामित या विपहचान प्रपत्र वाला डाटा का अपवाद शामिल होना चाहिए ।

2.88 इस सम्बन्ध में, न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:

"भूल जाने के अधिकार को अपनाया जा सकता है, डीपीए के न्याय निर्णयन स्कंद के साथ पाँच-बिंदुओं वाले मानदंड के आधार पर इसकी प्रयोज्यता का निर्धारण निम्नानुसार करेगा;

(i) मांग किए गए व्यक्तिगत डाटा की संवेदनशीलता को प्रतिबंधित किया जाए ;

(ii) मांग किए गए प्रकटीकरण के पैमाने या पहुंच की डिग्री को प्रतिबंधित किया जाए ;

(iii) सार्वजनिक जीवन में डाटा प्रिंसिपल की भूमिका (क्या डाटा प्रिंसिपल सार्वजनिक रूप से पहचानने योग्य है या क्या वे सार्वजनिक कार्यालय में सेवा करते हैं) ;

(iv) जनता के लिए व्यक्तिगत डाटा की प्रासंगिकता (क्या समय या परिस्थितियों में परिवर्तन ने जनता के लिए ऐसी प्रासंगिकता को परिवर्धित किया है), और

(v) प्रकटीकरण की प्रकृति और डाटा विश्वासी की गतिविधियाँ (क्या विश्वासी विश्वसनीय स्रोत है या क्या प्रकटीकरण सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है; इसके अतिरिक्त अधिकार को सुलभता को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विषय वस्तु निर्माण पर नहीं)

भूल जाने का अधिकार तब प्रयोज्य नहीं होगा जब डीपीए का न्यायनिर्णयन स्कंद, संतुलन परीक्षण करने के बाद निर्धारण करता है कि उसके व्यक्तिगत डाटा के प्रकटीकरण को सीमित करने में डाटा प्रिंसिपल की रुचि उसके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित किसी भी अन्य नागरिक की जानकारी के अधिकार पर अभिभावी नहीं होगी।"

2.89 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जीडीपीआर विलोपन के अधिकार (भूल जाने के अधिकार) से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"1. डाटा विषय को नियंत्रक से बिना किसी अनुचित देरी के स्वयं से जुड़े वैयक्तिक डाटा का विलोपन प्राप्त करने का अधिकार होगा और नियंत्रक पर बिना किसी अनुचित देरी के वैयक्तिक डेटा को मिटाने का दायित्व होगा जबकि निम्नलिखित में से एक आधार लागू होता हो:

(क) व्यक्तिगत डेटा अब उन उद्देश्यों के संबंध में आवश्यक नहीं है जिनके लिए उन्हें एकत्र किया जाता था या अन्यथा प्रक्रमित किया जाता था;

(ख) डाटा विषय अनुच्छेद 6(1) के बिंदु (क), अथवा अनुच्छेद 9(2) के बिंदु (क) के अनुसार, वह सहमति वापस लेता है जिस पर प्रक्रमण आधारित है, तथा जहां प्रक्रमण के लिए कोई अन्य वैधानिक आधार नहीं है;

(ग) अनुच्छेद 21(1) के अनुसार डाटा विषय डाटा प्रक्रमण का विरोध करे तथा प्रक्रमण के लिए अधिरोहण का कोई विधिसम्मत आधार हो, अथवा अनुच्छेद 21(2) के अनुसार, डाटा विषय प्रक्रमण का विरोध करता है;

(घ) वैयक्तिक डाटा का अवैध तरीके से प्रक्रमण किया गया हो;

(ड.) वैयक्तिक डेटा, जिसके लिए नियंत्रक विषय है, को संघ या सदस्य राज्य कानून के अंतर्गत कानूनी दायित्व के अनुपालन के लिए विलोपित किया जाना चाहिए;

(च) वैयक्तिक डाटा अनुच्छेद 8(1) के अंतर्गत, उद्भूत सोसायटी सेवाओं की जानकारी प्रदान किए जाने के संदर्भ में एकत्रित किया गया हो।

2. जहां नियंत्रक ने व्यक्तिगत डाटा को सार्वजनिक किया है और व्यक्तिगत डाटा को मिटाने के लिए पैरा 1 के अनुसार, बाध्य है, वहां नियंत्रक, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन की लागत को ध्यान में रखते हुए, उन नियंत्रकों को यह बताने के लिए जो व्यक्तिगत डेटा को प्रक्रमित कर रहे हैं कि डाटा विषय ने उस वैयक्तिक डाटा के किसी भी लिंक को या उसकी प्रतिलिपि या प्रतिकृति के ऐसे नियंत्रकों द्वारा विलोपन का अनुरोध किया है, समुचित कदम उठाएगा।

3. निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रक्रमण आवश्यक होने की स्थिति में पैरा 1 और 2 लागू नहीं होंगे:

(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए;

(ख) ऐसे कानूनी दायित्व, जिसके लिए संघ या सदस्य राज्य कानून द्वारा प्रक्रमण आवश्यक हो, नियंत्रक जिसके अधीन है या सार्वजनिक हित में

किए गए कार्य के प्रदर्शन के लिए या नियंत्रक के पास विहित आधिकारिक प्राधिकरण का प्रयोग करते हुए, के अनुपालन के लिए;

(ग) अनुच्छेद 9(2) के बिंदु (ज) और (झ) के साथ अनुच्छेद 9(3) के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावर्जनिक हित के कारणों के लिए;

(घ) उस सीमा तक जहां पैरा 1 में उद्धृत अधिकार प्रक्रमण के उद्देश्यों की उपलब्धि को असंभव बनाते हों अथवा गंभीर रूप से छति न पहुंचाने वाले हों, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार सार्वजनिक हित, वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक शोध के उद्देश्यों अथवा सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए; अथवा

(ङ) विधि दावों की स्थापना, प्रयोग अथवा रक्षा में।"

2.90 समिति नोट करती है कि खंड 20 (1) और खंड 20 (2) डाटा स्वामी को अपने व्यक्तिगत डाटा के निरंतर प्रकटन को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए अधिकार देता है। समिति के विचार में अभिव्यक्ति "प्रकटन" अकेले उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता जिसके लिए भूल जाने का अधिकार डाटा स्वामी को दिया गया है। समिति यह मानती है कि यदि इस उप- खंड के तहत परिकल्पित भूल जाने के अधिकार का तात्पर्य व्यक्तिगत डाटा के प्रकटीकरण पर रोक या अंकुश है, तो फिर इस अधिकार का उपयोग करने के बाद भी किसी के डाटा का प्रकटीकरण किए बिना उसके व्यक्तिगत डाटा को विभिन्न रूपों में प्रक्रमित किया जा सकता है। इसलिए, समिति की सिफ़ारिश है कि "प्रकटन" शब्द के साथ, इस खंड को और अधिक व्यापक और सार्थक बनाने के लिए "प्रक्रमण " शब्द भी जोड़ा जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि उप-खंड (2) के अंतर्गत उपबंध को इसका उल्लेख करते हुए और स्पष्ट किया जाए कि आंकड़ों को बनाए रखने, उपयोग करने और प्रक्रमण करने का डाटा विश्वासी का अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए नियमों और विनियमों के अनुसार हो। तदनुसार, उपखंड (1), (2), (3) और (4) में संशोधन करके, संशोधित खंड (20) के निम्न के रूप में पढ़ा जा सकता है:

20. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा को निर्बंधित करने या उसके लगातार प्रकटन <u>या प्रक्रमण करने</u> को रोकने का अधिकार होगा, जहां ऐसे प्रकटन <u>या प्रक्रमण करने</u>—

(घ) ऐसे प्रकटन से वह प्रयोजन पूर्ण हो गया है जिसके लिए उसे संग्रहित किया गया था या वह उन प्रयोजनों के लिए अब और आवश्यक नहीं है ;

(ङ) ऐसा प्रकटन धारा 11 के अधीन डाटा स्वामी की सहमति से किया गया था और अब ऐसी सहमति वापस ले ली गई है ; या

(च) ऐसा प्रकटन इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के प्रतिकूल किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकार, डाटा स्वामी द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, फाइल किए गए आवेदन पर केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश पर उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) या (***) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर प्रवृत्त किए जा सकेंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक डाटा स्वामी द्वारा यह दर्शित नहीं किया जाता कि उसके वैयक्तिक डाटा के निरंतर प्रकटन **या प्रक्रमण** को रोकने या निर्बंधित करने का उसका अधिकार या हित इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे डाटा का उपयोग और प्रक्रमण को रोकने के लिए डाटा विश्वासी के आधिकार किसी अन्य नागरिक के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या सूचना के अधिकार से अध्यारोही नहीं है **या इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे डाटा को प्रतिधारित करने उसका उपयोग करने और उसकी प्रक्रिया करने के लिए डाटा विश्वासी का अधिकार** ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन आदेश करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ख) प्रकटन **या प्रक्रमण** का मापदंड और निर्बंधित या निवारित किए जाने हेतु ईप्सित पहुंच की मात्रा ;

(ग) लोक जीवन में डाटा स्वामी की भूमिका ;

(घ) जनसाधारण के लिए वैयक्तिक डाटा की सुसंगतता ; और

(ङ) प्रकटन **या प्रक्रमण** और डाटा विश्वासी के क्रियाकलापों की प्रकृति विशिष्टतया क्या डाटा विश्वासी सुव्यवस्थित रूप से वैयक्तिक डाटा तक पहुंच को सुकर बनाता है और यदि सुसंगत प्रकृति के प्रकटनों **या प्रक्रमण** को निर्बंधित या रोका गया तो क्या क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण रूप से बाधा पहुंचेगी ।

(4) जहां किसी व्यक्ति का यह निष्कर्ष है कि ऐसा वैयक्तिक डाटा, जिसका प्रकटन **या प्रक्रमण** उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्बंधित या रोका

गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट **किसी भी** शर्तों को पूरा नहीं करता, वहां वह ऐसी रीति में जो विहित की जाए न्यायनिर्णायक अधिकारी के उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन करेगा ।"

(सिफारिश संख्या : 41)

खंड 21 - डाटा स्वामी के अधिकारों के प्रयोग के लिए सामान्य शर्तें

2.91 खंड 17 से 20 में अधिकारों के प्रयोग के लिए सामान्य शर्तों से संबंधित खंड 21 है और इसका पाठ निम्नलिखित है:

"21. (1) डाटा स्वामी, धारा 20 के अधीन अधिकार के सिवाय इस अध्याय के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी पहचान के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सहमति प्रबंधक के माध्यम से लिखित में डाटा विश्वासी को आवेदन करेगा और डाटा विश्वासी ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे आवेदन की प्राप्ति को अभिस्वीकृत करेगा।

(2) डाटा विश्वासी, उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुरोध के अनुपालन के लिए ऐसी फीस वसूल कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यह कि धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) अथवा धारा 18 में निर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में किसी अनुरोध के लिए कोई फीस अपेक्षित नहीं होगी।

(3) डाटा विश्वासी, इस अध्याय के अधीन अनुरोध का अनुपालन करेगा और ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी को उसकी संसूचना देगा।

(4) जहां डाटा विश्वासी द्वारा इस अध्याय के अधीन किया गया कोई अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाता है वहां वह, डाटा स्वामी को लिखित में ऐसी अस्वीकृति के कारण बताएगा और डाटा स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस अस्वीकृति के विरुद्ध प्राधिकारी को शिकायत फाइल करने के अधिकार के संबंध में सूचित करेगा।

(5) डाटा विश्वासी वहां इस अध्याय के अधीन किसी अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां ऐसे अनुपालन से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य डाटा स्वामी के अधिकारों को क्षति पहुंचे।"

2.92 खंड 21 के संबंध में प्राप्त हुए ज्ञापन का सार निम्नलिखित है :

i. सहमति प्रबंधकों की भूमिका एवं आवश्यकता के लिए आवश्यक स्पष्टता एवं विनियामक निगरानी।

ii. नाममात्र का शुल्क हो या न हो।

iii. इन अधिकारों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति।

2.93 समिति यह महसूस करती है कि खंड 21 का उप खंड (5) डाटा विश्वासी को डाटा स्वामी द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए मनमानी शक्तियां देता है। इस तरह के अनुरोध के किसी भी अनावश्यक अस्वीकृति को रोकने के लिए, समिति डाटा स्वामी द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने के पीछे के तर्क के निर्धारण हेतु विनियमन बनाने हेतु प्राधिकारी को सशक्त बनाने वाले खंड 21 (5) के लिए एक परंतुक के अन्तःस्थापन करने की सिफारिश करती है। तदनुसार, खंड 21 (5) के एक नए परंतुक को जोड़ा जाए और उप खंड का पाठ इस प्रकार किया जाए:

" परन्तु डाटा विश्वासी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं डाटा स्वामी द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध के अनुपालन के लिए बाध्य होगा ।"

(सिफारिश संख्या: 42)

खंड 22- डिजाइन नीति द्वारा निजता

2.94 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 डिजाइन नीति द्वारा निजता से संबंधित है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के खंड 22 (3) का पाठ निम्नलिखित है :

"(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान होने पर कि उसने उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन किया है, डिजाइन द्वारा निजता नीति को प्रमाणित करेगा।"

2.95 इस संबंध में, पणधारकों की ओर से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे:

(एक) डिजाइन द्वारा निजता प्रमाणन को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।

(दो) प्राधिकरण डिजाइन द्वारा निजता नीति के लिए समान दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

(तीन) 2018 के विधेयक में निर्धारित उपायों और नीति को कार्यान्वित करने की बाध्यता को पुन: स्थापित किया जाना चाहिए।

(चार) प्रमाणन की प्रक्रिया को विधेयक के अंतर्गत स्पष्ट किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र संपरीक्षक/प्रमाणन प्राधिकरण को भी विधेयक के अंतर्गत प्रमाणन प्रदान करने की मान्यता दी जा सकती है।

2.96 समिति की सुविचारित राय है कि प्राधिकरण या किसी अधिकारी द्वारा डिजाइन द्वारा निजता नीति का प्रमाणन एक धीमी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बाधित न करे। खंड 22 का उपखंड (3) वर्तमान रूप में अस्पष्ट है और उपखंड (2) के अनुरूप नहीं है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि डाटा विश्वासियों को एक कतिपय सीमा से कम छूट प्रदान करने के लिए विनियम बनाने हेतु प्राधिकरण को अवसर का उपबंध करने के लिए खंड 22 के उप-खंड (3) को संशोधित किया जाए। तद्नुसार खंड 22 (3) को निम्नवत रूप में संशोधित किया जाए:-

" (3) <u>उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए</u> प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान होने पर कि उसने उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन किया है, डिजाइन द्वारा निजता नीति को प्रमाणित करेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 43)

खंड 23 - वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में पारदर्शिता

2.97 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 23 स्पष्टीकरण के साथ वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में पारदर्शिता से संबंधित है, इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :

"23. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, वैयक्तिक डाटा को प्रक्रमण करने में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और निम्नलिखित सूचना ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में उपलब्ध करवाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए–

(क) साधारण रूप से संग्रहित वैयक्तिक डाटा के प्रवर्ग और ऐसे संग्रहण की रीति ;

(ख) वे प्रयोजन जिनके लिए साधारणतया वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाता है ;

(ग) आपवादिक स्थितियों में प्रक्रमणिक वैयक्तिक डाटा के कोई प्रवर्ग या प्रक्रमण करने के कोई आपवादिक प्रयोजन जिनसे महत्वपूर्ण अपहानि के जोखिम का सृजन हो ;

(घ) अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी का अस्तित्व और उसके अधिकारों के प्रयोग की प्रक्रिया तथा उसके लिए कोई संबंधित संपर्क ब्यौरे ;

(ङ) प्राधिकरण को डाटा विश्वासी के विरुद्ध शिकायत फाइल करने का डाटा स्वामी का अधिकार ;

(च) जहां लागू हो, डाटा विश्वास के हिसाब के रूप में कोई रेटिंग जो धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी को दी जा सके;

(छ) जहां लागू हो, वैयक्तिक डाटा के सीमापार ऐसे अंतरण के संबंध में सूचना जो डाटा विश्वासी साधारण रूप से करता है; और

(ज) कोई अन्य सूचना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) डाटा विश्वासी, समय-समय पर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी से संबंधित वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण करने संबंधी महत्वपूर्ण संक्रियाओं के बारे में अधिसूचित करेगा।

(3) डाटा स्वामी, सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को अपनी सहमति दे सकेगा या उसे वापस ले सकेगा।

(4) जहां डाटा स्वामी, किसी सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को सहमति देता है या उसे वापस लेता है वहां ऐसी सहमति या उसकी वापसी डाटा स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित की गई समझी जाएगी।

(5) उपधारा (3) के अधीन सहमति प्रबंधक को, ऐसी रीति से और ऐसी तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सहमति प्रबंधक" एक ऐसा डाटा विश्वासी है जो डाटा स्वामी को, सुगम्य, पारदर्शी और उत्तरव्यवहार्य मंच के माध्यम से अपनी सहमति देने, वापस लेने, पुनर्विलोकन करने और नियंत्रित करने के लिए समर्थ बनाता है।"

2.98 खंड 23 के संबंध में प्राप्त ज्ञापन का सार इस प्रकार है:

(एक) सहमति प्रबंधकों की भूमिका और अर्थ के संबंध में विधि के भीतर स्पष्टीकरण दिया जाए, चूंकि वे तकनीकी रूप से प्रक्रमणकर्ता की तरह कार्य करते हैं, यद्यपि विधि उन्हें डाटा विश्वासियों की भूमिका प्रदान करती है।

(दो) जितनी समयावधि के लिए सूचना ली जा सकती है, उसे विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

2.99 समिति ने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमकण के लिए विविध निकायों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कलन विधि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा इसके दुरुपयोग से बचने के लिए उप-खंड 23(1) में 23(1) (ज) एक उपबंध जोड़ने तथा खंड 23(1) के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए उप-खंड (ज) का पुनर्नामकरण उप-खंड (झ) के रूप में करने तथा इसे निम्न रूप में संशोधित करने की सिफारिश की:

"(ज) जहां लागू हो, वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए प्रयुक्त प्रयोग एल्गोरिदम या पद्धति की निष्पक्षता ;"

(सिफारिश संख्या : 44)

2.100 परिणामस्वरूप, मूल उप-खंड (ज) खंड (23) का उप-खंड (झ) बन जाएगा। चूंकि खंड 23 के अंतर्गत उपबंध किए गए "सहमति प्रबंधक" के स्पष्टीकरण की परिभाषाएं खंड के अंतर्गत रखे जाने के लिए हटा दिया गया है, समिति इसे खंड 23 से हटाने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश संख्या : 45)

खंड 25 - वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट

2.101 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 25, जो वैयक्तिक डाटा भंग के प्रतिवेदन से संबंधित है को निम्नवत पढा जाए।

"25. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी प्राधिकरण को सूचना द्वारा डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए किसी वैयक्तिक डाटा के भंग के बारे में संसूचित करेगा, जहां ऐसे भंग से किसी डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात् :–

(क) ऐसे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति जो भंग का विषय है ;

(ख) भंग द्वारा प्रभावित डाटा स्वामियों की संख्या ;

(ग) ऐसे भंग के संभावित परिणाम ; और

(घ) डाटा विश्वासी द्वारा भंग का उपचार करने के लिए की गई कार्रवाई।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा, भंग के पश्चात, किसी ऐसी अवधि की, जो भंग के उपचार या किसी तात्कालिक अपहानि को कम करने के लिए अपेक्षित हो, गणना करने के पश्चात् यथा संभवशीघ्र और ऐसी अवधि के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना देगा।

(4) जहां एक ही समय पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी जानकारी उपलब्ध करना संभव नहीं है वहां डाटा विश्वासी, प्राधिकरण को बिना असम्यक् विलम्ब के हिस्सों में ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा।

(5) प्राधिकरण सूचना की प्राप्ति पर यह अवधारित करेगा कि क्या डाटा विश्वासी द्वारा डाटा स्वामी को, ऐसी अपहानि की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो ऐसे डाटा स्वामी को हो सकती है, ऐसे भंग की रिपोर्ट की जानी चाहिए या क्या ऐसी अपहानि को कम करने के लिए डाटा स्वामी की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित है।

(6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी को वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट करने की अपेक्षा के अतिरिक्त, डाटा विश्वासी को यथासंभव शीघ्र

समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे उसकी वेबसाइट पर दृश्यमान रूप से प्रकाशित करने का निदेश दे सकेगा।

(7) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण भी अपनी वेबसाइट पर वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे प्रकाशित करेगा।"

2.102 खंड 25 के संबंध में प्राप्त ज्ञापन का विवरण इस प्रकार है:

i. डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा भंगं की व्यतिक्रम अधिसूचना - इस नियम की अपवाद की एक संक्षिप्त सूची बनाई जाए।

ii. भंग अधिसूचना हानि की संभावना पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

iii. भंग अधिसूचना में अनुचित देरी का दायित्व डाटा विश्वासी पर होना चाहिए।

iv. खंड 25 (3) के अन्तर्गत वैयक्तिक डाटा भंग अधिसूचना अनुचित देरी के बिना होनी चाहिए, और डीपीए द्वारा निर्दिष्ट अवधि के आधार पर नहीं होनी चाहिए।

v. भंग प्रतिवेदन अधिदेश को सीमित करने के लिए, 25 (1) में परंतुक जोड़ा जाना चाहिए, जब प्रचलित मानकों के अनुसार डेटा इन्क्रिप्ट नहीं किया गया हो।

vi. सभी भंगों को डाटा विश्वासी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए और डीपीए को डाटा विश्वासी की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए।

vii प्रतिवेदन की आवश्यकताओं को डाटा प्रक्रमणकर्ता तक विस्तार किया जाना चाहिए।

viii सभी सक्षम अधिकारियों को डाटा भंगों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

ix प्रतिवेदन डाटा भंगों हेतु समय सीमा प्रतिबंध लगाया जाए।

x यदि डीपीए निर्णय ले कि डाटा स्वामियों को अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है, तो डाटा विश्वासियों को क्षतिपूरित किया जाना चाहिए।

2.103 इस संबंध में, जीडीपीआर रिसाईटल (85), (86) और (87) के तहत कहा गया है:-

"(85) एक वैयक्तिक डाटा भंग, यदि उचित और समयबद्ध तरीके से संबोधित नहीं किया जाता है, तो उनके वैयक्तिक डाटा पर नियंत्रण की हानि या उनके अधिकारों

की सीमा, भेदभाव, पहचान की चोरी या धोखाधड़ी, वित्तीय हानि, छद्म नाम का अनधिकृत उत्क्रमण, प्रतिष्ठा को हानि, पेशेवर गोपनीयता द्वारा संरक्षित वैयक्तिक डाटा गोपनीयता की हानि या संबंधित नैसर्गिक व्यक्ति को महत्वपूर्ण आर्थिक या सामाजिक हानि जैसे नैसर्गिक व्यक्तियों को भौतिक या गैर-भौतिक क्षति में परिणाम होता है। इसलिए, जैसे ही नियंत्रक को पता चलता है कि वैयक्तिक डाटा भंग हुआ है तो नियंत्रक को बिना किसी विलंब के पर्यवेक्षी प्राधिकारी को वैयक्तिक डाटा भंग की सूचना देनी चाहिए और जहां संभव हो, इसके बारे मे पता चलने के 72 घंटे से अधिक के बाद नहीं, जब तक कि नियंत्रक जवाबदेही सिद्धांत के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम है, कि वैयक्तिक डाटा भंग नैसर्गिक व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जोखिम होने की संभावना नहीं है। जहां इस तरह की अधिसूचना 72 घंटों के भीतर प्राप्त नहीं की जा सकती है ऐसी स्थिति में अधिसूचना के साथ विलंब के कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और बिना किसी और विलंब की सूचना चरण-वार प्रदान की जानी चाहिए।"

"(86) ऐसे मामलो में जहाँ व्यक्तिगत डाटा भंग के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक नैसर्गिक व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए भारी जोखिम होने की संभावना हो, नियंत्रक को डाटा सब्जेक्ट को व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन की सूचना अनुचित देरी के बिना, देनी चाहिए, ताकि वह आवश्यक सावधानियों ले सके। सूचना में व्यक्तिगत डाटा भंग की प्रकृति के साथ ही नैसर्गिक व्यक्ति के लिए संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संबंधित सिफारिशों का वर्णन होना चाहिए। डाटा सब्जेक्ट्स को इस तरह की सूचना यथासम्भव शीघ्रता से और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के साथ निकट सहयोग में, इसके द्वारा या कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन का सम्मान करते हुए, दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, नुकसान के तत्काल जोखिम को कम करने के लिए डाटा सब्जेक्ट्स के साथ त्वरित संचार की आवश्यकता होगी जबकि सतत या समान व्यक्तिगत डाटा भंगों के खिलाफ उचित उपायों को लागू करने की आवश्यकता के कारण संचार के लिए अधिक समय लग सकता है।"

"(87) यह निर्णय तत्काल करने के लिए कि क्या व्यक्तिगत डाटा भंग हुआ है और पर्यवेक्षी प्राधिकारी और डाटा सब्जेक्ट को तुरंत सूचित करने के लिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या सभी उपयुक्त प्रौद्योगिकीय संरक्षण और संगठनात्मक

उपायों को लागू किया गया है। विशेष रूप से व्यक्तिगत डाटा भंग की प्रकृति और गम्भीरता और उसके परिणामों और डाटा सब्जेक्ट के लिए प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया जाना चाहिए कि अधिसूचना अनुचित देरी के बिना जारी की गई थी । इस तरह की अधिसूचना के परिणामस्वरूप इस विनियम में निर्धारित कार्यों और शक्तियों के अनुसार पर्यवेक्षी प्राधिकरण का हस्तक्षेप हो सकता है ।" और विवरण 88 का पाठ निम्नवत है "प्रारूप और व्यक्तिगत डाटा भंग की अधिसूचना पर लागू प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत नियमों की स्थापना में, डाटा भंग की परिस्थितियों पर उचित विचार किया जाना चाहिए, इनमे यह भी देखा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत डाटा उचित तकनीकी सुरक्षा उपायों द्वारा प्रभावी ढंग से पहचान धोखाधड़ी या दुरुपयोग के अन्य रूपों की संभावना सीमित करके संरक्षित किया गया था या नहीं । इसके अलावा, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं में कानून-प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैध हितों को ध्यान में रखना चाहिए जहां जल्दी प्रकटीकरण अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत डाटा भंग की परिस्थितियों की जांच में बाधा डाल सकता है।"

2.104 व्यक्तिगत डाटा भंग के मुद्दे पर न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में निम्नवत कहा गया है:

"जब डाटा विश्वासियों के पास भारी मात्रा में डाटा होता है, व्यक्तिगत डाटा का भंग वास्तविक संभावना बन जाता है। जिन व्यक्तियों का व्यक्तिगत डाटा भंग हुआ है उनके लिए डाटा भंग के हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। कई ऐसे उदाहरणों के बारे में डाटा स्वामियों को सूचित करना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि वे उनके हानिकारक परिणामों से स्वयं को बचाने के लिए उचित उपाय कर सकें। हालांकि, प्रतिकूल प्रचार और दायित्व से बचाने जैसे विचारों के कारण, डाटा विश्वासियों को व्यक्तियों का विश्वास तोड़ने सम्बन्धी घटनाओं की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए, किसी व्यक्ति को अधिसूचना देने से पहले अन्य क्षेत्राधिकारों में प्रचलित प्रविर्तियों को धयान में रखते हुए, उल्लंघन की एक घटना पर डीपीए की एक अधिसूचना परिकल्पित की गई है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि ऐसे वैयक्तिक डाटा भंग जो कि अधिसूचना के दायित्वों से सम्बंधित है को सामान्यतः डाटा संरक्षण कानून के उल्लंघनों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

2.105 रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि व्यक्तिगत डाटा के अपेक्षाकृत सौम्य भंगो की अधिसूचना से बचने के लिए, केवल उन्ही भंगो को सूचित किया जाएगा जिनसे डाटा स्वामी के अधिकारों को नुकसान होने की संभावना है।

2.106 इसके अतिरित रिपोर्ट में निम्नवत कहा गया है:-

> "अधिसूचना होने पर, डीपीए के पास भंग करने की गंभीरता को निर्धारित करने की शक्ति होगी और यदि प्रासंगिक है तो जिन व्यक्तियों का डाटा भंग किया गया है उनको किस प्रकार सूचित करना है इसकी शक्ति भी होगी। ऐसे मामलों से सम्बंधित व्यक्तियों को भंग के सम्बन्ध में सूचित किया जाना चाहिए जहां इस तरह के भंग से न केवल डाटा स्वामियों को नुकसान होता है बल्कि डाटा स्वामियों द्वारा भंग के परिणामों से स्वयं को बचाने के लिए कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डीपीए को यह निर्धारित करने की शक्तियाँ दी गई है कि विश्वासी को इस सम्बन्ध में एकतरफा निर्णय करने से रोकने के लिए ऐसी अधिसूचना की कब और कैसे आवश्यकता है जो कि डाटा स्वामियों के सर्वोत्तम हितों के अतिरिक्त अन्य कारकों से प्रेरित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीए से डाटा विश्वासी को बेहतर मार्गदर्शन करने की और सुझाव देने या सीधे उपचारात्मक उपाय करने कि अपेक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक न्यायनिर्णयन कारवाई में भंग के लिए उचित उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए, एक भंग को अधिसूचित न करने की स्तिथि में विश्वासी डाटा संरक्षण कानून के प्रावधानों के अंतर्गत शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।"

2.107 चूंकि वर्तमान विधेयक व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों प्रकार के डाटा से संबंधित है इसलिए समिति ने सिफारिश की कि खंड 25 के उप-शीर्ष को "वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्ट करना" के स्थान पर "डाटा भंग की रिपोर्ट करना" के रूप में उचित संशोधित किया जाए।

2.108 समिति का विचार है कि खंड 25 के उप-खंड (1) के तहत 'संभावना' शब्द का उपयोग प्रकल्पित है। चूंकि अध्याय VI के अंतर्गत एक डाटा विश्वासी का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व डाटा की सुरक्षा बनाए रखना है, समिति महसूस करती है कि सामने आए तथ्यों के आधार पर उत्पन्न अस्पष्टता को हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए समिति ने वाक्यांश " जहां ऐसे भंग से किसी डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है" को खंड 25 के उप-खंड (1) से हटाने की सिफारिश की है। यथा संशोधित खंड 25(1) को निम्नवत पढ़ा जाएगा:

"25. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी प्राधिकरण को सूचना द्वारा (***) ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए किसी वैयक्तिक डाटा के भंग के बारे में प्राधिकरण को (***) रिपोर्ट करेगा, (***)।"

2.109 इसके अलावा, समिति का यह मत है कि प्राधिकरण को डाटा भंग की सूचना देने के लिए डाटा विश्वासी के उपयोग हेतु उप-खंड (2) के तहत उल्लिखित नोटिस का फॉर्म, इस कानून के दायरे में फॉर्म के क्षेत्र को सीमित करने के बजाय, विधान के तहत विनिर्दिष्ट किया जाये। तदनुसार, उप-खंड (2) में "शामिल" शब्द से पहले एक वाक्यांश" ऐसे प्ररूप में होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उसमें " शामिल किया जाये।

2.110 इसके अलावा, समिति महसूस करती है कि उपखंड 2 (घ) के पाठ को स्पष्ट रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है और नोटिस में डाटा भंग के लिए डाटा विश्वासी द्वारा लिए गए उपचारात्मक कार्यों का विवरण शामिल होना चाहिए। इसलिए, समिति खंड 25 के उप-खंड 2 (घ) के निर्धारण को इस तरह संशोधित करने की सिफारिश करती है:

" (घ) ऐसे भंग के लिए (***) डाटा विश्वासी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाइयां ।"

2.111 उप-खंड (3) बहुत सामान्य है और किसी विशिष्ट समयरेखा का उल्लेख नहीं करता है जिसमें डाटा विश्वासी, डाटा भंग रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हो। समिति महसूस करती है कि डाटा विश्वासी द्वारा प्राधिकरण को डाटा भंग की रिपोर्ट करने और उक्त का पालन करने के लिए एक यथार्थवादी और निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। इसलिए, समिति की सिफ़ारिश है कि उपखंड (1) के तहत डाटा भंग की रिपोर्ट करने के लिए खंड 25 (3) के तहत 72 घंटे की समयावधि प्रदान करनी चाहिए। इसलिए, उप-खंड (3) को निम्न रूप से संशोधित किया गया है:

"(3) डाटा विश्वासी द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट (***) सूचना के ऐसे भंग की जानकारी होने के बहुत्तर घंटे के भीतर जारी (***) की जाएगी ।"

2.112 समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान तरीके में उप-खंड (5) के तहत, डाटा विश्वासी की, व्यक्तिगत डाटा भंग को डाटा स्वामी के पास रिपोर्ट करने की, कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा, समिति ने यह पाया कि प्राधिकरण को सूचित किए बिना, डाटा स्वामी को सभी प्रकार के डाटा भंग की सूचना देना उचित नहीं

है। समिति का विचार है कि यदि किसी विशिष्ट डाटा स्वामी को होने वाले सटीक नुकसान का विश्लेषण किए बिना हर भंग को डाटा स्वामी को रिपोर्ट किया जाए तो कुछ डाटा भंग रिपोर्ट, नागरिकों में घबराहट पैदा कर सकती हैं और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, हर तरह के व्यक्तिगत डाटा भंग को डाटा स्वामी को रिपोर्ट करने से, व्यक्ति और संस्था के मध्य विश्वास की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि प्राधिकरण को सबसे पहले व्यक्तिगत डाटा भंग और इसके कारण डाटा स्वामी को होने वाले नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए और डाटा भंग होने के बारे में डाटा स्वामी को सूचित करने के लिए डाटा विश्वासी को निर्देशित करना चाहिए और समुचित उपचारात्मक उपाय करना चाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि उप-खंड (5) में एक परंतुक जोड़ा जाए ताकि प्राधिकरण किसी भी नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने के लिए डाटा विश्वासी को निर्देश दे सके। तदनुसार, उप-खंड (5) में संशोधन किया जाए और डाटा विश्वासी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित उप खंड (6) के अंतर्गत उपबंध को तथा वैयक्तिक डाटा भंग के विवरण को प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखने संबंधी उप खंड (7) के उपबंध को उप खंड (5) के अंतर्गत ही शामिल किया जाए। उप खंड (6) तथा उप खंड (7) के उप खंड (5) में विलय के परिणामस्वरूप, खंड 25 के उप खंड (6) और उप खंड (7) के अंतर्गत प्रावधान को हटाया जाए । इन सभी सुझावों को शामिल करने के बाद, खंड 25 का उप खंड (5) अब निम्न प्रकार होगा:

"(5) प्राधिकरण (***) वैयक्तिक डाटा के भंग और ऐसी अपहानि को ध्यान में रखते हुए जो डाटा स्वामी को हो सकती है, डाटा विश्वासी को, डाटा स्वामी से ऐसे भंग की रिपोर्ट करने और ऐसी अपहानि को कम करने के लिए (***) समुचित उपचारात्मक कर्रवाइयां करने तथा अपनी वैबसाइट पर वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे दृश्यमान रूप से प्रकाशित करने का निदेश देगा :

परन्तु प्राधिकरण, डाटा विश्वासी को ऐसे भंग का उपचार करने और डाटा प्रधान के लिए कारित किसी अपहानि को कम करने के लिए कोई अत्यावश्यक उपाय अंगीकृत करने का निदेश दे सकेगा ।"

2.113 अंत में, चूँकि विधेयक वैयक्तिक और गैर -वैयक्तिक डाटा से संबंधित है, समिति यह सिफारिश करती है कि गैर वैयक्तिक डाटा भंग की रिपोर्टिंग से संबंधित कार्य करने के लिए विधेयक में ही एक उपयुक्त उपबंध प्रदान किया जाए । अतः, निम्नलिखित पाठ के साथ एक नया उप खंड (6) का पुनः स्थापन खंड 25 (6) के रूप में किया जाए:

"(6) प्राधिकरण, गैर-वैयक्तिक डाटा के भंग की दशा में ऐसे आवश्यक उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ।"

2.114 उपरोक्त सभी सुझावों को शामिल करने के बाद समिति चाहती है कि पूरे खंड 25 का संशोधन निम्न प्रकार से किया जाए :

" 25. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी प्राधिकरण को सूचना द्वारा (***) ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए किसी वैयक्तिक डाटा के भंग के बारे में प्राधिकरण को (***) रिपोर्ट करेगा, (***)।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे प्ररूप में होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति जो भंग का विषय है ;

(ख) ऐसे (***) भंग द्वारा प्रभावित डाटा स्वामियों की संख्या ;

(ग) ऐसे (***) भंग के संभावित परिणाम ; और

(घ) ऐसे भंग के लिए (***) डाटा विश्वासी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाइयां ।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट (***) सूचना के ऐसे भंग की जानकारी होने के बहत्तर घंटे के भीतर जारी (***) की जाएगी ।

(4) जहां एक ही समय पर उपधारा (2) में (***) उपबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करना संभव नहीं है वहां डाटा विश्वासी, प्राधिकरण को बिना असम्यक् विलम्ब के हिस्सों में ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा ।

(5) (***)

(5) प्राधिकरण (***) वैयक्तिक डाटा के भंग और ऐसी अपहानि को ध्यान में रखते हुए जो डाटा स्वामी को हो सकती है, डाटा विश्वासी को, डाटा स्वामी से ऐसे भंग की रिपोर्ट करने और ऐसी अपहानि को कम करने के लिए (***) समुचित उपचारात्मक कर्रवाइयां करने तथा अपनी

वैबसाइट पर वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे दृश्यमान रूप से प्रकाशित करने का निदेश देगा :

परन्तु प्राधिकरण, डाटा विश्वासी को ऐसे भंग का उपचार करने और डाटा प्रधान के लिए कारित किसी अपहानि को कम करने के लिए कोई अत्यावश्यक उपाय अंगीकृत करने का निदेश दे सकेगा ।

(7)(***)

(6) प्राधिकरण, गैर-वैयक्तिक डाटा के भंग की दशा में ऐसे आवश्यक उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ।"

(सिफारिश संख्या : 46)

खंड 26 - डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण

2.115 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 26 डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण से संबंधित है तथा इसका पाठ निम्नलिखित है:

26. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग को महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में अधिसूचित करेगा अर्थात्:

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा का आकार ;

(ख) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता;

(ग) डाटा विश्वासी का आवर्त;;

(घ) डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण द्वारा अपहानि का जोखिम;

(ङ) प्रक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग; और

(च) ऐसे प्रक्रमण से अपहानि पहंचाने वाला कोई अन्य कारक।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों का वर्ग ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को प्राधिकरण के समक्ष रजिस्टर करेगा ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग द्वारा किसी प्रक्रमण से किसी डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी के वर्ग को धारा 27 से धारा 30 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं बाध्यताओं को ऐसे लागू करेगा मानों वह एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी है।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण की . परामर्श से किसी सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती को,

(i) ऐसी उपरोक्त सीमा के उपयोग से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण की परामर्शी से अधिसूचित की जाए ; और

(ii) जिसके कार्य का, निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा, भारत की लोक व्यवस्था या प्रभुता और अखंडता पर महत्वपूर्ण आधात होगा या होने की संभावना अधिसूचित करेगी:

परन्तु सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न सीमाए अधिसूचित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कोई "सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती" ऐसा मध्यवर्ती है जो मूलतः या एक मात्र रूप से दो या अधिक उपभोक्ताओं के मध्य आनलाइन संपर्क बनाने में समर्थ हैं और जो, उन्हें उनकी सेवाओं में उपयोग होने वाली जानकारी को सृजित करने, अपलोड करने, बांटने, प्रचारित, उपाचरित करने या उस तक पहुंच बनाने के लिए अनुज्ञात करता है, किन्तु इसमें ऐसे मध्यवर्ती सम्मिलित नहीं हैं जो मूलतः

(क) वाणिज्यिक या कारबारोन्मुख संव्यवहारों को समर्थ बनाते हैं;

(ख) इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध करवाते हैं;

(ग) सर्च इंजनों, आनलाइन इनसाइक्लोपीडिया, ई-मेल सेवाओं, आनलाइन भंडारण सेवाओं की प्रकृति के है।"

2.116 खंड 26 के संबंध में हितधारकों से प्राप्त सुझावों का सार निम्नानुसार है -

(i) सोशल मीडिया मध्यवर्तियों की अधिसूचना एक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए एवं उनकी सीमा स्पष्ट की जानी चाहिए।

(i) सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि डीपीए द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए तथा ऐसा करने की शक्ति पहले से ही 26(1) के अंतर्गत डीपीए के पास निहित है।

(iii) सोशल मीडिया मध्यवर्तियों से संबंधित धारा 26(4) को विधेयक से हटा देना चाहिए क्योंकि यह विधेयक की परिधि से बाहर है ।

(iv) राज्य एजेंसियों को महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की बाध्यताओं के अध्यधीन होना चाहिए।

(v) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के आवेदनों को प्रक्रमणकर्ताओं को दिए जाने के मानदंड बारे में भी स्पष्टता होनी चाहिए। उन्हे महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के अंतर्गत शामिल किया गया माना जाएगा।

2.117 खंड 26 की गहन समीक्षा के दौरान समिति ने यह नोट किया कि आज सोशल मीडिया मंच ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे शासन से ऊपर हैं तथा वे ऐसी सीमाएं निर्धारित करते हैं जो शासन के संचालन को परिसीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया मंच वास्तव में मध्यवर्ती नहीं है परन्तु वे मंच हैं जो एक मध्यवर्ती एवं मंच के दोहरे कार्यों को अंजाम देते हैं।

2.118 खंड 26(4) सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती " को ऐसी मध्यवर्ती संस्था के रूप में परिभाषित करता है जो दो या अधिक प्रयोक्ताओं के बीच ऑनलाइन पारस्परिक-संवाद की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा प्रयोक्ताओं को मीडिया के प्रसार की अनुमति देता है जबकि ई-कॉमर्स इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां, सर्च इंजिन एवं ई-मेल सेवाएं उक्त परिभाषा से बाहर रखी गई हैं। समिति के विचार में, वर्तमान में मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) वास्तव में इंटरनेट-आधारित मध्यवर्तियों एवं प्लेटफार्मों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां लोग विभिन्न सोशल एप्लीकेशनों एवं वेबसाइटों के माध्यम से संवाद करते हैं। अत: समिति सर्वप्रथम सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती शब्द के स्थान पर सामाजिक मीडिया मंच शब्द को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश करती है तथा डाटा

विश्वासियों के महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन से एक कारक के रूप में इसे 26(1)(च) के रूप में सम्मिलित किया जाये। तद्नुसार, खंड 26(4) के अंतर्गत व्याख्या को समुचित रूप से संशोधित किया जाने तथा खंड 26(1) के उपखंड (च) में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त संशोधित खंड 26(1)(च)का पाठ् निम्नवत् हो सकता है :-

"(च) कोई सोशल मीडिया प्लेटफार्म—

(i) ऐसी अवसीमा तक, जो प्राधिकरण के परामर्श से विहित की जाए, उपरोक्त के उपयोक्ताओं सहित ; और

(ii) जिसकी कार्रवाई भारत की प्रभुता और अखंडता, निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण समाघात होता है या महत्वपूर्ण समाघात होने की संभावना है :

परन्तु सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अवसीमाएं विहित की जा सकेंगी ;"

2.119 इसके अलावा समिति यह महसूस करती है कि बच्चों से संबंधित डाटा के दुरूपयोग को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है, जिससे अभिभावकों से संबंधित डाटा की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है । अत: समिति यह इच्छा व्यक्ति करती है कि डाटा के इस प्रकार के कुप्रबंधन को हतोत्साहित करने के लिये निम्नवत पाठ वाले एक कारक के रूप खंड 26(1)(छ)का अंत:स्थापन करके ऐसे डाटा विश्वासियों के महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में खंड 26 के दायरे में लाया जाये, जो प्रक्रमण करने अथवा बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिये डाटा का उपयोग करते हैं।

"(छ) बालकों से संबंधित डाटा का प्रक्रमण या उनके लिए सेवाओं का उपबंध ; या"

2.120 खंड 26 (1) (च) में समिति ने 'सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती' शब्द को "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म" के रूप में प्रतिस्थापित किया है। इसके अलावा, विभिन्न श्रेणियों को छोड़कर स्पष्टीकरण में दिए गए शब्दों का उपयोग करके खंड 3 (44) में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शब्द को परिभाषित किया गया है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि स्पष्टीकरण के साथ-साथ खंड 26 (4) को हटाया जाए।

2.121 इसके अलावा, समिति यह भी मानती है कि महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों को क्षेत्रक विनियमों के अंतर्गत भी विनियमित करना होगा तथा अत्यंत पारदर्शी एवं जवाबदेह हों। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि खंड 26(4) के रूप में एक नया उपबंध अंत:स्थापित किया जाए ताकि महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के क्षेत्र संबंधी विनियमन को स्पष्ट बनाया जा सके।

2.122 उक्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मूल विधेयक के खंड 26(1) (च) को खंड 26(1)(छ) के रूप में परिवर्तित किया जाए।

2.123 सभी परिवर्तनों को शामिल किए जाने के पश्चात यथा संशोधित खंड 26 को निम्नवत पढ़ा जाए:

"26. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित <u>किसी</u> कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग को महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में अधिसूचित करेगा अर्थात् :—

(क)प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा का आकार ;

(ख)प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ग) डाटा विश्वासी का आवर्त ;

(घ)डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण द्वारा अपहानि का जोखिम ;

(ङ) प्रक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग ; (***)

<u>(च) कोई सोशल मीडिया प्लेटफार्म—</u>

<u>(i) ऐसी अवसीमा तक, जो प्राधिकरण के परामर्श से विहित की जाए, उपरोक्त के उपयोक्ताओं सहित ; और</u>

<u>(ii) जिसकी कार्रवाई भारत की प्रभुता और अखंडता, निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण समाघात होता है या महत्वपूर्ण समाघात होने की संभावना है :</u>

<u>परन्तु सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अवसीमाएं विहित की जा सकेंगी ;</u>

<u>(छ) बालकों से संबंधित डाटा का प्रक्रमण या उनके लिए सेवाओं का उपबंध ; या</u>

<u>(ज)</u> ऐसे प्रक्रमण से अपहानि पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों का वर्ग ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को प्राधिकरण के समक्ष रजिस्टर करेगा ।

(3) इस अधिनियम में **अन्तर्विष्ट** किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकरण की यह (***) **समाधान** है कि किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग द्वारा किसी प्रक्रमण से किसी डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी के वर्ग को धारा 27 से धारा 30 में (***) **उपबंधित** सभी या किन्हीं बाध्यताओं को ऐसे लागू करेगा मानों वह एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी है ।

(4) (***)

(4) धारा 56 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा बनाए गए ऐसे विनियमों को विनियमित बना सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या : 47)

खंड 28 - अभिलेखों का अनुरक्षण

2.124 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 28 महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों से पर्याप्त और अद्यतन अभिलेखों का अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने के लिए है जिसके अंतर्गत सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों से स्वेच्छापूर्ण सत्यापन क्रियाविधि के लिए उपबंध करने की अपेक्षा भी है। यह खंड इस प्रकार पठित है:

"28. (1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी निम्नलिखित के ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिशुद्ध और अद्यतन अभिलेख रखेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 10 के अधीन यथाअपेक्षित अनुपालन दर्शित करने के लिए डाटा जीवन चक्र में महत्वपूर्ण प्रचालन जिसके अंतर्गत वैयक्तिक डाटा का संग्रहण, अंतरण और हटाया जाना भी है;

(ख) धारा 24 के अधीन संरक्षा रक्षोपायों का आवधिक पुनर्विलोकन;

(ग) धारा 27 के अधीन डाटा संरक्षा प्रभाव निर्धारण; और

(घ) प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यह धारा राज्य पर भी लागू होगी।

(3) प्रत्येक सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती, (3) प्रत्येक सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती, जिसे धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्हेंने भारत से अपनी सेवा

रजिस्टर की है या जो भारत में अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वेच्छया से अपने लेखे को ऐसी रीति में सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा, डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्होंने भारत से अपनी सेवा रजिस्टर की है या जो भारतमें अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वेच्छा से अपने लेखे को ऐसी रीति में सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा, जो विहित की जाए।

(4) कोई ऐसा उपभोक्ता, जो स्वेच्छा से अपने लेखे का सत्यापन कराता है, सत्यापन का ऐसा स्पष्ट और दृश्यमान चिह्न ऐसी रीति में जो विहित की जाए उपलब्ध करवाया जाएगा जो सेवा के सभी उपभोक्ताओं के लिए दृश्यमान होगा।

2.125 खंड 28 के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों का सार इस प्रकार है:

एक. सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती से संबंधित खंड 28(4) का लोप किया जाए।

दो. स्वचालित निर्णयन की प्रक्रिया के संबंध में प्रलेखन को रिकार्ड रखने की आवश्यकताओं के दायरे के अंतर्गत शामिल किया जाए।

तीन. खंड 28(1) के अंतर्गत 'महत्वपूर्ण प्रचालन' को अधिक स्पष्टता के लिए व्याख्यायित किया जाए।

चार. रिकॉर्ड रखने का विस्तार सभी डाटा विश्वासियों के लिए किया जाए।

2.126 समिति यह पाती है कि सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों को देश के कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिसमें राज्य का उन पर सुस्पष्ट अधिकार हो। 10 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में समिति ने यह टिप्पणी की कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यथा परिभाषित के अनुरूप सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों के लिए कुछ क्षेत्रीय विनियम होने चाहिए। समिति ने नोट किया भारत में नोटिस एंड टेकडाउन प्रोसीजर (उदाहरण के लिए निंदापरक और अश्लील सामग्री के लिए) को समस्या परक माना गया है ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यवर्ती वाक स्वतंत्रता के अधिकार को निर्धारित करने वाले निजी सेंसर बन गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के निर्णय में भारतके उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2015 में विनिर्णय दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जहां सरकार या न्यायालय के आदेश के माध्यम से मध्यवर्तियों को आपत्तिजनक सामग्री की अधिसूचना दी गई है उन्हें वह सामग्री हटानी होगी। प्रकाशकों के रूप में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका को

ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि मध्यवर्तियों द्वारा उपयोगकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया खातों के सत्यापन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और किसी भी असत्यापित खातों के मामले में, सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही, समिति का मानना है कि वर्तमान विधेयक व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण के बारे में है और सोशल मीडिया विनियम पूरी तरह से एक अलग पहलू है जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

2.127 खंड 26 में "सामाजिक मीडिया मध्यवर्तियों" को "सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म" के साथ प्रतिस्थापित किये जाने के मद्देनजर उप-खंड 28 (3) में परिणामी परिवर्तन करते हुए "मध्यवर्ती " शब्द को "प्लेटफार्म" के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। इसके अलावा, चूंकि खंड 26 (4) को हटा दिया गया है, इसलिए धारा 26 के उप-धारा (4) शब्दों को धारा 26 के उप-धारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए क्योंकि धारा 26(1)(च) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वर्गीकृत करती है।

2.128 तदनुसार, यथा संशोधित खंड 28 (3) और (4) को निम्नवत पढ़ा जाए:

"(3) प्रत्येक सोशल मीडिया (***) <u>प्लेटफार्म</u>, जिसे धारा 26 की उपधारा (***) (<u>1</u>) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे (***) <u>व्यक्तियों</u> को, जिन्हेंने भारत से अपनी सेवा रजिस्टर की है या जो भारत में अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वेच्छया से अपने लेखे को ऐसी रीति में सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा, जो विहित की जाए ।

(4) कोई (***) <u>व्यक्ति</u>, जो स्वेच्छया से अपने लेखे का सत्यापन <u>उपधारा (3) में निर्दिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर</u> कराता है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए सत्यापन का ऐसा प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिह्न उपलब्ध करवाया जाएगा जो सेवा के सभी उपभोक्ताओं के लिए दृश्यमान होगा ।"

(सिफारिश संख्या : 48)

<u>खंड 29 - नीतियों की संपरीक्षा और प्रक्रमण का संचालन, आदि</u>

2.129 नीतियों की संपरीक्षा और प्रक्रमण का संचालन आदि से संबंधित विधेयक का खंड 29 निम्नवत पठनीय है:

"(1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अपनी नीतियां होंगी और इस अधिनियम के

अधीन वार्षिक रूप से किसी स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की संपरीक्षा करवाएगा ।

(2) डाटा संपरीक्षक, डाटा विश्वासी का अनुपालन का मूल्यांकन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(क) धारा 7 के अधीन सूचनाओं की स्पष्टता और प्रभावशीलता ;

(ख) धारा 22 के अधीन अंगीकृत उपायों की प्रभावशीलता ;

(ग) धारा 23 के अधीन प्रक्रमण क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता ;

(घ) धारा 24 के अनुसरण में अंगीकृत सुरक्षा संबंधी रक्षोपाय ;

(ङ) वैयक्तिक डाटा भंग के उदाहरण और डाटा विश्वासी का प्रत्युत्तर जिसके अंतर्गत धारा 25 के अधीन प्राधिकरण को दी गई सूचना की तत्परता भी है ;

(च) प्रक्रमण का यथासमय कार्यान्वयन और धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन बाध्यताओं की प्रभावी अनुपंक्ति ; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन संपरीक्षा के संचालन के लिए प्ररूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ।

(4) प्राधिकरण, स्वतंत्रता, निष्ठा और योग्यता के कारकों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अधीन डाटा संपरीक्षकों के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्पयूटर तंत्र, डाटा विज्ञान, डाटा संरक्षा या निजता के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले ऐसी अर्हता, अनुभव और पात्रता वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्टर करेगा।

(5) डाटा संपरीक्षक, इस धारा के अधीन संचालित डाटा संपरीक्षा के अनुसरण में डाटा विश्वासी को डाटा विश्वास अंक के रूप में रेंटिग प्रदान कर सकेगा।

(6) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, उपधारा (2) में वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए डाटा विश्वास अंक के रूप में रेटिंग प्रदान करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्राधिकरण का यह मत है कि डाटा विश्वासी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में कर रहा है जिससे डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है, वहां प्राधिकरण डाटा विश्वासी को संपरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा और उस प्रयोजन के लिए एक डाटा संपरीक्षक नियुक्त करेगा ।"

2.130 खंड 29 के बारे में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए:-

(एक) दायित्व सभी डाटा विश्वासियों पर लागू होना चाहिए।

(दो) विधेयक के अंतर्गत डाटा संपरीक्षकों की लापरवाही के लिए सिविल दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(तीन) डाटा संपरीक्षकों के लिए पात्रता मानदंड के रूप में मानव अधिकारों/डिजिटल अधिकारों को जोड़ा जाना चाहिए।

(चार) संपरीक्षा करने के लिए डाटा विश्वासियों को निदेश देने की शक्ति इस शर्त के अधीन होनी चाहिए कि ऐसे निदेश और प्रक्रियागत संरक्षोपाय कब जारी किए जाएं।

(पांच) खंड 29(2) के अंतर्गत आवश्यकता के एक अंग के रूप में स्वचालित निर्णय प्रक्रिया को जोड़ा जाए।

(छह) डाटा विश्वास अंक अनिवार्य नहीं होना चाहिए तथा डाटा विश्वास अंक देने के मानदंड दिए जाने चाहिए।

2.131 समिति पाती है कि खंड 29(3) प्राधिकारी को संपरीक्षा के संचालन के लिए प्रारूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है तथा इसमें समवर्ती संपरीक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस उपखंड में समवर्ती संपरीक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित शब्द जोड़े जाने चाहिए। तदनुसार खंड 29(3) निम्नवत पठनीय होगा:

"(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन संपरीक्षा के संचालन के लिए प्ररूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा <u>और समुचित समवर्ती संपरीक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करेगा</u> ।

(सिफारिश संख्या: 49)

खंड 30 - डाटा संरक्षण अधिकारी

2.132 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 30 डाटा संरक्षण अधिकारी से संबंधित है। यह खंड जिसका आशय डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की आवश्यकता से है, निम्नवत पठित है:

"30. (1) प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अर्हता और अनुभव, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखने वाला एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के संबंध में किन्हीं विषयों पर डाटा विश्वासी को जानकारी और सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रक्रमण से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है, डाटा विश्वासी के डाटा प्रक्रमण क्रियाकलापों को मानीटर करना;

(ग) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण के कार्यान्वयन पर डाटा विश्वासी को सलाह देना और धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन उसका पुनर्विलोकन करना ;

(घ) धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्रियाविधियों के विकास पर डाटा विश्वासी को सलाह देना;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डाटा विश्वासी के अनुपालन संबंधी विषयों पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग देना;

(च) धारा 32 के अधीन शिकायतों के निवारण के प्रयोजन के लिए डाटा स्वामी के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना; और

(छ) धारा 28 के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की सूची का अनुरक्षण।

(2) उपधारा (1) की कोई बात डाटा विश्वासी को, डाटा संरक्षण अधिकारी को कोई अन्य ऐसा कृत्य, जो वह आवश्यक समझे, सौंपने से निवारित नहीं करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त डाटा संरक्षण अधिकारी भारत में स्थित होगा और इस अधिनियम के अधीन डाटा विश्वासी का प्रतिनिधित्व करेगा।"

2.133 हितधारकों से खंड 30 पर सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनका सारांश निम्नवत है:

एक. डाटा संरक्षण अधिकारी, जब वे खंड 30 के अनुसार निष्पादन करते हैं तथा डाटा विश्वासी के हितों के मध्य टकराव नहीं होना चाहिए और उसे स्वतंत्र होना चाहिए।

दो. डाटा संरक्षण अधिकारी का कोई विशिष्ट स्थान निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतर स्थितियों में, इकाई के कानूनी प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से भारत के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए।

2.134 जीडीपीआर के अनुच्छेद 37 के समान प्रावधान निम्नवत है:-

"1. नियंत्रक और प्रक्रमणकर्ता एक डाटा संरक्षण अधिकारी नामित करेंगे, ऐसे किसी मामले में जहां:

(क) अपने न्याय-क्षेत्राधिकार क्षमता में कार्यरत न्यायालयों को छोड़कर, किसी लोक प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा, प्रक्रमण किया जाता है;

(ख) नियंत्रक या प्रक्रमणकर्ता के मुख्य कार्यकलापों में प्रसंस्करण प्रचालन शामिल होते हैं, जिन्हें उनकी प्रकृति, उनके दायरे और/अथवा उनके उद्देश्यों के आधार पर, बड़े पैमाने पर डाटा विषयों की नियमित और व्यवस्थित निगरानी की आवश्यकता होती है; अथवा

(ग) नियंत्रक या प्रक्रमणकर्ता के मुख्य कार्यकलापों में अनुच्छेद 9 के अनुसार बड़े पैमाने पर डाटा के विशेष वर्गों और अनुच्छेद 10 के अनुसार आपराधिक दोषसिद्धि और अपराधों से संबंधित वैयक्तिक डाटा पर प्रक्रमण शामिल है।

2. उपक्रमों का एक समूह एकल डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकता है बशर्ते कि प्रत्येक प्रतिष्ठान से एक डाटा संरक्षण अधिकारी आसानी से सुलभ हो।

3. जहां नियंत्रक या प्रक्रमणकर्ता एक लोक प्राधिकरण अथवा निकाय है, उनके संगठनात्मक ढांचे और आकार को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई प्राधिकरणों या निकायों के लिए एक एकल डाटा संरक्षण अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

4. पैरा 1 में संदर्भित मामलों के अलावा, नियंत्रक या प्रक्रमणकर्ता या संघों, और नियंत्रकों या प्रक्रमणकर्ता के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय, या जहां संघ या सदस्य राज्य के कानून द्वारा ऐसा आवश्यक हो, एक डाटा संरक्षण अधिकारी नामित करेंगे। डाटा संरक्षण अधिकारी नियंत्रकों या प्रक्रमणकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे संघों और अन्य निकायों के लिए कार्य कर सकतें हैं।

5. डाटा संरक्षण अधिकारी को पेशेवर गुणों और, विशेष रूप से डाटा संरक्षण कानून और प्रथाओं के विशेषज्ञ ज्ञान और अनुच्छेद 39 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर नामित किया जाएगा।

6. डाटा संरक्षण अधिकारी नियंत्रक या प्रक्रमणकर्ता का स्टाफ सदस्य हो सकता है, या सेवा अनुबंध के आधार पर कार्यों को पूरा कर सकता है।

7. नियंत्रण या प्रोसेसर, डाटा संरक्षण अधिकारी के संपर्क ब्यौरे को प्रकाशित करेगा और इसे पर्यवेक्षक प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

2.135 डाटा संरक्षण अधिकारी के बारे में, न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में भी निम्नवत् बताया गया :

"यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में डाटा विश्वासी वैयक्तिक डाटा की काफी बड़ी और संवेदनशील मात्रा का प्रक्रमण करेंगे, यह आवश्यक है कि वे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें, जो डाटा संरक्षण कानूनों की निगरानी द्वारा इसके अनुपालन की सुविधा प्रदान करे और इन विश्वासियों को परामर्श प्रदान करने सहित डीपीए के साथ संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करें। डीपीओ की पात्रता और अहर्ता आवश्यकताओं को प्रत्यायोजित विधान द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे डीपीओ को आबंटित् प्रकार्यों में अनुपालन निगरानी, ठोस अनुपालन विकसित और सुनिश्चित करना और जवाबदेही प्रक्रियाएं, डीपीए के साथ सहयोग, स्टाफ प्रशिक्षण, डीपीआईएएस आयोजन, शिकायत निवारण, सुरक्षोपायों की निगरानी और रिकॉर्ड अनुरक्षण इत्यादि शामिल होंगे।"

2.136 समिति पाती है कि खंड 30 में डाटा संरक्षण अधिकारी के नियुक्ति की शर्तों का उपबंध किया गया है। समिति ने टिप्पणी की है कि खंड में मात्र उल्लेख है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी डाटा संरक्षण अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो भारत में स्थित होगा और देश में डाटा विश्वासी का प्रतिनिधित्व करेगा। समिति ने पाया है कि कंपनी में अधिकारी की किसी विशिष्ट अहर्ता या पद का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए

समिति चाहती है कि चूंकि डाटा संरक्षण अधिकारी इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत अहम भूमिका निभाता है, वह कंपनी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण पद पर आसीत होना चाहिए और उसे इस क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि खंड 30(1) को संशोधित करके इसका पाठ निम्नवत किया जाये:

" 30. (1) प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी (***) निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अर्हताओं और अनुभव, <u>जो राज्य में वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा या अन्य इकाई के मामले में किसी कंपनी या समान क्षमता के अन्य कर्मचारी के संबंध में मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति होगा</u> द्वारा <u>विहित</u> (***) किया जाए, रखने वाला एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा, <u>अर्थात् :</u>—"

2.137 समिति यह भी महसूस करती हैं कि 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' वाक्यांश को और अधिक स्पष्ट करने के लिए खंड 30(1) के अंत में स्पष्टीकरण शामिल किया जाए जिसमें यदि केंद्र सरकार चाहे तो भविष्य में अन्य व्यक्तियों को शामिल किए जाने की गुंजाइश भी हो। तदनुसार खंड 30(1) का स्पष्टीकरण निम्नवत पढ़ा जाए।

<u>" स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति" से—</u>

<u>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ;</u>

<u>(ii) कंपनी सचिव ;</u>

<u>(iii) पूर्णकालिक निदेशक;</u>

<u>(iv) मुख्य वित्त अधिकारी ; या</u>

<u>(v) ऐसे अन्य कार्मिक अभिप्रेत हैं जो विहित किए जाएं ।</u>"

2.138 समिति ने यह भी टिप्पणी की है कि खंड 30 (1) के अंतर्गत उप-खंडों को उनमें खंडों को संदर्भित करने के संबंध में कालक्रम से रखे जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस खंड में उप-खंड कालक्रम में प्रत्येक खंड में विशिष्ट धाराओं के संदर्भ के अनुसार रखे जाएं। संशोधित खंड 30 (1) का पाठ निम्नवत हो।

"30. (1) प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी (***) निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अर्हताओं और अनुभव, <u>जो राज्य में वरिष्ठ स्तर का</u>

अधिकारी होगा या अन्य इकाई के मामले में किसी कंपनी या समान क्षमता के अन्य कर्मचारी के संबंध में मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति होगा द्वारा विहित (***) किया जाए, रखने वाला एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के संबंध में किन्हीं विषयों पर डाटा विश्वासी को जानकारी और सलाह देना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रक्रमण से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है, डाटा विश्वासी के डाटा प्रक्रमण क्रियाकलापों को मानीटर करना ;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डाटा विश्वासी के अनुपालन संबंधी विषयों पर प्राधिकरण को (***) सहायता और सहयोग देना ;

(घ) धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्रियाविधियों के विकास पर डाटा विश्वासी को सलाह देना ;

(ङ) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण के कार्यान्वयन पर डाटा विश्वासी को (***) सलाह देना और धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन उसका पुनर्विलोकन करना ;

(च) धारा 28 के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की सूची का (***) अनुरक्षण ; और

(छ) धारा 32 के अधीन शिकायत (***) के निवारण के प्रयोजन के लिए डाटा स्वामी के लिए संपर्क बिंदु के रूप में (***) कार्य करना ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति" से–

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ;

(ii) कंपनी सचिव ;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक;

(iv) मुख्य वित्त अधिकारी ; या

(v) ऐसे अन्य कार्मिक अभिप्रेत हैं जो विहित किए जाएं ।"

(सिफ़ारिश संख्या : 50)

खंड 32- डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत निवारण

2.139 विधेयक का खंड 32, जो कि प्रत्येक डाटा विश्वासी के लिए शिकायत निवारण तंत्र रखना अनिवार्य करता है, का पाठ निम्नवत है:

"(1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, डाटा स्वामियों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से और त्वरित रीति में प्रतितोषण के लिए उचित प्रक्रिया और प्रभावी कार्यप्रणाली को उपयोग लागू करेगा ।

(2) कोई डाटा स्वामी, जिसे अपहानि हुई है या होने की संभावना है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत निम्नलिखित को कर सकेगा,–

(क) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की दशा में डाटा संरक्षा अधिकारी को; या

(ख) किसी अन्य डाटा विश्वासी की दशा में, इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी को।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई किसी शिकायत का समाधान त्वरित रीति में और ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के अपश्चात् किया जाएगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, संतुष्ट नहीं है या जहां डाटा स्वामी उस रीति से जिसमें शिकायत का समाधान किया जाता है अथवा डाटा विश्वासी ने शिकायत को नामंजूर कर दिया है, वहां डाटा स्वामी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्राधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा।

2.140 खंड 32 के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों में सुझावों का सारांश निम्नवत है:-

1. नुकसान या उसके होने की संभावना धारा 32 के तहत शिकायतों की रिपोर्टिंग की अनुमति दिए जाने की शर्त नहीं होनी चाहिए।
2. खंड 32 (4) के तहत प्राधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के निपटान की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3. केवल महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के मामले में डीपीओ को निर्दिष्ट करना धारा 32 (2) (क) और (ख) के तहत अनावश्यक होगा।

2.141 खंड 32 के उपखंड 4 में उपबंध किया गया है कि यदि डाटा स्वामी की शिकायत का समाधान निर्दिष्ट अवधि के भीतर अर्थात डाटा विश्वासी को शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता, या यदि डाटा स्वामी शिकायत का समाधान करने की रीति से संतुष्ट नहीं है, या यदि डाटा विश्वासी ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया है, तो वह डाटा संरक्षण प्राधिकारी को उसकी शिकायत कर सकता है, हालांकि, वर्तमान विधेयक में प्राधिकारी को इस तरह की शिकायत दर्ज किये जाने की रीति, निर्धारित नहीं की गई है।

2.142 **शिकायतों, शास्तियों और प्रतिकर संबंधी मामलों से निपटने के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति 'अध्याय दस-शास्तियां और प्रतिकर' के तहत एक नए खंड को खंड 62 के रूप में अंतःस्थापित करने की सिफारिश करती है। खंड 62 डाटा स्वामी को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर और विनिर्दिष्ट रीति से प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण डाटा स्वामी द्वारा दायर शिकायत या आवेदन को इस तरह की शिकायत या आवेदन का निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी को अग्रेषित करेगा । एक नया खंड 62 अंत:स्थापन करने के परिणामस्वरूप, समिति को लगता है कि इसे खंड 32 (4) के तहत ही बताया जाना चाहिए कि डाटा स्वामी , जिसकी शिकायत का समाधान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है या जो शिकायत का समाधान करने की रीति से संतुष्ट नहीं है या जिसकी शिकायत डेटा प्रत्ययी द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है, खंड 62 के तहत प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करा सकते है। संशोधित खंड 32 (4) का पाठ निम्नवत हो।**

" (4) जहां उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या जहां डाटा स्वामी उस रीति से संतुष्ट नहीं है जिसमें शिकायत का समाधान किया जाता है अथवा डाटा विश्वासी ने शिकायत को नामंजूर कर दिया है, वहां डाटा स्वामी, (***) <u>धारा 62 के अधीन</u>, प्राधिकरण को शिकायत फाइल कर सकेगा।"

(सिफारिश सं 51)

खंड 34 - संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए शर्तें

2.143 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 34 उन शर्तों को सूचीबद्ध करता है, जिनके अंतर्गत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा का भारत के बाहर अंतरण किया जा सकता है। विधेयक का खंड 34 निम्नानुसार है:

"(1) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का भारत से बाहर अन्तरण केवल प्रक्रमण वे प्रयोजन के लिए तभी किया जा सकेगा जब डाटा स्वामी द्वारा ऐसे अन्तरण के लिए सुस्पष्ट सहमति दी गई हो और, जहां–

(क)अंतरण, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा या अंतरासमूह स्कीम वे अनुसरण में किया जाता है :

परंतु ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम को तब तक अनुमोदित नहीं किय जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध नहीं किया गया हो–

(i) इस अधिनियम के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आगे और अंतरण का संबंध भी है ; और

(ii) ऐसे अंतरण द्वारा ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम के उपबंधों वे अननुपालन के कारण हुई अपहानि के लिए डाटा विश्वासी का दायित्व ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् अपने ऐसे निष्कर्षों वे आधार पर कि–

(i) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, लागू विधियों और अन्तरराष्ट्रीय करारों कं ध्यान में रखते हुए संरक्षण के यथायेत्रय स्तर के अध्यधीन होगा ; और

(ii) ऐसा अन्तरण समुचित अधिकारिता वाले प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विधि वे प्रवर्तन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा,

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई को या इकाई के वर्ग को या किसी ऐसं अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी निष्कर्ष का ऐसी रीतियों में जो विहित की जाएं आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा ;

(ग) प्राधिकरण ने किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी संवेदनशील वैयक्तिव

डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के किसी वर्ग का अंतरण अनुज्ञात किया है ।

(2) धारा 33 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा को भारत से बाहर केवल वहीं अंतरित किया जा सकेगा जहां ऐस अंतरण,–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई को किया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं य आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था में लगी हुई है जहां ऐसा अंतरण धारा 12 के अधीन त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक है ; और

(ख) किसी देश को या किसी देश में की किसी इकाई या इकाई के वर्ग को य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को वहां किया गया है जहां केन्द्रीय सरकार को ऐसे अन्तरण को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय समझा है और ऐसा अन्तरण केन्द्रीय सरकार की राय में राज्य की सुरक्षा और नीतिगत हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई अंतरण, ऐसी अवधि के भीतर जं विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा ।

2.144 खंड 34 संबंधी ज्ञापन में प्राप्त सुझावों का सार निम्नानुसार है :

(i) पर्याप्तता मूल्यांकन डीपीए द्वारा किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा नहीं

(ii) विधिक दावों, संविदागत दायित्वों की आवश्यकता और त्वरित कार्यवाही को मामूली अपवादों में सम्मिलित किया जाएगा, जहां सुस्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि बाद में डीपीए से स्वीकृति प्राप्त की जाए

(i) इस धारा को वैयक्तिक डाटा के लिए भी विस्तारित किया जाए,

(ii) महतवपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अंतरण हेतु आपातकालीन सेवाओं को वर्णित/स्पष्ट किया जाए।

(iii) सीमा पार से अंतरण के लिए स्पष्ट सहमति एक स्टैंडअलोन आधार होनी चाहिए।

(iv) अंतरण हेतु आचरण या प्रमाण्न कूटों को अतिरिक्त आधारों के रूप् में स्वीकृत किया जाए।

(v) प्राधिकारी द्वारा मॉडल संविदाएं या अंतर समूह योजनाएं प्रदान की जाएं।

(vi) प्रत्येक संविदा या अंतर समूह योजना को स्वीक़ृति की आवश्यकता न हो, इसे मॉडल आधार पर किया जाए।

2.145 इस संबंध में न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है- "संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अलावा वैयक्तिक डाटा का सीमा पार अंतरण आदर्श करार खंड के अंतर्गत होगा जिसमें अन्तरिती द्वारा किये गए किसी उल्लंघन के कारण स्वामी हो हुई हानि के लिये उत्तरदायित्व सहित प्रमुख बाध्यताएं शामिल होंगी। समूह कंपनियों के अंदर सीमा पार अंतरण पर अंतर समूह योजनायें प्रयोजनीय होगी। केंद्रीय सरकार के पास डी पी ए के परामर्श से कतिपय अधिकारी क्षेत्रों के लिए ग्रीन लाइट अंतरण का विकल्प होगा।"

2.146 उच्चतम न्यायालय, जो एम जी ब्रदर्स लारी सर्विस बनाम मेसर्स प्रसाद टेक्सटाइल: 1983 (3)एस एस सी 6 में संविदा उपबंधों पर सुनवाई कर रहा था, ने वाहक अधिनियम, 1865 में शून्यीकरण खंड जोड़ने को कहा था। न्यायालय ने कहा कि संविदा खंड,जो उपबंध का मुख्य भाग है, जो संविधि के अर्थान्वय को सुदृढ करता है, को आगे बढ़ाना चाहिए और यह खंड संविदा अधिनियम की धारा 23 के कारण शून्य और बातिल हो जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिंपलेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ (2010) आईएलआर 2 दिल्ली 699 में कहा कि" संविदा के उपबंध जो करार अधिनियम के विधायी अर्थांवय को निष्फल कर देगा, मैं उन्हें लोकहित और लोकनीति के विरुद्ध बातिल मानूँगा। ऐसे खण्ड भी बातिल हो जाते हैं क्योंकि यह कानून के उपबंधों को निष्फल कर देगा जो कि वाणिज्यिक संबंधों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से लोकहित में नहीं है। "

2.147 समिति ने महसूस किया कि 2019 के विधेयक का आशय निजी कंपनियों द्वारा डाटा को हैंडल करने तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। इसमें स्पष्ट स्वीकृति अपेक्षाओं सहित डाटा विश्वासी (जो डाटा प्रक्रम प्रयोजन और रीति को निर्धारित करता है) पर कई बाध्यताओं का उपबंध करता है और यह डाटा स्वामी को (डाटा जिस से संबंधित होता है) कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप निजी पक्षकारों के बीच किए गए करार डाटा संरक्षण की नई प्रणाली, जब कभी प्रवृत्त, हो के अनुरूप होना चाहिए।

2.148 इसके अलावा, दोनों पक्षों के करार संबंधों में हस्तक्षेप की प्रकृति और विशिष्ट विषयों पर करार किस प्रकार शासित होता है,यह भा रतीय कानूनी प्रणाली कोई नई नहीं है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम,1957 (प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम) से समनुरूप सादृश्यता निकाली जाए और उसका प्रयोग इस रीति और प्रकार से विधायी हस्तक्षेप के रूप में किया गया है जिसमे पक्षकार प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कार्य से संबंधित समनुदेशन करार करते हैं। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में 2012 में संशोधन इस अधिनियम की धारा 18 में एक अतिरिक्त परन्तुक अन्तःस्थपित कर किया गया था। इस नई अंत:स्थापित परंतुक में उपबंध किया गया कि कोई समनुदेशन समुपयोजन के कार्य के किसी माध्यम या पर लागू नही किया जा सकता जो समनुदेशन के बनने के समय विद्यमान या वाणिज्यिक उपयोग में नहीं था जबतक कि शोषण के ऐसे माध्यम या तरीके को विशेष रूप से संदर्भित न किया जाए ।

2.149 समिति नोट करती है कि खंड 34 (1) (ख) के अनुसार केंद्रीय सरकार को प्राधिकारी के परामर्श से प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को अंतरित करने की शक्ति दी गई है और डाटा स्वामी की स्पष्ट अनुमति से किसी भी देश को, कतिपय सुरक्षोपायों जैसे कि अंतरण उस देश को किया जाए जहाँ डाटा स्वामी के लिए समुचित स्तरीय सुरक्षा हो, के साथ अंतरण किया जाए। इसी तरह से प्राधिकारी खंड (34) (1) (क), जो सीमापार डाटा अंतरण की अनुमति देता है, के अंतर्गत करार या अंतरा समूह योजना की स्वीकृति देते समय अनिवार्य रूप से केंद्रीय सरकार से परामर्श करे। अतः समिति सिफारिश करती है कि 'केंद्र सरकार के परामर्श से' शब्द को खंड 34(1) (क) के अंत में जोड़ा जाए।

2.150 समिति व्यक्तियों/संगठनों द्वारा कदाशयता के अभिप्रेत से खंड 34(1)(क) के उपबंधों का संभावित दुरुपयोग या विदेशी कंपनियां जिनके कार्य राज्य के हितों के विरुद्ध है, के बारे में भी चिंतित है। कार्य की वैधानिक आवश्यकताओं और व्यक्तियों की निजता के मूलभूत अधिकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने और लोक नीति की तुलना में डाटा स्वामी के व्यापक हितों की सुरक्षा के लिए समिति ने खंड 34 (1) (क) उपबंध को अन्तःस्थापित करने का सुझाव दिया जिसके द्वारा कोई करार या अंतरा समूह योजना, डाटा स्वामी की सहमति के पश्चात भी सीमा पर डाटा अंतरण की अनुमति को अनुमोदित नही किया जा सकता यदि ऐसा करार या अंतरा समूह लोक नीति के विरुद्ध है। अतः समिति सिफारिश करती है कि खंड 34 (1) (क) (पंक्ति 32,

पृष्ठ 18) में 'यदि ऐसे अंतरण का उद्देश्य लोकनीति या राजनीति के विरुद्ध है और' शब्द को 'अनुमोदित ' शब्द के पश्चात अंतः स्थापित किया जाए।

2.151 इसके अलावा, इस बात को परिभाषित करने कि कब कोई अधिनियम लोक नीति के विरुद्ध हो जाता है, समिति उपखंड 34(1) के अंत में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने की भी इच्छा व्यक्त करती है। जैसा कि समिति द्वारा सुझाव दिया गया है, संशोधनों को समाहित करने के पश्चात खंड 34(1)(क) को समग्रता में निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:-

" 34. (1) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का भारत से बाहर अन्तरण केवल प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए तभी किया जा सकेगा जब डाटा स्वामी द्वारा ऐसे अन्तरण के लिए सुस्पष्ट सहमति दी गई हो और, जहां–

(क) अंतरण, <u>केन्द्रीय सरकार के परामर्श से</u> प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा या अंतरासमूह स्कीम के अनुसरण में किया जाता है :

परंतु <u>यदि ऐसे अन्तरण का उद्देश्य लोक नीति या राज्य नीति के विरुद्ध है और</u> ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम को तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध नहीं किया गया हो–

(i) इस अधिनियम के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आगे और अंतरण का संबंध भी है ; और

(ii) ऐसे अंतरण द्वारा ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम के उपबंधों के अननुपालन के कारण हुई अपहानि के लिए डाटा विश्वासी का दायित्व ; (***)"

(सिफारिश संख्या : 52)

2.152 'लोक नीति या राज्य नीति के विरुद्ध कृत्य' के लिए परिभाषा देने वाले स्पष्टीकरण को खंड 34 (1) के अंत मे जोड़ा जाए जो कि निम्नवत पठित होगा:-

" <u>स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी कार्रवाई को "लोक नीति" या "राज्य नीति" के विरुद्ध कहा जाएगा यदि उक्त कृत्य किसी विधि के भंग होने का संवर्धन करता है या वह इस संबंध में किसी लोक नीति या राज्य नीति के अनुरूप नहीं है या उसकी प्रवृत्ति राज्य या उसके नागरिकों के हितों को अपहानि पहुंचाने की है ।</u>"

(सिफारिश संख्या : 53)

2.153 समिति ने अधिनियम के खंड 34 (1)(ख) के अंतर्गत उपबंधों की उपयुक्तता के निहितार्थ को नोट किया और कहा कि देश द्वारा डाटा के आगे अंतरण हेतु प्रतिषेध का कोई उपबंध नहीं है, जिस पर भारत सरकार ने किसी तीसरे देश को डाटा अंतरण की अनुमति दी है।

2.154 समिति का विचार है कि भारतीयों के डाटा की सुरक्षा के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में यह निदेश देना आवश्यक है ताकि किसी देश को जहां भारतीयों का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा अंतरित किया जाएगा कि किसी तीसरे देश या एजेंसी से साझा करने से रोका जाए जब तक कि ऐसी साझेदारी को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। अतः समिति सिफारिश करती है कि खंड 34(1)(ख) के अंतर्गत एक नया उप खंड (तीन) अंतःस्थापित किया जाए। तदनुसार, नए उप धारा खंड 34(1)(ख)(तीन) के अंतर्वेशन के पश्चात खंड 34 (1) (ख) को समग्रता में निम्नलिखित रुप में पढ़ा जाए:-

" (ख) केन्द्रीय सरकार ने, प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् अपने ऐसे निष्कर्षों के आधार पर कि—

(i) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, लागू विधियों और अन्तरराष्ट्रीय करारों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के यथायेत्रय स्तर के अध्यधीन होगा ; (***)

(ii) ऐसा अन्तरण समुचित अधिकारिता वाले प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विधि के प्रवर्तन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा ; और

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई को या के वर्ग को या किसी ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी ; **और**

(iii) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, किसी विदेश सरकार या अभिकरण के साथ तब तक साझा नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे साझा किए जाने का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया गया हो,

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई या (***) **इकाइयों** के वर्ग को या किसी ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी निष्कर्ष का ऐसी रीतियों में जो विहित की जाएं, आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा ; **या** "

(सिफारिश संख्या : 54)

2.155 **तदनुसार, सभी खंडों को एक दूसरे के साथ तारतम्य में लाने के लिए ताकि देश के बाहर किसी भी सूचना का अंतरण हमेशा केंद्र सरकार के परामर्श से हो, समिति यह सिफारिश करती है कि खंड 34 (1) उप-खंड (ग) का पाठ अब निम्नवत हो।**

"(ग) प्राधिकरण <u>केन्द्रीय सरकार के परामर्श में</u> किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के किसी वर्ग का अंतरण अनुज्ञात किया है ।"

(सिफारिश संख्या: 55)

खंड 35 - सरकार के किसी अभिकरण को अधिनियम, लागू करने से छूट देने का केंद्र सरकार का अधिकार

2.156 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 35 निम्नानुसार है:

"जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,–

(i) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के हित में ; या

(ii) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "संज्ञेय अपराध" पद से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित अपराध अभिप्रेत है ;

(ii) "ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" पद के अंतर्गत किसी डाटा विश्वासी, डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा स्वामी द्वारा सरकार के ऐसे अभिकरण द्वारा या उसके साथ साझा करना भी है ।

2.157 समिति को खंड के संबंध में कई सुझाव मिले थे। खंड 35 पर ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का एक सार इस प्रकार है:

(एक) छूट प्राप्त करने के एक आधार के रूप में 'लोक व्यवस्था' को हटा दिया जाना चाहिए।

(दो) इन छूटों को प्रदान करने के लिए न्यायिक निगरानी और/या संसदीय निगरानी की आवश्यकता है।

(तीन) किसी एक निश्चित अभिकरण को विधेयक के दायरे से छूट देने के कारणों सहित लिखित में आदेश होना चाहिए।

(चार) राज्य/राज्य अभिकरणों को विधेयक के सभी प्रावधानों से छूट नहीं दी जानी चाहिए- सुरक्षा सम्बन्धी रक्षोपायों, वैयक्तिक डाटा भंग अधिसूचना, डाटा की पुष्टि और पहुंच अधिकार, अधिसूचना अधिकार राज्य अभिकरणों के लिए लागू रहना चाहिए । खंड 4, 5, 6, 9, 24, 35 और अध्याय एक, नौं-चौदह, किशोर न्याय (बालको की देख रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2015 में दिए गये बालकों के संरक्षण और सुरक्षोपाय निष्प्रभावी नहीं होने चाहिए।

(पांच) पीडीपी विधेयक 2018 में सुरक्षा उपायों को यह दर्शाने के लिए अंतःस्थापित किया जाना चाहिए कि छूट विधि/संविधि, द्वारा आवश्यक और आनुपातिक रूप में की गई है।

(छह) राज्य अभिकरणों के लिए डीपीओ नियुक्त करें।

(सात) नियमित सार्वजनिक लेखा परीक्षा की जाये और संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए।

2.158 चर्चा के दौरान समिति ने इस विधेयक के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की निजता संबंधी चिंताओं के मध्य संतुलन बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया।। यह पाया गया कि अधिकतर निरंकुश देश जो वैश्विक आंकड़ों को हड़प रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में यह संरक्षण

संभव नहीं है । समिति ने महसूस किया कि भारत की खतरे की अवधारणा और अपने खुले समाज और वैयक्तिक स्वतंत्रता के बारे में भारत के जो विकल्प हैं, और एक राष्ट्र के रूप में भारत का अस्तित्व जिन पर बहुत निर्भर करता है उनके बारे में कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है। विधेयक के उपबंधों और उपर्युक्त तीनों चिंताओं के मध्य संतुलन की चुनौती आसान नहीं है। इन विषयों के बीच चयन जैसा कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक सुरक्षित राष्ट्र ही ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की निजता सुनिश्चित करता है जबकि ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता का न होना ही निरंकुश व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं । इस समिति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कानूनी उपाय तैयार करने का दुष्कर कार्य था ताकि हमारे पास ऐसा वातावरण हो जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस समिति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कानूनी उपाय तैयार करने का भारी कार्य था ताकि हमारे पास ऐसा वातावरण हो जो हमारी स्वतंत्रता और निजता की रक्षा करे और भारत के हितों की विरोधी ताकतों के हाथों में सौंप कर इसे खतरे में न डाले।

2.159 खंड 35 के संबंध में, पुट्टास्वामी निर्णय का संबंधित अंश नीचे दिया गया है:

"राज्य द्वारा निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की संभावना से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं को राज्य के विवेकाधिकार को सीमित करने के लिए सुझाए गए परीक्षण से पूरा किया जा सकता है :

(एक) कार्रवाई कानून द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए;

(दो) प्रस्तावित कार्रवाई वैध उद्देश्य के लिए लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक होना चाहिए;

(तीन) इस प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यकता के अनुपात में ही होना चाहिए;

(चार) इस प्रकार के हस्तक्षेप के दुरूपयोग के विरुद्ध प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।

2.160 इसके अलावा निर्णय में यह भी कहा गया है:

"हालांकि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, फिर भी राज्य को एक मजबूत व्यवस्था लागू करनी चाहिए जो तीन गुना आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित

करती है। ये तीन आवश्यकताएं गोपनीयता संबंधी सभी नियंत्रणों पर लागू होती हैं (न केवल सूचनात्मक गोपनीयता)। वे अनुच्छेद 21 के प्रक्रियात्मक और विषय-आधारित अधिदेश से उत्पन्न होते हैं। पहली आवश्यकता कि वहां गोपनीयता पर अतिक्रमण का औचित्य सिद्ध करने के लिए एक कानून होना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 21 की एक सुसप्ष्ट आवश्यकता है। क्योंकि, के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसमें अपवादस्वरूप कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। कानून का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा, राज्य के वैध उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता की जरूरत, यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिबंधात्म्क कानून की प्रकृति और विषयवस्तु अनुच्छेद 14 द्वारा अधिदेशित औचित्य के क्षेत्र के भीतर आती है, जो इस बात की गारंटी है कि राज्य मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता। एक वैध राज्य के अनुसरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि कानून किसी व्यक्त निरंकुशता के प्रभाव में नहीं है। स्वयम सिद्ध प्रमाण रूप में वैधता में एक तरह का बहुत अहम निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा कानून का पुनर्मुल्यांकन करने या विधायिका के महत्वपूर्ण निर्णय का फिर से आकलन करने हेतु नहीं है, अपितु यह तय करने के लिए है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है वह स्पष्ट या प्रकट मनमानी से ग्रस्त तो नहीं है । तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए जाने वाले साधन/उद्देश्य उन आवश्यकताओं के आनुपातिक हों जिनको पूरा करने की अपेक्षा कानून द्वारा की जाती है। तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए जाने वाले साधन वस्तु के आनुपातिक हों और कानून द्वारा पूरी किए जाने की आवश्यकता है।. आनुपातिकता मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार के अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य से असंगत नहीं है ।इसलिए, एक वैध कानून के लिए तीन गुना आवश्यकता एक ओर निरंकुशता के विरद्ध मौलिक गारंटियों और दूसरी ओर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मध्य पारस्परिक अंतर-निर्भरता से उत्पन्न होती है। निजता का अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है, और भाग III में सन्निहित स्वतंत्रताएं, उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन हैं जो उन स्वतंत्रताओं पर लागू होती हैं। "

2.161 जीजा घोष बनाम भारत संघ मामले में हाल के फैसले से मानव गरिमा को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अदालत ने टिप्पणी की:

"...मानवीय गरिमा संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक लक्ष्य है। मानवीय गरिमा के संवैधानिक मूल्य के आयाम क्या हैं? यह सुंदर व्याख्या अहरोन बराक (इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) द्वारा निम्नवत की गई है::

> "मानवीय गरिमा के संवैधानिक महत्व की एक आदर्श केन्द्रीय भूमिका केंद्रीय मानक संबंधी होती है । मानवीय गरिमा का संवैधानिक महत्व एक ऐसा कारक है जो मानवाधिकारों को एकसूत्र में पिरोता है। यह मानवाधिकारों की आदर्श एकरूपता सुनिश्चित करता है । यह आदर्श एक रूपता तीन तरीकों से व्यक्त की जाती है: पहला, मानव गरिमा का महत्व संविधान में निर्धारित संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मानक आधार के रूप में कार्य करता है; दूसरा, यह संवैधानिक अधिकारों के दायरे का निर्धारण करने के लिए एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जिसमें मानव गरिमा का अधिकार शामिल है; तीसरा, एक संवैधानिक अधिकार को सीमित करने वाले क़ानून की आनुपातिकता का निर्धारण करने में मानव गरिमा के मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है;

2.162 सिंगापुर में, सरकारी संगठनों पर वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता है और यह केवल निजी संगठनों पर लागू होता है। राज्य की उपरोक्त उल्लिखित प्रमुख चिंताओं का समाधान सरकार द्वारा अधिनियमों (जैसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम) का उपयोग करके किया जाता है न कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम द्वारा। उक्त अधिनियम का उद्देश्य संगठनों द्वारा वैयक्तिक डाटा के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण को नियंत्रित करना है।

2.163 द क्लेरीफायिंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डाटा एक्ट या क्लाउड अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय कानून है जो 2018 में अधिनियमित किया गया है, जिसमें संघीय कानून प्रवर्तन को वारंट या सपीना (सम्मन) के माध्यम से यू.एस. आधारित प्रौद्योगिकी कंपनियों को सर्वर पर संग्रहीत डाटा प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है, भले ही डाटा यू.एस. में संग्रहीत हो या नहीं। इसने अमेरिकी एजेंसियों

को वैध उद्देश्यों के लिए अमेरिका के बाहर संग्रहित आंकड़ों के प्रक्रमण के लिए कार्यकारी समझौतों के माध्यम से एमएलएटी (पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों) हेतु एक वैकल्पिक और त्वरित मार्ग बनाने में सक्षम बनाया है। केवल संघीय एजेंसियां ही क्लाउड एक्ट लागू कर सकती हैं, और चीन में, सरकार का प्लेटफार्मों पर पूर्ण नियंत्रण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सभी डाटा देश के भीतर ही संग्रहीत किया जाता है।

2.164 इसी प्रकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, सामान्य डाटा संरक्षण विनियम डाटा नियंत्रक या प्रक्रमण दायित्वों और अधिकारों को अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, रोकथाम, जांच, आपराधिक अपराधों की रोकथाम या अभियोजन या आपराधिक शास्ति के निष्पादन के उद्देश्य से प्रतिबंधित करता है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक या वित्तीय हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए खतरों की सुरक्षा और रोकथाम शामिल है।

2.165 जीडीपीआर के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित है,

"1. वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण नस्लीय या जातीय मूल, राजनीतिक राय, धार्मिक या दार्शनिक विश्वासों, या ट्रेड यूनियन सदस्यता, और आनुवंशिक डाटा के प्रक्रमण, प्राकृतिक व्यक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करने के उद्देश्य के लिए बॉयोमीट्रिक डाटा, स्वास्थ्य से सम्बंधित डाटा या एक प्राकृतिक व्यक्ति के यौन जीवन या यौन अभिविन्यास से संबंधित डाटा को निषिद्ध किया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 लागू नहीं होगा यदि निम्नलिखित में से एक लागू होता है:

...

(एक) सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के कारणों हेतु प्रक्रमण आवश्यक है, जैसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर सीमापारीय खतरों से रक्षा करना या स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय उत्पादों या चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना, संघ या सदस्य राज्य कानून के आधार पर, विशेष रूप से पेशेवर गोपनीयता के संबंध में, डाटा विषय के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उपयुक्त और विशिष्ट उपायों का प्रावधान करता है;"

2.166 न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति ने वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करते समय राज्य की उपरोक्त चिंताओं के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के पुट्टास्वामी निर्णय पर भी गहरे विचार किया था, जिसमें इन अपवादों को राज्य के वैध हितों के रूप में परिकल्पित किया गया है और समानता परीक्षण को संतुष्ट किया गया है, और राज्य द्वारा आंकड़ों के प्रक्रमण के लिए कई अपवाद और छूटें बनाई गईं हैं, जिसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि ये ऐसी स्थितियां हैं जहां डाटा स्वामी और डाटा विश्वासी के अधिकार और दायित्व समग्रता में लागू नहीं होंगे।

2.167 इसके अलावा, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश है कि, "राज्य के कल्याणकारी कृत्यों को प्रक्रमण के लिए एक अलग आधार के रूप में मान्यता दी जाएगी। राज्य द्वारा कानून के तहत की जाने वाली प्रक्रमण कार्यकलापों को इस आधार के तहत कवर किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जनहित और शासन को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल किए गए निकाय ही इस आधार पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि, उन कार्यकलापों के प्रक्रमण जिन्हें कल्याणकारी कृत्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, इस आधार की उपलब्धता कानून में अस्पष्टता से बचने के लिए कुछ संस्थाओं और कुछ कृत्यों तक ही सीमित है।"

2.168 इसके आगे समिति सिफारिश करती है कि,"डाटा संरक्षण कानून राज्य की सुरक्षा के हित में आवश्यक होने पर वैयक्तिक या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए छूट जारी करेगा। कोई भी प्रतिबंध आनुपातिक और संक्षिप्त रूप से उल्लिखित उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। केंद्र सरकार को खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों की निगरानी हेतु त्वरित रूप से कानून लाया जाना चाहिए।"

2.169 समिति ने यह पाया है कि आधुनिक राजनीतिक जगत में और वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों के साथ किसी राज्य की अनिवार्य चिंता देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध की रोकथाम, और सार्वजनिक व्यवस्था से निपटना है। इन राजनीतिक जनादेश के अलावा, अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई प्रत्येक राज्य का एक और लक्ष्य है।

2.170 समिति की 16 दिसंबर, 2020 को हुई बैठक में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"इस उपबंध का मसौदा तैयार करते समय, हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के वहां उल्लिखित उपबंधों के उदाहरण लिए हैं।..... यहां संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 की पंक्तियों में उल्लिखित प्रतिषेध जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है, की तर्ज पर उचित प्रतिषेध विनिर्दिष्ट करता है।"

2.171 समिति नोट करती है कि खंड 35 केन्द्र सरकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि जैसे कतिपय वैध उद्देश्यों हेतु इस अधिनियम की प्रयोज्यता से सरकार के किसी भी अभिकरण को छूट देने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपबंधों, न्यायालय के संबंधित निर्णयों और अन्य देशों के विधानों में इसी प्रकार के उपबंधों के व्यापक संदर्भ में खंड 35 की जांच करते समय, समिति ने पाया खंड 35 के उपबंध में लगाए गए उचित प्रतिबंधों के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 में यथा प्रत्याभूत स्वतंत्रता पर लगाए निर्बंधन और पुट्टास्वामी निर्णय एक नजीर है। तथापि, समिति उन उपबंधों के संभावित दुरूपयोग के बारे में चिंतित है जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति के निजता अधिकारों को, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए राज्य के व्यापक हितों की सुरक्षा हेतु समाहित किया जा सकता है। इसलिए, समिति यह महसूस करती है कि यद्यपि राज्य को इस अधिनियम की प्रयोज्यता से स्वयं को छूट देने का प्राधिकार है, तथापि, इस शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है। समिति नोट करती है कि जीडीपीआर, क्लाउड एक्ट और पुट्टास्वामी निर्णय भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के साथ राज्य को ऐसी शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर मान्यता देते हैं। इसके अलावा, समिति ने पाया कि पुट्टास्वामी निर्णय ने राज्य को किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने से पूर्व तीन परीक्षण नामतः अनिवार्यतः, आनुपातिकता और राज्य द्वारा वैध कार्रवाई पूरा करना निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 निजता के संबंध में पुट्टास्वामी निर्णय और वैयक्तिक अधिकार के मध्य संतुलन बनाने हेतु, जैसा कि इस अधिनियम और अन्य जगहों पर उपबंध किया गया है, समिति सिफारिश करती है कि खंड 35 (पंक्ति 28) में उल्लिखित 'ऐसी प्रक्रिया' को खंड 35 के स्पष्टीकरण

पैराग्राफ में परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि खंड 35 के स्पष्टीकरण में एक नया उप- खंड (iii) जोड़ा जाए, जिसका पाठ निम्नवत है:-

"(iii) "ऐसी प्रक्रिया" पद उचित, न्याय संगत और युक्तियुक्त और आनुपातिक प्रक्रिया के प्रति निर्देश है ।"

2.172 **समिति द्वारा यथा संशोधित खंड 35 को समग्र रूप में इस प्रकार पढा जाए:**

" 35. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जह केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,–

(i) भारत की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में ; या

(ii) भारत की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार वे किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जं अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "संज्ञेय अपराध" पद से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित अपराध अभिप्रेत है ;

(ii)"ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" पद के अंतर्गत किसी डाटा विश्वासी, डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा स्वामी द्वारा सरकार के ऐसे अभिकरण द्वारा या उसके साथ साझा करना भी है ; और

(iii) "ऐसी प्रक्रिया" पद उचित, न्याय संगत और युक्तियुक्त और आनुपातिक प्रक्रिय के प्रति निर्देश है ।" **(सिफारिश संख्या: 56)**

खंड 36 - वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों से छूट।

2.173 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 36, जिसका आशय वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय प्रावधानों को छूट देना है, निम्नवत् पठित है:

"धारा 4 के सिवाय अध्याय 2, अध्याय 3 से अध्याय 5, धारा 24 के सिवाय अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंध वहां लागू नहीं होगें जहां–

(क) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी अपराध के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के, किसी अन्य उल्लंघन के निवारण, उसका पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के हितों में किया गया है;

(ख) वैयक्तिक डाटा का प्रकटन किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन, किसी अनुतोष की ईप्सा, किसी आरोप की प्रतिरक्षा, किसी दावे का विरोध करने या किसी आसन्न विधिक कार्यवाही में किसी अधिवक्ता से कोई विधिक सलाह लेने के लिए आवश्यक है;

(ग) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी न्यायिक कृत्य के प्रयोग के लिए आवश्यक है;

(घ) किसी नैसर्गिक व्यक्ति द्वारा किसी वैयक्तिक या घरेलू प्रयोजन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसे प्रक्रमण में जनता को प्रकटन अंतर्वलित है या किसी वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप के संबंध में किया गया है; या

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण पत्रकारिता के प्रयोजन के लिए आवश्यक है या उससे सुसंगत है और जो भारतीय प्रेस परिषद् या किसी अन्य मीडिया स्वविनियामक संगठन द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुपालन में है।

2.174 खंड 36 के संबंध में ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत् है:

(i) 4,5,6,9, अध्याय तीन से पांच, तथा खंड 17, 18, 24 को छोड़कर अध्याय छह और अध्याय सात खंड पर छूट लागू नहीं होना चाहिए।

(ii) खंड 5, 6, 8, 9 और 25 पर लागू होना जारी रहना चाहिए।

2.175 पत्रकारिता के प्रयोजन से दी जाने वाली छूट के संबंध में, न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट कहती है, "अंततः, पत्रकारों को डाटा संरक्षण कानून से छूट दिए जाने के लिए न्यूज रिपोर्टिंग के प्रयोजन हेतु उन्हें वैयक्तिक डाटा के संग्रहण और प्रसारण में ईमानदारी और निष्पक्षता के नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। पत्रकारिता में इस छूट के लिए नैतिक मानक रखने का प्रयोजन, विश्वसनीय अभिदाताओं को कम विश्वसनीय अभिदाताओं से अलग कर पेशेवर कामों में मिसाल कायम करके उसके अनुरूप लोगों की तुलना करना है। इंटरनेट के समय में नैतिक मानक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसने पत्रकारिता को काफी आयान बना दिया है, जिसका परिणाम यह है कि लोग बिना कौशल या प्रशिक्षण के पत्रकार बन रहे हैं और समाचार का साधन बन रहे हैं। किसी भी पेशेवर अर्हता परीक्षा की कमी इस समस्या को और अधिक बढ़ाती है।

2.176 समिति का विचार है कि खंड 36 की भाषा को सरल किये जाने की आवश्यकता है और इसीलिए समिति का सुझाव है कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक , 2019 के खंड 36 की पंक्ति 36 और 37 को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए, "36. <u>धारा 24 के सिवाय</u> अध्याय 2 (***) से **<u>अध्याय 7</u>** के उपबंध लागू नहीं होगें जहां—"

(सिफारिश संख्या: 57)

2.177 'खंड 36(ङ) का संबंध पत्रकारिता के उद्देश्य से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित है और इसका आशय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा किसी विधिक मीडिया स्व-विनियामक संगठन द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार इसे विनियमित करना है। इस संबंध में समिति का मत है कि मीडिया के कार्यकरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है और इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत इसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पत्रकारिता के नाम पर किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों, जिनका रक्षण करना इस विधेयक का उद्देश्य है, का दुरूपयोग न हो, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि मीडिया का अपने

ऊपर नियंत्रण अपर्याप्त है और देश में इसके सभी स्वरूपों और विस्तारित क्षेत्रों हेतुव्यापक संहिता लाने और एकीकृत संस्था स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। समिति नोट करती है कि वर्तमान में ऐसी एक भी एकीकृत एजेंसी नहीं है जो मीडिया के विभिन्न स्वरूपों , विशेष रूप से समाचार मीडिया को विनियमित करती हो। समिति के विचार से प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया जैसे मीडिया-विनियामक, पत्रकारिता क्षेत्र, जो संचार के आधुनिक तरीके जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म अथवा अधिकांशतः इन्टरनेट का प्रयोग करते है, को नियंत्रित करने के लिए सुसज्जित नहीं है। इस सम्बन्ध में समिति यह महसूस करती है कि उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मीडिया विनियमन हेतु विधिक-निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। समिति यह चाहती है कि किसी भी विधिक-निकाय जिसे सरकार भविष्य में स्थापित करना चाहती है, को अधिकार प्रदान करने के लिए खंड 36(ङ) में संशोधन किया जाना चाहिए और तब तक सरकार इस सम्बन्ध में नियम भी जारी करे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि खंड 36(ङ) में 'अनुपालन' शब्द के बाद में 'इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों ' पद को जोड़ा जाये और इसी खंड में 'मीडिया स्व-विनियामक संगठन' को 'कानूनी मीडिया विनियामक संगठन' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इस प्रकार, समिति द्वारा यथा संशोधित खंड 36(ङ) को निम्नवत पढ़ा जाए:

" (ङ) किसी व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण पत्रकारिता के प्रयोजन के लिए आवश्यक है या उससे सुसंगत है और <u>इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों,</u> भारतीय प्रेस परिषद् या किसी <u>कानूनी</u> मीडिया (***) विनियामक संगठन द्वारा जारी (***) नैतिक संहिता के अनुपालन में है ।"

(सिफारिश संख्या: 58)

खंड - 39 लघु इकाइयों को हस्त प्रकमण के लिए छूट

2.178 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 39 लघु इकाइयों को हस्त प्रकमण के लिए छूट प्रदान करता है। इस खंड को निम्नवत् पढ़ा जाए :

"(1) धारा 7. धारा 8, धारा 9, धारा 17 की उपधारा (1) का खंड (ग) और धारा 19 से धारा 32 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी लघु इकाई द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण स्वचालित नहीं है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "लघु इकाई" से ऐसा डाटा विश्वासी अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा वर्गीकृत किया जाए

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में डाटा विश्वासी का आवर्त :

(ख) किन्हीं अन्य व्यष्टियों या इकाइयों को प्रकटन के लिए वैयक्तिक डाटा के संग्रहण का प्रयोजन ; और

(ग) पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में किसी एक दिन में ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा का आकार ।"

2.179 खंड के संबंध में ज्ञापनों के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत है :

(i) सम्यक प्रक्रिया रक्षोपाय शामिल किये जाए।

(ii) छूट के दायरे में खंड 20, और 23-25 को कवर न किया जाए।

(iii) "हस्त प्रक्रमण" को परिभाषित किया जाए।

(iv) लघु इकाईयों द्वारा हस्त और स्वचालित प्रक्रमण दोनों को छूट प्रदान की जानी चाहिए।

2.180 इस संबंध में, न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट कहती है कि, "जब वैयक्ति डाटा स्वचालित तरीके से प्रक्रमणित किया जाता है तो निजता अपहानिसे होने वाला जोखिम अधिक होता है, डाटा विश्वासी द्वारा हस्त प्रक्रमण के लिए डाटा संरक्षण कानून में छूट प्रदान की जाएगी जिससे अधिक अपहानि होने की संभावना नहीं है और इस कानून के तहत कतिपय बाध्यताओं के कारण अपेक्षाकृत अधिक भार सहना पड़ेगा।"

2.181 समिति यह नोट करती है कि खंड के हाशिए में दिए गए टिप्पण में प्रयोग किये गये शब्द "हस्त" का खंड में कहीं और प्रयोग नहीं किया गया है अत- अस्पष्टता को दूर

करने के लिए समिति ने खंड के हाशिए में दिए गए टिप्पण में निम्नलिखित शुद्धि करने का निर्णय लिया :-

" लघु इकाइयों द्वारा (***) अस्वचालित प्रक्रमण के लिए छूट "

(सिफारिश संख्या: 59)

खंड 40- नवाचार, आदि के प्रोत्साहन के लिए सैंडबाक्स

2.182 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 40 नवाचार, आदि प्रोत्साहन के लिए सैंडबाक्स के बारे में है। विधेयक के खंड 40 का पाठ निम्नवत है:-

"(1) प्राधिकरण, लोकहित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन विद्वत या किसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनों के लिए एक सैंडबाक्स का सृजन करेगा ।

(2) कोई डाटा विश्वासी, जिसकी धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रमाणित की जाती है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन सृजित सैंडबाक्स में अंतवर्ष्टि करने के लिए, आवेदन करने का पात्र होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सैंडबाक्स में अंतवर्ष्टि करने के लिए आवेदन करने वाला कोई डाटा विश्वासी, निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात् :–

(क) वह अवधि जिसके लिए उसने सैंडबाक्स के फायदे के उपयोग की इच्छा की है, परंतु ऐसी अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रौद्योगिकी का नवाचारी उपयोग और उसका लाभप्रद उपयोग ;

(ग) प्रस्तावित प्रक्रमण के अधीन भागीदारी करने वाले डाटा स्वामियों या डाटा स्वामियों के प्रवर्ग ; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) प्राधिकरण, सैंडबाक्स में किसी डाटा विश्वासी को अंतवर्ष्टि करते समय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा–

(क) सैंडबाक्स में अंतवर्ष्टि करने की अवधि, जो छत्तीस मास की कुल अवधि के अधीन रहते हुए, दो बार से अनधिक नवीनीकृत की जा सकेगी ;

(ख) रक्षोपाय जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्तिधारी क्रियाकलाप के अधीन भाग लेने वाले डाटा स्वामी की सहमति की अपेक्षा, ऐसे, डाटा स्वामियों की क्षतिपूर्ति और ऐसे रक्षोपायों के संबंध में शास्तियों सहित खंड (ग) के अधीन बाध्यताओं को देखते हुए निबंधन और शर्तें भी हैं ; और

(ग) निम्नलिखित बाध्यताएं ऐसे डाटा विश्वासी को लागू नहीं होंगी या संशोधित रूप में लागू होंगी, अर्थात् :–

(i) धारा 4 और धारा 5 के अधीन स्पष्ट और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करने की बाध्यता ;

(ii) धारा 6 के अधीन वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बंधन ; और

(iii) उस विस्तार तक कोई अन्य बाध्यता धारा 5 और धारा 6 के अधीन बाध्यताओं पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ; और

(iv) धारा 9 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बंधन ।

2.183 हितधारकों से ज्ञापनों के रूप में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे :-

(i) "सैंडबाक्स " को परिभाषित किया जाए।

(ii) सैंडबाक्स छूट समाप्त हो जाने के बाद डाटा विश्वासी को रक्षोपाय प्रदान किये जाएं।

(iii) सैंडबाक्स निष्कर्षों के आधार पर विनियमों/मानकों आदि की समीक्षा करने हेतु डीपीए को अधिदेश देना ।

(iv) सैंडबाक्स दिशा निर्देशों के संबंध में क्षेत्रक विनियामकों के साथ समन्वय के तरीके भी शामिल किये जाएं (उदाहरणार्थ आरबीआई फिनटैक सैंडबाक्स)

2.184 समिति नोट करती है कि खंड 40(1) में "करेगा शब्द सरकार पर सैंडबाक्स सृजित करने की अनिवार्य बाध्यता डालता है। समिति की राय में खंड प्रतिबंध की बजाए एक समर्थकारी प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति यह महसूस करती है कि वर्तमान में सैंडबाक्स को लागू करने/सृजित करने हेतु सरकार के पास आवश्यक अवसंरचना, संसाधन अथवा विशेषज्ञता नहीं हो सकती है। इससे डाटा पर भरोसा करने वाले निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अत- समिति सुझाव देती है कि खंड 40 (1) में प्रयुक्त "करेगी" शब्द के स्थान पर "कर सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

2.185 इसके अतिरिक्त समिति सुझाव देती है कि सैंडबाक्स व्यवस्था में भाग लेने हेतु, स्टार्टअप को अनुमति देने हेतु खंड की उप-खंड (2) में "कोई डाटा विश्वासी" शब्दों के पश्चात् के साथ-साथ स्टार्ट अप" शब्द अंतस्थापित किये जाएं जो कि 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने हेतु भारत के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2.186 तदनुसार, खंड 40 (1) और (2) में निम्नवत् संशोधन किया जाए :-

"40. (1) प्राधिकरण, लोकहित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन विद्वत या किसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में नवाचार के प्रोत्साहन देने के प्रयोजनों के लिए एक सैंडबाक्स का सृजन (***) <u>कर सकेगा</u> ।

(2) कोई डाटा विश्वासी <u>और ऐसा स्टार्टअप,</u> जिसकी धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रमाणित की जाती है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन सृजित सैंडबाक्स में सम्मिलित होने के लिए, आवेदन करने का पात्र होगा ।"

(सिफारिश संख्या: 60)

2.187 समिति यह भी नोट करती है कि खंड 40 में " सैंड बाक्स," पद को स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि " सैंड बाक्स " पद एक तकनीकी पद है, इसलिए समिति इस पद के बारे में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा गलत अर्थ-निरूपण से बचने के लिए " सैंड बाक्स " के स्पष्टीकरण को सम्मिलित करना आवश्यक समझती है। अत: समिति यह चाहती है कि " सैंड बाक्स " पद के स्प्ष्टीकरण को खंड 40 के अंत में अंतर्विष्ट करके इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :-

" स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "सैंड बाक्स" पद से किसी नियंत्रित या परीक्षण विनियामक वातावरण में नए उत्पादकों या सेवाओं का ऐसा सजीव परीक्षण अभिप्रेत है जिसके लिए प्राधिकरण, परीक्षण के सीमित प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए कतिपय विनियामक छूट अनुज्ञात कर सकेगा या नहीं कर सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 61)

खंड 42 - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संरचना और अर्हताएं

2.188 खंड 42 में डाटा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए संरचना और अर्हता का उपबंध किया गया है जो निम्नवत है:

"42. (1) प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और छह से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें से एक सदस्य विधि में अर्हता और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(क) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव; और

(ग) भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति वाले व्यक्ति होंगे और जिन्हें डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा या सम्बन्धित विषयों के क्षेत्र में अर्हता व ज्ञान हो तथा कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की पद पर हुई कोई आकस्मिक रिक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है, तीन मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

2.189 **समिति की इच्छा है कि खंड 42 (1) में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रावधान को विशिष्ट बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए और इस प्रकार इसे संशोधित किया जा सकता है जिसमें यह कहा गया हो कि एक सदस्य विधि क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जिसकी अर्हताएं और अनुभव ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएँ। संशोधित खंड 42 (1) निम्नवत होगा:**

" 42. (1) प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और छह से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें से एक (***) <u>विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ ऐसे</u> अर्हता और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, (***) <u>जो विहित की जाए</u> ।"

(सिफ़ारिश संख्या: 62)

2.190 खंड 42(2) में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(क) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव ; और

(ग) भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव ।

2.191 समिति ने यह पाया है कि विधेयक में चयन समिति की प्रस्तावित संरचना में केवल तीन सदस्य हैं और सभी सचिव स्तर के नौकरशाह हैं। समिति की इच्छा है कि तकनीकी, कानूनी और अकादमिक विशेषज्ञों को चयन समिति में शामिल किया जाए ताकि इसे अधिक समावेशी, मजबूत और स्वतंत्र बनाया जा सके। तदनुसार, खंड 42 (2) के तहत निम्नवत संशोधन किया जाए

"(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) <u>भारत का महान्यायवादी – सदस्य</u> ;

(iii) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव - **सदस्य** ; (***)

(iv) भारत सरकार के (***)इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव- **सदस्य ;**

(v) डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इन्टरनेट विधि, लोक प्रशासन और संबंधित विषय के क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला स्वतंत्र विशेषज्ञ – सदस्य ।

(vi) **केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कोई निदेशक सदस्य; और**

(vii) **केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय प्रबंधन संस्थान का कोई निदेशक सदस्य ।** "

(सिफारिश संख्या: 63)

खंड 45 - अध्यक्ष की शक्तियाँ

2.192 खंड 45 में अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में उपबंध किया गया है । विधेयक के खंड 45 का पाठ निम्नवत है

"प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन और सभी बातें भी करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ।"

2.193 विचार विमर्श के दौरान समिति ने पाया कि खंड 45 में डाटा संरक्षण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने के अध्यक्ष के मूल अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खंड में 45में डीपीए की बैठकों की अध्यक्षता करने के अध्यक्ष के मूल अधिकार का भी उल्लेख होगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अध्यक्ष के अधिकारों को अर्ह करने के लिए "का साधारण अधीक्षण " शब्दों से पूर्व 'के आचरण " शब्द जोड़े जाएं। तदनुसार यथा संशोधित खंड 45 को निम्नवत पढ़ा जाये :

"45. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण कार्यकलापों **के आचरण** का साधारण अधीक्षण करने और (***) निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा **वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने** के अतिरिक्त है (***) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और

ऐसे सभी कृत्यों का न निर्वहन और सभी बातें भी करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 64)

खंड 49- डाटा संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

2.194 खंड 49 जो डाटा संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यों का वर्णन करता है, का पाठ इस प्रकार है:-

(1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह डाटा स्वामियों के हितों का सरक्षण करे, वैयक्तिक डाटा के किसी दुरुपयोग का निवारण करे. इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करे और डाटा संरक्षण के बारे में जागरुकता का संवर्धन करे।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी और अन्य कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,

(क) इस अधिनियम के उपबंधों की मॉनीटरी और उनके उपयोजन का प्रवर्तन करना;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वैयक्तिक डाटा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्पर और समुचित कार्रवाई करना;

(ग) अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसे डाटाबेस का अनुरक्षण करना जिसमें डाटा विश्वसनीयता स्कोर के प्ररूप में रेटिंग के साथ महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के नाम, ऐसे डाटा विश्वासियों द्वारा इस अधिनियम की बाध्यताओं के अनुपालन को उपदर्शित करते हुए, अन्तर्विष्ट होंगे;

(घ) किसी डाटा संपरीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करना तथा उनके अनुसरण में कोई कार्रवाई करना;

(ङ) डाटा संपरीक्षकों को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना तथा उसका नवीकरण करना, वापस लेना, निलंबन या रद्दकरण तथा रजिस्ट्रीकृत डाटा संपरीक्षकों के डाटाबेस का अनुरक्षण करना तथा ऐसे डाटा संपरीक्षकों की अर्हताएं, व्यवहार संहिता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट करना;

(च) डाटा विश्वासियों का वर्गीकरण; (छ) वैयक्तिक डाटा के सीमा पार अंतरण की मॉनीटरी करना;

(ज) व्यवहार संहिता को विनिर्दिष्ट करना;

(झ) डाटा विश्वासियों और डाटा स्वामियों के बीच वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के सम्बन्ध में जोखिमों, नियमों, रक्षोपायों तथा अधिकारों के प्रति जागरुकता और अवबोधन का संवर्धन करना;

(ञ) ऐसे प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक व्यवहारों को मानीटर करना, जिससे वैयक्तिक डाटा का संरक्षण प्रभावित हो सकता है;

(ट) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार के लिए मानदंडों का संवर्धन और अनुसंधान करना ;

(ठ) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के संवर्धन के लिए और इस अधिनियम के लागू होने या उसके प्रवर्तन की अनुरूपता को सनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार नशा किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देना;

(ड) इस अधिनियम के प्रयोजनों को लत करने के लिए फीस और अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन परिवाद प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना ; और

(ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(3) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकरण किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है, वहां इसका अर्थ ऐसे वैयक्तिक डाटा के सम्बन्ध में यथा लागू डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के रूप में लगाया जाएगा तथा जहां प्राधिकरण के कब्जे में कोई ऐसी सूचना आती है जिसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा गोपनीय माना गया है, वहां वह ऐसी जानकारी को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक किसी विधि के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो या जहां इस धारा के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसा अपेक्षित है।"

2.195 खंड के संबंध में ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नानुसार है :-

(एक) विनियम आदि बनाने के लिए डीपीए हेतु एक पूर्व-परामर्श अधिदेश सहित प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(दो) मामलों के पारदर्शी संचालन के लिए दायित्व प्रदान किया जाए।

(तीन) डीपीए जनहित में रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहिए और विधेयक में डाटा संरक्षण के संवर्धन संबंधी उपायों के बारे में संसद को परामर्श दी जानी चाहिए।

2.196 खंड 49, पर चर्चा के दौरान समिति ने हार्डवेयर-सम्पूर्णता जो निजता के लिए आवश्यक है, के बारे में चिंता व्यक्त की। समिति ने बलमबर्ग बिजनेस वीक में प्रकशित रिपोर्ट पर भी चिंता व्यक्त की जिसमें यह प्रकाशित किया गया था कि वर्ष 2015-16 में अमेजन इंक ने संयुक्त राज्य अमरीकी में एक गुप्त सेवा मिशन और अन्य आनलाइन सेवाओं के लिए एक हार्डवेयर डिजाइन किया। सर्वर डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और बड़े हार्डवेयर विनिर्माण को चीन से आउट सोर्स किया गया। तथापि उक्त कंपनी यह पाकर आश्चर्य चकित हुई कि सर्वर के मदरबोर्ड में एक छोटी माइक्रो चिप फिक्स की गई थी जो कि मूल डिजाइन का भाग नहीं थी। विनिर्माण में विशुद्ध निवेश और उसके सभी उपस्करों में अंतरण से डाटा भंग की प्रबल संभावना बन जाती है। विश्व हार्डवेयर आधारित हमले सॉफ्टवेयर आधारित घटनाओं की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसका आज विश्व साक्षी है। हार्डवेयर हमलों से निपटना अधिक कठिन है और एकदम अलग प्रकृति के होने के कारण और विनियमन के अभाव के कारण ये अधिक हानिकारक हो सकते हैं।

2.197 इसके अतिरिक्त, समिति को जीडीपीआर में इस संबंध में इसी प्रकार के उपबंधों के बारे में बताया गया। कथन (30) के अंतर्गत जीडीपीआर में कहा गया है:-"नैसर्गिक व्यक्तियो को उनके उपस्कर, एप्लीकेशन, टूल और प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेट प्रोटोकाल ऐड्रस् कुकीज आइडेंटिफायर अथवा अन्य आडेंटीफायर जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफीकेशन टैग द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन पहचान से सम्बद्ध किया जा सकता है। यह निशान छोड़ सकता है, जो विशेषकर विशेष पहचानकर्ता के साथ और सर्वर से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ मिला कर नैसर्गिक व्यक्तियों के प्रोफाईल तैयार करने और उनकी पहचान करने में प्रयोग किया जा सकता है।"

2.198 हार्डवेयर उपस्करों के माध्यम से डाटा लीकेज के संबंध में समिति द्वारा चिंता व्यक्त किये जाने के आलोक में इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 दिसम्बर 2020 को हुई बैठक के दौरान निम्नवत् बताया :-

"भारतीय विनिर्माताओं सहित विश्व में कहीं से भी लाकर भारत में बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद को मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, जो विभिन्न स्तरों इएएल-1 से ईएएल

7 तक होती है - से गुजरना होता है। उन्हें उत्पाद स्तर पर अपने उत्पादोंका परीक्षण और प्रमाणन कराना होता है।"

2.199 समिति ने उक्त निषेदन का संज्ञान लिया परन्तु साथ ही समिति का यह मत था कि लोगोंमें सीमित जागरूकता के कारण सॉफ्टवेयर चुनौती जिसके बारे में सामान्यजन तक जागरूक हो रह हैं, की तुलना में हार्डवेयर (डिजिटल इकोसिस्टम का भाग) को सामान्यत संरक्षित और सुरक्षित माना जाता है। समिति अपनी चिंता व्यक्त करती है कि देश में डाटा संरक्षण के संबंध में बिना किसी उचित जांच और प्रमाणन के हार्डवेयर का आयात किया जा रहा है जिससे डाटा चोरी हो सकती है और समिति का दृढ़ मत है कि इस प्रकार की छेड़छाड़ नागरिकों की निजता संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

2.200 **समिति ने नोट किया है कि खंड 49 (2) (बी) प्राधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वैयक्तिक डाटा का उल्लंघन करने पर त्वरित और उचित कार्रवाई करने का अधिकार देता है। समिति का मानना है कि चूंकि गैर-वैयक्तिक आंकड़ों को विनियमित करने के लिए अधिनियम का दायरा बढ़ाया गया है, इसलिए गैर वैयक्तिक डाटा उल्लंघन करने की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारों को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि "व्यक्तिगत" शब्द को खंड 49 (2) (ख) से हटाया जाए। संशोधित खंड 49 (2) (ख) का पाठ निम्नवत हो:**

"(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार (***) डाटा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्पर और समुचित कार्रवाई करना; "

(सिफारिश संख्या: 65)

2.201 **समिति यह पाती है कि हार्डवेयर के माध्यम से संवेदनशील निजी डाटा की चोरी का खतरा नीति-निर्धारकों और विश्वभर के सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। पूरे विश्व में विनिर्माण की विकेन्द्रीकृत प्रकृति के कारण दुष्प्रवृत्ति के लोगों/संगठनोंको डिजीटल हार्डवेयर के दुरूपयोग अवसर प्राप्त होता है। आईओटी उपस्करों के आगमन और दैनिक जीवन में डिजीटल उपस्करों के प्रसार से इस चुनौती में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए समिति यह महसूस करती है कि भारतीयों के इस डाटा संरक्षण प्राधिकरण को डाटा संरक्षण के उद्देश्य से केन्द्र सरकार और विधान के माध्यम**

से सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि हार्डवेयर समेकन सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी प्रकार के डाटा छेड़छाड़ (इंटरडिक्शन) अथवा पहले से अपलोड डाटा को पुन: अपलोड करने (सीडिंग) को रोकने के लिए वैयक्तिक डाटा का उल्लंघन हो सकता है, एक ऐसी रूप रेखा तैयार कीजाए जिससे उसकी निगरानी, जांच और प्रमाणान की व्यवस्था हो सके। इसलिए समिति 49(2)(ण) 49(2)(त) बन जाएगा, अत: समिति द्वारा अंतस्थापित नया उप खंड 49(2)(ण) इस प्रकार पढ़ा जाए:-

"(ण) किसी द्वेषपूर्ण निविष्ट को, जिससे डाटा भंग हो सकता है,निवारित करने के लिए परिकलन युक्ति पर के हार्डवेयर और साफ्टवेयर की अखंडता को और विश्वास्यता इस प्रयोजन के लिए सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी समुचित अभिकरण द्वारा निगरानी, परीक्षण और प्रणाणीकरण ; और"

(सिफारिश संख्या : 66)

खंड 50 - व्यवहार संहिता

2.202 विधेयक का खंड 50 डाटा संरक्षण की अच्छी परंपरा के संवर्धन और अधिनियम के अंतर्गत बाध्यताओं के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए डाटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक व्यवहार संहिता विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है। खंड 50 (2) को निम्नवत पढ़ा जाए:-

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, प्राधिकरण किसी उद्योग या व्यापार संघ, डाटा स्वामी के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ, किसी क्षेत्रीय विनियामक या कानूनी प्राधिकरण या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किसी व्यवहार संहिता का अनुमोदन कर सकेगा।"

2.203 खंड 50 के संबंध में ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत है:-

(i) व्यवहार संहिता बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए, और यदि उच्च मानदंड अपनाए जाते हैं तो डाटा विश्वासी को अनुपालन प्रदर्शित करने का विकल्प होना चाहिए।

(ii) परामर्श अधिदेश में विशेष रूप से उदयोग, शैक्षणिक समुदाय और सिविल सोसाइटी के व्यक्ति होने चाहिए।

(iii) परामर्श प्रक्रिया विधेयक में ही विहित होनी चाहिए।

(iv) जहा स्वामी सहमति देने में अक्षम है, वहाँ सहमति प्राप्त करने की रीति हेतु व्यवहार संहिता जारी करने की शक्ति बहाल की जानी चाहिए।

(v) विद्यमान व्यवहार संहिता का रजिस्टर रखने की बाध्यता फिर से स्थापित की जानी चाहिए।

2.204 समिति ने एक हितधारक से प्राप्त सुझाव को नोट किया जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिया गया है:-

"प्राधिकरण के लिए किसी उद्योग पर लागू होने वाले विनियम बनाना अपेक्षित नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे स्व विनियामक संगठनों को ऐसे विनियम और मानदंड विकसित करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए जो उस उद्योग को शासित करें। इसी प्रकार, प्राधिकरण के लिए ऐसे तकनीकी मानदंड विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होना चाहिए जो सभी क्षेत्रों में डाटा संरक्षण और डाटा सशक्तिकरण प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं। बल्कि इसे तकनीकी सेवा संगठनों को यह कार्य करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए।"

2.205 **खंड 50(2) में यह उपबंध है जिसके अंतर्गत, प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन डाटा संरक्षण और अनुपालन के लिए एक व्यवहार संहिता विनिर्दिष्ट करने की अपनी शक्ति के अतिरिक्त, व्यापार से संबंधित या डाटा स्वामी के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघों आदि द्वारा प्रस्तुत किसी व्यवहार संहिता को अनुमोदित करने की भी शक्ति प्रदान की गयी है। हालांकि, समिति पाती है कि ऐसे तकनीकी सेवा संगठनों का कोई उल्लेख नहीं है जो डाटा संरक्षण और डाटा सशक्तिकरण प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य मानक तकनीकी व्यवहार संहिता तैयार करें।**

2.206 **इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि खंड 50(2) में उद्योग, व्यापार से संबंधित या डाटा स्वामी के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के अतिरिक्त, तकनीकी सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, संघ पद की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, खंड 50(2) को निम्नवत पुनः बनाया जाना चाहिए: -**

" (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, प्राधिकरण—

(i) <u>सहयोजनों का अभ्यावेदन-</u>

(क) <u>तकनीकी सेवा संगठनों ;</u>

(ख) (***) उद्योग या व्यापार (***)

(ग) (***) डाटा स्वामी के हितों, का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों ;

(ii) किसी क्षेत्रीय विनियामक या कानूनी प्राधिकरण ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय,

द्वारा प्रस्तुत व्यवहार संहिता का अनुमोदन कर सकेगा ।"

2.207 समिति ने यह महसूस किया है कि विधेयक में वैयक्तिक डाटा के साथ-साथ गैर-वैयक्तिक डाटा के संबंध में सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए, डाटा भंग, चाहे वैयक्तिक हो अथवा गैर-वैयक्तिक, खंड 50 (6)(ण) के तहत कवर किया जाए। तदनुसार, 'डाटा भंग' से पहले 'वैयक्तिक' शब्द का लोप किया जाए और खंड 50 (6)(ण) को अब निम्नवत् तहत पढ़ा जाए:

"(ण) धारा 25 के अधीन (***) डाटा के भंग प्रत्युत्तर में डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की जाने वाली समुचित कार्रवाई ;"

(सिफारिश संख्या: 68)

खंड 55- तलाशी और अभिग्रहण

2.208 विधेयक के खंड 55 का पाठ निम्नवत है :

55. (1) जहां धारा 53 के अधीन जांच के दौरान, जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को परिवर्तित, विकृत, विनिर्मित, मिथ्याकृत या विनष्ट करने की संभावना है, वहां जांच अधिकारी, ऐसे अभिहित न्यायालय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, को ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों का अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) जांच अधिकारी उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपनी सहायता हेतु किसी पुलिस अधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी, अथवा दोनों की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करे ।

(3) आवेदन पर विचार करने और जांच अधिकारी को सुने जाने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, अभिहित न्यायालय, आदेश द्वारा जांच अधिकारी को,–

(क) ऐसी सहायता से, जो यथावश्यक है, ऐसे स्थान या स्थानों पर, जहां ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज और अभिलेख रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति से उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ; और

(ग) ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों का अभिग्रहण करने, जो वह जांच के प्रयोजनों हेतु आवश्यक समझे, के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) जांच अधिकारी, इस धारा के अधीन जांच की समाप्ति के अपश्चात्, ऐसी अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अभिग्रहीत पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् इन्हें उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उनका अभिग्रहण किया गया था तथा अभिहित न्यायालय को ऐसी वापसी की सूचना देगा ।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी अथवा अभिग्रहण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी अथवा अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

2.209 समिति ने पाया है कि खंड 55(1) अपने मूल रूप में जांच अधिकारी को जांच के दौरान ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों के अधिग्रहण के लिए जैसा केंद्रीय सरकार यथाधिसूचित किया जाए, ऐसे अभिहित न्यायालय में आवेदन करने के लिए समर्थ बनाता है, जहाँ जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किन्हीं ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों और अभिलेखों को इन साक्ष्यों को परिवर्तित, विकृत, विनिर्मित,

मिथ्याकृत या विनष्ट किए जाने की संभावना है। तथापि, समिति महसूस करती है कि जब जांच अधिकारी इस संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो जांच अधिकारी को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए डीपीए से पूर्व अनुमोदन के रूप में एक सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। अतः समिति सिफारिश करती है कि खंड 55(1) में "आवेदन करने" शब्दों से पूर्व "प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों को जोड़ा जाये और खंड 55(1) का पाठ निम्नवत होगा :-

"55. (1) जहां धारा 53 के अधीन जांच के दौरान, जांच अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को परिवर्तित, विकृत, विनिर्मित, मिथ्याकृत या विनष्ट करने की संभावना है, वहां (***) **प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से** जांच अधिकारी, ऐसे अभिहित न्यायालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों (***) अभिलेखों **या डाटा** का अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 69)

खंड 56 - प्राधिकरण और अन्य विनियामकों या प्राधिकरणों के बीच समन्वय।

2.210 विधेयक के खंड 56 का पाठ निम्नवत है:

"जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्रवाई ऐसी है जिसमें संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण को भी समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है, वहां प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे अन्य विनियामक या प्राधिकरण से परामर्श करेगा तथा ऐसे अन्य विनियामक अथवा प्राधिकरण के साथ, ऐसी कार्रवाई के समन्वय को शासित करने वाला एक समझौता ज्ञापन भी कर सकेगा।"

2.211 समिति को प्राप्त ज्ञापनों में यह सुझाव दिया गया कि खंड 56 के मामले में प्राधिकरणों के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का अनिवार्य रूप से निष्पादन किया जाना चाहिए।

2.212 **विधेयक के खंड 56 में संसद या किसी राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य विनियामक या प्राधिकारी से परामर्श करना प्राधिकरण पर**

अनिवार्य बनाता है, जिसका इस अधिनियम से संबंधित प्राधिकरण की किसी प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार हो सकता है। समिति नोट करती है कि इस खंड के अधीन प्राधिकरण की प्रस्तावित कार्रवाई से आर्थिक परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे आर्थिक विनियामक से सलाह मशविरे की आवश्यकता होगी । इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि कार्यवाही शब्द के दायरे को बढ़ाने के लिए और स्पष्टता के लिए 'खंड के अंत में पद 'आर्थिक क्रिया कलापों सहित 'को अंतःस्थापित किया जाये ।

2.213 समिति द्वारा यथा संशोधित खंड 56 का पाठ निम्नवत है:-

" 56. जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्रवाई ऐसी है जिसमें संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण को भी समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है, वहां प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे अन्य विनियामक या प्राधिकरण से परामर्श करेगा तथा ऐसे अन्य विनियामक अथवा प्राधिकरण के साथ, ऐसी कार्रवाई **जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाकलाप भी हैं** के समन्वय को शासित करने के वाला एक समझौता ज्ञापन भी कर सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 70)

खंड 57 - अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियां

2.214 विधेयक के खंड 57 का आशय अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने पर शास्तियों की सूची प्रस्तुत करना है। इसका पाठ निम्नवत है

"57 (1) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा–

(क) धारा 25 के अधीन किसी डाटा सुरक्षा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्परता से और समुचित कार्रवाई करने की बाध्यता ;

(ख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्टर होने में विफलता ;

(ग) धारा 27 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण करने की बाध्यता ;

(घ) धारा 29 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संपरीक्षा करने की बाध्यता ;

(ङ) धारा 30 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, वह ऐसी शास्ति का, जो पांच करोड़ रुपए या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वब्यापी आवर्त का दो प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा।

(2) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा,–

(क) अध्याय 2 या अध्याय 3 के उपबंधों के अतिक्रमण में वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ख) अध्याय 4 के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण;

(ग) धारा 24 के अनुसार सुरक्षा के सुरक्षोपायों के पालन में असफल होना ; या

(घ) अध्याय 7 के उपबंधों के अतिक्रमण में भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण,

वह ऐसी शास्ति का, जो पंद्रह करोड़ रुपए या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का चार प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "कुल विश्वव्यापी आवर्त" पद से ऐसे राजस्व की कुल रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं के विक्रय, प्रदाय या वितरण से या दी गई सेवाओं या सेवाओं के मद्दे या दोनों के लाभ और हानि लेखे या यथा लागू किसी अन्य समतुल्य विवरण में मान्यता प्राप्त हो और जहां ऐसा राजस्व भारत में और भारत के बाहर जनित हुआ हो;

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी डाटा विश्वासी के सम्बन्ध में कुल विश्वव्यापी आवर्त डाटा विश्वासी का कुल विश्वव्यापी आवर्त है और जहां किसी इकाई समूह का ऐसा कुल विश्वव्यापी आवर्त सहित कारकों को ध्यान में रखते हुए डाटा विश्वासी के प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुआ हो।

(i) किसी डाटा विश्वासी और इकाई समूह के संपूर्ण आर्थिक हितों का संरेखण ;

(ii) विशिष्टतया डाटा विश्वासी द्वारा किए जाने वाले प्रक्रमण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में डाटा विश्वासी और इकाई समूह के बीच का संबंध; और

(iii) इकाई समूह द्वारा डाटा विश्वासी पर या डाटा विश्वासी द्वारा इकाई समूह पर प्रयुक्त नियंत्रण की मात्रा, जो भी मामला हो;

(ग) जहां राज्य द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो, वहां अधिकतम शास्ति क्रमशः उपधारा (1) के अधीन पांच करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी तथा उपधारा (2) के अधीन पन्द्रह करोड़ रुपए तक क्रमश: होगी।"

2.215 समिति ने नोट किया कि जुर्माने को लागू करने में लचीलापन आवश्यक है क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है और लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि के संबंध में निर्णय लेने के लिए इन कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी । नवाचार और अनुसंधान और विकास गतिविधियों आदि में लगे स्टार्टअप और छोटे डाटा विश्वासियों पर भी अलग से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, लगाए जाने वाली शास्ति की राशि इस खंड में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा के अध्यधीन नियमों में निर्धारित की जा सकती है । इसके परिणामस्वरूप , इस खंड की उप-धाराओं (1) और (2) को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि खंड 57 को पुनः तैयार करके इसका पाठ निम्नवत किया जाये :

" 57 (1) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, <u>अर्थात्</u> :—

(क) धारा 25 के अधीन किसी डाटा (***) के भंग की प्रतिक्रिया में तत्परता से और समुचित कार्रवाई करने की बाध्यता ;

(ख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्टर होने में विफलता ;

(ग) धारा 27 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण करने की बाध्यता ;

(घ) धारा 29 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संपरीक्षा करने की बाध्यता ; **या**

(ङ) धारा 30 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति,

वह ऐसी (***) शास्ति के लिए, जो (***) **विहित की जाए,** पांच करोड़ रुपए **से अधिक नहीं** या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का दो प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, होगी, दायी होगा ।

(2) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, **अर्थात् :—**

(क) अध्याय 2 या अध्याय 3 के उपबंधों के अतिक्रमण में वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ख) अध्याय 4 के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ग) धारा 24 के अनुसार सुरक्षा के सुरक्षोपायों के पालन में असफल होना ; या

(घ) अध्याय 7 के उपबंधों के अतिक्रमण में भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण,

वह **ऐसी** (***) शास्ति का, जो (***) **विहित की जाए,** जो पंद्रह करोड़ रुपए **से अधिक नहीं** या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का चार प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कुल विश्वव्यापी आवर्त" पद से ऐसे राजस्व की कुल रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं के विक्रय, प्रदाय या वितरण से या दी गई सेवाओं के मद्दे या दोनों के लाभ और हानि लेखे या यथा लागू किसी अन्य समतुल्य विवरण में मान्यताप्राप्त हो और जहां ऐसा राजस्व भारत में और भारत के बाहर जनित हुआ हो ;

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी डाटा विश्वासी के सम्बन्ध में "कुल विश्वव्यापी आवर्त" डाटा विश्वासी का कुल विश्वव्यापी आवर्त है और जहां किसी इकाई समूह का ऐसा कुल विश्वव्यापी आवर्त,—

(i) किसी डाटा विश्वासी और इकाई समूह के क्रियाकलाप डाटा के प्रक्रमण और उपयोग के संबंध में संरेखित है ;

(ii) विशिष्टतया डाटा विश्वासी द्वारा किए जाने वाले प्रक्रमण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अस्तित्व डाटा विश्वासी और इकाई समूह के बीच का संबंध **विद्यमान है**

; और

(iii) यथास्थिति, इकाई समूह द्वारा डाटा विश्वासी पर या डाटा विश्वासी द्वारा इकाई समूह पर प्रयुक्त नियंत्रण की मात्रा,

सहित कारकों को ध्यान में रखते हुए, डाटा विश्वासी के प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों के **सीधे** परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, वहां डाटा विश्वासी के किसी इकाई समूह का कुल विश्वव्यापी आवर्त होगा ;

(ग) जहां राज्य द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट उपबंधों में से (***) **किन्हीं** उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो, वहां अधिकतम शास्ति क्रमशः उपधारा (1) के अधीन (***) पांच करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी तथा उपधारा (2) के अधीन पन्द्रह करोड़ रुपए तक की होगी । "

(सिफारिश संख्या: 71)

खंड 60 - प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति

2.216 खंड 60 धारा 51 और 54 के अंतर्गत डाटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन में असफलता के लिए डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा दी जाने वाली शास्ति के बारे में है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 में वर्णित खंड इस प्रकार पठित है:

"यदि कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता धारा 51 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निदेश का या धारा 54 के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में असफल रहेगा तो ऐसा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो अधिकतम दो करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपए हो सकेगी और डाटा प्रक्रमणकर्ता की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम पचास लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी।"

2.217 समिति पाती है कि खंड 60 में डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता के लिए शास्ति की अलग-अलग मात्रा का उपबंध है लेकिन उसे खंड 60 के पाठ में एक साथ रखा गया है। समिति चाहती है कि डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता के लिए शास्ति के उपबंधों को अलग किया जाए ताकि डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता के लिए

उपबंधों के बारे में और अधिक स्पष्टता लायी जा सके । इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि खंड 60 को निम्नवत पुनःप्रारूपित किया जाए:-

" 60. यदि कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता धारा 51 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निदेश का या धारा 54 के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में असफल रहेगा—

(i) ऐसा डाटा विश्वासी (***) ऐसी शास्ति का दायी होगा जो अधिकतम दो करोड़ रुपए (***) के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार <u>रुपए</u> हो सकेगी ; <u>या</u>

(ii) <u>ऐसा</u> डाटा प्रक्रमणकर्ता (***) <u>ऐसी शासस्ति के लिए दायी होगा जो</u> (***), ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम पचास लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।"

(सिफारिश संख्या: 72)

अध्याय दस - शास्तियां और प्रतिकर

2.218 समिति का यह मत है कि डाटा विश्वासी द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में डाटा स्वामी जिस प्राधिकरण से संपर्क कर सके, उसके संबंध में डाटा स्वामी के लिए शास्तियों और मुआवजों से संबंधित अध्याय दस के उपबंधों को सरलीकृत करने के लिए उस पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। समिति ने यह पाया कि भाषा की स्पष्टता से लोगों को डाटा संरक्षण प्राधिकरण से संपर्क करने में सुविधा होगी और इससे खंड दस के उपबंधों के अंतर्गत की गई शिकायतों का शीघ्र निस्तारण भी हो सकेगा।

2.219 समिति अध्याय दस के सभी खंडों का अनुमोदन करती है। तथापि, समिति यह पाती है कि डाटा संरक्षण प्राधिकरण को प्राप्त उन शिकायतों/अभ्यावेदनों के लिए शास्तियों के साथ-साथ मुआवजा मामलों का निर्णय लेने के लिए कोई एकल खिड़की प्रणाली नहीं है। समिति का मत है कि शिकायत दर्ज करने/आवेदन दर्ज किए जाने पर कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए एक ही कार्यप्रणाली होनी चाहिए। खंड 32 के तहत डाटा स्वामी द्वारा डाटा विश्वासी के पास शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है तथा खंड 64 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराकर मुआवजा मांगने का प्रावधान है। इसलिए समिति यह महसूस करती है कि अधिनियम में दोनों स्थितियों के तहत

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, समिति की इच्छा है कि डीपीए डाटा स्वामी द्वारा दायर शिकायत या आवेदन को ऐसी शिकायत या आवेदन का निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णय अधिकारी को अग्रेषित करे। समिति की इच्छा है कि सुझाए गए सभी प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए विधेयक में एक अलग खंड डाला जाए जिसमें सीमांत शीर्षक हो जिसे 'शिकायत या आवेदन फाइल करने का अधिकार ' पढ़ा जाए। अत: समिति विधेयक के खंड 62 से पहले एक नया खंड अंतर्विष्ट करने की सिफारिश करती है। इसके बाद नए खंड की संख्या 62 होगी तथा अन्य खंडों की संख्या तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी। समिति द्वारा अंतर्विष्ट नया खंड 62 इस प्रकार पठित है:-

" 62. (1) धारा 32 में निर्दिष्ट व्यथित डाटा स्वामी, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को एक परिवाद फाइल कर सकेगा ।

(2) डाटा स्वामी ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी अवधि के भीतर उसे विहित की जाए, आवेदन फाइल करके धारा 65 के अधीन प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण, डाटा स्वामी द्वारा फाइल की गई परिवाद या आवेदन को, यथास्थिति, ऐसे परिवाद या आवेदन के निर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 73)

2.220 नए खंड 62 के अंतर्विष्ट किए जाने के परिणामस्वरूप, बाद के खंडों की संख्या में भी इसी प्रकार संशोधन किया जाएगा। तदनुसार, विधेयक के अन्य भाग में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हो, भी किया जाएगा।

खंड 63 - न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया

2.221 खंड 63(4) का पाठ निम्नवत है :

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी यह विनिश्चय करते समय कि क्या उपधारा (3) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाए और धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्ति

की मात्रा का अवधारण करने में निम्नलिखित कारकों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:–

(क) सम्बद्ध प्रक्रमण की प्रकृति, व्याप्ति और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, अतिक्रमण की प्रकृति, गंभीरता और कालावधि;

(ख) प्रभावी डाटा स्वामियों की संख्या तथा उनके द्वारा सहन की गई अपहानि का स्तर;

(ग) अतिक्रमण का आशयपूर्ण या उपेक्षाकारी स्वरूप;

(घ) अतिक्रमण द्वारा समाघातित वैयक्तिक डाटा की प्रकृति;

(ङ) व्यतिक्रम की पुनरावृत्त प्रकृति;

(च) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा कार्यान्वित पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धी उपाय, जिनके अन्तर्गत सुरक्षा रक्षोपायों से सम्बन्धित किसी सुसंगत व्यवहार संहिता का पालन भी है;

(छ) डाटा स्वामियों द्वारा सहन की गई अपहानि को कम करने के लिए डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई; और

(ज) मामले की परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य गुरुतरकारी या न्यूनीकृत कारक, जैसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अननुपातिक अभिलाभ या अनुचित फायदा, जहां कहीं निर्धारण योग्य हो।

2.222 **समिति ने पाया है कि खंड 63(4) अपने वर्तमान स्वरूप में डाटा विश्वासी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी को शास्ति लगाने और शास्ति की राशि निर्धारित करने का अबाधित अधिकार देता है । अतः समिति सिफारिश करती है कि एक प्रतिबन्धात्मक अभिव्यक्ति जोड़ी जाये जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो कि न्यायनिर्णयन अधिकारी शास्ति का निर्धारण करते समय और और शास्ति का अधिरोपण करते समय डीपीए द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा। तदनुसार संशोधित खंड 63(4) (खंड 64(4) के रूप में पुनः क्रमांकित) का पाठ निम्नवत हो:**

"(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी यह विनिश्चय करते समय कि क्या उपधारा (3) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाए और धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्ति

की मात्रा का अवधारण करने में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए **शास्ति की अवधारण और अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों, जो विनिर्दष्ट किए जाएं,** का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात् :—"

(सिफारिश संख्या: 74)

खंड 64 - प्रतिकर

2.223 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 64 डाटा स्वामी को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से संबंधित है तथा खंड 64(2) यह निम्न प्रकार पठित है:-

"(2) डाटा स्वामी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी को आवेदन देकर इस धारा के अधीन प्रतिकर की मांग कर सकेगा।"

2.224 खंड 64 पर ज्ञापनों के रूप में प्राप्त सुझावों का सार इस प्रकार है:

i. शिकायतकर्ता के पास न्यायनिर्णय न करने के डीपीए के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

ii. किसी हानि के निष्कर्ष मात्र पर ही शास्ति नहीं लागू की जानी चाहिए, बल्कि उसमें हानि की तर्कसंगत संभावना के तत्व का भी समावेश किया जाना चाहिए।

2.225 अध्याय दस के उद्देश्य के लिए शिकायत प्रणाली से संबंधित नए खंड 62 के विधेयक में समावेश के परिणामस्वरूप, समिति का यह सुझाव है कि मूल खंड 64(2) के अतिव्यापी हो जाने के कारण तदनुसार उसे हटा दिया जाए।

2.226 समिति ने नोट किया है कि खंड 64 (3) उन मामलों को संदर्भित करता है जहां एक या अधिक डाटा स्वामियों या डाटा स्वामियों के किसी भी पहचाने जाने योग्य वर्ग को नुकसान होता है, तो उनकी ओर से मुआवजे के लिए आवेदन करने का प्रावधान है। यहां एक शिकायत शब्द उचित नहीं है। कानूनी नजरिये से इस शब्द को बदलने के लिए 'प्रतिनिधि आवेदन' का इस्तेमाल किया जा सकता है। तदनुसार, खंड 64(3) [खंड 65 (2) के रूप में पुन:क्रमांकित] का पाठ निम्नवत हो:

" (2) जहां एक या अधिक डाटा स्वामी या डाटा स्वामियों का ऐसा कोई पहचानने योग्य वर्ग है जिसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा किसी अतिलंघन के परिणामस्वरूप अपहानि हुई है, वहां कोई एक (***) **प्रतिनिधित्व आवेदन** ऐसे सभी डाटा स्वामियों की ओर से सहन की गई अपहानि के प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 75)

2.227 विधेयक के खंड 64(8) का पाठ निम्नवत है :-

"(8) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन किसी शिकायत की सुनवाई की प्रक्रिया विहित करे ।"

2.228 समिति महसूस करती है कि सुनवाई की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए खंड के ढांचे में संशोधन किया जाए। तदनुसार संशोधित खंड 64(8) (खंड 65(7) के रूप में पुनः क्रमांकित) का पाठ निम्नवत हो:

"(7) इस धारा के अधीन **किसी** (***) **आवेदन** की सुनवाई की (***) प्रक्रिया **वह होगी जो विहित की जाए** ।"

(सिफारिश सं. 76)

खंड 67 - अपीलीय अधिकरण की स्थापना

2.229 खंड 67 उसके गठन और कार्यक्षेत्र को शामिल करते हुए किंतु उस तक सीमित न होते हुए एक अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करता है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 67 (2) अपीलीय अधिकरण के गठन से संबंधित है तथा यह उप-खंड (2) इस प्रकार पठित है:-

"(2) अपील अधिकरण, अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।".

2.230 साझीदारों से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे:

i. "दो" शब्द को "जाने वाले" तथा "से अनधिक सदस्यों" शब्दों के बीच जोडा जाए ताकि संशोधित खंड इस प्रकार पठित हो; "अपील अधिकरण, अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।"

ii. विधेयक के अधिनियम के एक वर्ष के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण पीठें स्थापित हों।

2.231 इस संबंध में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, "डीपीए के आदेशों और डीपीए के न्यायनिर्णय स्कंध के अंतर्गत न्यायनिर्णय अधिकारियों के आदेशों की सुनवाई और निपटान के लिए एक अपीलीय अधिकरण का गठन किया

जाएगा। ऐसे अधिकरण में एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में सदस्य होने चाहिए, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो। यदि केंद्र सरकार को यह महसूस होता है कि कोई भी मौजूदा अधिकरण डाटा संरक्षण कानून के तहत परिकल्पित अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम है तो केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए किसी मौजूदा अधिकरण को भी शक्तियां प्रदान कर सकती है। अपीलीय अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अंततः भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।"

2.232 18 दिसम्बर, 2020 को हुई बैठक के दौरान अधिनियम में अधिकरण के सदस्यों की संख्या के मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर विधायी विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या को विधेयक के पाठ में शामिल किया जाए। एमईआईटीवाई ने अपनी जवाबी प्रस्तुति में कहा कि चूंकि 67 (3) के उपबंध के अंतर्गत केंद्र सरकार को विभिन्न स्थानों पर अधिकरण की कई पीठें बनाने का अधिकार था, इसलिए नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या को विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसे केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

2.233 **खंड 67 (2) अपीलीय अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है लेकिन 67 (2) अधिकरण में सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। उचित विचार-विमर्श और विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रसारण मंत्रालय, दोनों द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए समिति यह चाहती है कि अपीलीय अधिकरण के सदस्यों की संख्या विधेयक में निर्दिष्ट की जानी चाहिए और अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 6 से अनधिक सदस्य शामिल होने चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खंड 67(2) जिसकी संख्या का पुनर्निधारण 68(2) के रूप में हुआ है। यथा संशोधित रूप में इस तरह पढ़ा जाए :-**

"(2) अपील अधिकरण, अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले (***) <u>ऐसे</u> सदस्यों से, <u>जिनकी संख्या छह से अधिक नहीं होगी,</u> मिलकर बनेगा । "

(सिफारिश संख्या: 77)

खंड 68- सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, अवधि, सेवा शर्तें

2.234 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 अपीलीय अधिकरण के सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, अवधि, सेवा शर्तों का उपबंध करता है। यह खंड निम्नानुसार पठित है:-

"68.(1) कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब-

(क) वह अध्यक्ष की दशा में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो;

(ख) किसी सदस्य की दशा में, उसने भारत सरकार में सचिव का पद या केंद्रीय सरकार में कोई समतुल्य पद कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए धारण कर रखा हो या ऐसा व्यक्ति, जो डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्यागिकी, डाटा प्रबंधन, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर और इंटरनेट विधि या किसी अन्य संबंधित विषय का ज्ञाता हो।

(2) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्याग-पत्र, हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन की शर्तें विहित कर सकेगी।"

2.235 खंड 68 के संबंध में ज्ञापन के रुप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नानुसार है:-

(एक) 'डाटा संरक्षण संबंधी विधियों, मानवाधिकार/डिजिटल अधिकार और डाटा की निजता को सदस्यों की नियुक्ति हेतु अतिरिक्ति मानदंड के रुप में जोड़ा जाना चाहिए।

(दो) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन, भत्तों, सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में इस प्रकार से अंतर नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें हानि हो।"

2.236 अधिकरण के सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित खंड 68 की जांच करते हुए, समिति का दृढ़ मत था कि यह विधेयक जिस विषय पर विचार करता है उसके विशेष तकनीकी और उसकी तेजी से बदलती प्रकृति के आधार पर तथा वैश्विक विनियामकों के सदस्यों की अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए डाटा और निजता से जुड़े क्षेत्रों में पर्याप्त विशेषज्ञता और अच्छे अनुभव वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

2.237 विधेयक का खंड 68(1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता का उपबंध करता है। समिति यह महसूस करती है कि इस संबंध में विषय की प्रभावी और प्रगतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी अर्हता प्राप्त युवाओं को अधिकरण अथवा डाटा संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य बनने से नहीं रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्ति, समिति का यह भी मत है कि सरकार को उन युवाओं को सम्मिलित करने में लाभ नजर आता है जो भविष्य में होने वाले प्रौद्योगिकीय नवाचारों के साथ बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं।

2.238 विधेयक के खंड 68(1)(क) में यह उपबंध किया गया है कि अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए अथवा रह चुका हो। समिति यह स्वीकार करती है कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे न्यायिक ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त हो परंतु वह उन अधिवक्ताओं को खंड 68 (1)(क) की व्यापित से बाहर रखने को अव्यवहारिक पाती है जिनके पास डाटा संरक्षण और सूचना सुरक्षा से संबंधित मामलों के संव्यवहार का अनुभव है। इसलिए समिति चाहती है कि खंड 68 के दायरे को बढ़ाया जाए। इस संबंध में, समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) को नोट करती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता का उपबंध करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 (3) कहता है :

"(3) कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति हेतु केवल तभी अर्हत होगा जब वह भारत का नागरिक हो और -

(क) उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक ऐसे ही न्यायालयों का कम से कम निरंतर पांच वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो; अथवा

(ख) उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक ऐसे ही न्यायालयों का कम से कम निरंतर पांच वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो; अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट विधिवेत्ता हो।"

2.239 समिति की राय में, खंड 68(1)(क) के दायरे को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में निर्धारित अर्हताओं को विधेयक में सम्मिलित किया जाए और

अधिवक्ताओं तथा विशिष्ट विधिवेत्ताओं की अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की अनुमति दी जाए। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हक है, शब्दों को खंड 68(1)(क) के अंत में अंतर्विष्ट किया जाए।

2.240 खंड 68(1)(ख) अधिकरण के सदस्य के रुप में नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता का उपबंध करता है। 68(1)(ख) के संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार का सचिव अथवा समकक्ष पदाधिकारी के पास आवश्यक नहीं है कि अधिकरण के सदस्य के रुप में कार्य को उपयुक्त रुप से करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता हो और नियुक्ति के प्रयोजनार्थ पद की अपेक्षा ज्ञान के प्रासंगिक विशेष क्षेत्रों के ज्ञान/अनुभव पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसे में समिति संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों को अधिकरण के सदस्य बनने से रोकना नहीं चाहती। समिति यह भी चाहती है कि अधिकरण के सदस्य के रुप में नियुक्ति के मामले में आयु सीमा नहीं होनी चाहिए और अपेक्षित विशेषज्ञता वाले युवाओं को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए।

2.241 तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि पूर्वोक्त परिवर्तनों के समामेलन के पश्चात् खंड 68(1)(क) और (ख), खंड 69(1)(क) और (ख) के रुप में पुनर्संख्यांकन निम्नानुसार हो:

"69. (1) कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब,—

(क) वह अध्यक्ष की दशा में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो ;

(ख) किसी सदस्य की दशा में, (***) कोई व्यक्ति जो (***) विशेषज्ञ है और जिसके पास डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंधन, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन या किसी अन्य संबंधित विषय में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव होने के साथ योग्यता, सत्यनिष्ठा का अनुभव और विशेष ज्ञान हो"

(सिफारिश संख्या: 78)

खंड 72 - अपील अधिकरण में अपील

2.242 खंड 72 निम्नानुसार पठित है:

"(1) अधिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और वह ऐसे प्ररुप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए:

परंतु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसके अंतिम रुप न दिए जाने के पर्याप्त कारण थे।

(2) इस धारा के अंतर्गत अपील की प्राप्ती पर, अपीलीय प्राधिकरण, विवाद या अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) अपील अधिकरण, यथास्थिति, विवाद या अपील के पक्षकारों और प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति भेजेगा ।

(4) अपील अधिकरण, इस धारा के अधीन की गई अपील में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्यता या सत्यता का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी अपील या आवेदन के निपटारे से सुसंगत अभिलेखों को मंगाएगा और ऐसे आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।"

2.243 इस बारे में समिति द्वारा प्राप्त सुझावों में से एक इस प्रकार है:

धारा 72 (1) को निम्नवत बदला जाए:

(1) अधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और वह ऐसे प्ररुप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए।

2.244 समिति नोट करती है कि मौजूदा उपबंध के अनुसार अधिकरण में अपील केवल डाटा संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध होती है। इस बारे में समिति का मत है कि

अपील अधिकरण के निर्णय और उसके आदेश के विरुद्ध होनी चाहिए। तथापि, इस धारा में दिए गए अधिकार न केवल डाटा संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय या आदेश तक सीमित होने चाहिए बल्कि यह अधिकार न्यायनिर्णायक अधिकारी के निर्णय या आदेश के विरुद्ध भी उपलब्ध होना चाहिए। तदनुसार, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि खंड 72 (1) में 'या आदेश' शब्दों को 'निर्णय' शब्द के बाद अंत:स्थापित किया जाए तथा 'न्यायनिर्णायक अधिकारी' शब्दों को 'प्राधिकरण' शब्द के बाद रखा जाए। परिणामस्वरुप या न्यायनिर्णायक अधिकारी शब्दों को खंड 72 (3) में 'प्राधिकरण' शब्द के बाद अंतस्थापित किया जाए। इन परिवर्तनों के समावेश के बाद खंड 72 (जिसे पुन: खंड 73 कहा गया है) निम्नवत पठनीय है:-

"73. (1) अधिकरण <u>या न्यायनिर्णयन अधिकारी</u> के विनिश्चय <u>या आदेश</u> से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और वह ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण, विवाद या अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) अपील अधिकरण, यथास्थिति, विवाद या अपील के पक्षकारों और प्राधिकरण <u>या न्यायनिर्णायन अधिकारी</u> को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति भेजेगा ।

(4) अपील अधिकरण, इस धारा के अधीन की गई अपील में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्यता या सत्यता का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी अपील (***) के निपटारे से सुसंगत अभिलेखों को मंगाएगा और ऐसे आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे ।"

(सिफारिश संख्या : 79)

खंड 74. अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रुप में निष्पाद्य होना

2.245 खंड 74 अधिकरण के आदेशों के निष्पाद्य के बारे में है। यह खंड वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 में निम्नवत पठनीय है:

"74.(1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पाद्य होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए, अपील अधिकरण स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को संप्रेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय वह आदेश इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उस न्यायालय द्वारा दी गई कोई डिक्री हो।"

2.246 समिति पाती है कि खंड 74(1) में पहले से ही अपील अधिकरण को अपने आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन खंड 74 का उप-खंड (2) निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को अधिकरण के किसी आदेश को संप्रेषित करने की अनुमति देकर उसे कमजोर बनाता है। समिति के मत में इससे अनावश्यक लंबी मुकदमेबाजी हो सकती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि खंड 74(2) को विधेयक से उसकी समग्रता के साथ हटाया जाए। समिति 'पारित आदेश' (मूल पाठ के पृष्ठ 43, पंक्ति 10) शब्दों के स्थान पर 'पारित प्रत्येक आदेश) से प्रतिस्थापित करके खंड 74(1) की भाषा में कतिपय लघु संशोधन करने का भी सुझाव देती है। परिणामस्वरुप खंड 74(1) (75 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाना है) समिति द्वारा यथासंशोधित अब निम्न रुप में पठनीय है:-

"75. (***) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा (***) प्रत्येक आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पाद्य होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2)(***)"

(सिफारिश संख्या : 80)

खंड 75 - उच्चतम न्यायालय को अपील

2.247 विधेयक के खंड 75 का पाठ निम्नवत है :

75. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, किसी सारगर्भित विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अपील होगी।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस विनिश्चय या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

बशर्ते उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त कारण से समय से अपील करने में निवारित हो गया था, तो नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

2.248 समिति पाती है कि खंड 75 (2) के तहत किए गए प्रावधान में यह उल्लेख है कि पक्षकारों की सहमति से अपीलीय अधिकरण द्वारा किए गए निर्णय या आदेश गैरजरूरी प्रकृति के है। इसलिए, खंड (3) के उप-खंड (2) को (2) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाए।

2.249 समिति यह भी महसूस करती है कि नब्बे दिनों के भीतर अपील करने की अवधि अधिक है और इसे साठ दिन किया जाना चाहिए जो अपील करने के लिए उपयुक्त है। पुन:क्रमांकित खंड 75(2) को संशोधित किया जाये और खंड 75 के पृष्ठांकन में परिणामी परिवर्तन करते हुए इसे 76 माना जाए जिसका पाठ निम्नवत् हो :-

"(2) इस धारा के अधीन **की गई** प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की गई है, (***) **साठ** दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो (***) **साठ** दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।"

(सिफारिश संख्या: 81)

खंड 76 - विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार

2.250 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 76 विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार का उपबंध करता है और यह खंड निम्नवत पठनीय है:-

"76. आवेदक या अपीलकर्ता, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक विधि व्यवसायियों को या अपने अधिकारियों में से किसी एक को प्राधिकृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विधि व्यवसायी" के अंतर्गत कोई अधिवक्ता या कोई अटर्नी है और इसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है।"

2.251 खंड 76 के संबंध में समिति को एक हितधारक से सुझाव प्राप्त हुआ है कि खंड 76 के अधीन एडवोकेट शब्द को अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार परिभाषित किया जाये।

2.252 समिति का मत था कि आवेदक या अपीलकर्ता को किसी विशेषज्ञ को अधिकृत करने का विकल्प होना चाहिए जो अधिकरण के समय उसके मामले को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 'या अपने अधिकारियों' शब्दों में वह बिन्दु कवर होता है और इससे आवेदक को विशेषज्ञ को बुलाने की अनुमति मिल सकती है। समिति मंत्रालय के मत से सहमत हुई लेकिन और अधिक स्पष्टता लाने के लिए "*या अपने अधिकारियों*" शब्दों के बाद *'या विशेषज्ञों'* शब्द को अंत:स्थापित करने का निर्णय लिया।

2.253 समिति नोट करती है कि इस खंड में यह उपबंध है कि आवेदक या अपीलकर्ता अपना मामला अधिकरण के समक्ष या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, समिति महसूस करती है कि आंकड़े से संबंधित मामले के लिए फीडबैक या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सहयोग भी चाहिए। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि आवेदक/अपीलकर्ता को उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ जो उसके द्वारा नियुक्त हो या बाहरी हो, के माध्यम से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, तदनुसार उक्त खंड में 'या विशेषज्ञों' शब्दों को 'अपने अधिकारियों' शब्दों के बाद अंत:स्थापित किया जाए। तथापि, समिति महसूस करती है कि 'और इसके अंतर्गत व्वसायरत प्लीडर भी है' शब्दों को खंड 76 के स्पष्टीकरण से हटाया जाए क्योंकि अधिवक्ता या अटर्नी शब्द

विधि व्यवसायी शब्द के अपेक्षित अर्थ को व्यक्त करते हैं उनकी तुलना में 'प्लीडर' शब्द अप्रचलित है।

2.254 संशोधित खंड 76 (खंड 77 के रूप मे पुनः क्रमांकित) को निम्न रूप से पढ़ा जाए :-

"77. आवेदक या अपीलकर्ता, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक विधि व्यवसायियों को या अपने अधिकारियों या विशेषज्ञों में से किसी एक को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों (***) के लिए "विधि व्यवसायी" पद के अंतर्गत कोई अधिवक्ता या कोई अटॉर्नी होगा (***)"

(सिफारिश संख्या : 82)

खंड 84 - कम्पनियों द्वारा अपराध

2.255 खंड 84 का पाठ निम्नवत है :

"84. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक,

सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है–

(i) कोई फर्म ; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ख) निदेशक से–

(i) फर्म के संबंध में, फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कामकाज का नियंत्रण रखने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है ।"

2.256 समिति समझती है कि किसी भी अपराध का आरोपण 'कारबार' के विशिष्ट हिस्से के लिए किया जाये न कि कंपनी के पूरे 'कारबार' के लिए । इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस खंड को स्पष्ट और व्यापक बनाने के लिए "कारबार" के पश्चात् "के भाग" शब्दों को जोड़ा जाए। समिति ने यह भी कहा है कि खंड 84 (2) [85 (2) के रूप में पुन: क्रमांकित) आरोपी व्यक्ति को मुक्त करता है यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया है। लेकिन समिति यह पाती है कि इस उप-खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद कार्यवाही और दंड से मुक्त हो जाएगा । इसलिए समिति उप-खंडों [खंड 85 (1) और 85 (2)] के रूप में पुनः क्रमांकित) में निम्नवत संशोधन करने की सिफारिश करती है:

"85. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी **जिससे अपराध संबंधित है,** के कारबार **के भाग** के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और

उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी (***) के साथ-साथ और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और तद्नुसार दंड के लिए (***) भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।"

(सिफारिश संख्या: 83)

2.257 समिति ने नोट किया है कि खंड 84 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। हालांकि, उप-खंड (1), (2), और (3) में स्वतंत्र निदेशक या किसी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक की देयता के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इन दो श्रेणियों के निदेशकों को भी शामिल करने के लिए उप-खंड (3) का परंतुक डाला जाए। पुनः क्रमांकित खंड 85 के उप-खंड (3) के परंतुक को निम्नवत तैयार किया जाए :

" परन्तु यह कि कंपनी का स्वतंत्र निदेश या गैर-कार्यपालक निदेशक केवल तभी दायी होगा जब यह दर्शित हो की कंपनी द्वारा लोप किए जाने या गठित किए जाने वाला कार्य उसकी जानकारी के साथ घटित हुआ था या उसके लिए उसकी सहमति मानी जा सकती हो या जहां उसने अपेक्षापूर्ण कार्य नहीं किया था ।"

(सिफारिश संख्या: 84)

खंड 85 - राज्य द्वारा अपराध

2.258 खंड 85 का आशय अधिनियम के अधीन, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभाग या अभिकरण द्वारा अपराध करने से संबंधित उपबन्धों को सूचीबद्ध करना है। यह खंड निम्नवत पठनीय है:-

"85. (1) जहां यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, राज्य के किसी विभाग या प्राधिकरण या निकाय द्वारा किया गया है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, वहां ऐसे विभाग या प्राधिकरण या निकाय के प्रमुख को अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने

और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य के किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध किसी विभाग या प्राधिकरण के प्रमुख के अलावा किसी अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है ऐसे अधिकारी को भी इस अपराध का दोषी माना जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, लोक सेवकों से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होते रहेंगे ।

2.259 निम्नलिखित सुझाव ज्ञापन के रूप में प्राप्त हुआ था:

"प्रभारी व्यक्ति को किये जाने वाले अपराध के आधार पर उत्तरदायी होना चाहिए। यह अपराध सिद्ध होने के आधार पर नहीं होना चाहिए।"

2.260 मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2020 को समिति के समक्ष निवेदन किया कि यह देखते हुए कि राज्य एक संप्रभु निकाय है, उसे किसी अपराध के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए। इसलिए खंड 85 के उपांत में दिए गए शीर्ष जो 'राज्य द्वारा अपराध' के रूप में पठित है उसमें संशोधन किया जाए और उसे "सरकारी डाटा विश्वासियों द्वारा अपराध" के रूप में पढ़ा जाए।

2.261 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निवेदन को स्वीकार करते हुए समिति पाती है कि इस खंड का उद्देश्य वास्तव में सरकारी क्षेत्र के डाटा विश्वासियों को इंगित करना है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि खंड 85 (खंड 86 के रूप में पुनः क्रमांकित) के उपांत शीर्षक में संशोधन किया जाए और यह "सरकारी डाटा विश्वासियों द्वारा अपराध" के रूप में पढ़ा जाए।

2.262 समिति सरकारी विभागों द्वारा एकत्र किए जाने वाले डाटा के विशाल संग्रह को संरक्षित करने की उनकी क्षमता के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करती है। समिति पाती है कि विधेयक के उपबंधों के अनुसार सरकार महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी होगी, इसलिए उसे संकलित किए गए डाटा की भारी मात्रा को संरक्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों आदि में मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी। समिति नोट करती है कि अधिनियम के अंतर्गत खंड 85(1) और खंड 85(3) के उपबंधों के अनुसार अपराध 'किसी विभाग, प्राधिकरण या राज्य के निकाय द्वारा किया गया' कहा जाता है। समिति के विचार से वास्तव में अपराध किसी विभाग, प्राधिकरण या राज्य के निकाय द्वारा किया गया, कहने के स्थान पर विशेष सरकारी डाटा विश्वासी द्वारा किया गया कहा जाना चाहिए। इसके अलावा, खंड के उपबन्ध के अनुसार किसी अपराध की जिम्मेदारी इस अधिनियम के तहत संबंधित विभाग के प्रमुख की होती है। खंड 85(1) और खंड 85(3)के संबंध में, समिति महसूस करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में किसी भी अपराध की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख की होती है तो, इससे विभाग में निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होगी। इसके अलावा इससे सरकारी विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में अनेक बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है। समिति का विचार है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किसी अपराध के मामले में विभाग का प्रमुख अपराध विशेष के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या अधिकारी का निर्धारण करने के लिए विभागीय जांच करे और उसके बाद देयता, तय की जाए। उपरोक्त के मद्देनजर खंड 85 (खंड 86 के रूप में पुनः क्रमांकित) का उपांतरण करके निम्नवत पठनीय बनाया जाए:-

" 86. (1) जहां (***) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी (***) सरकारी डाट विश्वासी द्वारा किया गया है, वहां संबद्ध डाटा विश्वासी के कार्यालय के प्रधान द्वार आंतरिक जांच की जाएगी और तद्नुसार ऐसे अपराध के लिए उत्तरदायी संबद्ध व्यक्ति या अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने क भागी होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, (***) **सरकारी डाटा विश्वासी** द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध (***) **उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति या अधिकारी** से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां वह अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(4) इस धारा में **अन्तर्विष्ट** किसी बात के होते हुए भी, लोक सेवकों से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होते रहेंगे ।"

(सिफारिश संख्या: 85)

खंड 86 - केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति

2.263 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 86 जो प्राधिकरण को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है निम्नवत पठनीय है:-

"86. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित में समय-समय पर दें :

परंतु प्राधिकरण को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, चाहे प्रश्न नीति संबंधी हो या न हो, अंतिम होगा।"

2.264 खंड पर ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत है:

एक. यह उपबन्ध डीपीए के प्राधिकार को कमतर करता है और इसका लोप किया जाना चाहिए।

दो. डीपीए को निर्देश जारी करने का अधिकार नीतिगत मुद्दों तक सीमित होना चाहिए। प्रशासनिक और तकनीकी मामले और वे मामले जो डीपीए की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने वाले हैं। इस अधिकार के दायरे में शामिल नहीं किए जाएं।

2.265 समिति पाती है कि केंद्र सरकार को नीतिगत प्रश्नों के संबंध में खंड 86 के अंतर्गत ही प्राधिकरण को निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि खंड 86 (2) के उपबंध के अंतर्गत प्राधिकरण नीतिगत प्रश्नों पर ही केंद्र सरकार के निदेशों द्वारा बाध्य है और साथ ही रक्षोपाय उपलब्ध कराया गया है जहां प्राधिकरण को इस उपधारा के अंतर्गत कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने हेतु अवसर दिया गया है।

2.266 समिति महसूस करती है कि प्राधिकरण सिर्फ नीतिगत प्रश्नों पर ही नहीं बल्कि सभी मामलों में केंद्र सरकार के निदेशों द्वारा बाध्य होना चाहिए। अत: समिति सिफारिश करती है कि नीतिगत प्रश्नों संबंधी शब्दों को खंड 86 (2) से हटाया जाए। इसके अतिरिक्त, खंड 86 (2) से "नीतिगत प्रश्नों" संबंधी शब्दों को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के निदेश प्रत्येक मामले में अंतिम हैं। अत: खंड 86 (3) अनावश्यक हो जाता है और इसे पूर्णतया निकाल दिया जाए। समिति द्वारा इस प्रकार संशोधित खंड 86 जिसे खंड 87 के रूप में पुन:संख्याकित किया गया है को निम्नवत् पढ़ा जाए:-

"87. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी, जं वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे ।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों (***) द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित में समय-समय पर दें :

परंतु प्राधिकरण को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3)(***)"

(सिफारिश संख्या: 86)

खंड 91 - अधिनियम में डिजिटल अर्थव्यवस्था, आदि के लिए नीति निर्माण हेतु कार्रवाई करना।

2.267 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का खंड 91 गैर-वैयक्तिक डाटा के संबंध में केंद्र सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रयास करता है जो किसी डेटा न्यासधारी से गैर वैयक्तिक डेटा या अज्ञात वैयक्तिक डेटा के एकत्र करने हेतु सशक्त बनाता है। खंड 91 को निम्नवत् पढ़ा जाए:-

"91.(1) इस अधिनियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके अंतर्गत उसका विकास, सुरक्षा, अखंडता, दुरुपयोग का निवारण भी है, कोई नीति, जहां तक वह नीति वैयक्तिक डाटा को शासित नहीं करती है, विरचित करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की परामर्श से किसी डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं में उच्चतर लक्ष्यित परिदान को या साक्ष्य आधारित नीतियो की विरचना हेतु समर्थ बनाने के लिए किसी अनामी वैयक्तिक डाटा या ऐसा अन्य डाटा जो वैयक्तिक नहीं है, उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "ऐसा डाटा जो वैयक्तिक नहीं है" पद से वैयक्तिक डाटा से भिन्न कोई डाटा अभिप्रेत है।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों का वार्षिक रूप से प्रकटन करेगा।"

2.268 खंड के बारे में ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार निम्नवत् है:

i. इस उपबंध का लोप किया जाए क्योंकि यह इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है।

ii. इस खंड को लागू करने के आधार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

iii. अज्ञात डेटा, आईपीआर, व्यापार की गूढ़ बातें और सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता से सम्बद्ध पुन:पहचान के जोखिमों के मामले में डेटा की मुख्य बातों की गोपनीयता का संरक्षण करने हेतु कोई रक्षोपाय नहीं हैं।

iv. आचार प्रमाणन और लेखा परीक्षा को ऐसे डेटा भागीदारी आदेशों के लिए अनिवार्य बनाया जाए और इस तरह के डेटा की हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए नुकसान के जोखिम को एक मापदंड बनाया जाए।

2.269 इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया "91(2) के अंतर्गत, केंद्र सरकार के निर्देश कतिपय विशेष प्रयोजनों हेतु सीमित हैं। पहला सेवाओं की सुपुर्दगी से सम्बंधित बेहतर लक्ष्य निर्धारित करना और दूसरा साक्ष्य आधारित नीतियों को तैयार करना है। यह केवल इन दोनों विशेष परियोजनाओं हेतु है कि केंद्र सरकार डीपीए के परामर्श से किसी अज्ञात व्यक्ति के आंकड़े या अन्य गैर-वैयक्तिक आंकड़े प्रदान करने हेतु किसी विश्वसनीय व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकती है।"

2.270 खंड की जांच करते हुए समिति ने 29 दिसंबर 2020 को हुई अपनी बैठक में यह महसूस किया कि केंद्र सरकार को उप धारा (2) के अंतर्गत इसके द्वारा बनाए गए निर्देशों को संसद के समक्ष रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि खंड 95 और 97 संसद के समक्ष रखे जाने वाले अधिनियम के अंतर्गत नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं का उपबंध करते हैं तथा खंड 91(2) के अंतर्गत बनाए गए निर्देशों में संसद के समक्ष रखे जाने के पहले छूट दी जा सकती है।

2.271 खंड 91(1) केंद्र सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके विकास, सुरक्षा, सत्यनिष्ठा और इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु उपाय सहित नीतियां बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वे वैयक्तिक डाटा को शासित न करें। लेकिन इस खंड में गैर वैयक्तिक डाटा तथा अज्ञात वैयक्तिक डाटा से संबंधित नीतियों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है और 'अब तक' शब्द वैयक्तिक डाटा को शासित नहीं करता है, तथा पद "जहां तक वह नीति वैयक्तिक डाटा को शासित नहीं करती है", खंड 91 के तहत केन्द्र सरकार की शक्ति के दायरे से बाहर किए गए आंकड़ों के संबंध में स्पष्टता प्रदान नहीं करता है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि जहां तक वह नीति वैयक्तिक डाटा को शासित नहीं करती है", पद को 91(1) से हटाया जाए और "<u>अनामायी वैयक्तिक डाटा सहित</u>

गैर-वैयक्तिक डाटा के हथालन के लिए" से प्रतिस्थापित किया जाए। समिति के संशोधन के अनुसार खंड 91(1)[जिसे 92(1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है] का पाठ इस प्रकार है:-

"92. (1) इस अधिनियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके अंतर्गत उसका विकास, सुरक्षा, अखंडता, दुरुपयोग का निवारण भी है, अनामायी वैयक्तिक डाटा सहित गैर-वैयक्तिक डाटा के हथालन के लिए (***) कोई नीति (***) विरचित करने से निवारित नहीं करेगी ।"

(सिफारिश संख्या: 87)

2.272 इसके अतिरिक्त, पैरा 91(2) के अनुसार ऐसा कोई अन्य डाटा जो वैयक्तिक नहीं है, की अभिव्यक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण का विलोप किया जाए क्योंकि इसका स्पष्टीकरण खंड 3(28) में पहले ही अंतर्विष्ट कर लिया गया है।

2.273 समिति यह भी नोट करती है कि चूंकि विधेयक में पहले से ही नियम, विनियम, आदेश और अधिसूचना तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले डीपीए की वार्षिक रिपोर्ट हेतु उपबंध है, खंड 91(2) के अंतर्गत समय-समय पर जारी निर्देशों को दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाने वाले किसी रिपोर्ट के रूप में भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह इस विधेयक के अंतर्गत निर्देशों के संबंध में विधायिका के प्रति कार्यपालिका के बड़े उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेगा। तदनुसार समिति खंड 91(3) [जिसे 92(3) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है] में संशोधन की निम्नवत सिफारिश करती है:-

" (3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों का वार्षिक रूप से प्रकटन करेगी और ऐसे प्रकटन में उसकी वार्षिक रिपोर्ट को सम्मिलित किया जाएगा जिसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।"

(सिफारिश संख्या: 88)

खंड 93-नियम बनाने की शक्ति (केंद्रीय सरकार)

2.274 खंड 93 के संबंध में समिति को ज्ञापन के रूप में प्राप्त सुझावों का सार इस प्रकार है:

i. संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की नई श्रेणियों को निर्धारित करने की शक्ति डीपीए को प्रदान की जानी चाहिए और हितधारक परामर्श के अधीन होनी चाहिए।

ii. सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक पहचान के लिए तरीकों को निर्धारित करने की शक्ति को इस अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए।

iii. 93 (2) (एफ) के तहत नियम बनाने की शक्ति, जो उन देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में है जिनके लिए सीमा पार स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है, की संसदीय जांच की आवश्यकता हो सकती है।

iv. अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति पर एक अनिवार्य परामर्श और पारदर्शिता की आवश्यकता होनी चाहिए।

v. प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आयु सत्यापन तंत्र के संबंध में अन्य कारकों को विहित करने के लिए शक्ति को डीपीए को प्रदान किया जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को क्योंकि इस संबंध में डीपीए के पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता होने की संभावना है।

2.275 **मौजूदा विधेयक के खंड 1 से खंड 92 के उपबंधो में किए गए परिवर्तन के कारण समिति यह भी निर्देश देती है कि खंड 93 में प्रतिष्ठापित (खंड 94 में पुनःसंख्याकरण) केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति में निम्नलिखित परिणामी बदलाव किए जाएं:-**

(एक) पुनः क्रमांकित खंड 94(1) का संशोधन निम्नलिखित के रूप में पढा जाए

"(1) केन्द्रीय सरकार, <u>इस अधिनियम के (***) प्रयोजन के लिए</u> <u>और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए</u> इस अधिनियम के उपबंध से <u>असंगत न हो</u>, नियम बना सकेगी ।"

(दो) खंड 94(2)(क) का विलोपन

(तीन) खंड 94(2) (क) का निम्नवत अंतःस्थापन:-

"(क) धारा 2 के खंड (23) के उपखंड (xii) के अधीन कोई अन्य हानि; "

(चार) नये खंड 94(2)(ख) का निम्नवत अन्तःस्थापन:-

" (ख) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा विश्वासी कारबारी संव्यवहार के भाग के रूप में वैयक्तिक डाटा को साझा, अन्तरण या पारेषण कर सकता है ;"

खंड के क्रमांक को तदनुसार संशोधित किया जाये ।

(पांच) खंड 94(2) (ड़) का निम्नवत अंतःस्थापन :-

"(ङ) धारा 25 की उपधारा (6) के अधीन गैर-वैयक्तिक डाटा भंग के मामले में प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय ;"

(छः) खंड 94(2) (च) का निम्नवत अंतःस्थापन:-

" (च) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपखंड (i) के अधीन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उपयोगकर्ता के संबंध में सीमा और उपधारा (1) के खंड (च) के परन्तुक के अधीन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न सीमाएं ;"

खंड के क्रमांक को तदनुसार संशोधित किया जाये ।

(सात) खंड 94(2) (ड़) का विलोपन और खंड के क्रमांक में तदनुसार परिवर्तन

(आठ) नये खंड 94(2) (छ) और 94(2) (ज) का निम्नानुसार अन्तःस्थापन

"(ज) ((***) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन डाटा आडिटर के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(झ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन डाटा संरक्षण अधिकारी और अन्य कार्मिक जिसके अन्तर्गत "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" पद भी है की अर्हताएं और अनुभव ;"

(नौं) नये खंड 94(2)(द) का निम्नवत अन्तःस्थापन:-

"(द) धारा 57 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासियों द्वारा इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां ;"

(दस) नये खंड 94(2)(ध) का निम्नवत अन्तःस्थापन:-

"(ध) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर के लिए कोई आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति तथा अवधि ;"

(ग्यारह) पद " उपधारा (2) के पश्चात् "तथा उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव"

" (न) धारा 63 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति और निबंधन, उनकी अधिकारिता और अन्य अपेक्षाएं तथा उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव ;"

(बारह) नये खंड 94(2)(यड.) का निम्नवत अन्तःस्थापन:-

"(यङ) धारा 93 के अधीन प्रसंस्कृत नहीं करने के लिए बायोमैट्रिक डाटा के ब्यौरे ;"

(सिफारिश संख्या: 89)

खंड 94 - विनियम बनाने की शक्ति (डाटा संरक्षण प्राधिकरण)

2.276 प्राधिकरण की विनियमन बनाने की शक्ति के संबंध में समिति द्वारा प्राप्त सुझावों का सार इस प्रकार है:

i. खण्ड 94 के अंतर्गत उचित उद्देश्यों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, जिसके लिए व्यक्तिगत डेटा को खण्ड 14 (2) के तहत संसाधित किया जा सकता है, प्रदान किया जाना चाहिए।

ii. सहमति प्रबंधकों के अर्थ और प्रकृति को विधेयक के तहत अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी भूमिकाओं और सुरक्षा उपायों और उनके कार्यों के बारे में विधेयक में कोई मार्गदर्शन नहीं है।

iii. अधिनियम के तहत विनियम बनाने के लिए डीपीए की शक्ति पर एक अनिवार्य परामर्श और पारदर्शिता की आवश्यकता होनी चाहिए।

iv. अनामिता के लिए मानक विनियमों द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।

v. डीपीए द्वारा हितधारकों के परामर्श से संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की आगे की श्रेणियां निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

2.277 मौजूदा विधेयक के खंड 1 से खंड 92 के उपबंधो में किए गए परिवर्तन के कारण समिति यह भी निर्देश देती है कि खंड 94 (खंड 95 में पुनः संख्याकरण) में प्रतिष्ठापित डाटा संरक्षण प्राधिकरण की विनियम बनाने संबंधी शक्ति में भी परिवर्तन करने हेतु निम्नलिखित परिणामी परिवर्तन किए जाएं:-

(एक) पुन: क्रमांकित खंड 95(1) का संशोधन निम्नलिखित के रूप में पढा जाए

"(1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के (***) प्रयोजन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से (***) अंसगत न हों ।"

(दो) खंड 95(2)(ग)[पहले 94(2)(ग)] की 'उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजनों तथा' शब्द के अंतःस्थापन का पाठ ताकि संपूर्ण खंड 95(2)(ग) का पाठ अब निम्नवत हो:-

"(ग) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजनों तथा उपधारा (3) के अधीन डाटा स्वामियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए रक्षोपाय ;"

(तीन) खंड 95 (पूर्व खंड 94) के तहत एक नए उप-खंड अर्थात् 95 (2)(च) अंतःस्थापित किया जाये जिसका पाठ निम्नवत हो

"(च) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा स्वामी की डाटा विश्वासियों की एक स्थान की पहचान तक पहुंच होगी जिसके साथ उसके वैयक्तिक डाटा को उनके साथ साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के प्रवर्गों के साथ-साथ किसी विश्वासी को साझा किया गया है ;"

(चार) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया खंड अर्थात् (95)(2)(छ) अंतःस्थापित किया जाये जिसका पाठ निम्नवत हो :-

" (छ) धारा 18 के अधीन वह शर्तें और रीति जिसमें डाटा प्रधान को वैयक्तिक डाटा को ठीक करने और सुनिश्चित करने का अधिकार होगा ;"

(पांच) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया खंड अर्थात् (95)(2)(ज) अंतःस्थापित किया जाये जिसका पाठ निम्नवत् हो:-

" (ज) धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उपधारा (1) के उपबंध के अनुपालन के अवधारण की रीति जो अनुपयोग के लिए तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं होगी ।"

(छह) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया खंड अर्थात्, (95) (2) (ञ) का अन्तः स्थापन किया जाये और इसका पाठ निम्नवत होगा:-

" (ञ) ऐसी शर्तें जिनके अधीन धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुपालन के लिए बाध्य होगा ; "

(सात) खंड 94(2)(छ) ((95)(2)(ट) के रूप में पुनः क्रमांकित) में "रीति" शब्द के पश्चात् "और अवधि" का अन्तः स्थापन किया जाये और इसका पाठ निम्नवत होगा :-

"(ट) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रस्तुत करने की रीति और अवधि ;"

(आठ) खंड 95 (पूर्व खंड 94) के तहत एक नए उप-खंड अर्थात् 95(2)(ठ) का अन्तःस्थापन किया जाए और इसका पाठ निम्नवत होगा:-

" (ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन उपलब्ध जानकारी देने का प्ररूप और रीति, डाटा विश्वासी द्वारा रखी गई कोई अन्य सूचना तथा उपधारा (2) के अधीन डाटा स्वामी से संबंधित वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में महत्वपूर्ण प्रचालन को अधिसूचित करने की रीति ; "

(नौ) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया उप-खंड नामत: 95(2)(ढ) अंत:स्थापित किया जाए, जिसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

" (ढ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमण द्वारा आवधिक सुरक्षा रक्षोपाय के पुनर्विलोकन की रीति ; "

(दस) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया उप-खंड नामत: 95(2)(ण) अंत:स्थापित किया जाए, जिसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

"(ण) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के प्ररूप की अन्तर्वस्तु ;"

(ग्यारह) खंड 94(2)(ञ) में "धारा 27 के उप-खंड (5) के तहत प्रक्रमण के लिए शर्तें और;" शब्दों को जोड़ा जाए [94(2)(थ) के रूप में पुनर्संख्यांकित]

(बारह) खंड 94(2)(ड) को हटाना और तदनुसार उप खंडों को पुनर्संख्यांकित करना

(तेरह) खंड 94(2)(ण) में *'अनुसंधान'* शब्द के पश्चात *'अभिलेखागारण'* शब्द को अंत: स्थापित किया जाए। [94(2)(प) के रूप में पुनर्संख्यांकित]

(चौदह) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया उप-खंड नामत: 95(2)(फ) अंत:स्थापित किया जाए, जिसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

" (फ) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन सैंडबाक्स में सम्मिलित करने के लिए डाटा विश्वासी द्वारा लागू किए जाने की रीति तथा उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा सैंडबाक्स में जोड़ने के लिए अपेक्षित कोई अन्य जानकारी ;"

(पंद्रह) खंड 95(2)(म) (पूर्ववत खंड 94(2)(द) के शब्दों को पुन: लिखना ताकि अब इसे निम्नवत पढ़ा जा सके:-

"(म) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन डाटा विश्वासी या डाटा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाने का अवधि और (***) रीति ;"

(सोलह) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया उप-खंड नामत: 95(2)(य) अंत:स्थापित किया जाए, जिसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

" (य) धारा 53 की उपधारा (8) के खंड (क) के अधीन प्राधिकरण या जांच अधिकारी के लिए लेखा बहियों, डाटा और अन्य दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति के लिए स्थान और समय ;"

(सत्रह) खंड 95 (पहले खंड 94) के अंतर्गत एक नया उप-खंड नामत: 95(2)(यक) अंत:स्थापित किया जाए, जिसे निम्नवत पढ़ा जाए:-

"(यक) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के समक्ष डाटा स्वामी द्वारा शिकायत को फाइल करने की अवधि और रीति ;"

(सिफारिश संख्या: 90)

अनुसूची

2.278 वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 की अनुसूची इस प्रकार है:-

"सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का संशोधन(2000 का 21)

1. सूचना प्रौद्योगकी अधिनियम, 2000 (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 43क का लोप किया जाएगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (ण, ख) का लोप किया जाएगा।"

2.279 समिति का विचार है कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 में किए गए संशोधनों के दृष्टिगत सूचना प्रौद्योगकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। इस मामले में, मूल विधेयक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दो संशोधनों अर्थात् धारा 43क और धारा 87 में संशोधन का उल्लेख किया गया है। तथापि समिति ने पाया कि डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 81 में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि "या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" - इन शब्दों और अंकों को "पेटेंट अधिनियम, 1970"- के बाद जोड़ा जाए। तदनुसार, समिति अनुसूची में यह संशोधन करती है:

"1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 43क का लोप किया जाएगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 81 के परन्तुक में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (णख) का लोप किया जाएगा ।"

(सिफारिश संख्या: 91)

2.280 फलस्वरुप, समिति द्वारा अनुसूची के पैरा 2 में जोड़े गए पार्श्व टिप्पणी की "धारा 81 का संशोधन" पढ़ा जाए।

2.281 प्रारुपण संबंधी शुद्धियां/सुधार

क्रम संख्या	खंड संख्या	प्रारुपण संबंधी शुद्धियां/सुधार
1.	पूरा नाम	पृष्ठ सं. 1, हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। "सोशल मीडिया मध्यवर्ती" के स्थान पर "सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म" प्रतिस्थापित किया जाए। हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
2.	प्रस्तावना	पृष्ठ सं. 2, "सत्तरवें वर्ष" के स्थान पर "बहत्तरवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।
3.	2 उपांत शीर्षक	"वैयक्तिक डाटा" के पश्चात "और गैर-वैयक्तिक डाटा" जोड़ा जाए।
4.	2	पृष्ठ सं. 2, पंक्ति सं. 16 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 2, पंक्ति सं. 16 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 2, पंक्ति सं. 28 "अंतर्वलित है" शब्द के पश्चात "और" शब्द जोड़ा जाए।
5.	3(1)	पृष्ठ सं. 2, पंक्ति सं. 33 "धारा 62" शब्द के स्थान पर "धारा 63" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
6.	3(3)	पृष्ठ सं. 3, पंक्ति संख्या 3 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
7.	3(4)	पृष्ठ सं. 3, पंक्ति सं. 6 "धारा 67" शब्द के स्थान पर "धारा 68" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
8.	3(6)	पृष्ठ सं. 3, पंक्ति सं. 10 "दिए गए" के पश्चात "या अन्यथा" शब्द जोड़े जाएं।

9.	3(13)	पृष्ठ सं. 3, पंक्ति सं. 28 "कंपनी" शब्द के बाद "गैर-सरकारी संस्था" शब्द जोड़े जाएं तथा "विधिक इकाई" से पहले "कोई" शब्द का लोप किया जाए।
10.	3(15)	पृष्ठ सं. 3, पंक्ति सं. 35 "कंपनी" शब्द के बाद "गैर-सरकारी संस्था" शब्द जोड़े जाएं। हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। तथा "विधिक इकाई" से पहले "कोई" शब्द का लोप किया जाए।
11.	3(19)	पृष्ठ सं. 4, पंक्ति सं. 15 और 16 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
12.	3(20)	पृष्ठ सं. 4, पंक्ति संख्या 26 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 4, पंक्ति संख्या 30 "या' शब्द का लोप किया जाए।
13.	3(21)	पृष्ठ सं. 4, पंक्ति संख्या 37 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
14.	3(25)	पृष्ठ सं. 5, पंक्ति संख्या 15 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 5, पंक्ति सं. 15 "अधिसूचित" के बाद "और अधिसूचित किया गया" जोड़े जाए।
15.	3(26)	पृष्ठ सं. 5, पंक्ति संख्या 18 " डाटा स्वामी" से पहले "ऐसे" को जोड़ा जाए।
16.	3(29)	पृष्ठ सं. 6, पंक्ति सं. 1 "अथवा" के स्थान पर "सहित" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 6, पंक्ति सं. 2 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
17.	5	पृष्ठ सं. 7, पंक्ति सं. 31 "आनुषंगिक' के बाद "को" के साथ "वहां" जोड़े जाए।
18.	7	पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 3, 4 और 5 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।

		पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 15 "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "उपबंधित" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 20 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 34 "युक्तियुक्त व्यक्ति" के स्थान पर "व्यष्टि" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 34 "जहां" के स्थान पर "उस विस्तार तक" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 8, पंक्ति सं. 37 प्रयोजन पर के पश्चात "सारभूत रूप से" का लोप किया जाए।
19.	8 (3)	पृष्ठ सं. 9, पंक्ति सं. 15 हिन्दी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 9, पंक्ति सं. 16 "करने" के लिए युक्तियुक्त उपाय" का लोप किया जाए।
20.	10	पृष्ठ सं. 9, पंक्ति सं. 30 "अधिनियम" के पश्चात "और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों" को जोड़ा जाए।
21.	11	पृष्ठ सं. 10, पंक्ति सं. 15 "किसी" के बाद "आचरण या से" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 10, पंक्ति सं. 28 "ऐसी वापसी को प्रभावी बनाने के लिए" के स्थान पर "उसके" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 10, पंक्ति सं. 29 "सभी विधिक" का लोप किया जाए।
22.	12	पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 35 "द्वारा" के स्थान पर "जिसके अंतर्गत" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 4 "अधीन" के पश्चात "या" का लोप किया जाए।

		पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 5 "न्यायालय" के पश्चात ", न्यायिक कल्प प्राधिकरण" अंत:स्थापित किया जाए; और "आदेश या निर्णय" के स्थान पर "निर्णय या आदेश" से प्रतिस्थापित किया जाए।
23.	13	पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 16 "उप-धारा (2) के पश्चात "में अन्तर्विष्ट उपबंधों" को जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 26 "आवश्यक है।" के पश्चात "और उसे डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है।" जोड़ा जाए।
24.	14	पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 34 "युक्तियुक्त" से पूर्व "ऐसे" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 11, पंक्ति सं. 36 "हित" से पूर्व "विधिसम्मत" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 12, पंक्ति सं. 2 "अर्जन" से पहले "और" का लोप करें तथा "," लगाए। पृष्ठ सं. 12, पंक्ति सं. 23 "प्रतिकूल" से पहले "सारत:" का लोप किया जाए।
25.	15	पृष्ठ सं. 12, पंक्ति सं. 29 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 12, पंक्ति सं. 33 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
26.	अध्याय चार शीर्षक	पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 5 "वैयक्तिक डाटा" के पश्चात "और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" का लोप किया जाए।
27.	16 उपांत शीर्षक	पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 5 वैयक्तिक डाटा के पश्चात "और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" का लोप किया जाए।

28.	16	पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 6 "और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 7 "और जो उसके सर्वोत्तम हित में हो" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 12 "विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 17 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 24 "डाटा विश्वासी" से पहले "संरक्षक" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 13, पंक्ति सं. 27 "(5)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाए।
29.	17	पृष्ठ सं. 14, पंक्ति सं. 4 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 14, पंक्ति सं. 15 "युक्तियुक्त व्यक्ति" के स्थान पर "समान संदर्भ में युक्तियुक्त व्यष्टि" से प्रतिस्थापित किया जाए।
30.	18	पृष्ठ सं. 14, पंक्ति सं. 27 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 2 "उपधारा (1)" शब्द के पश्चात "में अन्तर्विष्ट उपबंधों" को जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 4 "आवश्यक" के पश्चात "और व्यवहार्य" को जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 6 "जहां" के पश्चात "समाघात का ध्यान रखते हुए" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 6 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।

31.	19	पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 18 "वैयक्तिक डाटा" के पश्चात "का अन्तरण" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 19 "अंतरित" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 15, पंक्ति सं. 22 "अनुपालन" के पश्चात "या किसी निर्णय" और "या न्यायालय" के पश्चात ", या अधिकरण या न्यायिक कल्प प्राधिकरण" जोड़ा जाए।
32.	20	पृष्ठ सं. 15 पंक्ति सं. 26 "प्रकटन" के पश्चात "या प्रक्रमण करने" को जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15 पंक्ति सं. 27, 28, 31 "प्रकटन" के बाद "या प्रक्रमण" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 15 पंक्ति सं. 35 "(ग)" से पहले "खंड" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 16 पंक्ति सं. 2, 8, 12, 14, 17 "प्रकटन" के बाद "या प्रक्रमण" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 16 पंक्ति सं. 18 "निर्दिष्ट" के पश्चात "किसी भी जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 16 पंक्ति सं. 18 पृष्ठ सं. 16 पंक्ति सं. 22 "व्यक्ति के पश्चात" "धारा 73 के अधीन" जोड़ा जाए। यहां धारा 73 समिति द्वारा विधेयक में अंत:स्थापित नए खंड को संदर्भित करता है।
33.	21	पृष्ठ सं. 16, पंक्ति सं. 25 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 16, पंक्ति सं. 30 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 16, पंक्ति सं. 30-31 "में निर्दिष्ट" के स्थान पर "के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाए।

34.	22	पृष्ठ सं. 17, पंक्ति सं. 23 "डाटा विश्वासी" के पश्चात "प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 17, पंक्ति सं. 27 "प्राधिकरण" से पहले "उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए" जोड़ा जाए।
35.	23	पृष्ठ सं. 17, पंक्ति सं. 33 "बनाए रखने के लिए" के स्थान पर "बनाए रखेगा" से प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 18, पंक्ति सं. 13 "करता है" के बाद "और" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 18, पंक्ति सं. 18, 20, 23 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
36.	25 उपांत शीर्षक	"डाटा से पहले "वैयक्तिक" का लोप किया जाए।
37.	25	पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 5 "सूचना द्वारा" के पश्चात "ऐसे" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 6-7 "भंग के बारे में" के बाद "प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा" जोड़ा जाए और "संसूचित करेगा, जहां ऐसे भंग से किसी डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 8 "निर्दिष्ट सूचना" के पश्चात "ऐसे प्ररूप में होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उसमें" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 11 "भंग" से पहले "ऐसे" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 18 "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "उपबंधित" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 19 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।

38.	26	पृष्ठ सं. 19, पंक्ति सं. 31 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 20, पंक्ति सं. 2 "उपयोग" के बाद "और" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 20, पंक्ति सं. 7 "इस अधिनियम में" के बाद "अंतर्विष्ट" जोड़ा जाए; और "राय" के स्थान पर "समाधान" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 20, पंक्ति सं. 8 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 20, पंक्ति सं. 10 "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "उपबंधित" प्रतिस्थापित किया जाए।
39.	27	पृष्ठ सं. 20, पंक्ति सं. 32 "जहां" के बाद "कोई" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 21, पंक्ति सं. 2 "डाटा विश्वासी" के स्थान पर "डाटा विश्वासियों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 21, पंक्ति सं. 18 "विश्वास" के स्थान पर "समाधान" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 21, पंक्ति सं. 20 "जो प्राधिकरण ठीक समझें" के स्थान पर "विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" से प्रतिस्थापित किया जाए।
40.	28	पृष्ठ सं. 21, पंक्ति सं. 34 "मध्यवर्ती" के स्थान पर "प्लेटफार्म" और "(4)" को "(1)" से प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 21, पंक्ति सं. 35 "उपभोक्ताओं" के स्थान पर "व्यक्तियों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 2 "ऐसे उपभोक्ताओं" के स्थान पर "व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।

41.	29	पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 9 "विनिर्दिष्ट करेगा" के पश्चात "और समुचित समवर्ती संपरीक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करेगा" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 22 "इस अधिनियम के अधीन" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 24 "व्यक्तियों" के स्थान पर "ऐसे व्यक्तियों" और "विनिर्दिष्ट की जाए" के स्थान पर "विहित किए जाएं" से प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 24 "विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा" के स्थान पर "विनिर्दिष्ट किया जाए" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 30 "मत" के स्थान पर "समाधान" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 32 "प्राधिकरण" के पश्चात "ऐसे" जोड़ा जाए।
42.	30	पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 35 "अर्हता" के स्थान पर "अर्हताओं" और "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "विहित" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 22, पंक्ति सं. 36 "नियुक्त करेगा" के पश्चात "अर्थात" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 23, पंक्ति सं. 12 "शिकायतों" के स्थान पर "शिकायत" प्रतिस्थापित किया जाए।
43.	31	पृष्ठ सं. 23, पंक्ति सं. 30 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
44.	32	पृष्ठ सं. 24, पंक्ति सं. 9 'ऐसी रीति में जो विहित की जाए" के स्थान पर "धारा 62 के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाए। यहां धारा 62 समिति द्वारा विधेयक में अंत:स्थापित नए खंड को

		संदर्भित करता है।
45.	33	पृष्ठ सं. 24, पंक्ति सं. 13 "शर्तों" से पहले "उपबंधित" जोड़ा जाए।
46.	34	पृष्ठ सं. 24, पंक्ति सं. 32 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 24, पंक्ति सं. 37 "और" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 3 "इकाई के वर्ग" के स्थान पर "इकाईयों के वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 6 अंत में "या" शब्द जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 7 "प्राधिकरण" के पश्चात "केन्द्रीय सरकार के परामर्श में" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 16 "इकाई के वर्ग" के स्थान पर "इकाईयों के वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 9 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 22 "अधिसूचित" के स्थान पर "सूचित प्रतिस्थापित किया जाए।
47.	35	पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 25 "जहां" से "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी," जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 25, पंक्ति सं. 27 और 29 "मैत्रीपूर्ण संबंधों" के पश्चात "या" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 26, पंक्ति सं. 4 "है।" के पश्चात "; और" जोड़ा जाए।

48.	36	पृष्ठ सं. 26, पंक्ति सं. 7, 10, 14, 17 और 20 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 26, पंक्ति सं. 8 "किसी अन्य" का लोप करें। पृष्ठ सं. 26, पंक्ति सं. 21 "सुसंगत है और" के पश्चात "इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों," शब्दों को जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 26, पंक्ति सं. 22 "मीडिया" से पहले "कानूनी" शब्द जोड़ा जाए और "स्वविनियामक" के स्थान पर "विनियामक" प्रतिस्थापित किया जाए।
49.	39 उपांत शीर्षक	पृष्ठ सं. 27 "हस्त" के स्थान पर "अस्वचालित" प्रतिस्थापित किया जाए।
50.	40	पृष्ठ सं. 27, पंक्ति सं. 22 "करेगा" के स्थान पर "कर सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 27, पंक्ति सं. 23 "डाटा विश्वासी" के पश्चात "और ऐसा स्टार्टअप" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 10 "स्पष्ट और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करने" के स्थान पर "उपबंधों के अनुपालन" प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 13-14 "के अधीन बाध्यताओं" का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 14 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं।
51.	42 उपांत शीर्षक	पृष्ठ सं. 28 "सदस्यों" से पहले "संसूचना तथा अध्यक्ष और" जोड़ा जाए और "नियुक्ति के लिए" के बाद "गठन और" का लोप किया जाए।
52.	42	पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 29 "सदस्य" का लोप किया जाए।

		"विधि में" के स्थान पर "विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 30 "होगा।" के पश्चात ", जो विहित की जाए।" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 31 और 33 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 35 "; और" के स्थान पर "- सदस्य ;" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 28, पंक्ति सं. 1 "सचिव ।" के स्थान पर "सचिव -सदस्य;" से प्रतिस्थापित किया जाए।
53.	44	पृष्ठ सं. 29, पंक्ति सं. 31 और पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 4 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 6 "युक्तियुक्त" के स्थान पर "एक" प्रतिस्थापित किया जाए।
54.	45	पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 7 'कार्यकलापों" के पश्चात "के आचरण" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 7 "तथा वह" के बाद "प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त है" जोड़ा जाए।
55.	46	पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 16 और 20 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
56.	48	पृष्ठ सं. 30, पंक्ति सं. 34 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
57.	49	पृष्ठ सं. 31, पंक्ति सं. 8 "इस अधिनियम" के पश्चात "और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 31, पंक्ति सं. 10 "वैयक्तिक" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 32, पंक्ति सं. 3

		"और" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 32, पंक्ति सं. 8 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 32, पंक्ति सं. 10 "किसी विधि" से पहले "तत्समय प्रवृत्त" जोड़ा जाए।
58.	50	पृष्ठ सं. 33, पंक्ति सं. 18 "डाटा" से पहले "वैयक्तिक" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ सं. 33, पंक्ति सं. 26 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ सं. 33, पंक्ति सं. 27 "आवश्यक" के पश्चात "या सुसंगत" जोड़ा जाए।
59.	51	पृष्ठ सं. 33, पंक्ति सं. 35 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
60.	53	पृष्ठ सं. 34, पंक्ति सं. 21 "हित" के स्थान पर "हितों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 35, पंक्ति सं. 4 "अधिकारी" के स्थान पर "के क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 35, पंक्ति सं. 19 "विनिर्दिष्ट" से पहले "विनियमों द्वारा" और "लेखा पुस्तकों" के पश्चात "डाटा" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 35, पंक्ति सं. 23 "अभिलेख" के पश्चात "या डाटा" जोड़ा जाए।
61.	54	पृष्ठ सं. 35-36, पंक्ति सं. 37, 1 "की अपेक्षा कर सकेगा" के स्थान पर 'का निदेश दे सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 4 "की अपेक्षा कर सकेगा" के स्थान पर 'का निदेश दे सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 10

		"प्रवाह" के स्थान पर "अंतरण" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 13 "की अपेक्षा कर सकेगा" के स्थान पर 'का निदेश दे सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 16 "डाटा प्रक्रमणकर्ता" के पश्चात "धारा 73 के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाए। यहां धारा 73 समिति द्वारा विधेयक में अंत:स्थापित नए खंड को संदर्भित करता है।
62.	55	पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 20 "जांच अधिकारी" से पहले "प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 23 "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "उपबंधित" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 24 "दोनों" के स्थान पर "सभी" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 27 "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात "या राज्य सरकार" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 36, पंक्ति सं. 30 और 34 "अभिलेख/अभिलेखों" से पहले "और" का लोप किया जाए और "अभिलेख/अभिलेखों" के पश्चात "या डाटा" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 37, पंक्ति सं. 1 "अभिलेखों" से पहले "और" का लोप किया जाए और "अभिलेखों" के पश्चात "या डाटा" जोड़ा जाए।
63.	56	पृष्ठ सं. 37, पंक्ति सं. 13 "ऐसी कार्रवाई" के पश्चात "जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप भी हैं" जोड़ा जाए।

64.	57 उपांत शीर्षक	हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
65.	57	पृष्ठ सं. 37, पंक्ति सं. 17 " करेगा–" के पश्चात " अर्थात् " जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 37, पंक्ति सं. 25 " बाध्यता " के पश्चात " या" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 37, पंक्ति सं. 32 " करेगा–" के पश्चात " अर्थात् " जोड़ा जाए।
66.	59	पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 6 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
67.	62	पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 21 "धारा 64" शब्द के स्थान पर "धारा 65" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 22 "अधिकारी" के स्थान पर "अधिकारियों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 22 "विहित किए जाएं" के स्थान पर "अपेक्षित हों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 30 "अधिकारिता;" के पश्चात और जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 31-32 "केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, विहित करेगी" के स्थान पर "विहित की जाए" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 35 "विशिष्ट ज्ञान" से पहले "ऐसी अर्हताएं धारण करेंगे," और "विशिष्ट ज्ञान" के बाद "पर्याप्त" शब्द जोड़े जाए। पृष्ठ सं. 39, पंक्ति सं. 36 "वृत्तिक अनुभव होना चाहिए" के पश्चात ", जो विहित किया जाए" जोड़ा जाए।

68.	63	पृष्ठ सं. 40, पंक्ति सं. 3 "युक्तियुक्त" के स्थान पर "एक" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 40, पंक्ति सं. 14 "अधीन" के पश्चात "यथा" जोड़ा जाए। पृष्ठ सं. 40, पंक्ति सं. 30 "और" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ सं. 40, पंक्ति सं. 30 "कोई व्यक्ति" के बाद "धारा 73 के अधीन" जोड़ा जाए। यहां धारा 73 समिति द्वारा विधेयक में अंत:स्थापित नए खंड को संदर्भित करता है।
69.	64	पृष्ठ 41, पंक्ति सं. 10 "जो अभिव्यक्त रूप से इसे लागू होते हैं," का लोप किया जाए। पृष्ठ 41, पंक्ति सं. 16 "परिवादकर्ता" के स्थान पर "प्रतिनिधित्व आवेदन" से प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 41, पंक्ति सं. 19 "निम्नलिखित" के बाद "में से किन्हीं" जोड़ा जाए। पृष्ठ 41, पंक्ति सं. 19 "विहित" का लोप किया जाए और "विनिर्दिष्ट" के स्थान पर "किए गए" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 41, पंक्ति सं. 19 "हैं" के पश्चात " ; या" जोड़ा जाए। पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 5 "उप-धारा (5)" शब्द के स्थान पर "उप-धारा (4)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 11 "अपील" से पहले "धारा 73 के अधीन" जोड़ा जाए। पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 12

		"केन्द्रीय सरकार" का लोप किया जाए। "शिकायत" के स्थान पर "आवेदन" प्रतिस्थापित किया जाए। "प्रक्रिया" के पश्चात "वह होगी जो" जोड़ा जाए और पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 13 "कर सकेगी" के स्थान पर "की जाए" प्रतिस्थापित किया जाए। यहां धारा 73 समिति द्वारा विधेयक में अंत:स्थापित नए खंड को संदर्भित करता है।
70.	67	पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 29 "धारा 63" शब्द के स्थान पर "धारा 64" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 42, पंक्ति सं. 31 "धारा 64" शब्द के स्थान पर "धारा 65" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। "उपधारा (7)" शब्द के स्थान पर "उपधारा (6)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 3 और 4 "निकाय" को "अधिकरण" से प्रतिस्थापित किया जाए।
71.	68 उपांत शीर्षक	पृष्ठ 43 "सदस्यों" से पहले "अध्यक्ष और" जोड़ा जाए।
72.	68	पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 15 "केन्द्रीय सरकार," का लोप किया जाए। हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 17 "विहित कर सकेगी" के स्थान पर "वह होंगी जो विहित की जाए" प्रतिस्थापित किया जाए।
73.	69	पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 20 "या विहित" के स्थान पर "और उसके अधीन बनाए गए" प्रतिस्थापित किया जाए।
74.	70	पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 27

		"कर्मचरियों" के पश्चात "के" का लोप किया जाए और "को संदेय" जोड़ा जाए। पृष्ठ 43, पंक्ति सं. 28 "शर्तें" से पहले "के निबंधन और" जोड़ा जाए।
75.	72	पृष्ठ 44, पंक्ति सं. 5 "अधिकरण" के पश्चात "या न्यायनिर्णयन अधिकारी" और "विनिश्चय" के पश्चात "या आदेश" जोड़ा जाए। पृष्ठ 44, पंक्ति सं. 15 "प्राधिकरण" के पश्चात "या न्यायनिर्णयन अधिकारी" जोड़ा जाए। पृष्ठ 44, पंक्ति सं. 19-20 "या आवेदन" का लोप किया जाए।
76.	73	पृष्ठ 44, पंक्ति सं. 30, 34 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 2 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
77.	74	पृष्ठ 45, पंक्ति संख्या: 10 "पारित कोई" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
78.	75	पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 18 "किसी अन्य विधि" से पहले "तत्समय प्रवृत्त" शब्द जोड़े जाए।
		पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 23 "अधीन" के पश्चात "की गई" जोड़ा जाए। पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 24 और 26 "नब्बे" के स्थान पर "साठ" प्रतिस्थापित किया जाए।
79.	76	पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 30 "अधिकारियों" के पश्चात "या विशेषज्ञों" जोड़ा जाए। पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 31 "विधि व्यवसायी" के बाद "पद" शब्द जोड़ा जाए। पृष्ठ 45, पंक्ति सं. 32

		"कोई अटर्नी है और इसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है" का लोप किया जाए और इसके स्थान पर "कोई अटार्नी होगा।" जोड़ा जाए।
80.	79 उपांत शीर्षक	पृष्ठ 46 "डाटा" से पहले "भारतीय" शब्द का लोप किया जाए।
81.	80	पृष्ठ 46, पंक्ति सं. 32-33 अंत में "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक" के स्थान पर "उसके" से प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 46, पंक्ति सं. 34 "केन्द्रीय सरकार" से पहले "प्राधिकरण" जोड़ा जाए।
82.	82	पृष्ठ 47, पंक्ति सं. 17 "व्यक्ति, जो" शब्द के पश्चात् "संयुक्त रुप से या पृथक रुप से" जोड़ा जाए।
83.	83	पृष्ठ 47, पंक्ति सं. 34 "अधीन" के पश्चात "दंडनीय" शब्द जोड़ा जाए। पृष्ठ 47, पंक्ति सं. 35 "प्राधिकरण" के पश्चात "इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी" और "द्वारा" के पश्चात "लिखित में" जोड़ा जाए।
84.	84	पृष्ठ 48, पंक्ति सं. 1 "के कारोबार" से पहले "जिससे अपराध संबंधित है," और इसके बाद "के भाग" जोड़ा जाए। पृष्ठ 48, पंक्ति सं. 2 "वह कंपनी" के पश्चात "के साथ-साथ" जोड़ा जाए और "भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे" का लोप किया जाए। पृष्ठ 48, पंक्ति सं. 4 "इस अधिनियम" के पश्चात "के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और तद्नुसार दंड के लिए" जोड़ा जाए और "में उपबंधित किसी दंड का" का लोप किया जाए। पृष्ठ 48, पंक्ति सं. 16, 21 "कंपनी" के पश्चात और "निदेशक" के पश्चात "पद" शब्द जोड़ा जाए।

85.	85 उपांत शीर्षक	पृष्ठ 48 "राज्य" के स्थान पर "सरकारी डाटा विश्वासी" प्रतिस्थापित किया जाए।
86.	85	पृष्ठ 48, पंक्ति सं. 30 "व्यक्ति" के पश्चात "या अधिकारी" जोड़ा जाए। पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 4 "धारा में" शब्द के पश्चात् "अंतर्विष्ट" जोड़ा जाए।
87.	86	पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 13 "नीति संबंधी प्रश्नों पर" का लोप किया जाए।
88.	88	पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 23 "विहित" के स्थान पर "बनाए गए" प्रतिस्थापित किया जाए और "विनिर्दिष्ट" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 25 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
89.	90	पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 32 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 49, पंक्ति सं. 33 "धारा 94" शब्द के स्थान पर "धारा 95" प्रतिस्थापित किया जाए और "शक्तियों" से पहले "विनियम बनाने की" जोड़ा जाए।
90.	91	पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 1-2 हिंदी प्रति में कोई संशोधन आवश्यक नहीं।
91.	92	पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 14-15 "केंद्रीय सरकार द्वारा" के स्थान पर "विहित" प्रतिस्थापित किया जाए। हिंदी प्रति में अन्य संशोधन आवश्यक नहीं।
92.	93	पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 23 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 28 "सामाजिक मीडिया" के पश्चात "प्लेटफार्म" जोड़ा जाए। पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 29

		"पहचान करने की पद्धति" के स्थान पर "सत्यापन की रीति" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 50, पंक्ति सं. 30 "सत्यापित उपभोक्ता" के पश्चात "के सत्यापन" जोड़ा जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 33 "ऐसी इकाई या इकाइयों" के स्थान पर "ऐसी निकाय या निकायों" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 34 "धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन" शब्दों को इस पंक्ति से हटाकर वाक्य के पहले जोड़ा जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 2 हिंदी प्रति में अन्य संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 5 "बैठकों" शब्द के पहले "गणपूर्ति सहित" शब्द जोड़े जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 7 "(ण)" के स्थान पर "(त) प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 14 "धारा 62" शब्द के स्थान पर "धारा 63" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 17 "धारा 63" शब्द के स्थान पर "धारा 64" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 19 "धारा 64" शब्द के स्थान पर "धारा 65" प्रतिस्थापित किया जाए। "की उपधारा (2)" का लोप किया जाए। "अधीन" शब्द के पश्चात "की" शब्द का लोप किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 20 "उप-धारा (8)" शब्द के स्थान पर "उप-धारा (7)" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 19 और 20 "परिवाद" शब्द के स्थान पर "आवेदन" शब्द जोड़ा जाए।

		पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 22 "धारा 68" शब्द के स्थान पर "धारा 69" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 25 "धारा 69" शब्द के स्थान पर "धारा 70" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 27 "धारा 70" शब्द के स्थान पर "धारा 71" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 29 "धारा 72" शब्द के स्थान पर "धारा 73" प्रतिस्थापित किया जाए। ", यथास्थिति," का लोप किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 30 "या आवेदन" का लोप किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 31 "धारा 73" शब्द के स्थान पर "धारा 74" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 33 "धारा 80" शब्द के स्थान पर "धारा 81" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 51, पंक्ति सं. 36 "जिसमें" शब्द का लोप किया जाए। "धारा 81" शब्द के स्थान पर "धारा 82" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 2 "धारा 91" के स्थान पर "धारा 92" प्रतिस्थापित किए जाने के पश्चात "धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन" को वाक्य की शरुआत में जोड़ा जाए।
93.	94	पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 7-8 "उपबंधो को कार्यान्वयित करने" के स्थान पर "प्रयोजन" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 9 "नियमों" शब्द के पश्चात" के उपबंधों" जोड़ा जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 15 "जानकारी" शब्द से पूर्व "कोई अन्य" जोड़ा जाए।

		पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 16 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 18 "उपधारा (3)" शब्द से पहले "उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजनों तथा" जोड़ा जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 22 "रीति" के पश्चात "और" जोड़ा जाए और "उपधारा (3) के अधीन" का लोप किया जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 23 "उपधारा (6) के अधीन डाटा विश्वासियों को काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं का प्रस्ताव करने के लिए उपांतरित प्ररूप में उपबंध का लागू किया जाना" के स्थान पर "उपधारा (5) के अधीन काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवा के आमंत्रण के लिए डाटा विश्वासियों हेतु उपांतरित प्ररूप में उपबंध का आवेदन" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 32 "रीति" शब्द के बाद "और अवधि" जोड़ा जाए। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 33 हिंदी प्रति में संशोधन आवश्यक नहीं। पृष्ठ 52, पंक्ति सं. 34-35 "और उनका अनुपालन" शब्दों का लोप किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 1 "विश्वासियों" शब्द के स्थान पर "विश्वासी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 3 "की नियुक्ति की जाएगी" के स्थान पर "को लगाया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 5 "रिपोर्ट देगा" के पश्चात "और धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन प्रक्रमण के लिए शर्तें " जोड़ा जाए।

		पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 11 "ऐसे" का लोप किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 12 "धारा 29 की" का लोप किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 18-19 "धारा 38 के अधीन" को वाक्य के शुरू में जोड़ा जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 19 "जो" के स्थान पर "जिसमें" और "सकेंगे" के स्थान पर "सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 24 "धारा 53" शब्द के स्थान पर "धारा 52" प्रतिस्थापित किया जाए। "डाटा विश्वासी" के पश्चात "या डाटा प्रसंस्करणकर्ता" जोड़ा जाए। पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 25 "प्ररुप" के स्थान पर "अवधि" प्रतिस्थापित किया जाए।
94.	95 उपांत शीर्षक	"और" के स्थान पर "," प्रतिस्थापित किया जाए। "विनियमों" के पश्चात "और अधिसूचनाओं" शब्द जोड़ा जाए।
95.	95	पृष्ठ 53, पंक्ति सं. 30 "धारा 67" शब्द के स्थान पर "धारा 68" प्रतिस्थापित किया जाए।
96.	96	पृष्ठ 54, पंक्ति सं. 6 "इस अधिनियम से अन्यथा" का लोप किया जाए। "विधि के" से पूर्व "ऐसी" जोड़ा जाए।
97.	97	पृष्ठ 54, पंक्ति सं. 11, 13 हिंदी प्रति में अन्य संशोधन आवश्यक नहीं।

(सिफारिश संख्या: 92)

2.282 इसलिए, संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि समिति द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों को शामिल करने के बाद यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए और भाग- एक में की गई सामान्य सिफारिशों को यथासमय लागू किया जाए।

(सिफारिश संख्या: 93)

(पी पी चौधरी)
सभापति,
वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 08 दिसंबर, 2021
17 अग्रहायण, 1943 (शक)

विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

बुधवार,11,दिसम्बर,2019 /20,अग्रहायण,1941(शक)

श्री रवि शंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:

"कि व्यष्टियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों, और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के वीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात् -

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री पी पी चौधरी
3. श्री एस.एस. अहलुवालिया
4. श्री तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ किरिटभाई सोलंकी
9. श्री अरविंद धर्मापुरी
10. डॉ॰ हिना गावीत
11. श्री उदय प्रताप सिंह
12. श्री राजीव रंजन सिंह
13. श्री गौरव गोगोई
14. मुश्री एस ज्योति मणि
15. प्रो सौगत राय
16. श्रीमती कनिमोझी
17. श्री पी वी मिधुन रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

19.श्री भर्तृहरि महताब
20. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए. गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट-दो

विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव
बुधवार,12,दिसम्बर,2019 /21,अग्रहायण,1941(शक)

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"यह सभा लोक सभा द्वारा बुधवार, 11 दिसंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम निर्देशित किए जाएं:-

1. श्री भूपेन्द्र यादव
2. श्री सुरेश प्रभु
3. श्री राजीव चन्द्रशेखर
4. श्री अश्वनी वैष्णव
5. श्री जयराम रमेश
6. श्री विवेक के. तन्खा
7. श्री देरेक ओब्राईन
8. श्री ए. नवनीतकृष्णन
9. प्रो. राम गोपाल यादव
10. डॉ. अमर पटनायक "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट-तीन

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी समिति के बारे में दिनांक 23 मार्च, 2020 का प्रस्ताव

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय संसद के मानसून सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>परिशिष्ट - चार</u>

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में 23 सितंबर, 2020 का प्रस्ताव - समय का विस्तार

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय संसद् के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट - पांच

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में 09 फरवरी, 2021 प्रस्ताव - समय का विस्तार

श्री मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि सभा द्वारा 23 सितंबर, 2020 को व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को संसद् के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाये गये समय को संसद् के बजट सत्र, 2021 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाया गया माना जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट - छह

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में 25 मार्च 2021
प्रस्ताव - समय का विस्तार

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय संसद के मानसून सत्र, 2021 के प्रथम सप्ताह तक बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट - सात

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में 23 जुलाई, 2021 प्रस्ताव - समय का विस्तार

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के समय का संसद के शीतकालीन सत्र, 2021 के प्रथम सप्ताह तक विस्तार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट - आठ

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में 01 दिसंबर, 2021 प्रस्ताव - समय का विस्तार

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के समय का संसद के शीतकालीन सत्र, 2021 के अंतिम सप्ताह तक विस्तार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों के विवरण।

क्रम संख्या	बैठक संख्या	बैठक की तारिख	बैठक की कार्यसूची तथा पेश हुए अधिकारी/गैर-अधिकारी गवाह
1.	1.	16.1.2020	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी
2.	2.	18.2.2020	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी
3.	3.	3.3.2020	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त जानकारी
4.	4.	17.3.2020	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूएडीएआई) और गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मौखिक साक्ष्य।
5.	5.	27.7.2020	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूएडीएआई) और गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)/राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी/नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मौखिक साक्ष्य।
6.	6.	10.8.2020	एलएंडएल पार्टनर्स लॉ ऑफिस, दिल्ली और फाउंडेशन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स इन इंडिया, बंगलौर द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
7.	7.	11.8.2020	एसोचैम और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, दिल्ली द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
8.	8.	20.8.2020	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, दिल्ली द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
9.	9.	26.8.2020	नैस्कोम द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
10.	10.	1.9.2020	शोक-संवेदना संकल्प
11.	11.	8.9.2020	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
12.	12.	9.9.2020	पीएर काउंसल द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)

13.	13.	15.10.2020	ट्राइलीगल द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
14.	14.	16.10.2020	पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
15.	15.	22.10.2020	फोरम फॉर इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
16.	16.	23.10.2020	फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
17.	17.	28.10.2020	ट्विटर इंडिया द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
18.	18.	28.10.2020	अमेजन इंडिया और अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
19.	19.	29.10.2020	पेटीएम द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
20.	20.	29.10.2020	गूगल द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
21.	21.	04.11.2020	जियो प्लेटफोर्म्स लिमिटेड द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
22.	22.	04.11.2020	रिलायंस जियोइंफोकोम लिमिटेड द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
23.	23.	05.11.2020	एएनआई टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
24.	24.	05.11.2020	उबर इंडिया द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
25.	25.	06.11.2020	भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
26.	26.	06.11.2020	ट्रूकॉलर द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
27.	27.	11.11.2020	विधेयक पर खण्डवार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)

28.	28.	11.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
29.	29.	12.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
30.	30.	12.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
31.	31.	19.11.2020	साइबल इंक के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
32.	32.	19.11.2020	पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
33.	33.	20.11.2020	मास्टरकार्ड के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
34.	34.	20.11.2020	आईस्पीरीट फाउंडेशन और वीजा कोनसोलिडेटेड सपोर्टेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
35.	35.	23.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
36.	36.	23.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
37.	37.	24.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
38.	38.	24.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
39.	39.	25.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
40.	40.	25.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
41.	41.	26.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
42.	42.	26.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
43.	43.	27.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)

44.	44.	27.11.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
45.	45.	02.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
46.	46.	02.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
47.	47.	03.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
48.	48.	03.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
49.	49.	04.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
50.	50.	09.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
51.	51.	10.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
52.	52.	11.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
53.	53.	16.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
54.	54.	16.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
55.	55.	17.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
56.	56.	17.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
57.	57.	18.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
58.	58.	18.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
59.	59.	23.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
60.	60.	23.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
61.	61.	24.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)

62.	62.	24.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्यांय मंत्रालय ।)
63.	63.	28.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
64.	64.	28.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
65.	65.	29.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
66.	66.	29.12.2020	विधेयक पर खण्ड वार विचार (उपस्थित- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय ।)
67.	67.	15/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच तुलना।
68.	68.	16/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच तुलना।
69.	69.	23/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
70.	70.	23/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
71.	71.	29/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
72.	72.	29/09/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
73.	73.	20/10/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
74.	74.	20/10/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।

75.	75.	21/10/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
76.	76.	21/10/2021	संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, संयुक्त समिति में इस पर की गई चर्चा और सभापति, संयुक्त समिति द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के बीच आगे तुलनात्मक चर्चा।
77.	77.	12/11/2021	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति के प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
78.	78.	22/11/2021	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति के प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

परिशिष्ट- दस

समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों के नामों की सूची।

क्रम सं.	विशेषज्ञों हितधारकों संगठनों के नाम	मौखिक साक्ष्य की तारीख
1.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)	17.3.2020
2.	यूआईडीएआई, एनसीआरबी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)	27.7.2020
3.	एल एंड एल पार्टनर्स लॉ ऑफिसेज एंड फाउंडेशन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स इन इंडिया, बैंगलोर	10.8.2020
4.	एसोचैम और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, दिल्ली।	11.8.2020
5.	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर	20.8.2020
6.	नैसकॉम	26.8.2020
7.	भारतीय रिजर्व बैंक	8.9.2020
8.	पियर काउंसिल	9.9.2020
9.	ट्राइलीगल	15.10.2020
10.	पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस कोलकाता	16.10.2020
11.	फोरम फॉर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, कर्नाटक चैप्टर	22.10.2020
12.	फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	23.10.2020
13.	ट्विटर इंडिया	28.10.2020
14.	अमेज़न इंडिया और अमेज़न वेब सर्विसेज	28.10.2020
15.	पेटीएम	29.10.2020
16.	गूगल	29.10.2020
17.	जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड	04/11/2020
18.	रिलाएंस जियोइन्फोकॉम लिमिटेड	04/11/2020
19.	एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड [ओएलए]	05/11/2020
20.	ऊबर इंडिया	05/11/2020
21.	भारती एयरटेल लि.	06/11/2020
22.	ट्रयूकालर	06/11/2020
23.	साइबल इंक	19/11/2020
24.	पेपाल पेमेंट्स प्रा. लिमिटेड	19/11/2020
25.	मास्टरकार्ड	20/11/2020
26.	आईस्प्रिट फाउंडेशन और वीजा कंसोलिडेटेड सपोर्टेड सर्विसेज इं	20/11/2020

परिशिष्ट ग्यारह

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति के अध्ययन यात्रा कार्यक्रम
26.10.2021 से 29.10.2021 मुंबई और बेंगलुरु तक के लिए

(मुंबई में सभा)		
दिनांक & दिन	**समय**	**कार्यक्रम**
26.10.2021 (मंगलवार)	1100 बजे	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अधिकारियों के साथ चर्चा।
	1530 बजे	एसबीआई डेटा सेंटर, मुंबई का दौरा और डेटा के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसार पर चर्चा।
मुंबई में रात्रि विश्राम		
27.10.2021 (बुधवार)	1030 बजे	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
	1130 बजे	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा अपनाए जा रहे डेटा सुरक्षा तंत्र और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों पर उनके विचारों पर चर्चा।
	1500 बजे	बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव पर एसबीआई, नाबार्ड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) के अधिकारियों के साथ चर्चा।
मुंबई में रात्रि विश्राम		
28.10.2021 (गुरुवार)	0930 बजे	AI0639 द्वारा बेंगलुरु के लिए प्रस्थान
	1100 बजे	बेंगलुरु में आगमन
	1430 बजे	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
	1530 बजे	व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों पर उनके विचारों पर iSPIRT के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।

	1600 बजे	विप्रो के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा अपनाए जा रहे डेटा संरक्षण तंत्र और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों पर उनके विचारों पर चर्चा।
	1630 बजे	इन्फोसिस के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा अपनाए जा रहे डेटा संरक्षण तंत्र और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों पर उनके विचारों पर चर्चा।
	1800 बजे	यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु का दौरा और यूआईडीएआई/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
बेंगलुरू में रात्रि विश्राम		
29.10.2021 (शुक्रवार)	1015 बजे	डेटा संग्रह और डेटा के प्रसंस्करण पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर आयकर विभाग केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र का दौरा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) / आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा।
	1400 बजे	CDAC-इलेक्ट्रॉनिक शहर का दौरा और CDAC/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
प्रस्थान		

MANISH TEWARI

MEMBER OF PARLIAMENT – SRI ANANDPUR SAHIB (PUNJAB)
FORMER UNION MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING, GOVT. OF INDIA
SENIOR NATIONAL SPOKESPERSON – INDIAN NATIONAL CONGRESS (INC)
ADVOCATE – SUPREME COURT OF INDIA

APPENDIX XII

22nd November, 2021

Respected

Shri P.P. Chaudhary Ji,

I have participated substantively in almost every meeting of the *Joint Committee of Parliament on the Personal Data Protection Bill* since the committee was constituted. I joined the committee on the resignation of Hon'ble Ms. S. Jothi Mani Ji, an INC member who had been originally nominated to this committee.

I was unable to attend some meetings when I was afflicted with COVID-19 in November-December of 2020 and certain meetings that were held before I joined the Committee.

I had proposed amendments to the various clauses of the bill. The said comments and amendments are detailed in the note annexed herewith.

Since the committee in its wisdom has decided to accept none of the substantive amendments proposed by me, I hereby submit that the comments and amendments contained in the note annexed herewith should be treated as my dissent to the proposed bill as amended time to time under consideration of this Hon'ble committee.

This dissent note along with the appended note which clearly points out where I differ with this Honorable committee with regard to the substance of the various provisions of the bill should be included in toto in the report of the Joint Committee of the Parliament on the Personal Data Protection Bill that would be submitted to both the houses of Parliament upon its formal adoption by this Joint Committee of Parliament

Regards.

Yours sincerely,

Manish Tewari

MANISH TEWARI

Encl.: Note on the substantive provisions of the Personal Data Protection Bill where I depart and dissent from the view of the committee.

To:
Shri P.P. Chaudhary,
Chairperson, Joint Committee of Parliament
On Data Protection Bill (PDP) Bill,
19, Teen Murti Lane,
New Delhi – 110011

Law Chambers: B-1/77, GROUND FLOOR, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110 029.
TEL. +91-11-26716001, 26716556, Fax: 011-26104252
Email – manishtewari01@gmail.com

मनीश तिवारी,
संसद सदस्य (लोक सभा)

डाटा संरक्षण विधेयक, 2021 पर असहमति और टिप्पणियां

1. इस विधेयक पर मेरी मूलभूत आपत्ति यह है कि इसके बनावट में ही रचनात्मक गलती अंतर्निहित है।

दुर्भाग्य से इस विधेयक का विचार इसके प्रसिद्ध लेखकों द्वारा विषय; पुट्टास्वामी (2017 में उच्चतम न्ययालय के 9 न्यायाधीशों के निजता के बारे में दिए गए निर्णय) को मन में रखकर लिया गया जिसमें उस महत्वपूर्ण न्यायिक शिल्प कौशल का मूल-भाव एकदम नहीं आ पाया है।

जिस रूप मे यह विधेयक है उससे दो समानांतर व्यवस्थाएं बनती हैं - एक निजी क्षेत्र के लिए जिसमें यह पूरी कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा तथा दूसरी सरकारी क्षेत्र के लिए जहां पर छूट होगी, उनके अनुकूल व्यवस्था होगी और मोचन खंड होंगे। लिटिगेटर के रूप में तीन दशकों के अपने सीमित अनुभव के दौरान मुझे यह सिखाया गया है और इसका महत्व बताया गया है कि मूल अधिकार मुख्यत: राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं।

इसलिए जिस विधेयक का आशय अनंत काल तक या किसी सीमित समय के लिए 'राज्य' और उसके सहायक अंगों को व्यापक छूट प्रदान करने का हो, मेरी राय में वह उस निजता के मूलभूत अधिकार के संदर्भ में अधिकारातीत है जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 9 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा पुट्टास्वामी के मामले में 2017 में दिया गया है।

मैं नहीं मानता कि यह विधेयक जहां इसके मौजूदा रूप में विशेषकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं, अपवाद और छूट के खंड हैं और जिससे दोनों व्यापक शक्ति संपन्न सरकारों को इस विधान के दायरे से छूट मिल जाएगी वह संवैधानिक विधि के न्यायालय में 'अधिकार' की परीक्षा के मानक पर खरा उतरेगा।

इसलिए मैं इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में इसकी संपूर्ण रचनात्मक त्रुटियों सहित पूर्ण रूप से नकारने को बाध्य हूं। तथापि, इसके विभिन्न खंडों पर मेरी विशिष्ट आपत्तियां अगले 7 पृष्ठों पर विस्तार से दी गई है।

2. **खंड 3 (8):** भिन्न-भिन्न श्रेणी की विषय सामग्री या डाटा तक पहुंच के लिए बालक की परिभाषा अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों की अधिगम वेबसाइट, ऑनलाइन स्कूल पाठ्यक्रम, बालकों के मनोरंजन के लिए गेम वेबसाइट, कार्टून्स और समाचार वेबसाइट आदि जिन्हें बालकों के अनुरूप प्रमाणित किया गया हो उनके लिए आयु निर्धारण आवश्यक नहीं होना चाहिए। अन्य विषय सामग्री के लिए इसी प्रकार आयु का निर्धारण डीपी द्वारा विनियमों और निर्देशों के माध्यम से परिभाषित किया जाना चाहिए।

3. **खंड 3 (23)(नौ) और (दस)** के साथ एक स्पष्टीकरण होना चाहिए जो निम्नवत पठनीय हो: **"यदि उपयुक्त विधि के न्यायालय द्वारा पारित कानूनी आदेश के अनुकरण में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निगरानी की जाती है तब उपयुक्त दोनों खंड लागू नहीं होंगे।"** खंड 23 (दस) में युक्तिसंगत रूप से प्रत्याशित' शब्द दुरुह है। इससे व्यक्तियों की निजता का गंभीर प्रावधान होगा इसलिए इसे कमतर रूप में परिभाषित किया जाए या इसका विलोप किए जाने की आवश्यकता है। उक्त खंड निम्नवत पढ़ा जा सकता है:
"कोई भी अवलोकन या निगरानी जो किसी उपयुक्त विधि के न्यायालय द्वारा अधिकृत नहीं है।"

4. **खंड (3)(27):** शब्द 'तथ्यगत' को 'समाचार रिपोर्ट' शब्दों से प्रस्थापित किया जाए।

5. **खंड (3) (33):** 'अनुमान' शब्द को परिभाषित करते हुए एक व्याख्या जोड़ी जाए। इसमें यह कहा जाए कि 'अनुमान' का मतलब साक्ष्य या ज्ञात तथ्यों और सुसंगत तर्क के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से है जो इस प्रकार के साक्ष्य या तथ्य से प्राप्त हो।

6. **खंड 7 (1) और (2)** व्यापक प्रकृति की सूचना की आपूर्ति के कारण यह लागू किए जाने के अनुकूल नहीं लगता है। इसके बताए 7(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाए **प्रत्येक डाटा विश्वासी डाटा संग्रहण करने के समय डाटा स्वामी को एक सूचना देगा या यदि डाटा को डाटा स्वामी से एकत्रित नहीं किया जाता है तब तर्कसंगत रूप से व्यावहारिक यथाशीघ्र समय पर यह सूचना कि वेबसाइट पर नीचे उल्लिखित मानकों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध है और उसे दिए गए (यूनिफॉर्म) रिसोर्स लोकेटर यूआरएल पर जाकर देखा जा सकता है। खंड 72 को बिना संशोधन के इसी रूप में छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह मात्र प्रक्रियागत है।**

7. **खंड 8(1)** "सुनिश्चित" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए **"जहां तक व्यावहारिक हो।"**

8. खंड 9 (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए <u>"बशर्ते कि प्रक्रमण उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणी के डाटा रखने के लिए आवश्यक अवधि वह होगी जो डाटा संरक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमों या अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की जाए।"</u>

9. खंड 11 (3)(ख) निम्नलिखित रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए <u>"उपर्युक्त उपखंड 3क में उल्लिखित उक्त सूचना को डाटा स्वामी को उस भाषा और रूप में बताया जाए जो उनके द्वारा आसानी से समझ में आए।"</u>

10. खंड 11(6) का विलोप किया जाए क्योंकि यह डाटा स्वामी पर दुष्कर भार डालता है जो न तो तर्कसंगत है और न निष्पक्ष। यह निष्पक्षता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। कोई उचित कारण भी क्यों आवश्यक हो।

11. खंड 13 (2) का विलोप किए जाने की आवश्यकता है। कोई भी नियुक्ता जो डाटा विश्वासी है वह डाटा स्वामी के पीछे कुछ भी क्यों करें। उसमें उस उप धारा के अधीन प्रकमण की प्रकृति के कारण डाटा विश्वासी की ओर से कोई अननुपातिक प्रयास अंतर्वलित होगा।' का वास्तव में क्या अर्थ है।

क्या यह किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी पर निगरानी हस्तक्षेप करने को वैध नहीं बनाता है।

12. युक्तियुक्त उद्देश्य की परिभाषा से खंड 14(2)(ग) **और (ड.)** का विलोप किया जाए।

13. जब खंड 3(41) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को परिभाषित करता है खंड 15 (1) अतर्कसंगत हो जाता है। इसे या तो विलोपित किया जाए या **"श्रेणियों"** शब्द से पहले **"अतिरिक्त"** शब्द जोड़कर पुनः प्रारूपण किया जाए।

14. खंड 20(1) को वैयक्तिक डाटा शब्दों के बाद"
<u>"और डाटा विश्वासी द्वारा पहले से संग्रहित और अनुमानित सभी वैयक्तिक डाटा का विलोपन जहां ऐसे प्रकटीकरण....."</u> शब्दों को जोड़ने के लिए संशोधन किया जाए।

15. खंड 20(2) के परन्तुक का विलोप किया जाए तथा खंड 20(3) का भी विलोप किया जाए क्योंकि वे किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायिक बुद्धि के प्रयोग पर सीमा का आरोपण करते हैं।

16. खंड 23(5) का स्पष्टीकरण जो सहमति प्रबंधक की परिभाषा करता है उसे परिभाषा भाग- खंड 3 में स्थान्तरित किया जाए।

17. खंड 25(5) में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसे निम्नवत पढा जाए "प्रत्येक डाटा भंग की सूचना प्राधिकारी को देना डाटा विश्वासी का कर्तव्य है तथा इस भंग का पता चलने के 48 घंटों के अंदर प्रभावित होने वाले डाटा स्वामियों को क्रमिक रूप से सूचित किया जाए। नुकसान जो इन डाटा स्वामियों को हो सकता है प्राधिकारी उसकी गंभीरता का आकलन करने के बाद यह निर्धारित करेगा कि इस नुकसान का शमन करने के लिए डाटा विश्वासी और डाटा स्वामियों दोनों द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।"

18. खंड 26(3) 'अधिसूचना द्वारा' शब्दों के बाद निम्न शब्दों को जोड़ा जाए " इसे एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अभिहित किया जाए।" शेष शब्दों और वाक्यों का विलोप किया जाए।

19. खंड 28(3) को निम्नवत रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए:-

"प्रत्येक सोशल मीडिया मध्यवर्ती चाहे वह एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अभिहित हो या नहीं वह अनिवार्य रूप से अपने सभी उपभोक्ताओं, प्रयोगकर्ताओं या व्यक्तियों /एंटिटीज की पहचान का सत्यापन करेगा जिन्हें वह किसी प्रकार की सेवा का प्रस्ताव देता है या प्रदान करता है।"

बशर्ते यह भी कि

"कोई सोशल मीडिया मध्यवर्ती जो उपर्युक्त शर्त का पालन करने में असफल रहता है वह जुर्माना जो उसके वैश्विक कारोबार का न्यूनतम 3% और अधिकतम 5% होगा वहन करने का भागी होगा तथा कारावास जो 5 वर्षों से अधिक नहीं होगा से दंडित किया जाएगा।

व्याख्या : "विश्वव्यापी आवर्त का वही अर्थ होगा जो खंड 57 (क) और (ख) में परिभाषित है।" मूल विधेयक का जैसा की संयुक्त समिति द्वारा सभा को भेजा गया है।"

बशर्ते यह भी कि

"उस किसी भी सोशल मीडिया मध्यवर्ती जो अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है उसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के संगत उपबंधों के अंतर्गत शिकायत दायर करने का अधिकार है । प्रत्येक सोशल मीडिया मध्यवर्ती उपर्युक्त सत्यापन प्रक्रिया को इस कानून के प्रवर्तन में लगाए जाने की पहली अधिसूचना के 24 माह के बाद अगले छाह के अंदर पहचान की प्रक्रिया पूरा करेगा। सत्यापन के बाद

प्रत्येक किसी सोशल मीडिया मध्यवर्ती के उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता को सत्यापन का एक पदर्शनीय एवं दृष्टिगोचर मार्क दिया जाएगा। गैर सत्यापित अकाउंट्स को अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा सत्यापन के 24 महीने की अवधि बीत जाने के बाद अगले 6 महीने के अंदर शुद्ध एवं सत्यापित किया जाएगा। "

20. **खंड 28 (4)** को निम्नवत पढ़े जाने के लिए संशोधित किए जाने की आवश्यकता है

"प्रत्येक सोशल मीडिया मध्यवर्ती अपने प्रत्येक उपभोक्ता, प्रयोगकर्ता या व्यक्तियों/एंटिटीज जिसे वह किसी प्रकार की सेवा का प्रस्ताव करता है या सेवा देता है उसे ऐसा प्रदर्शनीय एवं दृष्टिगोचर सत्यापन का मार्क प्रदान करेगा जो सेवा के सभी प्रयोग कर्ताओं को हर समय दृष्टिगोचर होगा।"

यदि **28(3)और 28(4)** का उपर्युक्त रूप में संशोधन किया जाता है तब केवल खंड **28(6) और 28(7)** का विलोप किया जा सकता है जैसा कि नीचे के बिन्दु में उल्लेख किया गया है अन्यथा उन्हें बनाए रखा जाए। तथापि, **खंड 28(5)** को बनाए रखा जाए क्योंकि यह एक संपूर्ण एवं व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसके अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संदर्भ में मध्यवर्ती माना जा सकता है जैसा कि पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में उपर्युक्त प्रतिपादित सूत्र के अंतर्गत है।

टिप्पण: उल्लिखित खंड 28(5)(6)और (7) उस रूप में है जैसा कि 11 नवंबर 2021 को परिचालित उपांतिम प्रारूप प्रतिवेदन और विधेयक से पहले था।

21. **खंड 28(6) और 28(7)** का विलोप किया जाए।
खंड 28(3) 28(4)28(5) और इसके उपरांत होने वाले अन्य परिणामी उपबंधो को बनाए रखने के लिए सही स्थान है । उन्हें इस विधेयक के अन्य किसी भाग में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए या किसी मौजूदा या जो विचार के स्तर पर हो उस अन्य विधान में सिफारिश के रूप में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी नहीं किया जाए।
टिप्पण: उल्लिखित खंड 28(5)(6)और (7) उस रूप में है जैसा कि 11 नवंबर 2021 को परिचालित उपांतिम प्रारूप प्रतिवेदन और विधेयक से पहले था।

22. **खंड 29(4) जो** डाटा संपरीक्षक के बारे में है उसे परिभाषा खंड के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाए और निम्न रूप में पढ़े जाने के लिए पुनः बनाया जाए:-

"डाटा संपरीक्षक का अर्थ स्वतंत्रता, निष्ठा और योग्यता के कारकों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अधीन डाटा से परीक्षकों के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर तंत्र, डाटा विज्ञान, डाटा संरक्षा या निजता के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले ऐसे अहता, अनुभव और पात्रता वाले व्यक्ति जो भी नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, से है।"

23. **खंड 30** (1) डाटा संरक्षण अधिकारी को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है और उसके लिए विहित अर्हता जैसा के खंड 29(4) में डाटा संपरीक्षक के लिए है इसे खंड 3(18) के संदर्भ में परिभाषित किया गया है लेकिन अर्हता 30(1) में विहित की जानी चाहिए।

24. **खंड 33 (2):** संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा की परिभाषा उन परिभाषा में की जानी चाहिए "जहां संवेदनशील वैयक्तिक डाटा परिभाषित है। यह परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए 'संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा का अर्थ उस डाटा से है जिसे सार्वजनिक रूप से उद्घाटित किए जाने पर डाटा स्वामी को अपूरणीय वैयक्तिक नुकसान हो सकता है। क्या संकटपूर्ण है यह डाटा स्वामी के विवेक पर खंड 11(1) के अधीन अनुमति देते समय उल्लेख करने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए न कि सरकार के ऊपर जैसा कि खंड 33(2) की व्याख्या में प्रावधान है।"

25. **खंड 33 (2)** की व्याख्या का विलोप किया जाएगा ।

26. **खंड 35 :-** न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी के मामले में निजता को मूल अधिकार के रूप में माना गया है इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की कठोरता के अधीन है, इसे समयक प्रक्रिया खंड भी कहा जाता है। व्याख्या खंड से पहले एक परंतुक जोड़ा जाए जो निम्नवत पठनीय हो।

"उस समय तक कोई छूट नहीं प्रदान की जाएगी जब तक खंड 68 में दिए गए अपील अधिकरण द्वारा न्यायिक रूप से निर्धारित नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति को उपयुक्त आवेदन दायर करके अपील अधिकरण में पहुंचने का अधिकार है जिसमें यह कारण बताए जाएं कि ऐसी छूट स्वीकृत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए ।उपर्युक्त छूट एक तर्कसंगत आदेश जो सम्यक रूप से अधिसूचित हो के माध्यम से दी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि खंड 76 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार का संबंधित द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।"

27. **खंड 36 (क):-** या तत्समय प्रवृत किसी विधि के उल्लंघन शब्दों का विलोप **किया** जाए।

28. **खंड 36 (घ)** सिवाय वहां के जहां ऐसे प्रक्रमण से जनता को प्रकटन अंतर्वलित किया गया है; या **"शब्दों का विलोप किया जाए।**

29. **खंड 36 (इ)** का विलोप किया जाए।

30 **खंड 37:** अनेक देशों के स्वदेशी विधान के असंगत है। यह भारत में डाटा के प्रवाह आने को निर्धारित करने के रूप में कार्य करेगा इसका विलोप किया जाना चाहिए। विदेशी डाटा स्वामियों के डाटा की रक्षा करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।

31. **खंड 39(2)(ग):** को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। यह अस्पष्ट है। क्योंकि किसी दिन विशेष को डाटा की मात्रा अत्यंत कम हो सकती है जबकि दूसरे दिन यह बहुत ज्यादा हो सकती है। इसे निम्नलिखित पढ़ा जाए। **"ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रकमण की गई वैयक्तिक डाटा की मात्रा गत 12 कैलेंडर महीनो के औसत के रूप में।"**

32. **खंड 40** 'सैंडबॉक्स' शब्द की परिभाषा की जानी चाहिए जिसका वही अर्थ हो जैसा कि किसी अन्य अधिनियम में कहा गया हो और इसका खंड 3 की परिभाषाओं में उल्लेख किया जाए।

33. **खंड 42(1)** विधि शब्द के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए।
बशर्ते की अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जिसने निजता के अधिकार या डाटा प्रोटक्शन से संबंधित कम से कम पांच निर्णय दिए हों।

34. **42(2) चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्दों को स्थापित किया जाए।**

"(क) भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के राष्ट्रपति का एक नामित व्यक्ति जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी डाटा कंपनी का अध्यक्ष और सीईओ हो और सूचना प्रौद्योगिकी/डाटा उद्योग में उसका व्यवसायिक अनुभव 25 वर्षों से कम न हो।"

35. **खंड 43(1):-** में संशोधन किया जाना चाहिए। **"पैंसठ"** शब्दों के स्थान पर **"सत्तर"** शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

36. **खंड 57 (1)(2) और (3):-** समिति को परिचालित वैयक्तिक डाटा संशोधन विधेयक के उपांतिम प्रारूप में खंड 57(1) के असंशोधित परंतुक जहां 57(1)(क) से (इ) में निर्धारित अपराध के लिए 5 करोड़ या गत वित्तीय वर्ष के वैश्विक कारोबार का 2% दोनों में जो अधिक हो निर्धारित है । अंतिम प्रारूप प्रतिवेदन में अब इसे संशोधित करके "यथा निर्धारित रूप में" पठनीय बनाया गया है।

इसी प्रकार 57(2) में एक शास्ति निर्धारित है, 57(2) (क) से (घ) में दिए गए अपराधों के लिए शास्ति निर्धारित है जो 15 करोड़ रुपए तक या गत वित्तीय वर्ष के कुल विश्व

व्यापी कारोबार का 4 प्रतिशत तक में से जो अधिक है निर्धारित है। अंतिम प्रारूप प्रतिवेदन में अब इसे संशोधित करके यथानिर्धारित रूप में पठनीय बनाया गया है। इसी प्रकार खंड 57(1) और (2) में अपराधों के लिए राज्य के लिए शास्ति में काफी तनुकरण लिया गया है। ये शास्तियां ईयू. जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) सहित वैश्विक परिपाटियों की तर्ज पर है। उनका अंतिम समय में तनुकरण और खंड 28 (5), (6) और (7) यह सुझाता है कि इन उपबंधों, जो सभा द्वारा समिति को भेजे गए मूल पीडीपी विधेयक के भाग थे, हेतु बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अंतिम समय में घबराहटपूर्ण लॉबी करने की ओर इशारा करता है। वे विधेयक के उपांतिम एवं अंतिम प्रारूप के पटल पर रखे जाने के बाद विचार-विमर्श शुरू होने की तारीख से ही असंशोधित पड़े हैं। इस परिवर्तन के लिए कोई युक्तियुक्त या तर्कसंगत औचित्य नहीं दिया गया है। तथापि इसे एक अधिकतम सीमा के अधीन बनाकर रखा जाता है तो वह स्वीकार्य है। **ये संशोधन भारत को विश्व में हंसी का पात्र बनाएंगे तथा इन्हें संसद को भेजे जा रहे प्रस्तावित विधेयक का अंग न बनाया जाए। मूल धारा 57 (1) (2) और (3) तथा इसमें सम्मिलित सभी परिभाषाएं और परंतुक को अपने मूल रूप में रखा जाए जैसा कि सभा द्वारा संयुक्त समिति के पास विचारार्थ भेजे गए विधेयक में प्रस्तावित है।**

37. **खंड (63) (1)** अंत में निम्नलिखित **को** जोड़ा जाए।

"सभी न्याय निर्णयन की कार्रवाई दो नियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिनकी संख्या 2 से कम न हो और जो एक न्याय पीठ के रूप में बैठक करें। डाटा संरक्षण प्राधिकरण न्याय पीठों के गठन तथा जांच और न्याय निर्णयन के आवंटन के बारे में सामूहिक रूप से मास्टर ऑफ द रोस्टर होगा।"

38. **खंड (92) (1)** गैर-वैयक्तिक डाटा को अधिनियम में सही-सही परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है न कि ओपन एंडेड डेफिनेशन (व्याख्या के लिए स्वतंत्र) परिभाषा **में** क्योंकि, वहां गैर-वैयक्तिक डाटा क्या है, इसको लेकर अनेक परिभाषाओं की गुंजाइश है।

मैं प्रतिवेदन के पैरा 2.12 जो पृष्ठ संख्या 43 पर है उससे भी असहमत हूं कि यह केवल डिजिटल क्षेत्र के डाटा पर लागू होगा । यह विधेयक वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक है और इसे सभी प्रकार के डाटा चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल सभी पर लागू होना चाहिए।

हस्ताक्षर

मनीश तिवारी

संसद सदस्य, लोक सभा

*****

21 नवंबर 2021

श्री पीपी चौधरी
सभापति
वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति।
वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति पर विमत नोट

महोदय,

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में, हम समिति की अंतिम रिपोर्ट के प्रति, न केवल विधेयक में निहित प्रावधानों की ऑरवेलियन प्रकृति के कारण बल्कि स्वयं समिति के अनुचित कार्यकरण के कारण अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। समिति ने हितधारकों के परामर्श के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान नहीं करते हुए अपने अधिदेश को लाने में जल्दबाजी की।इस महामारी के दौरान समिति की कार्यवाही प्रति सप्ताह कई बार आयोजित की गई, जिस कारण दिल्ली से बाहर रहने वाले सांसदों के लिए भाग लेना मुश्किल था।

हम डाटा स्वामियों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के लिए विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। इसके अलावा, हम इस विधान के भीतर गैर-वैयक्तिक डाटा को शामिल करने के लिए समितियों की सिफारिशों का विरोध करते हैं । समिति ने गैर-वैयक्तिक डाटा संरक्षण को अपने दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से विधेयक के कुछ भागों में संशोधन करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। हम इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों का पुरजोर विरोध करते हैं। गैर-वैयक्तिक डाटा के नियमन के लिए विस्तृत अध्ययन और अलग ढांचे की जरूरत है।

इस विधेयक में भारत सरकार को उचित सुरक्षा उपायों के बिना सीमा से अधिक छूट प्रदान की गई है । हमने विधेयक के खंड 35 में संशोधन प्रस्तुत किया था, जो केंद्र सरकार को किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिनियम के अनुप्रयोग से छूट देने का अधिकार प्रदान करता है। न केवल समिति इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए खंड 35 में उचित सुरक्षा उपाय पुरःस्थापित करने में विफल रही है, समिति ने केन्द्र सरकार को बिना शर्त अधिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने के लिए सिफारिशें की हैं। उदाहरण के लिए, डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) के सदस्यों और सभापति के लिए चयन प्रक्रिया में खंड 42 के तहत केंद्र सरकार की मुख्य भागीदारी है। समिति ने सिफारिश की है कि डीपीए को न केवल नीतिगत प्रश्नों बल्कि सभी मामलों में केंद्र

सरकार के निर्देशों से बाध्य रहना चाहिए । इससे डीपीए के स्वतंत्र कामकाज पर असर पड़ेगा। हम इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध करते हैं।

विधेयक पर खंड-वार चर्चा के दौरान मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा प्रस्तुत इन संशोधनों में यह आपत्तियां और अन्य अनेक आपत्तियां निहित हैं। हमारे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त सिफारिशों के साथ-साथ हम अंतिम रिपोर्ट के प्रति निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं ।

प्रस्तावना में डाटा सरंक्षण के आर्थिक हितों पर अत्यधिक निर्भरता में परिवर्तन हेतु उचित बदलाव किए जाएं।

खंड 2, 92 और 94 में, इस विधेयक के प्रावधानों के अनुप्रयोग से गैर वैयक्तिक को बाहर करना और गैर-वैयक्तिक डाटा के संबंध में नियम बनाने या निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार में निहित शक्ति को हटाना।

खंड 3 में, डाटा की एक नई श्रेणी को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में परिभाषित करने के लिए सरकार की अत्यधिक शक्तियों को समाप्त करना: "ट्रेड यूनियन या राजनीतिक संबद्धता" से संबंधित आंकड़ों को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में वर्गीकृत करना।

खंड 5, 6 और 13 में "वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण और एकत्र करने के उद्देश्य के लिए "समानुपातता" का संदर्भ शामिल करना।

खंड 12 में सरकार को बिना सहमति के डाटा तक पहुंच के लिए दी गई अत्यधिक शक्तियों को हटाने के लिए खंड का लोप करना ।

खंड 14 में "वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण के प्रयोजन हेतु "क्रेडिट स्कोरिंग" को अभिव्यक्ति के अर्थ में शामिल नहीं करना ।

खंड 15 में नई श्रेणी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को परिभाषित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति का लोप करना।

खंड 21 में विधेयक के तहत प्रत्येक डाटा स्वामी को प्रदत्त अधिकारों का अनुपालन करने के लिए शुल्क वसूलने संबंधी प्रावधान को हटाना।

खंड 26 में, उस प्रावधान को हटाना, जो सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ता खातों के साथ पहचान लिंक करने में सक्षम बनाता है।

खंड 35 में, किसी भी सरकारी एजेंसी को अधिनियम के अनुप्रयोग से छूट देने की केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियां हटाना।

खंड 42 में, प्रारूप वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2018 में अंतर्विष्ट चयन समिति की संरचना को बहाल करना।

खंड 49 में डीपीए द्वारा किसी भी निरीक्षण या जांच के परिणाम को निर्धारित करने वाली रिपोर्टों को तैयार करने और उनके प्रकाशन के लिए प्रावधान शामिल करना ।

अंतिम रिपोर्ट में समिति के सदस्यों की सहमति का अभाव है। हम लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 85 के अंतर्गत अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। हम इस विधेयक की कड़ी निंदा करते हैं जो ऐसे ढांचे का समर्थन करता है जो इस देश के लोगों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने में विफल है ।

भवदीय।

देरेक ओब्राईन

(सदस्य, राज्य सभा)

महुआ मोइत्रा

(सदस्य, लोक सभा)

*****

दिनांक: 24.11.2021

सेवा में,

श्री पी.पी. चौधरी

सभापति,

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्तष समिति

संसदीय सौध,

नई दिल्लीध।

प्रिय सभापति श्री पी.पी.चौधरी,

समिति का नवीनतम प्रतिवेदन पढ़ने के उपरांत मैं अपना विमत टिप्पयण इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

सादर,

भवदीय,

(गौरव गोगाई)

संलग्नरक: यथोपरि।

गौरव गोगोई

संसद सदस्य

260

गौरव गोगोई
संसद सदस्य
उप-नेता, लोक सभा (कांग्रेस संसदीय दल)

GAURAV GOGOI
MEMBER OF PARLIAMENT
DEPUTY LEADER OF
CONGRESS PARTY IN THE LOK SABHA

सत्यमेव जयते

सदस्य :
• वित्त संबन्धी स्थाई समिति
• संयुक्त समिति–व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019
• सरकारी आश्वासनो संबंधी समिति

MEMBER :
• Standing Committee on Finance
• Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019
• Committee on Government Assurances

Dated the 24.11.2021

To

Shri P.P. Chaudhary
Chairperson,
Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019
Parliament House Annexe,
New Delhi
Email: jpc-datalaw@sansad.nic.in, pp.chaudhary@sansad.nic.in, ppchaudhary@gmail.com

Dear Chairperson Shri PP Chaudhary,

It has been a privilege to serve as a member of the Joint Parliamentary Committee on the draft Personal Data Protection Bill, 2019. The task of envisioning and fine-tuning a data protection framework for India has been challenging and arduous. Thank you and the previous chairperson for an atmosphere that promoted a free exchange of ideas and discussion of varied issues allied to the draft bill. I would particularly like to point out the comprehensive public consultation and interaction with various stakeholders during the tenure of the Committee.

I am in broad agreement with most of the conclusions arrived at in the report and the accompanying changes made to the draft bill. However, I hold certain reservations that I would like to place on the official record. I wish to bring forward the following reservations as a part of my official dissent note to the report of the Joint Parliamentary Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019:

1. Lack of attention paid to harms arising from surveillance and effort to establish a modern surveillance framework
2. Wide exemptions provided to the Central Government, State Government and allied agencies *(as reflected in Section 12 and 35)*
3. Functioning of the Data Protection Authority *(as reflected in Chapter IX)*
4. Lack of parliamentary oversight and engagement *(as reflected in Section 12, 35 and 42)*
5. Regulation of non-personal data under the framework *(as reflected in Section 91, 3(14) and 3(28))*

My detailed reservations are cited in the annexure that has been appended to this letter. I believe that these issues required more attention and the focus of the Committee, however without additional time being allotted for deliberation before the formulation of the report, they have remained largely unaddressed.

I would humbly request you to ensure that this letter, along with the contents of the annexure, are recorded, under necessary administrative and legal procedures, and form a part of the final report when published for the benefit of any readers.

With Regards,

Yours sincerely,

(Gaurav Gogoi)

Encl. as abov

1102, Yamuna Apartment, Dr. B.D. Marg, New Delhi - 110 001
Mob.: 0-9015869955, 0-9954355505 • Email : office@gauravgogoi.in

अनुलग्नक - 1

विचार करने और अपनाने के लिए सभापति द्वारा परिचालित प्रतिवेदन पर मेरी आपत्तियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

1. ***निगरानी के नुकसान पर कम ध्यान दिया गया और आधुनिक ढांचे को स्थापित करने हेतु प्रयास।***

आधुनिक लोकतंत्र में लोग अपनी चुनी हुई सरकार को जवाबदेह और पारदर्शी होने की उम्मीद करते हैं। मेरी पहली चिंता राज्य द्वारा की जाने वाली निगरानी गतिविधियों से होनेवाले नुकसान पर कम ध्यान दिए जाने के संबंध में है। पुराने कानून, जो वर्तमान में प्रणाली को शासित करते हैं, के आलोक में, भारत में एक आधुनिक निगरानी ढांचा नहीं होने से यह मुद्दा बड़ा बन जाता है। एक बार फिर इस तरह की कार्रवाई के.एस.पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और मनोहर लाल बनाम भारत संघ में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लंघन होगा। मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ मामले में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रासंगिक बिंदु उठाया कि "राष्ट्रीय सुरक्षा वह हैवा नहीं हो सकती, जिससे न्यायपालिका स्वयं के उल्लेख मात्र के आधार पर दूर भागे," जो कि चिंता पैदा करता है।

खंड 3 (20)(10) के अंतर्गत नुकसान की परिभाषा में निगरानी की उचित आशा के अस्पष्ट संदर्भ के साथ-साथ खंड 35 के तहत राज्य को प्रदान की गई व्यापक छूट, राज्य या अन्य अनैतिक तत्वों द्वारा निगरानी तंत्र के दुरुपयोग की स्थिति में नागरिकों को असहाय छोड़ देती है।

समति की रिपोर्ट ने एक नई उप-धारा (3) की सिफारिश की है जिसमें प्रक्रिया को न्यासंगत, निष्पक्ष, उचित और आनुपातिक बताया गया है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन मामलों में डाटा सुरक्षा के उच्च मानकों को लागू किया जाए। विधि प्रवर्तन एजेंसियों को छूट के संदर्भ में, खंड 4,5,6,9 और 24 में परिकल्पित अन्य संरक्षण लागू रहने चाहिए। हम युनाइटेड किंगडम में निगरानी एजेंसियों और उनके कार्यकलापों पर लागू किए गए डाटा सुरक्षा सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकते हैं (यूके जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार) इसने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए 'वैध और निष्पक्षता, पर्याप्ता और सीमा, सटीकता और प्रतिधारण, पर्याप्तता और सीमा' जैसे कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

मनोहर लाल बनाम भारत संघ के फैसले में माननीय न्यायालय ने हमारे नागरिकों की निजता का सम्मान करने के लिए हमारे निगरानी ढांचे की समीक्षा करने और सुधारने के लिए एक स्वतंत्र समिति को कार्य सौंपा। इस प्रकार इसने किसी न किसी रूप में संसदीय और न्यायिक निरीक्षण के तत्व को शामिल करने के महत्व को दोहराया है। मेरा यह दृढ़ मत है कि समिति को इन चिंताओं पर और अधिक गहराई से विचार करना चाहिए था। श्रीकृष्णा समिति ने भी इस प्रकार की चिंताओं को अपने प्रतिवेदन में सामने रखा था और मेरा विश्वास है कि हमारे प्रतिवेदन ने भी इस पर प्रकाश डाला होगा।

2. *केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबद्ध एजेंसियों को प्रदान की गई व्यापक छूट (जैसा कि धारा 12 और 35 में दर्शाया गया है)*

यह चिंता का विषय है कि धारा 12 और 35 सरकार को लगभग पूरी तरह से छूट देती हैं। सरकार भारतीय नागरिकों के डाटा विश्वासी के रूप में अपनी जिम्मेदारी से प्रभावी रूप से मुक्त हो गई है। दुर्भाग्य से इसके परिणामस्वरूप यह ढांचा काफी हद तक, इसके वर्तमान स्वरूप में केवल निजी और गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू होता है।

सर्वप्रथम, धारा 12 में, प्रोसेसिंग के लिए सहमति लेने से छूट प्रदान करने के संदर्भ में, राज्य से डाटा सिद्धांत को लाभ या सेवा का प्रावधान' और 'किसी प्रमाणीकरण, लाइसेंस या परमिट जारी करना' हेतु कानून द्वारा अधिकृत राज्य के किसी भी कार्य के निष्पादन हेतु' जैसी भाषा का व्यापक उपयोग किया गया है। इन शर्तों की व्याख्या विस्तृत रूप से किए जाने की संभावना है, जो सरकार के प्रत्येक विभाग/एजेंसी को लगभग किसी भी प्रकार की सेवा के लिए सहमति प्राप्त करने से छूट के लिए योग्य बनाने में सक्षम बनाती है। इसके लिए तर्क यह दिया गया कि सरकार के लिए अपने कार्यों के निष्पादन करने के दौरान सहमति प्राप्त करना कठिन साबित होगा।

मैं इस तर्क से अपनी असहमति व्यक्त करना चाहूंगा कि सहमति प्राप्त करना कठिन होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित करने हेतु सहमति आधारित ढांचा तैयार किया है और इससे

समझौता नहीं किया जा सकता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सरकार पंजीकरण के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बड़ी मात्रा में डाटा एकत्रित करती है, उनके लिए साथ-साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके सहमति प्राप्त करना संभव होगा। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के मामले में, सरकार कई तरह के वैयक्तिक विवरण एकत्र करती है। इस योजना के लिए फॉर्म में किसी व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्म-तिथि, जाति, श्रेणी, संख्या, पता (राज्य, जिला, पंचायत),खाता संख्या, व्यवसाय, ईपीआईसी संख्या, बीपीएल परिवार आईडी जैसे विवरणों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्ति, उन्हें जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ योजना के अंतर्गत अपना नया घर बनाने के अपने आश्वासन के संबंध में अपना वचन-पत्र भी संलग्न करना होगा। मेरा मानना है कि शपथ-पत्र की ही तरह, पंजीकरण के एक भाग के रूप में, सरकार उनके डाटा को एकत्रित करने, उसके उद्देश्य और इस प्रकार एकत्र किए गए डाटा के प्रोसेसिंग की सीमाओं से संबंधित एक शपथ-पत्र प्रदान कर सकती है। इस तरह की एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रक्रिया डाटा अधिकारों के बारे में हमारी जनता के बीच समझ को प्रोत्साहित करेगी और बढ़ावा देगी।

इसलिए, सहमति-आधारित ढांचे को छोड़ने के बजाए, समिति को यह प्रस्ताव करना चाहिए कि भारत सरकार सरकारी अधिकारियों के लिए एक समय-सीमा और रूप-रेखा विकसित करे, ताकि उसके कार्य और संचालन वैयक्ति डाटा संरक्षण विधेयक के सिद्धांतों के अनुरुप हो।

दूसरा यह कि, विधेयक की धारा 35 के अनुसार, केंद्र सरकार को 'संपुभुता और अखंडता', 'राज्य की सुरक्षा' विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध', 'सार्वजनिक व्यवस्था' के हित में सरकार की किसी भी एजेंसी को छूट देने का अधिकार दिया गया है। इन धाराओं में शामिल किए गए शब्द उनकी कानूनी व्याख्या से संबंधित बहस से घिरे हैं, विशेष रूप से 'सार्वजनिक व्यवस्था' जैसे शब्द। इसके अतिरिक्त समिति के लिए के.एस.पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के फैसले में निहित महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना उचित होता, जैसा कि आवश्यकता और आनुपातिकता को अपने प्रयासों के भाग के रूप में ठीक करना और उन्हें कानून में शामिल करना।

चूंकि कानून का असल उद्देश्य डाटा सिद्धांतों को उनके अधिकारों को गारंटी देना है, डाटा सुरक्षा के संबंध में, यह सरकार और निजी क्षेत्र की समान रूप से जिम्मेदारी है। सरकार और उनकी

एजेंसियां, वैयक्तिक डाटाके सबसे बड़े संरक्षकों में से है। धारा 12 और 35 में जो छूट प्रस्तावित है, वह निजता के मौलिक अधिकार के सार के खिलाफ है।

3. *डाटा संरक्षण प्राधिकरण का कार्य (जैसा कि अध्याय IX में उल्लिखित है)*

डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) को जिस तरीके से डिजाइन या संरचित किया जाना है, उस पर मैं अपनी आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त करना चाहता हूं। यह इसकी प्रभावशीलता और कार्यात्मक स्वतंत्रता को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में, प्राधिकरण से संबंधित विस्तृत संस्थागत डिजाइन के संबंध में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में विधेयक अन्य शहरों में कार्यालय स्थापित करने के विकल्प के साथ एकल (केंद्रीय) प्राधिकरण की कल्पना करता है। हालाँकि, भारत के जनसांख्यिकी के आकार और प्रकृति को देखते हुए, इस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य के पैमाने, उक्त संरचना अधिदेश को पूरा करने में अप्रभावी साबित हो सकती है। रिपोर्ट में राज्य-स्तरीय डाटा संरक्षण एजेंसियों से संबंधित राज्य सरकारों की अपेक्षाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अपने वर्तमान स्वरूप में, एक केंद्रीकृत प्राधिकरण को प्रदर्शन करने के लिए नियामक, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का एक व्यापक सेट सौंपा गया है। मेरी सिफारिश में, एक संस्थागत डिजाइन जो डीपीए को जोनल या राज्य स्टार पर कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देता है, वह अधिक कार्यात्मक होगा। हमने देखा है कि यूरोप में, जीडीपीआर के कार्यान्वयन के दौरान, डाटा उल्लंघनों और अन्य जिम्मेदारियों का बंधन अधिकारियों के कई स्तरों के बावजूद उनके अधिकारियों के लिए अत्यधिक बोझ साबित हुआ। मुझे यह बताना चाहिए कि इसी तरह की चिंताओं को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में हमारी यात्राओं और परामर्श के दौरान समिति के समक्ष उठाया गया था।

प्रतिवेदन में डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी कुछ नहीं कहा गया है। वास्तव में, डाटा संरक्षण प्राधिकरण के पास संशोधित कानून में निहित शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तियाँ और कार्य होने चाहिए। विधेयक के पुराने संस्करणों की तुलना में, डाटा संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों को काफी कम कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा की नई श्रेणियों को अधिसूचित करने की क्षमता और दंड को परिभाषित करने की शक्ति जैसे प्रमुख कार्यों को डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) के दायरे से हटा दिया गया है और केंद्र सरकार को दिया गया है।

समिति की रिपोर्ट में डाटा संरक्षण प्राधिकरण की क्षमता के निर्माण का महत्व और वैश्विक मानकों के अनुसार नियम और अभ्यास संहिता विकसित करने की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए। इन आचार संहिताओं को बनाते समय, समिति को डाटा संरक्षण प्राधिकरण के लिए पारदर्शी रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए और वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित करने की एक विशिष्ट सिफारिश की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण जिस तरीके से भारत में अन्य नियामक निकायों के साथ अपने कामकाज का समन्वय या सामंजस्य स्थापित करेगा, वह स्पष्ट नहीं है; विशेष रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड, जो यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। कानून के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से एक समवर्ती क्षेत्राधिकार के होने की संभावना है और प्राधिकरण को अन्य नियामकों या प्राधिकरणों से परामर्श करने की अनुमति दे सकती है। हालाँकि, यह उसी के लिए एक प्रक्रिया और सहयोग के तरीके का उल्लेख नहीं कर पा रहा है। मैं रिकॉर्ड में इन मुद्दों से संबंधित नहीं बताई गई बातों के संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त करना चाहता हूं।

4. संसदीय निरीक्षण और संलग्नता का अभाव (जैसा कि धारा 12, 35 और 42 में उल्लिखित है)

मैं भारत जैसे लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, विशेष रूप से सशक्त स्थायी समितियों के माध्यम से संसदीय निरीक्षण शासन का एक स्वस्थ और द्विदलीय तरीका है। हमारी पूर्व राष्ट्रपति सुश्री प्रतिभा पाटिल के शब्दों में, *"देश की संसद में लोगों की संप्रभु इच्छा निहित है, और इसका सफल संचालन सरकार और विपक्ष दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है"।* एक सांसद के रूप में मेरे दो कार्यकालों में, मेरा मानना है कि हमारी संसदीय समितियां और प्रक्रियाएं वास्तव में इस दर्शन के सार को समाहित करती हैं। हालाँकि, यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक है कि इसे नीचे उल्लिखित विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल नहीं किया गया है,

क. *कतिपय क्षेत्रों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा की प्रोसेसिंग के लिए आधार (खंड 12)*

ख. *अधिनियम के लागू होने से सरकार की किसी एजेंसी को छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति (खंड 35)*

ग. *सदस्यों की नियुक्ति (डाटा संरक्षण प्राधिकरण के) के लिए संरचना और योग्यता (खंड 42)*

सबसे पहले, सहमति के बिना डाटा प्रोसेसिंग के आधार के संबंध में और उचित उद्देश्य के लिए सरकार को कानून द्वारा अधिकृत "राज्य के किसी भी कार्य" के प्रदर्शन के मामले में व्यापक छूट दी गई है जैसे कि सेवा या लाभ का प्रावधान और प्रमाण पत्र, लाइसेंस या परमिट जारी करना। हालांकि, ये राज्य के वैध कार्य हैं, यह अनिवार्य है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ब्लैंकेट या मुक्त छूट के विपरीत कुछ छूट प्रदान करते समय संसदीय निरीक्षण का कुछ रूप हो।

दूसरी बात, संसद या संसद की किसी समिति द्वारा निरीक्षण के पहलू के बिना केंद्र सरकार की एजेंसियों या विभागों को विधेयक के दायरे से बाहर रख कर, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी स्वयं कार्यपालिका और एजेंसियों पर आ जाती है। यह पहलू यू.के. और जर्मनी जैसे अधिकार क्षेत्रों में आम है, जहां इन एजेंसियों के कामकाज और संचालन क्रमशः संसद की खुफिया और सुरक्षा समिति और संसदीय निरीक्षण पैनल (पीकेजीआर) द्वारा निरीक्षण के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, यू.के. में, खुफिया सेवा अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित संसद की खुफिया और सुरक्षा समिति, आसूचना एजेंसियों की सुरक्षा के व्यय, प्रशासन, नीति और संचालन की जांच करती है। उन्हें मंत्रियों और आसूचना एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साक्ष्य सत्र आयोजित करने का अधिकार है। जर्मनी के मामले में भी, पीकेजीआर जर्मन संसद बुंडेस्टाग की एक समिति है, जो संघीय खुफिया सेवा, सैन्य आसूचना सेवा और संघीय सरकार की सुरक्षा के लिए संघीय कार्यालय की निगरानी करती है। तीसरे पक्ष के वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय आसूचना सेवाओं की सामान्य गतिविधियों और विशेष महत्व की उनकी घटनाओं के बारे में पीकेजीआर को व्यापक रूप से सूचित करने के लिए इन निकायों की आवश्यकता (बाध्यता) है।

तीसरी बात, इस ढांचे के तहत परिकल्पित डाटा संरक्षण प्राधिकरण को शामिल सभी हितधारकों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए - अर्थात राज्य, व्यक्ति

और उद्योग को। हालांकि, समिति की स्थापना में शामिल चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यपालिका संचालित है और इसमें कोई संसदीय प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है। डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्वतंत्रता को बढ़ाने की आवश्यकता, जैसा कि विधेयक के तहत बनाया गया है, ढांचे को मजबूत करने में एक आवश्यक कदम है, और एक संसदीय समिति या सदस्य की भागीदारी इस प्रक्रिया में सहायता करेगी।

5. ढांचे के तहत गैर-वैयक्तिक डाटा का विनियमन (*जैसा कि धारा 91,3 (14) और 3 (28) में उल्लिखित है)*

पीडीपी विधेयक संसद के भीतर और बाहर एक व्यापक बहस का परिणाम है। विशेष रूप से, विधेयक की जांच के लिए गठित जेपीसी ने हाल ही में देश भर के हितधारकों के साथ परामर्श के कई व्यापक दौर पूरे किए हैं। यह विधेयक एक निर्णायक चरण में है, जो वैयक्तिक डाटा के प्रबंधन और शासन से संबंधित सभी पहलुओं पर एक सहमति को दर्शाती है। अब गैर-वैयक्तिक डाटा को इसके दायरे में शामिल करना दो कारणों से प्रतिकूल होगा।

सबसे पहले, वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बहुत अलग तरीके से निहित करते हैं, और विधेयक के पाठ को एनपीडी से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए परामर्श और पुनर्रचना के लिए एक बार फिर से खोलना होगा। व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श के बिना वैयक्तिक डाटा को शामिल करने के लिए, जैसा कि वैयक्तिक डाटा के लिए किया गया था, एक ऐसी प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा जो गैर-वैयक्तिक डाटा विनियमन की बारीकियों को स्वीकार करने में विफल रहता है। अपने वर्तमान स्वरूप में, कानून गैर-वैयक्तिक डाटा को चुनिंदा रूप में दिखाता है। यह "गैर-वैयक्तिक डाटा" शब्द की ढीली परिभाषा में परिलक्षित होता है जो बहिष्करणीय है और गैर-वैयक्तिक डाटा की बहुआयामी प्रकृति को स्वीकार करने में विफल रहता है। इसके अतिरिक्त, जिस मौन तरीके से अनिवार्य साझाकरण प्रावधानों (जैसा कि धारा 91 के तहत देखा गया है) के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप बिल के तहत दंड का प्रावधान होगा।

गैर-वैयक्तिक डाटा का चयन करके, समिति वास्तविक रूप में एक समयपूर्व नियामक ढांचा तैयार करेगी और भविष्य के तकनीकी-कानूनी नियामक नवाचारों की संभावना को बंद कर देगी। डाटा उल्लंघनों (3(14)) की परिभाषा के तहत गैर-वैयक्तिक डाटा को अंतिम समय में शामिल करना, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस तरीके को इंगित करता है जिसमें गैर-वैयक्तिक डाटा को इस कानून के सामने लाया जा रहा है।

दूसरी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडीपी विधेयक के मसौदे में परिलक्षित कानूनी, संस्थागत और तकनीकी ढांचे डाटा के 'अनुमान चक्र' के उपयोग के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। वित्तीय या स्वास्थ्य क्षेत्र के सेवा प्रदाता, उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए वैयक्तिक डाटा से अपनी क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने या उसके स्वास्थ्य का निदान करने के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। पीडीपी विधेयक में "सहमति प्रबंधक" जैसे नवाचार "अनुमान डाटा" का संग्रह सुनिश्चित करते हैं जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता को महत्व देता है। गैर-वैयक्तिक डाटा में सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा 'प्रशिक्षण चक्र' उपयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा भी शामिल हैं, अर्थात डाटा के भीतर मार्कर से अनुमान दर्शाने के लिए एल्गोरिदम प्रशिक्षण। प्रशिक्षण डाटा के संबंध में कई नीतिगत विचार उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से डाटा को सावधानीपूर्वक कैसे अनाम किया जाएगा, और एल्गोरिदम को एआई/एमएल मॉडलों के लिए प्रशिक्षण डाटा की व्यावसायिक गोपनीयता को संरक्षित करते हुए डाटा संरक्षण विनियमन के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। कंप्यूटिंग में तेजी से प्रगति जल्द ही उन विचारों को प्रभावी ढंग से संतुलित करना और एनपीडी के लिए एक ऐसी व्यवस्था को स्पष्ट करना संभव बनाएगी जो उपयोगकर्ता और व्यवसाय के अनुकूल हो।

एआई/एमएल स्पेस में भारतीय संदर्भ में सामाजिक और बाजार विचारों की सावधानीपूर्वक सराहना किए बिना नीतिगत नुस्खे लागू करने से भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां कमजोर होंगी । विशेष रूप से, ऐसे गैर-वैयक्तिक डाटा (जैसा कि धारा 91 के तहत परिकल्पित) को अनिवार्य रूप से साझा करना प्रतिगामी व्यावसायिक वातावरण में योगदान देने जैसा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एनपीडी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए स्वयं एक समिति का गठन किया है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस समिति की रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और हितधारकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। समिति की सिफारिशों का अध्ययन किए बिना वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा व्यवस्थाओं को क्लब करना जल्दबाजी होगी ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि यह समिति गैर-वैयक्तिक आंकड़ों को इस कानून के दायरे में शामिल करना चाहती है, तो उन्हें संसद से विस्तार का अनुरोध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लिए जनता और हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाए ।

बुधवार, 24 नवंबर, 2021 10.20 पूर्वाह्ण

प्रेषक: रितेश पाण्डेय

विषय: विमत टिप्पण

सेवा में,

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति
संसदीय सौध,
नई दिल्ली।

समिति का नवीनतम प्रतिवेदन (शुक्रवार, 19 नवंबर को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित) पढ़ने के उपरांत मैं अपना विमत टिप्पण इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

सादर,

भवदीय,

रितेश पाण्डेय

RITESH PANDEY

Member of Parliament, Ambedkar Nagar
Floor Leader, Bahujan Samaj Party
Chairman, Committee on Papers Laid on the Table of the House
Member, Joint Parliamentary Committee on Personal Data Protection Bill, 2019

सत्यमेव जयते

201, Block-B
Parliament House Annexe Extension Building, New Delhi 110001

Tel: 011-23035738, 011-21410274
Mail: ritesh.pandey@sansad.nic.in

24/11/2021

Shri P.P. Chaudhary
Chairperson, Joint Committee on Personal Data Protection Bill, 2019
Parliament House, New Delhi

Dear Sir,

I would like to begin by wholeheartedly appreciating your immense efforts at leading the Joint Committee on the PDP Bill in a fair, democratic, and transparent manner. Under your leadership in the last four months, I truly believe that we are well on our way in formulating a legal framework for personal data governance that can work as a template for emerging economies of the world.

I am in complete agreement with the recommendations of this committee, barring three sections. To that end, I am writing this dissent note to register my dissatisfaction with Section 3(8), Section 35, and Section 42(2) in the manner I detail herein.

Section 3 (8) gives a static definition of child which does not stand with the principle of the '*best interest of child*' in the digital age. Under the amendment I had proposed that the definition of child should be that "child" means *a person who has not completed fourteen years of age*. Although protecting children's privacy and welfare is a vital concern of the bill, the definition of a child should be anyone under the age of 14, so as to allow young users to benefit from innovative technologies without the onus of obtaining consent from their parent/guardian. This amendment also takes into account the social barriers that young women face in accessing the internet, particularly in rural India.

Section 35 gives broad-reaching and unfettered power to the central government to exempt any government agency from the purview of the Bill. Even the Justice Srikrishna Committee Report recognised that unfettered access to the Government to personal data, without adherence to established safeguards such as *necessity and proportionality* is potentially unconstitutional. Section 42 of the Draft Personal Data Protection Bill, 2018 ("the Srikrishna Bill") allowed access of personal data to the Government for security purposes based on principles of necessity and proportionality and upon due authorisation under law. Section 35 of the current bill effectively enhances existing surveillance powers of the government without the limitations built in Section 5 and guaranteeing best practices of security under Section 24. Therefore, granting access to personal data to the Central Government, without appropriate safeguards and judicial oversight is against established constitutional principles and should not form part of the Bill.

The independence of the members of the Data Protection Authority ("DPA") under Section 42 (2) is skewed. The J. Srikrishna Committee Report emphasized that the independence of the DPA is of paramount importance to the welfare of data principals and the growth of India's technology industry. Therefore, it is vital to ensure that the members of the DPA are impartial and independent of outside influence from any party including the central government. Under the amendment I had suggested that the members of the DPA should be appointed by a Select Committee that has a flat hierarchical structure (i.e. each member has an equal vote and equal power within the committee) which includes the Cabinet Secretary, a Supreme Court judge appointed by the

Chief Justice of India, and an industry expert and an academic expert both confirmed by Parliament among the candidates put forward by the Ministry of Electronics and Information Technology.

With best regards,

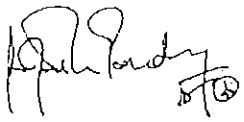

Ritesh Pandey

श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य

पीडीपी विधेयक, 2019 में संशोधन के लिए श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन सुझाव।

1. धारा 3 (8) के अंतर्गत बालक की संक्षिप्त परिभाषा।

क. मौजूदा मूल पाठ:

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(8) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

ख. प्रस्तावित संशोधन:

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(8) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

ग. संशोधन का औचित्य:

धारा 3 (8) बालक की स्थैतिक परिभाषा प्रस्तुत करती है जो डिजिटल युग में "बालक के परम हित" के सिद्धांत से मेल नहीं खाती है। मैंने संशोधन के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया था कि बालक की परिभाषा यह होनी चाहिए कि 'बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यद्यपि बालकों की निजता व कल्याण का संरक्षण करना विधेयक का प्रमुख सरोकार है। तथापि बालक की परिभाषा में 14 वर्ष की आयु से कम का कोई भी बालक सम्मिलित हो ताकि युवा प्रयोक्ताओं को अपने माता-पिता/संरक्षक से सम्मति प्राप्त करने की जिम्मेदारी के बिना अभिनव प्रौद्योगिकियों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके। यह संशोधन उन सामाजिक बाधाओं को भी संज्ञान में रखता है जिनका सामना युवतियों को विशेषकर ग्रामीण भारत में इंटरनेट का उपयोग करने में करना पड़ता है।

दो. <u>धारा 35 के अंतर्गत छूट: केंद्रीय सरकार की अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति।</u>

क. मौजूदा मूल पाठ:

35. जहां केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि -

(एक) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों <u>या</u> लोक व्यवस्था के हित में; या

(दो) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार के

किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

ख. **प्रस्तावित संशोधन:**

35. जहां केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है-

(एक) आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था के हित में; या

(दो) आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के (5 और 24 के अपवाद के साथ) सभी या कोई उपबंध सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

ग. **संशोधन का औचित्य:**

धारा 35 इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से किसी सरकारी अभिकरण को छूट देने की केंद्रीय सरकार को व्यापक असीमित और शक्तियां प्रदान करती है। न्यायाधीश श्रीकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने भी माना कि आवश्यकता और आनुपातिकता जैसे स्थापित सुरक्षोपायों का पालन किए बिना वैयक्तिक डाटा तक सरकार की असीमित पहुंच संभाव्यत: असंवैधानिक है। प्रारूप वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2018 (श्रीकृष्ण विधेयक) की धारा 42 ने आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों तथा विधि के अंतर्गत उचित प्राधिकरण के आधार पर सुरक्षा प्रयोजनार्थ सरकार को वयैक्तिक डाटा तक पहुंच की अनुमति दे दी। मौजूदा विधेयक की धारा 35, धारा 5 में सन्निहित सीमाओं के बिना सरकार की विद्यमान निगरानी शक्तियों में प्रभावी रूप से वृद्धि करती है और धारा 24 के अंतर्गत सुरक्षा की उत्कृष्ट परंपराओं की गारंटी प्रदान करती है। अत: समुचित सुरक्षापायों तथा न्यायिक निरीक्षण के बिना केंद्र सरकार को वैयक्तिक डाटा तक पहुंच की अनुमति देना स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के विरूद्ध है और और यह विधेयक का अंग नहीं होना चाहिए।

तीन. **धारा 42(2) के अंतर्गत डाटा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति।**

क. **मौजूदा मूल पाठ:**

42.

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, -

(क) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का महान्यायवादी - सदस्य

(ग) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव-सदस्य

(घ) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव - सदस्य; और

(ड़) डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन या संबंधित विषयों के क्षेत्र से भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला स्वतंत्र विशेषज्ञ-सदस्य

ख. **प्रस्तावित मूल पाठ:**

42.

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, -

(क) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश - सदस्य

(ग) भारत का महान्यायवादी - सदस्य

(घ) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव-सदस्य

(ड.) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव - सदस्य; और

(च) डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन या संबंधित विषयों के क्षेत्र से भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला स्वतंत्र विशेषज्ञ-सदस्य।

ग. **संशोधन का औचित्य:**

न्यायाधीश श्रीकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि डीपीए की स्वतंत्रता डाटा स्वामियों के कल्याण और भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए परम महत्व की है। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डीपीए सदस्य निष्पक्ष हैं और केंद्रीय सरकार सिहत किसी पक्ष से बाह्य प्रभाव से मुक्त हैं। डीपीए के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसकी स्पष्ट श्रेणीबद्ध संरचना होनी चाहिए। (अर्थात समिति के अंदर प्रत्येक सदस्य का मत और शक्ति समान है) जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, एक उद्योग विशेषज्ञ और एक शैक्षिक विशेषज्ञ तथा इन दोनों की पुष्टि संसद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए सदस्यों में से की जाए।

*****

Jairam Ramesh
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Chairman
Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment, Forests, and Climate Change

सत्यमेव जयते

Office : 307, PHA Extension Building,
B-Block, New Delhi-110001
Tel.: 011-23035793, 23093397
Telefax : 011-21410309
E-mail : jairam54@gmail.com

DISSENT NOTE

21-11-21

Dear Chaudhuriji:

First of all, let me place on record my deep sense of appreciation for the completely democratic, transparent and consultative manner in which you have conducted the deliberations of the Joint Committee of Parliament (JCP) on the Personal Data Protection Bill, 2019 over the past four months.

I am in unqualified agreement with all but two of the recommendations of the JCP. However, since the disagreements are so very basic I am compelled to submit this **dissent note.** I had suggested amendments to Section 35 which is the most crucial provision of the Bill as well as to Section 12. The JCP gave me a patient hearing but I was unable to convince it of the merits of my arguments. The general consensus in the JCP appeared to be in favour of not accepting my amendments and I did not want to force the issue beyond a point. But I had requested you to permit me to record my dissent.

Before I get into the specific Sections, please allow me to say that the design of the PDP, 2019 Bill assumes that the constitutional right to privacy arises only where operations and activities of private companies are concerned. Governments and government agencies are treated as a separate privileged class whose operations and activities are always in the public interest and individual privacy considerations are secondary. The idea that the August 2017 *Puttaswamy* judgment of the Supreme Court is relevant only for a very, very, very tiny section of the Indian population is, in my view, deeply flawed and troubling and is one that I totally reject.

Section 35 gives almost unbridled powers to the Central Government to exempt any government agency from the entire Act itself. Under the amendment I had suggested, the Central Government will have to get *Parliamentary approval* for exempting any of its agencies from the purview of the law. Even then, the Government must always comply with the Bill's requirement of fair and reasonable processing and implementing the necessary security safeguards. I was willing to compromise provided the JCP had recommended that the reasons for exemption that would be

recorded in writing as provided for in the Bill would be tabled in both Houses of Parliament. This would bring about greater accountability and transparency, but even that was not found acceptable.

Section 12(a)(i) creates certain exceptions for governments and government agencies from the provisions of consent. While fully understanding the logic for such exemptions in a number of circumstances, I had suggested some changes to make this exemption *less sweeping* and less automatic. The JCP's report allows a period of two years for private companies to migrate to the new data protection regime but governments and government agencies have no such stipulation

I attach my detailed comments and proposed amendments to Section 35 and Section 12. I would request you to kindly ensure that my letter and its attachment is incorporated into the final report of the JCP.

With warm personal regards,

Jairam Ramesh

Jairam Ramesh

21/11/24

Shri P.P. Chaudhuri
Chairperson
Joint Committee of Parliament on PDP, 2019
New Delhi

श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य

पीडीपी विधेयक, 2019 में संशोधन के लिए श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए दो सुझाव।

1. **धारा 35 के अंतर्गत छूट: केंद्रीय सरकार की अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति।**

क. वर्तमान पाठ:

35. जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि -

(एक) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के हित में; या

(दो) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण..

ख. प्रस्तावित संशोधन:

35. जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि -

(एक) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में;

(दो) भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए।

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध **धारा 5 और 24 तथा अध्याय 8 से 25 तक को छोड़कर,** सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए:-

(एक) "संज्ञेय अपराध" पद से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित अपराध अभिप्रेत है;

(दो) "ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रकमण, पद के अंतर्गत किसी डाटा विश्वासी, डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा स्वामी द्वारा सरकार के ऐसे अभिकरण द्वारा उसके साथ साझा करना भी है।

(2) उप-धारा (1) के तहत जारी एक आदेश केवल तभी पारित किया जाएगा जब वह कानून के अनुसार अधिकृत हो; और संसद द्वारा बनाए गए इस तरह के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है और उप-धारा (1) में प्राप्त किए जाने वाले हितों के लिए आवश्यक और आनुपातिक है।

(ग) संशोधन के लिए तर्काधार:

प्रस्तावित संशोधन न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट (2018) की सिफारिशें और इसके द्वारा तैयार किए गए 2018 पीडीपी विधेयक के खंड 42 के अनुरूप हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निजता के बारे में निर्णय[1] को पढ़ने के आधार पर, न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने "राज्य की सुरक्षा" को एकमात्र हित के रूप में पहचाना था जिसे असाधारण परिस्थितियों में, कानून के कुछ दायित्वों से छूट के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए। धारा 35 के तहत प्रस्तावित शक्ति के विस्तार को देखते हुए, संवैधानिक चुनौती से कानून को बचाने के लिए छूट का दायरा संक्षिप्त किया जाना चाहिए।

---

[1] के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी

(क) "लोक व्यवस्था" के आधार को दुरूपयोग की अति संवेदनशीलता को देखते हुए धारा 35 (1) और (2) से हटा दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा "कानून और व्यवस्था", "लोक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा"[2] के मानकों के बीच अंतर करने के बावजूद,' इन मानकों को अक्सर व्यवहार में सम्मिश्रित कर दिया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट का दायरा कम हो और इसका क्षेत्र सीमित हो, लोक व्यवस्था" शब्द को विधेयक की धारा 35(1) और (2) से हटा दिया जाना चाहिए।

(ख) भले ही सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से डाटा का प्रकमण करने के लिए अधिनियम के अनुप्रयोग से छूट मांग रही हो, फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के वैयक्तिक और संवेदनशील डाटा का "उचित" और "युक्तियुक्त रुप से प्रक्रमण किया जाए (धारा 5) और सुरक्षा सुरक्षोपायों के अधीन हो, ताकि डाटा का दुरुपयोग न हो (धारा 24)। इन दो सीमित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीपीए की भूमिका और अन्य दंड और अपराध लागू होते रहना चाहिए।

(ग) न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा जारी पीडीपी विधेयक, 2018 के अनुरूप उप-धारा 2, को कानून को उच्चतम न्यायालय के अगस्त 2017 के पुट्टास्वामी के फैसले के अनुरूप बनाना आवश्यक है, जिसके लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकार पर सभी प्रतिबंध कानून द्वारा समर्थित हों; एक वैध उद्देश्य के साथ आवश्यक और आनुपातिक हो; और उसमें दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।"

(दो) धारा 12 (क) (i) के तहत अपवाद: राज्य द्वारा सहमति के बिना प्रक्रमण

(क) वर्तमान पाठ

12. धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण,-

(क) राज्य के किसी ऐसे कृत्य के पालन के लिए आवश्यक है, जो विधि द्वारा-

(i) राज्य से डाटा स्वामी के लिए किसी सेवा या फायदे के उपबंध के लिए; या

(ii) डाटा स्वामी के किसी कृत्य या कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा कोई प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

ख. प्रस्तावित संशोधन

---

[2] डॉ राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार सरकार, एआईआर 1966 एससी 740

12. धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण,-

(क) राज्य के किसी कृत्य के पालन के लिए आवश्यक और आनुपातिक है, जो विधि द्वारा-

(i) राज्य से अपनी समेकित निधि के माध्यम से डाटा स्वामी के लिए किसी सेवा या फायदे के उपबंध के लिए; या

(ii) डाटा स्वामी के किसी कृत्य या कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा कोई प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है;

ग. संशोधन के लिए तर्काधार

यह विधेयक उन शर्तों के लिए एक अपवाद बनाता है जिसके तहत राज्य व्यक्तियों की सहमति के बिना उनका वैयक्तिक डाटा एकत्र कर सकता है। कानून के तहत किसी भी अपवाद और छूट को सीमित रूप से तैयार किया जाना चाहिए।[33] इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के पुट्टास्वामी के फैसले के अनुसार, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रतिबंध को आनुपातिकता की परीक्षा पर खरा उतरना चाहिए। इसलिए, डाटा के किसी बिना सहमति प्रक्रमण के मामले में व्यक्ति के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए धारा 12 में "आनुपातिकता" की आवश्यकता प्रस्तुत की जानी चाहिए। धारा 12 (क) (i) में समेकित निधि का अंत:स्थापन आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुरूप है और उच्चतम न्यायालय के 2019 के आधार पर फैसले[4] में टिप्पणियों का आशय अपवाद के दुरुपयोग को रोकना है।

*****

[3] सीसीई बनाम हरिचंद, (2011)1 एससीसी 236

[4] के.एस.पुट्टास्वामी (दो) बनाम भारत संघ (2019)1, एससीबी, पैरा 376-378, 379-1-379.3, 511.13

विवेक के. तन्खा,

संसद सदस्य (राज्य सभा)

प्रिय चौधरी जी,

मैं अपनी बात आपके और पूर्व सभापति द्वारा जिस प्रकार से पिछली 70 बैठकों में समावेशी रूप से वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की चर्चाएं कराई गई उसके लिए दिल से आभार प्रकट करके आरंभ करता हूं। विधेयक के प्रत्येक पक्ष पर काफी विस्तार से चर्चा की गई।

यद्यपि मैं संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से मोटे तौर पर सहमत हूं तथापि दो सिफारिशों के मामले में गहन विचार-विमर्श से संदेह होता है। नि:संदेह इन मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति सत्रों के दौरान इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री जयराम रमेश और अन्यों ने विधेयक की धारा 12 और धारा 35 में यथावत बनाए रखे गए प्रारूप उपबंध में खतरे के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की। मेरी राय है कि उक्त उपबंधों में सुझाया गया संशोधन राज्य को इतनी उदारतापूर्वक प्रदत्त अपवाद की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस पत्र को मेरे संदेह/विमत टिप्पण के रूप में लिया जाए और कृपया उसे रिकार्ड किया जाए।

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि पीडीपी 2019 विधेयक स्वयं एक गलत धारणा पर आधारित है कि निजता के अधिकार की स्थिति केवल योग्यता निजी के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण के लिए उत्पन्न होती है और राज्य को इन संवैधानिक उत्तरदायित्वों से वस्तुत: छूट प्राप्त होती है। सरकारी एजेंसियों के पास विशेष दर्जा होता है, उनके साथ विशेष वर्ग जैसा व्यवहार होता है जो कि सिफारिश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की मूल भावना से अलग करता है। मुझे के.एस.पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी एक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी याद आती है।

> "निजता अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण करने के व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा है। इसका मूल धारणा में है कि ऐसे कतिपय अधिकार हैं जो कि मानव के लिए स्वाभाविक और अंतर्निहित हैं। स्वाभाविक अधिकारों के अस्तित्व के बिना मनुष्य जीवन के बारे में सोचना भी असंभव है। स्वाभाविक अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ये अधिकार

मनुष्य को मनुष्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के पास किसी वर्ग, लिंग अथवा अभिमुखीकरण के बिना समान रूप से मिलते हैं।"

इलेक्ट्रॉनिक डाटा का सरकारी एजेंसियों और अन्यों के द्वारा नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है। इस कार्यकलाप से व्यक्ति की निजता काफी खतरे में पड़ती है। इसलिए, जब तक यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता विदेशी संबंधों अथवा किसी अपराध/संज्ञेय अपराध की रोकथाम करने/पता लगाने से नहीं जुड़ा है तब तक वैयक्तिक डाटा के आदान-प्रदान नागरिकों की निजता के सुरक्षापायों पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन अपवादों को केवल अपवाद मामलों में भावी पीढ़ी हेतु तर्कसंगत आदेश द्वारा और संवैधानिक न्यायालयों द्वारा वैयक्तिक घुसपैठ के स्तर का पता लगाने की अनुमति दी जा सकती है। मुझे एक अपवाद के रूप में 'लोक व्यवस्था' के खुले वाक्यांश को जोड़ने पर काफी संदेह हैं। इससे घोर दुरूपयोग की संभावना रहेगी।

सरकारी एजेंसी को व्यापक संरक्षण न तो संवैधानिक है और न ही लोकतंत्र के हित में है। छूट के द्वारा सरकारी एजेंसी को दिए निरंकुश अधिकारों की उपस्थिति इस पूर्वानुमान में है कि किसी नागरिक के निजता का विस्तार नागरिकों को राज्य और इसके तंत्र से सुरक्षा दिलाने के लिए नहीं किया जा सकता; वास्तव में इस सत्य से अधिक कुछ नहीं हो सकता। अपने नागरिकों की निजता भंग से रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है चाहे वह निजी, सरकरी अथवा विदेशी एजेंसी के रूप में हों। भारत के संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के किसी उल्लंघन को अनुमति देने वाली किसी छूट द्वारा विधि या अनुमत अपवादात्मक परिस्थितियों तथा तर्कसंगत आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक अथवा व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त अमूल्य स्वतंत्रता को राज्य/अधिकारियों के विश्वास अथवा भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता।

सादर।

(विवेक के. तन्खा)

श्री पी.पी.चौधरी

सभापतिः पीडीपी विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति, नई दिल्ली।

*****

डा. अमर पटनायक
Dr. Amar Patnaik
ଡଃ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ

सत्यमेव जयते

Member of Parliament
(Rajya Sabha)
- Member, Parliamentary Standing Committee on Finance
- Member, Joint Parliamentary Committee on Personal Data Protection Bill
- Member, Sub-ordinate Legislation Commitee (RS)
- Member, Parliamentary Consultative Committee on Environment, Forest & Climate change

No. OR/MPO/PTY/REPN/2021-22/150 Date : 24/11/2021

Dear Shri P.P. Choudhury Ji,

Sub : Note of dissent on the final draft report and the final draft bill circulated

In inviting a reference to the above, I have received the draft copies of the report and the bill on Personal Data Protecting Bill, 2019 which was deliberated upon by the Joint Committee of which I am a member. After careful reading of the report and the final version of the PDP Bill, 2019 as is circulated for adoption by the committee, it is my considered view that the report and the draft bill still do not address the concerns which I have repeatedly raised from time to time such as the need for narrowing down the applicability of provisions under section-35 of the proposed bill, arrangement for separate Data Protection Authorities for States (State DPA), constitutional entrancement of the DPA, securing independence in the functioning DPA and abolition of section-86 (renumbered section-87) of the final draft bill circulated to me. Hence I hereby attach a note of dissent in detail including the provisions mentioned above for necessary action at your end.

Thanking You

With regards,

Yours sincerely,

Amar Patnaik

(Dr. Amar Patnaik)

24-11-2021

Shri P.P. Choudhury,
Hon'ble Member of Parliament &
Chairman, Joint Committee on
Personal Data Protecting Bill, 2019
New Delhi-110011

Delhi : C-I/5, Pandara Park, New Delhi - 110 003 ☎011-23781323 ☐+91 9667 657668 (PRI)
Odisha : Plot No. 2132/4299, Nageswar Tangi, Bhubaneswar (Odisha) - 751 002. ☎0674-2431366/2432366, ☐8144766747
E-mail : amar4odisha@gmail.com, amar.patnaik@sansad.nic.in
Amar4Odisha

डॉ. अमर पटनायक

विमत टिप्पण

सबसे पहले, मैं दिसंबर, 2019 में लोक सभा में पुरःस्थापित व्यैक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर अंततः चर्चा पूर्ण करने के लिए आपकी सराहना करना चाहता हूं। जैसा कि आप अवगत हैं कि 2020 के दौरान और अब तक समिति में हुई चर्चा की सीमा और व्यापकता उल्लेखनीय रही है और संभवत यह एक उच्चतम स्तर की चर्चा है जिसमें समिति द्वारा इस विधेयक के सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया है।

चूंकि विधेयक में कुछ स्थानों पर कुछ लघु विमतता है जिसमें मैं इस टिप्पण को अनुलग्नक में संलग्न करूंगा क्योंकि ये बाद में कार्यान्वयन के स्तर पर अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, **मैं विधयेक की रूपरेखा और डाटा संरक्षण प्राधिकरण की संरचना तथा इसकी स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश डालना चाहता हूं।**

1. विधेयक की समग्र रूपरेखा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप होनी चाहिए कि **निजता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, ना की किसी सरकार - केन्द्र या राज्य द्वारा।** इसलिए जब सरकारों - केन्द्र या राज्य द्वारा नगारिकों की निजता का उल्लंघन होता है तब संविधान द्वारा इसका संरक्षण किया जाएगा। इसलिए सरकार अपनी मर्जी और घटना/दुर्घटना की व्याख्या के अनुसार नागरिकों की सूचनात्मक निजता के संरक्षण में विशेष स्थिति नहीं ले सकती है, जिसे विधेयक में अनेक स्थानों/खंडों/शब्दावलियों में व्यक्त किया जा रहा है।

2. **डाटा संरक्षण प्राधिकरण में सुझाए गए संरचनात्मक परिवर्तन**

यद्यपि, संपादक की सच्ची भावना से मैंने केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक संतुलन के दृष्टिकोण से राज्य स्तरीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में बार-बार टिप्पणी की थी और इस तथ्य पर भी विचार किया था कि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची - दो) में लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विशेषता शामिल है। तथापि 22 नवंबर, 2021 को इसे अंतिम रूप से

स्वीकार किए जाने तक भी विधेयक की रूपरेखा और संरचना में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नहीं किया गया। संविधान की मूल संरचना संघवाद पर जोर देने के अतिरिक्त यह कार्यान्वयन में समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि निस्संदेह, रूप से राज्य सरकार इस कानून को लागू करने की बेहतर स्थिति में होंगे। **राज्य स्तरीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले सहमति और डाटा उल्लंघन की घटनाओं से निपटने में आदर्श और अनुकूल स्थिति में होंगे क्योंकि डाटा स्वामी राज्य के उस भौगोलिक क्षेत्र में ही रहते हैं।** यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक में डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल डाटा (गैर-स्वत: डाटा) दोनों आते हैं। जिला और नीचे स्तर पर सभी प्रशासनिक संरचनाओं में उत्तरवर्ती डाटा महत्वपूर्ण है। इसलिए, राज्य सरकार इससे निपटने में बेहतर स्थिति में होते हैं, न कि केन्द्र सरकार।

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बनाते समय इस सिद्धांत का अनुपालन किया गया जो केन्द्र स्तर के प्राधिकारियों को सहायता करने के लिए राज्य स्तर/जिला स्तर (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए) की संरचना का निर्माण करती है ताकि उन अधिनियमों का दक्ष और प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। यदि पीडीपी बिल की रूपरेखा और संरचना इन केन्द्रीय अधिनियमों की रूपरेखा और संरचना का अनुपालन करता तो ज्यादा खुशी होती। **यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जर्मनी में त्रिस्तरीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण संरचना है और यूरोपियन संघ में भी यूरोपीयन डाटा संरक्षण बोर्ड है जो ईयूजीडीपीआर के तहत पृथक नेशनल डाटा प्रोटेक्शन ऑथोरिटीज से समन्वय करता है।** यह सामान्य जानकारी की बात है कि यूरोप के प्रत्येक देश हमारे प्रत्येक राज्य के लगभग समकक्ष हैं और इसलिए, देश में राष्ट्रीय स्तर के डाटा संरक्षण प्राधिकरण और राज्य स्तर के डाटा संरक्षण प्राधिकरण के साथ न्यूनतम दो स्तरीय संरचना का औचित्य एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है और यह संवैधानिक और प्रशासनिक अत्यावश्यकता है।

3. 19.11.2021 को प्रस्तावित और संशोधनों से पूर्व संशोधित प्रारूप विधेयक की धारा 28 के अंतर्गत खंड 5 और 6 का विलोप करने का प्रस्ताव स्वीकार्य है। **तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विधेयक निजता संबंधी विधेयक है और यह केवल सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा और संरक्षा विधेयक नहीं है इसे धारा 26 के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए।** सोशल मीडिया जो नागरिकों की निजता का सम्मान और संरक्षण करने में महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी है, की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए, इन उपबंधों को निजता विधेयक जो पीडीपी विधेयक, 2019 है, में स्थान मिलना चाहिए। वास्तव में इस

विधेयक को पूरी तरह से सोशल मीडिया उस कंटेंट के प्रति जवाब देह नहीं रहेगा जो वे डाटा विश्वासियों की निजता के संबंध में प्रदर्शित करते हैं।

4. **सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी चीज के लिए धारा 57 के तहत संहिताकरण से शास्तियों को हटाने का सुझाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा विधेयक के आरंभिक पुर:स्थापन के समय प्रस्तावित किया गया था और यूरोपियन यूनियन के जेनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (ईयूजीडीपीआर) और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के डाटा संरक्षण कानून के अनुरूप भी है।** इन शास्तियों के पीछे का उद्देश्य नागरिकों की निजता को सरकार सहित किसी भी डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा इंटरनेट स्पेस में परिचालन के प्राथमिक व्यापक उद्देश्य के रूप में रखना और इसका सम्मान करने के साथ-साथ समानान्तर स्तर पर देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। किंतु यह दूसरा उद्देश्य विधेयक के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में पहले का स्थान नहीं ले सकता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, विधेयक का पुर:स्थापन करते समय यूजीडीपीआर की तरह कठोर शास्तियां शामिल की गई है और सरकार ने उचित रूप से समाविष्ट किया है। इसलिए इसे विधेयक में ही बनाए/जारी रखा जाना चाहिए ताकि भारत के नागरिकों (डाटा स्वामियों) के वैयक्तिक डाटा की निजता को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य डाटा विश्वासियों के विरुद्ध एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य कर सके ।

5. **इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डाटा स्वामियों की निजता के संबंध में सीएजी, सीईसी, लोकपाल, यूपीएससी आदि जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों सहित सभी डाटा विश्वासियों पर डीपीए का अभिभावी पर्यवेक्षण होगा, प्रारूप विधेयक की धारा 42 (2) में यथा विनिर्दिष्ट डाटा संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए,।** डीपीए की एक भूमिका है जो चतुर्थ शाखा विनियामक/संस्था की तरह है और इसलिए उसे एक उच्च स्तर की स्वतंत्रता, शक्ति और आजादी की आवश्यकता है। चूंकि प्रत्येक सदस्य का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्रीय सचिव, जो कि एक नौकरशाह होते हैं, की अध्यक्षता वाली समिति उनके चयन में न्याय नहीं कर सकती है। केंद्रीय सचिव ऐसी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वयं सिस्टम में सबसे बड़ा डाटा विश्वासी है और जिनके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 और 226 के तहत सबसे अधिक शिकायतें उत्पन्न होने की संभावना है जैसा कि यह वर्तमान में अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में हो रहा है। समिति में अन्य सदस्यों में नौकरशाही से आने

वाले इसी प्रकार के व्यक्तियों के अलावा बाजार के 2 विशेषज्ञ, जिनमें से एक विधि और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया, आदि से जुड़ा हो, शामिल होने चाहिए।

6. **पुट्टास्वामी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए विधेयक में धारा 35 के कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता को यथा संभव संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे वह कानूनन सम्मत, वैध, समानुपातिक, आवश्यक, उचित और निष्पक्ष हो।** इस पर केन्द्र सरकार के लिए विवेक की गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे प्रत्येक निर्णय की समीक्षा या तो संसदीय निकाय द्वारा या न्यायिक संस्थागत व्यवस्था द्वारा करने के लिए कानून द्वारा एक निर्धारित तंत्र होना चाहिए ।

(डा. अमर पटनायक)

डाटा संरक्षण प्राधिकरण में सुझाए गए संरचनात्मक परिवर्तन क. एक व्यापक संवैधानिक डाटा संरक्षण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ।

1. प्राधिकरण की सीमा में निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा आती है,इसलिए उसकी स्वतंत्रता आवश्यक है;
2. केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए। और एक नियोक्ता के रूप में एकत्र किए गए डाटा की विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए डाटा संरक्षण प्राधिकरण केंद्र सरकार और उसके सहायकों पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। एक स्वतंत्र आयोग हितों के टकराव को रोकेगा;
3. केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित डाटा संरक्षण प्राधिकरण भारत के संविधान,1950 की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक व्यवस्था आदि जैसे राज्य सरकार के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा। इससे संघवाद के सिद्धांत में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी;
4. संवैधानिक सुदृढ़ता इसकी संरचनात्मक, राजकोषीय और कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा। यह आयोग को कार्यकाल, संरचना, वेतन, नियुक्ति प्रक्रियाओं में प्रतिकूल परिवर्तनों से भी बचाएगा;
5. आयोग के प्रशासनिक खर्चों का प्रभार भारत की समेकित निधि पर होना चाहिए और इसे सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए;;
6. कार्यकाल और हटाने की विधि संविधान में उल्लेखित की जानी चाहिए;
7. जैसे जर्मन मॉडल या यूरोपीय डाटा संरक्षण बोर्ड ईयूजीडीपीआर के तहत राष्ट्रीय डाटा संरक्षण प्राधिकरणों के साथ, समन्वय करता है, उसी तरह आयोग अपने वैयक्तिक डाटा संरक्षण कानूनों के माध्यम से नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए राज्य डाटा संरक्षण प्राधिकरणों के बीच समन्वय कर सकता है।

ख. विधेयक में अलग-अलग राज्य और जोनल डाटा संरक्षण प्राधिकरणों के प्रावधान प्रावधान किए जाने चाहिए ।

1. क्षेत्रीय उपस्थिति निजता के मौलिक अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने और डाटा स्वामियों के लिए इसका प्रयोग करने के लिए प्रभावी साधन प्रदान करने में मदद करेगी;
2. प्राधिकरण से लगभग 600 मिलियन निकायों को विनियमित किया जाना अपेक्षित है और स्थानीय स्तर पर इसके प्रवर्तन और शिकायत निवारण कार्यों के हस्तांतरण से दक्षता, गति और विश्वास बढ़ेगा और बाधाओं में कमी आएगी;
3. इससे सहभागी लोकतंत्र, स्वशासन और संघवाद में विश्वास बढ़ेगा;

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करते हुए) के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग और राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की तर्ज पर संरचना को अपनाया जा सकता है।

ग. डाटा संरक्षण प्राधिकारियों को अर्ध-न्यायिक न्यायनिर्णयन कार्य करने की भी शक्तियां दी जानी चाहिए ।

1. यह न्यायनिर्णयन की लागत में कमी लाएगा और राज्यों के अधिकारियों को अपने नियम बनाने की अनुमति देगा;
2. पहुंच में सुधार के लिए न्यायनिर्णयन हेतु पीठें जिला स्तर पर होनी चाहिए;
3. न्यायनिर्णयन अधिकारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति का तरीका और कार्यकाल और ऐसे अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का निर्णय केंद्र सरकार के स्थान पर प्राधिकरण दवारा किया जाना चाहिए जिससे स्वताता. हितों के टकराव और पूर्वाग्रह के मुददों से बचा जा सके।

*****

परिशिष्ट- तेरह

सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों/व्यक्तियों,
जिनसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, की सूची

*****

क्रम सं.	सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों/हितधारकों/संगठनों/व्यक्तियों के नाम
1.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) - गृह मंत्रालय
3.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
4.	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) - गृह मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) - गृह मंत्रालय
6.	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
7.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
8.	दिल्ली पुलिस
9.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)
10.	भारत का उच्चतम न्यायालय
11.	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
12.	आप्ती इंस्टिट्यूट
13.	एक्सेस नाउ
14.	आदित्य बिड़ला ग्रुप
15.	एडवांस्ड कम्प्यूटिंग एंड कम्युनिकेशंस सोसायटी (एसीसीएस)
16.	एकेएस पार्टनर्स
17.	अमेज़न इंडिया
18.	अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस)
19.	अमेरिकन बार एसोसिएशन एंटीट्रस्ट लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ सेक्शन
20.	अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया
21.	एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड (ओएलए)
22.	आर्गस पार्टनर्स लॉ फर्म

23.	आर्टिकल 21 ट्रस्ट
24.	एशिया क्लाउड कम्प्यूटिंग एसोसिएशन (एसीसीए)
25.	एशिया डिवीजन, ह्यूमन राइट्स वॉच
26.	एशिया इंटरनेट कोएलिशन (एआईसी)
27.	एशिया प्रतिभूति उद्योग और वित्तीय बाजार संघ (एएसआईएफएमए)
28.	एशियन बिजनेस लॉ इंस्टिट्यूट
29.	एसोचैम
30.	एसोसिएशन ऑफ कंप्टीटिव टेलीकॉम ऑपरेटर्स (एसीटीओ)
31.	एस्ट्रम
32.	एजेडबी एंड पार्टनर्स
33.	बीईएसटीएफआईटी बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
34.	भारती एयरटेल लिमिटेड
35.	ब्रिज पॉलिसी थिंक टैंक
36.	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ)
37.	बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी
38.	बीटीजी लीगल
39.	कार्नेगी इंडिया
40.	सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई)
41.	सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन पॉलिसी लीडरशिप (सीआईपीएल)
42.	सेंटर फॉर नॉलेज सोव्रिन्टी
43.	सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च
44.	सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जेएनयू
45.	सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोफेशनल्स फॉर एशिया (सीआईपीपीआईए)
46.	चंढिओक एंड महाजन एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
47.	चेज इंडिया
48.	चिन्मय मिशन, केरल
49.	चिन्मय यूनिवर्सिटी फॉर संस्कृत एंड इंडिक ट्रेडिशन्स

50.	सिटीजन्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज (सीएफसीएल)
51.	सिविक इनोवेशन फाउंडेशन
52.	क्लाउड कंप्यूटिंग काउंसिल ऑफ इंडिया
53.	कोएलिशन ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्रीज
54.	कॉमन कॉज
55.	कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीआईए)
56.	कॉन्टेगोहयुमेनिटस फाउंडेशन
57.	सीयूटीएस इंटरनेशनल, जयपुर
58.	साइबर कैफे एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीसीएओआई)
59.	साइबल इंक
60.	डीएकेएसएच (दक्ष)
61.	डाटा प्राइवेसी फाउंडेशन
62.	डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल)
63.	इयूश बैंक एजी
64.	डिजिटल यूरोप
65.	डिजिटल हेल्थ इंडिया एसोसिएशन
66.	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर
67.	दुआ कंसल्टिंग
68.	दवरा रिसर्च
69.	इकनॉमिक लॉज प्रेक्टिस (ईएलपी) एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
70.	ईस्य सेंटर, नई दिल्ली
71.	यूरोपीयन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
72.	यूरोपीय आयोग
73.	फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
74.	फिक्की
75.	एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा मंच (एफआईएनएस)
76.	फाउंडेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स इन इंडिया (एफडीपीपाई)

77.	फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया
78.	एफटीआई कंसल्टिंग
79.	फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इनीशिएटिव देवरा रिसर्च (पूर्व आईएफएमआर फाइनेंस फाउंडेशन)
80.	गेम चेंजर लॉ एडवाइजर्स
81.	गूगल
82.	जापान सरकार
83.	हियर टेक्नोलॉजीज
84.	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
85.	होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
86.	आईबीएम इंडिया प्रा. लिमिटेड
87.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
88.	आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
89.	आईसीएमआर-एम्स कम्प्यूटेशनल जीनोमिक्स सेंटर
90.	आईडीएफसी इंस्टिट्यूट
91.	आईएफआईटी रिसर्ज फोरम
92.	इकिगई लॉ
93.	इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए)
94.	इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम
95.	इंडियाटेक.ओआरजी
96.	इंडस लॉ
97.	इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर एसाइंड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन)
98.	इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन
99.	इंटरनेट सोसाइटी इंडिया
100.	इरा लॉ
101.	आईस्प्रिट फाउंडेशन
102.	आईटी फॉर चेंज, बेंगलुरु
103.	आईटीयू-एपीटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (आईटीयू-एपीटी)

104.	जे. सागर एसोसिएट्स, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
105.	जागृति फाउंडेशन
106.	जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेईआईटीए)
107.	जकार ग्रुप
108.	जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड
109.	जेआईएसए
110.	जर्नल ऑफ इनोवेशन, कंपटीशन एंड इन्फॉर्मेशन लॉ (जेआईसीआईएल)
111.	JPMorgan
112.	कपिल सापरा एंड एसोसिएट्स
113.	केस्पेस्र्की
114.	कोआन एडवाइजरी ग्रुप
115.	केपीएमजी इंडिया
116.	एल एंड एल पार्टनर्स
117.	एल एंड एस अटॉर्नीज
118.	इंडिया डिजिटल हेल्थ नेटवर्क, लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
119.	लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नीज
120.	लॉ फर्स्ट, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
121.	लेक्स पार्टनर्स
122.	मध्यम
123.	मेकमाईट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
124.	मणि चेंगप्पा एंड माथुर
125.	मेसन एंड एसोसिएट्स
126.	मास्टरकार्ड
127.	मैट्रमोनी.कॉम लिमिटेड
128.	मीडियानामा
129.	माइक्रोसॉफ्ट इंडिया

130.	मिजोरम विश्वविद्यालय
131.	मॉरिसन और फ़ॉस्टरस्टरलप वाशिंगटन, डीसी
132.	मोज़िला कॉरपोरेशन
133.	नैसकॉम
134.	न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए)
135.	निशीथ देसाई एसोसिएट्स
136.	ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
137.	पेपाल पेमेंट्स प्रा. लिमिटेड
138.	पेटीएम
139.	पियर काउंसिल
140.	प्राइवेसी इंटरनेशनल
141.	पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च
142.	रिलाएंस जियोइन्फोकॉम लिमिटेड
143.	आईएलएक्स एंड एलईएक्सआईएसएनईएक्सआईएस रिस्क सॉल्यूशंस
144.	साईकृष्णा एंड एसोसिएट्स
145.	सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया
146.	सार्थक एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
147.	एसईसीएल
148.	शेयर चैट
149.	डॉ. आरएमएलएनएलयू, लखनऊ की सोसायटी फॉर एक्सीलेंस इन कंस्टीट्यूशनल लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी
150.	सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईआईए)
151.	सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर
152.	सोनी पिक्चर्स नेटवर्क
153.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
154.	स्टूडियो नीलिमा: अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए सहयोगी नेटवर्क
155.	टैंडम रिसर्च, गोवा

156.	टैकलेगिस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स
157.	कोचिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
158.	सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, इंडिया
159.	द डायलॉग
160.	इकोनॉमिक्स सोसाइटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
161.	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल)
162.	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
163.	इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट
164.	कौटिल्य सोसाइटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जुरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस), कोलकाता
165.	सॉफ्टवेयर एलायंस
166.	स्पोर्ट्स लॉ एंड पॉलिसी सेंटर
167.	थिंकिंग लीगल
168.	टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड
169.	टाइम्स नेटवर्क
170.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड
171.	ट्राइएंगल
172.	ट्राइलीगल
173.	ट्रयूकालर
174.	ट्विटर इंडिया
175.	यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स
176.	ऊबर इंडिया
177.	यूएनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया
178.	यूएस - इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
179.	यूएसटीआर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट
180.	वीजा कंसोलिडेटेड सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
181.	वाडियाघांडी एंड कंपनी
182.	विकिमीडिया फाउंडेशन

183.	9.9 इनसाइट्स
184.	न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण (सेवानिवृत्त)
185.	अभिषेक चौधरी
186.	अभिषेक जैन
187.	अभिलाष सुन्दरराजन
188.	अगनेल विशाल
189.	अजय भार्गवा और सुप्रतिम चक्रवर्ती, खेतान एंड कंपनी एडवोकेट्स
190.	अमन कोणार्क मोदी
191.	अनु आचार्य, सीईओ, मैपमाईजीनोम
192.	अनिकेत बिरारी
193.	अपूर्व सरदेशमुखी, पार्टनर लेगासिस पार्टनर्स
194.	अर्जुन नटराजन
195.	असित कुमार श्रीवास्तव, विधि के सहायक प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर
196.	बी. क्रिस्टोफर
197.	दिलीप सेनापति
198.	दिविज जोशी
199.	दिव्या राज
200.	डॉ. अरुल जॉर्ज स्कारिया और सोहम गोस्वामी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
201.	हर्षित गोयल
202.	हमेश ठाकुर
203.	इंद्र प्रसाद चौरसिया
204.	जयदीप रेड्डी
205.	जतिन चुगलानी
206.	जोएल ए पेरेस
207.	कुमार दीप, आईटीआई परिषद, ग्लोबल मल्टी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व
208.	निर्विन
209.	पी. प्रकाश मारिया लिजू

210.	पी. एस. रविंद्रनाथ
211.	प्रखर मिश्रा और विक्रम सिन्हा
212.	प्रोफेसर श्री डॉ. डॉ. आर. (रोमियो) एफ. कादिर
213.	प्रोफेसर एस. एन. सरबाधिकारी
214.	रजत एम. रांका
215.	रक्षित एस.
216.	रिया सिंह साहनी
217.	रीतिका खेड़ा और अनमोल सोमांची
218.	संजू एस
219.	शशांक शेखर बन्दोपाध्याय
220.	सौरभ चिंटू
221.	श्रेयन सेनगुप्ता
222.	शुभम लंके
223.	सिमरनदीप सिंह
224.	सुभम जैन
225.	सुनील गुप्ता, मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ, यॉट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एलएलपी
226.	उन्नीकृष्णन नायर
227.	उर्मी भट्टाचार्य
228.	उत्कर्ष दण्डवते
229.	वकुल शर्मा
230.	वरुण देशपांडे
231.	विक्रम कृष्ण
232.	विक्की शाह, एडवोकेट
233.	विकास आप्टे
234.	विशाल ठाकुर

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 सबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की प्रथम बैठक 16 जनवरी, 2020 को 1430 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस.अहलुवालिया
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. डॉ. किरिट पी. सोलंकी
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
8. श्री गौरव गोगोई
9. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री अश्वनी वैष्णव
14. श्री जयराम रमेश
15. श्री देरेक ओब्राईन
16. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय - निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	-	सचिव
2.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	-	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
3.	श्री गोपालकृष्णन एस.	-	अपर सचिव
4.	श्री राकेश महेश्वरी	-	वरिष्ठ निदेशक
5.	श्री संजय बहल	-	डीजी, सीईआरटी-इन
2.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता	-	विधि सचिव
2.	श्री राजवीर सिंह वर्मा	-	अपर सचिव
3.	डॉ. पदमिनी सिंह	-	अपर विधि सलाहकार

(विधायी विभाग)

1.	डॉ. रीता वशिष्ठ	-	अपर सचिव
2.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधिक परामर्शदाता

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की प्रथम बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से संक्षिप्त रूप से अवगत कराया अर्थात् वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 की जांच के संबंध में नोडल मंत्रालय अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विचार जानना। तत्पश्चात्, सदस्यों ने प्रो. सौगत राय, संसद सदस्य और सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य के संयुक्त समिति से त्याग-पत्र देने के कारण दो सीटों के रिक्त रहने पर चिंता प्रकट की। सभापति ने उत्तर दिया कि समिति में रिक्तियों को एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना है और इसमें समय लगने की संभावना है। तत्पश्चात्, समिति ने विधेयक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समिति को जानकारी देने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और

विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित किया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 55 (1) और 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकर्षित किया। परिचय के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। सभापति और सदस्यों ने कुछ मुद्दे/बिन्दु उठाए और एमईआईटीवाई तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण/जानकारी मांगी। सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दे निम्नवत् हैं -

- सामानय डाटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) 2016 की सामान्य विशेषताएं और इसका इतिहास, वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 (पीडीपी विधेयक, 2019) तथा जीडीपीआर 2016 के बीच तुलना;
- डाटा संरक्षण के संबंध में न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा के प्रारूप विधेयक एवं पीडीपी विधेयक, 2019 के बीच तुलनात्मक विश्लेषण और न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा के प्रारूप विधेयक और विचाराधीन विधेयक में अंतर का भी उल्लेख करें;
- (एक) व्यवसाय करने को सुगम बनाने (दो) नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र; और (तीन) निवेश पर विधेयक के प्रभाव का ब्यौरा।
- महत्वपूर्ण डाटा और संवेदनशील डाटा के मध्य अंतर; डाटा की श्रेणी को वर्गीकृत करने वाला प्राधिकारी और ऐसे अंतर का आधार;
- गूगल जैसी बड़ी कंपनी का एकाधिकार को नियंत्रित करना और उसका सामना करने के तरीके तथा स्टार्ट-अपस् द्वारा हस्तगत किए जाने वाले तथा उनके पास निक्षेपित आंकड़ों को संरक्षित करने के तरीके;
- लोगों की भाषायी अवरोध संबंधी समस्या का समाधान करना जिससे कि वे विनिर्दिष्ट विभिन्न स्थितियों को स्वीकृति से पहले समझ सके।
- ऊबर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का ब्यौरा तथा व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया;
- निजता की परिभाषा और पीडीपीबी 2019 द्वारा निजता के मौलिक अधिकार का संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा और निजता पर क्या उचित प्रतिबंध है;
- डाटा सिद्धांत के अधिकारों का ब्यौरा और निजता बनाए रखने के लिए पारस्परिक दायित्वों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है;

- बैंकों अथवा अन्य मामध्यमों से भुगतान गेटवे के मामले में देश के बाहर डाटा प्रसंस्करण और निक्षेपण से निपटने के तरीके और क्या भारत सरकार भारत के बाहर सृजित और इस्तेमाल किए गए आंकड़ों के संबंध में नागरिकों का संरक्षक हो सकती है;
- देश में ही डाटा कोष में निक्षेपित डाटा को संरक्षित रखने के संबंध में ब्यौरा है तथा संरक्षण की पूर्ति हेतु भारत की साइबर सुरक्षा की संभावना क्या है; और
- यदि कोई फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा का उल्लंघन करता है तो इस विधेयक में किन समाधानों की पेशकश की जा रही है।

2. एमईआईटीवाई से इन सभी बिंदुओं के लिखित उत्तर देने और समिति की अगली बैठक में सभी संबंधित मुद्दों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आने को कहा गया। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि एक संग्रह पुस्तक तैयार की जाए और माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें बेयर आईटी एक्ट, 2000, सभी संबंधित फैसले, न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा कमीशन रिपोर्ट, न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा द्वारा प्रस्तावित प्रारूप विधेयक, नियम और उद्धरण, जीडीपीआर, वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रारूप से पूर्व लोगो, विशेषज्ञों/हितधारकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश और उच्चतम न्यायालय का आधार पर 26.09.2018 का आदेश सम्मलित हो।

तत्पश्चात् साक्षीगण बैठक से चले गए।
(कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई।)

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

jspdpb/minute/rc-II

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी

समिति वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 18 फरवरी, 2020 को समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध नई, दिल्ली में हुई बैठक का कार्यवाही सारांश|

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 18 फरवरी, 2020 (मंगलवार) को 1430 से 1700 बजे तक समिति कक्ष 'ई'. संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

2. बैठक की कार्य सूची वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त जानकारी दिया जाना था।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस.आहलूवालिया
3. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
4. श्री अजय भट्ट
5. श्री संजय जयसवाल
6. डा. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. डॉ. हिना गावित
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री उदय प्रताप गोगोई
10. श्री मनीष तिवारी
11. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री रितेश पांडे

राज्य सभा

14. श्री भूपेन्द्र यादव
15. श्री सुरेश प्रभु
16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री जयराम रमेश
18. श्री विवेक के तन्खा
19. श्री डेरेक ओ विरन
20. श्री ए. नवनीतकृष्णन
21. प्रो. रामगोपाल यादव
22. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
3.श्री वी. एस. मोहपात्रा	-	संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	–	सचिव
2.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	-	अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
3.	श्री गोपालकृष्णन हंस .	–	अवर सचिव
4.	श्री राकेश माहेश्वरी	–	वरिष्ठ निदेशक
5.	श्री संजय वहल	-	महानिदेशक, सर्ट-इन
6.	श्री विक्रम चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'ग'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव
2. डॉ. पदमिनी सिंह - अपर विधिक सलाहकार

(विधायी कार्य विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ - अपर सचिव
2. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

3. सर्वप्रथम सभापति ने वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और कार्यसूची मद अर्थात इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) अतः आगे जानकारी दिए जाने तथा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 की जांच हेतु प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण लेने को रेखांकित किया। तदुपरांत, सभापति ने दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष लोकसभा के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

4. दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय के पश्चात माननीय सभापति ने सारसंग्रह में पर्याप्त सामग्री के अभाव तथा जिस प्रकार से और जिस प्ररूप में उन्हें सदस्यों के उपयोग के लिए एमईआईटीवाई द्वारा तैयार किया तथा उस पर चिंता व्यक्त की। एमईआईटीवाई के प्रतिनिधियों ने इस चिंता को माना और आश्वासन दिया कि सार-संग्रह (हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी) सभी प्रकार से पूरा पृष्ठ संख्या डालकर और पताकाएं लगाकर सभापति और समिति के उपयोग के लिए अगली बैठक से पूर्व लोक सभा सचिवालय को प्रदान कर दिया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सदस्यवार उत्तर तैयार करे।

5. तत्पश्चात माननीय सभापति ने एमईआईटीवाई के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक और 2019 में लोक सभा में पुरः स्थापित उक्त विधेयक के मसौदे के बारे में समिति को जानकारी दे और यदि न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण द्वारा तैयार वर्ष 2018 के मसौदे तथा लोक सभा में यथा पुरःस्थापित वर्ष

2019 के मसौदे में कोई अंतर हो तो उस पर चर्चा करे | इसके अनुपालन में अपर सचिव, एमईआईटीवाई ने समिति का ध्यान न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण द्वारा तैयार किए गए प्रारूप विधेयक और मंत्रालय द्वारा तैयार पीडीपीबी, 2019 के बीच तुलनात्मक विश्लेषण की ओर आकृष्ट किया। तुलनात्मक विश्लेषण पर विचार विमर्श के दौरान सभापति और सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए तथा प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा और अपनी सिफारिशें दी।

6. विचार विमर्श के दौरान सदस्यों ने विधेयक में अलग खंड को समिलित करने का मुद्दा उठाया जो कि विशेष रूप से कन्सेंट मैनेजर के सृजन, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों तथा संबंधित आवश्यक दिशा- निर्देशों के बारे में है जिनका संबंध जवाबदेही तथा डाटा न्यासी से इसकी स्वतंत्रता से है। इस विषय पर भी विचार किया गया कि विधेयक में उदेशिका विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उल्लिखित 'निजता' 'सुरक्षा की स्थिति' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' को परिभाषित किया जाए और स्वैच्छिक सत्यापन प्रणाली को ना सिर्फ महत्वपूर्ण डाटा न्यासियों बल्कि सभी डाटा न्यासियों के लिए अनिवार्य किया जाए। यदि दोनों डाटा न्यासी और महत्वपूर्ण डाटा न्यासी अलग हैं तो उन्हें अलग प्रतिबंधों के अंतर्गत लाया जाए जिनका उचित वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाएगा। समिति ने यह भी महसूस किया कि पीडीपीबी 2019 में सहमति प्रपत्रों में मानक प्ररूप की रूपरेखा तैयार करने का अभाव है। सहमति देने से पूर्व एक आम व्यक्ति के लिए स्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त और समझने में आसान मानक प्रपत्र तैयार किया जाए इसके अतिरिक्त, देश से बाहर डाटा अंतरित करने की बेहतर समझ के लिए संवेदनशील, महत्वपूर्ण और सामान्यडाटा की तीव्र श्रेणियों के बजाय दो श्रेणियों अर्थात (एक) संवेदनशील और महत्वपूर्ण डाटा और (दो) गैर-व्यक्तिगत डाटा का उपयोग किया जा सकता है।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गये।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गयी है।

तत्पश्चात समिति की कार्यवाही स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक मंगलवार 3 मार्च, 2020 को 1600 बजे से 1730 बजे तक कमरा सं. 62, संसद भवन नई, दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस.आहलूवालिया
4. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ. कीर्तिभाई सोलंकी
9. डॉ. हिना गावित
10. श्री उदय प्रताप सिंह
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री मनीष तिवारी
13. श्रीमती कनिमोझी
14. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
15. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

16. श्री भूपेन्द्र यादव
17. श्री सुरेश प्रभु
18. श्री राजीव चन्द्रशेखर
19. श्री अश्विनी वैश्नव
20. श्री जयराम रमेश
21. श्री डेरेक ओ विरन
22. श्री ए. नवनीतकृष्णन
23. प्रो. रामगोपाल यादव
24. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1.	गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
3.	वी. एस. मोहपात्रा	-	संयुक्त निदेशक
4.	श्री एस. लाल इंगजाऊ	-	अवर सचिव

साक्षीगण

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	-	सचिव
2.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	-	अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
3.	श्री गोपालकृष्णन हंस	-	अवर सचिव
4.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वैज्ञानिक सी .

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधिक कार्य विभाग)

1.	श्री राजवीर सिंह वर्मा	-	अवर सचिव कानूनी.
2.	डॉ. आर.जे.आर कसीभाटला	-	उप सलाहकार

(विधायी कार्य विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ. --- अपर सचिव
2. श्री आई.सी. शर्मा - उप विधायी सलाहकार

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथाविधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में स्वागत किया और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दिए जाने के दौरान विचारार्थ बिन्दुओं को रेखांकित किया। सभापति ने विधेयक की जांच पर समिति द्वारा दर्शाई गयी गहरी रूचि पर संतोष व्यक्त किया । इसके अतिरिक्त एमईआईटीवाई द्वारा भौतिक और डिजिटल दोनों रूप में सदस्यों को प्रदान किए गए सह-संतह का उल्लेख किया गया है। इसके वावजूद, दूसरी बैठक की प्रश्न सूची के उत्तरों की अनुपलब्धता पर सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी सभापति ने दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा निदेश के निदेश सं. 55(1) और 58 की ओर आकृष्ट किया।

3. मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात सचिव एमईआईटीवाई ने आश्वासन दिया कि प्रश्न सूची के उत्तर अगले मंगलवार तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त अवर सचिव एमईआईटीवाई ने वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण द्वारा प्रस्तुत प्रारूप विधेयक और व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 (पीडीपीबी 2019) के बीच तुलनात्मक विश्लेषण का सारांश प्रस्तुत किया I तुलनात्मक विश्लेषण पर विचार विमर्श के दौरान सभापति और सदस्यों ने प्रतिनिधियों से अनेक प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगें तथा अपने सुझाव दिए जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें कतिपय सरकारी एजेंसियों और अन्य डाटा न्यासियों को विधेयक के विभिन्न उपबंधों से छूट देने के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करने का महत्व, डाटा सुरक्षा प्राधिकरण (डीपीए) के सदस्यों के चयन की कार्यविधि उल्लघन के मामले में डीपीए द्वारा डाटा न्यासियों पर लगाई गई शास्तियां, भारतीय डाटा सुरक्षा प्राधिकरण कोष का सृजन, डाटा के अधिकार से किए गए अपराध के मामले में सरकार के लिए समिति संरक्षा की उपलब्धता ,किसी डाटा न्यासी अथवा प्रोसेसर को कोई व्यक्तिगत डाटा एवोविमण्डण्ड/अन्य गैर-व्यक्तिगत डाटा उपलब्ध कराने का निदेश देने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति ,गैर-व्यक्तिगत डाटा को

परिभाषित करने और इस अवधारणा को मोटाडाटा तक विस्तार करने की संभावना का महत्व,पीडीपीवी 2019 की अन्य राष्ट्रों के समान विधानों के साथ तुलना का महत्व सम्मिलित थे।

4. अंत में समिति में प्रतिनिधियों को दो प्रस्तुतियां तैयार करने का निदेश दिया जिनमें एक तो उन राष्ट्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जहां (एक) डाटा सुरक्षा के कोई कानून नहीं है (दो) जहां डाटा सुरक्षा कानून है और उनका सख्ती से पालन किया जाता है और (तीन) जहां डाटा सुरक्षा कानून है और उनका आंशिक रूप से पालन किया जाता है और दूसरी प्रस्तुति पीडीपीबी 2019 और कर संबंधी जवाबदेही के बारे में है। समिति ने पीडीपीबी के यूरोपीय विधान विशेषकर जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2012 (पीडीपीए) द ग्राम विकास विले एक्ट (जीएलवी एक्ट) और कैलिफोर्नियां कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट (सीसीपीए) से भिन्नता के व्यौरे और अमरीका द्वारा स्वंय के लिए समस्त डाटा प्रोटेक्शन कानून को प्रोत्साहित नहीं करने के कारणों के बारे में भी पूछा । समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि अगली बैठकों में वे अपने समक्ष विशेषज्ञों को बुलाएंगे तथा जब एमईआईटीवाई विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग प्रत्येक में से एक अधिकारी बैठक के दौरान उपस्थित होंगे तब हम उनके मतों ओर सुझावों पर विचार करेंगे।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गये।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की प्रति रिकार्ड में रखी गयी है।

वैयक्तिक डाटा सुरक्षा से विधेयक 2019 संबंधी समिति की चौथी बैठक 17 मार्च, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री संजय जायसवाल
7. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री राजीव रंजन सिंह
10. सुश्री महुआ मोइत्रा
11. श्री मनीष तिवारी
12. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
13. श्री भर्तृहरि महताब
14. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

15. श्री भूपेन्द्र यादव
16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री ए. नवनीतकृष्णन
18. प्रो. राम गोपाल यादव
19. डॉ. अमर पटनाईक

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय - निदेशक
3. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक
4. श्री एस. लाल एंग्जाउ न्गाइते - अवर सचिव

साक्षी गण
इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री गोपाल कृष्ण एस.	-	अपर सचिव
2.	श्री विकास चौरिसया	-	वैज्ञानिक 'सी'
3.	श्री पंकज कुमार	-	सीईओ, यूआईडीएआई
4.	डॉ. वाई.एल.पी. राव	-	डीडीजी, " "
5.	श्री प्रणव मोहंती	-	डीडीजी, " "

गृह मंत्रालय

1.	श्री अजय कुमार भल्ला	-	सचिव
2.	श्री नगेन्द्र नाथ सिन्हा	-	सचिव, सीमा प्रबंधन
3.	श्री राम पाल पवार	-	निदेशक, एन.सी.आर.बी.
4.	श्री संजय माथुर	-	संयुक्त निदेशक, " "
5.	श्री अनुज शर्मा	-	संयुक्त सचिव, सीआईएस प्रभाग
6.	श्री एस.के. भल्ला	-	निदेशक, " "

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी कार्य विभाग)

1.	श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता	-	सचिव
2.	श्री राजवीर सिंह वर्मा	-	अपर सचिव
3.	श्री टी. के. मलिक	-	उप. विधायी सलाहकार

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति की चौथी बैठक में संयुक्त समिति के सदस्यों एवं इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) के प्रतिनिधियों जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), और विधि एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी कार्य विभाग के साक्षीगण भी शामिल थे, का स्वागत किया। सभापति ने विधेयक के उद्देश्यों और समिति के प्रयोजन के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराया एवं यूआईडीएआई के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे विधेयक की जांच के संबंध में अपनी चिंताओं, विचारों और सुझावों से अवगत कराएं। इसके अलावा, सभापति ने दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की

कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 55(1) और 58 की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

3. प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात् यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकारी एजेंसी के तौर पर यूआईडीएआई के इतिहास, पृष्ठभूमि और विकास की जानकारी दी एवं विधेयक के प्रारूप पर अपनी चुनौतियों और सुझावों को रखा। बैठक के पहले सत्र में चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों में यूआईडीएआई के महत्वपूर्ण आंकड़ों की विश्वसनीयता का दर्जा प्रदान करने संबंधी क्षेत्र, विधेयक में उल्लिखित ' बायोमेट्रिक्स 'और आधार अधिनियम में उल्लिखित 'कोर बायोमेट्रिक्स ' के अंतर्विरोध से उत्पन्न मुद्दों के समाधान के लिए परामर्शदात्री तंत्र,आधार अधिनियम की धारा 29 जो किसी भी परिस्थिति में कोर बायोमेट्रिक्स को साझा करने का प्रतिरोध करता है और प्रस्तावित विधेयक की धारा जों कंपनियों को डाटा साझा करने की छूट देती है, के बीच अंतर्विरोध, विधेयक में छूट के प्रावधानों को धारा 12 और 36 के अंतर्गत एक साथ लाने की संभाव्यता, कोर बायोमेट्रिक्स डाटा, जो यूआईडीएआई के पास है, को साझा करने से बचने के लिए विशेष खंड को शामिल करना, राज्य की परिभाषा, डाटा संरक्षक और सहमति देने वाले प्रबंधक के रूप में यूआईडीएआई की भूमिका,यूआईडीएआई के संबंध में धारा 56 (प्राधिकारी एवं अन्य नियामकों या प्राधिकारियों के बीच में) की प्रासंगिकता, पदाधिकारियों के बीच में टकराव के मामले में संभावित टकराव और एक विवाचक की आवश्यकता आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं धारा 35 के अधीन सरकारी एजेंसियों को छूट देने वाले विधेयक के प्रावधानों के बीच अस्पष्टता, सरकार द्वारा डाटा उल्लंघन से निपटने के प्रावधान और विशेषकर अशिक्षितों के मामले में बता कर सहमति लेने संबंधी सरोकार आदि शामिल हैं। अंत में समिति ने इच्छा व्यक्त की कि यूआईडीएआई बेहतर समझ और सार्थक चर्चा के लिए खंडवार तुलना प्रस्तुत करें एवं वैयक्तिक डाटा संरक्षक विधेयक तथा आधार अधिनियम में होने वाले टकरावों की सूची बनाए।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए

4. इसी बैठक के दूसरे सत्र के दौरान सभापति ने गृह मंत्रालय के साक्षियों का स्वागत किया एवं विधेयक की जांच के संबंध में अनकी चिंताओं, विचारों और सुझावों को आमंत्रित किया। इसके पश्चात्, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में साक्षियों का ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 55(1) और 58 की ओर आकृष्ट किया।

5. साक्षियों के परिचय के पश्चात् गृह मंत्रालय ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की और सुझाव दिए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें धारा 35 और 38 के अधीन सरकार की शक्तियों को जारी रखना जो कि टेलीग्राफ अधिनियम और आई टी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के समनुरूप है, धारा 35 के अधीन अपराधों की संख्या सीमित करने की आवश्यकता,धारा 35 के अंतर्गत छूट लेने वाली सरकारी एजेंसियों की संख्या को सीमित करना एवं ऐसी उन्मुक्तता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से पुराने तार अधिनियम के उपबंधों के पुनर्निमार्ण की आवश्यकता, उपकरणों के माध्यम से आंकड़ों को अनाधिकृत रूप से एकत्र करने का समाधान किए जाने की आवश्यकता,विभिन्न यंत्रों/उपकरणों और साफ्टवेयर एप्लीकेशनों की साइबर सुरक्षा प्रमाणित करने के लिए एजेंसियों की स्थापना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विनियमन,राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पर विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के कारण उत्पन्न मुद्दे और बंदी शनाख़्त अधिनियम, 1920 में परिणामी संशोधन की आवश्यकता , विभिन्न कंपनियों के आर्थिक हितों पर धारा 91 (2) का दुष्प्रभाव एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा डाटा उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए प्रावधान आदि शामिल हैं।

6. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मंत्रालय दो एजेंसियों के गठन - पहला इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और उपकरणों का प्रमाणन और दूसरा साफ्टवेयर एप्लीकेशन के गठन की संभावना तलाशे, । इसके अलावा, समिति ने इन पहलुओं की बेहतर समझ के लिए विभिन्न प्रकार के उकसावे से जुड़े अपराध, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर होते हैं, के बारे में भी जानना चाहा।

<u>तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।</u>

कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई।

इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवी बैठक 27 जुलाई 2020 को 1430 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष-बी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस. अहलुवालिया
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री मनीश तिवारी
10. श्री भर्तृहारि महताब
11. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

12. श्री भूपेन्द्र यादव
13. श्री सुरेश प्रभु
14. श्री राजीव चन्द्रशेखर
15. श्री अश्वनी वैष्णव
16. श्री जयराम रमेश
17. श्री विवेक के. तन्खा
18. श्री ए. नवनीतकृष्णन
19. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1.	श्री गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
3.	श्री बी. एन. महापात्रा	-	संयुक्त निदेशक
4.	श्री एस. लाल एंग्जाऊ न्गाइते	-	अवर सचिव

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	-	सचिव
2.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	-	अवर सचिव
3.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वरिष्ठ निदेशक
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

यूआईडीएआई

1.	श्री पंकज कुमार	-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	डॉ. वाई.एल.पी. राव	-	उप महानिदेशक
3.	श्री प्रणब मोहंती	-	उप महानिदेशक

गृह मंत्रालय

1.	श्री अजय कुमार भल्ला	-	गृह सचिव
2.	श्री विवेक जोशी	-	भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त
3.	डॉ. गोविंद मोहन	-	अपर सचिव (यूटी)
4.	श्री अनुज शर्मा	-	संयुक्त सचिव (सीआईएस)

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

1. श्री राम फल पवार - निदेशक

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए)

1. श्री वाई.सी. मोदी - महानिदेशक
2. श्री अनिल शुक्ला - महानिरीक्षक
3. श्री नितीश कुमार - महानिरीक्षक

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

1. श्री राकेश अस्थाना - महानिदेशक
2. श्री राजेश नंदन श्रीवास्तव - उप महानिदेशक (प्रचालन)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि और न्याय विभाग

1. श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता - सचिव, विधिक मामले
2. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति की पांचवी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया तथा महामारी से उपजे संकट के बावजूद बैठक में उपस्थित होने के लिए उनकी सराहना की। तत्पश्चात् सदस्यों ने मौखिक साक्ष्य के लिए सरकारी एजेंसियों से बाहर के विशेषज्ञों को बुलाए जाने की आवश्यकता, प्रश्न सूची तैयार करते समय सदस्यों के नाम शामिल करना, बैठक के दौरान संसदीय रिपोर्टरों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली असुविधाओं तथा बैठकों की प्रतिलिपि को सदस्यों के बीच परिचालन जैसी विविध समस्याओं को उठाया।

3. सभापति ने सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान किया तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), गृह मंत्रालय (एमएचए), विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग तथा विधिक मामले विभाग) तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जैसी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो समिति की बैठकों की गोपनीयता से संबंधित है।

4. साक्षियों द्वारा अपना परिचय दिए जाने के बाद निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तथा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) ने विधेयक के विविध उपबंधों के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए तथा उन पर प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगे एवं अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में चर्चा किए गए मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ (एक) एनसीआरबी के कार्यक्षेत्र, यथा, किसी अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, जांच करने तथा अभियोजन को विधेयक के खंड 36(क) के स्थान पर खंड 35 के अंतर्गत, स्थानांतरित किया जाना; (दो) खंड 57 तथा 85 के अंतर्गत कठोर शास्ति के उपबंध, जो सरकारी अधिकारियों को जनहित में अपने कर्तव्य निभाने में बाधक हो सकते हैं; (तीन) आपराधिक न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए संगठित अपराधियों द्वारा खंड 64 (प्रतिकर) का दुरुपयोग तथा विविध सरकारी एजेंसियों पर खंड 96 का अध्यारोहण; (चार) डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) तथा खंड 60 (अनुपालन में असफल होने के लिए शास्ति) के अंतर्गत उपबंधों के कारण न्यायिक निगरानी के बीच अधिकारों के प्रयोग के कारण उत्पन्न हो सकने वाले विवाद; (पांच) व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक, 2019 के अनुरूप बनाने के लिए बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920 में संशोधन के लिए प्रस्ताव; (छः) जनगणना संगठन को विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की संभावना; (सात) खंड 7 (नोटिस की आवश्यकता) तथा जनगणना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के बीच विवाद; (आठ) डाटा सिद्धांत के अधिकारों तथा जनगणना डाटा के तैयार किए जाने के बीच विसम्मति तथा सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकडों को कल्याण योजनाओं के लिए राज्य एजेंसियों के साथ साझा करने में आने वाली कठिनाई; (नौ) खंड 14 (अन्य तर्कसंगत उद्देश्यों के लिए व्यक्गित डाटा प्रॉसेस करना) के अंतर्गत कल्याण केंद्रित योजनाओं के लिए व्यक्तिगत डाटा की प्रॉसेसिंग को शामिल करना तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के लिए छूट; (दस) व्यक्तिगत डाटा को प्रॉसेस करने के उद्देश्यों की सीमा (खंड 5) के संदर्भ में व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक, 2019 तथा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के बीच टकराव; (ग्यारह) नोटिस के उपबंध की आवश्यकता (खंड 7) तथा बच्चे से संबंधित डाटा के लिए माता-पिता की सहमति (खंड 16); (बारह) डाटा सिद्धांत अधिकार तथा जांच करने एवं शास्ति लागू करने के लिए डीपीए की शक्ति; (तेरह) सरकारी एजेंसियों को डीपीए द्वारा विश्वास का स्तर प्रदान किए जाते समय उत्पन्न हो सकने वाली असंगति; (चौदह) निजता के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विविध अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता; (पंद्रह) सभी सरकारी एजेंसियों को एक साथ छूट देने की बजाय विधेयक के उपबंधों की प्रयोज्यता से विशेष वर्गों के नागरिकों तथा सरकारी विभागों के विशिष्ट कार्यों को छूट देने की संभावना; (सोलह) यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि राज्य राष्ट्रीय हित के नाम पर व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग न करें तथा बाहरी निगरानी; (सत्रह) खंड 35 तथा 36 के शामिल किए जाने के पीछे का तर्क तथा निजता के मौलिक अधिकार के साथ इसका संवैधानिकता तथा अंत में (अठारह) छूट के निवेदनों

को रोकने तथा सरकारी एजेंसियों के डाटा संरक्षण प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीकी के अनुरूप बढावा देने की आवश्यकता, शामिल थे।

तत्पश्चात् एनसीआरबी, आरजीआई के कार्यालय तथा यूआईडीएआई के प्रतिनिधि चले गए

5. उसी बैठक के दूसरे सत्र के दौरान सभापति ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के साक्षियों का स्वागत किया तथा विधेयक की जांच के संबंध में उनकी चिंताएं, मत एवं सुझाव व्यक्त करने के लिए कहा। साक्षियों द्वारा अपना परिचय दिए जाने के बाद दोनों संगठनों के महानिदेशकों ने अपनी शंकाएं व्यक्त कीं तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में चर्चा किए गए विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ (एक) महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा को परिभाषित करने वाले विस्तृत मानक की आवश्यकता; (दो) इस विधेयक के ढांचे से मेल न खाने वाली ओवर द टॉप (ओटीटी) सेवाओं पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त उपबंध तैयार करना; (तीन) डाटा स्थानीकरण की आवश्यकता तथा किस प्रकार यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर सकता है; (चार) एनसीबी द्वारा प्रयोग किए गए डाटा के वर्गों के लिए छूट; (पांच) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत एकत्र किए गए डाटा का सत्यापन तथा साझा किया जाना; (छ:) आनुपातिकता सिद्धांत के साथ साथ सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित डाटा एवं एक निगरानी तंत्र की अनिवार्यता; तथा (सात) खंड 35 तथा खंड 36 के अतिव्यापन की समस्या, शामिल थे।

6. अंत में, समिति ने यह निदेश दिया कि सरकारी एजेंसियां समिति द्वारा आगे की जांच के लिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाए बिंदुओं के लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि छूट की आवश्यकता की जांच करने के लिए एनसीबी एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा बार-बार अपराध करने वाले नार्कोटिक्स डीलरों के ब्यौरे का राज्यवार डाटा प्रस्तुत करे।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी स्थायी समिति

संयुक्त समिति के छठी बैठक सोमवार,10 अगस्त, 2020 को 1130 बजे से 1420 बजे तक कमरा सं 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री संजय जायसवाल
7. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री राजीव रंजन सिंह
10. श्री गौरव गोगोई
11. श्री मनीश तिवारी
12. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
13. श्री भर्तृहरि महताब
14 श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

15. श्री सुरेश प्रभु
16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री अश्वनी वैष्णव
18. श्री जयराम रमेश
19. श्री ए. नवनीतकृष्णन
20. श्री राम गोपाल यादव

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय-निदेशक

2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

3. श्री एस. लालंगज़ौ नगाहते - अवर सचिव

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव

2. श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी'

3. श्री विकाश चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

2. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अतिरिक्त विधायी वकील

एलएंडएल पार्टनर्स लॉ ऑफिसिज़

1. पुनीत नागराज - वकील

2. सुश्री वर्षा राव-वकील

3. श्री दैदीप्यमान शुक्ल- वकील

भारत में डाटा संरक्षण प्रोफेशनल्स फाउंडेशन (एफडीपीपीआई)

1. विजयशंकर नागाराजा राव(नावी) - अध्यक्ष

2. समीर माथुर - एसोसिएट

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) और एल एंड एल लॉ पार्टनर्स लॉ ऑफिसीज के प्रतिनिधियों का स्वागत किया ।तत्पश्चात सभापति ने मंत्रालयों और एल एंड एल लॉ पार्टनर्स लॉ ऑफिसीज के प्रतिनिधियों

का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया ।।

3. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात एल एंड एल लॉ पार्टनर्स लॉ ऑफिसीज के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक,2019 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव व्यक्त किये। चर्चा के दौरान सभापति और सदस्यों ने प्रतिनिधियों से अनेक प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे तथा अपने सुझाव दिए। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई

(iएक) खंड 3(8) के अंतर्गत 'बालक' की परिभाषा और वर्तमान परिभाषा से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दे;

(iiदो) प्राप्त की जा रही सेवाओं के आधार पर या सामग्री की परिपक्वता के आधार पर बालक की आयु को परिभाषित करने का दायरा ;

(iiiतीन)विभिन्न मानदंडों के आधार पर विधेयक में बालक के लिए अलग अलग परिभाषाओं से उत्पन्न होने वाले विवाद;

(चारiv)बालकों के आंकड़ों के प्रक्रमण की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयुक्त सहमति प्रबन्धक ढांचा;

(vपांच) किसी बालक की आयु की पुष्टि में कठिनाइयां और माता पिता की सहमति संबंधी ढांचे की आवश्यकता;

(viछह) खंड 16(5) के दायरे में कोई नुकसान पहुंचाए बिना, बालक के डाटा का प्रक्रमण करने की सम्भावना;

(सात) सहमति प्रबन्धक और डाटा विश्वासी की भूमिका का वर्णन करने में स्पष्टता;

(viiiआठ) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा की परिभाषा;

(नौ) सर्च इंजन द्वारा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को साझा करने, अनुचित प्रोफाइलिंग और डाटा के व्यवसायीकरण को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता;

(xदस) जो डाटा स्वामी भारत के सीमा क्षेत्र में नहीं हैं उनके वैयक्तिक डाटा के लिए स्पष्ट छूट पर विचार;

(ग्यारह) विदेशी नागरिकों के अपने राष्ट्रों के कानूनों के साथ-साथ भारत के कानूनों के आधार पर उनके व्यक्तिगत डाटा के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करने की गुंजाइश;

(बारह) दोहरी सुरक्षा के अंतर्गत कई मानकों और अनुपालन नियमो का अनुपालन किये जाने की आवश्यकता की स्थिति में उत्पन्न हो सकने वाली जटिलताएं;

(तेरह) अनेक डाटा संरक्षण मानकों के बीच सामंजस्य लाने की आवश्यकता ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाटा की साझेदारी और संरक्षण को सुविधाजनक बनाया जा सके;

(चौदह) उपयोग की जा रही नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर खंड 26 (1) (ई) के अंतर्गत महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में डाटा विश्वासी का वर्गीकरण और चौथी औद्योगिक क्रांति (या उद्योग 4.0) के कार्यान्वयन के लिए इसके कारण जो चुनौतियां पैदा हो सकती हैं; (पंद्रह) केंद्र सरकार की धारा 37 के अंतर्गत विदेशियों के व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण करने वाले कुछ डाटा प्रक्रमणकर्ताओं को छूट देने की शक्ति, इस प्रकार विदेशी नागरिकों की उनके व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण के संबंध में आशंकाओं का समाधान करना; और

(सोलह) पर्याप्त प्रावधान प्रदान करके भारत में व्यापार को आकर्षित करने की इस विधेयक में गुंजाइश ताकि डाटा हस्तांतरण के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपायों और संरक्षण की गारंटी दी जा सके। अंत में, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि एलएंडएल पार्टनर्स लॉ ऑफिसिज़ चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर सचिवालय को अपने जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं ।

तत्पश्चात् एलएंडएल पार्टनर्स लॉ ऑफिसिज के साक्षी चले गए।

4. इसी बैठक के दूसरे सत्र के दौरान, माननीय सभापति ने फाउंडेशन ऑफ़ डाटा प्रोटेक्शन प्रोफेशनल इन इंडिया (एफडीपीपीआई) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया।

5. परिचय के पश्चात् (एफडीपीपीआई) के प्रतिनिधियों ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया और समिति के समक्ष अपने विचारों और सिफारिशों का प्रस्ताव किया I चर्चा के दौरान सदस्यों ने प्रतिनिधियों से अनेक प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। बैठक में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई

(एकi) भारतीय संविधान की धारा 19(2) के अंतर्गत उपयुक्त प्रतिबंध जैसे कि मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या नैतिकता जो कि वर्तमान विधेयक में खंड 35 में छूट के रूप में वर्णित है (iiदो) साइबर अपराधों को सुलझाने में असामान्य विलंब को रोकने में खंड 35 की क्षमता (iiiतीन) खंड 33(1) के अंतर्गत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को अंतरित करने की पूर्व आवश्यकता के रूप में डाटा संरक्षण प्रभाव आकलन विहित करने की आवश्यकता (ivचार) खंड 3 (36) के अंतर्गत सरकारी पहचान कर्ता, स्वास्थ्य डाटा और वित्तीय डाटा को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा माने जाने का महत्व (vपांच) डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) के गठन और यदि प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के कारण होने वाले संभावित विलंब संबंधी नियम; (छहvi) प्राधिकरण के कार्य में उद्योग से परामर्श कर्ताओं को नियुक्त करने से जो मुद्दे उत्पन्न होने की संभावना है; (viiसात) डीपीए को लचीलापन प्रदान करके इसकी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना; (आठviii) न्याय निर्णयन अधिकारी (खंड 62) की अनुबंध आधार पर नियुक्ति; (ixनौ) मृतकों के मामले में इस विधेयक के उपबन्धों के अनुप्रयोग के संबंध में स्पष्टीकरण; (दसx) पहचान, मुक्ति,छद्म नाम और अनामीकरण के बीच अंतर; (xiग्यारह) यदि कोई डाटा विश्वासी/डाटा प्रक्रमणकर्ता छद्म नामकरण हेतु डाटा को पहचानमुक्त,प्रक्रमण और पुनः पहचानयुक्त करते हैं जो कि कोई तृतीय अभिकरण नहीं है, तो ऐसे डाटा विश्वासी/डाटा प्रक्रमणकर्ता को खंड 82 के कार्य क्षेत्र से बाहर रखना; (xiiबारह) अनामकरण और पुनः-नामकरण के दौरान तथा अपरिवर्तनीयता के मानकों का अनुपालन करने में असफलता के कारण अपराधों से डाटा की सुरक्षा; (xiiiतेरह) डाटा स्थानीयकरण के लिए भारत में डाटा केंद्रों का विकास; (चौदह) जो डाटा रूट सर्वर में संग्रहीत होता है और इंटरनेट गेटवे के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है उसका संरक्षण और 'स्निफिंग अटैक' जैसे हमलों से डाटा चोरी को रोकना; (पंद्रह) सुरक्षित और संरक्षित अनामीकरण प्रक्रिया और उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए इसका लाभकारी उपयोग; (सोलह) अनामीकरण के लिए कड़े मानक निर्धारित करने की आवश्यकता; (सत्रह);

यूरोपीय संघ-अमेरिका गोपनीयता शील्ड द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की पर्याप्तता पर जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ का निर्णय-(अठारह) दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों को शामिल करके भारत द्वारा एक डाटा संघ विकसित करने की गुंजाइश और (उन्नीस) खंड 50 (6) (छ) और खंड 67 (2) में पाई गई टंकण त्रुटियों में सुधार। अंत में, समिति ने इच्छा जताई कि एफडीपीआई विधेयक की व्यापक जांच के लिए सचिवालय को आगे लिखित रूप में अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करे।

तत्पश्चात साक्षी चले गये।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को 1200 बजे से 1500 बजे तक कमरा संख्या- 63, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

10. श्री भूपेंद्र यादव
11. श्री राजीव चन्द्रशेखर
12. श्री जयराम रमेश
13. श्री ए.नवनीतकृष्णन
14. प्रो.रामगोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर सचिव

एसोचैम

1. श्री अजय शर्मा - अपर महासचिव
2. सुश्री सहाना चटर्जी - साझीदार शार्दुल मंगल दास एंड कंपनी
3. श्री वरुण अग्रवाल - निदेशक

डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर

1. सृजन पाल सिंह - सीईओ
2. अनिल गुप्ता - रिसर्च फेलो

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि मंत्रालय और एसोचैम के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात सभापति ने एसोचैम के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया। सभापति ने मंत्रालयों और एसोचैम के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता की ओर आकर्षित किया । विधेयक की जांच के संबंध में अपने विचार रखने से पूर्व मंत्रालयों और एसोचैम के प्रतिनिधियों से समिति को अपना परिचय देने के लिए कहा गया।

4. साक्षियों द्वारा अपना परिचय दिए जाने के पश्चात एसोचैम के प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय शर्मा ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में अपनी चिंताएं प्रकट की। एसोचैम के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया विचार विमर्श के दौरान सभापति और सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न किए और प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगे

और अपने सुझाव दिए बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मुद्दे शामिल हैं :-

(1)वित्तीय डाटा को संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की श्रेणी में शामिल किया जाना (2) विधेयक के उपबंधों के अनुसार वित्तीय डाटा की प्रकृति और संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की श्रेणी में इसे शामिल किए जाने की आवश्यकता। (3) स्थानीयकरण का उपबंध और जीडीपी एवं भारत के डिजिटल सेवा निर्यातों पर इसका संभावित प्रभाव; डाटा के स्थानीयकरण के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतो जैसी एकांतर प्रणालियां; डाटा के स्थानीयकरण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां; (4) संस्करण के लिए स्वीकृति तंत्र और स्वीकृति फिटिंग से बचने की आवश्यकता और साथ ही डाटा का प्रसंस्करण किस प्रकार किया जा रहा है इसके संबंध में डाटा विश्वासी को उत्तरदायी बनाना(5) विधेयक के उपबंधों के अनुसार उचित उद्देश्य के दायरे को बढ़ाना;(6) गैर व्यक्तिगत डाटा को विधेयक के दायरे से हटाना(7) विधेयक के उपबंधों के अनुसार शास्ति खंड; (8) डाटा पोटेबिलिटी के संबंध में inferred डाटा का संकलन और ऐसे डाटा एकत्र करने वाली कंपनियों के आईपी अधिकार;(9) डाटा विश्वासी के विरुद्ध कार्यवाही करने के डाटा स्वामी के अधिकार ;(10) महत्वपूर्ण डांटा विश्वासी श्रेणी का सृजन ;(11)18 वर्ष से कम आयु के डाटा स्वामी के लिए स्वीकृति की आयु ;(12)के द्वारा डाटा का प्रसंस्करण और सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की आवश्यकता;(13) डीपीए के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का अधिकार सौंपना;(14) विद्येयक के कार्यान्वयन के लिए अंतरण की समय सीमा; (15) सरकार से अन्य अभिकरणों द्वारा बायोमैट्रिक डाटा का प्रसंस्करण;(16) विशाल आंकड़ों के शासन के लिए अलग ढांचा; (17) डीपीए के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन ।

तत्पश्चात एसोचैम के साक्षी चले गए।

5. इसी बैठक के दूसरे सत्र में सभापति ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के साक्षियों का स्वागत किया और विधेयक की जांच के संबंध में उनकी चिंताएं, विचार और सुझाव आमंत्रित किए। साक्ष्य द्वारा अपना परिचय दिए जाने के पश्चात प्रतिनिधियों ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की और सुझावों का प्रस्ताव किया। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) सरकार से अभिकरणों जैसे कॉलेज इत्यादि द्वारा बायोमैट्रिक डाटा का प्रसंस्करण और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ऐसे डाटा का पृथक्करण।;

(2)डाटा प्रिंसिपल का व्यक्तिगत डाटा मिटाने का अधिकार यानि भुला दिए जाने का अधिकार और इसके लिए समयबद्ध तंत्र की आवश्यकता।

(3) डाटा की प्रोसेसिंग के लिए एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उचित और पारदर्शी उपयोग;

(4) डाटा के प्रसंस्करण से संबंधित कदाचार और इसे रोकने के लिए एंटीट्रस्ट विनियम;

(5) डाटा स्थानीयकरण का आर्थिक प्रभाव और डाटा स्थानीयकरण से संबंधित मानकों के कार्यान्वयन की समय सीमा;

(6) डाटा स्थानीयकरण के मानकों का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से करने की आवश्यकता;

(7) बड़ी कंपनियों द्वारा डाटा प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं।

तत्पश्चात साक्षी चले गए

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक 20 अगस्त, 2020 को 1100 बजे से 1330 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री संजय जायसवाल
7. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री अरविंद धर्मापुरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन
11. श्री मनीष तिवारी
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

14. श्री भूपेन्द्र यादव
15. श्री सुरेश प्रभु
16. श्री राजीव चन्द्रशेखर
17. श्री अश्विनी वैष्णव
18. श्री जयराम रमेश
19. श्री ए. नवनीतकृष्णन

20. प्रो. राम गोपाल यादव
21. डॉ. अमर पटनाईक

सचिवालय

1.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
2.	श्री बी. एन. महापात्रा	-	संयुक्त निदेशक
3.	श्री एस. लाल एंग्जाउ न्गाइते	-	अवर सचिव

साक्षीणग

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वैज्ञानिक 'जी'
3.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री राजवीर सिंह वर्मा	-	अपर सचिव

विधायी विभाग

1.	श्री आर. श्री निवास	-	अपर विधायी परमाश्दर्ता

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम केंद्र

1.	श्री सृजन पाल सिंह	-	सीईओ
2.	श्री साहिल गुप्ता	-	शोधार्थी
3.	श्री ईश्वर अग्रवाल	-	शोधार्थी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) तथा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम केंद्र के प्रतिनिधियों का समिति की आठवीं बैठक में स्वागत किया तथा चर्चा में भाग लेने के लिए अपनी रूचि

और तत्परता दिखाने के लिए सभी सदस्यों की सराहना की। इसके अतिरिक्त सभापति ने पिछली बैठक के दौरान विशिष्ट मुद्दों पर डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम केंद्र द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। तत्पश्चात सभापति ने प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया।

3. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात् श्री सृजन पाल सिंह, सीईओ, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम केन्द्र ने समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया और वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार/राय रखें। चर्चा के दौरान, सभापति और सदस्यों ने अनेक प्रश्न पूछे तथा प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगे और अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें अन्य बातों के साथ-साथ (एक) वाणिज्यिक निकायों द्वारा डाटा की आभासी बिक्री तथा उससे सम्बंधित धोखाधड़ी (दो) विपणन केन्द्रित कलन तथा नैतिक कलनात्मक प्रक्रिया (तीन) कृत्रिम बुद्धिमता का कार्यक्षेत्र तथा वित्तीय धोखाधड़ी और डाटा चोरी रोकने में साइबर सुरक्षोपाय (चार) वैयक्तिक फोटोग्राफ और वीडियों को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में लिए जाने के निहितार्थ (पांच) व्यावसायिक निकायों की वैयक्तिक डाटा तक उद्देश्यपूर्ण तथा उद्देश्य रहित पहुंच (छह) वैयक्तिक डाटा के नियंत्रण में प्रौद्योगिकी के उपयोगी तथा शोषक स्वाभाव के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता (सात) 49(2)(ण) अर्थात डाटा प्रक्रमण प्राधिकारी को डाटा विश्वासी का मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान करना, को जोड़ने की आवश्यकता (आठ) डाटा स्वायत्तता की समस्या (नौ) रूट सर्वरों के लिए विनियम तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा (दस) स्विफ्ट के एक विकल्प के रूप में क्रिप्टो मुद्रा आधारित रुझान को अपनाने की संभावना (ग्यारह) डाटा निजता तथा डाटा स्थानीयकरण की सुरक्षा संबंधी निहितार्थ (बारह) सूचित सहमति के लिए एक सुरक्षित ढांचे की आवश्यकता (तेरह) कृत्रिम बुद्धिमता की व्यवस्था और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि डाटा भंग को रोकने के लिए डाटा विश्वासी द्वारा पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएं (चौदह) भारतीय की सीमा के बाहर भंडारित डाटा को सुरक्षित और नियंत्रित करने के साधन (पन्द्रह) विचाराधीन विधेयक के प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से

मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य को सशक्त बनाने की आवश्यकता (सोलह) अनुचित व्यावसायिक कार्य-व्यवहार को रोकने के लिए डाटा संरक्षण प्राधिकारी को लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करना (सत्रह) एक सुरक्षित कलन पंजी के रख-रखाव की आवश्यकता।

4. अंत में, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि विधेयक की व्यापक जांच के लिए डॉ. ए. पी. जे. कलाम केंद्र खंडवार सुझाव प्रस्तुत करें ।

तत्पश्चात, साक्षीगण चले गए।

तत्पश्चात, समिति की कार्यवाही स्थगित हुई।

कार्यवाही के शब्दशः रिकार्ड की प्रति रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 9वीं बैठक बुधवार, 26 अगस्त, 2020 को 1130 बजे से 1430 बजे तक कमरा संख्या- 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री भूपेंद्र यादव
11. श्री सुरेश प्रभु
12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री विवेक के. तन्खा
14. प्रो. राम गोपाल यादव
15. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1.	श्री गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
3.	श्री बी. एन. महापात्रा	-	संयुक्त निदेशक
4.	श्री एस. लालेंगजाऊ नगैहते	-	अवर सचिव

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वैज्ञानिक 'जी'
3.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

2.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम)

1.	श्री आशीष अग्रवाल	-	वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख, लोक नीति
2.	सुश्री रमा वेदश्री	-	सीईओ, डीएससीआई
3.	श्री इंद्रजीत सरकार	-	परामर्शदाता
4.	श्री आनंद कृष्णन	-	प्रबंधक लोक नीति, डीएससीआई

2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) तथा नैसकॉम के प्रतिनिधियों का समिति की नौवीं बैठक में स्वागत किया और सभी सदस्यों के उपस्थित होने तथा चर्चा में भाग लेने की सराहना की। इसके अतिरिक्त, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में *लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों* के निदेश 58 की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया।

3. साक्षियों के परिचय के उपरांत, नैसकॉम के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य दिए जाने के संबंध में गोपनीयता की शपथ ली। तत्पश्चात, समिति के समक्ष नैसकॉम द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया और उन्होंने समिति के समक्ष वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,

2019 से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे तथा सिफारिशें की। इसके अलावा, विचार-विमर्श के दौरान, सभापति और सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाएं और प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा तथा अपने विचार सामने रखे। बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ चर्चा में शामिल बिंदु थे- (एक) खंड 3(36) के अंतर्गत 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा' के रूप में आधिकारिक पहचानकर्ता, वित्तीय डाटा, स्वास्थ्य डाटा और बॉयोमीट्रिक डाटा मानने के निहितार्थ; (दो) गैर-वैयक्तिक डाटा से जुड़ी जिम्मेदारी और जोखिम के बारे में अस्पष्टता जब इसकी वैयक्तिक डाटा पर पहचान की जाती है या इसे पुन:पहचाना जाता है: (तीन) आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में नवाचार को पूरा करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ गैर-वैयक्तिक डाटा को एक पृथक कानून के तहत लाए जाने की आवश्यकता; (चार) प्रावधान का संशोधन जो केंद्र सरकार को डाटा प्रक्रमण को भी अनामित अथवा गैर-वैयक्तिक डाटा को साझा करने हेतु निर्देशित करने का अधिकार देता है [खंड 91(2)]; (पांच) खंड 3(29) के तहत 'वैयक्तिक डाटा' को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी जिसमें अब प्रोफाइलिंग के लिए वैयक्तिक डाटा से तैयार किए गए अनुमान शामिल हैं; (छह) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से जुड़ी समस्याएं जब डाटा स्वामी की स्पष्ट सहमति एक आवश्यक मापदंड है जैसा कि खंड 11 के अंतर्गत उल्लिखित है; (सात) ऐसे मुद्दे जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब उसके/उसकी डाटा को प्रक्रमणित करने के लिए हमेशा किसी कर्मचारी की स्पष्ट सहमति मांगी जाए; (आठ) विधेयक में मोटे तौर पर महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा को परिभाषित करने और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जोड़ने की आवश्यकता; (नौ) इस अधिनियम की प्रयोज्यता से कुछ डाटा प्रक्रमणों जो विदेशियों के डाटा का प्रक्रमण कर रहे हैं, को अधिसूचना द्वारा छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति से जुड़ी अनिश्चितता (खंड 37) और जिससे विदेशी संस्थाओं के बीच भारत के साथ व्यापार करने में रुचिगत अभाव पैदा हो सकता है; (दस) विधेयक के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट करने की सिफारिश जो विदेशी डाटा के प्रक्रमण के मामले में प्रयोज्य नहीं हैं; (ग्यारह) डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्वतंत्रता, जवाबदेही, पारदर्शिता और पर्याप्त वित्तपोषण; (बारह) 'महत्वपूर्ण डेटा विश्वासी' के संबंध में स्पष्टता का अभाव और इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने के विरुद्ध संस्थाओं को अपने बचाव हेतु उपलब्ध तंत्र; (तेरह) विधेयक में

वित्तीय संस्थान की परिभाषा; (चौदह) डाटा संरक्षण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के मामले में अस्पष्टता, (पंद्रह) संक्रमण प्रावधानों और क्षेत्रीय प्रयोज्यता के आसपास अनिश्चितता; (सोलह) डिजाइन नीति (खंड 22) द्वारा डाटा विश्वासी हेतु प्रमाणित होने के लिए डिजाइन प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया जाना ताकि गोपनीयता उचित रूप से लागू हो सके; (सत्रह) उन्मूलन के अधिकार का अतिव्याप्तिकरण (खंड 18) और क्षमा किए जाने का अधिकार (खंड 20); (अठारह) बायोमेट्रिक डाटा (खंड 92) के कतिपय रूपों को रोकने हेतु केंद्र सरकार की शक्ति के संबंध में चिंताएं; (उन्नीस) खंड 3(20) के अंतर्गत हानि के उदाहरणों में से एक के रूप में 'रोजगार की हानि' के समाधान हेतु स्पष्टीकरण और रोजगार परिदृश्य में उत्पन्न होने वाली असुविधाएं, (बीस) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के सीमा पार अंतरण और भारत में इसके भंडारण के बारे में अस्पष्टता (खंड 33); (इक्कीस) बच्चे, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, की परिभाषा के संदर्भ में चिंता [खंड 3(8)]; (बाईस) बच्चे की आयु सत्यापन तंत्र खंड [16(2)] के मामले में स्पष्टीकरण जिसे वैयक्तिक और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण के लिए नियोजित किया जाना है; (तेईस) डाटा स्वामी के डाटा सुवाह्यता का अधिकार (खंड 19) का प्रभावी कार्यान्वयन; (चौबीस) वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता जब इसे व्यावसायिक एल्गोरिदम के माध्यम से संसाधित किया जाता है; (पच्चीस) वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को अधिनियमित किया गया, तो भारत में इसी तरह के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अन्य कानूनों जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आदि हेतु इसे आधार कानून के रूप में माना गया; (छब्बीस) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत किए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के मौलिक अधिकार और इससे निकलने वाले निजता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में विचाराधीन विधेयक को पढ़ने की आवश्यकता; (सत्ताईस) एल्गोरिथम प्रक्रिया द्वारा विभिन्न उपकरणों से वैयक्तिक डाटा का गैर-उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाना और विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा सेवाओं का अनुचित रूप से इनकार किया जाना; (अट्ठाइस) खंड 3(36) के अंतर्गत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा जैसे 'आनुवंशिक डाटा', 'जाति या जनजाति', 'उभयलिंगी' प्रास्थिति' आदि से संबंधित विभिन्न अभिव्यक्तियों को

परिभाषित करने की आवश्यकता और, (उनतीस) विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक डाटा को उसकी प्रकृति और उसमें शामिल प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत करना।

4. अंत में, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधेयक की विस्तृत चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में नैसकॉम एक निर्धारित प्रारूप में अपने लिखित उत्तर और सुझाव सचिवालय को प्रेषित करे।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक मंगलवार, 1 सितंबर, 2020 को पूर्वाह्न 1130 बजे से 1150 बजे तक कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री अश्विनी वैष्णव
8. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय - निदेशक
3. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार – अपर सचिव
2. श्री राकेश महेश्वरी – वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया – वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री आर.एस. वर्मा – अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

भारतीय रिजर्व बैंक

1. सुश्री रेखा चंदनावेली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन की सूचना दी। तदुपरांत, संयुक्त सचिव ने उनके निधन पर अपनी तरफ से शोक व्यक्त करने वाला संवेदना संकल्प पारित किया। समिति ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया और उनकी सशक्त भाषण कला तथा बौद्धिक प्रतिभा की प्रशंसा की। माननीय सभापति ने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में श्री प्रणब मुखर्जी के योगदान के बारे में एक वक्तव्य दिया।

3. तत्पश्चात्, समिति के सभी साक्ष्य खड़े हुए तथा एक मिनट का मौन रहा।

4. अंत में, सभापति ने सदस्य को सूचित किया कि सात दिनों के राजकीय शोक के कारण समिति की अगली बैठक 8 और 9 सितंबर, 2020 को होगी।

तत्पश्चात, समिति की बैठक समाप्त हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की प्रति रखी गई।

व्यैक्तिक डाटा सुरक्षा विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक मंगलवार, 8 सितंबर, 2020 को 1430 बजें से 1630 बजे तक कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. डॉ.हिना विजय कुमार गावित
5. श्री मनीष तिवारी
6. श्री भर्तृहारि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेन्द्र यादव
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. प्रो. राम गोपाल यादव
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय - निदेशक
3. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार – अपर सचिव
2. श्री राकेश महेश्वरी – वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया – वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा – अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

भारतीय रिजर्व बैंक

1. श्री अरुण कुमार - क्षेत्रीय निदेशक
2. सुश्री रेखा चन्दानवेली - मुख्य महाप्रबंधक
3. श्री तरुण कुमार सिंह - महाप्रबंधक
4. सुश्री मिनी कुत्तकृष्णन - उप-विधायी सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. इसके बाद सभापति ने भारत के केन्दीय बैंक के रुप में आरबीआई की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताया और उनका मत था कि आरबीआई के विचार विधेयक की जांच में सहायक सिद्ध होंगे। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 55 (1) और 58 की ओर मंत्रालयों तथा आरबीआई के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों और आरबीआई के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे विधेयक की जांच विषय पर अपना विचार रखने से पहले समिति को अपना परिचय दें।

4. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के प्रतिनिधि के रुप में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, नई दिल्ली ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी चिंताओं को रखा। विचारण के दौरान सभापति और सदस्यों ने कई प्रश्न किए और प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगे एवं अपने सुझाव रखे। बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ (एक) आरबीआई के मौद्रिक, नियामक, पर्यवेक्षणीय तथा भुगतान प्रणाली संबंधी कार्य के निर्वहन के प्रयोजन हेतु इसे खंड 36 के अधीन छूट देना (दो) भारत के बहार संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और महत्वपूर्ण निजी डाटा प्रसंस्करण (तीन) आरबीआई अधिनियम, बीआर अधिनियम, पीएसएस अधिनियम और फेमा जैसे नियामक संविधियों का अधिनियम अधिभावी पहुंच से अपवर्जन (चार) विनियामकों द्वारा विनियमित कंपनियों हेतु क्षेत्रीय नियामकों की प्रसंस्करण, भंडारण वैयक्तिक

वैयक्तिक डाटा के वर्गीकरण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति (पांच) वित्तीय आंकड़ों के निजी संवेदनशील आंकड़ों में वर्गीकरण के कारण आरबीआई द्वारा विनियमित कंपनियों को होने वाली संभावित समस्याएं (छह) क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वैयक्तिक आंकड़ों का प्रसंस्करण (सात) फॉरेन डाटा प्रिंसिपल के आंकड़ों का प्रसंस्करण (आठ) आरबीआई द्वारा वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण के लिए नोटिस पर सहमति तंत्र (नौ) रोजगार प्रयोजन के लिए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रसंस्करण (दस) विधेयक के खंड 83 (1) की शर्तों के अधीन अपराध को संज्ञान में लेना (ग्यारह) विनियमित कंपनियों से डाटा मांगते समय नियामकों के दायित्व (बारह) डाटा प्राप्त करने की स्थिति में निकायों एवं ऐसे निकाय जो ऐसे आंकड़ों के संग्राहक हैं, संबंधी सहमति तंत्र (तेरह) वित्तीय डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा में वर्गीकरण आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, नई दिल्ली ने बताया है कि आरबीआई सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न, जो आरबीआई द्वारा दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए हैं, के संबंध में लिखित उत्तर प्रस्तुत करेगा।

5. अंत में समिति ने आरबीआई से कहा कि वह विधेयक पर सुझाव, संदेह और इसके विशिष्ट खंडों पर मांगे गए उपाय को ध्यान में रखकर अपनी जानकारी प्रदान करे। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए आगे जांच के लिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की लिखित जानकारी सचिवालय को दें।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से वापस चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक समाप्त हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक 9 सितंबर, 2020 को 1130 बजे से 1330 बजे तक कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

9. श्री भूपेन्द्र यादव
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. प्रो. राम गोपाल यादव
13. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. श्री गणपति भट्ट - अपर सचिव
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार – अपर सचिव
2. श्री राकेश महेश्वरी – वरिष्ठ निदेशक
3. श्री विकास चौरसिया – वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा – अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

पियर कौंसिल

1. श्री आनंद कुमार - मैनेजिंग पार्टनर

1. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय तथा पियर काउंसिल के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

समिति को पियर कौंसिल का परिचय देते हुए सभापति ने बताया कि उनका मत विधेयक की जांच करने में सहायता प्रदान करेगा। तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालय और पियर कौंसिल के प्रतिनिधियों का ध्यान संसदीय समिति की कार्रवाई की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55(1) तथा 58 की ओर आकृष्ट किया। विधेयक की जांच के संबंध में अपना मत रखने से पहले मंत्रालय और पियर कौंसिल के सदस्यों से अपना परिचय देने को कहा गया।

2. साक्षियों के परिचय के बाद पियर कौंसिल के प्रतिनिधि के रूप में श्री आनंद कुमार ने विधेयक के विविध उपबंधों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने विविध बिंदु उठाए, उन पर प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किए तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गई उनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

(i) विधेयक की धारा 32 तथा 82 के अनुसार व्यक्तिगत डाटा के अनामकरण के संबंध में 'अपरिवर्तनीयता' की अवधारणा तथा परिभाषा।

(ii) ऐसे डाटा सेट जो अनाम नहीं हैं, के साथ अनेक अनाम डाटा सेट का सम्मिलन जिससे व्यक्तिगत डाटा की पहचान हो।

(iii) डाटा स्वामी के लिए बाहर जाने की सुगमता के साथ व्यक्तिगत डाटा के लिए सहमति की प्रणाली।

(iv) व्यक्तिगत डाटा तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के बीच अंतर तथा जनांकिकीय डाटा, पासवर्ड, व्यक्तिगत पसंद तथा मत आदि से संबंधित डाटा को शामिल करने हेतु व्यक्तिगत संवेदनशील डाटा की परिभाषा को विस्तार देने की आवश्यकता।

(v) डाटा के व्यक्तिगत डाटा तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के रूप में वर्गीकरण के लिए नियम/सिद्धांत तथा डाटा के प्रक्रमण के लिए प्रयोज्य सहमति प्रणाली।

(vi) व्यक्तिगत डाटा एवं संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के संबंध में डाटा स्वामी तथा डाटा विश्वासी के लिए अधिकार तथा बाध्यताएं।

(vii) धारा 33 तथा 34 के उपबंधों के अनुसार व्यक्तिगत डाटा, संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा तथा महत्वपूर्ण डाटा सहित डाटा का प्रक्रमण/अंतरण।

(viii) धारा 11(1) तथा 11(2) के अनुसार उनके प्रक्रमण के लिए सहमति प्रणाली के आधार पर व्यक्तिगत डाटा तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के बीच भेद करना।

(ix) व्यक्तिगत डाटा के प्रक्रमण के संबंध में 'उचित और युक्तियुक्त' शब्द को परिभाषित करने की आवश्यकता।

(x) डाटा विश्वासी द्वारा सुस्पष्ट और वैध उद्देश्य की घोषणा जिसके लिए व्यक्तिगत डाटा को एकत्र और प्रक्रमित किया जा रहा है।

(xi) किसी भी डाटा भंग के लिए अधिसूचना के संदर्भ में डाटा विश्वासी तथा डाटा प्रक्रमणकर्ताओं की बाध्यता।

(xii) डाटा विश्वासी तथा डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा सिस्टम टेस्टिंग के दौरान डाटा भंग को रिपोर्ट करने की बाध्यता।

(xiii) खंड 25(1) से 'अपहानि होने की संभावना' शब्द को हटाना।

(xiv) खंड 40 के अनुसार सैंडबॉक्स तथा उसके विनियमन के लिए विनियम का सृजन तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव।

(xv) नवीन के साथ-साथ सुस्थापित प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए सैंडबॉक्स के सृजन से संबंधित खंड 40 के दायरे को विस्तार देना।

(xvi) व्यक्तिगत डाटा की बिक्री से इनकार करने के डाटा स्वामी के अधिकार को शामिल करना।

3. अंत में सभापति ने सभी सदस्यों, साक्षियों तथा सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से वापस चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक समाप्त हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 13वीं बैठक गुरूवार, 15 अक्टूबर, 2020 को 1500 बजे से 1715 बजे तक कमरा संख्या- 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री जयराम रमेश
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

3.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

2.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

ट्राईलीगल

1.	श्री राहुल मथन	-	साझेदार

2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों तथा ट्राईलीगल के भागीदार श्री राहुल मथन का स्वागत किया।

3. सभापति ने ट्राईलीगल के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी की। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और ट्राईलीगल के प्रतिनिधि का ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो समिति की की बैठकों की गोपनीयता से सम्बंधित है।

4. साक्षियों द्वारा अपना परिचय दिए जाने के बाद ट्राईलीगल के भागीदार श्री राहुल मथन ने शपथ लिया और विधेयक से संबंधित चिंताएं/सुझाव, जिनमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल थे, व्यक्त किए:-

(एक) अनामकरण की अवधारणा (दो) आयु के सत्यापन की प्रणाली के साथ बच्चों का डाटा तथा ऐसे डाटा के प्रक्रमण के लिए विनियम (तीन) डाटा भंग के मामलों के लिए

विनियम (चार) ऐसे अंतरण के संबंध में अन्य देशों में, जीडीपीआर सहित, सीमा-पार डाटा अंतरण तथा विधान (पांच) निगरानी से सम्बंधित उपबंध (छह) गैर-वैयक्तिक डाटा (सात) अपहानि की परिभाषा (आठ) संक्रमण की अवधि, (नौ) जीडीपीआर तथा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक के खंड 34 के बीच 'पर्याप्तता उपबंध' की सीमा पार डाटा अंतरण के संबंध में तुलना (दस) नोटिस की बाध्यता।

5. सभापति तथा सदस्यों ने निम्नलिखित के संबंध में विविध बिंदु उठाए और उन पर श्री राहुल मथन से अन्य बातों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा:-
(एक) सहमति की प्रणाली (दो) डाटा के आधिपत्य के संबंध में डाटा का कूटकरण और अकूटकरण (तीन) क्षमा किए जाने का अधिकार (चार) अपहानि से बचने के लिए उत्तरदेयता ढांचा (पांच) डाटा स्थानीयकरण तथा अन्य अधिकार क्षेत्रों में इसके निहितार्थ (छह) कलन का अपक्षपातीकरण (सात) अन्य अधिकार क्षेत्रों में डाटा संरक्षण कानूनों के लागू होने के कारण लागत वृद्धि (आठ) कलनात्मक प्रक्रमण के माध्यम से वैयक्तिकृत सेवाओं का लाभ (नौ) उन व्यक्तियों का सांविधिक सत्यापन जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का हिस्सा है (दस) विधेयक के कतिपय उपबंधों से राज्य को छूट (ग्यारह) इंटरनेट 'अपवादीकरण' की अवधारणा।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 14वीं बैठक शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2020 को 1100 बजे से 1430 बजे तक कमरा संख्या- 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री सुरेश प्रभु
11. श्री जयराम रमेश
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस)

1. श्री अग्निदीप्तो तरफदार - सहायक प्राध्यापक

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) तथा वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस), कोलकाता के बारे में जानकारी दी। उसके बाद, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में मंत्रालयों और एनयूजेएस के प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, श्री अग्निदीप्त तरफदार, सहायक प्राध्यापक ने गोपनीयता की शपथ ली तथा एनयूजेएस, कोलकाता के प्रतिनिधि के रूप में इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की। श्री अग्निदीप्तो तरफदार ने समिति के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए प्रस्तुतीकरण दिया:-

(एक) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लिए गए निर्णय के पीछे तर्क, अर्थ और व्याख्या के संबंध में व्याख्या का अधिकार (दो) क्षमा किए जाने का अधिकार और इसका तंत्र (तीन) सहमति वापस लेने का वैध कारण (चार) निगरानी (सर्विलांस) को परिभाषित किए जाने

की आवश्यकता (पांच) अनामी वैयक्तिक डाटा (छह) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को अधिसूचित किए जाने की शक्ति (सात) सहमति प्रबंधक (आठ) डिजिटल साक्षरता।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने विविध मुद्दे उठाए और एनयूजेएस के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा तथा उनके सुझावों को आगे रखा। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दु शामिल थे:-

(एक) डाटा स्वामी के अधिकार विशेष रूप से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण हेतु निर्णय के संबंध में व्याख्या का अधिकार (दो) क्षमा किए जाने का अधिकार के संबंध में प्रक्रिया में संशोधन (तीन) विश्वासी कर्तव्यों के माध्यम से जवाबदेही मजबूत करना (चार) निगरानी की परिभाषा (पांच) 'सहमति प्रबंधक' की स्वतंत्रता (छह) सैंडबॉक्स विनियमन को सशक्त करना (सात) भविष्य के लिए डिजिटल साक्षरता रोडमैप।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 15वीं बैठक गुरुवार , 22 अक्टूबर , 2020 को 1500 बजे से 1645 बजे तक कमरा सं- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री अजय भट्ट
3. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री राजीव चंद्रशेखर
8. श्री विवेक के.तन्खा
9. प्रो. राम गोपाल यादव
10. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी काउंसेल

फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्यूरिटी (एफआईएनएस)

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय(विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) और फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्यूरिटी (एफआईएनएस) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया ।

3. इसके बाद सभापति ने फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्यूरिटी (एफआईएनएस) के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया । इसके बाद सभापति ने मंत्रालयों और एफआईएनएस के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति कार्यवाही की गोपनीयता से सम्बंधित अध्यक्ष ,लोक सभा द्वारा निर्देशों के निर्देश 55 और 58 की और आकर्षित किया।

4. साक्षियों द्वारा परिचय के बाद, एफआईएनएस के प्रतिनिधियों ने शपथ ली और समिति के समक्ष अपनी चिंताओं/ सुझावों के संबंध में अन्य बातों के साथ साथ निम्नांकित उपबंधों पर अपनी प्रस्तुति दी;

(i) बालक की परिभाषा (ii) संवेदी निजी डाटा के रूप में निर्दिष्ट किये जाने वाले वितीय डाटा की श्रेणियां (iii) संवेदी निजी डाटा के कार्यक्षेत्र का विस्तार (iv) निजी डाटा को रखने हेतु समय सीमा का निर्धारण (v) सहमति तंत्र (vi) खंड 14 (2) के अंतर्गत तर्कसंगत प्रयोजनों के रूप में सर्च इंजनों के ऑपरेशन को शामिल करना।

5. चर्चा के दौरान, सभापति और सदस्यों ने एफआईएनएस के प्रतिनिधियों से अनेक प्रशन किये और अन्य बातों के साथ साथ निम्नांकित पर लिखित में स्पष्टीकरण मांगे;
(i)डाटा स्थानीयकरण (ii) डाटा स्वामी अधिकार के सरंक्षण हेतु अपीलीय तंत्र (iii) डाटा स्वामी के अधिकारों को लागू करना (iv) डाटा के संबंध में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण(ट्राई) की भूमिका और उतरदायित्व (v) डाटा सरंक्षण के क्षेत्र में ट्राई को विनियामक निकाय के रूप में शामिल करना (vi) विधेयक के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं (vii) विधेयक के खंड 14 (2) के अंतर्गत सर्च इंजनों द्वारा डाटा प्रसंस्करण (viii) सहमति तंत्र और विदेशी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनियों द्वारा डाटा का दुरूपयोग (ix) डाटा स्वामी के निजी अधिकारों को सरंक्षित रखने में राज्य की शक्ति और भूमिका

(x) डाटा स्वामी के निजी अधिकारों के सम्बन्ध में कार्यकारी की न्याययिक समीक्षा (xi) व्यक्तिगत हितों की तुलना में सार्वजनिक हित।

तत्पश्चात साक्षी चले गए।

कार्यवाही की शब्दश:प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक 23 अक्टूबर 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कक्ष संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री भर्तृहारि महताब

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री जयराम रमेश
9. श्री विवेक के. तन्खा
10. प्रो. राम गोपाल यादव
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	-	अवर सचिव
2.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वैज्ञानिक 'जी'
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फेसबुक)

1.	सुश्री अंखी दास	-	पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर
2.	श्री भैरव आचार्य	-	पब्लिक पॉलिसी मैनेजर, भारत और दक्षिण एशिया

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फेसबुक) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् सभापति ने फेसबुक और भारत में उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या वाली सोशल मीडिया के क्षेत्र की बड़ी कम्पनी के रूप में इसकी स्थिति के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दिया । तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालयों और फेसबुक के प्रतिनिधियों का ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो समिति की बैठकों की गोपनीयता से संबंधित हैं।

4. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात् फेसबुक के प्रतिनिधियों ने शपथ ली तथा विधेयक के विविध उपबंधों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। विधेयक का स्वागत करते हुए फेसबुक के प्रतिनिधियों ने निजता बनाम ऑनलाइन पहुंच, विधेयक में सहमति की प्रणाली, सीमा पार डाटा प्रवाह(क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो) तथा सोशल मीडिया मध्यवर्ती के डाटा विश्वासी की परिभाषा के अंतर्गत पृथक श्रेणी की कंपनियों के रूप में समावेशन से संबंधित अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। मोटे तौर पर जिन मामलों पर समिति के साथ चर्चा की गई उनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल थे:

(एक) गैर-वैयक्तिक डाटा का विनियमन (दो) विधेयक में इन्फर्ड डाटा से संबंधित उपबन्ध (तीन) कंसेंट आर्किटेक्चर तथा कंसेंट फैटिग (चार) बच्चों के लिए सहमति हेतु आयु (पांच) अलग श्रेणी के मध्यवर्ती के रूप में सामाजिक माध्यम मध्यवर्ती (छः) सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा स्व-विनियमन तथा उपयोगकर्ता पहचान का सत्यापन (सात) सुरक्षा एजेंसियों के साथ डाटा साझा करना।

5. विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने फेसबुक के प्रतिनिधियों के समक्ष अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मुद्दे उठाए तथा स्पष्टीकरण मांगे:

(एक) डाटा स्थानीयकरण (दो) लक्षित विज्ञापन (तीन) अल्गोरिथम के सृजन के डाटा की प्रोफाइलिंग (चार) वैयक्तिक डाटा के विषय में डाटा विश्वासी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष (पांच) एक ही पैरेंट कंपनी की सोशल मीडिया कंपनियों के बीच डाटा का साझा किया जाना (छः) वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डाटा के लिए अलग-अलग विनियामक तथा विधान (सात) डाटा प्रक्रमण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग।

फेसबुक इंडिया प्रा. लि. के प्रतिनिधियों को समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों/व्यक्त किये गये सरोकारों के उत्तर देते हुए अपनी कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 17वीं बैठक 28 अक्टूबर 2020 को 1100 बजे से 1320 बजे तक कमरा संख्या -53, संसद भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री जयराम रमेश
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	-	अवर सचिव
2.	श्री राकेश माहेश्वरी	-	वैज्ञानिक 'जी'
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

2.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

ट्विटर इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ट्विटर)

1.	सुश्री शगुफ्ता कामरान	-	सीनियर मैनेजर, पब्लिक पॉलिसी
2.	सुश्री आयुषी कपूर	-	विधिक सलाहकार
3.	सुश्री पल्लवी वालिया	-	पॉलिसी कम्यूनिकेशन
4.	श्री मनविंदर बाली	-	कॉरपोरेट सुरक्षा

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा ट्विटर के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् सभापति ने ट्विटर और सोशल मीडिया के क्षेत्र में माइक्रो ब्लोगिंग के रूप में इसकी अग्रणी स्थिति पर संक्षेप में वक्तव्य दिया। तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालय और ट्विटर के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की बैठकों की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो हैं।

4. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात् ट्विटर के प्रतिनिधियों ने शपथ ली तथा समिति ने विधेयक के विविध उपबंधों कें संबंध में ट्विटर द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर विचार-विमर्श आरंभ किया। बैठक में जिन मामलों पर चर्चा की गई उनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल थे:

(एक) विधेयक के उपबंधों के अनुसार 'बालक' की आयु में कमी करना (दो) विधेयक की सहमति प्रणाली में संयोजन (तीन) डाटा कलन(एल्गोरिथम) तथा उन डाटा कलनों को सृजित किए जाने के लिए वैयक्तिक डाटा का उपयोग (चार) डाटा स्वामी का क्षमा किये जाने (भुला दिए जाने) का अधिकार (पांच) ऐसे डाटा, जिसे प्रोफाइल कर दिया गया है, सहित डाटा को किसी अन्य डाटा विश्वासी को हस्तांतरित करने का डाटा स्वामी का अधिकार (छः) कलन के सृजन के लिए डाटा की प्रोफाइलिंग (सात) वैयक्तिक डाटा के विषय में डाटा विश्वासी द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष (आठ) एक ही पैरेंट कंपनी की सोशल मीडिया कंपनियों के मध्य डाटा की साझेदारी (नौ) सहमति प्रबंधकों की भूमिका (दस) विधेयक की धारा 15 के अंतर्गत डाटा श्रेणियों को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा की सूची में जोड़ा जाना (ग्यारह) डाटा विश्वासी द्वारा लेखा परीक्षा।

5. विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने ट्विटर पर भारत के मानचित्र के गलत निरूपण पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। ट्विटर के प्रतिनिधयों ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। सभापति तथा सदस्यों ने अनेक मामले उठाए तथा निम्नलिखित के संबंध में प्रतिनिधियों से उत्तर मांगे:

(एक) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के संबंध में उपबंध (दो) सामाजिक माध्यम प्लेटफार्मों के उपयोगर्ताओं को उनकी पहचान सत्यापित करने का विकल्प देना (तीन) ट्विटर आइएनसी. पर भारतीय कानून की प्रयोज्यता (चार) ट्विटर के डाटा भंग तथा उस सबंध में ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई।

ट्विटर के प्रतिनिधियों ने समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों/समस्याओं पर स्पष्टीकरण दिए तथा उनसे समिति के सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों पर उनकी कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र के रूप में लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात साक्षीगण चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 18वीं बैठक बुधवार, 28 अक्टूबर, 2020 को 1500 बजे से 1850 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री जयराम रमेश
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

4.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

3.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

अमेजन इंडिया

1.	श्री चेतन कृष्णास्वामी	-	उपाध्यक्ष, अमेजन इंडिया
2.	श्री राकेश बक्शी	-	उपाध्यक्ष, अमेजन इंडिया
3.	सुश्री भावना सांगवान	-	वरिष्ठ परामर्शदाता, अमेजन इंडिया

अमेजन वेब सर्विसेज

1.	सुश्री योलिंड लोबो	-	प्रमुख, लोक नीति- भारत और सार्क अमेजन वेब सर्विसेज
2.	सुश्री उथारा गनेश	-	लीड, लोक नीति

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) तथा अमेजन इंडिया के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, सभापति ने अमेजन इंडिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और अमेजन इंडिया के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, अमेजन इंडिया के प्रतिनिधियों ने गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने अमेजन इंडिया का संक्षिप्त प्रोफाइल प्रस्तुत किया तथा बताया कि वे किस तरह से अपने ग्राहकों के वैयक्तिक डाटा का उपयोग करते हैं। अमेजन के प्रतिनिधियों ने अधिनियम के उद्देश्य और मूल अधिनियम की आवश्यकता के साथ-साथ अधिनियम की संगतता, विधेयक की अंतर-प्रचालनीयता, दायित्वों की आनुपातिकता के संबंध में वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर अपने विचार प्रकट किए।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने कई मुद्दे उठाएं तथा अमेजन इंडिया के प्रतिनिधियों से निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा:-

(एक) वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का अन्य कानूनों के साथ तालमेल बिठाना, (दो) विधेयक के प्रावधानों के संबंध में व्यवसाय सुगमता पर प्रभाव और वैयक्तिक डाटा के संरक्षण में प्रचालानात्मक बाधाएं और समस्याएं, (तीन) डाटा उपयोगकर्ता की प्रोफाइलिंग, (चार) डाटा विश्वासी और अन्य इकाइयों जिन्हें डाटा अंतरित किया जाना हैं, के प्राथमिक डाटा विश्वासी से उत्पन्न दायित्वों के मध्य वैयक्तिक डाटा साझा करना, (पांच) गैर-वैयक्तिक डाटा के संबंध में अधिनियम का दायरा, (छह) डाटा पोर्टेबिलिटी आवश्यकता, (सात) डाटा स्थानीयकरण, (आठ) वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा में वर्गीकरण।

6. अमेजन इंडिया के प्रतिनिधिओं ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/चिंताओं के संबंध में अमेजन इंडिया के प्रतिनिधियों से एक शपथपत्र (एफिडेविट) जिसपर कंपनी के उच्च प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, के माध्यम से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात्, अमेजन इंडिया के प्रतिनिधि बैठक से चले गए।

7. तत्पश्चात, अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य हेतु बुलाया गया। सभापति ने अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अमेजन वेब सीरीज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यक्तियों, कम्पनियों और सरकारों को ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और एपीआई प्रदान करने वाले सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। उसके बाद, सभापति ने मंत्रालय और अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया।

8. साक्षियों के परिचय के उपरांत, अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों ने गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने अमेजन वेब सीरीज का संक्षिप्त प्रोफाइल प्रस्तुत करने के साथ-साथ यह बताया कि वे सेवाएं प्रदान करते समय किस तरह से डाटा

को नियंत्रित करते हैं। अपने प्रस्तुतीकरण में, विधेयक का स्वागत करते हुए, उन्होंने विधेयक के निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में अपनी चिंताएं प्रकट की:-

(एक) गैर-वैयक्तिक डाटा को अनिवार्य रूप से साझा करने से सम्बंधित प्रावधान (खंड 91), (दो) खंड 14 के अंतर्गत तर्कसंगत उद्देश्यों का दायरा, (तीन) मुआवजे का दावा करने हेतु निजी अधिकार तथा खंड 64 के दायरे से डाटा प्रक्रमणों को बाहर रखने की आवश्यकता, (चार) डीपीए और केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, (पांच) सीमा-पार डाटा अंतरण पर प्रतिषेध और डाटा स्थानीयकरण मानक।

9. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाएं तथा अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों से निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा:-

(एक) अनामित वैयक्तिक डाटा और अन्य गैर-वैयक्तिक डाटा को सरकार से साझा करने से संबंधित खंड 91, (दो) अनामित डाटा की पुन: पहचान की संभावना, (तीन) गैर-वैयक्तिक डाटा को साझा करने के मामले में डाटा विश्वासियों के आईपी अधिकारों की सुरक्षा, (चार) अनुबंध के वैधानिक हित और निष्पादन को शामिल करने हेतु खंड 14 के अंतर्गत वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के आधार का विस्तार, (पांच) शास्तियों और मुआवजे से संबंधित प्रावधान, (छह) वैयक्तिक डाटा की परिभाषा और परिभाषा के दायरे का विस्तार करने हेतु केंद्र सरकार की शक्ति, (सात) डाटा भंग के मामले में डाटा प्रक्रमणों के साथ-साथ डाटा विश्वासी की जवाबदेही।

10. अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधिओं ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। अमेजन वेब सीरीज के प्रतिनिधियों से समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/चिंताओं के संबंध में एक शपथपत्र (एफिडेविट) जिसपर कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, के माध्यम से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात्, अमेजन इंडिया के प्रतिनिधि बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक गुरूवार, 29 अक्टूबर, 2020 को 1100 बजे से 1320 बजे तक कमरा संख्या-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. सुश्री महुआ मोइत्रा
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी काउंसेल

वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम)

1. श्री नरेन्द्र सिंह यादव - उपाध्यक्ष
2. धर्मेन्द्र झाम्ब - उपाध्यक्ष

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) तथा वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने देश में डिजिटल भुगतान तंत्र में हो रहे बदलावों तथा पेटीएम के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और पेटीएम के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया। मंत्रालय और पेटीएम के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष विधेयक की जांच के संबंध में अपने मत रखने से पहले अपना परिचय देने को कहा गया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, श्री नरेन्द्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष, पेटीएम ने गोपनीयता की शपथ ली तथा विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की। पेटीएम के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए प्रस्तुतीकरण दिया:-

(i) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा की परिभाषा, (ii) भारत के बाहर संवेदनशील डाटा के अंतरण की शर्तें, (iii) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का भंडारण, (iv) संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा, (v) वित्तीय डाटा की परिभाषा ।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने विविध मुद्दे उठाए और पेटीएम के प्रतिनिधियों से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा:-

(i) अनुज्ञा तंत्र का सरलीकरण, (ii) डाटा के आधिपत्य के संबंध में डाटा कूटकरण और अ-कूटकरण (इन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन), (iii) क्षमा किए जाने का अधिकार, (iv) डाटा साझाकरण, (v) डाटा गोपनीयता, (vi) अन्य क्षेत्रों में डाटा स्थानीयकरण । समिति ने पेटीएम के प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया ।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 20वीं बैठक गुरूवार, 29 अक्तूबर, 2020 को 1500 बजे से 1715 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. सुश्री महुआ मोइत्रा
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

5. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

4. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

गूगल इंडिया (गूगल)

1. श्री अमन जैन - प्रमुख, सरकारी मामले
2. सुश्री गीतांजलि दुग्गल - निदेशक, विधि
3. श्री राहुल जैन - प्रबंधक, सरकारी मामले

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) तथा गूगल इंडिया (गूगल) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने गूगल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में एक बड़ी कंपनी है। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और गूगल के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, गूगल के प्रतिनिधियों ने गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में, विधेयक का स्वागत करते हुए, प्रतिनिधियों ने गूगल का संक्षिप्त प्रोफाइल प्रस्तुत किया और गूगल द्वारा पालन किए जा रहे गोपनीयता के सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने विधेयक के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी रेखांकित किया:-

(एक) गूगल की गोपनीयता और सुरक्षा सिद्धांत, (दो) खंड 14 के अंतर्गत प्रक्रमण के आधार, (तीन) खंड 16 के अंतर्गत बच्चों के वैयक्तिक डाटा के संबंध में प्रावधान, (चार) अनुपालन दायित्व और डीपीए के कृत्य, (पांच) सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा पहचान

पुष्टि, (छह) डाटा स्थानीयकरण और सीमा-पार डाटा प्रवाह, (सात) गैर-वैयक्तिक डाटा, (आठ) समयबद्ध कार्यान्वयन।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने विविध मुद्दे उठाए और अन्य बातों के साथ-साथ गूगल इंडिया से निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा:-
(एक) गूगल के विरुद्ध यू.एस. और विश्व के अन्य देशों में भी चल रहीं जांच, (दो) अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु गूगल द्वारा संग्रहीत किए जा रहे डाटा के प्रकार, (तीन) एंड्राइड प्लेटफार्म के मालिक के रूप में गूगल और एंड्राइड इस्तेमाल करने वाले ओईएम के मध्य डाटा का साझाकरण, (चार) गूगल के सुरक्षा प्रावधान और डाटा भंग की परिस्थितियां, (पांच) गूगल की निजता नीति, (छह) गूगल की संगठनात्मक संरचना और भारत में उपयोगर्ताओं की संख्या सहित बाजार हिस्सा, (सात) गूगल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एआई सिस्टम्स के कृत्य, (आठ) खंड 14 के अंतर्गत उचित उद्देश्य हेतु सर्च इंजन के प्रचालन को हटाना, (नौ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहचान का सत्यापन, (दस) वर्तमान विधेयक के दायरे से गैर-वैयक्तिक डाटा को बाहर रखना, (ग्यारह) सहमति की अवधारणा, (बारह) प्लेस्टोर से एप्स को हटाना।

गूगल के प्रतिनिधिओं ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और उनसे सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में एक शपथपत्र (एफिडेविट) जिसपर कंपनी के उच्च प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, के माध्यम से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया।

इसके बाद, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019

संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 21वीं और 22वीं बैठक बुधवार, 4 नवम्बर 2020 को 11 बजे से 13.10 बजे तक कमरा सं0- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्री भतृहरि महताब

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री अश्विनी वैष्णव
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के0 तन्खा
11. प्रो0 राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ0 रामराज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्टपत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ0 राजेन्द्र कुमार	-	-------सचिव
2.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
3.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1.	महेन्द्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड और जिओ प्लेटफार्मस लिमिटेड

1.	श्री प्रमोद मित्तल	-	प्रेसिडेन्ट
2.	श्री रवि गांधी	-	प्रेसिडेन्ट

2. प्रारंभ में सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग तथा विधायी विभाग), जियो प्लेटफार्मस लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (जेआईओ) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया ।

3. इसके बाद सभापति ने जियो प्लेटफार्मस के बारे में एक संक्षिप्त व्यक्तव्य दिया जो उसके भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में एक बड़ी कंपनी के रूप में होने के बारे में था। इसके बाद सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निदेश 55और 58 की तरफ मंत्रालय के प्रतिनिधियों और जियो के प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया।

4. साक्षीगणों द्वारा परिचय देने के बाद जियो के प्रतिनिधियों ने शपथ ली और समिति को बताया कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमि0 एक जियो प्लेटफार्म लिमि0 की शत-प्रतिशत सहायक कंपनी है। इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए समिति ने दोनों कंपनियों का मौखिक साक्ष्य एक ही बैठक में लेने का निर्णय लिया।

5. इसके बाद जियो प्लेटफॉर्मस लिमि0 के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में विधेयक का स्वागत करते हुए प्रतिनिधियों ने जियो का संक्षिप्त प्रोफाईल बताया जिसमें डाटा सुरक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण, ग्राहक डाटा संरक्षण पर विचार, डाटा निजता सिद्धांत और डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क भी सम्मिलित थे। उन्होंने विधेयक के बारे में प्रमुख आदानों पर बल दिया जिसमें यह भी सम्मिलित थे :-

(एक) भारतीयों के लिए डाटा स्थानीयकरण के लाभ (दो) डाटा प्रचालनीयता उपबंधों की परिधि से इन्फर्ड डाटा को बाहर रखना (तीन) डिजाइन पालिसी द्वारा .....। (चार) डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन (पांच) विदेशी डाटा विश्वासी जो महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी नहीं हैं (छ) 'सैंडबॉक्स' संबंधी विनियम (सात) शास्तियां (आठ) अपराधों से संबंधित उपबंधों में छूट।

5. विचार विमर्श के बाद सभापति और सदस्यों के अनेक प्रश्न किये और जियों के प्रतिनिधियों से निम्नलिखित पर भी स्पष्टीकरण पूछे :-

(एक) खंड 14 के अंतर्गत युक्तियुक्त उद्देश्य और इसकी सेवाएं प्रदान करने में डाटा विश्वासी पर प्रभाव (दो) खंड 40 के अंतर्गत चयन समिति की भूमिका और संरचना (तीन) व्हिसल ब्लेविंग' और संतुलित पारदर्शिता और निजता अधिकारों की आवश्यकता (चार) डाटा के संबंध में जियो और अन्य कारोबार के बीच सहयोग (पांच) डिजायन पॉलिसी द्वारा निजता और कारोबार के आई0पी0 अधिकारों की रक्षा (छह) डाटा को मिनिमाइज करना (सात) जियो की सुरक्षा नीति और डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क (आठ) डाटा उल्लंघन का प्रबंधन (नौ) 5 जी शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास (दस) जियो की निजता नीति तथा वह उद्देश्य जिसके लिए जियो द्वारा विभिन्न प्रकार के डाटा एकत्रित किए जाते हैं (ग्यारह) डाटा स्वामित्व की अवधारणा।

6. समिति ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से खंड 40 के अधीन सैंडबाक्स उपबंध के बारे में टिप्पणी करने को कहा।

7. जियो के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों के स्पष्टीकरण दिए। जियो के प्रतिनिधियों से सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर शपथ पत्र के रूप में देने को कहा गया जिस पर कंपनी के सर्वोच्च प्राधिकारी के हस्ताक्षर हों।

इसके बाद साक्षीगण चले गए।

कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड के लिए रखी गयी।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की बैठक गुरूवार, 5 नवंबर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. श्री मनीश तिवारी
4. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
5. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री अश्वनी वैष्णव
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

6. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओएलए)

1. श्री पुनीत भिरानी - प्रमुख समूह संचालन अधिकारी
2. श्री गौरव पोरवाल - ग्रुप जनरल काउंसल
3. श्री नितिन बनर्जी - वाईस प्रेसिडेंट एवं प्रमुख- वैश्विक संचालन

2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) तथा एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) ओएलए (के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने ओएलए के बारे में जानकारी दी और यह बताया कि एग्रीगेटर/साझेदार सेवा प्रदाता के रूप में इसकी अग्रणी स्थिति है। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और ओएलए के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट कराया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, ओएलए के प्रतिनिधियों ने गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। उनके प्रस्तुतीकरण में शामिल बिंदु थे- (एक) धारा 14 के अंतर्गत बिना सहमति के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, (दो) डिज़ाइन नीति द्वारा निजता के पीछे सिद्धांत, (तीन) डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन, (चार) विधेयक के लागू होने की संक्रमण अवधि, (पांच) सैंडबॉक्स तंत्र आदि।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ ओएलए के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव और चिंताओं, यथा- ओएलए की वृद्धि पर डाटा स्थानीयकरण का प्रभाव और अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में डाटा स्थानीयकरण का प्रबंधन, डाटा भंग की स्थितियां, डाटा विश्वासी के मध्य वैयक्तिक डाटा साझा करना और इसके

संबंध में विनियमन, वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण हेतु एआई सिस्टम्स का उपयोग, डाटा विश्वासी द्वारा समस्या के समाधान हेतु खंड 32 और क्षमा किए जाने का अधिकार पर स्पष्टीकरण मांगा।

प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया। समिति ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में एक शपथपत्र (एफिडेविट) के माध्यम से उन्हें लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 24वीं बैठक गुरुवार, 5 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1715 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. श्री मनीश तिवारी
4. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
5. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

6. श्री सुरेश प्रभु
7. श्री राजीव चन्द्रशेखर
8. श्री अश्वनी वैष्णव
9. श्री जयराम रमेश
10. प्रो. विवेक के. तन्खा
11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

उबेर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (यूबीईआर)

1. श्री प्रभजीत सिंह - प्रेसिडेंट, उबेर इंडिया एवं एसए
2. श्री राजीव अग्रवाल - हेड पब्लिक पॉलिसी, इंडिया एवं एसए
3. जॉयज्योति मिश्र - निदेशक, विधि, इंडिया एवं एसए

2. सर्वप्रथम, सभापित ने संयुक्त समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) और उबेर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (यूबीईआर) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने उबेर तथा उसके द्वारा सेवा प्रदान करने के दौरान एकत्रित होने वाले महत्वपूर्ण डाटा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय और उबेर के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया। मंत्रालय और उबेर के प्रतिनिधियों को विधेयक की जांच के संबंध में समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व अपना परिचय देने को कहा गया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, उबेर के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य दिए जाने के संबंध में गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया तथा विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अपनी चिंताएं/सुझाव प्रकट किए। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ चर्चा में शामिल बिंदु थे-

(एक) वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा की परिभाषा, (दो) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की गुणवत्ता, (तीन) अन्य तर्कसंगत उद्देश्यों हेतु वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, (चार) वैयक्तिक डाटा भंग की सूचना, (पांच) डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन, (छह) वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में वर्गीकरण, (सात) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी का वर्गीकरण, (आठ)

संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा का विस्तार, (नौ) डाटा स्थानीयकरण मानक और डाटा स्थानीयकरण में प्रचालानात्मक बाधाएं, (दस) खंड 91 के अंतर्गत सरकार की शक्ति।

5. विचार-विमर्श के दौरान, उबेर के प्रतिनिधिओं द्वारा प्रस्तुत चिंताओं/सुझावों के संबंध में सभापति और सदस्यों ने कुछ मुद्दें उठाएं तथा उबेर के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा। समिति ने बैठक के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में उबेर से शपथपत्र (एफिडेविट) पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को भी कहा।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति के 25वीं बैठक सोमवार, 6 नवंबर, 2020 को 1100 बजे से 1245 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री संजय जायसवाल
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री मनीश तिवारी
6. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. प्रो. राम गोपाल यादव
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

भारती एयरटेल लिमिटेड (एयरटेल)

1. सुश्री हरमीन मेहता - वैश्विक मुख्य सूचना अधिकारी
2. श्री राहुल वत्स - मुख्य विनियामक अधिकारी
3. श्री मनीष तिवारी - मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

2. प्रारंभ में सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग तथा भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. इसके बाद सभापति ने मंत्रालयों और भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 और 58 की तरफ आकृष्ट किया। मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों से विधेयक पर अपने विचार रखने से पहले अपना परिचय समिति को देने को कहा गया।

4. साक्षीगण द्वारा अपना परिचय देने के बाद भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों ने शपथ ली तथा समिति के समक्ष भारती एयरटेल का संक्षिप्त प्रोफाइल प्रस्तुत किया तथा अपने उपयोगकर्ताओं की निजता और उसकी रक्षा करने के लिए किए गए उपायों पर अपना मत व्यक्त किया। भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में विधेयक के बारे में अपनी बात रखी जिसमें निम्नवत बातें भी थीं:

एक. वैयक्ति डाटा की परिभाषा तथा वैयक्तिक डाटा से निकाले गए निष्कर्ष,

दो. डाटा विश्वासियों के बीच डाटा का आदान-प्रदान,

तीन. क्षमा किए जाने का अधिकार,

चार. विधेयक के अंतर्गत अपराध, एवं

पांच. कार्यान्वयन की अवधि।

5. विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने अनेक प्रश्न पूछे तथा भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगे। इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(एक) वैयक्तिक डाटा के अंतर्गत निष्कर्षात्मक डाटा का समावेश तथा इसका विनियमन,

(दो) क्षमा किए जाने का अधिकार तथा अन्य नियमों के कानूनों के अंतर्गत निर्धारित डाटा का प्रतिधारण,

(तीन) स्वास्थ्य से संबंधित उपबंध,

(चार) विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अवधि,

(पांच) डाटा का स्थानीकरण तथा कारोबार पर इसका मौद्रिक/आर्थिक प्रभाव,

(छः) 5जी टेक्नोलॉजी,

(सात) डाटा कूटकरण प्रौद्योगिकी तथा उसको विनियमित करने के मानक,

(आठ) डाटा अनामकरण/प्रौद्योगिकी की विहचान।

6. भारती एयरटेल के प्रतिनिधियों से समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/व्यक्त की चिंताओं के उत्तर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया।

इसके बाद साक्षीगण चले गए

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 26वीं बैठक शुक्रवार, 06 नवम्बर , 2020 को 1500 बजे से 1720 बजे तक कमरा सं -53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री संजय जायसवाल
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री मनीश तिवारी
6. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. श्री राम गोपाल यादव
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी वकील

ट्रू कालर

1. श्री आलम मामेदी - सीईओ और सह-संस्थापक
2. श्री आदित्य शुक्ला - वरिष्ठ विधिक परामर्शदाता
3. श्री हितेश राज भगत - निदेशक कोर्पोरेट संचार

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी(एमईआईटीवाई) मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) और ट्रू कालर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया

3. तत्पश्चात सभापति ने ट्रू कालर और कॉल करने वाले की पहचान करने की इसकी मौलिक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में संक्षेप में विवरण दिया। तत्पश्चात सभापति ने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों का ध्यान 'अध्यक्ष लोक सभा के निदेश' के समिति की कार्यवाही की गोपनीयता संबंधी निदेश' 55 और 58 की ओर आकृष्ट किया।

4. साक्षियों द्वारा परिचय देने के पश्चात ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों ने शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में कंपनी के प्रोफाइल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और भारत में उनके आधार, उनकी प्रचालन विधि और उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को संभालने के तरीकों का ब्यौरा दिया। प्रतिनिधियों ने खंड 14 के अधीन उचित उद्देश्यों के अंतर्गत टेलिफोन डायरेक्टरी और कॉलर की पहचान करने की सेवाओं के प्रचालन को शामिल करने के संबंध में और खंड 26 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सोशल मीडिया मध्यस्थों की परिभाषा में से टेलीफोन डायरेक्टरी और कॉलर की पहचान करने की सेवाओं को हटाने के संबंध में अपनी बात रखी ।

5. विचार विमर्श के दौरान सभापति और सदस्यों ने प्रश्न भी किए और ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे :-

(एक) ट्रूकॉलर डायरेक्टरी सेवा के रूप में कैसे प्रचलन करता है (दो) ट्रूकॉलर द्वारा संकलित किए जाने वाले डाटा के प्रकार (तीन) डाटा का न्यूनतम किया जाना (चार) ट्रूकॉलर के प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष लाभ या सेवाएं (पांच) ट्रूकॉलर और अन्य तृतीय पक्षों के मध्य डाटा साझाकरण (छः) लक्षित विज्ञापन (सात) ट्रूकॉलर में शिकायत प्रणाली (आठ) निजता नीति और स्वीकृति प्रणाली (नौं)अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में ट्रूकॉलर का प्रचालन(दस) डाटा स्थानीयकरण और संबद्ध लागतें ।

6. तत्पश्चात ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के स्पष्टीकरण दिए और उन्हें कहा गया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिखित उत्तर कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र के रूप में दें।

तत्पश्चात साक्षी चले गये।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 27वीं बैठक बुधवार , 11 नवम्बर , 2020 को 1100 बजे से 1320 बजे तक कमरा सं- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पांडेय

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चंद्रशेखर
9. श्री जयराम रमेश
10. प्रो. राम गोपाल यादव
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री रीता वशिष्ट – अपर सचिव
2. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी काउंसेल

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय(विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. समिति ने तय किया की चूँकि अंशधारकों से प्राप्त ज्ञापन को पहले ही सदस्यों को परिचालित किया जा चूका है, समिति केवल सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों/ संशोधनों पर विचार करेगी।

4. समिति ने विधेयक की प्रस्तावना पर चर्चा प्रारंभ की और प्रस्तावना पर विस्तार से चर्चा की।

5.प्रस्तावना पर चर्चा अपूर्ण रही।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 28वीं बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1740 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री सुरेश प्रभु
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. प्रो. राम गोपाल यादव
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की पूर्व बैठक में हुई चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा दिया।

3. समिति ने विधेयक की प्रस्तावना, इसके समग्र व्याप्ति और दायरे पर अपनी चर्चा को जारी रखा।

4. प्रस्तावना पर हुई चर्चा अनिर्णीत रही।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की प्रति रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 29वीं बैठक गुरुवार, 12 नवम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री एस. एस. अहलुवालिया
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री भूपेंद्र यादव
11. श्री सुरेश प्रभु
12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री जयराम रमेश
14. प्रो. विवेक के. तन्खा
15. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

<u>मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि</u>

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</u>

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. समिति की 11 नवम्बर, 2020 हुई पिछली बैठक के क्रम को जारी रखते हुए समिति ने विधेयक की प्रस्तावना, उद्देश्य और कारणों पर अपना विचार-विमर्श जारी रखा।

4. समिति ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा अनिर्णीत रही।

5. समिति ने विधेयक पर खंडवार चर्चा हेतु अपनाई जानेवाली पद्धति पर भी विचार-विमर्श किया। समिति ने सचिवालय से सदस्यों द्वारा प्रस्तावित उन खंडो को जिनमें संशोधन किया जाना है तथा जिनमें कोई संशोधन नहीं किया जाना को पृथक किए जाने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की प्रति रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 30वीं बैठक गुरुवार, 12 नवंबर, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक कमरा सं- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस. एस. अहलुवालिया
4. श्री अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
6. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

11. श्री भूपेंद्र यादव
12. श्री सुरेश प्रभु
13. श्री राजीव चंद्रशेखर
14. श्री जयराम रमेश
15. श्री विवेक के. तन्खा
16. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री. बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री राजवीर सिंह वर्मा - अपर सचिव

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी काउंसेल

2. सर्वप्रथम सभापति ने सदस्यों को उन खण्डों की संख्या जिनपर कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं तथा विधेयक के विभिन्न खंडों पर प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में सूचित किया।

3. तदुपरांत, समिति ने विधेयक की प्रस्तावना पर अपनी चर्चा पुन: आरंभ की। समिति ने प्रस्तावना और विधेयक की व्याप्ति और उसके दायरे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

4. समिति ने डिजिटल डाटा और वास्तविक रूप में डाटा के संबंध में विधेयक की व्याप्ति के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान कोई संशोधन नहीं किया गया।

5. बैठक के दौरान, कुछ सदस्यों ने समिति के समक्ष देने के लिए अतिरिक्त साक्षियों को बुलाने का सुझाव दिया। तदनुसार, साक्ष्य हेतु आईएसपीआईआरआईटी, पे-पल, मास्टरकार्ड वीजा, और सीवाईबीएलई को बुलाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 31वीं बैठक गुरुवार, 19 नवंबर, 2020 को 1100 बजे से 1400 बजे और 1500 बजे से 1540 बजे तक कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मिनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. श्री अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पांडेय

राज्य सभा

8. श्री अश्विनी वैष्णव
9. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य मंत्रालय)

1. श्री महेन्द्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

ट्विटर इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ट्विटर)

1. सुश्री महिमा कौल - निदेशक, जन नीति
2. सुश्री आयुषी कपूर - विधि परामर्शदाता
3. सुश्री पल्लवी वालिया - वरिष्ठ प्रबंधक, नीति संचार
4. श्री मानविन्दर बाली - कॉरपोरेट सुरक्षा

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फेसबुक)

1. श्री शिवनाथ ठुकराल - निदेशक, जन नीति
2. श्री सांझ पुरोहित - एसोशिएट जनरल कौंसिल

सीवाईबीएलई

1. श्री साहिल शर्मा - एसोशिएट डायरेक्टर, आर एंड डी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों और संयुक्त समिति की बैठक में ट्विटर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि ट्विटर सहित कुछ अन्य संगठनों ने, जिन्होंने पहले समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था, से यह कहा गया था कि वे संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर शपथ-पत्र के रूप में भेजें। इनमें से कुछ संगठनों ने तदनुरूप अपने उत्तर भेजे थे, जबकि कुछ संगठनों ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर ऐसा नहीं किया या अपूर्ण उत्तर भेजे (ट्विटर और फेसबुक), इसीलिए उन्हें दुबारा नोटिस भेजे गये। तदनुसार, उन्हें समिति के समक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है।

3. इसके बाद, समिति ने शपथ लेने के बाद ट्विटर के प्रतिनिधियों को सुना। समिति ने बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/चिंताओं के अपूर्ण उत्तर दिए जाने के संबंध में ट्विटर के प्रतिनिधियों से जवाब-तलब किया। समिति ने ट्विटर के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शपथ पत्र के रूप में लिखित उत्तर फिर से देने के लिए कहा।

इसके बाद, ट्विटर के साक्षी वापस चले गए।

4. इसके बाद, समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को सुना। समिति ने बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों/चिंताओं के अपूर्ण उत्तर दिए जाने के संबंध में फेसबुक के प्रतिनिधियों से जवाब-तलब किया। समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियो को सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शपथ पत्र के रूप में लिखित उत्तर फिर से देने के लिए कहा।

इसके बाद, फेसबुक के साक्षी वापस चले गए।

5. समिति ने इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों तथा सीबल (Cyble) के साक्षियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाने का निर्णय लिया।

6. इसके बाद, सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) तथा सीबल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

7. इसके बाद, सभापति ने सीबल और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा फर्मों की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 55 और 58 की ओर मंत्रालय के प्रतिनधियों और सीबल के प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया।

8. साक्षियों द्वारा परिचय देने के बाद सीबल के प्रतिनिधियों ने शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में प्रतिनिधियों ने सीबल और साइबर सुरक्षा फर्म के रुप में अपने कार्य के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया और विभिन्न प्रकार के साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध जो व्याप्त हैं, का संक्षिप्त परिचय दिया। प्रतिनिधियों ने भी विधेयक के संबंध में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषय से संबंधित अपनी चिंताएं व्यक्त की –

(क) डाटा उल्लंघन जिनके डाटा प्रभावित हुए हो, के संबंध में डाटा संरक्षण प्राधिकरण और डाटा स्वामी को निर्धारित समय-सीमा के अंदर रिपोर्ट करना, (ख) डाटा उल्लंघन की घोषणा नहीं किए जाने की स्थिति में अर्थदंड लगाया जाना, (ग) डाटा स्थानीयकरण के लाभ और दोष।

9. चर्चा के दौरान सभापति और सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर कई प्रश्न पूछे और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर सीबल के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा -

(क) जीडीपीआर और पीडीपी विधेयक के बीच टकराव, (ख) वे देश जहां से भारत में साइबर हमला होते हैं, (ग) भारत में साइबर सुरक्षा हमला, (घ) ऐसे साइबर हमलों में चोरी किए गए भारतीय के डाटा की मात्रा और प्रकार, (ड.) किस प्रकार डार्क वेब चोरी किए गए प्रयोक्ता डाटा के लिए बाजार के रुप में कार्य करते हैं।

इसके बाद, दोपहर के भोजन के लिए समिति की बैठक स्थगित हुई।

10. भोजनावकाश के बाद समिति की चर्चा पुन: शुरू हुई। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मुद्दों पर सीबल के प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछे -

(च) डाटा उल्लंघन के माध्यम से गुम हुए डाटा से होने वाला वित्तीय घाटा, (छ) डाटा उल्लंघन में आर्टिफिशियल प्रौद्योगिकी के उपयोग करने सहित उसे रोकने की पद्धति, (ज) डाटा लीकेज के संबंध में हार्डवेयर प्रणालियों की सुभेद्यता।

11. सीबल के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिया और उन्हें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शपथ-पत्र के रुप में लिखित उत्तर देने के लिए भी कहा गया।

इसके पश्चात, साक्षीगण वापस चले गए।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात,

समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति .

संयुक्त समिति की 32वीं बैठक गुरुवार,19 नवम्बर, 2020 को 1540 बजे से 1745 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. श्री अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9 . श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर सरकारी अधिवक्ता

<u>पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड</u>

श्री नाथ परमेश्वरन - प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स

सुश्री पर्नल वत्स - मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) और पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया ।

3. तत्पश्चात सभापति ने पेपाल और भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में इसकी भूमिका के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दिया। तत्पश्चात सभापति ने मंत्रालय और पेपाल के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष लोक सभा के निदेशों के निदेश 55 और 58 की ओर आकृष्ट किया।

4. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के पश्चात पेपाल के प्रतिनिधियों ने शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया । पेपाल के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में विधेयक का स्वागत करते हुए विश्व और भारत में अपनी मौजूदगी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और डिजिटल फाईनेंशिअल पेमेंट्स इकोसिस्टम, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के संबंध में अपने कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विधेयक के बारे में अपनी मुख्य चिंताएं भी प्रकट कीं जो अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित से संबंधित थीं :-

(एक) विधेयक के कार्यान्वयन की समय सीमा (दो) वित्तीय डाटा और सरकारी पहचानकर्ता को संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के दायरे से बाहर करना (तीन) खंड14 के अधीन तर्कपूर्ण उद्देश्य और डाटा प्रक्रमण के लिए आधार में 'विधिसंगत व्यापार हित ' और 'संविदा की आवश्यकता' को शामिल करना। (चार) खंड 34 के उपबन्धों के अधीन किसी संविदा के निष्पादन के लिए डाटा का सीमा पार अंतरण और व्यक्तिगत डाटा का अंतरण

5. चर्चा के दौरान सभापति और सदस्यों ने अनेक प्रश्न किए और पेपाल के प्रतिनिधियों से उनके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर और अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे

(एक) डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम पर संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के अधीन वित्तीय डाटा और सरकारी पहचान कर्ता को शामिल करने का प्रभाव
(दो) वित्तीय डेटा पर क्षेत्रगत विनयमन
(तीन) वित्तीय भुगतान प्रणाली पर अनुपालन का बोझ
(चार) खंड 14 के संबंध में डाटा प्रक्रमण के लिए तर्कपूर्ण उद्देश्य के अधीन श्रेणी के रूप में संविदा का दायित्व और धोखाधड़ी निवारण
(पांच) पेपाल संकलित डाटा का प्रक्रमण किस प्रकार करता है।
(छः) पेपाल द्वारा संकलित डाटा का वैश्विक संचलन
(सात) पेपाल की सुरक्षा नीति और डाटा संरक्षण ढांचा

6. पेपाल के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के स्पष्टीकरण दिए और उन्हें सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर लिखित में कंपनी की उच्च प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र के रूप में देने को भी कहा गया।

तत्पश्चात साक्षीगण बैठक से चले गये।
कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई है।
तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 33वीं बैठक शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1400 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

मास्टरकार्ड इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

1. श्री आशुतोष चढ्ढा - वाइस प्रेसिडेंट, पॉलिसी
2. सुश्री सोनिया सोनी - सीनियर मैनेजिंग काउंसल

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) एवं मास्टरकार्ड इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मास्टरकार्ड) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने मास्टरकार्ड और भारत में डिजिटल भुगतान तंत्र में इसकी अग्रणी स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उसके बाद, सभापति ने मंत्रालय और मास्टरकार्ड के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट कराया।

4. साक्षियों के परिचय के उपरांत, मास्टरकार्ड के प्रतिनिधियों ने गोपनीयता की शपथ ली और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में, प्रतिनिधियों ने मास्टरकार्ड के प्रचालन के तरीके, डाटा के प्रबंधन और निजता पर विचारों सहित इसका संक्षिप्त प्रोफाइल प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने के साथ-साथ निम्नलिखित चिंताए प्रकट की:-

(एक) सीमा-पार डाटा प्रवाह और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, (दो) खंड 34(1) के अंतर्गत डाटा संरक्षण प्राधिकारी द्वारा संविदा अथवा अंतरा समूह स्कीम के अनुमोदन की आवश्यकता को हटाना, (तीन) कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट और पर्याप्त समय-सीमा की आवश्यकता।

5. विचार-विमर्श के दौरान, सभापति तथा सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए और मास्टरकार्ड के प्रतिनिधियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा:-

(एक) मास्टरकार्ड हेतु जीडीपीआर मानदंडों के अनुपालन से जुड़ी लागत (दो) वित्तीय डाटा पर क्षेत्रीय विनियमन (तीन) वित्तीय भुगतान तंत्र पर अनुपालन का भार (चार) खंड 14 के संबंध में युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए डाटा के प्रक्रमण के अंतर्गत एक श्रेणी के रूप में संविदा दायित्व और धोखाधड़ी की रोकथाम (पांच) मास्टरकार्ड द्वारा संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण और सीमा-पार डाटा प्रवाह (छह) मास्टरकार्ड और तृतीय पक्षों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के मध्य डाटा साझा करना (सात) धोखाधड़ी वाले क्रियाकलापों की रोकथाम और इस हेतु एआई प्रौद्योगिकिओं का प्रयोग (आठ) वित्तीय डाटा का क्षेत्रीय विनियमन (नौ) मास्टरकार्ड द्वारा डाटा का प्रक्रमण और इसके द्वारा प्रदान की जा रही मूल्यवर्धित सेवाएं (दस) वित्तीय डाटा का संवेदनशील डाटा में वर्गीकरण।

6. मास्टरकार्ड के प्रतिनिधिओं ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और उनसे सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में एक शपथपत्र (एफिडेविट) के रूप में एक लिखित उत्तर जिसपर कंपनी के उच्च प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षीगण बैठक से चले गए।

बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की प्रति रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा सुरक्षा विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 34वीं बैठक 20 नवंबर 2020 को 1500 बजे से 1815 बजे तक कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी.एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

<u>आईस्पिरिट फाउंडेशन</u>

1.	श्री शरद शर्मा	सह-संस्थापक
2.	श्री सिद्धार्थ शेट्टी	डाटा एंपॉवरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर लीड एंड फेलो

<u>वीसा कंसोलिडेटेड सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वीआईएसए)</u>

1.	श्री अरविंद रोंटा	वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट - इंडिया एंड साउथ एशिया
2.	श्री रामसुब्रमण्यन रक्कप्पन	सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट रिलेशंस - इंडिया एंड साउथ एशिया

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा आईस्पिरिट फाउंडेशन के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने आईस्पिरिट फाउंडेशन के विषय में तथा प्रौद्योगिकी उद्योग के मार्गदर्शन में चिंतन समूह के रूप में उनकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी की। तत्पश्चात् सभापति ने मंत्रालय तथा आईस्पिरिट फाउंडेशन के प्रतिनिधियों का ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो समिति की बैठकों की गोपनीयता से संबंधित हैं।

4. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के उपरांत आईस्पिरिट फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने शपथ ली तथा आईस्पिरिट फाउंडेशन के विषय में संक्षेप में बताया। प्रतिनिधयों ने समिति

के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण भी दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में उन्होंने विधेयक के संबंध में अपने सुझाव/मत दिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:-

(एक) डाटा सशक्तीकरण और संरक्षण स्थापत्य (दो) इलेक्ट्रॉनिक डाटा सहमति (ईडीसी) मानदंड के लाभ तथा सहमति प्रबंधक को डिजिटल बनाना (तीन) डाटा संरक्षण प्राधिकरण का सशक्तीकरण तथा सशक्तीकरण की निजता के संरक्षण के साथ संतुलन बनाना (चार) डाटा वर्गीकरण (पांच) सहमति वापस लेने की प्रणाली (छह) डाटा की बेहतर सुरक्षा के लिए उपाय।

5. विचार-विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने आईस्पिरिट फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से उनके प्रस्तुतीकरण के साथ साथ अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के संबंध में अनेक बिंदु उठाए तथा स्पष्टीकरण मांगे:-

(एक) डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत कैसे नेतृत्व कर सकता है (दो) डाटा के विनियमन के लिए मानदंडों का निर्माण (तीन) डिजिटल सहमति प्रबंधक का मॉडल (चार) डिजिटल सहमति प्रबंध के क्षेत्र में आईस्पिरिट प्रस्तावित मॉडल (पांच) सहमति प्रबंधकों के लिए संभावित राजस्व मॉडल (छह) भारत किस प्रकार अपने नागरिकों के डाटा से लाभान्वित हो सकता है (सात) हार्डवेयर प्रणाली के माध्यम से डाटा लीकेज से संरक्षण (आठ) एमईआईटीवाई का इलेक्ट्रॉनिक डाटा सहमति मानक।

6. आईस्पिरिट फाउंडेशन के प्रतिनिधयों ने सदस्यों द्वारा उठाए मामलों पर स्पष्टीकरण दिया।

तत्पश्चात् आईस्पिरिट फाउंडेशन के साक्षीगण चले गए।

7. तत्पश्चात् समिति ने वीसा कंसोलिडेटेड सपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वीसा) के साक्षियों को बुलाने का निर्णय लिया।

8. सभापति ने वीसा के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा विश्व की सबसे बडी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में वीसा तथा उनके द्वारा प्रक्रमण किए गए

महत्वपूर्ण मात्रा वाले डाटा के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तत्पश्चात् सभापति ने वीसा के प्रतिनिधियों का ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की तरफ आकर्षित किया जो समिति की बैठकों की गोपनीयता से संबंधित हैं।

9. साक्षियों द्वारा परिचय दिए जाने के उपरांत वीसा के प्रतिनिधियों ने शपथ ली तथा निम्नलिखित से संबंधित जानकारी दी:-

(एक) वीसा का व्यवसाय मॉडल (दो) वीसा द्वारा डाटा प्रबंधन (तीन) वीसा द्वारा संग्रहीत डाटा के प्रकार (चार) भारत में वीसा का संचालन (पांच) वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में वीसा द्वारा भारत क्यूआर जैसी पहल।

10. प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक के संबंध में अपनी निम्नलिखित चिंताएं/जानकारियां व्यक्त की:-

(एक) गैर-वैयक्तिक डाटा को वित्तीय सेवाओं के उद्देश्य के लिए वर्तमान विधेयक के दायरे से बाहर रखना (दो) डाटा संरक्षण प्राधिकरणों की स्वतंत्रता (तीन) डिजाइन नीति द्वारा निजता तथा व्यवसायों के आईपी अधिकारों का संरक्षण (चार) खंड 40 के अंतर्गत सैंडबॉक्स से संबंधित विनियम (पांच) शास्ति एवं प्रतिपूर्ति खंड।

11. विचार विमर्श के दौरान सभापति तथा सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए तथा वीसा के प्रतिनिधियों से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित स्पष्टीकरण मांगे:-

(एक) वीसा द्वारा एकत्रित डाटा का वर्गीकरण और प्रक्रमण (दो) धोखा-धड़ी से बचाव के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग (तीन) संक्रमण अवधि (चार) कंपनियों को और अधिक जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है (पांच) सहमति का वैकल्पिक मॉडल (छः) डाटा न्यूनीकरण (सात) उपयोगकर्ता डाटा की प्रोफाइलिंग (आठ) डाटा भंग की घटनाएं (नौ) वित्तीय डाटा के संग्रहण के संबंध में आरबीआई के विनियम।

12. वीसा के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिया तथा उनसे सदस्यों द्वारा पूछे प्रश्नों के लिखित उत्तर कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात् वीसा के साक्षीगण चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी स्थायी समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 35वीं बैठक सोमवार, 23 नवंबर 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. एडवोकेट अजय भट्ट
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

2. सर्वप्रथम समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए संशोधनों को स्वीकार करने की प्रणाली तथा विधेयक पर खंडवार विचार किए जाने पर चर्चा की।

3. सदस्यों ने इस संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सदस्यों ने चिंता के उन मुख्य क्षेत्रों जिन्हें वे समिति के संज्ञान में लाना चाहते थे, का उल्लेख करते हुए विधेयक के

समग्र कार्यक्षेत्र तथा दायरे के संबंध में भी अपने मत प्रस्तुत किए। प्रारूप प्रतिवेदन के तैयार किए जाने तथा उस पर विचार-विमर्श के बारे में भी चर्चा की गई।

4. सभापति ने समिति चर्चा में सक्रिय भागीदारी करने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया।

5. समिति ने अगली बैठक में मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाने और खंडवार चर्चा आरंभ करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात्, समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की प्रति रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 36वीं बैठक सोमवार, 23 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री अजय भट्ट
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री अश्वनी वैष्णव
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी अधिवक्ता

2. समिति की बैठक में आरंभ में खंड 1 पर विचार हुआ। समिति ने विधेयक के कार्यान्वयन के संबंध में समय सीमा से संबंधित खंड 1 में संशोधन किया परंतु अंतिम संशोधन बाद में आगे विचार विमर्श के पश्चात करने का निर्णय लिया।

3. तत्पश्चात समिति ने खंड 2 पर विचार किया। समिति ने श्री पी. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के आधार पर खंड 2 में अल्प संशोधन करने की स्वीकृति दी।

4. खंड 2 पर खंड 91, विशेष रूप से अनामित डाटा से संबंधित उपबंधों के संबंध में आगे और विचार विमर्श किया गया। चर्चा के आधार पर समिति का विचार था कि खंड 2(ख) को हटा दिया जाना चाहिए और इसलिए समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को समिति द्वारा की गई चर्चा के आधार पर खंड 2 का प्रारूप पुनः तैयार करने का निर्देश दिया।

5. समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया कि समिति की पिछली बैठक के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए प्रस्तावना को पुनः तैयार किया जाए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

_संयुक्त समिति की 37वीं बैठक मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री अश्वनी वैष्णव
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. श्री ए. नवनीत्कृष्णन

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री टी के मलिक - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया I

3. तत्पश्चात माननीय सभापति ने विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावना का संशोधित प्रारूप समिति के सदस्यों के चर्चा और विचार के लिए प्रस्तुत किया। उचित विचार विमर्श के पश्चात समिति ने अल्प संशोधन के साथ संशोधित प्रस्तावना को स्वीकृति दे दी।

4. तत्पश्चात समिति ने विधेयक के खंड एक पर विचार किया जिसमें लघु शीर्षक और आरंभिक खंड अंतर्विष्ट हैं, और डाटा संरक्षण अधिनियम 2019 के खंड 1 (1) में उल्लिखित विधेयक का नाम संशोधित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया । समिति ने खंड 1(2) को भी बिना किसी संशोधन के अंतिम रूप दिया।

5. तत्पश्चात समिति ने विधेयक के खंड 2 पर विचार किया (व्यक्तिगत डाटा के प्रक्रमण पर अधिनियम का अनुप्रयोग) और समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात समिति ने खंड 2क(क) में अल्प संशोधन करने, खंड 2(ख)का लोप करने और खंड 2(क)(ग) के पश्चात उपधारा (घ) जोड़ने का निर्णय लिया। खंड के शेष उपबन्ध बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। समिति ने विधेयक के खंड 91 में परिणामी संशोधन भी किए हैं (डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि के लिए नीतियां तैयार करने को बढ़ावा देने हेतु अधिनियम) और खंड 91(1) के पश्चात खंड 2 जोड़ा है । इसके बाद की उप धारा की क्रम संख्या तदनुसार बदल दी गई।

6. परिभाषा से संबंधित खंड 3 के मामले में समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक के सभी खंडों पर उचित चर्चा और जांच कर लिए जाने के पश्चात इस पर विचार किया जाएगा।

7. तत्पश्चात समिति ने खंड 4 और 5 को विचार के लिए लिया और सम्यक चर्चा के पश्चात उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

तत्पश्चात साक्षी चले गये।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 38वीं बैठक मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1730 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री अश्वनी वैष्णव
11. प्रो. विवेक के. तन्खा
12. श्री ए. नवनीतकृष्णन

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री टी. के. मलिक - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने खंड 6 से चर्चा की शुरुआत की और विचार-विमर्श के पश्चात, उसमें कुछ संशोधन किए।

3. तत्पश्चात, समिति ने खंड 7 को विचारार्थ लिया। विस्तृत चर्चा के बाद, खंड 7 में बिना संशोधन किए उसे स्वीकार किया।

4. उसके बाद, समिति ने विधेयक के खंड 8 पर चर्चा शुरू की और खंड 8(3) में अल्प परिवर्तन किया। इसके अलावा, समिति ने खंड 9 और 10 पर विचार किया और बिना किसी परिवर्तन के उन्हें अंतिम रूप दिया।

5. समिति ने खंड 11 को विचारार्थ लिया। समिति ने खंड 11(3)(ख) की भाषा को सरल करना चाहा परंतु उसमें कोई संशोधन नहीं किया और इस मामले को अगली बैठक में लेने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 39वीं बैठक बुधवार, 25 नवम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. प्रो. विवेक के. तन्खा
10. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विनोद कुमार - संयुक्त निदेशक
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

2. समिति ने सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराया कि समिति के सदस्य श्री गौरव गोगोई के पिता श्री तरुण गोगोई, भूतपूर्व संसद सदस्य और राज्य सभा के सदस्य श्री अहमद पटेल का निधन हो गया है। तत्पश्चात, समिति ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

3. तत्पश्चात, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसके बाद, सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 तथा 58 की ओर आकृष्ट किया। इसके अलावा, सभापति ने समिति को प्रो. राम गोपाल यादव के कार्यकाल की समयावधि पूरा होने तथा राज्य सभा में उनके पुन: निर्वाचन किए जाने की जानकारी दी। समिति ने प्रो. राम गोपाल यादव को समिति के कार्यकरण में सक्रिय योगदान देने के लिए धन्यवाद भी दिया।

4. तत्पश्चात, समिति ने खंड 11 के विचारार्थ उसकी पुन: जांच की और समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर विचार-विमर्श किया। विस्तृत चर्चा के उपरांत, समिति ने सदस्यों द्वारा प्रकट विभिन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उप-खंडों 11(3) से 11(6) पर पुन: विचार करने तथा इसे पुन: तैयार करने को कहा। समिति ने खंड 11 पर बाद में विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया। विचार-विमर्श किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 40वीं बैठक बुधवार, 25 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. प्रो. विवेक के. तन्खा
10. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विनोद कुमार - संयुक्त निदेशक
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, समिति ने अपनी पूर्ववर्ती बैठकों में विधेयक पर हुई खंडवार चर्चा को पुन: आगे बढ़ाया। सभापति ने कतिपय मामलों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार के संबंध में खंड 12 को समिति के विचारार्थ रखा। समिति ने विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ श्री देरेक ओब्राईन, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री राजीव चन्द्रशेखर, डॉ. अमर पटनायक और श्री पी. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की। प्रत्येक संशोधन पर विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधन के खंड 12 पर सहमति दी।

4. उसके बाद, समिति ने नियोजन आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आवश्यक होने के संबंध में खंड 13 को विचारार्थ लिया। श्री देरेक ओब्राईन, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री राजीव चन्द्रशेखर, श्री पी. पी. चौधरी और श्री मनीश तिवारी से प्राप्त विभिन्न संशोधनों पर चर्चा के पश्चात, समिति ने खंड 13(1) में लघु संशोधन किया और खंड 13(2) को बिना किसी संशोधन के अंतिम रूप दिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 41वीं बैठक गुरुवार, 26 नवंबर 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. सुश्री महुआ मोइत्रा
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री सुरेश प्रभु
11. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विनोद कुमार - संयुक्त निदेशक
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

<u>(विधि कार्य विभाग)</u>

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित खंड 14 को विचार हेतु लिया। समिति ने अपने विविध सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर चर्चा की तथा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार विमर्श किया। समिति ने 'युक्तियुक्त प्रयोजनों', 'सूचना प्रदान करना' तथा 'प्रत्यय गुणांकन' शब्दों पर भी विस्तार से चर्चा किया।

4. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने खंड 14 में उपरोक्त शब्दों के प्रयोग के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया। बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 42वीं बैठक गुरुवार, 26 नवंबर 2020 को 1500 बजे से 1730 बजे तक कक्ष संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. एडवोकेट अजय भट्ट
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. सुश्री महुआ मोइत्रा
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री सुरेश प्रभु
11. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
2.	श्री विनोद कुमार	-	संयुक्त निदेशक
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1.	श्री आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने खंड 14 पर चर्चा के साथ अपनी बैठक पुन: शुरू हुई।

3. समिति ने अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित खंड 14 के तीनों उप-खंडों के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी खंड के संबंध में अपने मत व्यक्त करने के लिए कहा गया। खंड 14 पर चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तथा समिति ने अगली बैठक में चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 43वीं बैठक 27 नवंबर 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक

साक्षीगण

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विनोद - संयुक्त निदेशक
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. 26 नवंबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में समिति द्वारा किए गए खंडवार विचार के क्रम में समिति ने अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित खंड 14 पर पुन: चर्चा शुरू की।

4. जैसा कि समिति द्वारा पहले निर्देशित किया गया था विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए खंड 14 का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया। समिति ने विधायी विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर चर्चा की तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उक्त खंड पर अपना मत व्यक्त करने के लिए कहा।

5. समिति खंड 14(2) तथा खंड 14(3) को बिना किसी परिवर्तन तथा खंड 14(1) को विधायी विभाग द्वारा सुझाए अल्प संशोधन के साथ बनाए रखने पर सहमत हुई।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 44वीं बैठक शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1700 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय - निदेशक

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
श्री विनोद - संयुक्त सचिव
श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी वकील

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया I

3. समिति द्वारा प्रातःकालीन सत्र में आरम्भ किये गये खंडवार विचार को जारी रखते हुए सभापति ने सदस्यों से सुझाव माँगा कि क्या खंड14 में संशोधन के कारण आवश्यक परिणामी संशोधनों पर विचार किया जाये और निर्णय लिया कि संबंधित खंडों में आवश्यक परिणामी संशोधनों पर बाद में विचार किया जाये I

4. तत्पश्चात समिति ने व्यक्तिगत डाटा के संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के रूप में श्रेणीकरण संबंधी खंड 15 को विचार के लिए लिया और समिति के सदस्यों सर्वश्री भर्तृहरि महताब, डॉ. एकनाथ शिंदे, मनीष तिवारी, डॉ. अमर पटनायक, पी.पी. चौधरी, देरेक ओब्राईन, महुआ मोइत्रा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया I

5. खंड 15 के विभिन्न उपबन्धों और प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने खंड 15 को बिना किसी संशोधन के अंतिम रूप दिया I

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की 45वीं बैठक बुधवार, 2 दिसम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1315 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री भूपेंद्र यादव
11. श्री सुरेश प्रभु
12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री अश्वनी वैष्णव
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

साक्षी

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. डॉ. ओमपाल - वैज्ञानिक 'डी'
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा - उप विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में निदेश 55(1) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

3. समिति की अपनी पूर्ववर्ती बैठकों में हुई खंडवार चर्चा को जारी रखते हुए, सभापति ने बालकों के वैयक्तिक डाटा और संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से संबंधित विधेयक के खंड 16 के साथ-साथ श्री राजीव चन्द्रशेखर और श्री पी. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को समिति के विचारार्थ रखा।

4. चर्चा के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समिति को बताया कि मंत्रालय उप-खंड 16(7) के पश्चात स्वास्थ्य और शैक्षिक उद्देश्यों हेतु बालकों के डाटा के उपयोग से संबंधित खंड 16(8) को जोड़े जाने का प्रस्ताव रखती है। समिति ने मंत्रालय से कहा कि वे इसका प्रारूप समिति के विचारार्थ रखें। इसके अतिरिक्त, सदस्यों

ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से खंड 16 के अन्य उप-खंडों पर भी स्पष्टीकरण मांगा।

5. विस्तृत चर्चा के उपरांत, समिति ने खंड 16(2) और खंड (3) को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया और खंड 16(1), 16(5) और 16(7) में अल्प परिवर्तन किया। खंड 16(4) के संबंध में समिति ने संरक्षक डाटा विश्वासी के एक नए वर्ग, जिसके वही अधिकार और दायित्व हों, जो डाटा विश्वासी के होते हैं, के सृजन की जरुरत महसूस की। चूंकि इसका कोई लाभ नहीं है अतः समिति ने निर्णय लिया कि खंड को निरसित किया जाए। समिति ने खंड 16 की व्याख्या को भी निरसित करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति के 46वीं बैठक बुधवार, ,दिसम्बर 022020 को 1500 बजे से 1715 बजे तक कमरा सं ,53संसद भवन ,नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी चौधरी .पी.
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री भूपेन्द्र यादव
. 11श्री सुरेश प्रभु
12. श्री राजीव चन्द्रशेखर
13. श्री अश्वनी वैष्णव
14. श्री विवेक केतन्खा .
15. डॉअमर पटनायक .

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय - निदेशक
2. डॉ मोहित राजन अवर सचिव -

प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री राजेन्द्र कुमार	-	अपर सचिव
श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
डॉ ओमपाल	-	वैज्ञानिक 'डी'
श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री इश्वर चंदर शर्मा - उप विधायी काउंसेल

2. माननीय सभापति ने सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात् इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। समिति ने खंड 16 पर पुनः चर्चा आरंभ की । पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा के पश्चात समिति ने खंड 16(4) पर पुनः विचार किया और निर्णय लिया कि उप धारा 4 का लोप किया जाए। समिति ने सुझाव दिया कि अभिभावक डाटा विश्वासी को खंड 26 के अंतर्गत परिभाषित किया जाए । समिति ने खंड 16(6) पर पुनर्विचार किया और उपखंड 16(6) को अल्प आशोधन के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया और अन्य उपखंडों को तदनुसार पुनः क्रमांकित किया गया।

3. समिति ने इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से खंड 16 के अंत में अंतर्विष्ट करने के लिए एक उपखंड तैयार करने को भी कहा जो बालक की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी डाटा विषयक परंतुक से संबंधित हो ।

4. तत्पश्चात समिति ने श्री राजीव चन्द्रशेखर, डॉ,अमर पटनायक . श्री पीचौधरी .पी. द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित खंड ।को विचार के लिए लिया 17 समिति ने इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से खंड 17 के विभिन्न प्रावधानों को जीडीपीआर के संबंधित खंडों की तुलना में स्पष्ट करने को कहा । विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने खंड 17 को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

5. तत्पश्चात, समिति ने विचार विमर्श के पश्चात् खंड 18 और श्री पी.पी. चौधरी तथा डॉ अमर पटनायक द्वारा प्रस्तावित संबंधित संशोधनों पर चर्चा आरंभ की । विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने फ़िलहाल खंड 18 को बिना किसी संशोधन के अंतिम रूप दिया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक ,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति के 4,वीं बैठक बुधवार7 ,दिसम्बर 32020 को 1100 बजे से बजे तक 1330 53 कमरा सं, संसद भवन ,नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी -सभापति

लोकसभा

2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डाकिरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (.प्रो) .
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेन्द्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक केतन्खा .
13. डॉअमर पटनायक .

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय - निदेशक
2. डॉ मोहित राजन अवर सचिव -

मंत्रालयविभाग के प्रतिनिधि/

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री राजेन्द्र कुमार	-	अपर सचिव
श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
डॉ ओमपाल	-	वैज्ञानिक 'डी'
श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों ,इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ,विधि और न्याय मंत्रालय)विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग(के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया ।

3. तत्पश्चात माननीय सभापति ने मंत्रालय से खंड में अंतर्विष्ट किये जाने वाले 16 प्रारूप परन्तुक को प्रस्तुत करनेे को कहा समिति विधायी। विभाग द्वारा सुझाये गये अनुसार खंड । पर्युक्त परन्तुक को अंतर्विष्ट करने के लिए सहमत हो गई के अंत में उ 16 समितिने विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सुझाये गये अनुसार अध्याय चार के नाम में और खंड 18(1)ग में संशोधन किया ।

4. तत्पश्चात समिति ने पर श्री पी.पी. चौधरी तथा डॉ. अमर पटनायक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित खंड 19 (डाटा सुवाहयता का अधिकार) विचार किया। इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अन्य देशों के विधानों के सुवाहयता खंडों की तुलनात्मक प्रस्तुति तैयार करने को कहा। चर्चा अनिर्णीत रही ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 48वीं बैठक गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1730 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक के. तन्खा
13. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. डॉ. ओमपाल - वैज्ञानिक 'डी'
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. समिति ने खंड 19 पर अपनी चर्चा को जारी रखा और केवल खंड 19(2)(ख) में अल्प परिवर्तन के साथ खंड 19 को स्वीकृत किया।

4. तत्पश्चात, समिति ने सभी प्रस्तावित संशोधनों के साथ खंड 20 (क्षमा किए जाने जाने का अधिकार) को विचारार्थ लिया। विस्तृत चर्चा के उपरांत तथा निजता के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायलय के निर्णय (न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी और एएनआर. बनाम भारत संघ) को ध्यान में रखते हुए, समिति ने खंड 20 में बिना परिवर्तन किए उसे यथावत रखा।

5. उसके बाद, समिति ने खंड 21 (अध्याय पांच में अधिकारों के प्रयोग के लिए साधारण शर्तें) को विचारार्थ लिया और समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों पर चर्चा की। समिति ने उप-धारा 21(5) के पश्चात परंतुक जोड़े जाने को भी कहा।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 49वीं बैठक शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1315 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री तेजस्वी सूर्या
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री भूपेंद्र यादव
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री अश्वनी वैष्णव
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का संयुक्त समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. अपनी पूर्ववर्ती बैठक को जारी रखते हुए, समिति ने अध्याय पांच में अधिकारों के प्रयोग के लिए साधारण शर्तों से संबंधित खंड 21 पर अपनी चर्चा को जारी रखा। समिति ने विधायी विभाग द्वारा लाए गए प्रारूप संशोधन पर विचार किया । प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत, समिति ने खंड 21(5) में एक परंतुक जोड़े जाने पर सहमति दी तथा खंड 21 के अन्य प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

4. तत्पश्चात, समिति ने खंड 22 (डिजाइन नीति द्वारा निजता) को विचारार्थ लिया तथा श्री राजीव चन्द्रशेखर, श्री गौरव गोगोई और श्री पी. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की।

5. चर्चा के उपरांत, समिति ने खंड 22(3) में परिवर्तन के साथ खंड 22 को स्वीकार किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 50वीं बैठक बुधवार, 9 दिसम्बर, 2020 को 1400 बजे से 1815 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. एडवोकेट अजय भट्ट
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. संजय जायसवाल
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

7. श्री भूपेंद्र यादव
8. श्री राजीव चन्द्रशेखर
9. श्री विवेक के. तन्खा
10. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
2. डॉ. ओमपाल - वैज्ञानिक 'डी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का संयुक्त समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. समिति ने विधायी विभाग द्वारा लाए गए खंड 23 में प्रस्तावित संशोधनों पर आधारित प्रारूप को विचारार्थ लिया। उसके बाद, समिति ने खंड 23, विशेष रूप से सहमति प्रबंधक की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। खंड 23(1) और खंड के व्याख्या पैराग्राफ में संशोधन किया गया। समिति ने मंत्रालय को खंड 3 पर चर्चा के समय विचारार्थ लिए जाने हेतु सहमति प्रबंधक की प्रारूप परिभाषा तैयार करने का भी निदेश दिया।

4. तत्पश्चात, समिति ने विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ खंड 24 को विचारार्थ लिया। खंड 24 को बिना किसी संशोधन के पारित किया गया।

5. उसके बाद, समिति ने खंड 25 जिसका संबंध डाटा भंग की रिपोर्टिंग से है, को विचारार्थ लिया। समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर खंड 25 के प्रावधानों पर चर्चा की। समिति ने सदस्यों के सुझावों के आधार पर विधायी विभाग से डाटा स्वामी के अधिकार जिसे डाटा भंग की सूचना दी जानी है, के साथ-साथ डाटा भंग की रिपोर्टिंग हेतु विशिष्ट समय-सीमा जैसा कि जीडीपीआर में शामिल है, से संबंधित खंड 25 का प्रारूप पुन: तैयार करने को कहा।

6. तत्पश्चात, समिति ने विधेयक के खंड 26 पर चर्चा प्रारंभ की। चर्चा अनिर्णायक रही।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 51वीं बैठक गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1815 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. एडवोकेट अजय भट्ट
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ. संजय जायसवाल
5. श्री अरविन्द धर्मापुरी
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

7. श्री भूपेंद्र यादव
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. डॉ. ओमपाल - वैज्ञानिक 'डी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधि परामर्शदाता

(विधायी विभाग)

. 1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया।

3. जैसा कि समिति ने अपनी पिछली बैठक में निदेश दिया था विधायी विभाग ने व्यक्तिगत डाटा भंग की सूचना से संबंधित खंड 25 में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप पुनः तैयार करके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । समिति ने प्रारूप के आलोक में खंड 25 पर पुनः विचार किया और खंड 25(3) में संशोधन करने के लिए सहमत हुई । समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय को खंड 25(5) का प्रारूप पुनः तैयार करने का भी निर्देश दिया।

4. तत्पश्चात सभापति ने खंड 26 (डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण)को चर्चा के लिए रखा और खंड पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय से समिति द्वारा खंड 26 पर किए गए विचार विमर्श के अनुरूप खंड 26 के स्पष्टीकरण का प्रारूप पुनः तैयार करने का निर्देश दिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित खंड 27 से 30 पर विचार विमर्श आरंभ किया। विनय खंड 27 और 28 को बिना किसी आशोधन के स्वीकार किया। समिति ने खंड 29 के उपखंड 4 में आशोधन किया। समिति ने खंड 3(12) में डाटा लेखा परीक्षक को परिभाषित करने का भी निर्णय लिया और विधि और न्याय मंत्रालय को खंड 29(4) का प्रारूप तदनुसार पुनः तैयार करने का निर्देश दिया।

6. जहां तक खंड 30 का संबंध है समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डाटा सुरक्षा अधिकारी खंड की तुलना जीडीपीआर से करने और समिति के समक्ष इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने को कहा।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 52वीं बैठक शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2020 को 1400 बजे से 1715 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई I

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. एडवोकेट अजय भट्ट
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. श्री संजय जायसवाल
5. श्री अरविंद धर्मापुरी
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

8. श्री भूपेन्द्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. राजीव चंद्रशेखर
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक के. तन्खा
13. डॉ अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. डॉ मोहित राजन - अवर सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेन्द्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. डॉ. ओमपाल - वैज्ञानिक 'डी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सोहन कुमार शर्मा - उप विधिक सलाहकार (विधायी विभाग)
2. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

2. प्रारंभ में माननीय सभापति ने संयुक्त समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. समिति ने खंड 30 पर विचार विमर्श शुरू किया। समिति ने खंड 30(3) में लघु रूपांतरणों के साथ खंड 30 को अंतिम रूप दिया।

4. समिति ने खंड 31 को विचारार्थ लिया तथा विचार विमर्श के बाद खंड 31(3) में लघु उपांतरण के साथ खंड 31 को अंतिम रूप दिया।

5. इसके बाद समिति ने खंड 32 पर विचार विमर्श शुरू किया तथा उपयुक्त विचार विमर्श के बाद बिना किसी उपांतरण के खंड 32 को अंतिम रूप दिया।

6. इसके बाद समिति ने खंड 33 और 34 पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। इन खंडों पर विचार विमर्श किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति के 53वीं बैठक बुधवार, 16 दिसंबर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेन्द्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक के. तन्खा
13. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

3. डॉ राजेन्द्र कुमार - अपर सचिव
4. श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी'
5. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
6. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

2. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी सलाहकार

2. समिति ने खंड 26 पर पुन: चर्चा शुरू की। समिति का मत था कि खंड 26 के अंतर्गत महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी और सोशल मीडिया मध्यवर्ती के बीच अंतर के बारे में स्पष्टता नहीं है। इसलिए समिति ने चर्चा के आधार पर खंड 26 का प्रारूप पुन: तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निदेश दिया।

3. इसके बाद समिति ने खंड 35 को विचारार्थ लिया। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समिति के समक्ष इस इस अधिनियम के अनुप्रयोग से सरकार की किसी एजेंसी को छूट देने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित खंड 35 के समान उपबंध वाले विभिन्न देशों के भिन्न-भिन्न अधिनियमों के बीच तुलना करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। सदस्यों ने खंड 35 के अधीन केंद्र सरकार को प्रदान की गई शक्ति को लेकर अपनी चिंता/राय व्यक्त की। सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं के आधार पर विधायी विभाग से खंड 35 का प्रारूप पुन: तैयार करने को कहा गया।

4. इसके बाद समिति ने खंड 36 को विचार विमर्श के लिए लिया। समिति का मत था कि खंड 36 के प्रथम पैरा की भाषा का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप खंड 36 में उपयुक्त उपांतरण का सुझाव दिया गया तथा विधायी विभाग को तदनुसार इसका प्रारूप पुन: तैयार करने का निदेश दिया गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 54वीं बैठक बुधवार ,16 दिसम्बर , 2020 को 1430 बजे से 1745 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पांडेय

राज्य सभा

9. श्री भूपेंद्र यादव
10. श्री सुरेश प्रभु
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक के. तन्खा
13. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय-निदेशक

2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर श्रीनिवास - अपर विधायी काउंसेल

2. समिति ने पिछली बैठक में हुई चर्चा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा खंड 26 में प्रस्तावित प्रारूप परिवर्तनों पर विचार किया। समिति ने खंड 26(4) के पाठ को बदलने और खंड 26(1) में नई उप धारा(च) अंत:स्थापित करने तथा उक्त खंड के स्पष्टीकरण में परिवर्तन करने का निर्णय लिया।

3. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ,खंड 35 में प्रारूप परिवर्तनों पर भी विचार किया। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात समिति ने खंड 35 के स्पष्टीकरण में 'ऐसी प्रक्रिया' को परिभाषित करने के द्वारा खंड 35 में आशोधन किया।

4. तत्पश्चात समिति ने खंड 36 को विचार के लिए लिया । समिति का विचार था कि खंड 36 के पहले पैराग्राफ की भाषा को सरल किए जाने की आवश्यकता है। अतः खंड 36 में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दिया गया और विधायी विभाग को इसे तदनुसार पुनः तैयार करने का निदेश दिया गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 55वीं बैठक गुरुवार, 17 दिसम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा सं 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3 कर्नल राज्यवर्धन राठौर
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पांडेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेन्द्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री अश्वनी वैष्णव
12. श्री विवेक के. तन्खा
13. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1 . डॉ राम राज राय-निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी',एनआईसी
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा - उप विधायी काउंसेल

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया। साथ ही समिति और अधिकारीयों का ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 55 की ओर आकर्षित किया गया।

3. समिति ने खंड 41 पर चर्चा आरंभ की जो भारत में डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में है । माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन पढ़कर सुनाए। प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में समिति ने डीपीए की संरचना वास्तुशिल्प और प्रचालन प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

4. चर्चा के दौरान समिति ने विचार व्यक्त किया कि डीपी एक मजबूत संगठन होना चाहिए जो नागरिकों के निजता के मूल अधिकार को बनाए रखता है और साथ ही कानून के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकता है साथ ही समिति ने डीपीए की विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, अधिकार संरचना, और कार्यकरण के संबंध में अपनी चिंताएं प्रकट की । इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए समिति ने डीपीए की स्थापना से संबंधित अध्याय 9 के अधीन सभी उपबंधो का अध्ययन करने के बाद चर्चा करने का निर्णय लिया, ताकि किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। खंड 41 पर चर्चा अधूरी रही ।

तत्पश्चात साक्षीगण बैठक से चले गये।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 56वीं बैठक, 17 दिसंबर, 2020 को 1500 बजे से 1730 बजे तक कमरा सं-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
4. डॉ किरीटभाई सोलंकी
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चंद्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉक्टर अमर पटनायक

सचिवालय

1.डॉ. राम राज राय - निदेशक

2.श्री.बी.एन.महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी' एनआईसी
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर विधिक अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री ईश्वर चंद शर्मा - उप विधिक काउंसेल

2. सर्वप्रथम माननीय सभापति की अनुपस्थिति में, समिति ने श्री भर्तृहरि महताब, सांसद को सभापति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। समिति ने पहले सुबह के सत्र से चर्चा जारी रखी और अधिनियम के अनुप्रयोग से कतिपय एजेंसियों को छूट देने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित खंड 35 को फिर से विचार के लिए लिया। सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद कि क्या खंड के तहत छूट राज्य एजेंसियों को भी दी जाएगी, यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि सभी राज्य एजेंसियों को खंड 36 के तहत कवर किया जाएगा, इसलिए खंड 35 के तहत केंद्र सरकार से किसी विशिष्ट छूट की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3. समिति ने भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित अध्याय IX को समिति के विचारार्थ लिया। समिति ने अध्याय IX और X के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) डाटा संरक्षण प्राधिकरण की संरचना, भूमिका, शक्ति और कार्य ;(ii) डीपीए के सदस्यों की अर्हता; (iii) प्रशासन, जांच और निर्णय के संबंध में डीपीए और न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यों का अतिव्यापीकरण और (iv) अपीलीय प्राधिकारी और न्याय निर्णयन अधिकारी की शक्तियां।

4.इसके बाद, सभापति बैठक में शामिल हुई और विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विधायी विभाग को समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने और डीपीए के विशिष्ट कार्यों, न्यायनिर्णय और समस्या समाधान तंत्र, न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति, अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और कार्यशीलता तथा डीपीए और न्याय निर्णयन अधिकारी के संचालन की पूरी प्रणाली जैसे पहलुओं को सम्मिलित करते हुए अध्याय IX और X के अंतर्गत उपबधों को पुनःप्रारूप करें।

तत्पश्चात प्रतिनिधि चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई ।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी स्थायी समिति

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 संबंधी समिति की 57वीं बैठक 18 दिसंबर 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कक्ष संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री भूपेन्द्र यादव
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार - अवर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी', एनआईसी
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

विधायी विभाग

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग तथा विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया।

3. आरंभ में समिति ने खंड 36 के अधीन उप-धाराओं (ड.) तथा (घ) पर विचार किया। समिति ने खंड 36(ड.) के अंतर्गत पत्रकारीय उद्देश्य के लिए दिए गए व्यापक क्षेत्राधिकार पर चिंता जताई। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मीडिया परिषद रखने के प्रस्ताव को समिति के प्रतिवेदन के अंग के रूप में शामिल किया जाएगा।

4. आगे, समिति ने अध्याय ग्यारह तथा बारह (खंड 67 से 81) जो 'अपीलीय अधिकरण' तथा 'वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा' से संबंधित है, पर विचार किया तथा अल्प संशोधन के साथ खंड 67 को अंतिम रूप दिया।

5. तत्पश्चात् समिति ने खंड 68 पर चर्चा आरंभ की तथा 69(1)(क) तथा (ख) में अल्प संशोधन के साथ खंड 68 को अंतिम रूप दिया।

6. समिति ने खंड 69 से 73 पर विचार किया तथा खंड 70, 71 तथा 73 को बिना किसी संशोधन के तथा खंड 69, 72 को अल्प संशोधन के साथ अंतिम रूप दिया।

7. खंड 74 पर विचार करते हुए, निर्णय को कार्यरूप देने में विलंब से बचने के उद्देश्य से समिति ने यह सुझाव दिया कि अधिकरण के पास अपने आदेशों पर कार्यवाही करने की शक्ति हो। समिति ने आगे यह सुझाव दिया कि उक्त खंड को संशोधित किया जाए जिससे किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार के अन्य अधिकारी को सेवा के लिए अधिकरण के पास तैनात किया जा सके। साथ ही समिति ने खंड 74(2) का संशोधन किया।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी स्थायी समिति

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 संबंधी समिति की 58वीं बैठक 18 दिसंबर 2020 को 1500 बजे से 1800 बजे तक कक्ष संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

7. श्री भूपेन्द्र यादव
8. श्री सुरेश प्रभु
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेन्द्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी', एनआईसी
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के हस्तांतरण के संबंध में खंड 34 पर विचार करना शुरू किया। समिति ने यह सिफारिश की कि डाटा स्वामी के डाटा की अदला-बदली के लिए किसी करार में प्रवेश करने से पहले भारत की लोक नीति को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा विधेयक में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि डाटा के हस्तांतरण के लिए शर्त पूरी तरह से पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।

3. आगे, समिति ने खंड 68 पर पुन: विचार किया तथा खंड 69(1)(क) तथा (ख) में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अनुभव तथा अर्हता के संबंध में संशोधन किए। इसके अलावा समिति ने "विधि व्यवसायी" की व्याख्या से संबंधित खंड 76(2) में संशोधन को अंतिम रूप दिया।

4. उसके बाद समिति ने खंड 82 से 90 तक की जांच की तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया एवं खंड 82, 86 और 88 में बदलाव किए। अंत में मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को 23 दिसंबर 2020 की अगली बैठक तक सभी लंबित कार्य पूरे कर लेने को कहा गया।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्रवाही की प्रति रिकार्ड के लिए रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की कार्रवाई स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 59वीं बैठक बुधवार , 23 दिसम्बर , 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा सं-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. सुश्री महुआ मोइत्रा
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री अश्वनी वैष्णव

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी काउंसेल

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सभापति ने खंड 91 (डिजिटल अर्थव्यवस्था इत्यादि हेतु नीतियाँ तैयार करने को बढ़ावा देने संबंधी अधिनियम) को समिति के विचारार्थ रखा। चर्चा के दौरान समिति का मत था की खंड 91 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित " गैर व्यक्तिगत डाटा " को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। समिति ने मनीश तिवारी से अनुरोध किया की वे अनामीकृत गैर निजी डाटा की परिभाषा तैयार करें। समिति ने केंद्र सरकार द्वारा उप-खंड 91(2) के अंतर्गत निर्देशों के अंतर्गत प्रकटीकरण से सम्बंधित खंड 91(3) पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा अपूर्ण रही और समिति ने तय किया की खंड 91 पर बाद में चर्चा की जाएगी।

4. इसके बाद समिति ने खंड 92 को चर्चा के लिए लिया। विस्तृत विचार विमर्श के बाद समिति ने खंड 92 को बिना संशोधन के रखने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 60वीं बैठक बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1630 बजे तक कमरा सं-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री एस.एस. अहलुवालिया
4. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
5. डॉ.(प्रो.)किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल -वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी काउंसेल

2. अपने सुबह के सत्र को जारी रखते हुए समिति ने विधेयक पर खंडवार चर्चा प्राम्भ की। सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 259(1) के अंतर्गत सभी सदस्यों का ध्यान गणपूर्ति की ओर आकर्षित किया। समिति में दो रिक्त पदों का संज्ञान लेते हुए समिति ने नोट किया कि गणपूर्ति लगभग पूरी थी और बैठक को जारी रखने का निर्णय।

3. समिति ने खंड 91(2) के स्पष्टिकरण में गैर निजी डाटा की परिभाषा पर चर्चा पुनः जारी रखी। श्री मनीश तिवारी ने गैर निजी डाटा की परिभाषा बताई। समिति द्वारा परिभाषा को स्वीकार किया गया और खंड 91 में उपयुक्त संशोधन किया गया।

4. इसके बाद समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ खंड 94-97 को विचारार्थ लिया। चर्चा के उपरांत समिति ने खंड 94-97 को बिना संशोधनों के अंतिम रूप दिया।

5.समिति ने खंड 98 पर विचार किया और नोट किया की खंड के लिए कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं हैं। समिति ने खंड 98 को बिना संशोधन के अंतिम रूप दिया।

6.इसके बाद समिति ने विधेयक के खंड 91 पर अपनी चर्चा को पुनः प्रारंभ किया। समिति ने खंड 91 (3) को संशोधित करने का निर्णय लिया ताकि यह बताया जा सके कि इसके उप-खंड 91 (2) के अंतर्गत निर्देशों का केंद्र सरकार द्वारा प्रकटीकरण का ब्यौरा इसकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा सके, जिसे संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाए।

7.इसके बाद समिति ने क्षतिपूर्ति और दंड से सम्बंधित अध्याय ix और x को विचारार्थ लिया। समिति द्वारा यथानिर्देशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने

समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। समिति ने प्रस्तुति पर आधारित अध्याय ix और x के उपबंधों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा अपूर्ण रही । मंत्रालय को सदस्यों द्वारा जताई गई चिंताओं/ सुझावों पर आधारित कतिपय उपबंधों को पुनः तैयार करने के लिए कहा गया ।

8.समिति ने चाहा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय आईटी अधिनियम, आईटी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विनियामक निकायों का कार्यकरण और इसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों के विनियमन संबंधी एक प्रस्तुति को समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए तैयार करे।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।
कार्यवाही की शब्दश:प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 61वीं बैठक गुरुवार, 24 दिसम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1310 बजे तक कमरा सं-53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोकसभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री एस.एस. अहलुवालिया
4. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
5. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री भूपेंद्र यादव
10. श्री सुरेश प्रभु

सचिवालय

1. डॉ राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री राकेश महेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र सिंह खंडेलवाल - अपर शासकीय अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी काउंसेल

2. समिति ने क्षतिपूर्ति और दंड के उपबंधों और डाटा सरंक्षण प्राधिकरण से सम्बंधित अध्याय ix और x पर चर्चा को पुनः प्रारंभ किया। समिति ने पिछली बैठक में सदस्यों द्वारा जताई गई चिंताओं और सुझावों के आधार पर समिति के निर्देशों अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किये गए प्रारूप परिवर्तनों पर विचार किया। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने निर्देश दिया कि शिकायत तंत्र से सम्बंधित एक नए खंड 62 को विधेयक में जोड़ा जाये और तदनुसार अनुवर्ती खण्डों के क्रम में परिवर्तन किया जाये।

3. समिति ने इसके बाद खंड 85 पर चर्चा प्राम्भ की। समिति ने खंड 85 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन को सुना। समिति ने खंड 85 पर चर्चा की। इस संबंध में चर्च अपूर्ण रही।

4. समिति ने गैर निजी डाटा के संबंध में विधेयक के कार्यक्षेत्र पर भी चर्चा की।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 62वीं बैठक गुरुवार, 24 दिसम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1820 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. श्री एस. एस. अहलुवालिया
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री राकेश माहेश्वरी - वैज्ञानिक 'जी'
4. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी परामर्शदाता

2. अपने प्रातःकालीन सत्र को जारी रखते हुए, समिति विधेयक पर खंडवार चर्चा हेतु पुनः समवेत हुई। सभापति ने सभी सदस्यों का ध्यान लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 259(1) के अंतर्गत गणपूर्ति की तरफ आकृष्ट किया। समिति में दो रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने नोट किया कि गणपूर्ति लगभग पूरी थी, इसलिए बैठक जारी रखने का निर्णय लिया ।

3. सर्वप्रथम, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह बताने के लिए कि किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य कानूनों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित किया जा रहा है समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया ।

4. समिति ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती से निपटने हेतु प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में, समिति ने समिति के प्रतिवेदन में सामान्य सिफारिशों के रूप में शामिल करने के लिए कतिपय टिप्पणियां की, । समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निदेश दिया कि सदस्यों के सुझावों/चिंताओ को ध्यान में रखते हुए खंड 26 को पुनः तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति ने खंड 50 पर पुनर्विचार किया और इसमें कतिपय संशोधन किए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 63वीं बैठक सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री अरविंद धर्मापुरी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री सुरेश प्रभु
10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के संबंध में प्रारंभिक चर्चा के उपरांत, सभापति ने सदस्यों का ध्यान विधेयक के कुछ उपबंधों जिन्हें बाद के स्तर में चर्चा हेतु विचारार्थ रखा गया था, की ओर आकृष्ट कराया।

4. तत्पश्चात, सभापति ने सुभेद्य हार्डवेयर सिस्टम्स के माध्यम से डाटा लीक के मुद्दे को रेखांकित करने हेतु ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, 'द बिग हैक: चीन ने अमेरिकी कंपनियों को घुसपैठ करने के लिए एक टिनी चिप का इस्तेमाल कैसे किया' को समिति के संज्ञान में रखा।

5. इसके बाद, इस संबंध में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की:-

(एक) हार्डवेयर सिस्टम्स और डाटा लीकेज (दो) हार्डवेयर उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणिकता जांच (तीन) मौजूदा सरकारी हार्डवेयर जांच सुविधाएं (चार) इस संबंध में डाटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) की संभावित भूमिका (पांच) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय सामान्य मानदंड प्रामाणिकता स्कीम (छह) विधेयक के दायरे में हार्डवेयर सिस्टम्स को विनियमित करने हेतु प्रावधानों को शामिल करना (सात) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण को विनियमित करने हेतु विस्तार और क्षेत्र तथा उनके उत्तरदायित्व।

चर्चा अनिर्णीत रही।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की प्रति रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 64वीं बैठक सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020 को 1500 बजे से 1745 बजे तक कमरा संख्या- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी. पी. चौधरी
3. डॉ. संजय जायसवाल
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री अरविंद धर्मापुरी
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री मनीश तिवारी

राज्य सभा

8. श्री भूपेंद्र यादव
9. श्री राजीव चन्द्रशेखर
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी. एन. महापात्रा - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आनंद - अपर विधायी अधिवक्ता

2. समिति ने हार्डवेयर डिवाईसेस द्वारा डाटा संग्रहण और उस पर विधेयक की प्रयोज्यता के विस्तार के सम्बंध में अपनी बैठक को जारी रखा। समिति ने पूर्ववर्ती बैठक में हुई चर्चा के आधार पर, हार्डवेयर निर्माताओं के विनियमन हेतु श्री मनीश तिवारी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप प्रावधान पर विचार किया। समिति ने प्रस्तावित प्रारूप और अन्य पहलुओं जैसे कि डिजिटल उत्पादों हेतु मानकों को निर्धारित करना और डिवाईसेस की सुरक्षा और संपूर्णता की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना पर चर्चा की।

3. समिति ने डाटा स्वामी के अधिकारों संबंधी अध्याय पांच के अंतर्गत मृत डाटा स्वामी के अधिकारों को शामिल किए जाने और एक नई उपधारा 17(4) जोड़े जाने पर चर्चा की।

4. तत्पश्चात, खंड 34 पर पुन: चर्चा हुई । विस्तृत चर्चा के उपरांत, समिति ने खंड 34(1)(ख) में एक नया उप-पैरा (iii) जोड़ा।

5. उसके बाद, समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए निश्चित समय-सीमा उपलब्ध कराने हेतु वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित विधेयक के खंड 2 में परिवर्तन करने पर पुनर्विचार किया। उचित चर्चा के उपरांत, समिति ने इस संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन न करने का निर्णय लिया।

6. समिति ने कतिपय क्षेत्रों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमता का सही इस्तेमाल, डाटा की पहुँच के संबंध में डाटा स्वामी के अधिकार, डाटा संरक्षण प्राधिकरण और महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के विनियमन, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के उत्तरदायित्व आदि के संबंध में भी

चिंता प्रकट की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उस पर स्पष्टीकरण दिया और परिणामस्वरुप खंडों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये।

7. इसके अलावा, समिति ने खंड 85 पर चर्चा की और खंड 85 के उपांत शीर्षक में टिप्पण सहित खंड 85 में छोटे संशोधनों को अंतिम रूप दिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 65वीं बैठक मंगलवार, 29 दिसंबर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक कमरा सं- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री अरविंद धर्मपुरी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री राजीव रंजन सिंह
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

9. श्री भूपेंद्र यादव
10. श्री राजीव चंद्रशेखर
11. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री. बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आंनद - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने संयुक्त समिति के सभी सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डाटा संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित खंड 49 के तहत श्री मनीश तिवारी के प्रस्ताव के आधार पर हार्डवेयर निर्माताओं और उपकरणों के विनियमन के लिए प्रारूप उपबंध को शामिल करने का सुझाव दिया। समिति ने मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और उचित विचार-विमर्श के बाद एक नई उप धारा 49(2)(o) को शामिल करने और खंड की संख्या में परिणामी परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की। समिति ने इस संबंध में एक नया परंतुक 5(2) भी शामिल किया।

4. इसके बाद समिति ने विधेयक के तहत विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित खंड 3 पर विचार करना शुरू किया। समिति ने खंड 3(1) से 3(7) विशेष रूप से खंड 3(2) में दी गई अनामीकरण की परिभाषा पर विस्तृत चर्चा की। खंड 3(1) से 3(7) बिना किसी संशोधन के पारित किए गए।

5. इसके बाद, खंड 34 को फिर से चर्चा के लिए लिया गया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 66वीं बैठक मंगलवार, 29 दिसंबर, 2020 को 1500 बजे से 1840 बजे तक कमरा सं- 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. श्री पी.पी. चौधरी
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री अरविंद धर्मपुरी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. श्री राजीव रंजन सिंह
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

9. श्री भूपेंद्र यादव
10. श्री राजीव चंद्रशेखर
11. श्री विवेक के. तन्खा

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री. बी. एन. महापात्र - संयुक्त निदेशक

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. सुश्री सुनीता आंनद - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने खंड 3(8) के तहत 'बालक' की परिभाषा के साथ शुरुआत करते हुए खंड 3 पर अपने विचार-विमर्श को फिर से शुरू किया। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निम्नलिखित खंडों/उप-धाराओं में संशोधनों को अंतिम रूप दिया:-

(एक) उप-धारा (13) में थोड़ा संशोधन किया गया।

(दो) 'हानि' की परिभाषा के तहत नया उप खंड 3(20)(xi) अंतर्विष्ट किया गया।

(तीन) 3(29) के तहत "व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन" की परिभाषा को संशोधित किया गया।

3. परिभाषाओं पर चर्चा के दौरान समिति ने विधेयक की अनुसूची पर भी विचार किया। अनुसूची और आईटी अधिनियम में किए जाने वाले परिणामी परिवर्तनों विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित चर्चा अनिर्णायक रही और उस समय कोई संशोधन नहीं किया गया।

4. तत्पश्चात, समिति ने उन खण्डों पर विचार किया जिनमें प्रस्तावित परिवर्तनों को अंतिम स्वीकृति नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप निम्नलिखित खंडों में संशोधन किए गए:-

(एक) खंड 11(3)(ख) में आंशिक संशोधन किया गया।

(दो) सहमति वापस लेने के विधिक परिणामों से संबंधित खंड 11(6) में संशोधन किया गया।

(तीन) नई उपधारा 49(2)(o)) में परिवर्तन किया गया जिसे पहले समिति द्वारा अंतर्विष्ट किया गया था।

5. उसके बाद, समिति ने विधेयक पर खंड-वार चर्चा समाप्त की तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विधायी विभाग को यथा संशोधित विधेयक की विधिक समीक्षा करने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 67वीं बैठक बुधवार,15 सितम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष - 3 , संसदीय सौध विस्तार , नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी पी चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. कर्नल (सेवानिवृत)राज्यवर्धन राठौर
3. डॉ. संजय जायसवाल
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. श्री उदय प्रताप सिंह
6. डॉ सत्यपाल सिंह
7. श्रीमती अपराजिता सारंगी
8. श्री गौरव गोगोई
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री मनीश तिवारी
11. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

12. श्री राकेश सिन्हा
13. श्री सुरेश प्रभु
14. डॉ सुधांशु त्रिवेदी
15. श्री जयराम रमेश
16. श्री विवेक के. तन्खा
17. श्री देरेक ओब्राईन
18. श्री ए. नवनीतकृष्णन
19. प्रो राम गोपाल यादव
20. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापित ने समिति के सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया। और समिति में 7 नए सदस्यों नामत: श्री दयानिधि मारन, डॉ सत्यपाल सिंह, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री राकेश सिन्हा, डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे,डॉ सुधांशु त्रिवेदी और श्री राम गोपाल यादव की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

3. माननीय सभापति ने आगे विचार-विमर्श के लिए योजना तैयार करने के लिए समिति की आंतरिक बैठक करने का निर्णय लिया। क्योंकि 67वीं बैठक का कार्यवृत संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 तथा संयुक्त समिति में विचार किए गए और सभापति द्वारा संशोधन के लिए दिए गए सुझावों की तुलना करना था, सदस्यों ने विधेयक पर पुनर्विचार के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की। समिति का विचार था कि केवल उन्हीं खंडों पर पुनर्विचार किया जाए जिन पर सभापति द्वारा संशोधनों का सुझाव दिया गया था । समिति के सदस्यों ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि दिसंबर 2020 तक वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के संबंध में संयुक्त समिति के विचार विमर्श का सचिवालय द्वारा यथा तैयार किया गया सारांश सदस्यों को परिचालित किया जाए। समिति ने नए सदस्यों को विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में संशोधन संबंधी अपने सुझाव देने का अवसर देने पर भी विचार विमर्श किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 68वीं बैठक गुरुवार, 16 सितम्बर, 2021 को 1100 बजे से 1315 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी पी चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
3. डॉ सत्यपाल सिंह
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री राजीव रंजन सिंह (ललन)
6. श्री गौरव गोगोई
7. सुश्री महुआ मोइत्रा
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री राकेश सिन्हा
11. श्री सुरेश प्रभु
12. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे
13. डॉ सुधांशु त्रिवेदी
14. श्री जयराम रमेश
15. श्री विवेक के. तन्खा
16. श्री ए. नवनीतकृष्णन
17. प्रो राम गोपाल यादव
18. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बी एन मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव(विधि कार्य विभाग) और सचिव (अतिरिक्त प्रभार)विधायी विभाग
2. श्री राजवीर सिंह वर्मा -- अपर सचिव
3. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. श्री आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का संयुक्त समिति की बैठक में स्वागत किया। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता संबंधी निर्देश 55(1) के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया।

3. समिति ने संसद में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019 तथा संयुक्त समिति में विचार किए गए और सभापति द्वारा संशोधन के लिए दिए गए सुझावों का तुलनात्मक विश्लेषण किया। समिति ने मूल विधेयक के खंड 2क (ख) पर सभापति

द्वारा सुझाए गए संशोधनों और संयुक्त समिति द्वारा व्यक्तिगत डाटा के प्रक्रमण के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में अपनी पहले की गई चर्चा के दौरान यथा अंत:स्थापित 2क(घ) , जिसे खंड 91 (डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि के लिए नीतियां तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम) और 92 (बायोमेट्रिक डाटा के कुछ रूपों का प्रक्रमण करने पर प्रतिबन्ध) के साथ पठित, पर विस्तृत विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त खंडों पर दिए गए सुझावों को स्वीकार किया और तदनुसार खंड 2 में संशोधन किया।

4. समिति ने मूल विधेयक के खंड 3 (1) से (12) और संयुक्त समिति द्वारा अपनी पहले की चर्चा के दौरान यथा अन्तःस्थापित खंड 3 (11) के संबंध में सभापति के सुझावों पर विचार किया जो परिभाषाओं से सम्बंधित हैं और इन्हें स्वीकार किया ।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 69वीं बैठक गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री मनीश तिवारी
5. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

7. श्री राकेश सिन्हा
8. डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे
9. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
10. श्री जयराम रमेश
11. श्री विवेक के. तन्खा
12. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव (विधायी कार्य विभाग) और सचिव (अतिरिक्त प्रभार) [विधायी विभाग]

2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ - अपर सचिव

2. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. बैठक की शुरुआत में, माननीय सभापति ने सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में निदेश 55(1) के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

3. समिति ने मूल विधेयक के खंड 29 और 92 के साथ पठित 'डाटा संपरीक्षक' को परिभाषित करने वाले मूल विधेयक के खंड 23 और खंड 3(12) के साथ पठित समिति द्वारा अनुशंसित 'सहमति प्रबंधक' को परिभाषित करने वाले खंड 3(11) को पुन: विचारार्थ लिया। इस मामले पर विस्तृत चर्चा के पश्चात समिति ने सभापति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया और मूल विधेयक के खंड 3(12) से 'स्वतंत्र' शब्द को हटा दिया। इसके बाद समिति ने मूल विधेयक की धारा 91 के साथ पठित "डाटा भंग" को परिभाषित करते हुए नए अंत:स्थापित खंड 3(14) को विचारार्थ लिया। नए खंड 3(14) पर चर्चा अनिर्णित रही।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 70वीं बैठक गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को 1400 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. श्री मनीश तिवारी
4. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
5. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

6. श्री राकेश सिन्हा
7. डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे
8. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
9. श्री जयराम रमेश
10. श्री विवेक के. तन्खा
11. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. डॉ. राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव (विधायी कार्य विभाग) और सचिव (अतिरिक्त प्रभार) [विधायी विभाग]
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ - अपर सचिव
2. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने डाटा भंग को परिभाषित करने वाले नए अंत:स्थापित खंड 3(14) पर चर्चा जारी रखी और सभापति द्वारा इसमें दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद समिति ने मूल विधेयक के खंड 3(13) और 3(15) में सभापति द्वारा सुझाए गए अल्प बदलावों जो 'डाटा विश्वासी' और 'डाटा प्रक्रमणकर्ता', डाटा संरक्षण अधिकारी के बारे में खंड 3(17) और संयुक्त समिति की पिछली बैठकों में उनके द्वारा अंत:स्थापित खंड 3(22)(xii) जो अपहानि को परिभाषित करता है, में बदलावों को स्वीकार किया। खंड 3(22)(x) के संबंध में, जो अपहानि को परिभाषित करता है कि "कोई अन्य संप्रेक्षण या

निगरानी, जो डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित न हो", समिति ने निर्णय लिया कि इस पर बाद के चरण में चर्चा की जा सकती है।

3. तदुपरांत, समिति ने सभापति के सुझाव पर 'गैर-वैयक्तिक डाटा' और 'गैर-वैयक्तिक डाटा भंग' की परिभाषा को विचारार्थ लिया और इसकी अनुशंसा की। तदनुसार, नए खंडों को क्रमशः खंड 3(28) और 3(29) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है। आगे समिति ने सभापति के इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया कि "यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिसे इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है, के शब्द क्रमशः उस अधिनियम के उनके अर्थ के समान होंगे", जैसा कि संयुक्त समिति की पूर्व बैठकों में खंड 3(43) के अंतर्गत अंत:स्थापित किया गया, को हटा दिया जाए।

3. तत्पश्चात, समिति ने मूल विधेयक के खंडों अर्थात वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रतिषेध संबंधी खंड 4, वैयक्तिक डाटा के संग्रहण या प्रक्रमण के लिए सूचना की अपेक्षा संबंधी खंड 7(2), डाटा विश्वासी की उत्तरदेयता संबंधी खंड 10 और वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बन्धन संबंधी खंड 6 में परिवर्तनों के संबंध में सभापति के सुझावों पर विचार किया। समिति ने सभापति द्वारा खंड 8(4) में सुझाए गए संशोधन की भी सिफारिश की जिसे संयुक्त समिति द्वारा पिछली बैठकों में अंत:स्थापित किया गया था।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 71वीं बैठक बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को 1100 बजे से 1310 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. डॉ. सत्यपाल सिंह
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
8. सुश्री महुआ मोइत्रा
9. श्री मनीश तिवारी
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

12. श्री राकेश सिन्हा
13. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
14. श्री जयराम रमेश
15. श्री विवेक के. तन्खा
16. श्री ए. नवनीतकृष्णन
17. प्रो. राम गोपाल यादव
18. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक

2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री अजय साहनी - सचिव
2. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव (विधायी कार्य विभाग) और सचिव (अतिरिक्त प्रभार) [विधायी विभाग]
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ - अपर सचिव
2. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. बैठक की शुरुआत में, माननीय सभापति ने सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में निदेश 55(1) के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

3. समिति ने 'कतिपय मामलों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार' से संबंधित खंड 12 को विचारार्थ लिया । चर्चा के पश्चात, समिति ने इस खंड पर बाद में फिर से विचार करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात समिति ने खंड 13(1), खंड 14(1), खंड 16(3), खंड 17(2), खंड 18(4), खंड 19(2), खंड 20(5), खंड 21(2), खंड 22(2) को विचारार्थ लिया और इसके समक्ष रखे गए सुझावों पर चर्चा की तथा उसे स्वीकार किया। इसके बाद समिति ने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की पारदर्शिता से संबंधित खंड 23(1)(झ) [मूल विधेयक के खंड 23(1)(ज)] पर विचार किया। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने इस खंड को यथावत रखने का निर्णय लिया। तत्पश्चात, समिति ने खंड 25(5) के परंतुक पर विचार किया और इस खंड पर सभापति द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को स्वीकार किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संयुक्त समिति की पिछली बैठकों के दौरान अंत:स्थापित खंड 25 के स्पष्टीकरण को हटाया जाए। तत्पश्चात, समिति ने विधेयक के खंड 26(1) और (3) तथा खंड 27(5) पर विचार किया और खंडों पर विस्तार से चर्चा की।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 72वीं बैठक बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को 1400 बजे से 1710 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री तेजस्वी सूर्या
4. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. डॉ. सत्यपाल सिंह
6. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
7. सुश्री महुआ मोइत्रा
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

11. श्री राकेश सिन्हा
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री जयराम रमेश
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. श्री ए. नवनीतकृष्णन
16. प्रो. राम गोपाल यादव
17. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव (विधायी कार्य विभाग) और सचिव (अतिरिक्त प्रभार) [विधायी विभाग]
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. डॉ. रीटा वशिष्ठ - अपर सचिव
2. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के अधिकारियों का स्वागत करने के पश्चात, सभापति ने विधेयक पर समिति की चर्चा जारी रखी। समिति ने खंड 28 को विचारार्थ लिया जो अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है। समिति ने खंड 28(3) हेतु सुझाए गए मसौदा परिवर्तन को स्वीकार किया। चर्चा के दौरान, समिति के सदस्यों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और सोशल मीडिया मध्यवर्ती के लेखों के सत्यापन के मुद्दों और असत्यापित लेखों की जवाबदेही, उनके प्लेटफार्म पर पोस्ट की गई सामग्री तथा

अभिलेखों को सटीक और अद्यतित बनाए रखने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद समिति ने इस खंड पर बाद में विचार करने का निर्णय लिया।

3. तत्पश्चात, समिति ने खंड 29(7), खंड 30(1) को विचारार्थ लिया और सभापति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संयुक्त समिति की पूर्व बैठकों के दौरान अंत:स्थापित खंड 30 के स्पष्टीकरण को हटाया जाए।

4. इसके बाद समिति ने खंड 31(3), 34(1)(ख) और (ग) पर विचार किया तथा सभापति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को स्वीकार किया। तत्पश्चात, समिति ने विधेयक के खंड 35- 'केन्द्रीय सरकार की अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति' पर चर्चा की। इसके बाद समिति ने खंड 36, खंड 40 (च) को विचारार्थ लिया और सभापति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया। खंड 41(1) में समिति ने मूल खंड को यथावत रखने का निर्णय लिया। इसके बाद समिति ने सभापति और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठन और अर्हता संबंधी खंड 42 पर विचार किया। खंड पर विस्तृत चर्चा के पश्चात, समिति ने इस खंड पर बाद में पुन: विचार करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात, समिति ने खंड 44(1)(ख) और (ङ), खंड 44 (2), खंड 45, खंड 46(2) और (3), खंड 49 (2)(क), खंड 49 (2)(ण) [जैसा कि संयुक्त समिति की पूर्व बैठक में अंत:स्थापित किया गया है], खंड 49 (3), खंड 50(6)(ण) और (ध), खंड 51(2), खंड 53(1)(क), खंड 53(6), खंड 53(8)(ग), खंड 54(1)(छ), खंड 55(1), (2) और (4) में अल्प परिवर्तन किए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 73वीं बैठक बुधवार, 20 अक्तूबर, 2021 को 1100 बजे से 1315 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री दयानिधि मारन
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री राकेश सिन्हा
10. श्री सुरेश प्रभु
11. डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री जयराम रमेश
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. श्री देरेक ओब्राईन
16. प्रो. राम गोपाल यादव
17. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
2. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	डॉ. राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
3.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता	-	सचिव
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

2. बैठक की शुरुआत में, माननीय सभापति ने सभी सदस्यों तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में निदेश 55(1) के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

3. समिति ने अपनी पिछली बैठकों में अंत:स्थापित नए खंड 57(2), खंड 57(3)(ख)(iii), खंड 62(3) को विचारार्थ लिया और सभापति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया। तत्पश्चात, समिति ने खंड 62(1), (2) और (3) [नया खंड 63(1), (2) और (3)] पर चर्चा की और सभापति द्वारा प्रस्तावित सुझावों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार खंड 63(1) और (5) [नया खंड 64(1) (5)] में भी अल्प परिवर्तनों को स्वीकार किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश: प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 74वीं बैठक बुधवार 20 अक्टूबर 2021 को 1400 बजे से 1635 बजे तक समिति कक्ष सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री मनीश तिवारी
6. श्री दयानिधि मारन
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

9. श्री राकेश सिन्हा
10. श्री सुरेश प्रभु
11. डॉ विनय पी. सहस्रबुद्धे
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री जयराम रमेश
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. श्री देरेक ओब्राईन
16. प्रो. राम गोपाल यादव
17. श्री अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
3.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता	-	सचिव - विधि
2.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1.	आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति की बैठक में सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के अधिकारियों का स्वागत करने के बाद सभापति ने विधेयक पर खंड 64 से आगे की समिति की चर्चा पुन: आरंभ की तथा समिति ने परंतुक के साथ खंड 64(1), 64(3), 64(4)(क), 64(7), 64(8), खंड 67(1) और (4), खंड 68 (2), खंड 70 (3), खंड 73(2) (छ) एवं (ज), खंड 75 (1) से (3) की व्याख्या, खंड 79, खंड 80(4), खंड 83(2) और खंड 90 के पार्श्व शीर्षक में सभापति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को स्वीकार किया। समिति ने विधेयक में गैर-वैयक्तिक डाटा को शामिल करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। समिति ने बायोमेट्रिक डाटा के कुछ रूपों के प्रसंस्करण से संबंधित मूल विधेयक के खंड 92 की भी जांच की। इसके बाद समिति ने खंड 93 और खंड 94, जो मूल विधेयक में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सामने आए, में सुझाए गए परिवर्तनों पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्रवाई की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 75वीं बैठक गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री संजय जायसवाल
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री दयानिधि मारन
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री राकेश सिन्हा
11. श्री सुरेश प्रभु
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री जयराम रमेश
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - निदेशक
2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

<u>मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि</u>

<u>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</u>

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

<u>विधि और न्याय मंत्रालय</u>

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री ए.के. मैंदीरत्ता - सचिव - विधि
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - उप विधि सलाहकार

(विधायी विभाग)

1. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति की बैठक में सभी सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के अधिकारियों का स्वागत करने के बाद सभापति ने विधेयक पर खंड 94, जिसका आशय प्राधिकरण को विनियम बनाने का अधिकार देना है, से आगे की चर्चा आरंभ की तथा खंड 94 पर, खंड 16 के साथ पठित , विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति ने खंड 94, 95, 96, 97, 98 और 99 को अंतिम रूप दिया। तत्पश्चात समिति ने खंड 3 (23) पर उन परिभाषाओं के तहत फिर से विचार किया जिसमें "अपहानि" को परिभाषित किया गया था। समिति ने खंड 3 (23) (भ) के तहत 'अपहानि' की परिभाषा और 'निगरानी' और 'युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित' शब्दों को बनाए रखने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। खंड 3 (23) पर चर्चा अनिर्णीत रही।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्रवाई की शब्दशः प्रति रिकार्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 76वीं बैठक गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को 1330 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री संजय जायसवाल
3. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री मनीश तिवारी
7. श्री दयानिधि मारन
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

10. श्री राकेश सिन्हा
11. श्री सुरेश प्रभु
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री जयराम रमेश
14. श्री विवेक के. तन्खा
15. प्रो. राम गोपाल यादव

सचिवालय

1.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
2.	श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा	-	संयुक्त निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	-	सचिव
2.	श्री राजेंद्र कुमार	-	अपर सचिव
3.	श्री दीपक गोयल	-	वैज्ञानिक 'जी'
4.	श्री विकास चौरसिया	-	वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1.	श्री ए.के. मेंदीरत्ता	-	सचिव - विधि
2.	श्री महेंद्र खंडेलवाल	-	उप विधि सलाहकार

(विधायी विभाग)

1.	आर. श्रीनिवास	-	अपर विधायी परामर्शदाता

2. सभापति ने समिति की बैठक में सभी सदस्यों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के अधिकारियों का स्वागत किया तथा उनका ध्यान समिति की कार्रवाई की गोपनीयता से संबंधित निदेश 55(1) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया।

3. इसके बाद समिति ने विधेयक पर खंड 35 से आगे की चर्चा फिर से शुरू की। विस्तृत चर्चा के बाद समिति का मत था कि उस खंड को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। इसके बाद समिति ने मूल विधेयक के खंड 42 (2) पर विचार किया। सदस्यों ने डाटा संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति के गठन के संबंध में चिंता व्यक्त की औरसुझाव दिया कि इसमें संशोधन किया जाए। इसके बाद समिति ने खंड 28 को विचारार्थ लिया। इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने इच्छा जताई कि इस खंड को फिर से तैयार किया जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्रवाई की शब्दश: प्रति रिकार्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 77वीं बैठक बुधवार, 12 नवंबर, 2021 को 1500 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी. पी. चौधरी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. डॉ.(प्रो.)किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्री उदय प्रताप सिंह
5. डॉ. सत्यपाल सिंह
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री मनीश तिवारी
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री रितेश पाण्डेय

राज्य सभा

12. श्री राकेश सिन्हा
13. डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
15. श्री जयराम रमेश
16. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - संयुक्त सचिव
2. श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा - संयुक्त निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. श्री राजेंद्र कुमार - अपर सचिव
2. श्री दीपक गोयल - वैज्ञानिक 'जी'
3. श्री विकास चौरसिया - वैज्ञानिक 'सी'

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री अनूप कुमार मेहंदीरत्ता - सचिव
2. श्री महेंद्र खंडेलवाल - अपर सरकारी अधिवक्ता

(विधायी विभाग)

1. आर. श्रीनिवास - अपर विधायी परामर्शदाता

2. समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात, सभापति ने समिति को बताया कि यद्यपि आज की बैठक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु बुलाई गई है, तथापि संशोधनों पर गहन रूप से विचार करने के पश्चात, यह पाया गया है कि विधेयक में कुछ और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रकट की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जिसे समिति ने अपने अध्ययन दौरों पर चर्चा के दौरान पाया था। तत्पश्चात, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

3. तत्पश्चात, समिति ने खंड 26, 28, 57 और 85, 86 तथा 87 सहित विभिन्न खंडों, जिन्हें या तो सभापति द्वारा या सदस्यों द्वारा संज्ञान में लाया गया था, पर चर्चा की। सभापति ने मंत्रालय से आज की चर्चा के अनुसार खंड संख्या 86 और 87 को पुनः तैयार करने को कहा।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की 78वीं बैठक सोमवार 22 नवंबर 2021 को समिति कक्ष संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे से 1300 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पी.पी. चौधरी - **सभापति**

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर
4. श्री संजय जायसवाल
5. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. डॉ. सत्यपाल सिंह
8. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री मनीश तिवारी
11. श्री भर्तृहरि महताब

राज्य सभा

12. श्री राकेश सिन्हा
13. श्री सुरेश प्रभु
14. डॉ विनय पी. सहस्रबुद्धे
15. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
16. श्री जयराम रमेश
17. श्री देरेक ओब्राईन

18. श्री ए. नवनीतकृष्णन

19. श्री अमर पटनायक

सचिवालय

1.	डॉ. राम राज राय	-	निदेशक
2.	श्री बैकुंठनाथ मोहापात्रा	-	संयुक्त निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए बुलाई गई समिति की 78वीं बैठक में सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर समग्रता के साथ विचार किया और अल्प संशोधनों के साथ उसे स्वीकार किया। आगे, समिति ने सभापति को अल्प परिवर्तन करने और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया। तत्पश्चात् सभापति ने प्रतिवेदन के स्वीकृत होने की घोषणा की। समिति ने निर्णय लिया कि संसद के शीतकालीन सत्र - 2021 के दौरान इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति ने सभापति को सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया और उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में लोकसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के एक सदस्य का विकल्प के रूप में चयन किया अंतिम रूप दिया। समिति ने सभापति की अनुपस्थिति में राज्य सभा में भी प्रतिवेदन को रखने के लिए राज्यसभा के एक सदस्य का चयन किया ताकि उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के पटल पर भी प्रतिवेदन को रखा जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विधेयक पर समिति को विभिन्न पक्षों से प्राप्त ज्ञापनों में से प्रत्येक की दो प्रतियों के साथ समिति की बैठकों की कार्यवाही और अध्ययन-दौरों के टिप्पणों को संसदीय ज्ञानपीठ में रखा जाए।

3. सभी सदस्यों ने सभापति के अथक प्रयासों के साथ साथ समिति का नेतृत्व लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और परामर्शदात्री तरीके से करने के लिए उनकी सराहना की। सदस्यों ने एक समान उद्देश्य के लिए समिति का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु सभापति के प्रति आभार भी व्यक्त किया। अंत में सभापति ने सभी सदस्यों के योगदान

और सहयोग की सराहना करने के साथ और बैठकों को सुचारू रूप से संचालित करने और समिति के प्रतिवेदन को समर्पण के साथ तैयार करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के प्रयासों की भी सरहाना की।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

15/12/2021

अपर विधायी परामर्शी
Additional Legislative Counsel
विधि और न्याय मंत्रालय/M/o Law & Justice
राज्यसभा खंड, विधायी विभाग
O.L. Wing, Legislative Department

अधिप्रमाणित
Authenticated

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार

[बोल्ड और अधोरेखांकित शब्द और अंक संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को और तारांकन (***) लोपों को उपदर्शित करते हैं]

[दि (***) डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

(***) डाटा संरक्षण विधेयक, 2021

व्यष्टिकों के (***) डाटा से संबंधित उनकी डिजिटल निजता के संरक्षण, (***) डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और (***) डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके (***) डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया (***) प्लेटफार्म, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित (***) करने, (***) डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने, राज्य के हित और सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और सूचनात्मक निजता के एक आवश्यक पहलू के रूप में किसी व्यष्टि के वैयक्तिक डाटा का संरक्षण आवश्यक है ; और

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने व्यक्तियों के बीच संपर्क के समालोचनात्मक साधनों के रूप में डाटा के उपयोग को विस्तारित कर दिया है ;

और एक ऐसी सामूहिक संस्कृति का सृजन करना आवश्यक है जो व्यष्टिकों की सूचनात्मक निजता के संबंध में जो डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की अविरत वृद्धि का संवर्धन करे और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए स्वतंत्र और उचित डिजिटल अर्थव्यवस्था को संजोए रखे और डिजिटल शासन और अंतर्वेशन के माध्यम से सशक्तिकरण, प्रगति और नवीकरण को सुनिश्चित करे ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम (***) डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

वैयक्तिक डाटा और गैर-वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अधिनियम का लागू होना ।

2. इस अधिनियम के उपबंध,—

(क)(***)

(क) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, जहां ऐसे डाटा का भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर संग्रहण, संचारण, प्रकटन, साझा किया गया है या अन्यथा उसका प्रक्रमण किया गया हो;

(ख) (***) कंपनी, किसी भारतीय नागरिक या किसी व्यक्ति (***) या भारतीय विधि के अधीन निगमित या सृजित व्यक्ति निकायों द्वारा वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे;

(ग) ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उपस्थित नहीं है, डाटा के प्रक्रमण को लागू होंगे, यदि ऐसा प्रक्रमण—

(i) भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार के या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी को माल या सेवाएं देने के किसी व्यवस्थित क्रियाकलाप के संबंध में है; या

(ii) किसी ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में है जिसमें भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा स्वामी का प्रोफाइलिंग अंतर्वलित है ; और

(घ) गैर-वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण जिसके अन्तर्गत अनामी वैयक्तिक डाटा भी है,

को लागू होंगे

(ख)(***)

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(1) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "अनामकरण" से वैयक्तिक डाटा को ऐसे रूप में परिवर्तित या संपरिवर्तित करने की ऐसी अनुक्रमणीय प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें डाटा स्वामी की पहचान नहीं की जा सकती है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपरिवर्तनीय मानकों को पूरा करती हो ;

(3) "अनामित डाटा" से ऐसा डाटा अभिप्रेत है जो अनामकरण की प्रक्रिया से गुजरा हो ;

(4) "अपील अधिकरण" से धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(5) "प्राधिकरण" से धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(6) "स्वचालित साधन" से डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए या अन्यथा दिए गए अनुदेशों की प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से प्रवर्तन के लिए समर्थ कोई उपस्कर अभिप्रेत है ;

(7) "बायोमैट्रिक डाटा" से डाटा स्वामी की भौतिक, शारीरिक या व्यवहार संबंधी विशेषताओं के मापन या तकनीकी प्रक्रमण प्रचालनों के परिणामस्वरूप प्राप्त मुखाकृति, अंगुली चिन्ह, आंख की पुतली के स्कैन या कोई अन्य समान वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जिससे उस नैसर्गिक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान अनुज्ञात या संपुष्ट होती है ;

(8) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(9) "व्यवहार संहिता" से धारा 50 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी व्यवहार संहिता अभिप्रेत है ;

(10) "सहमति" से धारा 11 में निर्दिष्ट सहमति अभिप्रेत है ;

(11) "सहमति प्रबंधक" से ऐसा डाटा विश्वासी अभिप्रेत है जो एक सुगम, पारदर्शी, अन्तर संचालित प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी सहमति देने, वापस लेने, पुनर्विलोकन करने तथा उसका प्रबंध करने के लिए डाटा स्वामी को समर्थ बनाता है ;

(12) "डाटा" के अंतर्गत सूचना, तथ्यों, धारणाओं, डाटा का कोई व्यपदेशन या संसूचना, निर्वचन के लिए रीति में अनुदेश या मानवीय या स्वचालित साधनों द्वारा प्रक्रमण भी है ;

(13) "डाटा संपरीक्षक" से धारा 29 में निर्दिष्ट (***) डाटा संपरीक्षक अभिप्रेत है ;

(14) "डाटा भंग" जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक डाटा भंग और गैर-वैयक्तिक डाटा भंग भी है ;

(15) "डाटा विश्वासी" से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई राज्य, कंपनी, एक गैर-सरकारी संगठन, (***) विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, अभिप्रेत है, जो अकेले या अन्य के संयोजन से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रयोजन और साधन अवधारित करता है ;

(16) "डाटा स्वामी" से ऐसा कोई प्रकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे वैयक्तिक डाटा संबंधित है ;

(17) "डाटा प्रक्रमणकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत राज्य, कंपनी, गैर-सरकारी संगठन, (***) विधिक इकाई या कोई व्यष्टि भी है, जो डाटा विश्वासी की ओर से डाटा का प्रक्रमण करता है ;

(18) "डाटा संरक्षण अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 30 के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(19) "विपहचान" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता वैयक्तिक डाटा से अभिज्ञाताओं को हटा सकेगा या उसका गोपन कर सकेगा अथवा उन्हें ऐसे अन्य कल्पित नाम या कोड से प्रतिस्थापित कर सकेगा जो उस व्यष्टि के लिए विशिष्ट होगा किंतु उससे डाटा स्वामी की प्रत्यक्ष रूप से पहचान नहीं होगी ;

(20) "आपदा" का वही अर्थ होगा जो आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है ; 2005 का 53

(21) "वित्तीय डाटा" से डाटा स्वामी द्वारा खोले गए किसी खाते की या उसको किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किसी कार्ड या संदाय लिखित पहचान हेतु उपयोग की गई संख्या या अन्य वैयक्तिक डाटा या वित्तीय संस्था या डाटा स्वामी के बीच के संबंध की बाबत कोई वैयक्तिक डाटा जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रास्थिति और उधार संबंधी इतिवृत्त भी है, अभिप्रेत है ;

(22) "आनुवंशिक डाटा" से किसी प्रकृत व्यक्ति की वंशागत या अर्जित आनुवंशिक लक्षण अभिप्रेत है जो उस प्रकृत व्यक्ति के व्यवहारिक लक्षण, शरीर विज्ञान या स्वास्थ्य के बारे में विशिष्ट जानकारी देता है और जो, विशिष्टतया, प्रश्नगत प्रकृत व्यक्ति के जैव नमूने के विश्लेषण का परिणाम है ;

(23) "अपहानि" के अंतर्गत निम्नलिखित है---

(i) शारीरिक या मानसिक क्षति ;

(ii) पहचान की हानि, विकृति या चोरी ;

(iii) वित्तीय हानि या संपत्ति की हानि ;

(iv) ख्याति की हानि या अपमान ;

(v) नियोजन की हानि ;

(vi) कोई विभेदकारी व्यवहार ;

(vii) भयादोहन या उद्दापन के प्रति कोई दबाव ;

(viii) डाटा स्वामी के बारे में किसी मूल्यांकित विनिश्चय के परिणामस्वरूप किसी सेवा, फायदे या लाभ का प्रत्याख्यान या उसकी

वापसी ;

(ix) संप्रेक्षण या निगरानी के भय से उद्भूत, वाक्, संचलन या किसी अन्य कार्रवाई पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया या संहन किया गया कोई निर्बन्धन ; (***)

(x) कोई अन्य संप्रेक्षण या निगरानी, जो डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित न हो ;

(xi) मनोवैज्ञानिक छलसाधन जो व्यक्ति की स्वायत्तता का ह्रास करती हो ; या

(xii) ऐसी अन्य अपहानि जो विहित की जाए ।

(24) "स्वास्थ्य डाटा" से डाटा स्वामी की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रास्थिति से संबंधित डाटा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे डाटा स्वामी के, स्वास्थ्य की पुरानी, विद्यमान या भविष्य की प्रास्थिति से संबंधित अभिलेख, स्वास्थ्य सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण या उन्हें उपलब्ध करवाए जाने के दौरान संगृहीत डाटा, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए डाटा स्वामी से सहसंबद्ध डाटा भी है ;

(25) "अंतःसमूह योजनाओं" से धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीमें अभिप्रेत हैं ;

(***) (26) "लिखित में" के अन्तर्गत मीडिया, मैगनेटिक, आप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फिच या वैसी डिवाइस (***) में जनित की गई, भेजी गई, प्राप्त की गई या भंडार की गई इलैक्ट्रानिक प्ररूप (***) में कोई संसूचना या जानकारी भी है ;

(27) "पत्रकारिता संबंधी प्रयोजन" से कोई ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो,—

(i) समाचारों, आधुनिक या अद्यतन घटनाओं ; या

(ii) किसी अन्य ऐसी सूचना, जिस पर डाटा विश्वासी का यह विश्वास है कि उसमें जनता या जनता के किसी महत्वपूर्ण विवेकी वर्ग का हित है,

के संबंध में तथ्यपूर्ण रिपोर्टें, विश्लेषण, राय, विचारों या वृत्तचित्रों का मुद्रण, इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से प्रसार आशयित है ;

(28) "गैर-वैयक्तिक डाटा" से वैयक्तिक डाटा से भिन्न डाटा अभिप्रेत है ;

(29) "गैर-वैयक्तिक डाटा" से गैर-वैयक्तिक डाटा का कोई आकस्मिक अहित अप्राधिकृत (***) प्रकटन, अर्जन, साझेदारी, उपयोग, परिवर्तन, उस तक पहुंच का क्षय या उसकी हानि अभिप्रेत है जिससे किसी डाटा स्वामी के गैर-वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता संकटपूर्ण हो जाती है ;

(30) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार "अधिसूचित" और "अधिसूचित किए गए" पदों का अर्थ लगाया जाएगा ;

(31) "शासकीय अभिज्ञाता" से संसद् या किसी राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि के अधीन डाटा स्वामी को समनुदेशित कोई ऐसी संख्या, कोई

कोड या अन्य अभिज्ञाता अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी (***) ऐसे डाटा स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ;

(32) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(i) कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब ;

(iii) कोई कंपनी ;

(iv) कोई फर्म ;

(v) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो ;

(vi) राज्य ; और

(vii) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी उपखंड में नहीं आते हैं ;

(33) "वैयक्तिक डाटा" से किसी ऐसे प्रकृत व्यक्ति के बारे में या उसके संबंध में कोई ऐसे डाटा अभिप्रेत हैं जो ऐसे प्रकृत व्यक्ति के किसी लक्षण, विशेषता गुण या पहचान की किसी अन्य आकृति को या ऐसी आकृति के किसी संयोजन को या किसी अन्य जानकारी के साथ ऐसी आकृतियों के किसी संयोजन को ध्यान में रखते हुए, चाहे आनलाइन या आफलाइन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहचानने योग्य है और इसके अंतर्गत प्रोफाइलिंग के प्रयोजन के लिए ऐसे डाटा से निकाला गया कोई निष्कर्ष भी होगा ;

(34) "वैयक्तिक डाटा भंग" से वैयक्तिक डाटा का कोई अप्राधिकृत (***) जिसके अन्तर्गत आकस्मिक प्रकटन, अर्जन, साझेदारी, उपयोग, परिवर्तन, उस तक पहुंच का क्षय (***) या उसकी हानि अभिप्रेत है जिससे किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता संकटपूर्ण हो जाती है ;

(35) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(36) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "प्रक्रमण" से वैयक्तिक डाटा पर की गई कोई संक्रिया या संक्रियाओं का संवर्ग अभिप्रेत है और इसमें पारेषण, विकीर्णन द्वारा संग्रहण, रिकार्डिंग, विरचना, निर्माण, भंडारण, अनुकूलन, परिवर्तन, सुधार, उपयोग, संरेखण या संयोजन, अनुक्रमण, प्रकटन या अन्यथा उपलब्ध करवाना, निर्बन्धन, उद्घर्षण या नाशकरण को भी सम्मिलित किया जा सकेगा ;

(37) "प्रोफाइलिंग" से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का कोई ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जो किसी डाटा स्वामी के व्यवहार, गुणों या अभिरुचियों से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करता है ;

(38) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(39) "पुनः पहचान" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता वि-पहचान की प्रक्रिया को उलट सकेगा ;

(40) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(41) "संवेदनशील वैयक्तिक डाटा" से ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जिससे निम्नलिखित को प्रकट किया जा सके, जो उसके संबंध में हो, या उसका गठन करें—

(i) वित्तीय डाटा ;

(ii) स्वास्थ्य डाटा ;

(iii) शासकीय अभिज्ञाता ;

(iv) लैंगिक जीवन ;

(v) लैंगिक अभिविन्यास ;

(vi) बायोमैट्रिक डाटा ;

(vii) आनुवंशिक डाटा ;

(viii) उभयलिंगी प्रास्थिति ;

(ix) मध्यलिंगी प्रास्थिति ;

(x) जाति या जनजाति ;

(xi) धार्मिक या राजनैतिक विश्वास या संबंध ; या

(xii) धारा 15 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकृत कोई अन्य डाटा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "मध्यलिंगी प्रास्थिति" पद से ऐसे डाटा स्वामी की स्थिति अभिप्रेत है, जो—

(i) स्त्री और पुरुष का संयोजन है ;

(ii) न तो पूर्णतः स्त्री है और न ही पूर्णतः पुरुष है ; या

(iii) न तो स्त्री है न ही पुरुष ;

(ख) "उभयलिंगी प्रास्थिति" पद से डाटा स्वामी की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसका लिंग उस डाटा स्वामी के जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है चाहे उनका लिंग पुनः निर्धारण शल्यक्रिया, हार्मोन चिकित्सा, लेजर चिकित्सा या उस प्रकार की कोई अन्य चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा किया गया हो या नहीं ;

(42) "महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी" से धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई डाटा विश्वासी अभिप्रेत है ;

(43) "महत्वपूर्ण हानि" से ऐसी हानि अभिप्रेत है, जिसके प्रक्रमण हो जाने पर वैयक्तिक डाटा की प्रकृति, हानि का समाघात, निरंतरता, स्थिरता या अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए गुरुतर परिणाम होते है ;

(44) "सोशल मीडिया प्लेटफार्म" से वह प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसमें दो या उससे अधिक उपयोगकर्ताओं के मध्य प्राथमिक या पूर्णतया आनलाइन संपर्क को समर्थ बनाता है और उन्हें उसकी सेवाओं का उपयोगकरने के लिए जानकारी को सृजित करने, अपलोड करने, साझा करने, फैलाने, उपांतरित करने या उन तक पहुंच को अनुज्ञात करता है;

(45) "राज्य" से संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथापरिभाषित राज्य अभिप्रेत है ;

(46) "व्यवस्थित क्रियाकलाप" से ऐसा संरचित या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना, पद्धति, निरंतरता या स्थिरता का कोई तत्व अंतर्वलित हो ।

अध्याय 2

डाटा विश्वासी की बाध्यताएं

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण (***) ।

4. किसी व्यक्ति (***) द्वारा, किसी वैयक्तिक डाटा (***) का प्रक्रमण (***) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन होगा ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन पर निर्बन्धन ।

5. किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण—

(क) उचित और युक्तियुक्त रीति में करेगा और डाटा स्वामी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा ; और

(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहमत प्रयोजन के लिए या जो ऐसे प्रयोजन के उसके आनुषंगिक या उससे संबद्ध हो या वह जिसके लिए धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण प्रयोजित है के लिए और जिसकी डाटा स्वामी ने युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की है कि ऐसे वैयक्तिक डाटा का उपयोग प्रयोजन और ऐसे प्रक्रम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें वैयक्तिक डाटा का संग्रहण किया गया था, के लिए करेगा ।

वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बन्धन ।

6. वैयक्तिक डाटा का संग्रहण केवल उस (***) विस्तार तक किया जाएगा, जो वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो ।

वैयक्तिक डाटा के संग्रहण या प्रक्रमण के लिए सूचना की अपेक्षा ।

7. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी को (***), वैयक्तिक डाटा के संग्रहण के समय या यदि डाटा स्वामी से डाटा का संग्रहण नहीं किया जाता है तो युक्तियुक्त तौर पर यथासाध्य निम्नलिखित जानकारी से युक्त एक सूचना देगा, अर्थात् :—

(क) प्रयोजन, जिनके लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाना है ;

(ख) संगृहीत किए जा रहे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति और प्रवर्ग ;

(ग) डाटा विश्वासी की पहचान और संपर्क ब्यौरे और डाटा सुरक्षा अधिकारी के संपर्क ब्यौरे, यदि लागू हों ;

(घ) डाटा स्वामी का अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार और ऐसी वापसी की प्रक्रिया यदि वैयक्तिक डाटा का सहमति के आधार पर प्रक्रमण

आशयित है ;

(ङ) ऐसे प्रक्रमण का आधार और ऐसा वैयक्तिक डाटा उपलब्ध करवाने में असफल रहने के परिणाम, यदि वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 12 से धारा 14 में (***) उपबंधित आधारों पर आधारित है ;

(च) ऐसे संग्रहण का स्त्रोत, यदि वैयक्तिक डाटा का संग्रहण डाटा स्वामी से नहीं किया जाता है ;

(छ) अन्य डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता सहित व्यष्टि या इकाइयां , जिनके साथ ऐसा वैयक्तिक डाटा साझा किया जा सकेगा, यदि लागू हो ;

(ज) ऐसे वैयक्तिक डाटा के, जिसे डाटा विश्वासी का कार्यान्वित करने का आशय है, किसी सीमा पार अंतरण के संबंध में सूचना ;

(झ) ऐसी अवधि, जिसके लिए वैयक्तिक डाटा को धारा 9 के निबंधनानुसार प्रतिधारित किया जाएगा या जहां ऐसी अवधि ज्ञात नहीं है वहां ऐसी अवधि के अवधारण के लिए मापदंड ;

(ञ) अध्याय 5 में वर्णित अधिकारों की विद्यमानता और उनके प्रयोग की प्रक्रिया तथा उसके लिए कोई संबंधित संपर्क ब्यौरे ;

(ट) धारा 32 के अधीन शिकायत प्रतितोषण की प्रक्रिया ;

(ठ) प्राधिकरण को शिकायत फाइल करने संबंधी अधिकार की विद्यमानता ;

(ड) जहां लागू हों, डाटा विश्वसनीयता स्कोर के रूप में कोई रेटिंग, जो धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी को समनुदेशित की जा सके ; और

(ढ) कोई अन्य जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध में निर्दिष्ट सूचना स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में होगी और जो (***) किसी व्यष्टि के लिए सुगमता से बोधगम्य है और (***) उस विस्तार तक आवश्यक और व्यवहार्य हो, बहुभाषाओं में होगी ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसी सूचना (***) का धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण के प्रयोजन पर सारभूत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हों ।

प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की क्वालिटी ।

8. (1) डाटा विश्वासी, ऐसे प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा कि प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा पूर्ण, यथार्थ, अमित न करने वाला और अद्यतन हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करते समय डाटा विश्वासी निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा कि क्या,—

(क) डाटा स्वामी के बारे में कोई विनिश्चय करने के लिए वैयक्तिक डाटा के उपयोग किए जाने की संभावना है ;

(ख) वैयक्तिक डाटा के अन्य डाटा विश्वासियों या प्रक्रमणकर्ताओं सहित अन्य व्यष्टियों या इकाईयों को प्रकट करने की संभावना है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा ऐसे प्ररूप में रखा गया है जो रायों या वैयक्तिक निर्धारणों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से तथ्यों पर आधारित वैयक्तिक डाटा से

सुभिन्न है ।

(3) जहां वैयक्तिक डाटा का प्रकटन अन्य डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता सहित किसी अन्य व्यष्टि या इकाई को किया जाता है और डाटा विश्वासी का यह निष्कर्ष है कि ऐसे डाटा में उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, वहां डाटा विश्वासी, इस तथ्य के ऐसे व्यष्टि या इकाई को अधिसूचित (***) करेगा ।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां नहीं लागू होंगे जहां ऐसी सूचना धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाली हो ।

(4) कोई डाटा विश्वासी, उस रीति में किसी कारबार संव्यवहार के भाग रूप में किसी व्यक्ति को वैयक्तिक डाटा साझा, अन्तरण या पारेषित कर सकेगा, जो विहित किया जाए ।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां नही लागू होंगे जहां वैयक्तिक डाटा को साझा करना, अंतरण या पारेषण करना धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव डालती हो ।

वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बन्धन ।

9. (1) डाटा विश्वासी, उस प्रयोजन को, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया जाता है, पूरा करने की आवश्यक अवधि के पश्चात् किसी वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण नहीं करेगा और (***) ऐसे अवधि के अंत में वैयक्तिक डाटा को हटा देगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी वैयक्तिक डाटा का लंबी अवधि के लिए प्रतिधारण किया जा सकेगा, यदि डाटा स्वामी द्वारा स्पष्ट सहमति दी गई हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बाध्यता के पालन के लिए आवश्यक हो ।

(3) डाटा विश्वासी यह अवधारित करने के लिए कि उसके कब्जे में का वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण आवश्यक है, कालिक पुनर्विलोकन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रतिधारण किया जाना आवश्यक नहीं है वहां ऐसे वैयक्तिक डाटा को ऐसी रीति से निकाल दिया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

डाटा विश्वासी की उत्तरदेयता ।

10. डाटा विश्वासी, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रक्रमण के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति का आवश्यक होना ।

11. (1) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, डाटा स्वामी द्वारा उसके प्रक्रमण के प्रारंभ पर दी गई सहमति के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) डाटा स्वामी की सहमति तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक ऐसी सहमति,—

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक के अनुपालन में, स्वतंत्र सहमति न हो ; 1872 का 9

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या डाटा स्वामी को धारा 7 के अधीन अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाई गई है, अवगत की गई न हो ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या डाटा स्वामी प्रक्रमण के प्रयोजन के संबंध में सहमति की व्याप्ति का अवधारण कर सकता है, विनिर्दिष्ट

सहमति न हो ;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या उसे ऐसी प्रतिज्ञान कार्रवाई के माध्यम से, जो दिए गए संदर्भ में अर्थपूर्ण है, उपदर्शित किया गया है, स्पष्ट सहमति न हो ; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसी वापसी की सुविधा ऐसी सुविधा के सदृश है जिसके संबंध में सहमति दी गई, वापस लिए जाने योग्य न हो ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध में डाटा स्वामी की सहमति—

(क) उसे प्रक्रमण का प्रयोजन या उसकी ऐसी संक्रिया के बारे में, जिससे डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना है, सूचित करने के पश्चात् ;

(ख) किसी आचरण (***) या से संदर्भ में कार्य संचालन में से निकाले गए निष्कर्ष का अवलंब लिए बिना स्पष्ट निर्बन्धनों में ; और

(ग) उसे, प्रक्रमण के लिए सुसंगत संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के विभिन्न प्रवर्गों के प्रयोजनों, उनकी संक्रियाओं और उपयोग के लिए सहमति देने का पृथक् रूप से चुनाव करने के पश्चात्,

सुस्पष्ट रूप से अभिप्राप्त की जाएगी ।

(4) किसी माल या सेवाओं या उनकी क्वालिटी के या किसी संविदा के पालन या किसी विधिक अधिकार या दावे के उपभोग का उपबंध,—

(i) ऐसे किसी वैयक्तिक डाटा के, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, प्रक्रमण के लिए सहमति पर, सशर्त नहीं होगा ; और

(ii) विकल्प के प्रयोग पर आधारित नहीं होगा ।

(5) इस सबूत का भार कि इस धारा के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति डाटा स्वामी द्वारा दी गई है, डाटा विश्वासी पर होगा ।

(6) जहां डाटा स्वामी किसी विधिमान्य कारण (***) के बिना किसी वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति वापस ले लेता है वहां (***) उसके परिणाम ऐसे डाटा स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

अध्याय 3

सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार

कतिपय मामलों में सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।

12. धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण,—

(क) राज्य के किसी ऐसे कृत्य के पालन के लिए आवश्यक है, जो विधि जिसके अन्तर्गत—

(i) राज्य से डाटा स्वामी के लिए किसी सेवा या फायदे के उपबंध के लिए; या

(ii) डाटा स्वामी के किसी कृत्य या कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा कोई प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ख) संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ; (***)

(ग) भारत में किसी न्यायालय न्यायिक कल्प प्राधिकरण या अधिकरण के किसी (***) निर्णय या आदेश के अनुपालन में आवश्यक है ;

(घ) किसी ऐसे चिकित्सा आपात की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है जिसमें डाटा स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का भय या स्वास्थ्य के प्रति घोर आशंका अंतर्वलित है ;

(ङ) किसी महामारी, रोग के प्रादुर्भाव या लोक स्वास्थ्य के प्रति किसी अन्य आशंका के दौरान किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु कोई उपाय करने के लिए आवश्यक है ; या

(च) किसी आपदा या लोक व्यवस्था के भंग हो जाने के दौरान किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने या उसको सहायता या सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई उपाय करने के लिए आवश्यक है ।

नियोजन, आदि से संबंधित प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का आवश्यक होना ।

13. (1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील डाटा नहीं है, प्रक्रमण किया जा सकेगा, यदि ऐसा प्रक्रमण आवश्यक है या वैयक्तिक डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त अपेक्षा कर सकेगा—

(क) डाटा विश्वासी द्वारा किसी डाटा स्वामी की भर्ती या उसके नियोजन के पर्यवसान के लिए आवश्यक है ;

(ख) ऐसे डाटा स्वामी को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कोई सेवा या उसके द्वारा ईप्सित फायदा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है ;

(ग) ऐसे डाटा स्वामी की उपस्थिति को, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, सत्यापित करने के लिए आवश्यक है ; या

(घ) ऐसे डाटा स्वामी के, जो डाटा विश्वासी का कर्मचारी है, कार्यपालन के निर्धारण से संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है,

और उसे डाटा स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) किसी ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जो संवेदनशील वैयक्तिक डाटा नहीं है, उक्त उपधारा (1) के अधीन प्रक्रमण किया जा सकेगा, जहां डाटा विश्वासी और डाटा स्वामी के बीच के नियोजन संबंध को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की सहमति समुचित नहीं है या उसमें उस उपधारा के अधीन प्रक्रमण की प्रकृति के कारण डाटा विश्वासी की ओर से कोई अननुपातिक प्रयास अंतर्वलित होगा ।

अन्य युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

14. (1) (***) धारा 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण (***) किया जा सकेगा यदि ऐसा प्रक्रमण निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् ऐसे (***) युक्तियुक्त प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक है,—

(क) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में डाटा विश्वासी का विधिसम्मत हित ;

(ख) क्या डाटा विश्वासी से डाटा स्वामी की सहमति अभिप्राप्त करने की

युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है और यह व्यवहार्य है ;

(ग) उस प्रयोजन के लिए प्रक्रमण में कोई लोक हित ;

(घ) डाटा स्वामी के अधिकारों पर प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का किसी प्रतिकूल प्रभाव की डिग्री ; और

(ङ) प्रक्रमण के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए डाटा स्वामी की युक्तियुक्त प्रत्याशाएं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "युक्तियुक्त प्रयोजन" पद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगा—

(क) कपट सहित किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का निवारण करना और उसका पता लगाना ;

(ख) सूचना प्रदान करना ;

(ग) लागू विधियों के उपबंधों के अनुसार विलयन (***), अर्जन, कारपोरेट प्रतिबंधित किया गया अंतरण ;

(घ) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा ;

(ङ) प्रत्यय गुणांकन ;

(च) ऋण की वसूली ;

(छ) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ज) तलाशी संबंधी साधनों की संक्रियाएं ।

(3) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजन विनिर्दिष्ट करता है, वहां वह—

(क) विनियमों द्वारा ऐसे रक्षोपायों को अधिकथित करेगा, जो डाटा स्वामियों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित हो ; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या ऐसा उपबंध सुसंगत युक्तियुक्त प्रयोजन से (***) प्रतिकूल होगा, यह अवधारित करेगा कि धारा 7 के अधीन सूचना का उपबंध कहां लागू होगा या कहां लागू नहीं होगा ।

वैयक्तिक डाटा का संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में प्रवर्गीकरण ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण और संबंधित क्षेत्रीय विनियामक के परामर्श से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्गों को संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के रूप में अधिसूचित कर सकेगा—

(क) महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम, जो वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्ग के प्रक्रमण द्वारा (***) डाटा स्वामी को हो सकेगा;

(ख) वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रवर्ग से संलग्न गोपनीयता की प्रत्याशा;

(ग) क्या वैयक्तिक डाटा के ऐसे प्रक्रमण से डाटा स्वामियों के महत्वपूर्ण रूप से विवेचनीय वर्ग को उल्लेखनीय अपहानि झेलनी पड़ेगी; और

(घ) वैयक्तिक डाटा को लागू साधारण उपबंधों द्वारा दिए गए संरक्षण की पर्याप्तता ।

(2) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, ऐसे वैयक्तिक डाटा की रूपरेखा बनाने के लिए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के पुनरावृत्त, निरंतर या व्यवस्थित संग्रहण प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त रक्षोपाय या निर्बन्धन विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

अध्याय 4

बालकों का वैयक्तिक डाटा (***)

बालकों के वैयक्तिक डाटा (***) का प्रक्रमण ।

16. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, किसी बालक के वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण ऐसी रीति में करेगा जो बालक के अधिकारों का संरक्षण करे (***) ।

(2) डाटा विश्वासी, बालक के किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के पूर्व, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आयु का सत्यापन करेगा और उसके माता या पिता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बालक की आयु के सत्यापन की रीति, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए (***) की जाएगी—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा ;

(ख) ऐसे वैयक्तिक डाटा का अनुपात, जिसमें उस बालक के होने की संभावना है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण से उद्भूत बालक में होने वाली अपहानि की संभावना ; और

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं ।

(4) (***)

(4) (***) डाटा विश्वासी, बालकों की प्रोफाइलिंग, पता लगाने या व्यवहार संबंधी मानीटरी या उन्हें निदेशित लक्षित सूचना देने से और ऐसे वैयक्तिक डाटा का, जिससे बालक को महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, कोई अन्य प्रक्रमण करने से वर्जित होगा ।

(5) उपधारा (4) के उपबंध किसी बालक की काउंसलिंग या बाल संरक्षण सेवाओं की प्रस्थापना करने वाले डाटा विश्वासी को ऐसे उपांतरित प्ररूप में लागू होंगे जैसा कि अधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(7) (***)

स्पष्टीकरण—(***)

अध्याय 5

डाटा स्वामी के अधिकार

पुष्टि और पहुंच का अधिकार ।

17. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी से—

(क) इस बात की पुष्टि अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा कि क्या डाटा विश्वासी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर रहा है या प्रक्रमण किया

है ;

(ख) प्रक्रमणित या डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए डाटा स्वामी का वैयक्तिक डाटा या उसका कोई संक्षिप्त विवरण अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ; और

(ग) डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के संबंध में डाटा विश्वासी द्वारा किए गए प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रक्रमण के संबंध में धारा 7 की सूचना में उपलब्ध कोई जानकारी भी है, अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी को स्पष्ट और ऐसी रीति में, जो किसी (***) समान संदर्भ में युक्तियुक्त व्यष्टि के लिए आसानी से बोधगम्य हो, उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

(3) डाटा स्वामी को, ऐसे डाटा विश्वासियों की पहचान के एक स्थान पर पहुंच बनाने का अधिकार होगा, जिनके पास किसी डाटा विश्वासी द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसका वैयक्तिक डाटा उनके साथ साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के प्रवर्गों के साथ साझा किया गया है ।

(4) डाटा स्वामी के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे, अर्थात् :

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध में ऐसे डाटा स्वामी की मृत्यु की दशा में—

(क) उसके नामनिर्देशितियों के रूप में विधिक वारिस या विधिक प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करना ;

(ख) भूल जाने के संबंधी अधिकार का प्रयोग करना ; और

(ग) करार के निबंधनों को संयोजित करना ।

संशोधन और मिटाने का अधिकार ।

18. (1) डाटा स्वामी को, जहां कहीं आवश्यक हो, उन प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जा रहा है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित का अधिकार होगा—

(क) अशुद्ध या भ्रामक वैयक्तिक डाटा का संशोधन करना ;

(ख) अपूर्ण वैयक्तिक डाटा को पूर्ण करना ; और

(ग) अप्रचलित वैयक्तिक डाटा को (***) अद्यतन करना ; और

(घ) ऐसे वैयक्तिक डाटा को हटाना जो अब उस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं रह गया है, जिसके लिए इसका प्रक्रमण किया गया था ।

(2) जहां डाटा विश्वासी को उपधारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होता है, और डाटा विश्वासी प्रक्रमण के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संशोधन करने, पूर्ण करने, अद्यतन करने या हटाने से सहमत नहीं है, वहां ऐसा डाटा विश्वासी डाटा स्वामी को लिखित में आवेदन\ अस्वीकृत करने के लिए यथोचित न्यायोचितता उपलब्ध कराएगा ।

(3) जहां डाटा स्वामी का उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा दी गई न्यायोचितता से समाधान नहीं होता है, वहां डाटा स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि डाटा विश्वासी सुसंगत वैयक्तिक डाटा के साथ यह उपदर्शित करने के लिए युक्तियुक्त कदम

उठाए कि वह डाटा स्वामी द्वारा विवादित है ।

(4) जहां डाटा विश्वासी, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किसी वैयक्तिक डाटा में संशोधन करता है, उसे पूर्ण अद्यतन करता है या उसे हटाता है वहां ऐसा डाटा विश्वासी ऐसी सभी सुसंगत इकाइयों या व्यष्टियों को अधिसूचित करने के लिए भी आवश्यक और व्यवहार्य, कदम उठाएगा, जिन्हें सुसंगत संशोधन करने, पूर्ण करने, अद्यतन करने या हटाने के संबंध में ऐसे वैयक्तिक डाटा को प्रकट किया गया हो विशिष्टतया वहां, जहां (***) समाघात का ध्यान रखते हुए (***) ऐसी कार्रवाई का डाटा स्वामी के (***) अधिकारों और हितों या उनके संबंध में किए गए विनिश्चयों पर प्रभाव पड़ता हो ।

डाटा सुवाह्यता का अधिकार ।

19. (1) जहां प्रक्रमण स्वचालित साधनों के माध्यम से किया गया है वहां डाटा स्वामी को—

(क) निम्नलिखित वैयक्तिक डाटा सुसंरचित, सामान्यतया प्रयोग युक्त और मशीन पठनीय प्ररूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा—

(i) डाटा विश्वासी को उपलब्ध करवाया गया वैयक्तिक डाटा ;

(ii) ऐसा डाटा जो सेवाओं के उपबंध के दौरान या डाटा विश्वासी द्वारा माल के उपयोग द्वारा जनित हुआ है ; या

(iii) ऐसा डाटा जो डाटा स्वामी के किसी प्रोफाइल का भाग है या जिसे डाटा विश्वासी ने अन्यथा प्राप्त किया है ; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वैयक्तिक डाटा (***) का अन्तरण उस खंड में निर्दिष्ट प्ररूप में किसी अन्य डाटा विश्वासी को (***) करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) धारा 12 के अधीन प्रक्रिया राज्य के कृत्यों के लिए या विधि के अनुपालन या किसी निर्णय या (***) किसी न्यायालय, न्यायिक कल्प प्राधिकरण या अधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है ;

(ख) उस रीति में डाटा विश्वासी द्वारा यथा अवधारित जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) में के अनुरोध का अनुपालन (***) तकनीकी रूप से साध्य नहीं होगा ।

क्षमा किए जाने का अधिकार ।

20. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा को निर्बंधित करने या उसके लगातार प्रकटन या प्रक्रमण करने को रोकने का अधिकार होगा, जहां ऐसे प्रकटन या प्रक्रमण करने—

(क) ऐसे प्रकटन से वह प्रयोजन पूर्ण हो गया है जिसके लिए उसे संग्रहित किया गया था या वह उन प्रयोजनों के लिए अब और आवश्यक नहीं है ;

(ख) ऐसा प्रकटन धारा 11 के अधीन डाटा स्वामी की सहमति से किया गया था और अब ऐसी सहमति वापस ले ली गई है ; या

(ग) ऐसा प्रकटन इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के प्रतिकूल किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकार, डाटा स्वामी द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति

में जो विहित की जाए, फाइल किए गए आवेदन पर केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश पर उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) या (***) खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर प्रवृत्त किए जा सकेंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक डाटा स्वामी द्वारा यह दर्शित नहीं किया जाता कि उसके वैयक्तिक डाटा के निरंतर प्रकटन या प्रक्रमण को रोकने या निर्बंधित करने का उसका अधिकार या हित इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे डाटा का उपयोग और प्रक्रमण को रोकने के लिए डाटा विश्वासी के आधिकार किसी अन्य नागरिक के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या सूचना के अधिकार से अध्यारोही नहीं है या इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे डाटा को प्रतिधारित करने उसका उपयोग करने और उसकी प्रक्रिया करने के लिए डाटा विश्वासी का अधिकार ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन आदेश करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ख) प्रकटन या प्रक्रमण का मापदंड और निर्बंधित या निवारित किए जाने हेतु ईप्सित पहुंच की मात्रा ;

(ग) लोक जीवन में डाटा स्वामी की भूमिका ;

(घ) जनसाधारण के लिए वैयक्तिक डाटा की सुसंगतता ; और

(ङ) प्रकटन या प्रक्रमण और डाटा विश्वासी के क्रियाकलापों की प्रकृति विशिष्टतया क्या डाटा विश्वासी सुव्यवस्थित रूप से वैयक्तिक डाटा तक पहुंच को सुकर बनाता है और यदि सुसंगत प्रकृति के प्रकटनों या प्रक्रमण को निर्बंधित या रोका गया तो क्या क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण रूप से बाधा पहुंचेगी ।

(4) जहां किसी व्यक्ति का यह निष्कर्ष है कि ऐसा वैयक्तिक डाटा, जिसका प्रकटन या प्रक्रमण उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्बंधित या रोका गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी शर्तों को पूरा नहीं करता, वहां वह ऐसी रीति में जो विहित की जाए न्यायनिर्णायक अधिकारी के उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश का पुनर्विलोकन करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 73 के अधीन अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

इस अध्याय में अधिकारों के (***) प्रयोग के लिए साधारण शर्तें ।

21. (1) डाटा स्वामी, धारा 20 के अधीन अधिकार के सिवाय इस अध्याय के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी पहचान के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सहमति प्रबंधक लिखित में डाटा विश्वासी को आवेदन करेगा और डाटा विश्वासी ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे आवेदन की प्राप्ति को अभिस्वीकृत करेगा ।

(2) डाटा विश्वासी, उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुरोध के अनुपालन के लिए ऐसी फीस वसूल कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) अथवा धारा 18 (***) के अधीन अधिकारों के संबंध में किसी अनुरोध के लिए कोई फीस अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) डाटा विश्वासी, इस अध्याय के अधीन किए गए अनुरोध का अनुपालन करेगा और ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी को उसकी संसूचना देगा ।

(4) जहां डाटा विश्वासी द्वारा इस अध्याय के अधीन किया गया कोई अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाता है वहां वह, डाटा स्वामी को लिखित में ऐसी अस्वीकृति के कारण बताएगा और डाटा स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्वीकृत करने के विरुद्ध प्राधिकारी को शिकायत फाइल करने के अधिकार के संबंध में सूचित करेगा ।

(5) डाटा विश्वासी वहां इस अध्याय के अधीन किए गए किसी अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां ऐसे अनुपालन से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य डाटा स्वामी के अधिकारों को क्षति हो :

परन्तु डाटा विश्वासी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं डाटा स्वामी द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध के अनुपालन के लिए बाध्य होगा ।

अध्याय 6

पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपाय

डिजाइन नीति द्वारा निजता ।

22. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए डिजाइन द्वारा एक निजता नीति तैयार करेगा—

(क) डाटा स्वामी का पूर्वानुमान, पहचान करने और अपहानि से बचाने के लिए डिजाइन किए गए प्रबंधकीय, संगठनात्मक, कारबार व्यवहार और तकनीकी तंत्र ;

(ख) डाटा विश्वासियों की बाध्यताएं ;

(ग) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकृत या प्रमाणित मानकों के अनुसार हो ;

(घ) कारबारों के विधि संगत हित जिसके अंतर्गत कोई नवाचार भी है, निजता हितों से समझौता किए बिना प्राप्त किए गए हों ;

(ङ) संग्रहण बिंदु से लेकर वैयक्तिक डाटा को हटाने तक संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निजता का संरक्षण ;

(च) वैयक्तिक डाटा का पारदर्शी रीति में प्रक्रमण ; और

(छ) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रत्येक प्रक्रम पर डाटा स्वामी के हित का ध्यान रखना ।

(2) डाटा विश्वासी, (***) प्राधिकरण को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन तैयार डिजाइन नीति द्वारा अपनी निजता प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह समाधान होने पर कि उसने उपधारा (1) की

अपेक्षाओं का पालन किया है, डिजाइन द्वारा निजता नीति को प्रमाणित करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रमाणित डिजाइन द्वारा निजता नीति डाटा विश्वासी और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में पारदर्शिता ।

23. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, वैयक्तिक डाटा को प्रक्रमण करने में पारदर्शिता बनाए (***) रखेगा और निम्नलिखित सूचना ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में उपलब्ध करवाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए—

(क) साधारण रूप से संग्रहित वैयक्तिक डाटा के प्रवर्ग और ऐसे संग्रहण की रीति ;

(ख) वे प्रयोजन जिनके लिए साधारणतया वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाता है ;

(ग) आपवादिक स्थितियों में प्रक्रमणिक वैयक्तिक डाटा के कोई प्रवर्ग या प्रक्रमण करने के कोई आपवादिक प्रयोजन जिनसे महत्वपूर्ण अपहानि के जोखिम का सृजन हो ;

(घ) अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी का अस्तित्व और उसके अधिकारों के प्रयोग की प्रक्रिया तथा उसके लिए कोई संबंधित संपर्क ब्यौरे ;

(ङ) प्राधिकरण को डाटा विश्वासी के विरुद्ध शिकायत फाइल करने का डाटा स्वामी का अधिकार ;

(च) जहां लागू हो, डाटा विश्वास के हिसाब के रूप में कोई रेटिंग जो धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी को दी जा सके ;

(छ) जहां लागू हो, वैयक्तिक डाटा के सीमापार ऐसे अंतरण के संबंध में सूचना जो डाटा विश्वासी साधारण रूप से करता है (***)

(ज) जहां लागू हो, वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए प्रयुक्त प्रयोग एल्गोरिदम या पद्धति की निष्पक्षता ;

(झ) कोई अन्य सूचना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) डाटा विश्वासी, समय-समय पर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा स्वामी से संबंधित वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण करने संबंधी महत्वपूर्ण संक्रियाओं के बारे में अधिसूचित करेगा ।

(3) डाटा स्वामी, सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को अपनी सहमति दे सकेगा या उसे वापस ले सकेगा ।

(4) जहां डाटा स्वामी, किसी सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा विश्वासी को सहमति देता है या उसे वापस लेता है वहां ऐसी सहमति या उसकी वापसी डाटा स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित की गई समझी जाएगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन सहमति प्रबंधक को, ऐसी रीति से और ऐसी तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण (***)

सुरक्षा रक्षोपाय ।

24. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की प्रकृति, विस्तार और प्रयोजन, ऐसे प्रक्रमण से जुड़े हुए जोखिमों और अपहानि की संभावना तथा तीव्रता जो ऐसे प्रक्रमण का परिणाम हो सकती है, को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा रक्षोपाय कार्यान्वित करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) अपहचान और कूटकरण जैसी पद्धतियों का उपयोग ;

(ख) वैयक्तिक डाटा की निष्ठा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम ; और

(ग) वैयक्तिक डाटा के दुरुपयोग, अप्राधिकृत पहुंच, उपांतरण, प्रकटन और नष्ट करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम ।

(2) प्रत्येक डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवधिक रूप से अपने सुरक्षा रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा तथा तदनुसार समुचित उपाय करेगा ।

(***) डाटा भंग की रिपोर्ट करना ।

25. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी प्राधिकरण को सूचना द्वारा (***) ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए किसी वैयक्तिक डाटा के भंग के बारे में प्राधिकरण को (***) रिपोर्ट करेगा, (***)।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे प्ररूप में होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति जो भंग का विषय है ;

(ख) ऐसे (***) भंग द्वारा प्रभावित डाटा स्वामियों की संख्या ;

(ग) ऐसे (***) भंग के संभावित परिणाम ; और

(घ) ऐसे भंग के लिए (***) डाटा विश्वासी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाइयां ।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट (***) सूचना के ऐसे भंग की जानकारी होने के बहत्तर घंटे के भीतर जारी (***) की जाएगी ।

(4) जहां एक ही समय पर उपधारा (2) में (***) उपबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करना संभव नहीं है वहां डाटा विश्वासी, प्राधिकरण को बिना असम्यक् विलम्ब के हिस्सों में ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा ।

(5) (***)

(5) प्राधिकरण (***) वैयक्तिक डाटा के भंग और ऐसी अपहानि को ध्यान में रखते हुए जो डाटा स्वामी को हो सकती है, डाटा विश्वासी को, डाटा स्वामी से ऐसे भंग की रिपोर्ट करने और ऐसी अपहानि को कम करने के लिए (***) समुचित उपचारात्मक कार्रवाइयां करने तथा अपनी वैबसाइट पर वैयक्तिक डाटा भंग के ब्यौरे दृश्यमान रूप से प्रकाशित करने का निदेश देगा :

परन्तु प्राधिकरण, डाटा विश्वासी को ऐसे भंग का उपचार करने और डाटा प्रधान के लिए कारित किसी अपहानि को कम करने के लिए कोई अत्यावश्यक उपाय अंगीकृत

करने का निदेश दे सकेगा ।

(7)(***)

(6) प्राधिकरण, गैर-वैयक्तिक डाटा के भंग की दशा में ऐसे आवश्यक उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ।

डाटा विश्वासियों का महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में वर्गीकरण ।

26. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित किसी कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग को महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रूप में अधिसूचित करेगा अर्थात् :—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा का आकार ;

(ख) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की संवेदनशीलता ;

(ग) डाटा विश्वासी का आवर्त ;

(घ) डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण द्वारा अपहानि का जोखिम ;

(ङ) प्रक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग ; (***)

(च) कोई सोशल मीडिया प्लेटफार्म—

(i) ऐसी अवसीमा तक, जो प्राधिकरण के परामर्श से विहित की जाए, उपरोक्त के उपयोक्ताओं सहित ; और

(ii) जिसकी कार्रवाई भारत की प्रभुता और अखंडता, निर्वाचन लोकतंत्र, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है या महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना है ;

परन्तु सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अवसीमाएं विहित की जा सकेंगी ;

(छ) बालकों से संबंधित डाटा का प्रक्रमण या उनके लिए सेवाओं का उपबंध ; या

(ज) ऐसे प्रक्रमण से अपहानि पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों का वर्ग ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को प्राधिकरण के समक्ष रजिस्टर करेगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकरण की यह (***) समाधान है कि किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग द्वारा किसी प्रक्रमण से किसी डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी के वर्ग को धारा 27 से धारा 30 में (***) उपबंधित सभी या किन्हीं बाध्यताओं को ऐसे लागू करेगा मानों वह एक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी है ।

(4) (***)

(4) धारा 56 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा बनाए गए ऐसे विनियमों को विनियमित बना सकेगा ।

डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण ।

27. (1) जहां (***) कोई महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी का आशय कोई ऐसा प्रक्रमण करने का है जिसमें नई प्रौद्योगिकियां या बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग या जेनेटिक डाटा या बायोमैट्रिक डाटा जैसे संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का उपयोग अंतर्वलित है या कोई अन्य ऐसा प्रक्रमण करने का है जिसमें डाटा प्रधानों के प्रति महत्वपूर्ण अपहानि का जोखिम है, वहां ऐसा प्रक्रमण तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक डाटा विश्वासी इस धारा के उपबंधों के अनुसार डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण नहीं कर लेता है ।

(2) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा ऐसी परिस्थितियां या डाटा विश्वासियों का वर्ग या प्रक्रमण संक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा जहां ऐसा डाटा संरक्षा प्रभाव निर्धारण बाध्यकारी होगा और ऐसे उदाहरण भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां डाटा विश्वासी द्वारा इस अधिनियम के अधीन डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण करने के लिए डाटा संपरीक्षक लगाया जाएगा ।

(3) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(क) प्रस्तावित प्रक्रमण संक्रिया का विस्तृत विवरण, प्रक्रमण का प्रयोजन और प्रक्रमण किए जा रहे वैयक्तिक डाटा की प्रकृति ;

(ख) ऐसी महत्वपूर्ण अपहानि का निर्धारण जो ऐसे डाटा स्वामियों को पहुंचाई जा सकती है जिनके वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण प्रस्तावित है ; और

(ग) अपहानि के ऐसे जोखिम को प्रबंधित करने, न्यून करने, कम करने या हटाने के उपाय ।

(4) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण पूरा होने पर धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त डाटा संरक्षा अधिकारी निर्धारण का पुनर्विलोकन करेगा और प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने निष्कर्षों के साथ निर्धारण प्रस्तुत करेगा ।

(5) निर्धारण और उसके पुनर्विलोकन की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण के पास (***) यह समाधान करने का कारण है कि प्रक्रमण से डाटा स्वामियों को अपहानि होने की संभावना है तो (***) डाटा विश्वासी को ऐसे प्रक्रमण को समाप्त करने का निदेश दे सकेगा या यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा प्रक्रमण, ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा (***) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अभिलेखों का अनुरक्षण ।

28. (1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी निम्नलिखित के ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिशुद्ध और अद्यतन अभिलेख रखेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 10 के अधीन यथाअपेक्षित अनुपालन दर्शित करने के लिए डाटा जीवन चक्र में महत्वपूर्ण प्रचालन जिसके अंतर्गत वैयक्तिक डाटा का संग्रहण, अंतरण और हटाया जाना भी है ;

(ख) धारा 24 के अधीन संरक्षा रक्षोपायों का आवधिक पुनर्विलोकन ;

(ग) धारा 27 के अधीन डाटा संरक्षा प्रभाव निर्धारण ;

(घ) प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध राज्य को भी लागू होगी ।

(3) प्रत्येक सोशल मीडिया (***) प्लेटफार्म, जिसे धारा 26 की उपधारा (***) (1) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे (***) व्यक्तियों को, जिन्हेंने भारत से अपनी सेवा रजिस्टर की है या जो भारत में अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं, स्वेच्छया से अपने लेखे को ऐसी रीति में सत्यापित करने में समर्थ बनाएगा, जो विहित की जाए ।

(4) कोई (***) व्यक्ति, जो स्वेच्छया से अपने लेखे का सत्यापन उपधारा (3) में निर्दिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कराता है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए सत्यापन का ऐसा प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिह्न उपलब्ध करवाया जाएगा जो सेवा के सभी उपभोक्ताओं के लिए दृश्यमान होगा ।

नीतियों की संपरीक्षा और प्रक्रमण का संचालन, आदि ।

29. (1) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अपनी नीतियां होंगी और इस अधिनियम के अधीन वार्षिक रूप से किसी स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक से वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की संपरीक्षा करवाएगा ।

(2) डाटा संपरीक्षक, डाटा विश्वासी का अनुपालन का मूल्यांकन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) धारा 7 के अधीन सूचनाओं की स्पष्टता और प्रभावशीलता ;

(ख) धारा 22 के अधीन अंगीकृत उपायों की प्रभावशीलता ;

(ग) धारा 23 के अधीन प्रक्रमण क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता ;

(घ) धारा 24 के अनुसरण में अंगीकृत सुरक्षा संबंधी रक्षोपाय ;

(ङ) वैयक्तिक डाटा भंग के उदाहरण और डाटा विश्वासी का प्रत्युत्तर जिसके अंतर्गत धारा 25 के अधीन प्राधिकरण को दी गई सूचना की तत्परता भी है ;

(च) प्रक्रमण का यथासमय कार्यान्वयन और धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन बाध्यताओं की प्रभावी अनुपंक्ति ; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा इस धारा के अधीन संपरीक्षा के संचालन के लिए प्ररूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और समुचित भागवर्ती संपरीक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करेगा ।

(4) प्राधिकरण, ऐसी स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और योग्यता जैसे ऐसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अर्हताएं, अनुभव और पात्रता वाले (***) ऐसे व्यक्तियों को सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रणाली, डाटा विज्ञान, डाटा संरक्षण या निजता के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ डाटा संपरीक्षक के रूप में, ऐसी रीति से, जो (***) द्वारा विहित किए जाएं (***) रजिस्टर करेगा ।

(5) डाटा संपरीक्षक, इस धारा के अधीन संचालित डाटा संपरीक्षा के अनुसरण में डाटा विश्वासी को डाटा विश्वास अंक के रूप में रैटिंग प्रदान कर सकेगा ।

(6) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, उपधारा (2) में वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए डाटा विश्वास अंक के रूप में रेटिंग प्रदान करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करेगा ।

(7) उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्राधिकरण का यह (***) समाधान है कि डाटा विश्वासी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में कर रहा है जिससे डाटा स्वामी को अपहानि होने की संभावना है, वहां प्राधिकरण (***) ऐसे विश्वासी को संपरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा और उस प्रयोजन के लिए एक डाटा संपरीक्षक नियुक्त करेगा ।

डाटा संरक्षण अधिकारी ।

30. (1) प्रत्येक महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी (***) निम्नलिखित कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अर्हताओं और अनुभव, जो राज्य में वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा या अन्य इकाई के मामले में किसी कंपनी या समान क्षमता के अन्य कर्मचारी के संबंध में मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति होगा द्वारा विहित (***) किया जाए, रखने वाला एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के संबंध में किन्हीं विषयों पर डाटा विश्वासी को जानकारी और सलाह देना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रक्रमण से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है, डाटा विश्वासी के डाटा प्रक्रमण क्रियाकलापों को मानीटर करना ;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डाटा विश्वासी के अनुपालन संबंधी विषयों पर प्राधिकरण को (***) सहायता और सहयोग देना ;

(घ) धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्रियाविधियों के विकास पर डाटा विश्वासी को सलाह देना ;

(ङ) डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण के कार्यान्वयन पर डाटा विश्वासी को (***) सलाह देना और धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन उसका पुनर्विलोकन करना ;

(च) धारा 28 के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की सूची का (***) अनुरक्षण ; और

(छ) धारा 32 के अधीन शिकायत (***) के निवारण के प्रयोजन के लिए डाटा स्वामी के लिए संपर्क बिंदु के रूप में (***) कार्य करना ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य प्रबंधकार व्यक्ति" से—

(I) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ;

(II) कंपनी सचिव ;

(III) पूर्णकालिक निदेशक;

(Iv) मुख्य वित्त अधिकारी ; या

(v) ऐसे अन्य कार्मिक अभिप्रेत हैं जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात डाटा विश्वासी को, डाटा संरक्षण अधिकारी को कोई अन्य ऐसा कृत्य, जो वह आवश्यक समझे, सौंपने से निवारित नहीं करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त डाटा संरक्षण अधिकारी भारत में स्थित होगा और इस अधिनियम के अधीन डाटा विश्वासी का प्रतिनिधित्व करेगा ।

डाटा विश्वासियों से भिन्न इकाइयों द्वारा प्रक्रमण ।

31. (1) डाटा विश्वासी, डाटा विश्वासी और ऐसे डाटा प्रक्रमणकर्ता के बीच हुई संविदा के बिना, वैयक्तिक डाटा का अपनी ओर से प्रक्रमण करने के लिए किसी डाटा प्रक्रमणकर्ता को नहीं लगाएगा, नियुक्त नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा या संलग्न नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा प्रक्रमणकर्ता, डाटा विश्वासी के प्राधिकार के सिवाय और जब तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा में अनुज्ञात न किया जाए, अपनी ओर से प्रक्रमण में किसी अन्य डाटा प्रक्रमणकर्ता को नहीं लगाएगा, नियुक्त नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा या संलग्न नहीं करेगा ।

(3) डाटा प्रक्रमणकर्ता और डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता का कोई कर्मचारी केवल डाटा विश्वासी के अनुदेशों के अनुसार वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण करेगा और उसे गोपनीय माना जाएगा ।

डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत का निवारण ।

32. (1) प्रत्येक डाटा विश्वासी, डाटा स्वामियों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से और त्वरित रीति में प्रतितोषण के लिए उचित और प्रभावी क्रियाविधि का उपयोग करेगा ।

(2) कोई डाटा स्वामी, जिसे अपहानि हुई है या होने की संभावना है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत निम्नलिखित को कर सकेगा,—

(क) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की दशा में डाटा संरक्षा अधिकारी को ; या

(ख) किसी अन्य डाटा विश्वासी की दशा में, इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी को ।

(3) डाटा विश्वासी द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई किसी शिकायत का समाधान त्वरित रीति में और ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के अपश्चात् किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या जहां डाटा स्वामी उस रीति से संतुष्ट नहीं है जिसमें शिकायत का समाधान किया जाता है अथवा डाटा विश्वासी ने शिकायत को नामंजूर कर दिया है, वहां डाटा स्वामी, (***) धारा 62 के अधीन प्राधिकरण को शिकायत फाइल कर सकेगा ।

अध्याय 7

भारत से बाहर वैयक्तिक डाटा के अंतरण पर निर्बंधन

भारत से बाहर संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण पर प्रतिषेध ।

33. (1) धारा 34 की उपधारा (1) में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को भारत से बाहर अंतरित किया जा सकेगा किन्तु ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा भारत में संगृहीत बना रहेगा ।

(2) किसी संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण केवल भारत में ही किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा" पद से ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के रूप में अधिसूचित किया जाए ।

संवेदनशील वैयक्तिक डाटा और संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए शर्तें ।

34. (1) संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का भारत से बाहर अन्तरण केवल प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए तभी किया जा सकेगा जब डाटा स्वामी द्वारा ऐसे अन्तरण के लिए सुस्पष्ट सहमति दी गई हो और, जहां—

(क) अंतरण, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा या अंतरासमूह स्कीम के अनुसरण में किया जाता है :

परंतु यदि ऐसे अन्तरण का उद्देश्य लोक नीति या राज्य नीति के विरुद्ध है और ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम को तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध नहीं किया गया हो—

(i) इस अधिनियम के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को आगे और अंतरण का संबंध भी है ; और

(ii) ऐसे अंतरण द्वारा ऐसी संविदा या अंतरासमूह स्कीम के उपबंधों के अननुपालन के कारण हुई अपहानि के लिए डाटा विश्वासी का दायित्व ; (***)

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् अपने ऐसे निष्कर्षों के आधार पर कि—

(i) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, लागू विधियों और अन्तरराष्ट्रीय करारों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण के यथायेत्रय स्तर के अध्यधीन होगा ; (***)

(ii) ऐसा अन्तरण समुचित अधिकारिता वाले प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विधि के प्रवर्तन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा ; और

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई को या के वर्ग को या किसी ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी ; और

(iii) ऐसा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा, किसी विदेश सरकार या अभिकरण के साथ तब तक साझा नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे साझा किए जाने का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया गया हो,

किसी देश को या किसी देश की ऐसी इकाई या (***) इकाइयों के वर्ग को या किसी ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संगठन को अन्तरण अनुज्ञात करेगी :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी निष्कर्ष का ऐसी रीतियों में जो विहित की जाएं, आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा ; या

(ग) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श में किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा के किसी वर्ग का अंतरण अनुज्ञात किया है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी कार्यवाई को "लोक नीति" या "राज्य नीति" के विरुद्ध कहा जाएगा यदि उक्त कृत्य किसी विधि के भंग होने का संवर्धन करता है या वह इस संबंध में किसी लोक नीति या राज्य नीति के अनुरूप नहीं है या उसकी प्रवृत्ति राज्य या उसके नागरिकों के हितों को अपहानि पहुंचाने की है ।

(2) धारा 33 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी संकटपूर्ण वैयक्तिक डाटा को भारत से बाहर केवल वहीं अंतरित किया जा सकेगा जहां ऐसा अंतरण,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई को किया गया है जो स्वास्थ्य सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था में लगी हुई है जहां ऐसा अंतरण धारा 12 के अधीन त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक है ; और

(ख) किसी देश को या किसी देश में की किसी इकाई या (***) इकाइयों के वर्ग को या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को वहां किया गया है जहां केन्द्रीय सरकार को ऐसे अन्तरण को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय समझा है और ऐसा अन्तरण केन्द्रीय सरकार की राय में राज्य की सुरक्षा और नीतिगत हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई अंतरण, ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को (***) सूचित किया जाएगा ।

अध्याय 8

छूटें

केन्द्रीय सरकार की (***) अधिनियम के लागू होने से सरकार के किसी अभिकरण को छूट देने की शक्ति ।

35. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) भारत की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में ; या

(ii) भारत की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध सरकार के किसी अभिकरण को ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के संबंध लागू नहीं होंगे, जो अभिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया, रक्षोपायों और अन्वेक्षा क्रियाविधि, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1974 का 2

(i) "संज्ञेय अपराध" पद से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित अपराध अभिप्रेत है ;

(ii) "ऐसे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" पद के अंतर्गत किसी डाटा विश्वासी, डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा स्वामी द्वारा सरकार के ऐसे अभिकरण द्वारा या उसके साथ साझा करना भी है ; और

(iii) "ऐसी प्रक्रिया" पद उचित, न्याय संगत और युक्तियुक्त और आनुपातिक प्रक्रिया के प्रति निर्देश है ।

वैयक्तिक डाटा के कतिपय प्रक्रमण के लिए कतिपय उपबंधों से छूट ।

36. धारा 24 के सिवाय अध्याय 2 (***) से अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होंगे जहां—

(क) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी अपराध के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के, (***) उल्लंघन के निवारण, उसका पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के हितों में किया गया है ;

(ख) वैयक्तिक डाटा का प्रकटन किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन, किसी अनुतोष की ईप्सा, किसी आरोप की प्रतिरक्षा, किसी दावे का विरोध करने या किसी आसन्न विधिक कार्यवाही में किसी अधिवक्ता से कोई विधिक सलाह लेने के लिए आवश्यक है ;

(ग) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किसी न्यायिक कृत्य के प्रयोग के लिए आवश्यक है ;

(घ) किसी नैसर्गिक व्यक्ति द्वारा किसी वैयक्तिक या घरेलू प्रयोजन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसे प्रक्रमण में जनता को प्रकटन अंतर्वलित है या किसी वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप के संबंध में किया गया है ; या

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण पत्रकारिता के प्रयोजन के लिए आवश्यक है या उससे सुसंगत है और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रेस परिषद् या किसी कानूनी मीडिया (***) विनियामक संगठन द्वारा जारी (***) नैतिक संहिता के अनुपालन में है ।

केंद्रीय सरकार की कतिपय प्रक्रमणकर्ताओं को छूट देने की शक्ति ।

37. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी डाटा प्रक्रमणकर्ता या भारतीय विधि के अधीन निगमित डाटा प्रक्रमणकर्ताओं के किसी वर्ग द्वारा, भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति के साथ, जिसके अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निगमित कोई कंपनी भी है, की गई संविदा के अनुसरण में ऐसे डाटा स्वामियों के वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर नहीं है, इस अधिनियम के लागू होने से छूट दे सकेगी ।

अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए छूट ।

38. जहां वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण अनुसंधान, अभिलेखागारण या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक है और प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि--

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन अननुपातिक रूप से संसाधनों का ऐसे प्रयोजन से अपयोजन होगा ;

(ख) प्रक्रमण के प्रयोजनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि वैयक्तिक डाटा अज्ञात हो जाता है ;

(ग) डाटा विश्वासी ने धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यवहार संहिता के अनुसार विपहचान की है और प्रक्रमण का प्रयोजन प्राप्त तभी किया जा सकता है यदि वैयक्तिक डाटा विपहचान किए गए प्ररूप में है ;

(घ) वैयक्तिक डाटा का उपयोग किसी ऐसे विनिश्चय के लिए नहीं किया जाएगा जो डाटा स्वामी के प्रति विनिर्दिष्ट है या उसके प्रति निर्देशित कार्रवाई के

लिए है ; और

(ङ) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में नहीं किया जाएगा जिससे डाटा स्वामी को महत्वपूर्ण अपहानि के जोखिम उत्पन्न हों,

वहां वह अधिसूचना द्वारा इस अनुसंधान, अभिलेखागारण, या सांख्यिकीय प्रयोजनों के ऐसे वर्गों को अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट दे सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

लघु इकाइयों द्वारा (***) अस्वचालित प्रक्रमण के लिए छूट ।

39. (1) धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 17 की उपधारा (1) का खंड (ग) और धारा 19 से धारा 32 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी लघु इकाई द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण स्वचालित नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "लघु इकाई" से ऐसा डाटा विश्वासी अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा वर्गीकृत किया जाए—

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में डाटा विश्वासी का आवर्त ;

(ख) किन्हीं अन्य व्यष्टियों या इकाइयों को प्रकटन के लिए वैयक्तिक डाटा के संग्रहण का प्रयोजन ; और

(ग) पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मासों में किसी एक दिन में ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा का आकार ।

नवाचार, आदि के प्रोत्साहन के लिए सैंडबाक्स ।

40. (1) प्राधिकरण, लोकहित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन विद्वत या किसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में नवाचार के प्रोत्साहन देने के प्रयोजनों के लिए एक सैंडबाक्स का सृजन (***) कर सकेगा ।

(2) कोई डाटा विश्वासी और ऐसा स्टार्टअप, जिसकी धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रमाणित की जाती है, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के अधीन सृजित सैंडबाक्स में सम्मिलित होने के लिए, आवेदन करने का पात्र होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सैंडबाक्स में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने वाला कोई डाटा विश्वासी, निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात् :—

(क) वह अवधि जिसके लिए उसने सैंडबाक्स के फायदे के उपयोग की ईप्सा की है, परंतु ऐसी अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रौद्योगिकी का नवाचारी उपयोग और उसका फायदाप्रद उपयोग ;

(ग) प्रस्तावित प्रक्रमण के अधीन भागीदारी करने वाले डाटा स्वामियों या डाटा स्वामियों के प्रवर्ग ; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) प्राधिकरण, सैंडबाक्स में किसी डाटा विश्वासी को सम्मिलित करते समय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा—

(क) सैंडबाक्स में सम्मिलित करने की अवधि, जो छत्तीस मास की कुल अवधि के अधीन रहते हुए, दो बार से अनधिक नवीनीकृत की जा सकेगी ;

(ख) रक्षोपाय जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्तिधारी क्रियाकलाप के अधीन भाग लेने वाले डाटा स्वामी की सहमति की अपेक्षा, ऐसे, डाटा स्वामियों की क्षतिपूर्ति और ऐसे रक्षोपायों के संबंध में शास्तियों सहित खंड (ग) के अधीन बाध्यताओं को देखते हुए निबंधन और शर्तें भी हैं ; और

(ग) निम्नलिखित बाध्यताएं ऐसे डाटा विश्वासी को लागू नहीं होंगी या उपांतरित रूप में लागू होंगी, अर्थात् :—

(i) धारा 4 और धारा 5 के अधीन (***) उपबंधों के अनुपालन की बाध्यता ;

(ii) धारा 6 के अधीन वैयक्तिक डाटा के संग्रहण पर निर्बंधन ; और

(iii) उस विस्तार तक कोई अन्य बाध्यता धारा 5 और धारा 6 (***) पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ; और

(iv) धारा 9 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण पर निर्बंधन ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "सैंड बाक्स" पद से किसी नियंत्रित या परीक्षण विनियामक वातावरण में नए उत्पादकों या सेवाओं का ऐसा सजीव परीक्षण अभिप्रेत है जिसके लिए प्राधिकरण, परीक्षण के सीमित प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए कतिपय विनियामक छूट अनुज्ञात कर सकेगा या नहीं कर सकेगा ।

अध्याय 9

भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना ।

41. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3 प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

संरचना तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

42. (1) प्राधिकरण, एक अध्यक्ष और छह से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें से एक (***) विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ ऐसे अर्हता और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, (***) जो विहित की जाए ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) मंत्रिमंडल सचिव, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) भारत का महान्यायवादी – सदस्य ;

(iii) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव - सदस्य ; (***)

(iv) भारत सरकार के (***)इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मंत्रालय या विभाग का सचिव- सदस्य ;

(v) डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इन्टरनेट विधि, लोक प्रशासन और संबंधित विषय के क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला स्वतंत्र विशेषज्ञ – सदस्य ।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कोई निदेशक सदस्य; और

(vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित भारतीय प्रबंधन संस्थान का कोई निदेशक सदस्य ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति वाले व्यक्ति होंगे और जिन्हें डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा या सम्बन्धित विषयों के क्षेत्र में (***) कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की पद पर हुई कोई आकस्मिक रिक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसी रिक्ति होती है, तीन मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ।

43. (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, अपनी पदावधि के दौरान तथा उस तारीख से, जिसको वे पदधारण करने से प्रविरत हो जाते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए,—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे ;

(ख) किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के साथ किसी भी हैसियत में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा

सकेगा ।

अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का हटाया जाना ।

44. (1) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो—

(क) जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो गया है ;

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(घ) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है ; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके (***) कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का एक (***)युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

अध्यक्ष की शक्तियां ।

45. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकरण कार्यकलापों के आचरण का साधारण अधीक्षण करने और (***) निदेश देने की शक्तियां होंगी तथा वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त है (***) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कृत्यों का न निर्वहन और सभी बातें भी करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ।

प्राधिकरण की बैठकें ।

46. (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेंगे और अपनी बैठकों में कार्य करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियम का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2) यदि, किसी कारण से, अध्यक्ष, प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(4) ऐसा कोई सदस्य, जिसका प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, तो वह ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा जिसे प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के सम्बन्ध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

47. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

48. (1) प्राधिकरण उतने अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के (***) दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) ऐसे अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों का कोई पारिश्रमिक, वेतन या भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

49. (1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह डाटा स्वामियों के हितों का संरक्षण करे, वैयक्तिक डाटा के किसी दुरुपयोग का निवारण करे, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करे और डाटा संरक्षण के बारे में जागरुकता का संवर्धन करे ।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी और अन्य कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों की मॉनीटरी और उनके उपयोजन का प्रवर्तन करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार (***) डाटा के भंग की प्रतिक्रिया में तत्पर और समुचित कार्रवाई करना ;

(ग) अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसे डाटाबेस का अनुरक्षण करना जिसमें डाटा विश्वसनीयता स्कोर के प्ररूप में रेटिंग के साथ महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के नाम, ऐसे डाटा विश्वासियों द्वारा इस अधिनियम की बाध्यताओं के अनुपालन को उपदर्शित करते हुए, अन्तर्विष्ट होंगे ;

(घ) किसी डाटा संपरीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करना तथा उनके अनुसरण में कोई कार्रवाई करना ;

(ङ) डाटा संपरीक्षकों को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना तथा उसका नवीकरण करना, वापस लेना, निलंबन या रद्दकरण तथा रजिस्ट्रीकृत डाटा संपरीक्षकों के डाटाबेस का अनुरक्षण करना तथा ऐसे डाटा संपरीक्षकों की अर्हताएं, व्यवहार संहिता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट करना ;

(च) डाटा विश्वासियों का वर्गीकरण ;

(छ) वैयक्तिक डाटा के सीमा पार अंतरण की मॉनीटरी करना ;

(ज) व्यवहार संहिता को विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) डाटा विश्वासियों और डाटा स्वामियों के बीच वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के सम्बन्ध में जोखिमों, नियमों, रक्षोपायों तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता और अवबोधन का संवर्धन करना ;

(ञ) ऐसे प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक व्यवहारों को मानीटर करना, जिससे वैयक्तिक डाटा का संरक्षण प्रभावित हो सकता है ;

(ट) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार के लिए मानदंडों का संवर्धन और अनुसंधान करना ;

(ठ) वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के संवर्धन के लिए और इस अधिनियम के लागू होने या उसके प्रवर्तन की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देना ;

(ड) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस और अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट करना ;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन परिवाद प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना ; (***)

(ण) किसी द्वेषपूर्ण निविष्ट को, जिससे डाटा भंग हो सकता है,निवारित करने के लिए परिकलन युक्ति पर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अखंडता को और विश्वास्यता इस प्रयोजन के लिए सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी समुचित अभिकरण द्वारा निगरानी, परीक्षण और प्रणाणीकरण ; और

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(3) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकरण किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करता है, वहां इसका अर्थ ऐसे वैयक्तिक डाटा के सम्बन्ध में यथा लागू डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के रूप में लगाया जाएगा तथा जहां प्राधिकरण के कब्जे में कोई ऐसी सूचना आती है जिसे ऐसे (***) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा गोपनीय माना गया है, वहां वह ऐसी जानकारी को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो या जहां इस धारा के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसा अपेक्षित है ।

व्यवहार संहिता ।

50. (1) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा डाटा संरक्षण की मान्य कार्यप्रणाली के संवर्धन के लिए और इस अधिनियम के अधीन बाध्यताओं के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए एक व्यवहार संहिता विनिर्दिष्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए, प्राधिकरण—

(i) सहयोजनों का अभ्यावेदन-

(क) तकनीकी सेवा संगठनों ;

(ख) (***) उद्योग या व्यापार (***)

(ग) (***) डाटा स्वामी के हितों, का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों ;

(ii) किसी क्षेत्रीय विनियामक या कानूनी प्राधिकरण ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय,

द्वारा प्रस्तुत व्यवहार संहिता का अनुमोदन कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण इस धारा के अधीन किसी व्यवहार संहिता को विनिर्दिष्ट या अनुमोदित करते समय इस अधिनियम के अधीन डाटा विश्वास की बाध्यताओं तथा डाटा स्वामी के अधिकारों के साथ अनुपालन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई व्यवहार संहिता, तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक प्राधिकरण ने क्षेत्रीय विनियामकों और अन्य पणधारियों के साथ और जिसके अन्तर्गत जनता भी है, परामर्श नहीं किया हो और ऐसी प्रक्रियाओं का, जो विहित की जाएं, पालन न किया हो ।

(5) इस धारा के अधीन जारी कोई व्यवहार संहिता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में नहीं होगी ।

(6) इस अधिनियम के अधीन व्यवहार संहिता में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 के अधीन सूचना की अपेक्षाएं, जिनके अन्तर्गत सूचना से सम्बन्धित कोई मॉडल प्ररूप या दिशा मार्गदर्शक सिद्धांत भी है ;

(ख) धारा 8 के अधीन प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उपाय ;

(ग) धारा 9 के अधीन वैयक्तिक डाटा के प्रतिधारण से सम्बन्धित उपाय ;

(घ) धारा 11 के अधीन विधिमान्य सहमति अभिप्राप्त करने की रीति ;

(ङ) धारा 12 के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(च) ऐसे क्रियाकलाप, जिससे वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण धारा 14 के अधीन किया जा सके ;

(छ) अध्याय 3 के अधीन संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ज) प्रक्रमण के किसी अन्य आधार के अधीन वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण और आयु सत्यापन भी है ;

(झ) अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी द्वारा किसी अधिकार का प्रयोग करना ;

(ञ) ऐसे मानक और साधन, जिनके द्वारा डाटा स्वामी धारा 19 के अधीन डाटा सुवाह्यता के अधिकार का उपभोग कर सकेगा ;

(ट) ऐसे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संबंधी उपाय, जिनके अन्तर्गत अध्याय 6 के अधीन डाटा विश्वासियों और डाटा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले मानक भी हैं ;

(ठ) धारा 24 के अधीन डाटा विश्वासियों और डाटा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी रक्षोपायों के लिए मानक ;

(ड) विपहचान और अनामिकरण की पद्धति ;

(ढ) वैयक्तिक डाटा को नष्ट किए जाने, हटाए जाने या मिटाए जाने की ऐसी पद्धतियां, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हैं ;

(ण) धारा 25 के अधीन (***) डाटा के भंग प्रत्युत्तर में डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की जाने वाली समुचित कार्रवाई ;

(त) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन डाटा विश्वासी या उसके किसी वर्ग द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण किया जा सकेगा ;

(थ) धारा 34 के अनुसरण में भारत से बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण ;

(द) धारा 38 के अधीन अनुसंधान, अभिलेखन या सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी क्रियाकलाप के लिए किसी वैयक्तिक डाटा या संवेदनशील वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ; और

(ध) कोई अन्य विषय, जिसका प्राधिकरण के विचार से (***) व्यवहार संहिता में उपबंध किया जाना आवश्यक या सुसंगत हो ।

(7) प्राधिकरण ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन जारी व्यवहार संहिता का पुनर्विलोकन, उपांतरण या प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति ।

51. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह किसी ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के लिए, जो ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक प्राधिकरण द्वारा सम्बद्ध डाटा विश्वासी (***) या डाटा प्रक्रमणकर्ता को सुनवाई का कोई (***) अवसर न दे दिया जाए ।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश को, उसे किए गए अभ्यावेदन के आधार पर या स्वप्रेरणा से उपांतरित, निलंबित, प्रत्याहृत या रद्द कर सकेगा और ऐसा करते समय ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा जिसके अधीन रहते हुए उपांतरण, निलंबन, प्रत्याहरण या रद्दकरण प्रभावी होगा ।

जानकारी मांगने की प्राधिकरण की शक्ति ।

52. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो ।

(2) यदि प्राधिकरण, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से उपधारा (1) के अधीन कोई जानकारी उपलब्ध करवाने की अपेक्षा करता है तो वह डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को, ऐसी अध्यपेक्षा के कारणों का कथन करते हुए एक लिखित सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

(3) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, ऐसी रीति निर्दिष्ट करेगा जिसमें डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता उपधारा (1) में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का पदनाम, जो जानकारी की ईप्सा कर सकेगा तथा वह प्ररूप, जिसमें ऐसी जानकारी दी जा सकेगी ।

जांच करने की प्राधिकरण की शक्ति ।

53. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी शिकायत पर जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा, यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है—

(क) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं जो डाटा स्वामी के हितों के लिए अहितकर है ; या

(ख) किसी डाटा विश्वासी या प्रक्रमणकर्ता ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या प्राधिकरण के किसी निदेश का उल्लंघन किया है ।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लिखित आदेश द्वारा, ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के कार्यकलापों की जांच करने तथा की गई किसी जांच पर प्राधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए जांच अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की ईप्सा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेशों में जांच के कारणों तथा जांच की परिधि विनिर्दिष्ट होगी तथा इसे समय-समय पर उपांतरित किया जा सकेगा ।

(5) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के प्रत्यक्ष प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति या जहां सेवाएं, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा अभिप्राप्त की जा रही हैं या उसे उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहां सेवा प्रदाता या ठेकेदार जांच अधिकारी के समक्ष सभी ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज, अभिलेख और उसकी अभिरक्षा में का कोई डाटा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा या उसे जांच अधिकारी को डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसा कोई विवरण या जानकारी देने की शक्ति होगी जिसकी जांच अधिकारी ऐसे समय के भीतर, जो जांच अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपेक्षा करे ।

(6) जांच अधिकारी, जांच के कारण और डाटा विश्वासी और जांच (***) के क्षेत्र के बीच सम्बन्ध के बारे में बताए हुए, उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को लिखित में एक सूचना देगा ।

(7) जांच अधिकारी छह मास के लिए उपधारा (5) के अधीन पेश की गई किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य डाटा को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा तथा उसके पश्चात्, जब तक प्राधिकरण से ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिधारित करने का अनुमोदन अभिप्राप्त न किया गया हो, उसे उसी व्यक्ति को वापस करेगा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, दस्तावेज, अभिलेख और डाटा प्रस्तुत किए गए थे ।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, यथास्थिति, प्राधिकरण या जांच अधिकारी को, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय

वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा पुस्तकों, डाटा और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ख) व्यक्तियों को समन कराना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ग) किसी डाटा विश्वासी की किसी पुस्तक दस्तावेज, रजिस्टर या अभिलेख या डाटा का निरीक्षण करना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(***) जांच के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई ।

54. (1) प्राधिकरण, धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने का ऐसा अवसर, जैसा प्राधिकरण युक्तियुक्त समझे, देने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा—

(क) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को चेतावनी दे सकेगा, जहां कारबार या क्रियाकलापों में इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है ;

(ख) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को धिग्दंड दे सकेगा, जहां कारबार या क्रियाकलापों में इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है ;

(ग) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से इस अधिनियम के उपबंधों का कोई अतिक्रमण करने या करवाए जाने से परिविरत और प्रविरत होने का (***) निदेश दे सकेगा ;

(घ) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से उसके कारबार या क्रियाकलापों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में लाने के लिए उसे उपांतरित करने का (***) निदेश दे सकेगा ;

(ङ) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता के ऐसे कारबार या क्रिया-कलाप को अस्थायी रूप से निलंबित या बंद कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं ;

(च) किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की दशा में प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण को परिवर्तित, निलंबित या रद्द कर सकेगा ;

(छ) वैयक्तिक डाटा के किसी सीमा-पार (***) अन्तरण को निलंबित या बंद कर सकेगा ; या

(ज) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से ऐसी रिपोर्ट से उद्भूत किसी विषय के सम्बन्ध में (***) ऐसी कार्रवाई करने का (***) निदेश दे सकेगा, जो प्राधिकरण ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता धारा 73 के अधीन अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

तलाशी और अभिग्रहण ।

55. (1) जहां धारा 53 के अधीन जांच के दौरान, जांच अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि इसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, अभिलेखों और डाटा को परिवर्तित, विकृत, विनिर्मित, मिथ्याकृत या विनष्ट करने की संभावना है, वहां (***) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जांच अधिकारी, ऐसे अभिहित न्यायालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों (***) अभिलेखों या डाटा का अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जांच अधिकारी उपधारा (1) में (***) उपबंधित प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता हेतु किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या (***) सभी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करे ।

(3) आवेदन पर विचार करने और जांच अधिकारी को सुने जाने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो अभिहित न्यायालय, आदेश द्वारा जांच अधिकारी को,—

(क) ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित है, ऐसे स्थान या स्थानों पर, जहां ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज (***) अभिलेख या डाटा रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ; और

(ग) ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों (***) अभिलेखों या डाटा का अभिग्रहण करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा जो वह जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) जांच अधिकारी, इस धारा के अधीन जांच की समाप्ति के अपश्चात्, ऐसी अवधि के लिए, जो वह (***) आवश्यक समझे, अभिग्रहीत पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों (***) अभिलेखों या डाटा को अपनी अभिरक्षा में (***) रखेगा और तत्पश्चात् उसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उनका अभिग्रहण किया गया था तथा अभिहित न्यायालय को ऐसी वापसी की सूचना देगा ।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी या अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबंधों के अनुसार की जाएगी । 1974 का 2

प्राधिकरण और अन्य विनियामकों या प्राधिकरणों के बीच समन्वय ।

56. जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्रवाई ऐसी है जिसमें संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य विनियामक या प्राधिकरण को भी समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है, वहां प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे अन्य विनियामक या प्राधिकरण से परामर्श करेगा तथा ऐसे अन्य विनियामक अथवा प्राधिकरण के साथ, ऐसी कार्रवाई जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाकलाप भी हैं के समन्वय को शासित करने के वाला एक समझौता ज्ञापन भी कर सकेगा ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रतिकर

(***) अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियां ।

57 (1) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 25 के अधीन किसी डाटा (***) के भंग की प्रतिक्रिया में तत्परता से और समुचित कार्रवाई करने की बाध्यता ;

(ख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्टर होने में विफलता ;

(ग) धारा 27 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण समाघात निर्धारण करने की बाध्यता ;

(घ) धारा 29 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संपरीक्षा करने की बाध्यता ; या

(ङ) धारा 30 के अधीन किसी महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी द्वारा डाटा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति,

वह ऐसी (***) शास्ति के लिए, जो (***) विहित की जाए, पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का दो प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, होगी, दायी होगा ।

(2) जहां कोई डाटा विश्वासी निम्नलिखित में से किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अर्थात् :—

(क) अध्याय 2 या अध्याय 3 के उपबंधों के अतिक्रमण में वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ख) अध्याय 4 के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ;

(ग) धारा 24 के अनुसार सुरक्षा के सुरक्षोपायों के पालन में असफल होना ; या

(घ) अध्याय 7 के उपबंधों के अतिक्रमण में भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का अंतरण,

वह ऐसी (***) शास्ति का, जो (***) विहित की जाए, जो पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक नहीं या उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कुल विश्वव्यापी आवर्त का चार प्रतिशत तक, जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी, दायी होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कुल विश्वव्यापी आवर्त" पद से ऐसे राजस्व की कुल रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं के विक्रय, प्रदाय या वितरण से या दी गई सेवाओं के मद्दे या दोनों के लाभ और हानि लेखे या यथा लागू किसी अन्य समतुल्य विवरण में मान्यताप्राप्त हो और जहां ऐसा राजस्व भारत में और भारत के बाहर जनित हुआ हो ;

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी डाटा विश्वासी के सम्बन्ध में "कुल

विश्वव्यापी आवर्त" डाटा विश्वासी का कुल विश्वव्यापी आवर्त है और जहां किसी इकाई समूह का ऐसा कुल विश्वव्यापी आवर्त,—

(i) किसी डाटा विश्वासी और इकाई समूह के क्रियाकलाप डाटा के प्रक्रमण और उपयोग के संबंध में संरेखित है ;

(ii) विशिष्टतया डाटा विश्वासी द्वारा किए जाने वाले प्रक्रमण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अस्तित्व डाटा विश्वासी और इकाई समूह के बीच का संबंध विद्यमान है ; और

(iii) यथास्थिति, इकाई समूह द्वारा डाटा विश्वासी पर या डाटा विश्वासी द्वारा इकाई समूह पर प्रयुक्त नियंत्रण की मात्रा,

सहित कारकों को ध्यान में रखते हुए, डाटा विश्वासी के प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलापों के सीधे परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, वहां डाटा विश्वासी के किसी इकाई समूह का कुल विश्वव्यापी आवर्त होगा ;

(ग) जहां राज्य द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट उपबंधों में से (***) किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो, वहां अधिकतम शास्ति क्रमशः उपधारा (1) के अधीन (***) पांच करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी तथा उपधारा (2) के अधीन पन्द्रह करोड़ रुपए तक की होगी ।

अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी के अनुरोध के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

58. जहां कोई डाटा विश्वासी किसी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के बिना, अध्याय 5 के अधीन डाटा स्वामी द्वारा किए गए किसी अनुरोध का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वहां ऐसा डाटा विश्वासी, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में, अधिकतम दस लाख रुपए तथा अन्य मामलों में पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

रिपोर्ट, वितरणियां, जानकारी, आदि को देने में असफलता के लिए शास्ति ।

59. यदि कोई डाटा विश्वासी, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन प्राधिकरण को रिपोर्ट, वितरणी या जानकारी देने की अपेक्षा है, उसे देने में असफल रहेगा तो ऐसा डाटा विश्वासी, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में अधिकतम बीस लाख रुपए तथा अन्य मामलों में पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए की ऐसी शास्ति का दायी होगा ।

प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश या आदेश के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

60. यदि कोई डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता धारा 51 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निदेश का या धारा 54 के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में असफल रहेगा—

(i) ऐसा डाटा विश्वासी (***) ऐसी शास्ति का दायी होगा जो अधिकतम दो करोड़ रुपए (***) के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, बीस हजार रुपए हो सकेगी ; या

(ii) ऐसा डाटा प्रक्रमणकर्ता (***) ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो (***), ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम पचास लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।

उल्लंघन के लिए शास्ति, जहां पृथक रूप से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है ।

61. जहां कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को लागू इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके लिए किसी पृथक शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, पालन करने में असफल रहेगा, वहां ऐसा व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों की दशा में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक और अन्य दशाओं में पच्चीस लाख रुपए तक की शास्ति का दायी होगा ।

शिकायत या आवेदन फाइल करने का अधिकार ।

62. (1) धारा 32 में निर्दिष्ट व्यथित डाटा स्वामी, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को एक परिवाद फाइल कर सकेगा ।

(2) डाटा स्वामी ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी अवधि के भीतर उसे विहित की जाए, आवेदन फाइल करके धारा 65 के अधीन प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।

(3) प्राधिकरण, डाटा स्वामी द्वारा फाइल की गई परिवाद या आवेदन को, यथास्थिति, ऐसे परिवाद या आवेदन के निर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति ।

63. (1) प्राधिकरण, धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने या धारा 65 के अधीन प्रतिकर का अधिनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा, जो (***) अपेक्षित हों ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संक्रियात्मक पृथक्करण, स्वतंत्रता तथा न्यायनिर्णयन की तटस्थता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए,—

(क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारियों की संख्या ;

(ख) न्यायनिर्णायक अधिकारियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा निबंधन ;

(ग) न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अधिकारिता ; और

(घ) अन्य ऐसी अपेक्षाएं, जो (***),

विहित (***) की जाए ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और उन्हें विधि, साइबर और इंटरनेट विधियां, सूचना प्रौद्योगिकी विधि और नीति डाटा संरक्षण तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में ऐसी अर्हताएं धारण करेंगे, विशिष्ट ज्ञान (***) और (***) पर्याप्त (***) और वृत्तिक अनुभव होना चाहिए, जो विहित किया जाए ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ।

64. (1) इस अध्याय के अधीन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता या किसी व्यक्ति को सुनवाई का एक (***) अवसर दिए जाने के पश्चात्, के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :

परंतु इस धारा के अधीन कोई जांच, प्राधिकरण द्वारा की गई शिकायत के सिवाय आरम्भ नहीं की जाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को कोई जांच करते समय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, साक्ष्य देने या ऐसा कोई दस्तावेज पेश

करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी ।

(3) यदि, ऐसी जांच की समाप्ति पर न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहा है या उसने इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी डाटा स्वामी को अपहानि कारित की है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी सुसंगत धारा के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति को अधिरोपित कर सकेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी यह विनिश्चय करते समय कि क्या उपधारा (3) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाए और धारा 57 से धारा 61 के अधीन शास्ति की मात्रा का अवधारण करने में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए शास्ति की अवधारण और अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) सम्बद्ध प्रक्रमण की प्रकृति, व्याप्ति और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, अतिक्रमण की प्रकृति, गंभीरता और कालावधि ;

(ख) प्रभावी डाटा स्वामियों की संख्या तथा उनके द्वारा सहन की गई अपहानि का स्तर ;

(ग) अतिक्रमण का आशयपूर्ण या उपेक्षाकारी स्वरूप ;

(घ) अतिक्रमण द्वारा समाधानित वैयक्तिक डाटा की प्रकृति ;

(ङ) व्यतिक्रम की पुनरावृत्त प्रकृति ;

(च) डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा कार्यान्वित पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धी उपाय, जिनके अन्तर्गत सुरक्षा रक्षोपायों से सम्बन्धित किसी सुसंगत व्यवहार संहिता का पालन भी है ;

(छ) डाटा स्वामियों द्वारा सहन की गई अपहानि को कम करने के लिए डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई ; (***) या

(ज) मामले की परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य गुरुतरकारी या न्यूनीकृत कारक, जैसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हुए अननुपातिक अभिलाभ या अनुचित फायदा, जहां कहीं निर्धारण योग्य हो ।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 73 के अधीन अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

प्रतिकर ।

85. (1) किसी ऐसे डाटा स्वामी को, जिसने डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी उपबंध के अतिक्रमण के परिणामस्वरूप अपहानि सहन की है, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता से प्रतिकर की ईप्सा करने का अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटा प्रक्रमणकर्ता केवल तभी दायी होगा, जहां उसने धारा 31 के अनुसरण में डाटा विश्वासी के अनुदेश के लिए देश में या देश के बाहर कार्य किया है या जहां डाटा प्रक्रमणकर्ता उपेक्षापूर्ण रीति में कोई कार्य करते हुए पाया गया है या जहां डाटा प्रक्रमणकर्ता ने धारा

24 के अधीन पर्याप्त सुरक्षा रक्षोपाय सम्मिलित नहीं किए हैं या जहां इस अधिनियम के किन्हीं ऐसे उपबंधों का, (***) का अतिक्रमण किया है ।

(2)(***)

(2) जहां एक या अधिक डाटा स्वामी या डाटा स्वामियों का ऐसा कोई पहचानने योग्य वर्ग है जिसे डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा किसी अतिलंघन के परिणामस्वरूप अपहानि हुई है, वहां कोई एक (***) प्रतिनिधित्व आवेदन ऐसे सभी डाटा स्वामियों की ओर से सहन की गई अपहानि के प्रतिकर की ईप्सा कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, इस धारा के अधीन प्रतिकर देने और प्रतिकर की रकम का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित में से किन्हीं कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) अधिनियम, नियमों या उसके अधीन (***) नियमों या (***) किए गए विनियमों के उपबंधों के अतिक्रमण की प्रकृति, अवधि तथा उसका विस्तार ;

(ख) डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि की प्रकृति और विस्तार;

(ग) अतिक्रमण का आशयपूर्ण या उपेक्षापूर्ण स्वरूप ;

(घ) यथास्थिति,डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा कार्यान्वित पारदर्शिता तथा जवाबदेही सम्बन्धी उपाय, जिसके अन्तर्गत सुरक्षा रक्षोपायों से सम्बन्धित किसी सुसंगत व्यवहार संहिता के प्रति अनुशक्ति भी है ;

(ङ) डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि को कम करने के लिए, यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई ;

(च) यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा, ऐसे किसी अतिक्रमण या ऐसे अतिक्रमण का पूर्व इतिहास ;

(छ) क्या डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता के मध्य हुए ठहराव में, डाटा विश्वासी की ओर से डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा की संरक्षा के लिए पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपाय अंतर्विष्ट हैं ; या

(ज) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदे, जहां कहीं अनुमान्य हो, जैसे मामले की परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य गुरुतरकारी या न्यूनीकृत कारक ।

(4) जहां एक से अधिक डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता या डाटा विश्वासी और डाटा प्रक्रमणकर्ता दोनों समान प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलाप में अंतर्वलित हैं और वे डाटा स्वामी को अपहानि कारित करते हुए पाए जाते हैं वहां प्रत्येक डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को डाटा स्वामी के प्रति अपहानि के लिए प्रभावी और त्वरित प्रतिकर सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण प्रतिकर के संदाय का आदेश दिया जा सकेगा ।

(5) जहां उपधारा (4) के अनुसार डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता ने डाटा स्वामी द्वारा सहन की गई अपहानि के लिए प्रतिकर का संदाय कर दिया है वहां ऐसा डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता, यथास्थिति, अन्य डाटा विश्वासियों या डाटा प्रक्रमणकर्ताओं से प्रतिकर की उस रकम का दावा करने के हकदार होंगे, जो कारित

आपहानि के लिए उनके दायित्व के तत्समान है ।

(6) इस धारा के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को धारा 73 के अधीन अपील कर सकेगा ।

(7) इस धारा के अधीन किसी (***) आवेदन की सुनवाई की (***) प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए ।

अन्य दंड में प्रतिकर या शास्तियों का बाधित न होना ।

66. इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत कोई प्रतिकर या अधिरोपित शास्ति इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगी ।

धनराशि की वसूली ।

67. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति या अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम की वसूली, यदि संदत्त नहीं की गई है, ऐसे की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।

(2) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

अध्याय 11

अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना ।

68. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ;

(ख) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ;

(ग) धारा 64 की उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए ; और

(घ) धारा 65 की उपधारा(***) (6) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से किसी अपील की सुनवाई और निपटान के लिए,

एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) अपील अधिकरण, अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले (***) ऐसे सदस्यों से, जिनकी संख्या छह से अधिक नहीं होगी, मिलकर बनेगा ।

(3) अपील अधिकरण की स्थापना ऐसे स्थान या स्थानों पर की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से अधिसूचित करे ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां, केंद्रीय सरकार की राय में, कोई विद्यमान (***) अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सक्षम है, वहां केंद्रीय सरकार, ऐसे (***) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, अवधि, सेवा की शर्तें ।

69. (1) कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब,—

(क) वह अध्यक्ष की दशा में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो ;

(ख) किसी सदस्य की दशा में, (***) कोई व्यक्ति जो (***) विशेषज्ञ है और जिसके पास डाटा संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंधन, डाटा विज्ञान, डाटा सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर और इंटरनेट विधि, लोक प्रशासन या किसी अन्य संबंधित विषय में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव होने के साथ योग्यता, सत्यनिष्ठा का अनुभव और विशेष ज्ञान हो ।

(2) (***) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विहित की जाए ।

रिक्तियां ।

70. यदि, अस्थाई उपस्थिति के सिवाय, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति है, तो केंद्रीय सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम और (***) उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भर दी जाती है, चालू रखी जा सकेगी ।

अपील अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।

71. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितने वह ठीक समझे ।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, उसके अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी अन्य सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

न्यायपीठों के बीच कामकाज का वितरण ।

72. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी ऐसी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां अपील अधिकरण की न्यायपीठों का गठन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वहां अध्यक्ष, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण के कामकाज का न्यायपीठों के बीच वितरण, न्यायपीठों के मध्य सदस्यों के अंतरण के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा विचारणीय होंगे ।

(3) अपील अधिकरण का अध्यक्ष, पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा उनमें से ऐसे कुछ की सुनवाई करने के पश्चात् जिसकी अध्यक्ष सुनवाई करना चाहे या अध्यक्ष, ऐसी सूचना के बगैर स्वप्रेरणा से एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान हेतु किसी अन्य न्यायपीठ

को अंतरित कर सकेगा ।

अपील अधिकरण को अपील ।

73. (1) अधिकरण या न्यायनिर्णयन अधिकारी के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और वह ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण, विवाद या अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) अपील अधिकरण, यथास्थिति, विवाद या अपील के पक्षकारों और प्राधिकरण या न्यायनिर्णयन अधिकारी को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति भेजेगा ।

(4) अपील अधिकरण, इस धारा के अधीन की गई अपील में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्यता या सत्यता का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी अपील (***) के निपटारे से सुसंगत अभिलेखों को मंगाएगा और ऐसे आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे ।

1908 का 5

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

74. (1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील अधिकरण को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा लेना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

1872 का 1

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और (***) धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अन्य अभिलेख की प्रति या दस्तावेज मांगना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी आवेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना ;

(ज) त्रुटि के कारण किसी आवेदन के खारिज करने के आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किए गए किसी आदेश को अपास्त करना ; और

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(3) अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा उसकी धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1860 का 45 1974 का 2

अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का (***) डिक्री के रूप में निष्पादय होना ।

75. (***) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा (***) प्रत्येक आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादय होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2)(***)

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

76. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या (***) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, (***) अपील अधिकरण के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है किसी सारवान विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील होगी । 1908 का 5

(2) (***) ।

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की गई है, (***) साठ दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो (***) साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार ।

77. आवेदक या अपीलकर्ता, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक या अधिक विधि व्यवसायियों को या अपने अधिकारियों या विशेषज्ञों में से किसी एक को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों (***) के लिए "विधि व्यवसायी" पद के अंतर्गत कोई अधिवक्ता या कोई अटॉर्नी होगा (***) ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता न होना ।

78. किसी सिविल न्यायालय की ऐसे किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील अधिकरण अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

79. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे, दे सकेगी ।

(***) डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि (***)।

80. (1) भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार ; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं प्राप्त सभी राशियां ।

(2) डाटा संरक्षण प्राधिकरण निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(i) अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिकों; और

(ii) उसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के अन्य व्यय ।

लेखा और संपरीक्षा ।

81. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को की जाएगी ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखाओं, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किन्हीं कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या (***) उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार जिसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के

समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियां, आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

82. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जो विहित की जाए या जो केन्द्रीय सरकार निदेश दें, वैयक्तिक डाटा संरक्षण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण (जिसके अंतर्गत की गई प्रवर्तन कारवाई संबंधी विवरण भी है) तथा ऐसी विशिष्टियां देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी ।

अध्याय 13

अपराध

वैयक्तिक डाटा की विपहचान की पुनः पहचान और प्रक्रमण ।

83. (1) कोई व्यक्ति, जो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, जानते हुए या साशय डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता की सहमति के बिना—

(क) वैयक्तिक डाटा की जिसकी यथास्थिति, डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता द्वारा विपहचान की गई है पुनः पहचान करेगा ; या

(ख) खंड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे वैयक्तिक डाटा की पुनः पहचान करेगा,

वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों के साथ दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस धारा के अधीन किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि—

(क) ऐसा वैयक्तिक डाटा उपधारा (1) के अधीन अपराध से आरोपित व्यक्ति का है ; या

(ख) ऐसे डाटा स्वामी ने, जिसका वैयक्तिक डाटा प्रश्नगत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी पुनः पहचान या प्रक्रमण के लिए सुस्पष्ट सहमति दे दी थी ।

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

84. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा । 1974 का 2

(2) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई

अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

85. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी जिससे अपराध संबंधित है, के कारबार के भाग के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी (***) के साथ-साथ और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और तद्नुसार दंड के लिए (***) भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी (***) और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु यह कि कंपनी का स्वतंत्र निदेश या गैर-कार्यपालक निदेशक केवल तभी दायी होगा जब यह दर्शित हो की कंपनी द्वारा लोप किए जाने या गठित किए जाने वाला कार्य उसकी जानकारी के साथ घटित हुआ था या उसके लिए उसकी सहमति मानी जा सकती हो या जहां उसने अपेक्षापूर्ण कार्य नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" पद से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) कोई फर्म ; और

(ii) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ख) "निदेशक" पद से—

(i) फर्म के संबंध में, फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ;

(ii) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कामकाज का नियंत्रण रखने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

सरकारी डाटा विश्वासी (***) द्वारा अपराध ।

86. (1) जहां (***) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी (***) सरकारी डाटा विश्वासी द्वारा किया गया है, वहां संबद्ध डाटा विश्वासी के कार्यालय के प्रधान द्वारा आंतरिक जांच की जाएगी और तद्नुसार ऐसे अपराध के लिए उत्तरदायी

संबद्ध व्यक्ति या अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, (***) सरकारी झाटा विश्वासी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध (***) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति या अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां वह अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सेवकों से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होते रहेंगे । 1974 का 2

अध्याय 14

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

87. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे ।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों (***) द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित में समय-समय पर दें :

परंतु प्राधिकरण को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3)(***)

सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना ।

88. प्राधिकरण और अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

89. इस अधिनियम या उसके अधीन (***) बनाए गए (***) नियमों या (***) विनियमों के अधीन की गई सद्भावपूर्वक (***) या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

1961 का 43

आय पर कर से छूट ।

90. आय-कर अधिनियम, 1961 या, यथास्थिति, आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, अपनी आय, व्युत्पन्न लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय- कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

प्रत्यायोजन ।

91. प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 95 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अधिनियम में डिजिटल अर्थव्यवस्था, आदि के लिए नीतियों की विरचना के संवर्धन के लिए कार्रवाई करना ।

92. (1) इस अधिनियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके अंतर्गत उसका विकास, सुरक्षा, अखंडता, दुरुपयोग का निवारण भी है, अनामायी वैयक्तिक डाटा सहित गैर-वैयक्तिक डाटा के हस्तालन के लिए (***) कोई नीति (***) विरचित करने से निवारित नहीं करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की परामर्श से किसी डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमणकर्ता को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं में उच्चतर लक्ष्यित परिदान को या साक्ष्य आधारित नीतियों की विरचना हेतु समर्थ बनाने के लिए किसी अनामी वैयक्तिक डाटा या ऐसा अन्य डाटा जो वैयक्तिक नहीं है, उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण (***)

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों का वार्षिक रूप से प्रकटन करेगी और ऐसे प्रकटन में उसकी वार्षिक रिपोर्ट को सम्मिलित किया जाएगा जिसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

बायोमैट्रिक डाटा के कतिपय प्ररूपों के प्रक्रमण का वर्जन ।

93. कोई डाटा विश्वासी ऐसे बायोमैट्रिक डाटा का प्रक्रमण, जो (***) विहित अधिसूचित किया जाए, तब तक नहीं करेगा, जब तक उसका प्रक्रमण विधि द्वारा अनुज्ञात (***) न किया जाए ।

नियम बनाने की शक्ति ।

94. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के (***) प्रयोजन के लिए और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध से असंगत न हो, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (23) के उपखंड (xii) के अधीन कोई अन्य हानि;

(ख) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा विश्वासी कारबारी संव्यवहार के भाग के रूप में वैयक्तिक डाटा को आहरण, अन्तरण या पारेषण कर सकता है ;

(ग) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन विचार किए जाने वाले अन्य कारक;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग किए जाने के लिए कोई आवेदन किया जा सकेगा और उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन की रीति;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (6) के अधीन गैर-वैयक्तिक डाटा भंग के मामले में प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय ;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपखंड (i) के अधीन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उपयोगकर्ता के संबंध में सीमा और उपधारा (1) के खंड (च) के परन्तुक के अधीन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न सीमाएं ;

(छ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उपभोक्ताओं की स्वेच्छया (***) सत्यापन की (***) रीति और उपधारा (4) के अधीन स्वेच्छया सत्यापित उपभोक्ता के सत्यापन का पहचान चिह्न;

(ज) ((***) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन डाटा आडिटर के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(झ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन डाटा संरक्षण अधिकारी और अन्य कार्मिक जिसके अन्तर्गत "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" पद भी है की अर्हताएं और अनुभव ;

(ञ) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन देश या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ऐसी निकाय (***) या निकायों का वर्ग जिनके लिए अंतरण अनुज्ञात किए जा सकेंगे;

(ट) धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के मुख्यालय का स्थान ;

(ठ) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ढ) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की (गणपूर्ति सहित) बैठकों का समय और स्थान तथा उसमें कार्य संचालन के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं जिसके अन्तर्गत उसकी गणपूर्ति भी है;

(ण) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य;

(त) धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन व्यवहार संहिता जारी करने की प्रक्रिया उसकी उपधारा (7) के अधीन वह रीति, जिसमें प्राधिकरण उसका पुनर्विलोकन, उपांतरण या प्रतिसंहरण कर सकेगा;

(थ) धारा 53 की उपधारा (8) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय, जिसके

संबंध में प्राधिकरण को शक्तियां प्राप्त होंगी ;

(द) धारा 57 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासियों द्वारा इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां ;

(ध) धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर के लिए कोई आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति तथा अवधि ;

(न) धारा 63 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति और निबंधन, उनकी अधिकारिता और अन्य अपेक्षाएं तथा उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव ;

(प) वह रीति, जिसमें धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी कोई जांच करेगा ;

(फ) धारा 65 के अधीन की (***) आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा उसकी उपधारा (7) के अधीन (***) आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया और प्रतिकर की सीमा ;

(ब) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाए जाने की रीति तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(भ) धारा 70 के अधीन अपील अधिकरण में रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया ;

(म) धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ;

(य) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, अपील अधिकरण को अपील (***) फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(यक) अपील अधिकरण की शक्तियों के संबंध में धारा 74 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन अन्य विषय ;

(यख) धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं, अन्य सुसंगत अभिलेखों और लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप, वह अंतराल जिस पर प्राधिकरण के लेखाओं की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा की जाएगी;

(यग) वह समय, (***) और वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को विवरणियां, विवरण और विशिष्टियां तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी ;

(यघ) धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें केन्द्रीय सरकार, कोई निदेश जारी कर सकेगी जिसके अन्तर्गत ऐसा विनिर्दिष्ट प्रयोजन भी है जिसके लिए डाटा की ईप्सा की गई है और उपधारा (3) के अधीन ऐसे निदेशों के प्रकटन का प्ररूप ; (***)

(यङ) धारा 93 के अधीन प्रसंस्कृत नहीं करने के लिए बायोमैट्रिक डाटा के

ब्यौरे ;

(यच) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

95. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के (***) प्रयोजन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से (***) असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा उसकी सूचना में डाटा स्वामी को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य जानकारी ;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा प्रतिधारित वैयक्तिक डाटा को हटाया जाएगा ;

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन युक्तियुक्त प्रयोजनों तथा उपधारा (3) के अधीन डाटा स्वामियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए रक्षोपाय ;

(घ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त रक्षोपाय या निर्बन्धन;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक के माता-पिता या संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करने की रीति और (***) किसी बालक की आयु के सत्यापन की रीति, उपधारा (5) के अधीन काउंसीलिंग या बाल संरक्षण सेवा के आमंत्रण के लिए डाटा विश्वासियों हेतु उपांतरित प्ररूप में उपबंध का आवेदन ;

(च) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें डाटा स्वामी की डाटा विश्वासियों की एक स्थान की पहचान तक पहुंच होगी जिसके साथ उसके वैयक्तिक डाटा को उनके साथ साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के प्रवर्गों के साथ-साथ किसी विश्वासी को साझा किया गया है ;

(छ) धारा 18 के अधीन वह शर्तें और रीति जिसमें डाटा प्रधान को वैयक्तिक डाटा को ठीक करने और सुनिश्चित करने का अधिकार होगा ;

(ज) धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उपधारा (1) के उपबंध के अनुपालन के अवधारण की रीति जो अनुपयोग के लिए तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं होगी ।

(झ) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डाटा विश्वासी अनुरोध प्राप्त होने की अभिस्वीकृति देगा, उपधारा (2) के अधीन प्रभारित फीस, वह अवधि, जिसके भीतर उपधारा (3) के अधीन अनुरोध का पालन किया जाएगा और वह अवधि और रीति, जिसमें कोई डाटा स्वामी उपधारा (4) के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा ;

(ञ) ऐसी शर्तें जिनके अधीन धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुपालन के लिए बाध्य

होगा ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन डिजाइन नीति द्वारा निजता प्रस्तुत करने की रीति और अवधि ;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन उपलब्ध जानकारी देने का प्ररूप और रीति, डाटा विश्वासी द्वारा रखी गई कोई अन्य सूचना तथा उपधारा (2) के अधीन डाटा स्वामी से संबंधित वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में महत्वपूर्ण प्रचालन को अधिसूचित करने की रीति ;

(ड) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की रीति और तकनीकी, संक्रियात्मक, वित्तीय और अन्य शर्तें (***) ;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन डाटा विश्वासी या डाटा प्रक्रमण द्वारा आवधिक सुरक्षा रक्षोपाय के पुनर्विलोकन की रीति ;

(ण) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के प्ररूप की अन्तर्वस्तु ;

(त) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासियों के रजिस्ट्रीकरण की रीति;

(थ) ऐसी परिस्थितियां या डाटा विश्वासी का (***) के वर्ग (***) या प्रक्रमण संक्रियाएं, जहां डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण आज्ञापक होंगे और ऐसे उदाहरण, जहां धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन डाटा संपरीक्षक (***) को लगाया जाएगा (***) वह रीति, जिसमें उपधारा (4) के अधीन डाटा संरक्षा अधिकारी डाटा संरक्षण प्रभाव निर्धारण का पुनर्विलोकन करेगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट देगा और (***) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन प्रक्रमण के लिए शर्तें;

(द) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति और प्रक्रमण का कोई अन्य पहलू जिसके लिए अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा ;

(ध) धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (छ) अधीन विचार में लिए जाने वाले अन्य कारक ; उपधारा (3) के अधीन संपरीक्षाएं करने का प्ररूप और प्रक्रिया ; उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों के रजिस्ट्रीकरण की रीति ; (***) मानदंड जिनके आधार पर उपधारा (6) के अधीन किसी डाटा विश्वासी की डाटा विश्वास अंक के रूप में रेटिंग की जाएगी ;

(न) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण वैयक्तिक डाटा का अंतरण अधिसूचित करेगा;

(प) धारा 38 के अधीन अधिनियम के उपबंध और अनुसंधान के वर्ग, (***) अभिलेखागार या सांख्यिकीय प्रयोजन, जिससे छूट प्राप्त हो सकेगी ;

(फ) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन सैंडबाक्स में सम्मिलित करने के लिए डाटा विश्वासी द्वारा लागू किए जाने की रीति तथा उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन डाटा विश्वासी द्वारा सैंडबाक्स में जोड़ने के लिए अपेक्षित कोई अन्य जानकारी ;

(ब) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शियों और विशेषज्ञों का पारिश्रमिक, वेतन या भते और उनकी सेवा के अन्य

निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन व्यवहार संहिता ;

(ञ) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन डाटा विश्वासी या डाटा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाने का अवधि और (***) रीति ;

(य) धारा 53 की उपधारा (8) के खंड (क) के अधीन प्राधिकरण या जांच अधिकारी के लिए लेखा बहियों, डाटा और अन्य दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति के लिए स्थान और समय ;

(यक) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के समक्ष डाटा स्वामी द्वारा शिकायत को फाइल करने की अवधि और रीति ;

(यख) कोई अन्य विषय, जिनको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो विनिर्दिष्ट किए जाए या जिनके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं या उपबंध किया जाए ।

नियमों, (***) विनियमों और अधिसूचना का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

96. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और धारा 68 की उपधारा (4) के अधीन जारी अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा या रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी । किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

97. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट या (***) किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

98. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(***) 99. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 2000 के अधिनियम संख्यांक 21 का संशोधन ।

अनुसूची

(धारा 99 देखिए)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का संशोधन

(2000 का 21)

धारा 43क का लोप ।

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 43क का लोप किया जाएगा ।

धारा 81 का संशोधन ।

1970 का 39

2. मूल अधिनियम की धारा 81 के परन्तुक में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या डाटा संरक्षण अधिनियम, 2021" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 87 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (णख) का लोप किया जाएगा ।